बुधवार, 3 दिसंबर 1980

12 अग्रहायण, 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र



[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 12 बुधवार, — 3 दिसम्बर, 1980/12 अग्रहायण, 1902 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 229 से 233, 239 और 242		1—33
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या 234, 237 और 240		33—36
अतारांकित प्रश्न संख्या 2193 से 2202, 2204 से 2240, 2242 से 2356, 2358 से 2361, 2363 से 2377 और 2379 से 2392		37—211
स्थगन प्रस्तावों के बारे में		212—216
सभा पटल पर रखे गये पत्र		217—218
लोक लेखा समिति के विवरण		218
राज्य सभा से संदेश		219
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति — ग्याहरवां प्रतिवेदन		219
कार्यमंत्रणा समिति — नौवां प्रतिवेदन		219—220
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य), 1980-81 विवरण प्रस्तुत किया गया		220
नियम 377 के अधीन मामले		220—224
(एक)	गुजरात के कुछ क्षेत्रों में कोयले की कमी के कारण कुछ रेल सेवाओं का निलम्बन — श्री मोती भाई आर० चौधरी	220
(दो)	उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में रेल सेवाएं — श्रीमती उषा वर्मा	221
(तीन)	दक्षिणी क्षेत्र को आवश्यक कच्चे माल की सप्लाई — श्री के० अर्जुनन	221
(चार)	मैसर्स गियावेनाला-बिन्नी लिमिटेड, कोचीन में तालाबंदी के कारण कर्मचारियो की शोचनीय स्थिति — श्री जेवियर अराकल	222
(पांच)	उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित करने की आवश्यकता — श्री जैनुल बशर	223
(छः)	रेलगाड़ियों का देरी से चलना — श्री रामावतार शास्त्री	223

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य से पूछा था।

विषय	पृष्ठ
पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार तथा अन्य आरक्षणों के बारे में	224
श्री जयपालसिंह कश्यप	
सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक	
विचार किये जाने का प्रस्ताव	224—235
श्री भीष्म नारायण सिंह	224
श्री टी० आर० शमन्ना	226
श्री एच० के० एल० भगत	231
श्री सूर्यनारायण सिंह	234
सदस्य द्वारा त्यागपत्र (**श्री जगननाथ पहाड़िया**)	234
हाल के साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव	236— 364
श्री बी० बी० देसाई	236
श्री गुलाम मोहम्मद खां	247
श्री मोहनलाल सुखाड़िया	253
श्री ज्योतिर्मय बसु	258
श्री मलिक एम० एम० ए० खां	266
श्री जगजीवग राम	272
श्री एच० के० एल० भगत	279
श्री ईरा मोहन	284
श्री पी० नामग्याल	286
श्री राम जेठमलानी	290
श्री आरिफ मोहम्मद खां	295
प्रो० मधु दंडवते	302
श्री इन्द्रजीत गुप्त	307
श्रीमती मोहसिना किदवई	316
श्री अशफाक हुसैन	320
श्री राम नगीना मिश्र	323
श्री जयपालसिंह कश्यप	326
श्री आर० एस० स्पैरो	328
श्री अब्दुल समद	330
श्री तारिक अनवर	332
श्री चित्त बसु	334
श्री जी० एम बनातवाला	337
श्री जैनुल बशर	342
श्री मुजफ्फर हुसैन	346
डा० ए० यू० आजमी	350
डा० गोलम यस्जदानी	352
श्री कांजी जलील अब्बासी	354
श्री समीनुद्दीन	355
श्री जैलसिंह	357

लोक सभा

बुधवार, 3 दिसम्बर, 1980/12 अग्रहायण, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री ज्योतिर्मय बसु : सभा के कार्य के प्रश्न के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उद्योग मंत्रालय से सम्बंधित प्रश्न अगले सप्ताह के लिए रख दिए गए हैं। जब सभा का सत्र चलता है तो मंत्री बाहर चले जाते हैं। निस्संदेह शुद्धि-पत्र जारी कर दिया गया है परन्तु उद्योग मंत्रालय से सम्बंधित सभी प्रश्न अगले सप्ताह के लिए रख दिये गए हैं क्योंकि मंत्री के लिए यह असुविधाजनक है। क्या संसद उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे ..... के साथ किया था। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने अन्य मंत्री को उत्तर देने के लिए प्राधिकृत क्यों नहीं किया ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : यह बहुत ही संगत प्रश्न है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत ही अपमानजनक है।

अध्यक्ष महोदय : अपमान का कोई प्रश्न नहीं है। एसा अनुरोध तथा सम्बंधित सदस्य, जिसने प्रश्न किया था, की सहमति से किया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रथा क्या है ? प्रथा यह है कि जिस मंत्री को उत्तर देना होता है वह अपनी ओर से उत्तर दिए जाने के लिए अन्य मंत्री को प्राधिकृत कर सकता है। सभी प्रश्न स्थानान्तरित कर दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदस्य की सहमति के बिना ऐसा नहीं किया। मैंने सम्बंधित सदस्य की सहमति ला थी कि क्या वह चाहते हैं कि इसका उत्तर किसी अन्य मंत्री द्वारा दिया जाए। फिर मैंने ऐसा किया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सम्बंधित सदस्य कौन है ?

अध्यक्ष महोदय : सम्बंधित सदस्य वह है जिसने प्रश्न किया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक बार जब कोई प्रश्न कर दिया जाता है तो वह सभा की सम्पत्ति बन जाता है । हम इसे ठीक करें । एक बार जब प्रश्न कर दिया गया है तो यह सभा की सम्पत्ति बन गया है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है परन्तु यह 10 तारीख को आ रहा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इतने अधिक प्रश्नों का स्थानान्तरण क्यों ? अन्य मंत्री उत्तर क्यों नहीं देते हैं ? (**व्यवधान**) यह ज्यादती है । (**व्यवधान**) इसके बाद आज क्या होता है कि इस समय रिक्ति है । 10 तारीख को बहुत अधिक प्रश्न होंगे ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अधिक प्रश्न होने का प्रश्न ही नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कैसे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता । (**व्यवधान**) हम कार्य के अनुसार चलें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इन बातों की अनुमति मत दीजिए; संसद को प्रधान मंत्री सचिवालय के अधीन मत बनाइए । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, श्री ज्योतिर्मय बसु, यह अनुचित है । (**व्यवधान**) यह नितान्त अनुचित है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है । यह अफसरशाही के प्रति समर्पण है ।

अध्यक्ष महोदय : किसी प्रकार के समर्पण का कोई प्रश्न ही नहीं है । (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं कह रहा हूं कि मैंने ऐसा नहीं देखा । सभी प्रश्न स्थानान्तरित कर दिए गये हैं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसका यह मतलब नहीं है कि आपने ऐसा नहीं देखा है । मैं अध्यक्षता कर रहा हूं । मैं इसे अपने अन्तःकरण के अनुसार कर रहा हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप एक नया पूर्वोदाहरण स्थापित कर रहें हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक नया पूर्वोदाहरण है। आप अपने सचिवालय से एक भी उदाहरण देने के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय : जी हाँ, मेरे पास उदाहरण हैं, मैं ऐसा समझता हूं। श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा।

बिना लाइसेंस वाले हथियारों के विरुद्ध विशेष अभियान

*229. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** क्या ग्रह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्यों से बिना लाइसेंस वाले हथियारों तथा उनके गैर-कानूनी निर्माताओं के विरुद्ध विशेष अभियान आरम्भ करने के लिए कहा है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : बिना लाइसेंस के हथियारों का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों से सितम्बर अक्तूबर 1980 में कहा गया था। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को भेजे गये मुख्य सुझावों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। अब तक प्राप्त सूचनाओं से पता चलता है कि राज्य सरकारों ने इस सुझावों पर सकरात्मक कार्रवाई की है।

विवरण

अवैध हथियारों और गोला बारूद का पता लगाने के विषय में राज्य सरकारों को भेजे गए मुख्य सुझाव

(1) बिना लाइसेंस का निर्माण, बिक्री और हथियारों, गोला-बारूद और स्फोटक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय में अलग से एक लघु कक का सृजन किया जाए।

(2) बिना लाइसेंस हथियारों का निर्माण और अग्नेयस्त्रों और गोला बारूद की की का पता लगाने के लिए विशेष प्रयत्न करने के आदेश सभी उपमंडलीय पुलिस धिकारियों और पुलिस स्टेशनों के प्रभारी पुलिस अधिकारियों को दिए जायें।

(3) इस दशा में किए गए प्रशंसनीय कार्यों के लिए पुलिस अधिकारियों को

उपयुक्त इनाम दिया जाए। बिना लाइसेंस वाले हथियारों और विस्फोटक पदार्थों की सूचनायें देने वाले व्यक्तियों को भी उचित नगद पुरस्कार दिए जायें, इस प्रकार के व्यक्तियों की शिनाख्त को गुप्त रखा जा रहा है; और

(4) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उचित समय के अंतर्गत बिना लाइसेंस वाले हथियारों को स्वयं समर्पित करने वाले व्यक्तियों को क्षमा करने के प्रश्न पर विचार किया जाए।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, सारे देश में हथियार बहुत जोरों से बनने शुरू हो गए हैं और इधर-उधर क्रिमिनल्स उनको खरीदकर उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, विदेशों से भी हथियार आ रहे हैं और उस पर भी कोई रोक-टोक नहीं है। अभी मंत्री जी ने बताया कि केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकारों को यह खबर गई है कि इस मामले में सतर्कतापूर्वक काम लें और इसको समाप्त करने के लिए या धर-पकड़ करने के लिए इन्तजाम किए जायें। सरकार ने यह भी कहा है कि इसके लिए सैल्स स्थापित किए गए हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राज्यों ने इस पर कौन सी कार्यवाही की है ? जहाँ तक मुझे मालूम है, कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हो सकी है और धड़ल्ले से यह काम जारी है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : कार्यवाही तो हुई है और इसीलिए इल्लीगल आर्म्ज पकड़े गए हैं और इल्लीगल आर्म्ज बनाने वाली फैक्टरियाँ भी यू०पी० और बिहार में पकड़ी गई हैं।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : मन्त्री महोदय ने जो विवरण रखा है, उसमें कहा गया है कि सभी थानों और सब-डिविजनल पुलिस आफिसर्ज को इस बारे में सतर्क किया गया है। मन्त्री महोदय ने बताया है कि धर-पकड़ में कुछ हथियार निकले हैं। क्या सरकार बता सकती है कि वे हथियार कहाँ-कहाँ निकले हैं—कहाँ पर बम, कहाँ पर बारूद और कहाँ पर रिवाल्वर पकड़े गए हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अक्तूबर, 1980 में 216 पिस्टल्ज 1 रिवाल्वर्ज, 7 राइफल्ज 6 एस बी बी एल गन्ज, 5 डी बी बी एल गन्ज और 276 कार्टरिजिज मिले हैं, खासकर यू०पी०, बिहार और पंजाब में।

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि माननीय सदस्य अगला अनुपूरक प्रश्न करें, मैं गरिमायुक्त सभा को सूचित करता हूं कि कल कार्य मंत्रणा समिति में हमारा एक मत था

कि किसी भी प्रश्न पर 8 मिनट से अधिक समय न दिया जाए। अतः आप इस समय सीमा के भीतर रहें ताकि हम अधिक प्रश्न ले सकें।

अब श्री आरिफ मौहम्मद खां।

श्री आरिफ़ मोहम्मद खां : बग़ैर लाइसेंस के हथियारों के खिलाफ़ जो अभियान चलाया गया है, क्या उसके अतिरिक्त इस प्रकार का भी शिकायतें हैं कि एक ही लाइसेंस पर कई बग़ैर लाइसेंस के शस्त्र लोगों के पास हैं और क्या इस प्रकार की भी शिकायतें हैं कि पिछले तीन वर्षों में ऐसे अवांछनीय और असामाजिक तत्वों को शस्त्रों के लाइसेंस दिए गए थे, जिनका पिछला क्रिमिनल रिकार्ड है ? उत्तर प्रदेश एसेम्बली में मेरे एक सवाल के जवाब में तत्कालीन उत्तर प्रदेश शासन ने यह जवाब दिया था। मैं मंत्री महोदय से केवल यह जानना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में जिन अवांछनीय तौर असामाजिक तत्वों को उनके क्रिमिनल रिकार्ड के बावजूद लाइसेंस दिए गए हैं, खास तौर से कार्बाइन के, क्या सरकार उनके लाइसेंस रद्द कराने की कार्यवाही करेगी।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने पहले बताया है कि हमने इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है। हम सारी पालिसी को रीव्यू कर रहे हैं। हम आर्म्ज एक्ट में भी कुछ एमन्डमेंटस ला रहे हैं।

मैंने श्री वर्मा के क्वेस्चन के जवाब में जो बताया है, उसमें थोड़ी ग़लती है। मेरे पास यह इनफ़र्मेशन आ गई है.....

अध्यक्ष महोदय : आप डीटेल में न जाइए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : ये आर्म्ज पकड़े गये है।

आन्ध्र प्रदेश : जब्त किये गये हथियार : 43

हरियाणा : बन्दूकें--12
पिस्तौल--176
रिवाल्वर--1
चाकू--11
बरछे--17
तलवार--3

अक्तूबर, 1980 के दौरान 236 मामले दर्ज किये गये अथवा आर्म्ज एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

हिमाचल प्रदेश : जब्त किये गये कुल हथियार : 69

1980 के दौरान 236 मामलों पर कार्यवाही की गई ।

पंजाब : पिस्तौल/रिवाल्वर (देसी) : 140

पिस्तौल/रिवाल्वर (विदेशों में निर्मित) : 76 ।

अध्यक्ष महोदय : यह रोजमर्रा की बात है ।···

श्री योगेन्द्र मकवाना : कारतूस : 276

इसके बाद त्रिपुरा में 10-10-80 तक जब्त किये गये हथियार : 254
उत्तर प्रदेश में जब्त किए गए हथियार : 1812
हमारे पास 9 बम, 14 ग्रनेड और 4757 कारतूस हैं ।
महोदय, दिल्ली में रिवाल्वर/पिस्तौल : 50, चाकू छुरे : 766,
कारतूस : 197···

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । श्री मकवाना आपको इसे पूरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, गड़बड़ मुख्यतया दो वस्तुओं के माध्यम से की जाती है । एक शाफ्ट तथा बहु-शाफ्ट के आग्नेय अस्त्रों के निर्माण के लिए एक तो विस्फोटक पदार्थ जिसके लिए आपको पोटेशियम क्लोराइड तथा थोड़ा बेरियम रसायन—मैं आपको इसलिए नहीं बता सका कि मुझे विज्ञान की अधिक जानकारी नहीं है—और दूसरी वस्तु इस्पात चाहिए । क्या मंत्री महोदय हमें बतलायेंगे कि क्या वह मूल कारण को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ? पोटेशियम क्लोराइड हर किसी कारखाने में नहीं बनता है । ये ये लोग विस्फोटक पदार्थ पोटेशियम क्लोराइड तथा ऐसी ही अन्य चीजें कैसे प्राप्त कर रहे हैं ? कलकत्ता में पोटेशियम क्लोराइड से भरा एक ट्रक रंगे हाथ पकड़ा गया था । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या कच्चे माल के संसाधनों तथा उन निर्माता एककों की सूची तैयार करने के लिए कोई विशेष प्रयास किया जा रहा है जिनके पास आग्नेय अस्त्र तथा आग्नेय बन्दूकों के उत्पादन के उपकरण हैं ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने बताया है कि गैर-कानूनी हथियारों तथा कच्चे माल सहित जहाँ से वे आते हैं उन संसाधनों को जब्त करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

साम्प्रदायिक दंगों में मारे गये पुलिस कर्मचारी

*231. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगें कि :

(क) देश के कुछ भागों में अगस्त 1980 मे तथा इसके पश्चात हुए साम्प्रदायिक दंगों के दौरान पुलिस के क्रमशः कितने-कितने अधिकारी और सिपाही घायल हुए अथवा मारे गए;

(ख) उनके जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ? और

(ग) उनके दिलों में विश्वास पैदा करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से अब तक प्राप्त सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है। शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सामान्य प्रथा के अनुसार पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मचारी तैनात किए जाते हैं और दंगों से निपटने के समय उनको आवश्यक सुरक्षात्मक सामान उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) कार्य दशाओं और कल्याण उपायों, जिनका पुलिस बलों की कार्य कुशलता और मनोबल से सीधा सम्बन्ध होता है, की निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/सं०शा० क्षेत्र का नाम	घायलों की संख्या	मृतकों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	1 (मामूली चोटें)	शून्य
2.	हरियाणा	शून्य	शून्य
3.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
4.	जम्मू तथा कश्मीर	40 (के०रि० पु० ब० के कार्मिक)	शून्य
5.	केरल	शून्य	शून्य
6.	मध्य प्रदेश	(1 पुलिस उप-अधीक्षक (6 कांस्टेबल	शून्य
7.	मणिपुर	शून्य	शून्य
8.	नागालैंड	शून्य	शून्य
9.	पंजाब	शून्य	शून्य
10.	राजस्थान	शून्य	शून्य
11.	सिक्किम	शून्य	शून्य
12.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य
13.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य
14.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
15.	चन्डीगढ़ (सं०शा० क्षेत्र)	शून्य	शून्य
16.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य
17.	दिल्ली	59	शून्य
18.	गोवा, दमण तथा दीव	शून्य	शून्य
19.	मिजोरम	शून्य	शून्य
20.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
21.	पांडिचेरा	शून्य	शून्य

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं, पैरा संख्या 3 के उत्तर में यह कहा गया था कि कार्य दशाओं और कल्याण उपायों, जिनका पुलिस बलों का कार्य कुशलता और मनोबल से सीधा सम्बन्ध होता है, की निरन्तर समीक्षा की जा रही है—अब तक, जहां तक मैं जानता हूं अधिकांश पुलिस कर्मचारियों को रहने के लिए आवास नहीं मिल पाता जबकि उन्हें बम्बई में गंदी बस्तियों में आश्रय अथवा आवास लेना पड़ता है, क्या पुलिस कर्मचारियों के लिए उपयुक्त आवास का निर्माण करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है, और यदि हाँ तो अब तक उन्होंने क्या कदम उठाए हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय है और पुलिस कर्मियों के आवास के लिए राज्य सरकार आवश्यक कार्रवाही कर रही है। केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत एक पुलिस आवास योजना थी। यह 1976-77 तक लागू थी। परन्तु जनता दल के शासन के दौरान उन्होंने इसे समाप्त कर दिया। अब फिर उस योजना को पुनः लागू करने के लिए हम योजना आयोग से विचार विमर्श कर रहे हैं और इस पर विचार किया जाएगा।

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : श्रीमान, पुलिस को 24 घन्टे ड्यूटी देनी होती है अतः वे अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाते। क्या मैं यह जान सकता हूं कि पुलिस कर्मियों के बच्चों को पढ़ाने और जब वे नौकरी के योग्य हों जाएं तो उन्हें रोजगार दिलाने के लिए सरकार के पास क्या योजना है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, इन सभी पहलुओं पर मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी और जैसाकि मैंने बताया है, राज्य सरकारें इन सब के बारे में कार्यावाही करने पर सहमत हो गई है। जहाँ तक केन्द्रीय बलों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने पुलिस बलों को चिकित्सा सुविधाएं और अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की है। यह एक लम्बी सूची है और मैं इसे पढ़ना नहीं चाहूंगा।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : अध्यक्षजी, मन्त्रीजी ने जो स्टेटमेन्ट दिया है उसमें अगस्त तक का दिया गया है लेकिन कौन सी तारीख से शुरू हुआ, इसका पता नहीं लगता है। कितने महीने का स्टेटमेंट है यह तो समझ सकते हैं। अगस्त तक की फीगर्स दी गई हैं लेकिन सितम्बर और अक्तूबर की फीगर्स उसमें नहीं दी हुई हैं। इसके अलावा जो बड़े राज्य हैं उनके नाम भी नहीं दिए हैं, कि वहां कुछ हुआ या नहीं हुआ, जैसे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है। मैं यह जाना चाहता हूं कि जब रेलवे में एक्सीडेन्ट से मरने पर 50 हजार रुपये कम्पेन्सेशन दिए जाते हैं तब पुलिस जो ड्यूटी पर होती है उनकी धोखे में, लड़ते हुए अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को भी उतना ही पैसा देने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

दूसरी बात यह है कि कोई आन्दोलन या मोर्चा निकालने वाले लोग पुलिस से बातचीत करने पर तो कहते हैं कि हम शांति बनाए रखेंगे लेकिन बाद में उस बात को भूल जाते हैं और वायलेन्स पर उतर आते हैं जिसका पुलिस को मुकाबला करना पड़ता है। अक्सर अखबार देखने से पता चलता है कि पुलिस ने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए फायरिंग की लेकिन स्टेटमेन्ट कहता है कि कोई इंजरी ही नहीं है। जब पुलिस को इंजरी होती है तभी फायरिंग या लाठीचार्ज होता है लेकिन स्टेटमेन्ट कहता है कुछ हुआ ही नहीं तो ऐसी हालत जो असली बात है वह समझ में नहीं आती है।

अध्यक्ष महोदय : यह आप क्या कह रहे हैं ? आपका सवाल क्या है ?

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : मैं सवाल कर रहा हूं। हमारे अहमदनगर में एक केस हुआ है जिसमें पुलिस वाला स्टैब हो गया। उसमें जांच के बाद डिपार्टमेन्ट ने बयान निकाला कि कोर्ट में संरक्षण न दें। वह केस बाद में सुप्रीम कोर्ट में आ गया। पुलिस डिपार्टमेन्ट के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया। तो इन बातों को देखते हुए इस बारे में सरकार क्या सुधार करना चाहती है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने सभा पटल पर एक विवरण रखा है जिसमें विभिन्न राज्यों द्वारा दी गई सूचना का उल्लेख है कुछ राज्यों ने सूचना नहीं भेजी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने सूचना नहीं भेजी है। कुछ अन्य राज्यों ने भी सूचना नहीं भेजी है उसे मैंनेसभा पटल पर रख दिया है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं, तो मैं उन राज्यों से सूचना प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दूंगा।

जहां तक मारे गए पुलिस कर्मियों के लिए जब वे ड्यूटी पर हों अथवा ड्यूटी पर न हों मुआवजा दिए जाने का सम्बन्ध है, जीवन का मूल्य धन से नहीं आंका जा सकता। परन्तु फिर भी सरकार ने कुछ मानदण्ड निर्धारित किया है। मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि सीमा सुरक्षाबल मेंयदि ड्यूटी पर मृत्यु हो जाती है तो सीमा सुरक्षा बल की कल्याणकारी निधि से एफ०डी० आर० के रूप में 2500/ रुपये और दस वर्ष के लिए 150/ रुपये का मासिक पारिवारिक भत्ता भी दिया जाता है। यदि ड्यूटी पर सामान्य रूप से किसी की मृत्यु होती है तो सामा सुरक्षा बल की कल्याणकारी निधि से 2500/-रुपये एफ० डी० आर० के रूप में तथा दस वर्ष के लिए 150/-रुपये मासिक पारिवारिक भत्ते के रूप में दिए जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप यह सूचना सप्लाई कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : फिर मैं इसे सभा पटल पर रख दूंगा।

श्री धनिकलाल मण्डल : महोदय, माननीय मन्त्री जी ने अभी सभा को बताया कि पुलिस हाउसिंग स्कीम 1976 तक चल रही थी लेकिन जब जनता पार्टी सरकार में आई

तो इस स्कीम को बन्द कर दिया गया। महोदय, इस सदन को मिसलीड करना है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या यह बात सही नहीं है कि इस स्कीम को बन्द नहीं किया गया बल्कि राज्यों के द्वारा यह मांग की गई थी, नेंशनल डेवलपमेंट कौंसिल में, कि यह जो सेन्ट्रल और सेन्ट्रली स्पांसर्ड स्कीम्स हैं इनका आकार बहुत बड़ा हो गया है, यह बहुत बढ़ती चली जा रही हैं, इससे राज्यों के पैसे में कटौती हो जाती है इस वजह से इसको कम किया जाए ? डेवलपमेन्ट कौंसिल में राज्यों द्वारा मांग की गई कि सेन्ट्रल और सेन्ट्रली स्पांसर्ड स्कीम्स को छोटा किया जाए और राज्यों को वह दे दी जायें राज्य जैसे चाहें खर्च करें—या बात सही है या नहीं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अध्यक्ष महोदय, आज भी राज्य उस चीज की मांग कर रहे हैं और हर राज्य से मांग है कि सेन्टर उसमें कुछ प्रोवाइढ करें। कैसे बन्द हुआ, यह तो अलग बात है, लेकिन बन्द जरूर हुआ···(**व्यवधान**) मैंने वास्तविक सूचना दी है। इसे 1977 के पश्चात् बन्द किया गया और हमने इसे पुनः लागू करने का प्रयास किया।

भवन और निर्माण श्रमिकों को मजदूरी

*232. **श्री के० प्रधानी :** क्या **श्रम मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के तथा राज्य सरकार के अधीन सड़क निर्माण या उसकी मरम्त अथवा भवन-निर्माण कार्यों में नियुक्त श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इसमें वृद्धि करने तथा इनमें उन श्रमिकों को भी शामिल करने का विचार है, जो केन्द्रीय सरकार के अधीन पत्थर तोड़ने, रोड़िया बनाने, भवनों की मरम्त करने तथा मार्गों का निर्माण और उनकी मरम्मत करने संबंधी-कार्यों में लगे हुए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) : सड़कों के निर्माण या उनकी मरम्मत या भवन निर्माण-कार्यों में रोजगार के संबंध में संबंधित सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी-दरों का विरवण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) : जी, हाँ। पत्थर तोड़ने, रोड़िया बनाने, भवनों के अनुरक्षण और मार्गों का निर्माण और उनकी मरम्मत के संबंध में न्यूनतम मजदूरी-दरों में संशोधन करने के प्रस्तावों को भारत के दिनांक 3 सितम्बर, 1980 के असाधारण राजपत्र के भाग II, खण्ड 3 (ii) में अधिसूचित किया गया है।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अकुशल	अर्ध-कुशल	कुशल	उच्च कुशलता प्राप्त	लिपिकीय	संशोधन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	केन्द्रीय क्षेत्र	4.45 रु० से 6.50 रु० तक	5.56 रु० से 8.12 रु० तक	7.10 रु० से 10.40 रु० तक	8.90 रु० से 13.00 रु० तक	7.12 रु० से 10.40 रु० तक	16-12-1978
2.	आंध्र प्रदेश	5.15 रु० प्रतिदिन या 155.00 रु० प्रति माह तक	7.35 रु० प्रतिदिन या 219 रु० प्रति माह तक	10.30 रु० प्रतिदिन या 310 रु० प्रति माह तक	—	8.00 रु० प्रतिदिन या 241 रु० प्रतिमाह तक	20-8-1976
3.	असम	6.00 रु० प्रतिदिन या 180 रु० प्रति-माह तक	—	3.00 रु० प्रतिदिन या 210 रु० प्रतिमाह तक	—	—	3-10-1974
4.	बिहार *	3.90 रु० से 4.85 रु० तक	4.65 रु० से 5.80 रु० तक	6.20 रु० से 7.40 रु० तक	19.75 रु०	5.60 रु० से 8.00 रु०	जून, 1978
5.	गुजरात *	5.50 रु०	5.75 रु० से 6.38 रु० तक	7.65 रु० से 8.50 रु० तक	8.50 रु० से 9.35 रु० तक	175 रु० से 200 रु० तक	1-9-1976

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	हरियाणा	सबसे कम 9.25 रु० और सबसे अधिक 30.00 रु०		(कुशलता के अनुसार वर्गीकरण नहीं किया गया)			2-1-1980
7.	हिमाचल प्रदेश	6.25 रु० से 6.50 रु० प्रति दिन या 187-50 पै० से 195 रु० प्रति माह तक	—	6.25 रु० से 11.00 रु० प्रतिदिन या 187-50 पै० से 330 रु० प्रतिमाह तक	—	—	1-5-1979
8.	जम्मू तथा कश्मीर	.....	.....	.....	.....	..... अभी निर्धारित नहीं की गई	
9.	कर्नाटक	3.00 रु० से 4.75 रु० तक	6.00 रु० से 8.00 रु० तक	7.00 रु० से 9.00 रु० तक	10.00 रु० से 14.00 रु० तक	—	21-11-74
10.	केरल *	4.00 रु० से 4.95 रु० तक	अन्य वर्गों को निर्दिष्ट नहीं किया गया 4.50 रु० से 6.96 रु० प्रतिदिन तक		—	मजदूरी दरें भिन्न-भिन्न हैं।	15-5-1977
11,	मध्य प्रदेश	2.00 रु० से 2.75 रु० तक	3.15 रु० से 4.30 रु० तक	4.30 रु० से 5.50 रु० तक	—	72.00 रु० से 116 रु० प्रतिमास तक	1-2-1974
12.	महाराष्ट्र	3.75 रु० से 7.00 रु० तक	7.00 रु० से 11.00 रु० तक	9.00 रु० से 13.00 रु० तक	—	—	2-10-1977

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	मणिपुर	कुशलता के अनुसार वर्गीकरण नहीं किया गया — 3.00 रु० से 3.50 रु० तक प्रतिदिन भिन्न-भिन्न हैं।			—	मजदूरी दरें	24-9-79
14.	मेघालय	3.00 रु०	—	—	10.00 रु०	—	1-3-1980
15.	नागालैंड	3.00 रु०	10.00 रु०	13.00 रु० से 15.00 रु० तक	—	—	31-1-1980
16.	उड़ीसा	4.00 रु०	5.00 रु०	7.00 रु०	3.00 रु०	—	1-5-1976
17.	पंजाब *	9.50 रू०	अन्य वर्गों को निर्दिष्ट नहीं किया गया—सबसे अधिक दर 25.90 रु० है।				1-1-1980
18.	राजस्थान	7.00 रु० प्रतिदिन या 132 रु० से 187 रु० प्रतिमाह	208 रु० से 227 रु० प्रतिमाह तक	240.50 रु० से 337 रु० प्रति माह तक	—	—	1-1-1980
19.	तमिलनाडु	कुशलता के अनुसार वर्गीकरण नहीं किया गया मजदूरी दरें 6.00 रु० से 15.00 रु० प्रतिदिन भिन्न-भिन्न हैं।				10.00 रु० से 12 रु० तक	1-12-1976
20.	त्रिपुरा	4.00 रु०	5.50 रु०	7.00 रु०	—	7.00 रु०	31-12-1973
21.	सिक्किम †	(कुशलता के अनुसार वर्गीकरण नहीं किया गया। सबसे कम मजदूरी दर 8.00रू० और सबसे अधिक मजदूरी दर 17.00 रू० हैं —इसमें मस्टर रोल में आने वाले श्रमिक शामिल हैं) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं।					6-9-1980

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	उत्तर प्रदेश	6.00 रु० प्रति दिन या 156 रु० प्रतिमाह तक	(वर्गों के अनुसार दरें निर्धारित नहीं की गई)				20-1-1973
23.	पश्चिम बंगाल	131.00 रु० से 206.85 प्रतिमाह	(जिसमें जोनों के अनुसार मंहगाई भत्ता शामिल है)				20-1-1978
24.	अंडमान और निकोबार	5.50 रु०	6.65 रु०	8.05 रु०	9.65 रू०	6.65 रु० से 8.05 रु० तक	1-6-75-1975
25.	अरुणाचल प्रदेश	——————————अभी तक निर्धारित नहीं की गई——————————					
26.	चंढीगढ़	6.25 रु०	(बाकी कर्मचारियों को वर्गीकृत नहीं किया गया सबसे अधिक दर 10.75 रु०) ।				15-7-1975
27.	दादर और नागर हवेली	5.00 रु०	—	—	—	—	15-9-1976
28.	दिल्ली	9.25 रु० प्रतिदिन या 240 रु० प्रति माह तक	10.40 रु०	12.30 रु० प्रतिदिन या 320 रु० प्रति माह तक	—	योग्यता के अनुसार 275 रु० से 383 रु० प्रतिमाह	1-1-1980

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	गोवा, दमन और दीव	4.50 रु० से 5.50 रु० तक	7.00 रु० से 9.00 रु० तक	10.00 रु० से 11.00 रु० तक	12.00 रु० से 14.00 रु० तक	3.00 रु० से 10.00 रु० तक	20-2-75
30.	लक्षद्वीप	5.25 रु०	(बाकी कर्मचारियों को वर्गीकृत नहीं किया गया—अधिकतम दर 8.00 रु० है)				1-8-1977
31.	मिजोरम	……अभी निर्धारित नहीं की गई……					
32.	पांडिचेरी	……अभी निर्धारित नहीं की गई……					

* उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध ।

† न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को अभी तक सिक्किम में लागू नहीं किया गया है ।

नोट . मजदूरी-दरों का विस्तार जोनों के अनुसार है ।

श्री के० प्रधानी : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार मैंने भारत सरकार के असाधारण राजपत्र के खण्ड 3 का अध्ययन किया है जिससे मैंने अकुशल श्रमिक के अन्तर्गत पाया कि लड़कों के लिए आयु सीमा 12 वर्ष से अधिक है। "लड़कियों, बच्चों" के सम्बन्ध में कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या भवन निर्माण कार्य में किसी भी आयु के बच्चों और लड़कियों को लगाया जा सकता है और यदि हाँ, तो मजूरी कैसे निर्धारित की जाती है ?

श्री पी० वेंकट रेड्डी : 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों और लड़कियों के लिए, व्यस्क के लिए निर्धारित वेतन का 80 प्रतिशत दिया जाता है। बच्चों को पत्थर तोड़ने, रोड़ी बनाने आदि के काम पर नहीं लगाया जा सकता।

श्री के० प्रधानी : इस अधिसूचित के अन्तिम पैरा में, यह लिखा है कि, 'एतद् द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव उस तारीख के दो माह के पश्चात लागू होगें जिस तारीख को इस अधिसूचना का राजपत्र जनता को उपलब्ध किया जाएगा।" यह 3 सितम्बर, 1980 को प्रकाशित हुआ था। परन्तु यह ज्ञान नहीं कि जनता को यह कब उपलब्ध कराया गया। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या समय समाप्त हो गया है और अधिसूचना को कार्यान्वित कर दिया गया है ?

श्री के० वेंकट रेड्डी : यह 3 सितम्बर को प्रकाशित हुआ था। दो माह का समय आपत्तियां तथा सुझाव प्राप्त करन के लिए दिया जाता है। वह अवधि समाप्त हो गई है। अब आज ही अर्थात 3 दिसम्बर को न्यूनतम मजूरी परामर्श बोर्ड की बैठक होने जा रही है। उनके द्वारा इस पर विचार कर लिए जाने के पश्चात, आवश्यक अधिसूचना जारी की जाएगी।

श्रीमती कृष्णा साहनी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि जो श्रमिक महिलायें काम करती हैं, तो उनको मजदूरी मर्दो की अपेक्षा कम मिलती है, तो इस डिसपैरिटी को दूर करने के यिए मंत्री महोदय क्या उपाय कर रहें हैं ?

श्री पी० वेंकट रेड्डी : पुरुष और महिला में कोई भेद-भाव नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, वक्तव्य से यह पता चलता है कि इन्होंने राज्यों के लिए अलग-अलग मजदूरी का रेट तय किया है, तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब भारत सरकार एक है और इनके कर्मचारी भीं एक हैं तो अलग-

अलग कर्मचारियों के लिए अलग-अलग मजदूरी का रेट क्यों तय किया गया है, समान क्यों नहीं किया गया ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि सिक्कम में न्यूनतम मजदूरी कानून अब तक लागू नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री पी० वेंकट रेड्डी : कन्द्र सरकार सिक्कम के सम्बन्ध में, सिक्कम सरकार के परामर्श से केन्द्रों सरकार इस श्रम कानून को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है ।

श्री रामावतार शास्त्री : एक तरह का वेज-स्ट्रक्चर पूरे देश के लिए आप ने क्यों नहीं किया है, अलग-अलग बनाया है, ऐसा क्यों ?

श्री पी० वेंकट रेड्डी : अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्र सरकार की समुचित सरकार है । जहाँ यह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, राज्य सरकारें न्यूनतम मजूरी को संशोधित करने के लिए प्राधिकृत हैं ।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो रेट्स आप ने अलग-अलग फिक्स किये हैं, वे शासन के काम करने वाली लेबर को दिये जायेंगे, लेकिन अगर प्राइवेट कान्ट्रैक्टर कम मजदूरी दे तो उस के खिलाफ़ क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री पी० वेंकट रेड्डी : श्रीमान्, यह सभी सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों और सभी उद्योगों पर लागू होता है और इसमें कोई भेद-भाव नहीं है । सभी के लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित है । इसमें कोई भेद-भाव नहीं है ।

विभिन्न क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा के उपयोगों के लिए योजना

***233. भोगेन्द्र झा : क्या प्रधान मंत्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा के विविध उपयोगों के बारे में भारत की क्षमता से सम्बन्धित नवीनतम स्थिति क्या है और वर्तमान तथा निकट भविष्य के लिए व्यवहारिक योजनाएं क्या हैं;

(ख) परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान, विकास और व्यवहारिक उपयोग के लिए कतने अतिरिक्त संसाधनों और देशी तथा विदेशा प्रयासों की आवश्यकता होगी; और

(ग) इस सम्बन्ध में कौन से कारण अथवा ताकतें इनके पूर्ण विकास में बाधा डाल रही हैं ?

विज्ञान और औद्योगिक तथा इलक्ट्रोनिक्स विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) :

(क से ग) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) 1980-85 के वर्षों में बिजली के उत्पादन और उद्योग, कृषि तथा आयुर्विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा का विकास और उपयोग करने की देश की और अधिक क्षमता को काम में लाने की योजनाओं को अन्तिम रुप दिया जा रहा है।

(ख और ग) इस काम के लिए धन के अतिरिक्त, पर्याप्त औद्यौगिक क्षमता, विशेषतः बड़े आकार के तथा जटिल एवम् परिष्कृत उपस्करों का निर्माण करने की क्षमता, और प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति का होना अनिवार्य है। ऐसी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और ऐसी सामाग्री तथा ऐसे उपस्करों की आपूर्ति के लिए, जो देश में उपलब्ध नहीं हैं, अन्तर्राष्ट्रीय सहकार भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, और जिन क्षेत्रों में ऐसा सहकार नहीं मिलता उनमें हम अपने में क्षमता पैदा करते हैं। ऐसे मामलों में अपर्याप्त का रहना, अधिकतम सम्भव विकास में बाधक सिद्ध होता है तथा इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है।

श्री भोगेन्द्र झा :—महोदय, मैं तथा साथ ही सारा देश यह जानना चाहता है कि हम अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आणुविक ऊर्जा को विकसित करने के मामले में तकनीकी ज्ञान तथा संसाधनों आदि को जुटाने में कब तक आत्मनिर्भर हो जायेंगे। उदाहरण के लिए, महोदय, हमने अभी हाल ही में यह देखा है कि अमरीका से परिष्कृत यूरेनियम के आने में विलम्ब होने के कारण हमारे प्रयासों में किस प्रकार की रुकावटें पैदा हो गई थीं और भविष्य में भी ऐसी घटनाओं का भय बना रह सकता है। इसलिए, ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए हमारी तकनीकी जानकारी, देश में उपलब्ध संसाधनों तथा सरकार के निश्चित विचारों की सही स्थिति क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी०पी०एन० सिंह) : महोदय, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो काफी विस्तृत है और समृद्ध राष्ट्रों में इसका बहुत विस्तार हो चुका है। हम भी इसके लिए अपना पूरा-पूरा प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में, महोदय, हमें इस मामले में आपूर्ति करने वाले कुछ देशों द्वारा कुछ सामान और उपकरणों के निर्यात पर लगाये गये प्रतिबन्ध तथा परिवर्तनशील

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति जैसे अवरोधक तत्वों को ध्यान में रखना होता है। इस सब के बावजूद हमारे देश का यह सौभाग्य रहा है कि हमारे पास ऐसे वैज्ञानिक और इन्जीनियर हैं जिन्होंने काफी हद तक विभिन्न कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर ली है और वस्तुओं को (स्वदेशीकरण) स्वदेश में ही निर्मित किए जाने का कार्यक्रम भी अपनी पूरी गति पर चल रहा है जो कि एक बहुत ही उत्साहजनक बात है।

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, प्रश्न के भाग (क) का जो उत्तर दिया गया है वह अस्पष्ट है और मुझे लगता है कि वह उपेक्षा भाव से दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार परमाणु ऊर्जा के उपयोग की आवश्यकता महसूस करती है और वह भी विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि तापीय ऊर्जा के सम्बन्ध में हमें चारों ओर संकट का सामना करना पड़ रहा है तथा पन विद्युत के विकास के क्षेत्र में भी हम काफी पीछे रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में, महोदय, अपनी बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, औद्योगिक आवश्यकताओं का पूर्ति के लिए तथा बदलती हुई परिस्थितियों में कुछ विशेष क्षेत्रों और बंजर भूमि आदि को अच्छा (उपजाऊ) बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने के मामले में क्या हमारे पास कोई समयवद्ध कार्यक्रम है, वर्ष 1980-85 का उल्लेख किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या हम औद्योगिक विकास और यहां तक कि कृषि विकास तथा साथ ही देश की भौगोलिक परिस्थितियों को बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करते रहेंगे।

जहां तक पैरा (2) का सम्बन्ध है, महोदय, क्या यह सच है कि हमारे कतिपय परमाणु वैज्ञानिकों को कठिन परिश्रम करने तथा प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं किया जा रहा है और इसलिए उन वैज्ञानिकों को कुछ और अधिक प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है जो यहां पर काम कर रहे हैं और जो लोग विदेशों में चले गये हैं उन्हें पुनः स्वदेश लौटने के लिए आकर्षित किए जाने की आवश्यकता है।

श्री सी०पी०एन० सिंह : माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में मैं सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगा कि अपनी बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने लम्बी योजनायें बनाई हैं। उद्योग के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उपयोग काफी हद तक किया जा रहा है और मैं सदन का अधिक समय न लेकर केवल कुछ ही बातें यहां कहना चाहूंगा। उद्योगों में इसे बन्दरगाहों पर मिट्टी को बाहर निकालने हेतु गाद को हटाने के लिए तथा भूमि कटाव को रोकने तथा भूमि के नीचे विछाई गई पाइप लाइनों में अवरोधों और रिसने वाले स्थानों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बांधों में जहां से पानी रिसता है उस स्थान का पता लगाने और

ढलाई, गढ़ाई तथा गढ़े हुए पुर्जों में रह गए दोषों का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ।

औषधि के क्षेत्र में इसे कण्ठनली के कार्यकरण, रक्त संचार और पाचन-क्रिया की जांच करने, फेफड़े, जिगर, गुर्दों और मस्तिष्क में किसी प्रकार के आघात का पता लगाने तथा कैंसर जैसे भयंकर रोगों का उपचार करते और पट्टियों, मलहमों जैसे चिकित्सा पदार्थों के कीटाणु मुक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है । कृषि के क्षेत्र में इसे चावल, गेहूं, मूंगफली की विभिन्न किस्मों की अधिक पैदावार को विकसित करने, गेहूं के निष्क्रमण तथा आलू, प्याज, फलों और मच्छी के बाह्य आवरणों के अध्ययन करने के काम में लाया जाता है ।

जहां तक भारतीय मूल के विदेशों में बसे हुए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने का प्रश्न है तो हमने काफी कुछ प्रोत्साहन दिए हैं । विज्ञान में सक्रिय प्रकृति के कई क्षेत्र हैं परन्तु दुर्भाग्य से हमारे पास ऐसी विकसित प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है । भारत सरकार ने हमेशा से और इस समय भी ऐसे कदम उठा रहा है कि इन विकसित क्षेत्रों में कार्य कर रहे अपने विदेशों में रह रहे वैज्ञानिकों को स्वदेश वापिस बुला सके ताकि हम उनके विशेषज्ञ ज्ञान का पता लगा सकें ।

प्रो० मधु दन्डवते : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि परमाणु ऊर्जा का जहां कहीं भी शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है तो उसका उपयोग न केवल पत्तनों और बन्दरगाहों से मिट्टी निकालने के लिए किया जाता है अपितु नदियों का प्रवाह मोड़ने और कुछ सीमा तक बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए भी किया जाता है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए इस दिशा में कोई ठोस अनुसन्धान कार्य चल रहा है कि परमाणु ऊर्जा का इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाय ।

श्री सी०पी०एन० सिंह : माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और उस पर हम निश्चय ही विचार करेंगे ।

डा० कर्णसिंह : इस देश में परमाणु प्रौद्योगिकी के विकास में बम्बई स्थित भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अभी-अभी हम आश्चर्य-पूर्वक देखते हैं कि डा० रगन्ना को दिल्ली स्थानान्तरित किये जाने के बाद भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र में काफी समय तक पूर्णकालिक निर्देशक नहीं रहा है । इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान में जिसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है । क्या सरकार हमें यह

बतायेगी कि क्या भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र में पूर्णकालिक निर्देशक की नियुक्त की गई है ? यदि नहीं तो इतना अधिक विलम्ब क्यों ? और यह नियुक्ति कब की जायेगी ?

प्रधानमंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि इस केन्द्र में पूर्ण-कालिक निर्नेशन होना चाहिये । परन्तु इस समय, डा० सेठना, जो बहुत ही योग्य और प्रख्यात वैज्ञानिक हैं, इस केन्त्र की देखरेख कर रहे हैं । हम समझते हैं कि इसमें कुछ कठिनाइयां हैं परन्तु उसका समापन हो जायेगा ।

श्री निरुघोष : क्या यह सच है कि कतिपय परमाणु परियोजनामें जो 7, 8 या 10 वर्ष पहले पूरी हो जानी चाहिये थी अभी तक पूरी नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो वे कौन-सी परियोजनायें हैं तथा वे कब तक पूरी हो जायेंगी ? क्या हम बाहर से उपकरण आयात किये बिना अपने आप परमाणु बन्दूक का निर्माण कर सकते हैं । मह इस सम्बन्ध में कहाँ तक आत्म-निर्भरता प्राप्त कर पाये हैं ? विदेशों ने किन-किन उपकरणों पर प्रति-बन्ध लगाये हैं ?

श्री ली० पी० एन० सिंह : विलम्ब के बारे में माननीय सदस्य के प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे यह विश्वास है कि माननीय सदस्य को यह जानकारी है कि पिछले कुछ वर्षों में बार-बार बिजली के बन्द हो जाने के कारण भारी जल संयत्रों में कुछ निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम से पीछे रह गया है । उदापरण के लिये बड़ौदा स्थित भारी जल संयत्र को, जिसे कि वर्ष 1977 में चालू किया जाना था । वास्तव में चालू नहीं किया जा सका है । अब इसमें कार्य आरम्भ हो गया है । इसी प्रकार राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र का मामला है । अतः हमें जहाँ कहीं भी ये कठिनाइयाँ हुई हैं । वर्तमान सरकार अधिकाधिक प्रयत्न कर रही है ताकि परियोजनाओं को चालू करने में न टाला जाने वाला विलम्ब दुबारा न हो सके ।

"स्टैप्स टु ब्रिंग ब्रैक साइन्टिस्स फ्राम एब्रोड" शीषक से समाचार

***श्री आर० के० महालगी** : क्या विज्ञान और प्रयोद्यिकी मंत्री निम्नलिखित जानकी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई से निकलने वाले दिनांक 15 अगस्त 1980 के **फ्री प्रेस** जनदल में "स्टैप्स टु ब्रिंग ब्रैक साइन्टिस्स फ्राम एब्रोड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; औ

(ग) इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और कितनी प्रगति हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : क से ग : सदन के सभा पटल पर विवरण रखा गया है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) : भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने "भारतीय मूल के प्रवासी विशेषज्ञों के माध्यम से तकनीकी जानकारी का स्थानान्तरण" की परियोजना पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसके अन्तर्गत भारतीय मूल के विदेशों में बसे विशिष्ट वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रौद्योगिकी की विदों आदि को देश की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विकास करने की दिशा में विशिष्ट तकनीकी साधन प्रदान करने के विचार से भारतीय संस्थानों में कुछ समय व्यतीत करने के लिये आमंत्रित किया जायेगा । इस वर्ष के लिये प्रारम्भ में यू एन डी पी आई एफ आवंटन द्वारा एक लाख डालर की राशि का आवंटन किया गया है । भारत सरकार का किसी प्रकार का कोई साधा प्रतिरूप अंशदान इसमें नहीं होगा । भारत में ठहरने के दौरान वैज्ञनिकों, इंजीनियरों आदि की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का व्यय और उनका प्रतिदिन का व्यय संयुक्त राष्ट्र की दरों पर परियोजना के लिये आवंटित यू एन डी पी कोश में से वहन किया जायेगा ।

(ग) उक्त कार्य के लिये गठित एक कार्य उपसमित द्वारा लगभग तीन सौ प्रवासी स्वयंसेवियों के विवरणों की जांच की जा चुकी है । राष्ट्रीय प्राथमिताओं को ध्यान में रखकर संभाव्य उपयोग के लिये उपयुक्त मामले उपयुक्त संगठनों को भेजे गये । अभी तक आठ मामलों को निपटाया गया है उनमें से पांच की वर्ष समाप्ति से पूर्व भारत आने की आशा है ।

श्री आर के महालगी : यह अच्छी है कि विदेशों में रह रहे हमारे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को भारतीय समस्याओं में कुछ समय व्यतीत करने के लिये आमन्त्रित किया गया है । यह अत्यन्त ही अक्छी बात है कि इस आमंत्रण का संतोषजनक प्रत्युत्तर आया है । क्या मैं जान सकता हूं कि उस कार्यकारी उप-समिति के सदस्य कौन-कौन हैं जो विदेशों में रहने वाले भारत मूल के व्यक्तियों की विशिष्ट योग्यताओं वाले आवेदकों को बुलायेगी ? चयन तथा प्राथमिकता के क्षेत्र के लिये क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सम्बन्धित

सरकारी संस्थाओं, सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के प्रतिनिधियों तथा संयुक्त राष्ट्र विकासी कार्यक्रम के निवासी प्रतिनिधि वाली कार्यकारी समिति योजना को लागू करने के लिये मानदंड तैयार करने हेतु गठित की गई है। इस उप-समिति में बहुत से सदस्य हैं। मैं नहीं समझता कि मैं इन 17 सदस्यों के नाम बता कर सभा का समय बर्बाद करूं।

जहाँ तक विशेषज्ञों के इस विकल्प का, कि कौन-कौन आमन्त्रित किये जायेंगे, सम्बन्ध है, मैं बताना चाहूंगा कि निम्न क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है :

उच्च प्रौद्योगिकी वालेक्षेत्र; विकासशील क्षेत्र; इस प्रकार की कुशलताएं, तकनीकें तथा विशेषज्ञता जो देश में उपलब्ध न हो।

अन्य प्रश्न विशेषज्ञों के विकल्प के बारे में था। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि चुना गया व्यक्ति सामान्यतया वह होना चाहिए जो या तो नागरिकता बदल कर या विदेशों में स्थायी निवासी बन कर प्रवासी हो गया है। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसकी अर्हताएं तथा पिछला अनुभव इस प्रकार का हो कि जिससे वह प्रस्तावित क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने योग्य बना सके। एक ऐसा उपयुक्त प्रपत्र, जो तैयार किया गया है, का उपयोग आवश्यक पृष्ठाधार जानकारी प्राप्त करने, विशेषकर सम्बन्धित क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के बारे में, प्राप्त करने के लिये किया जायेगा। जिस प्रकार के विशेषज्ञ देश में उपलब्ध हैं को जहाँ तक संभव हो, आमंत्रित नहीं किया जायेगा।

श्री आर० के० महालगी : भाग (ग) के उत्तर में बताया गया है कि कार्यकारी समिति ने अब तक लगभग 300 विशेषज्ञों की जांच की है और उनमें से 8 का चयन किया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि किन-किन देशों से भारत मूल के इन 300 व्यक्ति चयन के लिए स्वेच्छा से आये हैं ? उन आठ व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनका चयन किया गया है ? इस महीने के अन्त तक आने वाले वे पांच व्यक्ति कौन-कौन हैं ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : ये 300 आवेदक विश्व के उन विभिन्न भागों के हैं जहां ये प्रौद्योगिकियां बहुत उन्नत हैं। जो पांच व्यक्ति चुने गये हैं और जो बहुत जल्दी ही आ रहे हैं, ये हैं :

डा० एस० एम० देशपांडे

श्री महेन्द्र पी० गर्ग

श्री सत्यजित दत्त

श्री यशपाल

डा० सुशील भाटिया

अन्य तीन निम्न हैं :

डा० एस० भट्टाचार्य

डा० एच० पी० दिदवानिया

श्री के० थंगामुत्तु

आने वाले वैज्ञानिको की सुविधानुसार उनमें से कुछ लोग यहां पर एक माह तक रहेंगे और कुछ लोग दो अथवा तीन माह तक यहां पर रहेंगे ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मैं यह जानना चाहूंगी कि पिछले दस वर्षों के दौरान कुल कितने वैज्ञानिकों ने आत्महत्या की है अथवा कितनों की अकाल मृत्यु हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह इस प्रश्न के अन्तर्गत आता है ?···(**व्यवधान**)

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अपने वैज्ञानिकों को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : पहला भाग इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : यह प्रश्न वैज्ञानिकों के विषय में है । कई वैज्ञानिक आत्महत्या कर चुके हैं ।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे भाग का उत्तर वे दे सकते हैं । कृपया अपने प्रश्न का दूसरा भाग फिर से बताइये ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : सरकार द्वारा वैज्ञानिकों को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री सी० पी० एन० सिंह : यह प्रश्न वैज्ञानिकों को विदेशों से स्वदेश वापस लाने के सम्बन्ध में है न कि दूसरी दुनिया से वापस लाने के सम्बन्ध में ।

*242 **श्री पी० एम० सईद रक्षा मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रालय हेलीकोप्टर के निर्माण के लिए तीनों सेनाओं और असैनिक क्षेत्र की आवश्यकतायें पूरी करने के नये प्रस्तावों की जाँच कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन प्रस्तावों की जाँच की जा रही है, और

(ग) अंतिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री शिवराज वी पाटिल) (क) से (ग) : ऐसा कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । तीनों सेनाओं की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड एक उन्नत किस्म के लाइट हेलीकोप्टर का डिजाइन बना रहा है ।

श्री पी० एम० सईद : माननीय मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि हिन्दुस्तान मैसर्ज एयरोनोटिक्स लिमिटेड द्वारा हेलीकोप्टर के डिजाइन बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है । क्या माननीय मन्त्री महोदय से मैं यह जान सकता हूं कि क्या हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड पहले से ही हेलीकोप्टर का निर्माण कर रहा है और क्या उनके द्वारा नए हेलीकोप्टर का डिजाइन स्वतन्त्र रूप से अथवा किसी अन्य देश के सहयोग से बनाया जा रहा है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह प्रश्न हेलीकोप्टर के नए डिजाइन से सम्बन्धित है । हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड विदेशी फर्मों के परामर्श से नए डिजाइन के विकास का प्रयास कर रहा है ।

श्री पी० एम० सईद : सदैव इस बारे में आरोप लगाया जाता है कि हमारे निर्माताओं का स्तर और कुशलता विवादास्पद रही है । क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या हेलीकोप्टर की लागत पर सरकार ने अध्ययन किया है और क्या प्रस्तावित नए हेलीकोप्टर के निर्माण का स्तर और कुशलता सुनिश्चित की गई है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : एक ऐसे नए प्रकार के हेलीकोप्टर के विकास का प्रयास किया जा रहा है जो तीनों सेनाओं की आवश्यकता की पूर्ति करेगा, और हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड यह प्रयास कर रहा है कि नया हेलीकोप्टर एक अच्छा हेलाकोप्टर, मजबूत हेलीकोप्टर, तीव्र गति से चलने वाला हेलीकोप्टर हो एक ऐसा हेलीकोप्टरजो सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके ।

श्रीकृष्णचन्द्र हाल्दर : माननीय मन्त्री द्वारा दिए गए उत्तर को देखते हुए मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि नए डिजाइन के कितने हेलीकोप्टर बनाए जाएंगे, जैसा कि उन्होंने अभी कहा है, जिनकी थल, नौ और वायु सेना के लिए आवश्यकता होगी—और क्या हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड उनका निर्माण और उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम डिजाइन तैयार कर रहे हैं और डिजाइन प्राप्त हो जाने पर.....

अध्यक्ष महोदय : विस्तृत रूप से विवरण दें ताकि सदस्य संतुष्ट हों।

श्री शिवराज वी० पाटिल : हेलीकोप्टरों का निर्माण हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स कंपनी लिमिटेड करेगी। यह कम्पनी हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी, हमारी सभी सेनाओं को जितने हेलीकोप्टरों की आवश्यकता होगी उनका निर्माण कर सकेगी।

(व्यवधान)

श्रीकृष्णचन्द्र हाल्दाद : कितने—?

श्री शिवराज वी० पाटिल : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या हम पर्याप्त संख्या में हेलीकोप्टरों का निर्माण कर पाएंगे। उत्तर है "जी हाँ"। माननीय सदस्य के प्रश्न का दूसरा भाग है : कि क्या हेलीकोप्टर हमारी सेनाओं की सभी आवश्यकतायें पूरी कर पाएंगे अथवा नहीं ? हम ऐसे हेलीकोप्टर के डिजाइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो वायु सेना, नौ सेना और थल सेना की माँग पूरा कर सकेगा। यह इन सेनाओं की माँग पूरी कर सकेगा।

श्री जेवियर अराकल : सरकार अन्य देशों के सहयोग से एक नए डिजाइन के हेलीकोप्टर का निर्माण करने जा रही है। सेनाओं की माँग पूरी करने के उद्देश्य से हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स देश के विभिन्न भागों में नए यूनिट स्थापित करने जा रहा है। माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि माँग बहुत बड़ी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि नए डिजाइन के हेलीकोप्टर का निर्माण वर्तमान यूनिठों में किया जाएगा अथवा स्थापित किए जाने वाले नए यूनिटों में। यदि इस कार्य के लिए नए यूनिट स्थापित किए जाएंगे तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसे केरल में स्थापित किया जाएगा।

श्री शीवराज वी० पाटिल : हम अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं। हम डिजाइन तैयार करवा रहे हैं और उसके बाद हमें देखना है कि क्या नए एकक की स्थापना की जानी है और इसी प्रकार की अन्य बातों पर विचार करना होगा। इस सम्बन्ध में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है कि उनके निर्माण के लिए एकक की कहां स्थापना की जाएगी।

डा० वसन्त कुमार पंडित : प्रश्न संख्या 242 खण्ड (क) के दूसरे भाग में यह पूछा गया है कि क्या सरकार हेलीकोप्टर के निर्माण के लिए असैनिक क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी करने के नए प्रस्तावों की जांच कर रही है ? इस सन्दर्भ में, मैं यह जानना

चाहता हूं कि क्या असैनिक क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हेलीकोप्टरों के निर्माण हेतु किन्हीं नए प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। यदि हाँ, तो वे प्रस्ताव क्या हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, असैनिक क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हेलीकोप्टरों का हम पहले ही उत्पादन कर रहे हैं। अब, हम ऐसा हेलीकोप्टर बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं, जो हमारी सेना के तीनों अंगों की आवश्यकता को पूरा कर सके। असैनिक क्षेत्र के लिए अपेक्षित हेलीकोप्टरों का हम पहले ही निर्माण कर रहे हैं। हम सैनिक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित नए डिजाइन पर विचार कर रहे हैं। तथापि, समय के साथ-साथ, यदि असैनिक क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हेलीकोप्टरों में भी सुधार की आवश्यकता हुई, तो हम वह भी करेंगे। लेकिन हमारा विचार-बिन्दु वह नहीं है। इस समय हम उन हेंलीकोप्टरों के बारे में विचार कर रहे हैं, जो हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए अपेक्षित हैं।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न संख्या 243 पर विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : इसे शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय को आन्तरित कर दिया गया है। प्रश्नों के बारे में मैं पुनः आवाज लगाता हूं।

प्रश्न संख्या 230, श्री वृद्धि चन्द्र जैन—अनुपस्थित

प्रश्न संख्या 234, डा० कृपासिन्धु भोई—अनुपस्थित

प्रश्न संख्या 237, श्री एच० एन० नन्जागौडा, श्री के० पी० सिंह देव —अनुपस्थित

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : कार्य मंत्रणा समिति ने इक्छा व्यक्त की थी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 मिनट का समय दिया जाए। लेकिन उस स्थिति में क्या होगा, जब हम से पहले समूची प्रश्न सूची पर विचार कर लें।

अध्यक्ष महोदय : यहाँ सदस्यों कि अनुपस्थिति का मामला है।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न संख्या 230 पर विचा कर लिया जाए। यह महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

प्रत्येक वर्ष जवानों और अधिकारियों की सेवा-निवृत्ति

*230. **श्री वृध्दि चन्द्र जैन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के 32 वर्ष से 41 वर्ष के आयु वर्ग में 70 प्रतिशत जवान और 900 अधिकारी प्रति वर्ष सेवा-निवृत्त होते हैं;

(ख) क्या मंत्रालय इन सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को राहत देने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा किए गये उपायों से संतुष्ट है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्य केन्द्रीय विभागों तथा राज्य सरकारों के सहयोग से मंत्रालय द्वारा की जा रही कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री शिवराज वी० पाटिल : (क से ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भारतीय सेना में 32 से 49 वर्ष की आयु समूह में लगभग 70 प्रतिशत जूनियर कमीशन अफसर, नान-कमीशन अफसर और सिपाही सेवा निवृत्त होते हैं । वायु सेना में अफसरों के अलावा अन्य कार्मिका 39 से 41 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होते हैं । किन्तु उनकी सेवा-अवधि में 6 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है और उसके बाद 55 वर्ष की आयु होने तक उनकी सेवा अवधि में एक बार में 3 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है । जो वायु-सैनिक कारपोरल नहीं बन पाते हैं उन्हें 15 वर्ष की सेवा के बाद सेवा-निवृत्त कर दिया जाता है । नौसेना में नौसैनिक 50 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त हो जाते हैं । सशस्त्र सेनाओं में अधिकांश अफसर 48-50 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होते हैं ।

2. सरकार सशस्त्र सेनाओं के सेवानिवृत कार्मिकों के पुनर्वास और कल्याण की समस्या के प्रति पूरी तरह से जागरूक है । इस बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, दोनों ने ही कई उपाय किए हैं । सरकार और अन्यों द्वारा पहले से ही किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय और जिन पर विचार किया जा रहा है इस प्रकार है :—

(क) **रोजगार** ।

केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने पदों के आरक्षण और आयु तथा शैक्षणिक अर्हताओं में छूट जैसी कई रियायतें दी हैं । भूतपूर्व

सैनिकों के लिए केन्द्र सरकार के विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किया गया आरक्षण इस प्रकार है :—

पद	केन्द्र सरकार	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम
पैरा मिलिट्री में सहायक कमांडेन्ट	10 प्रतिशत	—
ग्रुप 'ग'	10 प्रतिशत	14.1/2
ग्रुप 'घ'	20 प्रतिशत	24.1/2

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों ने भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण किया है जो प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है ।

युद्ध में विकलांग हुए भूतपूर्व सैनिकों को सिविल में नौकरी देने के लिए उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है । युद्ध में मारे गए अथवा गम्भीर रूप से विकलांग हुए भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को रोजगार के मामले में अन्य उम्मीदवारों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है ।

(ख) **अपना काम धंधा**

भूतपूर्व सैनिकों को अपना काम धंधा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । इस क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों को दी जा रही सहायता इस प्रकार है : —

(1) विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्र के उपक्रमों की एजेन्सियां लेने में सहायता ।

(2) कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए पुनर्व्यवस्थापन सहायता ।

(3) लघु उद्योगों की स्थापना में सहायता ।

(ग) **व्यावसायिक प्रशिक्षण**

विभिन्न प्रकार की सिविल नौकरियों के लिए भूतपूर्व सैनिकों को उचित रूप से तैयार करने के लिए सरकार द्वारा उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(घ) **नौकरी में रहते हुए प्रशिक्षण**

सेवा कार्मिकों के लिए उनकी सेवा के आखिरी वर्ष में "नौकरी में रहते हुए

प्रशिक्षण" दिए जाने की योजना को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है।

सरकार के विचाराधीन योजनायें

(1) **परिस्थिति अनुसार पुनर्स्थापन योजना**

भूतपूर्व सैनिकों की सेवाओं को परिस्थिति के अनुसार पुनर्स्थापन करने का प्रस्ताव किया गया है। वनरोपण, भूसंरक्षण और पहाड़ी क्षेत्रों में जल शेड प्रबन्ध के कार्यक्रम चलाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के कृतकदल बनाने की योजनाओं पर विचार किया जा रहा है।

(2) **शान्ती स्थापना बल**

ऐसे उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों को उन शान्ति स्थापित करने वाले बलों में भर्ती करने का भी प्रस्ताव है जिन्हें केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें स्थापित करने का विचार कर रही हैं।

(3) **पैरा सैनिक बलों में भर्ती**

सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों को विभिन्न पैरा मिलिट्री बलों में लिए जाने के प्रस्ताव पर भी सरकार विचार कर रही है।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए इस उत्तर को देखते हुए कि 32 से 49 वर्ष की आयु समूह में लगभग 70 प्रतिशत कर्मचारी सेवा निवृत्त होते हैं, क्या सरकार इन तीनों सेनाओं में सेवा निवृत्ति का आयु पाँच वर्ष तक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो वे इसे कब घोषित करने जा रहे हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : स्थल सेना, नौसेना और वायु सेना में युवा व्यक्तियों और ऐसे स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो सेनाओं की कठिनाइयों का मकाबला कर सके। इसको ध्यान में रखते हुए इसमें युवा लोग जाते हैं और युवा आयु में सेवा निवृत हो जाते हैं। वर्तमान में सैनिकों, नाविकों और वायु सेना के कर्मचारियों के लिए सेवा निवृत्ति की आयु में वृद्धि करने के लिए कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्रीरामविलास पासवान।

श्रीकृष्णचन्द हाल्दर : महोदय, आपने मुझे पहला प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। मैं दो अनुपूरक प्रश्नों का हकदार हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं उनका अधिकार कायम रखता हूं।

श्रीकृष्णचन्द्र हाल्दर : विवरण में यह उल्लेख किया गया है :

"किन्तु उनकी सेवा अवधि में 6 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है और उसके बाद 55 वर्ष की आयु होने तक उनकी सेवा अवधि में एक बार में 3 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है।"

जवानों के मामले में ऐसा क्यों नहीं है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : वह पहले ही है। यदि हम मानते हैं कि स्थल सेना, नौ सेना अथवा वायु सेना में कार्य कर रहे कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों का अच्छा स्वास्थ्य है और वे सेवाओं के लिए उपयोगी होंगे तो उनकी सेवा अवधि बढ़ाई जा सकती है। यही कारण है कि हमने इसका उल्लेख किया है। लेकिन हम सभी व्यक्तियों की सेवा अवधि बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। वह एक अलग बात है।

श्री रामविलास पासवान : क्या मन्त्री महोदय के पास कोई इसका रिकार्ड है कि सेवा से रिटायर हुए जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनमें कितने लोगो को रोजगार या धन्धा मिला है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : आंकड़े एकत्र किए जा चुके हैं और वे उपलब्ध हैं लेकिन इन्हें अब देना मेरे लिए संभव नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : वे इन्हें आपको देंगे। वह इन्हें सभा-पटल पर रखेंगे।

श्री के० लकप्पा : सेवा-निवृत्ति के बाद ऐसे हजारों जवान नौकरियों की तलाश करते हैं और ये उन्हें नहीं मिलता हैं। स्थल सेना, नौ सेना अथवा वायु सेना में सेवा करने के बाद उनके पास अच्छे जीवन-निर्वाह का कोई साधन भी नहीं होता है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको रोजगार देने के लिए मंत्रालय द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वे अच्छा जीवन निर्वाह और उपयोगी सेवा कर सकें ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मेरे सहयोगी इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। हम इस मामले के बारे में अत्यन्त चिन्तित हैं और शुरू से ही हम इसमें विशेष रुचि ले रहे हैं। हमने योजना आयोग के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया है। हम भूतपूर्व सैनिकों के संघों तथा अन्यों के प्रतिनिधियों से मिले हैं और इस बारे में बहुत से कदम उठाए गए हैं—मेरे विचार से इन्हें रोजगार दिलाने के लिए इन कदमों को सार्वजनिक रूप से बताया गया है। हमने इस मामले पर राज्य सरकारों, उद्योग, सरकारी क्षेत्र के एककों के साथ विचार-विमर्श किया है। हम उन्हें विशेष शान्ति अनुरक्षण सेना,

जो स्थापित की जा रही है, और पर्यावरण आदि के लिए विशेष कार्यक्रमों में लेने पर योजना बना रहे हैं। उनमें से अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ इस प्रकार का कार्य महत्वपूर्ण है। अतः हम इस बारे में व्यापक रूप से विचार कर रहे हैं। यदि किसी माननीय सदस्य के कोई अन्य सुझाव हों तो हम उन पर विचार करने के लिए तत्पर होंगे।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

*234. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है,

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे कितने अधिकारी हैं जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर हैं,

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे कितने अधिकारा हैं जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में निदेशक-बोर्डों में हैं, और

(घ) विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इन आई०ए०एस० अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों के स्थान पर इन यूनिटों के बेहतर प्रबन्ध के लिए तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को लाकर इन अधिकारियों की संख्या कम से कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) देश में आई० ए० एस० अधिकारियों की कुल पद संख्या 3898 है (1.1.1980 को)। इनमें से 661 अधिकारी भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(ख) तथा (ग) : केन्द्रीय सरकार के वाणिज्यिक और औद्योगिक सरकारी उद्यमों

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में प्रतिनियुक्त आई०ए०एस० अधिकारियों की संख्या 33 है ।

इनमें से 18 अधिकारी मुख्य कार्यपालक और कार्यकारी निदेशक के पदों पर कार्य कर रहे हैं ।

(घ) विद्यमान नीति के अनुसार किसी अधिकारी को विभिन्न सरकारी उपक्रमों में साधारणत: 2-3 वर्ष की कुल अवधि से अधिक प्रतिनियुक्ति पर नहीं रहने दिया जाता है (2500-3000 रुपए और इससे अधिक वेतनमान वाले पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों के मामले में 2 वर्ष और इनसे निम्नतर पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों के मामले में 3 वर्ष) । इस अवधि के दौरान उसे (i) सरकारी सेवा से पद त्याग और सम्बन्धित सरकारी उपक्रम में स्थायी संविलयन और (ii) मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन, इन दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनना होता है । केवल कुछ ही मामलों में, लोक हित को ध्यान में रखकर, अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति में विहित अवधि से आगे वृद्धि की जाती है ।

सौर कुटीर

श्री एच०एन० नन्जे गौडा :

*237. **श्री के०पी० सिंह देव : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने देश में सौर कुटीरों का निर्माण करने के लिए एक नई तकनीक का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या इस प्रकार की कुटीरों में, सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करके, पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सकती है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या जल तथा कोयले द्वारा उत्पादित बिजली की तुलना में इस प्रकार उत्पादित यह सौर बिजली सस्ती होगी; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे सौर कुटीरों का निर्माण कब और कहाँ पर किए जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमति इन्दिरा गाँधी : (क) से (घ) : विज्ञान और प्रौद्योगिकी

विभाग के सौर ऊर्जा कार्यक्रम के अधीन सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) ने सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश वोल्टीय सैलों और ऐसे सेलों पर आधारित पैनलों का विकास किया है। ऐसे पैनलों को भवनों की छतों पर रखा जा सकता है और इस प्रकार उत्पन्न बिजली को कुछ बिजली के उपस्करों तथा पंखों और दूरदर्शन सैटों और प्रकाश व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रदर्शन के प्रयोगों के लिए इस प्रकार के अनुप्रयोगों को दो कुटीरों में दिखाया गया था। इनमें से एक कुटीर सी०ई०एल० के परिसर में थी और दूसरी प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। इन्हें आम बोलचाल की भाषा में "सौर कुटीर" कहा जाता था।

सौर ऊर्जा पर आधारित बिजली की लागत, जिसे प्रकाश वोल्टीय पैनलों से इस प्रकार उत्पन्न किया जाता है, आमतौर पर उस समय पानी और कोयले से पैदा की जाने वाली बिजली से सस्ती नहीं है; बहरहाल, शक्ति के सामान्य परम्परागत स्रोतों से दूर स्थित किन्हीं क्षेत्रों में और जहाँ बिजली की आवश्यकता लघु यूनिट आकारों में अपेक्षित होती है, प्रकाश वोल्टीय स्रोत परम्परागत स्रोतों के साथ आर्थिक प्रतियोगिता में निकट आने का प्रयास कर रहे हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रदर्शन कार्यक्रम के अधीन सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में विकसित किए गए सौर प्रकाश वोल्टीय मोड्यूलों की इस समय जहाजरानी के लिए द्वारिका पत्तन में प्रकाश स्तम्भ बीकनों में इस्तेमाल किया जा रहा है, गुजरात में अवानिया गाँव में सौर आसवन संयंत्र में जल के पम्पन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, राजस्थान में तेजारा गांव में पेय जल की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लद्दाख में चोग्लमसर गाँव में प्रकाश व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ प्रदर्शन पम्पन प्रणालियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कार्य में सिलिकान सौर सैलों और पैनलों के लिए संविरचना तकनीकों को स्केल-अप करने, पेयजल के पम्पन, लघु सिंचाई, सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था, शिक्षात्मक रेडियो और दूरदर्शन सैटों के लिए, तेल की पाइप लाइनों की घनाग्र प्रतिरक्षा के लिए और दूर दराज के इलाकों में संचार उपकरणों में इस्तेमाल करने की परिकल्पना की गई है। प्रमुख प्रयासों का सम्बन्ध लागतें कम करने और विश्वसनीय में सुधार लाने से सम्बन्धित है। 5 वर्षों में 12 करोड़ रुपये की लागत की एक मुख्य परियोजना तैयार की गई है। इनमें कई प्रयोजनों के लिए (जिसमें जल पम्पन और लघु सिंचाई पर अधिक बल दिया गया है) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों का उपयोग भी शामिल है।

इस बीच लगभग 25 किलोवाट समग्र क्षमता के सौर प्रकाश वोल्टीय पम्प सैटों

और 5 किलोवाट के अन्य यूनिटों की संविरचना और क्षेत्रीय परीक्षण के लिए एक अल्पकालीन कार्यक्रम पर किया जा रहा है जिसके 1981 तक पूरे किए जाने की आशा है।

चीन द्वारा प्रशिक्षित नागा लोग

*240. **श्री केशवराव पारधी** : क्या गृह मंत्री पूर्वोत्तर राज्यों में चीन से प्रशिक्षित होकर आये हुए व्यक्तियों के बारे में 23 जुलाई, 1980 के अताराकित प्रश्न संख्या 5358 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद विद्रोही नागा अभी भी बर्मा सीमा के रास्ते से होकर भारत में आ रहे है;

(ख) यदि हाँ, तो कौन-कौन से देश उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं; और

(ग) इन विद्रोही नागाओं को भारत में आने से रोकने में सरकार कहाँ तक सफल हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) : सरकार को यह जानकारी है कि कुछ भूमिगत नागा जो 1976 और 1977 में हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद चीन से लौटे थे, हमारी सीमाओं के पार बर्मा में ठहरे हुए हैं। उनके द्वारा भारत में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की कोई सूचना नहीं है।

सुरक्षा बलों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी सतर्कता रखी जा रही है ताकि गुप्त रूप से सीमा पार करने को रोका जाए।

पाकिस्तान में चीनी सैनिकों की उपस्थिति

2193 **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान में चीनी सैनिकों की उपस्थिति सम्बन्धी समाचार पत्रों की खबरों में कितनी सच्चाई है ;

(ख) क्या यह सच है कि ये चीनी सैनिक पाकिस्तान के सैनिकों को पंजाब की सीमा के पास, "फ्रांच एयरक्राफ्ट" उड़ाने का प्रशिक्षश दे रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इन रिपोर्टों की पुष्टि नहीं हुई है । पाकिस्तान में बड़ी संख्या में चीनी सेना की उपस्थिति की पुष्टि करने वाली कोई प्रमाणिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है ।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि चीनी पाकिस्तानी विमान चालकों को फ्रांसीसी विमान उड़ाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं ।

(ग) सरकार अपनी सुरक्षा के बारे में गतिविधियों की लगातार समीक्षा करती रहती है और स्थिति का जायजा लेती रहती है जिसमें हमारी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखण्डता पर जिन देशों से खतरा/आक्रमण हो सकता है उनके बीच सैनिक सहयोग की सम्भावना भी शामिल है ।

उड़ीसा के अविकसित जिलों के किसानों के लिए विशेष सहायता

2194, **श्री हरिहर सोरन** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के अविकसित जिलों के किसानों के लिए विशेष सहायता प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या क्योंझर जिले के किसानों को भी इसी प्रकार के अनुदान प्रदान करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क और ख) : जी नहीं । ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके अंतर्गत भारत सरकार किसी राज्य में अल्प-विकसित जिलों के किसानों को विशेष सहायता देती है ।

अखिल भारतीय नारियल जटा बोर्ड कार्मिक संघ द्वारा लगाये गये आरोप

2195. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान नारियल जटा बोर्ड के प्रदर्शनी, प्रचार, संस्थापना और अन्य प्रभार शीर्षकों के अन्तर्गत सरकारी धनराशि के गबन और दुरुपयोग के बारे में अखिल भारत नारियल जटा बोर्ड

कार्मिक संघ द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं ।

(ख) क्या इस बारे में जांच करने और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को सजा दिलाने के लिए कार्यवाही की गई है, और

(ग) क्या इससे इस संगठन की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना :) (क) और (ख) : अखिल भारतीय कयर बोर्ड कर्मचारी संघ द्वारा प्रचार पर, प्रदर्शनियों आदि में भाग लेने के लिएनिधियों का दुरुपयोग करने के अभिकथनों के बारे में जांच की गई है तथा प्रारम्भिक निष्कर्षों पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

(ग) जी, नहीं ।

अनुवादकों/हिन्दी अधिकारियों के केन्द्रीय संवर्ग का गठन

2196. **श्री टी०एस० नेगी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1958 में आयोजित का गई हिन्दी सहायक की परीक्षा में बैठने की पात्रता के लिए न्यूनतम अर्हता बी०ए० थी जिसमें एक विषय हिन्दी भी रहा हो;

(ख) क्या सरकार अनुवादकों, हिन्दी अधिकारियों के केन्द्रीय संवर्ग का गठन कर रही है और विभिन्न मन्त्रालयों के हिन्दी सहायकों/कनिष्ठ और वरिष्ठ अनुवादकों को केन्द्रीय संवर्ग में सम्मिलित किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या केन्द्रीय संवर्ग में शामिल होने के लिए उच्चतर अर्हता निर्धारित करने का विचार है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन हिन्दी सहायकों/हिन्दी अनुवादकों के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाने का है जो केवल स्नातक हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं । ऐसी कोई परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1958 में नहीं ली गई । 1959 में विभागीय

लिपिकों के लिए एक विशेष परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई थी जिसमें एक वर्ष या उससे अधिक सेवाकाल वाले विभागीय लोग हिन्दी सहायकों के पद पर नियुक्ति के लिए चयन किए जा सकते थे। इन विभागीय लोगों के लिए परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हिन्दी विषय के साथ स्नातक निर्धारित की गई थी।

(ख) सरकार इस पर विचार कर रही है।

(ग) केन्द्रीय संवर्ग के नियमों का मसौदा अभी विचाराधीन है, जिनमें अर्हता का मसला भी है। अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रस्तावित सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय सेवा में शामिल किए जाने वाले पदों पर काम कर रहे सभा अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।

केन्द्रीय पुलिस कार्मिकों को आवश्यक खाद्य वस्तुओं की सप्लाई

2197. **श्री टी० आर० रामन्ना** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के नोटिस में यह आया है कि तामिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकारें पुलिस विभाग के कार्मिकों को आवश्यक खाद्य वस्तुओं की सप्लाई रियायती दरों पर कर रही है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ऐसी ही सुविधाएं केन्द्रीय पुलिस कार्मिकों को भी देने के बारे में विचार कर रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। केन्द्रीय पुलिस कार्मिकों को अलग-अलग प्रतिमान के अनुसार उनके राशन खर्च पर सरकारी अंशदान दिया जाता है।

विदेशी धन का भारत में आना

2198. **श्री आर०एल० भाटिया** :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री तारिक अनवर : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 सितम्बर, 1980 के "ट्रिब्यून" में "जमात गैदिंग

फन्डस फ्रोम वेस्ट एशिया : शेख शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने भारत में इस प्रकार से विदेशी धन के आने और इसके जम्मू और काश्मीर राज्य की जमात.ए.इस्लामी के पास पहुंचने के बारे में जांच की है जिस संस्था की गतिविधियाँ देश की आन्तरिक शान्ति और एकता के लिए सहायक नहीं है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है और भारत में अवैध रूप से आ रहे इस विदेशी धन को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्तालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) : सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मन्त्री की जमायत-ए-इस्लामी द्वारा प्राप्त विदेशी धन के दुरुपयोग के बारे में कथित वक्तव्य देखा है। जमात-ए-इस्लामी केन्द्रीय राहत समिति, जम्मू तथा कश्मीर ने सूचित किया है कि उन्हें जम्मू तथा काश्मीर घाटी में अप्रैल, 1979 में हुए दंगों में आगजनी से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने के लिए 6 जुलाई, 1979 से 26 फरवरी, 1980 तक विदेशी चंदे के रूप में 86,592.00 रु० प्राप्त हुए हैं। यह चन्दा जमायत-ए.इस्लामी केन्द्रीय राहत समिति द्वारा सऊदी अरब, के तार और यू०ए०ई० के लोगों से जम्मू तथा काश्मीर घाटी में अप्रैल, 1979 के दंगों, से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास में सहायता के लिए उनकी अपील पर उन्हें बैंकों के माध्यम से प्राप्त हुआ था।

जहाँ तक भारत में विदेशी धन आने का सम्बन्ध है, विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 6 के अधीन वे संगठन, जिनके सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम निश्चित है, प्राप्त की गई विदेशी अंशदान की राशि और उन स्रोतों और प्रयोजनों की अर्ध वार्षिक विवरणियों भेज रहे जिनके लिए ऐसा विदेशी अंशदान प्राप्त किया जाता है और प्रयोग किया जाता है।

नये सीमेंट संयत्रों की स्थापना

2199. **श्री अमरसिंह वी० राठवा** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की सीमेंट की माँग पूरी करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में अधिक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हाँ, तो नये संयंत्रों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हाँ। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने हेतु स्वीकृतियाँ दे दी गई हैं।

(ख) ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	एकक का नाम	स्थान	क्षमता (लाख मी० टनों में)
1	2	3	4
1.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया	नीमच (म०प्र०)	4.00
2.	—वही—	अकलत (म०प्र०)	4.00
3.	—वही—	येरागुन्तला (आ०प्र०)	10.00
4.	यू०पी० स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लि०	डल्ला/चुनार (उ०प्र०)	16.80
5.	जे एण्ड के मिनरल्स लि०	खियू (जम्मू काश्मीर)	2.00
6.	मै० सेन्चूरी सीमेंट	मेहर (म०प्र०)	8.00
7.	दामोदर सीमेंट एण्ड स्लेग लि०	मधु कंड (प्र०ब०)	2.60
8.	मगलम सीमेंट लि०	मेडक (राज०)	4.00
9.	नर्मदा सीमेंट लि०	जाफराबाद/मगदल्ला रतना	10.00
10.	केरल इण्ड० डवलपमेंट कारपोरेशन	पालघाट (केरल)	4.20
11.	रासी सीमेंट लि०	वाडापल्ली (आ०प्र०)	3.00
12.	ओरियन्ट पेपर मिल्स लि०	आदिलाबाद (आ०प्र०)	9.00
13.	मैसूर सीमेंट लि०	नरसिंहगढ़ (म०प्र०)	4.00
14.	ए०सी०सी० लि०	गागला (म०प्र०)	5.60
15.	टैक्समेको लि०	येरागुन्तला (आ०प्र०)	4.00
16.	रेमन्ड वूलस मिल्स लिमिटेड	जाँजगीर (म०प्र०)	4.00

1	2	3	4
17.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	आदिलाबाद (आ०प्र०)	4.00
18,	—वही—	तेंदूर (आ०प्र०)	10.00
19.	पण्यम सीमेंट्स	यादीकी (आ०प्र०)	4.00
20.	केशोराम सीमेंट्स लि०	अन्किरिदिपल्ली (आ०प्र०)	4.00
21.	आन्ध्र सीमेंट	नादी कुडी (आ०प्र०)	2.50
22.	लारसन एण्ड टुब्रारो लि०	चन्द्रपुर (महा०)	11.09
23.	सेन्चुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यु० कं० लि०	—वही—	10.00
24.	कर्नाटक स्टेट आई०डी०सी०	छित्तरपुर (कान०)	4.00
25.	श्री सीमेंट लि०	बेवार (राजस्थान)	12.00
26.	मोदी रबर लिमिटेड	भाटापुरा (म०प्र०)	9.00
27.	कोरोमण्डाल फर्टीलाइजर्स	काल भाला (आ०प्र०)	10.00
28.	इण्डियन रेयन कारपोरेशन लि०	मलखेड (कार०)	5.40
29.	स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि०	छैलाटी, राउरकेला (म०प्र०) (उड़ीसा)	21.40

दिल्ली में दो बोरी सीमेंट की सप्लाई

2200. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मरम्मत कार्य के लिए आवेदन देने पर बिना सत्यापन के दो बोरी सीमेंट देने के बारे में कोई घोषणा की गई थी और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या इस घोषणा को क्रियान्वित किया गया है, और

(ग) आवेदन देने पर मरम्मत के लिए दो बोरी सीमेंट देने में कितने दिन लगते हैं।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हाँ।

(ग) सीमेंट की उपलब्धता होने पर तीन दिन के भीतर।

"एप्रोच टू एम०आर०टी०पी० कम्पनीज" के बारे में सम्पादकीय

2201. **श्री एस०एम० कृष्ण** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 5 नवम्बर, 1980 के फाइनेन्शियल एक्सप्रेस, नई दिल्ली में "एप्रोच टू एम०आर०टी०पी० कम्पनीज शीर्षक से प्रकाशित सम्पादकीय की ओर दिखाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने 34 चुने हुए उद्योगों की निर्माण क्षमता में 5 प्रतिशत की स्वत: वार्षिक वृद्धि की अनुमति देने तथा एम०आर०टी०पी० एक्ट की बाजार प्रभुत्व की कसौटी में एक एम०आर०टी०पी० कम्पना के निर्यात कार्य निष्पादन को शामिल न करने के बारे में बड़े निजी क्षेत्र उपक्रमों के मामले में कहाँ तक अपने दृष्टिकोण में उदारता अपनाई है, और

(ग) ये 34 उद्योग कौन से हैं।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े उपक्रमों के मामले में अपने दृष्टिकोण में उदारता नहीं बरती है। किन्तु, सरकार का उद्देश्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीति सम्बन्धी ढांचे के भातर क्षमता का इष्टतम उपयोग व उत्पादन को अधिकतम करना है।

इस उद्देश्य के लिए सरकार ने 34 उद्योगों की एक सूची की घोषणा की है जिसमें कोर, आधारिक और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सामरिक महत्व के उद्योग हैं अथवा उनसे संबंध हैं या निर्यातोन्मुख उद्योग सम्मिलित हैं। इन उद्योगों को 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष की अवधि में 25 प्रतिशत तक सीमित स्वत: विकास की अनुमति दी जाएगी। किन्तु, प्रभुत्व वाली कम्पनियाँ स्वत: यह सुविधा प्राप्त नहीं कर सकेंगी। उनके

मामलों पर प्रयोज्य कानूनों अर्थात एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम तथा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन एक युक्तियुक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत विचार किया जाएगा ।

निर्यातोन्मुख उत्पादन को अधिकतम करने के एक भाग के रूप में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत "प्रभुत्व" की गणना करते समय निर्यातों को छोड़ दिया जाएगा ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

उन उद्योगों की अनुसूची जिनके मामले में स्वतः विकास की सुविधा अनुमत हैं ।

भाग—क

1. धातुकार्मिक उद्योग
   (1) लौह समिश्र
   (2) इस्पात की गढ़ी व ढली वस्तुएं
   (3) स्पेशल स्टील
   (4) अलौह धातुएं और उनके समिश्र

2. वायलर और भापजनित्र संयंत्र

3. प्राइम मूवर (विद्युत जनित्रक के अलावा)
   (1) औद्योगिकटरबाइन
   (2) इन्टरनल कम्बशन इंजन

4. विद्युत उपकरण
   (1) बिजली के पारेषप और वितरण के उपकरण
   (2) इलैक्ट्रीकल मोटरें
   (3) इलैक्ट्रीकल फरनेस
   (4) एक्स रे उपकरण
   (5) इलेक्ट्रोनिक हिस्से पुर्जे और उपकरण

5. परिवहन
   (1) 1000 डी डब्ल्यू टी के मशीनयुक्त जलयान
   (2) जलयान की सहायक वस्तुएं
   (3) वाणिज्यिक वाहन

6. औद्योगिक मशीनरी

7. मशीन टूल्स, जिग, फिक्श्चर, टूल्स और विशेष प्रकार की डाइयां

8. कृषि मशीनरी, ट्रेक्टर और पावर ट्रिलर

9. मिट्टी हटाने वाले उपकरण

10. औद्योगिक उपकरण, प्रेशर, तापमान, रेट आफ फूलो, भार, लेवल तथा ऐसी अन्य चीजें बताने वाले, रेकार्ड करने वाले और उसे रेगूलेट करने वाले उपकरण

11. वैज्ञानिक उपकरण

12. निम्नलिखित के अन्तर्गत आने वाले नाइट्रोजीनस और फास्फेटिक उर्वरक :

   (1) औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 की प्रथम सूची में 18 उर्वरकों के अन्तर्गत आने वाले इनारगैनिक उर्वरक

13. रसायन (उर्वरक के अलावा)
   (1) इनआरगेनिक हैवी रसायन
   (2) आरगैनिक हैवी केमीकल
   (3) फोटोग्राफिक रसायन सहित फाइन कैमींकल
   (4) सिंथेटिक रेजिन और प्लास्टिक
   (5) सिंथेटिक रबर
   (6) मानव निर्मित रेशे
   (7) औद्योगिक विस्फोटक
   (8) कीटनाशी, कवकनाशी, खरपतवारनाशी और अन्य ऐसी चीजें
   (9) संश्लिष्ट प्रक्षालक

(10) विविध रसायन (केवल उद्योग के उपयोग के लिए)

14. औषधियां और भेषजें

(क) आधारिक स्थिति से उच्च तकनीक वाला वल्क औषधियों के उत्पादन में काम में आने वाले औषधि मध्यम

(ख) आधारिक स्थिति से उच्च तकनीक वाली वल्क औषधियों को और उन पर आधारित फोर्मलेशन को समग्र स्त्रोतों के फोर्मलेशन्स के वल्क औषधियों की खपत (अपना उत्पादन) के समग्र समानुपात में। 1:5

15. कागज और लुगदी—कागज उत्पाद सहित

16. मोटरों के टायर ट्यूब

17. प्लेट ग्लास

18. चीनी मिट्टी की वस्तुएं

(1) रिफेक्टरियाँ

(2) फरनेस लाइनिंग, ब्रिक्स ऐसी-डिक वेसिक और न्युटरल

19. सीमेंट उत्पादन

(1) पोर्टसैड सीमेंट

(2) एसवेस्टस सीमेंट

भाग—ख

ऊपर भाग क में सूची बद्ध उद्योगों के अतिरिक्त निम्नलिखित उद्योग जो ऊपर भाग क में सम्मिलित नहीं किए गए हैं :—

1. मोटर के सहायक पुर्जे आदि
2. ढालकर और बंद साँचों में पीटकर बनाई गई वस्तुएं
3. ट्रैक्टर
4. वाणिज्यिक वाहन
5. संचार उपस्कर
6. डीजल इंजन, पम्प
7. क्रेनें
8. मिट्टी हटाने वाले, खनन और धातुकर्मीय उपस्कर

9. जलभावी उपस्कर

10. औद्योगिक मशीनरी जिसके अन्तर्गत रसायन और मशीनरी भी हैं ।

11. मशीनी औजार

12. टैक्सटाइल मशीनें

13. विद्युत संचरण और वितरण के लिए उपस्कर (केबल और तारों से भिन्न)

14. विद्युत ट्रान्सफार्मर

15. स्विचगियर

टिप्पण :--उद्योगों की अनुसूची उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की अनुसूची के अनुसार है । औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 की अनुसूची "क" के अधीन सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित विनिर्माण की वस्तुओं पर यह अधिसूचना लागू नहीं होगी ।

उत्तर प्रदेश और बिहार में उद्योगों की स्थापना

2202 : **श्री राम सिंह शाक्य : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश और बिहार के पिछड़े जिलों में वर्ष 1979-80 के दौरान उद्योगों की स्थापना के लिए कोई आवेदन पत्र मिले हैं;

(ख) यदि हाँ तो उनकी संख्या कितनी है तथा कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने का विचार है;

(ग) क्या इस बारे में आवेदकों को लाइसेंस तथा आशय-पत्र जारी कर दिये गये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) वर्ष 1979-80 में, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त हुए थे । ये आवेदन इलैक्ट्रोनिक घड़ियों, लुगदी, लिखाई व छपाई के कागज, ई आर डब्ल्यु स्टील ट्यूबों, हाइड्रोजेनेटिड तेलों तथा वनस्पति के उत्पादन के लिए थे ।

(ग) और (घ) :—सभी 9 आवेदन निपटा दिए गए हैं । पाँच आवेदन स्वीकृति

किए गए हैं तथा आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं। शेष 4 आवेदन रद्द अथवा बन्द कर दिए गए हैं।

इंडियन पेपर पल्प कम्पनी, पश्चिम बंगाल को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना

2204 : **श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इंडियन पेपर एण्ड पल्प कम्पनी, पश्चिमी बंगाल को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिए जाने" के प्रश्न पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने अपनी सिफरिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन सिफारिशों की मुख्य बाते क्या हैं;

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञ समिति को कितना समय लगेगा; ।

(ङ) क्या इन सिपारिशों को प्रस्तुत किये जाने तक सरकार इंडियन पेपर पल्प के श्रमिकों को मंजूरी बोनस आदि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि रिलीज करने के लिए कार्यवाही कर रही है; और

(च) यदि हाँ, तो इसके लिए की गई कार्यवाही का स्वरूप क्या है

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क), से (ग) : विशेषज्ञ वर्ग की रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है और उसका अध्ययन किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) : इंडिया पेपर पल्प कम्पनी के कर्मचारियों को जबरन छुट्टी की प्रतिपूर्ति का भुगतान करने का प्रबन्ध किया गया है।

नजरबन्दी सम्बन्धी अध्यादेशों को लागू करने के बारे में राज्यों को जारी किए गए मार्गदर्शी नियम

2205. **प्रो० मधु दण्डवते : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को एक नियत अवधि के लिए नजरबन्द करने सम्बन्धी अध्यादेशों लागू करने के लिए कोई मार्ग-दर्शी नियम जारी किए गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। फिर भी एक केन्द्रीय अध्यादेश, अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 जिसके तहत कुछ मामलों में निवारक नजरबन्दी का प्रावधान है, पहले ही सभी राज्यों (जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त) में लागू है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 का संशोधन

2206. **श्री सुबोध सेन : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूपये की क्रय शक्ति में कमी को देखते हुए 1000/—रूपये से अधिक की आय वाले कर्मचारियों पर भी उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 लागू करने के लिए इसमें संशोधन करने के लिए पश्चिम बंगाल चाय कर्मचारी संघ, जलपाईगुड़ी से दिनांक 27 जुलाई, 1980 का अभ्यावदेन प्राप्त हुआ है; और

(ख) इस मांग पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री

(श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) जी, हाँ

(ख) उपदान अधिनियम, 1972 में संशोधन के विभिन्न प्रस्ताव, जिनमें वेतन सीमा में संशोधन का प्रस्ताव शामिल है, विचाराधीन हैं। प्रस्तावों पर निर्णय लेते समय संघ के सुझाव पर विचार किया जाएगा।

व्यवसायजन्य रोग

2207. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में श्रम मंत्रालय ने व्यवसायजन्य रोगों के बारे में क्या अनुसंधान किया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री : (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : कारखाना सलाह और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय के अन्तर्गत केन्द्रीय श्रम विज्ञान संस्थान, बम्बई और क्षेत्रीय श्रम संस्थानों द्वारा किए गए कार्य पर्यावरण तथा व्यावसायिक रोग सम्बन्धी अध्ययनों के बारे में विवरण संलग्न है ।

विवरण

कारखाना सलाहकार सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय, बम्बई के अन्तर्गत केन्द्रीय श्रम विज्ञान संस्थान, बम्बई और क्षेत्रीय श्रम संस्थानों द्वारा किये गए कार्य पर्यावरण और व्यावसायिक रोग संबंधी अध्ययनों के बारे में विवरण ।

क्रमांक	उद्योग का नाम	प्लांट का नाम	अध्ययन का शीर्षक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
(1)	केमिकल	(1) गवर्नमेन्ट ओपियम एण्ड अल्कालायड वर्क्स, गाजीपुर (उत्तर प्रदेश)	औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान और व्यावसायिक स्वास्थ्य	निष्कर्षों पर आधारित प्रबन्धतंत्र को नियंत्रण उपायों की सिफारिश की गई ।
		(2) एमको बैटरीज लिमिटेड, बंगलौर	सीसे से व्यावसायिक प्रभाव का मूल्यांकन	निष्कर्ष प्रगति पर है ।
		(3) मैसूर इलैक्ट्रोकैमिकल लि०, बंगलौर	स्टोरेज बैटरी कर्मकारों को सीसे से होने वाले व्यावसायिक प्रभाव का मूल्यांकन	निष्कर्ष प्रगति पर है ।
(2)	लीड ऐसिड स्टोरेज बैटरी	(1) स्टैंडर्ड बैटरीज लिमिटेड, ओलधाम डिवीजन मद्रास	सीसे से चिरकालिक व्यावसायिक प्रभाव का मूल्यांकन	सुझाए गए निष्कर्षों के आधार पर नियंत्रण उपाय
		(2) क्लोराइड इण्डिया लिमिटेड, पूना	सीसे से रोग विषयक व्यावसायिक प्रभाव का मूयांकन	आंकड़े एकत्र करने का कार्य प्रगति पर है ।

1	2	3	4	5
		(3) क्लोराइड इंण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता	सीसे से व्यवसायिक प्रभाव का मूल्यांकन	प्रबंधतंत्र द्वारा वर्तमान नियंत्रक उपायों के अतिरिक्त कार्य और सामान्य हाऊस-कीपिंग के तरीके में सुधार और संशोधन का सुझाव दिया गया है।
		(4) मैसूर इलेक्ट्रो कैमिकल्स लिमिटेड, बंगलौर	सीसे से रोग-वियक व्यावसायिक प्रभाव का मूल्यांकन	आँकड़े एकत्र करने का कार्य प्रगति पर है।
(3)	एस्बेस्टोज सीमेंट प्रोडक्टस	(1) एस्बेस्टोज सीमेंट प्रोडक्टस, फरीदाबाद (हरियाणा)	व्यावसायिक स्वास्थ्य जांच के सम्बन्ध में रिपोर्ट	सीमित फुप्सफुट सी कार्यों वाले 58 मामलों में छाती का पूरे आकार का एक्स-रे किया जाता है और इन मामलों को सुझाव गए गैर-प्रभाव वाले क्षेत्रों में ले जाया जाए।
(4)	डाईस्टक	(1) सुदर्शन कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज, रेहा	डाइकलोर बेन्जिडाइन क्लोराइड प्लांट में पर्यावरण व्यावसायिक स्वास्थ्य अध्ययन	नियंत्रण उपायों की सिफारिश की गई।
(5)	फोर्जिग इण्डस्ट्री	(1) बम्बई फोर्जिग प्राइवेट लि०, बम्बई	आयरन फोर्जिग इण्डस्ट्री में सुरक्षा और कार्य की पर्यावरण दशाओं की जांच	आंकड़े एकत्र करने का कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5
		(2) एच० के० फोर्जिग प्राइवेट लिमिटेड बम्बई		
		(3) भारत फोर्ज प्राईवेट लि०, पूणे		
(6)	न्यूकलीयर फ्यूल	(1) न्यूकलीयर फ्यूल कम्लैक्स, हैदराबाद	कतिपय विशिष्ट जाबों का मूल्यांकन	आंकड़े एकत्र करने का कार्य प्रगति पर है।
(7)	पत्तन और गोदियां	(2) बम्बई डाकस (क्लिनिकल रेडियोलोजिकल, एस्पेक्टस) इन दी बम्दई डाक्स	लोडरों के सम्बन्ध में जांच	50 किलो ग्राम भार की सिफारिश की गई।

श्रीराम कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज, कोटा पर भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की बकाया राशि

2208. **श्री निहालसिंह : क्या श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीराम कैमिकल्स इडस्ट्रीज, कोटा के कर्मचारियों की भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की कितनी राशि अब तक जमा कराई गई है और इसकी कितनी राशि बकाया है; और

(ख) बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि मैसर्स श्रीराम कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज, कोटा ने कर्मचारी भविष्य निधि अंशदानों (नियोजकों और कर्मचारियों दोनों का हिस्सा) की ओर सितम्बर 1980 के अन्त तक 1,67,23,633. 54 रुपये की राशि जमा कराई है । इस राशि में ऐसे सदस्यों के संबंध में, जिन्होंने प्रतिष्ठान की नौकरी छोड़ दी है, भविष्य निधि लेखों के अन्तिम निपटान के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा की गई अदायगियाँ शामिल नहीं है । यह सूचित किया गया है कि इस प्रतिष्ठान की ओर कोई बकाया राशि नहीं है ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि इस प्रतिष्ठान ने कर्मचारी राज्य बीमा अंशदानों की ओर अगस्त, 1980 तक 61,87,742.61 रुपये की राशि का भुगतान किया है । तथापि इस प्रतिष्ठान की ओर 4,42,436 रुपये की राशि बकाया है । निगम द्वारा इन देय राशियों की मांग के संबंध में यह सूचिन किया गया है कि नियोजक ने इन देय राशियों के भुगतान को चुनौती देते हुए कर्मचारी बीमा न्यायालय में एक मामला दायर किया है और यह मामला अभी तक न्यायालय में अनिर्णीत पड़ा है ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय और इसके सम्बद्ध कार्यालयों में केन्द्रीय सचिवालय सेवाग्रेड 1 के अधिकारियों को बारी-बारी से नियुक्त किया जाना ।

2208. **श्री सनतकुमार मंडल : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड 1— के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो स्वास्थ्य मंत्रालय तथा उसके सम्बद्ध कार्यालयों में 24 वर्ष से अधिक अवधि से काम कर रहें हैं, और

(ख) उनके उज्जवल भविष्य के हित में ही नहीं बल्कि स्वस्थ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए भी उनको बारी-बारी से नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री : श्री पी० वेंकट सुब्बय्या

(क) कृपया संलग्न विवरण देखें ।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के तबादले के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

विवरण

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध कार्यालयों में 24 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे केन्द्रीय सचिवालय सेवाग्रेड 1 के अधिकारियों के ब्यौरों का विवरण ।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम (जन्म तिथि सहित) सर्वश्री	तारीख जिससे मन्त्रालय में कार्य कर रहे है ।
1.	एस० एल० कुठियाला (जन्म : 1.12.1924)	1.11.1941
2.	ओ० पी० बाली (जन्म : 2.5.1924)	4.7.1944
3	शिवदयाल (जन्म : 2.5.1929)	20.7.1951
4.	श्री एन० एन० घोष (जन्म : 1.3.1923)	6.7.1955
5.	ए० एन० गोपालकृष्णनन (जन्म : 9.10.1923)	6.12.1943
6.	ए० एस० सिकन्द (जन्म : 8.9.1924)	1.5.1945
7.	एस० डी० लाल (जन्म : 5.7.1925)	30.11.1945
8.	जे० एस० बन्धु (जन्म : 4.9.1924)	25.5.1945

पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय योजना

2210. **आचार्य भगवान देव : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुलिस कर्मियों के लिए एक आवासीय योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो योजना की रूपरेखा क्या है: और

(ग) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

गृहमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने पुलिस कर्मियों के आवास निर्माण हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के लिए । 1956—57 से एक पुलिस आवासीय योजना शुरु की थी । योजना का उद्देश्य उच्च अधीनस्थ अधिकारियों (अराजपत्रित) को 100 प्रतिशत पारिवारिक आवास और निम्न अधीनस्थ अधिकारियों को 14 प्रतिशत पारिवारिक आवास और 86 प्रतिशत को बैरिक आवास उपलब्ध कराने का है । योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता ऋण के रूप में थी । ऋण की वापसी की अवधि, जो 1973-74 तक 15 वर्ष थी, 1974-75 से 25 वर्षकर दीगई । पुलिस आवासीय योजना, जो 1973-74 तक एक गैर योजना स्कीम थी, बाद में एक योजना स्कीम बना दी गई । राज्यों योजनाओं में कुछ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को हस्तांतरित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा किए गए निर्णय के अनुसरण में गृह मंत्रालय द्वारा संचालित पुलिस आवासीय योजना को 1979-80 के दौरान राज्य योजना क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया था । अतः अब पुलिस कर्मियों के लिए कोई केन्द्रीय आवासीय योजना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तमिनाडु में साम्प्रदायिक दंगे ।

2211. **श्री थाभ्राई एम० करुणानिधि : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में जनवरी, 1979 से अक्तूबर, 1980 के बीच जिला-वार कितने साम्प्रादयिक दंगे हुए;

(ख) उपरोक्त दंगों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को, जिला-वार, जान तथा माल की हानि हुई और उसकी क्षतिपूर्ति हेतु क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई; और

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की जान तथा माल की हानि के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा जिला-वार की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) से (ग) :—तमिलनाडु राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है । और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

क्लर्कों के लिए टाइप-परीक्षा पास करना

2212. **श्री जयपाल सिंह कश्यप : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना से पूर्व केन्द्रीय सरकार अथवा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त क्लर्कों के लिये टाइप-परीक्षा पास करना अनिवार्य था,

(ख) यदि हाँ, तो क्या अब भी यह टाइप-परीक्षा पास करना अनिवार्य है,

(ग) क्या टाइप-परीक्षा या तो हिन्दी में अथवा अंग्रेजी में पास की जा सकती है, और

(घ) क्या तत्सम्बन्धी आदेशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या):

(क) जी हाँ, श्रीमान् । कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना से पूर्व केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में नियुक्त क्लर्कों को टाइप पास करना अनिवार्य था ।

(ख) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ग) जी हाँ, श्रीमान् । टाइप परीक्षा हिन्दी में अथवा अंग्रेजी में पास की जा सकती है ।

(घ) संगत आदेशों की प्रतियां संलग्न हैं ।

(ग्रंथालय में रखी गयी देखिए एल टी—1503/80)

खानों में न्यूतम मजदूरी

2213. **श्री टी० एम० सावन्त : क्या श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैंगनीज खानों और कोयला खानों से अन्य खानों में

नियुक्त श्रमिकों के लिए मजूरी दर के पुनरीक्षण के लिये प्रस्ताव अधिसूचित कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी दरें क्या हैं;

(ग) कोयला खानों में अकुशल श्रमिकों को किस दर से मजूरी का भुगतान किया जाता है;

(घ) क्या मैंगनीज श्रमिकों ने अपनी मजूरी कोयला खान के श्रमिकों की मजूरी के बराबर करने की मांग की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उक्त मांग को ध्यान में रखते हुए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री

(श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) सरकार ने हाल ही में (सितम्बर 1980 में) विभिन्न खनन नियोजनों में, जिनमें मैंगनीज खाने शामिल हैं, नियोजित श्रमिकों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों को संशोधित किया है ।

(ख) : मजदूरी दरें निम्नलिखित हैं :—

1. अकुशल — 6.65 रू० प्रतिदिन
2. अर्ध-कुशल — 8.36 रू० प्रतिदिन
3. कुशल और लिपकीय—10.00 रू० प्रतिदिन

(ग) : 1-1-1980 को कोयला खानों में नियोजित अकुशल श्रमिक की कुल परिलब्धियां 55 .80 रू० प्रतिमाह है ।

(घ) : जी, हाँ ।

(ङ) : सरकार मैंगनीज खानों तथा अन्य खानों के नियोजन में न्यूनतम मजदूरी-दरों में और संशोधन करने पर विचार कर रही है ।

आदिवासी विकास पर कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

2214. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को छठी पंचवर्षीय योजना के लिये आदिवासी विकास

के सम्बन्ध में कार्यकारी दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न स्रोतों से आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिए धन-राशि की व्यवस्था के बारे में दल की क्या सिफारिशें हैं;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने कार्यकारी दल की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा प्लान, योजना, कार्यक्रम तैयार किये हैं तथा धनराशि निर्धारित की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) से । (घ) : जनजातीय विकास से संबंधित कार्यकारी दल की रिपोर्ट में की गई सिफारिशें योजना आयोग के विचाराधीन हैं ।

भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स, लिमिटेड, त्रिची में आरक्षण के बारे में सरकारी आदेशों का कार्यान्वयन

2215. **श्री के० बी० एस० मणि : क्या उद्योग मन्त्री** : यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, त्रिची, तमिलनाडु में भारत सरकार के उन आदेशों को इनके जारी करने की तारीख से कार्यान्वित नहीं किया गया है जिनमें प्रारम्भिक नियुक्तियों, पदोन्नतियां और स्थायीकरण के समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) इन आदेशों को जारी करने की तारीख से संवर्गवार ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, त्रिची तमिलनाडु में इस कम्पनी के प्रारम्भ होने से पहले ग्रेड से अधिकारी ग्रेड में कितने कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, और

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों तथा सामान्य कर्मचारियों संबंधी सवर्गवार और वर्गवार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्तालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) बी० एच० ई० एल० के तिरुचि एकक द्वारा इस सम्बन्ध में सरकारी निदेशों का इन निदेशों के जारी होने की

तारीख से पालन किया जा रहा है ।

(ख) आरक्षण आदेशों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से पदों को 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' वर्गों में वर्गी में वर्गीकृत किया गया है । इन वर्गों के अधीन प्रारम्भिक भर्ती से सम्बन्धि-1 ब्यौरा विवरण में दिया जाता है । पदोन्नतियों के सम्बन्ध में जानकारी विवरण-2 में दी जाती है ।

(ग) 31.10.80 तक बी० एच० ई० एल० तिरुचि में नियुक्त कर्मचारियों कीं कुल संख्या विवरण-3 में दी जाती है ।

(घ) कर्मचारियों की संख्या का वर्ग-वार ब्यौरा जिसमें 31.10.80 तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों से सम्बन्धित आँकड़े दिए गए हैं, विवरण-3 में दिया जाता है । वर्ष-वार जानकारी इकट्ठी करने में समय लगेगा ।

विवरण-1

बी० एच० ई० एल० तिरुचि में विभिन्न वर्गों में भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या

वर्ष	वर्ग (क)			वर्ग (ख)			वर्ग (ग)			वर्ग (घ)		
	1300 रु० से ज्यादा अधिकतम वेतन या वेतनमान वाले पद			900 रु० से ज्यादा लेकिन 1300 रु० से कम अधिकतम वेतन या वेतनमान वाले पद			290 रु० से ज्यादा लेकिन 900 रु० से कम अधिकतम वेतन या वेतनमान वाले पद			290 रु० या कम अधिकतम वेतन या वेतनमान वाले पद		
	सं० (भर्ती)	अनु० जा०	अनु० जन० जा०	सं० (भर्ती)	अनु० जा०	अनु० जन जा०	सं० (भर्ती)	अनु० जा०	अनु० जन० जा०	सं० (भर्ती)	अनु० जा०	अनु० जन जा०
1971	59	5	कुछ नहीं	54	3	कुछ नहीं	189	4	कुछ नहीं	246	51	1
1972	32	5	कुछ नहीं	25	1	कुछ नहीं	134	5	कुछ नहीं	326	84	1
1973	51	7	1	47	9	कुछ नहीं	470	77	2	279	89	7
1974	41	5	2	149	7	कुछ नहीं	432	65	2	214	98	1
1975	75	6	कुछ नहीं	72	—	—	684	129	2	180	57	कुछ नहीं
1976	232	38	4	21	1	—	304	84	2	201	40	—
1977	184	11	1	29	—	—	684	194	—	134	23	1
1978	51	5	कुछ नहीं	74	7	1	797	145	5	152	24	42
1979	75	12	1	46	9	कुछ नहीं	611	153	1	102	47	12

विवरण-2

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य वर्गवार पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या

वर्ष	वर्ग 'ख'			वर्ग 'ग'			वर्ग 'घ'		
	अनु० जा०	अनु० जनजा०	अन्य	अनु० जा०	अनु० जन जा०	अन्य	अनु० जा०	अनु० जन जा०	अन्य
1973	1	1	118	56	2	776	29	—	92
1974	—	—	90	39	3	953	78	—	171
1975	1	—	203	25	—	717	78	1	184
1976	3	—	180	111	1	1011	35	—	78
1977	1	—	126	72	24	545	39	—	65
1978	3	—	280	107	—	1100	38	—	200
1979	—	—	72	192	4	1106	25	—	82
1980	—	—	239	198	1	1048	28	1	68

टिप्पणी :—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों से संबंध रखने वाले पदोन्नत कर्मचारियों का संख्या विचार/पात्रता क्षेत्र के अन्दर आने वाली संख्या पर निर्भर करती है। किन्तु इस प्रकार के कर्मचारियों का मूल्यांकन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा शिथिल मानदण्ड के साथ किया जाता है।

विवरण-3

बी०एच०ई०एल०, तिरुचि में 31.10.80 की कर्मचारियों की वर्गवार कुल संख्या

वर्ग	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
क	1293	86	7
ख	1031	25	1
ग	8280	1057	8
घ	2419	767	34
	योग 13,023	1,935	50

पुगलूरे करूर में अखबारी कागज एकक की स्थापना

2216 : **श्री एस० ए० दोराई सेवस्तियव** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के करूर चुनाव क्षेत्र के पुगलूरे में 184 करोड़ रुपये की लागत से संयुक्त क्षेत्र में अखबारी कागज के निर्माण कोई एकक शुरू किया जाएगा,

(ख) यदि हां, तो वित्तीय संस्थाओं द्वारा खरीदे गए शेयरों का प्रतिशत क्या है,

(ग) प्रवर्तकों के नाम क्या हैं, और

(घ) क्या परियोजना पर चालू वित्तीय वर्ष में कार्य आरम्भ किया जाएगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरजीत चानना) :(क) तमिलनाडु के सेलम जिले में अखबारी लिखाई और छपाई के कागज का उत्पादन करने के लिए एक नए उपक्रम की स्थापना करने हेतु मैसर्स तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स लि० को एक आशय-पत्र जारी किया गया है । निश्चित स्थापना स्थल के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है ।

(ख) वित्तीय संस्थाओं द्वारा खरीदे जाने वाले शेयरों के प्रतिशत के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) तमिलनाडु सरकार इस परियोजना की प्रायोजक है ।

(घ) इस परियोजना के लिए अपेक्षित कुल निधियां जुटाने के बाद ही परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य हाथ में लिया जाएगा ।

उत्तरी बंगाल में उद्योग

2217. **श्री ए० के० राय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी बंगाल में बड़े, मध्यम दर्जे तथा छोटे दर्जे के कुल कितने उद्योग हैं,

उनके नाम क्या हैं तथा वे कहां कहां पर स्थित हैं और उनमें कुल कितना पूंजी निवेश लगाया हुआ है और उनमें कुल कितने व्यक्ति काम करते हैं,

(ख) क्या कोई उद्योग बन्द पड़ा हुआ है और उसके तथ्यों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या उत्तरी बंगाल में पुआल पर आधारित सीमेंट के कारखाने की ही भांति कृषि पर आधारित उद्योगों को खोले जाने के कोई अवसर हैं, ओर

(घ) यदि हाँ, तो उस पर क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री : श्री पी० ए० संगमा (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

(ख) उत्तरी बंगाल में बंद पड़े एककों के संबंध में जानकारी इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती ।

(ग) और (घ) : उत्तरी बंगाल में वाणिज्यिक दृष्टि से जीव्य धान की भूसी पर आधारित सीमेंट संयंत्र की स्थापना की कम ही गुंजाइश दिखाई देती हे । उत्तरी बिहार के जिलों में स्थापना हेतु औद्योगिक संभाव्यता संबंधी सर्वेक्षणों में सुझाए गए कृषि पर आधारित लघु उद्योगों की एक सूची विवरण के रूप में संलन है ।

विवरण : 1

31.12-79 को उत्तरी बंगाल के पाँच जिलों के लिए पश्चिम बंगाल के उद्योग निदेशालय में पंजीकृत लघु उद्योग विकास संगठन (सीडी) के एककों की संख्या निम्न प्रकार थी :

कूच बिहार	822
दार्जिलिंग	1608
पश्चिम दीनाजपुर	1330
जलपाई गुड़ी	1635
मालदा	1408

एकक—वार निवेश और रोजगार संबंधी ब्यौरा नियमित रूप से नहीं मिलता हे । 1972 की लघु उद्योग गणना के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजीयित लघु उद्योगों एककों और उनमें काम कर रहे व्यक्तियों की जिला-वार और उद्योग-वार स्थिति विवरण 2 में दी गई है :

विवरण 2

उद्योग	दार्जिलिंग		जलपाईगुड़ी		कूच बिहार		पश्चिमी दीनाजपुर		मालदा	
	एककों की संख्या	रोजगार	एककों की सं०	रोजगार	एककों की सं०	रोजगार	एककों की सं०	रोजगार	एककों की सं०	रोजगार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
खाद्य उत्पादक	29	190	45	219	27	161	41	174	21	162
शराब	3	23	1	3	—	—	—	—	—	—
होजरी तथा वस्त्र	6	30	8	54	8	39	—	—	—	—
लकड़ी उत्पादक	59	391	46	500	32	283	25	82	30	160
कागज का उत्पाद तथा छपाई	30	124	15	78	12	52	19	86	12	38
चमड़ा उत्पाद	39	100	1	2	6	21	4	19	8	16
रबर तथा प्लास्टिक उत्पाद	14	97	13	60	5	26	7	34	1	4
रसायन तथा रसायन उत्पाद	32	270	35	172	14	72	4	11	4	24
अधातु खनिज उत्पाद	7	73	11	59	9	95	14	196	36	784
बुनियादी धातु उद्योग	9	20	6	96	—	—	1	4	14	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
धातु उद्योग	67	351	24	85	23	101	74	167	25	151
मशीनरी तथा पुर्जे (इलैक्ट्रीकल को छोड़ कर)	27	140	6	137	3	6	—	—	3	17
इलैक्ट्रीकल मशीनें तथा उपकरण	6	26	5	14	3	8	2	7	—	—
परिवहन उपकरण	1	1	1	2	12	43	—	—	4	23
विविध निर्माण उद्योग	23	56	5	68	6	20	14	28	2	4
मरम्मत तथा रख-रखाव	120	364	66	288	43	156	27	76	29	122
योग :	466	2256	288	1847	203	1083	232	884	189	1478

विवरण 3

कृषि पर आधारित क्षमता वाले उद्योगों के निरीक्षण की सूची

1. कूच बिहार
   1. तम्बाकू पर आधारित उद्योग
   2. पटसन की रद्दी से बनी रस्सी
   3. चर्म शोधनालय
   4. चावल मिल
   5. आरा मिल

*2. दार्जिलिंग
   1. डिब्बा बन्द तथा परिरक्षण-फल एवं सब्जियां
   2. कोर्न फ्लेक
   3. फलों के रस से बना पाउडर
   4. सूखा आलू का लच्छा
   5. अदरक तथा अदरक उत्पादन
   6. पीपन तया कच्ची पीपन से बने पैक्टीन
   7. चाय की चूरे पर आधारित कैफीन उद्योग
   8. फोटो-रसायन उद्योग
   9. केश सज्जा तथा ब्रुश बनाना
   10. लकड़ी के सामानों पर तह चढ़ाना
   11. आरा बुरादे से हार्डबोर्ड
   12. बुड़बुल
   13. आरा मिल तथा पैकिंग के डिब्बे

3. जलाईगुड़ी
   1. स्ट्रा बोर्ड
   2. अदरक उत्पादन
   3. रस्सी तथा डोरी
   4. बुरादे से बना अत्यन्त विषैला एवं खट्टा अम्ल
   5. चर्मशोधनालय
   6. लहसुन का पाउडर

4. मालदा
   1. सिंग

2. कोर्न फ्लेक
3. छोटा चावल मिल
4. भूसी निकालने की मशीन का आधुनिकीकरण

5. पश्चिमी दीनाजपुर
1. चावल की भूसी से बना तेल
2. पटसन की लकड़ी पर आधारित गत्ता
3. मुर्गीफार्म तथा डेरी उद्योग

उत्तरी बिहार में सिगरेट उद्योग की स्थापना किया जाना ।

2218. **श्री पियूष तिरकी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तरी बिहार के कूच बिहार जिले में सिगरेट उद्योग की स्थापना करने का है,

(ख) परियोजना की कुल लागत क्या होगी और इसको कब तक पूरा किया जायेगा, और

(ग) परियोजना कहां स्थापित की जाएगी और स्थानीय लोगों को रोजगार देने की क्या स्थिति है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) भारत सरकार के सामने उत्तरी बंगाल जिले के कूच बिहार क्षेत्र में सिगरेट उद्योग की स्थापना करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां

2219. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1979-80 में चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए रोजगार दफ्तरों में बहुत से व्यक्तियों ने अपने नाम पंजीकृत कराये हैं, और

(ख) क्या सरकार ने शेष रह रहे बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए कोई नई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, विभिन्न राज्यों के विशेष रोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम आदि की तरह की कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जो या तो नए रोजगार अवसर सृजित करने में सहायता देंगी या बेरोजगारों को स्व-रोजगार प्राप्त कराने में सहायक होंगी । ये योजनाएं श्रेणी-4/ग्रुप 'घ' के कर्मचारियों का भी ध्यान रखेंगी ।

गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा न्यूनतम मजूरी का भुगतान

2220. **श्री कृष्ण प्रतापसिंह :**

श्री सुभाष यादव : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नियोक्ता न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अनुसरण में सरकार के आदेशों के अनुसार कर्मचारियों को उनकी पूरी मजूरी का भुगतान नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो देश में विभिन्न नियोक्ताओं विशेषकर लिमिटेड तथा गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनियों, द्वारा कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी का भुगतान करवाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) और (ख) : सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू न करने के बारे में शिकायतों से अवगत हैं । जब कभी विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी निरीक्षण अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है और यदि ये शिकायतें सही पाई जाती हैं, तो दोषी नियोजको के विरुद्ध नियम के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जाती है । प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ करने का भी निर्णय लिया गया है ताकि अधिनियम को कार्यान्वियन और अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सके ।

कागज के मूल्य में वृद्धि

2221. **श्री सुभाष यादव : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कागज के मूल्य में वृद्धि की हैं,

(ख) यदि हां, तो मूल्य में कितनी वृद्धि की अनुमति दी गई है, और

(ग) कागज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) : उत्पादन लागत में बढ़ोतरी के कारण छपाई के सफेद कागज की कीमत संशोधित 3500 रु० प्रति मी० टन करने का निश्चय किया गया है ।

(ग) बिजली और कोयले की उपलब्धता में संभावित सुधार के साथ देश की कागज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता स्थापित की जा रही है अतः क्षमता का अधिक उपयोग प्राप्त करना संभव हो जाएगा और इससे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी । उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार लिखाई और छपाई के कागज का आयात भी कर रही है ।

कर्मचारियों राज्य बीमा योजना के कार्यकरण की समीक्षा

2222. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यकरण की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका गठन एवं निर्देश पद क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) जी हाँ ।

(ख) समिति के गठन और विचारार्थ विषय को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

रामपुरा, दिल्ली में डकैती

2223. **प्रो० अजितकुमार मेहता** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रामपुरा, दिल्ली में दिनांक 22 जुलाई, 1980 को हुई डकैती के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या उक्त डकैती में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो बरामद किए गए माल का ब्यौरा क्या है और जांच पड़ताल करने वाले दल का मुखिया कौन है; और

(घ) क्षेत्रीय पुलिस तथा पुलिस की अपराध शाखा द्वारा इन डकैतों का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए गए ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) जी हाँ, श्रीमान ।

(ग) 23,910 रु० नकद, 3 हाथ की घड़ियाँ, 4 सोने की अंगुठियाँ और एक सोने की जंजीर बरामद की गई है । मामले की जांच पड़ताल अपराध शाखा के निरीक्षक द्वारा की गई है ।

(घ) अपराध घटने के तुरन्त बाद पुलिस उप आयुक्त और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त घटनास्थल पर पहुंचे । कुत्तों के दस्ते को सेवा में लगाया गया और अपराध दस्ते को बुलाया गया था । नामी अपराधियों के फोटो शिकायतकर्ता और गवाहों को दिखाये गये । इसी प्रकार की कार्य पद्धति वाले काफी संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई । अपराधियों का पता लगाने के लिए देश के विभिन्न भागों में तुरन्त संदेश भेजे गए ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना

2224. **श्रीरामस्वरूप राम** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) तथा (ख) : प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव, 1980-85 योजना तैयार करने के संदर्भ में विचाराधीन है । यह प्रस्ताव जो कि समाज के सभी वर्गों से सम्बन्धित हैं, स्वभावतः इसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के परिवार भी शामिल होंगे ।

पंजाबी नाटकों (ड्रामा) में अश्लीलता पर प्रतिक्रिया के बारे में समाचार

2225. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 अगस्त, 1980 के हिन्दी दैनिक "हिन्दुस्तान" में "दर्शकों में गरमाहट"—हाउस फुल गिरावट शीर्षक के अन्तर्गत छपे लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे नाटकों का आयोजन करने में पंजाबी निदेशक अश्लीलता की सीमा को पार कर रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसा मनोरंजन हमारे सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन को किस हद तक खराब करेगा और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : सरकार को सम्बन्धित लेख की जानकारी है जिसमें पंजाबी नाटकों में शालीनता की सीमा पार करने की प्रवृत्ति का उल्लेख है । किन्तु इस लेख से यह प्रकट नहीं होता कि कोई विनिर्दिष्ट संज्ञेय अपराध किया गया है ।

(ग) और (घ) : बताया जाता है कि कुछ पंजाबी नाटकों की प्रवृत्ति कामुकता पर जोर देने की है । राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को ऐसे व्यक्ति पर मुकदमे चलाने के अधिकार हैं, जो दूसरों को चिढ़ाने के लिए अश्लील शब्द बोलता है, सुनाता है अथवा इशारा करता है अथवा किसी सार्वजनिक स्थान में अथवा उसके निकट ऐसा गाता है । इस सम्बन्ध में उनके द्वारा आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है ।

पूर्वी यूरोपीय देशों से डीजल जेनेरेटिंग सेट

2226. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विद्युत उत्पादक सेटों के निर्माताओं ने मंत्रालय में यह शिकायत की है कि पूर्वी यूरोपीय देश भारत में बड़ी मात्रा में डीजल जेनेरेटिंग सेट भेजते जा रहे हैं और उन्हें इतनी ऊंची कीमत पर बेच रहे हैं कि उसका निर्माण लागत से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस मामले की विस्तृत जांच की है ?

(ग) यदि हाँ, तो विदेशी विक्रेताओं द्वारा कितना प्रतिशत लाभ कमाया गया है तथा भारत में बनाए जा रहे ऐसे सेटों की लागत क्या है; और

(घ) राष्ट्र की औद्योगिक प्रगति हेतु भारतीय निर्माताओं को अपने उत्पादों को बेचने के लिए उचित हिस्सा दिलाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) : जी, नहीं । अल्टरनेटरों, जिनकी जरूरत डीजल जेनेरेटिंग सेटों में लगाने के लिए होती है, के

स्वदेशी निर्माताओं ने आवेदन दिया था कि डीजल जेनेरेटिंग सेटों के आयात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि उन्होंने अपने अभ्यावेदन में यह कहा था कि पूर्वी यूरोपीय देश बड़ी मात्रा में इन सेटों को भारत में भेज रहे हैं और बहुत ऊंची कीमत पर बेच रहे हैं।

(घ) स्वदेशी निर्माताओं को उचित सहायता दी जा रही है, जैसे कच्चे माल हिस्से पुर्जों के आयात की अनुमति और विदेशी सहयोग।

आदिवासी सम्मेलन और बैठकें

2227. **श्री भीखाभाई :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने और उनके राज्य मन्त्री ने कितने आदिवासी सम्मेलन किए हैं, राज्यों की बैठकें की हैं और स्थायी समितियों की बैठकें की हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार नई सरकार के आरम्भ से अब तक की गई बैठकों और विचार गोष्ठियों का कार्यवाही वृतान्त सभा पटल पर रखने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :

(क) (1) जनजाति सम्मेलन 3

(2) राज्य बैठक 1

(3) स्थायी समिति की बैठक 2

उपर्युक्त के अतिरिक्त 27 सितम्बर, 1980 को त्रिवेन्द्रम में हुई दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में 10 नवम्बर, 1980 को हुई पश्चिम क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में और 3 और 4 नवम्बर, 1980 को त्रिवेन्द्रम में हुई दक्षिण राज्यों के मन्त्रियों को क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में भी अनुसूचित जनजाति के विकास के मामले पर विचार विमर्श किया गया।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह की छठी योजना के निर्धारण में अपनाए गए दिशा निर्देश

2228. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और अन्य संघ क्षेत्रों की छठी पंचवर्षीय योजना के निर्धारण में योजना आयोग का मानदण्ड और दिशा-निर्देश क्या है;

(ख) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीप समूहों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के निर्धारण में इन दिशा निर्देशों को अपनाया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह की योजना पर 25 प्रतिशत की कटौती की गई;

(घ) क्या सरकार को अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के पिछड़ेपन और दूरवर्ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसके समग्र विकास के लिए योजना कार्यक्रमों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) : अंदमान निकोबार द्वीप समूह सहित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किएगए मार्गदर्शी सिद्धांतों में योजना आयोग ने विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रकों (जिनमें कृषि, सिंचाई और विद्युत् उत्पादन शामिल है), ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कार्यक्रमों, अनुसूचि जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यक्रमों तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र की भौगोलिक अवस्थिति और विशिष्ट समस्याओं के कारण उसकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को, जो अन्य संघ राज्य क्षेत्रों से कुछ अलग हैं, 1980-85 की छठी योजना के लिए संघ राज्य क्षेत्र के प्रारूप योजना प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करते समय ध्यान में रखा गया है।

(ग) योजना परिव्ययों में व्यापक कटौतियाँ नहीं की जाती हैं उपलब्ध संसाधनों और कार्यान्वियन की संभावना की तुलना में आवश्वकताओं का मूल्यांकन किया जाता है।

(घ) और (ङ) : माननीय सदस्य से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और उत्तर भेजा गया है। जब तक राष्ट्रीय विकास परिषद योजनाओं को अनुमोदित नहीं करती तब तक योजनाएं अन्तिम नहीं होती हैं।

हटिया श्रमिक संघ को मान्यता

2229. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या श्रम मन्त्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक शान्ति वनाए रखने के लिए शीघ्र ही हटिया श्रमिक संघ (एच० ई० सी० रांची) को जिसके सदस्यों की संख्या सत्यापन करने पर कहीं अधिक पाई गई, मान्यता देने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबन्धी कारण क्या हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी०वेंकट रेड्डी) (क) : यह मामला राज्य क्षेत्र में आता है । उपलब्ध सूचना के अनुसार हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में काम कर रही यूनियनों की सदस्यों की संख्या का हाल ही में सत्यापन नहीं किया गया है ।

(ख) : यह मालूम हुआ है कि भारी उद्योग विभाग ने इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया है तथा उनसे अनुरोध किया है कि एच० ई० सी० में काम कर रही सभी यूनियनों की तुलनात्मक संख्या का मूल्यांकन करें

गैर-सरकारी स्कूलों तथा ईंट-भट्टा उद्योग पर भविष्य निधि अधिनियम लागू करना

2230. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक उद्योगों को अभी तक भी कर्मचारी भविष्य निधि तथा विवध उपवन्ध अधिनियम की अनुसूची-एक और परिशिष्ट-क के अंतर्गत नहीं लाया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार ईंट-भट्टा, गैर-सरकारी स्कूलों और कालेजों अथवा यहाँ तक कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं जिनका उचित संचालन नहीं होता है जैसे उन उद्योगों को धीरे-धीरे उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिए अग्रिम योजना बनाने का है जिन्हें अभी तक इसके अन्तर्गत नहीं लाया गया है;

श्रम मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क)जी हाँ ।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध अधिनियम, 1952 को 30 नवम्बर, 1980 से ईंट उद्योग पर लागू किया गया । शैक्षणिक संस्थानों के अध्यापन और गैर-अध्यापन कर्मचारियों पर इस अधिनियम को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव भी विचाराधीन है । सरकार का इस अधिनियम के अधीन उत्तरोतर अन्य उद्योगों/प्रतिष्ठानों की श्रेणियों को लाने का विचार है, जो व्यवहार्य पाए जाए ।

लघु दियासलाई उद्योग को आयात लाइसेंस

2231 : **श्री के० राममूर्ति : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बदली परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है जिनके अन्तर्गत सरकार कार्ड बोर्ड की दियसलाई डिब्बियाँ बनाने वाली मशीन के आयात के बारे में 20 जुलाई, 1980 को तारांकित प्रश्न संख्या 658 के संदर्भ में लोक सभा में दिए गए आश्वासन का उल्लंघन करके शिवकाशी में लघु दियासलाई उद्योग को कार्ड बोर्ड की दियासलाई डिब्बियां बनाने

वाली स्वचलित मशीन का आयात करने के लिए आयात लासेंस मंजूर कर रही है; और

(ख) : क्या यह सुनिश्चत किया गया है कि इस तरह की मशीन आकार में छोटी होते हुए भी, इस देश में नहीं बनाई जा रही है;

उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) : कार्ड बोर्ड की दियासलाई डिब्बियां (बाहरी हिस्सा) बनाने के लिए फोर कलर आटोमेटिक आफ-सैट प्रिंटिंग मशीन के आयात हेतु मै० पायनियर प्रेस प्रा० लि०, शिवकाशी को आयात लाइसेंस मंजूर करने सम्बन्धी प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

औद्योगिक विवाद

2232. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक औद्योगिक विवाद को दायर करने में, इसे सुलझाने के लिए कारवाई करने में, इसे औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपने में और न्यायाधिकरण द्वारा इसके अन्तिम निपटारे में अनावश्यक देरी हुई;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार की देरी से असंतोष उत्पन्न होता है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को कष्ट उठाना पड़ता है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस प्रकार की देरी न्यूनतम करने के लिए सरकार का कार्यवाई करने का प्रस्ताव है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) से (ग) : औद्योगिक विवाद अधिनियम में संराधन, विवाचन और न्याय-निर्णयन की अवस्थाओं के माध्यम से किसी औद्योगिक विवाद पर कार्यवाही करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्यवस्था है । मामलों के शीघ्र निपटान के लिए, अधिनियम में संराधन अधिकारी द्वारा सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संराधन कार्यवाही के प्रारम्भ होने से 14 दिनों की विशेष समय-सीमा की व्यवस्था की गई है । इस अवधि को उस सीमा तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके बारे में विवाद के पक्षकार सहमत हो जाए ।

श्रम न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा विवादों के न्याय निणयन में देरी के बारे में असंतोष रहा है, क्योंकि मामलों के निपटान के लिए कोई समय सीमा नहीं है । औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने के लिए अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ समय सीमा निर्धारित करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

श्रमिकों के लिए बीमा-निधि

2233. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सच है कि बड़े तथा छोटे उद्योगों में औद्योगिक रुग्णता की प्रक्रिया कई वर्षों से बढ़ती जा रही है जिससे श्रमिकों को हानि हो रही है; और

(ख) क्या सरकार का विचार जबरन छुट्टियों, एककों के बन्द होने अथवा परिसमाप्त होने की सूरत में बेकार हो जाने वाले श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक बीमा निधि स्थापित करने का है ?

श्रम मन्त्रालय में उप-मन्त्री : **(श्री पी० वेंकट रेड्डी)** : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुग्ण सूचित किए गए उन यूनिटों की संख्या, जो एक करोड़ या उससे अधिक रुपये की नकद उधार सीमा का लाभ उठा रहे हैं, जून, 1979 में बढ़कर 345 हो गई जो मार्च, 1978 में 306 थी। अन्य औद्योगिक यूनिटों में रुग्णता की घटना के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में, जिसकी बैठक 23 और 24 अक्तूबर, 1980 को होनी थी, निधि के गठन पर विचार विमर्श करने के लिए एक मद थी, ताकि रुग्णता के कारण किसी उपक्रम के बन्द होने की सूरत में श्रमिकों को सहायता दी जा सके। इस निधि को, यदि आवश्यक हो, औद्योगिक एकक को चालू रखने के लिए काम में लाया जा सकता है। सम्मेलन के स्थगित हो जाने के कारण इस मद पर विचार नहीं किया जा सका।

साम्प्रदायिक हिंसा के बारे में जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री का वक्तव्य

2234. **श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री नित्यानन्द मिश्र : श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मन्त्री द्वारा 20 अक्तूबर, 1980 को दिये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने देश में साम्प्रदायिक दंगों पर रोक लगाने में केन्द्रीय सरकार की असमर्थता के लिए उसकी आलोचना की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जम्मू तथा कश्मीर

राज्य द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार जम्मू तथा कश्मीर के मुख्य मन्त्री ने कहा था कि देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक साम्प्रायिकता का कैंसर नष्ट न किया जाए और अल्पसंख्यकों को आदर तथा सुरक्षित जीवन का आश्वासन न दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का विशेष दायित्व है कि उनको साम्प्रदायिकतावाद को रोकने के लिए सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए।

(ख) साम्प्रदायिक शांति और सद्भाव बनाये रखने की आवश्यकता के प्रति सरकार सचेत और राज्य सरकारों को इस विषय पर मार्गदर्शी निदेश पहले ही समय-समय पर दिये जा चुके हैं। सरकार ने ऐसी किसी स्थिति से सख्ती, शीघ्रता और कारगर ढंग से निपटने का अपना संकल्प व्यक्त कर दिया है जिससे किसी स्थान पर कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए योजना

2235. **श्री राजेशकुमारसिंह** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रो के औद्योगिक विकास के लिए कौन-सी विशेष योजनाएं विचाराधीन हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजना के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने पर विचार किया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल : **(क) और (ख)** : उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योगों के संबंध के लिए, इस समय रियायती वित्त की स्कीम तथा निवेश सहायता और परिवहन सहायता की दो केन्द्रीय स्कीमें चल रही हैं। अल्मोड़ा, चमोली, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और उत्तर काशी के पहाड़ी जिले रियायती वित्त के लिए पात्र हैं। अल्मोड़ा जिला निवेश सहायता की केन्द्रीय स्कीम के लिए भी पात्र है।

योजना आयोग ने नवंबर, 1978 में, पहाड़ी क्षेत्रों सहित पिछड़े क्षेत्रों के समग्र प्रश्न पर विचार करने के लिए और उसके समाधान के लिए प्रभावी कार्यनीति का सुझाव देने के लिए, योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य श्री वी० शिवरामन की अध्यक्षता में पिछड़े क्षेत्रों के विकास से संबंधित एक राष्ट्रीय समिति स्थापित की थी। समिति ने अक्तूबर, 1980 के अन्तिम सप्ताह में 'औद्योगिक प्रकीर्णन' के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के परामर्श से इस रिपोर्ट की इस समय

जाँच की जा रही है। इस समिति की सिफारिशों की जाँच कर लिए जाने और उस पर सरकार द्वारा अन्तिम राय कायम कर लिए जाने के बाद ही उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीमों के मौजूदा संरूप में कोई परिवर्तन किए जा सकते हैं--

हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, आसनसोल में तालाबंदी

2236. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें सी० आई० टी० यू०, ए० आई० टी० यू० सी० और आई० एन० टी० यू० सी० यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से "हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, आसनसोल" में हुई तालाबन्दी, जिससे 1800 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं, के विरोध में भेजे गए दिनांक 3 जून, 1980 और 11 जुलाई, 1980 के ज्ञापन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला पश्चिम बंगाल की सरकार के ध्यान लाया गया, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन संबंधित सरकार होने के नाते से इस विषय से मुख्य रूप से संबंधित है। राज्य सरकार को, जिसने केन्द्रीय उद्योग मन्त्रालय से उक्त यूनिट को अपने अधिकार में लेने का अनुरोध किया था, अब उद्योय मन्त्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि उद्योग (विकास और विनयमन) अधिनियम के अधीन उक्त यूनिट को अधिकार में लिए जाने के लिए परिस्थितियाँ उचित नहीं हैं और यह कि पश्चिम बंगाल सरकार के श्रमायुक्त को सलाह दी जाए कि वह श्रमिकों और प्रबन्धकों के विवाद को निपटायें, ताकि तालाबन्दी समाप्त की जा सके और कारखाने में सामान्य स्थिति लाई जा सके।

अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम

2237, **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर (रोजगार और सेवा का शर्तों का विनियमन), अधिनिथम के कार्यकरण के मूल्यांकन के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो मूल्यांकन से क्या मुख्य निष्कर्ष निकले हैं।

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) और (ख) : अन्तरराज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम और उसके

अन्तर्गत बनाए गए केन्द्रीय नियम 22 अक्तूबर, 1980 को लागू किए गए। अतः इस अवस्था में अधिनियम/नियमों के मूल्यांकन करने का अभी समय नहीं है।

सेंट्रल एमूनिटर डीपो, पूलगांव कैम्प द्वारा पीतल की कतरनों का बेचा जाना

2238. **श्री सत्यनारायण भाटिया** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल एमूनिटर डिपो, पूलगाँव कैम्प ने 30 अगस्त, 1980 को सूर्य इंडस्ट्री, इन्डस्ट्रियल ऐस्टेट आगरा रोड, उज्जैन के नाम में प्लाट संख्या 1932 से 1952 तक के प्लाट को बेचा था; यदि हां, तो उसका मूल्य और मात्रा कितनी थी;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित "लाट" पीतल की कतरनों के नहीं बल्कि लोहे के हैं यदि हाँ, तो इन "लोटों" में लोहा कितने प्रतिशत था;

(ग) क्या उपर्युक्त माग (क) में उल्लिखित संस्थान ने वस्तुओं को अपने अधिकार में ले लिया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि चूंकि नीलामी सूची में दिखाई गई पीतल कतरनों की मात्रा वास्तव में उतनी न होने के कारण वस्तुओं को अधिकार में नहीं लिया गया; और

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित पीतल की किस्म के न होने की जिम्मेदारी किस व्यक्ति पर है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हाँ। बेची गई मात्रा 4200 किलोग्राम थी और इससे 69,300 रुपए वसूल हुए।

(ख) ढेर (लाट) मुख्यतः पीतल के कतरनों के थे। इन ढेरों में कुछ लोहे की मात्रा भी थी किन्तु उसका प्रतिशत मालूम नहीं है।

(ग) और (घ) : उस फर्म ने इन ढेरों को इस आधार पर नहीं लिया कि उनमें लोहे का प्रतिशत अधिक था।

(ङ) नीलाम द्वारा बिक्री की प्रणाली के अन्तर्गत सामान को जैसा है और जहां है, के आधार पर बेचा जाता है और बोली लगाने वालों को स्वयं अपनी सन्तुष्टि करनी होती है कि वे किस चीज के लिए बोली दे रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसी पर नहीं है।

छः घंटों की पारी

2239. **श्री जो० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सभी उद्योगों (सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों) में जिनमें तीन पारियों और दो पारियों में काम किया जाता है, कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) लगभग 33 प्रतिशत अथवा अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल सके इसके लिए क्या सरकार का विचार आठ घंटों की पारी के स्थान पर छः घन्टे की पारी करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) नवीनतम उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार वर्ष 1978 के लिए कारखानों में औसत दैनिक कामगरों की संख्या 63,58,000 थी। सरकार ऐसे कारखानों के बारे में जहां तीन पारियाँ और दो पारियां चलाई जाती हैं, अलग से आँकड़े नहीं रखती हैं।

(ख) और (ग) : अर्थव्यवस्था की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

फार्म/बागान श्रमिकों को बीमा सुविधाएं

2240. **श्री ए० ए० रहीम** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में फार्म श्रमिकों/कृषि श्रमिकों, विशेषकर बागान में काम करने वाले श्रमिकों को कुछ बीमा सुविधाएं देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ख) क्या देश में प्रोत्साहन-प्रधान श्रम पैदा करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही विचाराधीन है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) संभाव्यतः प्रश्न का आशय बागान श्रमिकों को दी जाने वाली स्वास्थ्य बीमा सुविधाओं की ओर है। बागान श्रम अधिनियम, 1951 में, जो राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है, बागान श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, बागान उद्योग से सम्बन्धित विभिन्न वाणिज्य बोर्डों में से कुछ ने अस्पतालों के निर्माण के लिए धन-राशि की व्यवस्था की है।

(ख) वर्तमान प्रोत्साहन योजनाओं में उजरती दर पर भुगतान, उत्पादन। उत्पादिता से सम्बन्द्ध बोतस आदि शामिल हैं।

प्रत्येक राज्य की प्रति व्यक्ति आय

2242. **श्री जितेन्द्रप्रसाद** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1970 और 31 मार्च, 1980 के दिन प्रत्येक राज्य की पृथक-पृथक प्रति व्यक्ति आय कितनी थी; और

(ख) उन राज्यों के लोगों की आय बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है जिनकी प्रति व्यक्ति आय तुलनात्मक रूप से कम है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वर्ष 1970-71 के लिए तुलनीय आधार पर केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा तैयार किए गए विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इसी प्रकार के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) विकास योजनाओं में, हरेक राज्य की स्थितियों के अनुसार कुछ विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। इन कार्यक्रमों में ये शामिल हैं :—पहाड़ी क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, रेगिस्तान क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लिए रियायती वित्त और निवेश सहायता के लिए स्कीमें। छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों जैसे लक्ष्यित समूहों की दशाओं को सुधारने के उद्देश्य से बनाई गई ग्रामीण विकास की कुछ अन्य स्कीमों से भी पिछड़े क्षेत्रों को लाभ पहुंचता है। पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास के विशेष कार्यक्रमों के लिए, इन दिशाओं में राज्य के अपने प्रयत्न को बढ़ाने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए फार्मूले में राज्य स्तर पर क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर करने के लिए, एक उपाय के रूप में, संसाधन अंतरणों की व्यवस्था की गई है। गाडगिल फार्मूले में केन्द्रीय सहायता का 10 प्रतिशत भाग ऐसे राज्यों के वितरण के लिए अलग निर्धारित कर दिया गया था, जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम थी। इस समय वितरित की जाने वाली केन्द्रीय सहायता के प्रतिशत को बढ़ाकर कुल सहायता का 20 प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव है। गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत विशेष समस्याओं के लिए सहायता के 10 प्रतिशत भाग को आवंटित करने में पिछड़े राज्यों में विशेष प्राथमिकता दी जाती है। जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है उनको छठी योजना की अवधि में अतिरिक्त बाजार ऋण की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है।

विवरण

उत्पादन लागत पर निवल राज्य देशीय उत्पाद (प्रति व्यक्ति), 1970-71
(वर्तमान कीमतों पर)

	राज्य	रु०
1.	आन्ध्र प्रदेश	586
2.	असम	570
3.	बिहार	418
4.	गुजरात	845
5.	हरियाणा	932
6.	हिमाचल प्रदेश	676
7.	जम्मू और कश्मीर	557
8.	कर्नाटक	675
9.	केरल	636
10.	मध्य प्रदेश	489
11.	महाराष्ट्र	811
12.	मणिपुर	408
13.	मेघालय	644
14.	नागालैंड	508
15.	उड़ीसा	541
16.	पंजाब	1067
17.	राजस्थान	629
18.	तमिलनाडु	616
19.	त्रिपुरा	563
20.	उत्तर प्रदेश	493
21.	पश्चिम बंगाल	729

केरल की तुलना में मध्यप्रदेश को सीमेंट का आवंटन

2243. **श्री दिलीपसिंह भूरिया :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए किस आधार पर सीमेंट का

तिमाही कोटा निर्धारित किया जाता है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने 1980 में सीमेंट का राज्य-वार कितना तिमाही कोटा आवंटित किया;

(ग) क्या यह सच है कि मध्यप्रदेश को सीमेंट का कोटा केरल जैसे छोटे राज्य को आवंटित कोटे से कम आवंटित किया जाता है जबकि केरल का क्षेत्रफल मध्यप्रदेश के बस्तर जिले के क्षेत्रफल से कम है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार प्रत्येक राज्य की आवश्यकता के अनुसार सीमेंट का कोटा आवंटित करने पर विचार करने का है; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार उन पिछड़े राज्यों को सीमेंट का अतिरिक्त कोटा आवंटित करने पर विचार करेगी जहाँ आदिवासी उपयोजना के अधीन निर्माण कार्य चल रहे हैं;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : राज्यों को सीमेंट का आवंटन प्रत्येक तिमाही में उनकी पिछली खपत और समग्र उपलब्धता के मानदण्डों के आधार पर किया जाता है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) राज्यों को सीमेंट का आवंटन पिछली खपत और सीमेंट की समग्र उपलब्धता के मानदण्डों के आधार पर ही किया जाता है न कि किसी राज्य विशेष के क्षेत्र के आधार पर। मध्य प्रदेश को किया जाने वाला सीमेंट का कुल आवंटन 1,58,400 मी० टन है जबकि केरल के लिए यह आवंटन 1,69,300 मी० टन है ।

(घ) चूंकि देश में सीमेंट की समग्र उपलब्धता मांग से कम है, अत: राज्यों की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा कर सकना अभी तक संभव नहीं है । उपलब्धता की स्थिति सुधर जाने पर ही राज्यों के आवंटन में वृद्धि करना संभव हो सकेगा जिसके लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ङ) तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के अतिरिक्त आवंटन के लिए प्राप्त अनुरोधों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है और यथासम्भव अधिक से अधिक मात्रा में आवंटन किया जाता है ।

विवरण

क्रमांक	क्षेत्र/राज्यों	(ह० मी० टनो में) वर्ष 1980 के दौरान सीमेंट आवंटन		
		प्रथम तिमाही जन० से मार्च	दूसरी तिमाही अप्रैल से जून	तीसरी तिमाही जुलाई से सित०
1	2	3	4	5
	उत्तरी क्षेत्र			
1.	हरियाणा	159.1	144.6	159.4
2.	राजस्थान	153.1	128.0	130.2
3.	उत्तर प्रदेश	498.6	437.6	459.7
4.	हिमाचल प्रदेश	26.7	26.4	37.2
5.	जम्मू और काश्मीर	39.6	49.6	48.6
6.	पंजाब	238.9	222.0	223.0
7.	चंडीगढ़	17.6	22.0	22.0
8.	दिल्ली	117.2	123.2	147.4
	दक्षिणी क्षेत्र			
9.	आन्ध्र प्रदेश	336.6	404.6	447.8
10.	तमिल नाडु	360.5	417.1	373.9
11.	कर्नाटक	264.2	266.0	229.5
12.	केरल	200.9	329.2	214.3
13.	पाँडिचेरी	11.0	11.0	11.0
14.	अंडमान और निकोवार	3.3	5.0	5.0
15.	लक्षद्वीप	1.9	1.9	1.9
	पश्चिमी क्षेत्र			
16.	गुजरात	391.0	367.0	376.5
17.	मध्य प्रदेश	168.4	186.9	186.4
18.	महाराष्ट्र	500.6	522.6	522.9

1	2	3	4	5
19.	गोवा, दमन और द्वीव	26.4	26.4	37.7
20.	दादरा नगर हवेली	2.8	2.8	3.0
पूर्वी क्षेत्र				
21.	असम	54.0	49.0	46.2
22.	बिहार	222.6	222.8	235.7
23.	उड़ीसा	133.4	94.2	81.4
24.	पश्चिम बंगाल	286.0	298.0	300.3
25.	मणिपुर	11.0	11.0	13.5
26.	नागालैंड	11.0	11.0	13.5
27.	अरुणाचलप्रदेश	13.0	13.0	13.0
28.	त्रिपुरा	11.0	11.0	11.0
29.	मेघालय	16.5	16.5	16.5
30.	सिक्किम	11.0	11.0	11.3
31.	मिजोरम	6.6	6.6	6.6

शिक्षित बेरोजगार

2244 **श्री के० ए० राजन : श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर के रोजगार कार्यालयों से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षित बेरोजगारों की राज्य-वार संख्या कितनी है, और

(ख) उसी तिथि को रोजगार कार्यालयों में राज्य-वार कुल कितने बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत थे ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई है ।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है ।

विवरण-1

30.6.1980 को चालू रजिस्टर पर शिक्षित रोजगार चाहने वाले (अन्तिम)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मैट्रिक	हायर सैकेंड्री अवर स्नातक	स्नातक	स्नातकोतर	योग
1	2	3	4	5	6
1. आन्ध्र प्रदेश	335848	151736	103527	10476	601587
2. असम	85041	30257	20474	282	136054
3. बिहार	462146	132480	112605	4388	711619
4. गुजरात	194569	22351	41997	274	259191
5. हरियाणा	105817	24180	32658	3552	166207
6. हिमाचल प्रदेश	50107	10043	7334	1133	68617
7. जम्मू व कश्मीर	7286	5171	5798	1571	19826
8. कर्नाटक	248656	38554	70684	5394	363288
9. केरल	568751	70319	66839	4947	710856
10. मध्य प्रदेश	32228	239359	66535	13516	351638
11. महाराष्ट्र	439348	53884	91699	9314	594245
12. मणीपुर	29990	9524	7970	658	48142

1	2	3	4	5	6
13. मेघालय	2562	1006	695	83	4346
14. नागालेंड	446	65	30	6	547
15. उड़ीसा	100866	22898	46741	1188	171693
16. पंजाब	120180	39274	52803	3796	216053
17. राजस्थान	56541	57490	44033	4983	163047
18. सिक्कम*	*	*	*	*	*
19. तामिल नाडु	299357	76627	93128	8365	477477
20. त्रिपुरा	19155	9843	4210	178	33386
21. उत्तर प्रदेश	271303	326031	159438	22963	779735
22. पश्चिम बंगाल	441332	470389	187840	5193	1104754

संघ राज्य क्षेत्र

1	2	3	4	5	6
1. अण्डमान व निकोवार द्वीपसमूह	1685	1111	525	37	3358
2. अरुणाचल प्रदेश*	*	*	*	*	*
3. चंडीगढ़	12589	6645	7011	1797	28042
4. दादरा तथा नगर हवेली*	*	*	*	*	*
5. दिल्ली	59391	100324	72767	7225	239707
6. गोवा	11133	1931	2505	140	15709
7. लक्षद्वीप	1090	60	68	15	1233
8. मिजोरम	360	6420	370	58	7208
9. पाँडेचेरी	12764	3466	2880	305	19405
अखिल भारतीय योग :	3970541	1911438	1303154	111837	7296970

नोट : (1)* इन राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है ।

(2) रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से बेरोजगार नहीं होते और पंजीकरण स्वैच्छिक होने के कारण सभी बेरोजगार व्यक्ति रोजगार कार्यालयों में अपना पंजीकरण नहीं करवाते हैं ।

(3) दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़कर विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्रों के आँकड़े शामिक नहीं है ।

विवरण 2

(लाखों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	30.6.1980 को चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या।
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	13.2
2. असम	3.3
3. बिहार	22.2
4. गुजरात	4.5
5. हरियाणा	3.4
6. हिमाचल प्रदेश	1.3
7. जम्मू व कश्मीर	0.5
8 कर्नाटक	5.7
9. केरल	13.7
10. मध्य प्रदेश	8.0
11. महाराष्ट्र	11.3
12. मणिपुर	1.0
13. मेघालय	0.1
14. नागालैंड	0.05
15. उड़ीसा	4.3
16. पंजाब	4.3
17. राजस्थान	3.3
18. सिक्किम*	*
19. तमिलनाडु	10.2
20. त्रिपुरा	0.7
21. उत्तर प्रदेश	13.7
22. पश्चिम बंगाल	22.5
संघ राज्य क्षेत्र	
1, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.09
2. अरुणाचल प्रदेश*	*

1	2
3. चंडीगढ़	0.6
4. दादरा व नागर हवेली*	*
5. दिल्ली	2.9
6. गोवा	0.3
7. लक्षद्वीप	0.04
8. मिजोरम	0.2
9. पांडेचेरी	0.4
अखिल भारतीय योग	157.8

नोट : 1. *इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है ।

2. रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से बेरोजगार नहीं होते और पंजीकरण स्वेच्छिक होने के कारण सभी बेरोजगार व्यक्ति रोजगार कार्यालयों में अपना पंजीकरण न करवाते है ।

3. दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़कर विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्रों के आंकड़े शामिल नहीं है ।

साइकिलों का मूल्य :

2245 : **श्री रामलाल राही** : क्या **उद्योग मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साइकिलों और उनके निर्माण में काम आने वाले पुर्जों पर उत्पादन शुल्क हटा लिए जाने के परिशाम स्वरूप साइकिलों की कीमत में कहाँ तक कमी आई है; और

(ख) उपभोक्ताओं को राहत मिल सके इसके लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) भारत में थोक मूल्यों के सरकारी सूचकाकों के अनुसार (आधार 1970-71—100) साइकिलों का सूचकांक, जो 14.9.1980 को 186.6 था, 15.11.1980 को घटकर 182.4 (अन्तिम) हो गया है ।

(ख) सरकार ने साइकिल तथा साइकिल के पुर्जों के निर्माताओं से उत्पादन शुल्क में मिलने वाली छूट के फलस्वरूप साइकिल तथा साइकिल के पुर्जों के खुदरा मूल्य में उसके अनुरूप कमी करने को कहा है ताकि उपभोक्ताओं को उसका पूरा-पूरा लाभ मिल सके ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना

2246. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : श्री वीरभद्र : श्री जय नारायण रौत : क्या योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार छठी योजना अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के 50 प्रतिशत लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) : छठी पंचवर्षीय योजना के लिए योजना के आधारस्वरूप में गरीबी की समस्य का प्रभावी हल ढूंढने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। सबसे अधिक गरीब वर्ग हैं भूमिहीन मजदूर, छोटे और मझौले किसान, ग्रामीण कारीगर, अनुसूचित जाति और अनुचित जन-जाति तथा सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग।

योजना के आधारस्वरूप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए पांचवीं पंच वर्षीय योजना में अपनाया गया क्षेत्र पर आधारित दृष्टिकोण जारी रहेगा। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनओं के निर्माण पर जोर दिया जाएगा। अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों और पिछड़े वर्गों के विकास का दृष्टिकोण वर्तमान प्रयत्नों को और तेज करने का होगा। उनकी मूल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पारिवारिक और परिवारोन्मुख कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे जिससे कि योजना निवेशों से सीधे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लाभ सुनिश्चित हो सकें। प्रधान मंत्री जी ने विभिन्न राज्य सरकारों को लिखें अपने 12 मार्च, 1980 के पत्र संख्या 281/पी० एम० ओ०/80 में यह निर्देश दिया है कि विशेष संघटक योजनाओं के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य यह होना चाहिए कि उससे राज्यों में अनुसूचित जाति के परिवारों को थोड़ी और विशिष्ट अवधि के भीतर, यदि संभव हो तो इस योजना की अवधि में ही कम से कम उनमें से आधे लोगों को गरीबी के स्तर को पार करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे एकक में बिजली के उत्पादन कावंद किया जाना

2247. **श्री जय नारांण रौत :**

श्री मनफूल सिंह चौधरी :

श्री हीरा लाल आर० परमार : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोटा के निकट राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे एकक में बिजली की जो वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किया गया था रोक दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री) सी० पी० एन० सिंह : (क) जी, नहीं । राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट में बिजली का तथा वाणिज्य स्तर पर उत्पादन मार्च, 1981 के अन्त तक शुरू होने की

(ख) आशा है ।

भारत और कुवैत द्वारा संयुक्त रूप से कागज और कागज की लुगदी परियोजनाओं की स्थापना

2248. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कुवैत के बीच कागज और कागज की लुगदी बनाने की परियोजनाओं की संयुक्त रूप से स्थापना करने के विषय पर विचार करने के लिए कोई वार्ता हुई है;

(ख) : यदि हाँ, तो क्या हाल ही में कुवैत का कोई प्रतिनिधि मंडल भी भारत की यात्रा पर आया था; और

(ग) : यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में किए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क), से (ग) : कुवैत के शिष्टमंडल की सितम्बर, 1980 की भारत यात्रा के समय औद्योगिक क्षेत्र में सहभागिता और सहयोग की संभावनाओं पर सामान्य चर्चा की गई थी । किन्तु यह प्रारम्भिक स्थिति की थी । भारत में लुगदी और कागज की सम्मिलित परियोजना स्थापित करने का कोई ठोस प्रस्ताव अभी तक नहीं है ।

हरिजन कल्याण के लिये विशेष संघटक आयोजना के अन्तर्गत योजनाएं

2249. **श्री अनादि चरण दास** : **क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरिजन समुदायों के कल्याण के लिए विशेष संघटक आयोजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा अनेक योजनाएं तैयार की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उड़ीसा में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं और 1980-81 के दौरान कार्यान्वित की जानी हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालयमें राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) :—यह सच हैं कि वे राज्य सरकारें, जिनके राज्य में काफी संख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है वहाँ विशेष संघटक योजनाएं बना रही है। प्रत्येक राज्य की इस विशेष संघटक योजना में राज्य की योजना से ली गई अनेक स्कीमें और कार्यक्रम शामिल है। विशेष संघटक योजना में विचार किया गया है कि अनुसूचित जाति विकास की संगत प्रत्येक क्षेत्रीय योजना का पता लगाया जाए और तैयार की जाए, निधियाँ निर्धारित की जाए और होने वाले लाभों का परिमाणन किया जाए। अन्य राज्यों की भांति उड़ीसा सरकार ने भी 1980-81 को अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना तैयार की है। इसमें सभी क्षेत्रों से कार्यक्रम शामिल है :—एककृत विकास कार्यक्रम, जैसे कृषि उत्पादन योजनाएें, जैसे छोटे औजारों प्रदर्शन स्थलों, हथकरघा बुनकरों और अन्य शिल्पकारों तथा दस्तकारों की स्कीमें, कुटीर तथा ग्रामोंद्योग, अनुसूचित जातियों के लिये पीने के पानी और आवास समेत सामाजिक और नागरिक सुविधाओं के लिए योजनाएं और शिक्षा के लिये कार्यक्रम।

राज्यों द्वारा तैयार की गई अनसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाओं के लिए भारत सरकार ने भी विशेष केन्द्रीय सहायता आरम्भ की है। विशेष केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जातियों के लिए राज्य योजना और कार्यक्रमों की संयोजी हैं और विशिष्ट योजनाओं के लिए योजाबद्ध ढांचे पर नहीं है। अनुसूचित जातियों के लिए वि शेष संघटक योजना सम्बन्धी प्रयत्न पूर्ण रूप से राज्य पर निर्भर है।

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

2250. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : **क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता पार्टी सरकार की शासन अवधि के दौरान कई स्वतन्त्रता सेनानियों को उनकी पेंशन से इस आधार पर वंचित कर दिया गया था कि उन्होंने अपने भोगे गए कष्टों को साबित करने के लिए जेल प्रमाण पत्र नहीं दिया था;

(ख) क्या ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों को जो जेल प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर सके (क्यों कि ब्रिटिश राज के दौरान अभिलेखों को नष्ट कर दिया गया था) क्या वे विधान

मंडलों के सदस्यों अथवा भूतपूर्व विधान मंडलों के सदस्यों से इस आशय का कि वे उनके साथ छः महीने तक जेल में रहे, प्रमाण पत्र दे सकते हैं;

(ग) कितने मामलों में तत्कालीन सरकार ने पेंशन रोकी अथवा रद्द की थी और क्या अब उसे पुनः शुरु कर दिया गया है;

(घ) क्या पेंशन में बढ़ोत्तरी और आय कर सीमा को हटाने आदि का पर्याप्त व्यापक प्रचार किया गया है;

(ङ) उन स्वतन्त्रता सेनानियों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी पेंशन मिल रही है और अभी लम्बित पड़े मामलों की संख्या कितनी है; और

(च) इस पर प्रति वर्ष होने वाला अनुमानित व्यय कितना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय पेंशन की पात्रता निर्धारित मानदंड और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा सम्बन्धित राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श करके निर्धारित की जाती है। केवल उन्हीं आवेदकों के दावे अस्वीकृत किये गए हैं जिन्होंने पूर्ण और अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की थी अथवा उनके मामलों की समीक्षा करने पर या किसी अन्य प्रकार से पेंशन देने के नियमों के अधीन अन्ततः पात्र नहीं पाये गये।

(ख) जी हाँ, श्रीमान्।

(ग) जब निम्नलिखित आधारों में से एक अथवा अधिक पर पेंशन की स्वीकार्यता के बारे में कोई ठोस संदेह उत्पन्न हो जाए तो अस्थाई रूप से स्वीकृत की गई स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन निलंबित/रद्द की जाती है :—

(क) आवेदक वास्तविक स्वतन्त्रता सेनानी न हो।

(ख) यातना छः महीने से कम हो।

(ग) यातना स्वतन्त्रता आन्दोलन के सम्बन्ध में न हो।

(घ) झूठे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हों।

(ङ) नजरबन्दी/निष्कासन/पलायन का समर्थन दस्तावेजो साक्ष्य द्वारा न किया गया हो।

(च) सभी स्रोतों से कुल आय 4999 रु० से अधिक थी, यह आय सीमा 1-8-80 तक निर्धारित थी परन्तु 1-8 80 से यह आय सीमा उदार पेंशन के अन्तर्गत हटा दी गई है।

1-11-1980 तक 5934 मामलों में पेंशन स्थगित की गई और 1055 मामलों में रद्द की गई। 1235 मामलों में पेंशन बहाल की गई।

(छ) जी हाँ श्रीमान्।

(ङ) 1-11-1980 तक स्वतन्त्रता सेनानियों से प्राप्त 2,49,768 आवेदनों में से 1,18,965 मामलों में पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है। पेंशन स्वीकृत करने के लिए कोई आवेदन प्रारम्भिक जांच के लिए लम्बित नहीं है। स्वतन्त्रता सेनानियों से दस्तावेजी साक्ष्य और/या सम्बन्धित राज्य सरकारों से रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण 37, 343 मामले फाइल कर दिये गये हैं। जैसे अपेक्षित सूचना प्राप्त होती है मामलों को अन्तिम रूप दे दिया जाता है और जब दावा पर्याप्त रूप से प्रमाणित हो जाए तो पेंशन स्वीकृत कर दी जाती है।

(च) लगभग 42.5 करोड़ रुपये।

बीजापुर, महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के उद्योग की स्थापना करना

2251 : **श्री के० बी० चौधरी : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बीजापुर जिला, महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र का एक प्रमुख केन्द्रीय उपक्रम की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ख) : यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) : सरकारी क्षेत्र की केन्द्रीय परियोजनाओं के स्थापना स्थलों के बारे में निर्णय तकनीकी आर्थिक बातों पर आधारित होते हैं। फिर भी चूँकि छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) अभी तैयार की जा रही है और इस पंचवर्षीय योजना में देश के औद्योगिक विकास कार्यक्रम के विवरणों पर, जिसमें कर्नाटक राज्य भी शामिल है अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

"पश्चिम बंगाल फिल्मों की अनिवार्य जाँच विधेयक 1979" के लिए केन्द्र की स्वीकृति

2252. **प्रो० रूपचन्द पाल :**

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "पश्चिम बंगाल फिल्मों की अनिवार्य जाँच विधेयक.

1979" केन्द्र सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों की स्वीकृति के लिए काफी समय से विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त विधेयक की स्वीकृति दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) :

(क) और (ख) : "पश्चिम बंगाल फिल्मों का अनिवार्य प्रदर्शन विधेयक, 1979" जो प्रारूप विधेयक के रूप में संविधान के अनुच्छेद 304 (ख) के परन्तुक के अधीन राज्य विधान मंडल में इसके प्रस्तुतीकरण से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के लिए प्राप्त हुआ था। विधेयक में राज्य के अन्दर व्यापार व वाणिज्य अथवा सम्पर्क की स्वतन्त्रता पर रोक लगाने का प्रस्ताव है और इसमें अनेक संवैधानिक तथा कानूनी मुद्दे अन्तर्ग्रस्त हैं। इन पर विचार किया जा रहा है।

रक्षा अनुसन्धान संगठन द्वारा प्राप्त किये गये "पेटेन्ट्स"

2253. **श्री के०टी० कोसलराम : क्या रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 30 वर्षों के दौरान रक्षा अनुसन्धान और विकास संगठन में कार्य कर रहे लगभग 35,000 वैज्ञानिकों द्वारा केवल 6 "पेंटेन्ट्स" ही प्राप्त किये गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो रक्षा अनुसन्धान संगठन में अनुसंधान कार्यों में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) : जी नहीं। रक्षा अनुसन्धान और विकास संगठन का मुख्य कार्य सेनाओं की आवश्यकताओं के लिए हथियारों और उपस्करों का डिजाइन बनाना और उनका विकास करना है। इसके लिए एकाधिकार-पत्र (पेटेंट) लेने की परिपाटी नहीं है। फिर भी, कुछ मदों जो सिविल प्रयोग में भी आती हैं, को पैटेंट कर दिया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अब तक ऐसी 101 मदों के लिए एकाधिकार-पत्र ले चुका है।

महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा विवाद

2254. **श्री ए० टी० पाटिल :**

श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को शीघ्र हल करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद केवल सम्बद्ध राज्य सरकारों के स्वैच्छिक सहयोग से ही हल किया जा सकता है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को सभी प्रकार की सहायता देने में प्रसन्नता होगी ।

रंगीन टेलीविजनों का निर्माण करने हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन

2255. **डा० बसन्तकुमार पंडित** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में रंगीन टेलीविजन का निर्माण करने हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए सरकार को भारत की तथा विदेशों की विभिन्न फर्मों से अनेक आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी सभी फर्मों के क्या-क्या नाम हैं जिन्हें रंगीन टेलीविजन का निर्माण करने हेतु लाइसेंस/आशय पत्र प्रदान करने के लिए उनके आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या यह सच है कि निर्माण के प्रथम चरण में सरकार रंगीन टेलीविजन की तकनीकी जानकारी तथा इलेक्ट्रिक उपकरणों के सुगम आयात की अनुमति प्रदान करेगी; और

(घ) क्या कोई लाइसेंस प्रदान किए जा चुके हैं, यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, उनकी क्षमता कितनी है और इनके स्वदेशी निर्माण का चरणबद्ध भारतीयकरण करने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी०पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) : रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए निम्नलिखित दो फर्मों से आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं :

1) मैसर्स राजस्थान इंडस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन, जयपुर ।
2) मैसर्स इंडो नेशनल लिमिटेड, मद्रास ।

(ग) सरकार ने रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण शुरू करने का निर्णय नहीं किया है, इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिए कोई भी औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिए गए हैं ।

नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए योजना

2256. **श्री वी०एस० विजयराघवन :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए कोई योजना स्वीकृत की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) : कॅयर उद्योग के 1980 से 85 की अवधि के योजना परिव्ययों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

ईस्ट इण्डिया फोटोग्राफिक ट्रेडर्स एसोसिएशन लि० का अभ्यावेदन :

2257. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ईस्ट-इण्डिया फोटोग्राफिक ट्रेडर्स एसोसिएशन लि०, 43, लेनिन सरनी, कलकत्ता-13 से एच० पी० एफ० द्वारा इस ऐसोसिएशन को फोटोग्राफिक सामग्री सप्लाई किए जाने के बारे में दिनांक 31 अक्तूबर, 1980 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हाँ ।

(ख) इस सम्बन्ध में जांच की गई और यह पाया गया कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स द्वारा इस एसोसिएशन को सीधे ही फोटोग्राफी के माल की सप्लाई करना सम्भव नहीं है ।

भारतीय अन्तरिक्ष विभाग द्वारा धन का अर्जन

2258. **श्री के० मालन्ना :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय अन्तरिक्ष विभाग ने, अपने अन्तरिक्ष कार्यक्रम

की अनेक पूर्णतया वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों के श्रेय के अतिरिक्त, अब धन का अर्जन करना भी आरम्भ कर दिया है: और

(ख) यदि हाँ, तो भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों का ब्यौरा क्या है और इसने विदेशी मुद्रा का अर्जन करने के लिए निर्यात बाजार में कहां तक प्रवेश किया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी०पी०एन० सिंह) : (क) और (ख) : जबकि यह विभाग धन का अर्जन करने के उद्देश्य से किसी प्रकार की उत्पादन गतिविधियाँ नहीं चला रहा है, इसने अपने कार्यक्रमों के दौरान विकसित प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों को अन्य उपयुक्त एजेन्सियों को अन्तरित करने का प्रयास किया है। इनका ब्यौरा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है। विभाग ने विदेशी मुद्रा का अर्जन करने के लिए निर्यात बाजार में प्रवेश नहीं किया है।

डालमियां दादरी सीमेंट फैक्ट्री में हानि और उसका अधिग्रहण :

2259. **श्री अशोक गहलोत** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डालमिया दादरी सीमेंट फैक्टरी लि०, भिवानी, हरियाणा की वर्तमान तालाबंदी की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस फैक्टरी का अधिग्रहण करने का है;

(ग) इस फैक्टरी की दैनिक उत्पादन क्षमता कितनी है और फैक्टरी के बन्द हो जाने से लेकर अब तक देश को सीमेंट के उत्पादन की कितनी हानि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस फैक्टरी में पुनः कब काम शुरू हो जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) इस कम्पनी के प्रबन्धकों द्वारा यह कारखाना मार्च 1980 से बन्द कर दिया गया था और तभी से यह बन्द पड़ा हुआ है।

(ख) से (ङ) : इस सीमेंट कारखाने के पुनः चालू करने के संदर्भ में उसकी आर्थिक जीव्यता की जांच करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई थी जिसकी रिपोर्ट मिल चुकी है। रिपोर्ट पर आगे कार्यवाही करने के प्रश्न पर जांच की जा रही है। संयंत्र की लाइसेंसीकृत वार्षिक क्षमता 2.39 लाख मी० टन सीमेंट है तथा विगत कुछ महीनों से जब से यह कारखाना बन्द पड़ा है, इसमें कुछ भी उत्पादन नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश में गोली कांड में मरे व्यक्ति

2260. **श्री अशरफाक हुसन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में 13 अगस्त, 1980 को, नगर-वार, पुलिस, प्रादेशिक सशस्त्र सेना, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अथवा सेना द्वारा गोली चलाये जाने के कारण कितने व्यक्ति मरे; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने मृतकों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया है, यदि हाँ, तो कितनी राशि का मुआवजा दिया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

लघु और सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए पृथक योजना

2261. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में लघु और सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए पृथक योजनाएं बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) : 23 जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति विवरण में यह कहा गया है कि "औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए प्रत्येक जिले का पता लगाकर हर एक में कुछ केन्द्रस्थ संयंत्रों की स्थापना करके आर्थिक संघवाद की धारणा को बढ़ावा देने का विचार है" । केन्द्रस्थ संयंत्र से सहायक एककों के रूप में आगे पीछे दोनों ओर सम्पर्क स्थापित हो सकेगा, साथ ही वह बड़ी संख्या में लघु एककों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को एकत्र भी करेगा ।

इस योजना के अनुषंगी प्रभाव से रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे, विनियोजन का फैलाव होगा तथा क्षेत्र के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी । इससे लघु उद्योगों की प्रौद्योगिकी के अन्नयन में भी सहायता मिलेगी तथा क्षेत्र का तेजी से आर्थिक विकास हो सकेगा । इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित किए हुए है ताकि हर राज्य के लिए सम्पूर्ण तथा अलग-अलग प्रस्ताव बनाए जा सकें । फिर भी, अन्तिम रूप से अभी कोई भी औपचारिक योजना नहीं बनाई गई है ।

तीसरी नागा गुरिल्ला सेना

2262. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि चीन में प्रशिक्षित तृतीय नागा गुरिल्ला सेना पुन: दल बना रही है और नागालैंड में प्रकट हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उन की संख्या कितनी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : सरकार ने इस आशय के प्रेस समाचार देखे हैं। परन्तु ये समाचार चीन से लौटे नागा विद्रोही गिरोह जो हमारी सीमाओं के पार वर्मा में ठहरे हुए हैं के बीच दल सम्बन्धी लड़ाइयों के प्रसंग में है।

सरकार इस पर कड़ी निगरानी रखे हुए है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सतर्कता को गहन करने और सुरक्षा कड़ी करने के अनुदेश जारी कर दिये हैं।

पंजाब में छोटी कार के कारखाने की स्थापना करना

2263. **श्री देवेन्द्रसिंह गरचा** :

श्री तारिक अनवर : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से विदेशी सहयोग से छोटी कार का निर्माण करने के लिए एक कारखाने की स्थापना के लिए आशय-पत्र देने का आग्रह किया है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या पंजाब सरकार को इसकी अनुमति दी गई है,

(ग) इस छोटी कार की लागत कितनी होगी, और

(घ) इस छोटी कार में पैट्रोल और डीजल की खपत कितनी होगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड जो कि राज्य सरकार का एक उपक्रम है, ने विदेशी सहयोग से यात्री कारें बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) आवेदक ने बताया है कि यात्री कार का कारखाने से निकलते समय का

मूल्य 30,000/- रु० प्रति गाड़ी होगा।

(घ) इन ब्यौरों का उल्लेख नहीं किया गया है।

सीमेंट के मूल्य का पुनरीक्षण करने के लिए मांग

2264. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट उद्योग ने सीमेंट के मूल्यों का और आगे पुनरीक्षण करने की माँग की है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) : 3 मई 1980 से सीमेंट के संधारण मूल्य संशोधित कर पुनः निर्धारित किए गए थे। सीमेंट उत्पादक संघ ने अभ्यावेदन किया है कि मूल्यों में अनुमत बढ़ोतरी अपर्याप्त है और लागत में जो बढ़ोतरी हुई है वह इससे पूरी नहीं होती है। इस अभ्यावेदन की जांच की जा रही है।

साम्प्रदायिक दंगों के बारे में प्रतिवेदन

2265. **श्री अमरराय प्रधान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार ने हाल में हुए साम्प्रदायिक दंगों की कोई जांच करने का आदेश नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 15 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद में हुई घटनाओं की जांच-पड़ताल करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन एक जिला जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया है। जांच आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही केन्द्र और राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ले सकेंगी।

आदिवासी कल्याण के लिए आदिवासी उप-योजनाएं

2266. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने छठी योजना के अंतर्गत आदिवासियों के कल्याण के लिए आदिवासी उप-योजनायें आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य की ऐसी उप-योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनका कुल परिव्यय क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक राज्य में कितनी आदिवासी जनसंख्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) आदिवासी उप-योजनाओं में सुरक्षात्मक और विकासात्मक दोनों उपाय शामिल हैं । आदिवासी उप योजना के लिए परिव्यय राज्य योजनाओं से, विशेष केन्द्रीय सहायता क्षेत्रीय परिव्यय केन्द्रीय मंत्रालयों और संस्थागत वित्त से होता है । छठी पंच-वर्षीय योजना में आदिवासी उप-योजना के लिए कुल परिव्यय का पता योजना आयोग में वर्तमान योजना के विचार-विमर्श को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात लगेगा ।

(ग) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की उप योजना में कुल आदिवासी जनसंख्या का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

उपयोजना राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आदिवासी जनसंख्या का विवरण

क्रम सं०	राज्य	1971 की जनगणना के अनुसार आदिवासी जनसंख्या (लाखों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.58
2.	असम	16.07
3.	बिहार	49.33
4.	गुजरात	37.34
5.	हिमाचल प्रदेश	1.42
6.	कर्नाटक	2.31
7.	केरल	2.69
8.	मध्यप्रदेश	83.87
9.	महाराष्ट्र	29.54
10.	मणिपुर	3.34

1	2	3
11.	उड़ीसा	50.72
12.	राजस्थान	31.26
13.	तामिलनाडु	3.12
14.	त्रिपुरा	4.51
15.	उत्तर प्रदेश	1.99
16.	पश्चिम बंगाल	25.33
17.	सिक्किम	*
18.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	0.18
19.	गोवा, दमन तथा द्वीव	0.07
	योग :	359.67

*अनुसूचित जनजातियाँ केवल 1978 में विनिर्दिष्ट की गई थी। जनसंख्या लगभग 0.52 लाख है।

राजस्था में सरकारी क्षेत्र में सीमेंट का कारखाना स्थापित किया जाना

2267. : **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के दक्षिणी भाग में चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है,

(ख) क्या सरकार का विचार राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में सीमेंट का एक कारखाना स्थापित करने का है, और

(ग) यदि हाँ, तो वह राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड जो राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है, को कठपुतली (जिला जयपुर), अलीरोद आखरा (जिला सिरोही) विलारा (जिला जोधपुर), नीम-का-थाना (जिला सीकर), तथा जयतरन (जिला पाली) में 5 लघु (मिनी) सीमेंट संयंत्रों तथा गोतान (जिला नागौर) में सफेद सिमेंट के एक संयंत्र की स्थापता के लिएआशय-पत्र जारी किये गए हैं।

ई० टी० टी० डी० सी० की कुल बिक्री

2268. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :—

(क) मूल अनुमानों की तुलना में गत तीन वर्षों में इलेक्ट्रांनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम की कुल बिक्री कितनी हुई और इस कमी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कम्पनी को समुचा लाभ टेलीविजन ट्यूब जैसी सरणी-बद्ध मद से होता है; और

(ग) सरणीबद्ध मदों और इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा आर्डर की गई मदों तथा अन्य मदों के आयात का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) : मूल अनुमानों की तुलना में इलेक्ट्रांनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम की कुल बिक्री निम्न प्रकार से है :—

	1977-78	1978-79	1979-80
		(करोड़ रुपयों में)	
लक्ष्य	12.50	16.50	15.00
वास्तविक	11.54	12.19	10.65

बिक्री में हुई कमी के कारण इस प्रकार हैं : दुर्घटना के कारण खुले सागरों में माल की हानि का होना विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं द्वारा माल भेजने में विलम्ब करना, तकनीकी समस्याओं का सामना करने के कारण स्वदेशी निर्माताओं द्वारा निर्यात आदेशों को पूरा करने में विलम्ब करना तथा उनमें निर्यात के लिए उत्पादन क्षमता की कमी का होना, पूर्व यूरोपियन देशों के साथ द्विपक्षी व्यापारिक अनुबन्धों में समस्यओं का सामना करना । कुछ मामलों साख-पत्रों के प्राप्त होने में देरी के परिणामस्वरुप भी निर्यात आदेशों को कार्यन्वित करनेमें विलम्ब हुआ है

(क) तथा (ग) : जी, नहीं । कम्पनी में होने वाली बिक्री, इनमें सरणीबद्ध मदों के संघटक-पुर्जों और कराधान के पश्चात् होने वाले शुद्ध लाभ के निम्न ब्योरे से यह पता चलता है कि कम्पनी को होने वाला समूचा लाभ केवल सरणीबद्ध मदों से ही नहीं होता ।

	1977-78	1978-79 (करोड़ रुपयों में)	1979-80*
(1) सरणीबद्ध मदें	5.94	6.41	5.37
(2) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा आर्डर दी गई मदें	1.27	1.75	1.15
(3) अन्य	4.33	4.03	4.13
कुल	11.54	12.19	10.65
कराधान के पश्चात् होने वाला वास्तविक लाभ (लाखरुपयों में)	20.24	27.75	24.15*

*आँकड़े अन्तिम और लेखा परीक्षा के अधीन हैं।

'भेल' की अपनी वचन बद्धताएं पूरी करने में असफलता

2269. **श्री रसीद मसूद : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भेल को अपनी वचनबद्धता पूरी करने में असफलता के कारण देश के बिजली एककों में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता की स्थापना में पर्याप्त विलम्ब हुआ है और इससे विद्युत एककों को समय पर रखरखाव में भी रुकावट आई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो देश में विद्युत क्षेत्र की वचनबद्धताएं पूरी करने में 'भेल' किस सीमा तक असफल रहा है और अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में इसके विभिन्न एकक इस समय कितना उत्पादन कर रहे हैं;

(ग) भेल के इन एककों के उत्पादन में बाधाओं के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने बाधाएं दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) : यह सच नहीं है कि भेल को अपनी वचनबद्धता पूरी करने में असफलता के कारण देश के बिजली एककों में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता की स्थापना में काफी विलम्ब हुआ है और विद्युत एककों की समय पर रखरखाव में भी रुकावट आई है। किन्तु कुछ मामलों में शुरु से वचनबद्ध डिलीवारियों के सम्बन्ध में सम्भरण विलम्ब से हुआ है लेकिन इन विलम्बों से एककों के चालू होने पर, कुल मिलाकर, प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) वेगनों की अनुपलब्धता, बन्दरगाहों पर विलम्ब, बिजली में कटौती, जिससे

भेल और इसके उप-ठेकेदारों के उत्पादन पर असर पड़ा है, आयातित हिस्सेपुर्जों/ सामाग्री प्राप्त करने में विलम्ब के कारण विगत समय में मुख्यत: विलम्बी हुआ है ।

(घ) कुल मिला कर, भेल के पास विद्युत क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त क्षमता है । किन्तु जहाँ नई मदों के लिए क्षमता का विस्तार या सृजन करना आवश्यक होता है वहाँ भेल/सरकार आवश्यक कार्रवाई करती रही है ।

परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय निवेश की मात्रा

2270. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनाओं की स्थापना के लिए 1975 से विभिन्न राज्यों में वर्ष-वार तथा राज्य-वार केन्द्र द्वारा कितना निवेश किया गया; और

(ख) क्या आगामी पांच वर्षों में ऐसे निवेश के लिए किन्हीं योजनाओं पर विचार किया जा रहा है अथवा उनको स्वीकृति दी जा रही है और यदि हाँ, तो वे किस प्रकार की हैं और प्रस्तावित केन्द्रीय निवेश की राज्यवार राशि कितनी हैं ?

रक्षा मंत्रलाय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) : संलग्न विवरण में 1975 से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों (विभागीय उद्यमो को छोड़कर) की संपत्ति का मूल्य (सकल ब्लाक) बताया गया है ।

(ख) अगले पांच वर्षों के लिए निवेश से सम्बनधित निर्णयों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

विवरण

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों (विभागीय उद्यमों को छोड़कर) की संपत्ति का मूल्य (सकल ब्लाक)

	31 मार्च, 1975 को	31 मार्च, 1976 को	31 मार्च, 1977 को	31 मार्च, 1978 को	31 मार्च 1979 को
					करोड़ रु०
1. आन्ध्र प्रदेश	269.0	310.9	390.7	489.7	513.9
2. असम	198.5	271.9	312.9	370.7	382.7
3. बिहार	1671.8	1882.8	2509.1	2815.3	2877.0
4. दिल्ली	222.8	274.9	400.7	356.3	427.8
5. गुजरात	301.3	432.5	523.4	626.9	762.2
6. हरियाणा	19.4	51.6	142.7	144.7	213.9
7. हिमाचल प्रदेश	0.9	4.2	11.8	87.5	107.6
8. कर्नाटक	186.8	212.0	268.2	414.4	529.8
9. केरल	202.2	246.8	274.1	325.5	382.7
10 मध्य प्रदेश	837.6	1366·3	1492.7	1793.6	1846.1
11. महाराष्ट्र	306.4	371.5	630.3	909.2	976.6
12. उड़ीसा	577.0	619.6	646.5	654.4	710.3

	31 मार्च, 1975 को	31 मार्च, 1976 को	31 मार्च, 1977 को	31 मार्च, 1978 को	31 मार्च, 1979 को
13. पंजाब	77.5	165.2	197.8	225.7	344.5
14. राजस्थान	160.2	187.7	227.1	277.1	292.0
15. तमिलनाडु	384.5	498.6	466.9	563.4	615.8
16. उत्तर प्रदेश	256.5	305.3	376.2	486.9	658.1
17. पश्चिम बंगाल	785.3	566.0	768.3	1058.8	1082.0
18. जम्मू व कश्मीर	6.9	7.2	5.7	5.8	6.2
19. गोवा	2.9	2.9	3.3	4.9	5.4
20. दिल्ली को छोड़कर अन्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	8.8	11.8	67.9	107.5	130.2
21. अनावंटित	947.6	1322.3	1734.9	1986.8	280.22
22. जोड़	7423.9	9110.3	11451.2	13705.3	15667.9

स्रोत : केन्द्रीय सरकार (सरकारी उद्यम ब्यूरो, वित्त मंत्रालय) के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों के कार्यकरण की वार्षिक रिपोर्ट

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारी

2271. **श्री त्रिदिब चौधरी : क्या गृह मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कितने मामले में गिरफ्तारी के आदेशों की, इन आदेशों समीक्षा के लिए विभिन्न राज्यों में बनाए गए सलाहकार बोर्डों द्वारा पुष्टि की गई और उनका राज्यवार और संघ क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) कितने मामलों में इन आदेशों की सम्बन्धित राज्य और संघ क्षेत्र के प्रशासनों ने स्वत: संवीक्षा की और गिरफ्तार लोगों को रिहा किया ?.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 24. 11. 80 तक विभिन्न राज्यों/संघ शामिल क्षेत्रों में जैसा कि नीचे दिखाया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 के अन्तर्गत की गई नजरबन्दियों के 24 मामलों की परामर्शदात्री बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई थी ।

1. मणिपुर	1
2. उत्तर प्रदेश	15
3. दिल्ली	8
	24

(ख) उपरोक्त 24 मामलों में से किसी की भी सरकार द्वारा स्वयं ही उपर्युक्त समीक्षा नहीं की गई थी ।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को उपकरणों के आयात की अनुमति

2272. **श्री पी० के० कोडियन : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को) को आक्सीजन संयंत्र के लिए उपकरणों के आयात को अनुमति दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

क्या 3 अक्तूबर, 1980 के "बिजनेस स्टैण्डर्ड" में इस सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो विवरण क्या है और उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हाँ ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) विभिन्न पहलुओं जैसे निधि का ढाँचा, डिलीवरी की अवधि, तकनीकी दक्षता पर गारण्टी को ध्यान में रखने के बाद आयात की अनुमति देने का निर्णय किया गया था । समाचार में लगाए गए आरोप निराधार हैं ।

विवरण

आवेदित पूंजीगत सामान का ब्यौरा—मशीने तथा उपकरण

(1) विवरण	आई० टी० सी० संख्या	मात्रा	योग एफ० ओ० बी० मूल्य (रु०)	स्रोत
	84.66	2 नग 250 मी० टन) प्रतिदिन के आक्सीज़न) संयंत्र हेतु मशीनें तथा उपकरण)	रु० 1072.303 लाख	ब्रिटेस, फ्रास, पश्चिमी जर्मनी
(2) प्रारम्भिक फालतू पुर्जों का मूल्य		:	103.608 लाख रु०	
(3) अनुमानित भाड़ा		:	95.837 लाख रु०	
(4) बीमा		:	11.759 लाख रु०	
(5) कुल सी० आई० एफ० मूल्य (उपर्युक्त कालम 1 से 4 का योग)		:	1315.595 लाख रु०	
(6) विदेशी मुद्रा में		:	डी० एम० 8,314,167	
			एफ० एफ० 4,393,316	
			पोण्ड 4,938,675	
विनिमय-दरें		:	100 रु/- = पौण्ड 5.6555	
			= डी० एम० 23.10	
			= एफ० एफ० 53.30	
(7) विदेशी मुद्रा में देय एजेण्ट का कमीशन, यदि कोई हो, ।		:	रिजर्व बैंक के पत्र सं० ई० सी०/ सी० टी०/233-57-वी०-78 दिनांक 4-1-78 के अनुसार टाटा लिमिटेड, लन्दन को उपकरणों और पुर्जो केएफ० ओ० बी० मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत ।	

मातृत्व लाभ अधिनियम

2273. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के संचालन में ऐसी अनेक कमियों का पता है जिनका लाभ उठाकर नियोक्ता हजारों महिला श्रमिकों को मातृत्व संबंधी राहतों से वंचित कर देते हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में महिलाओं का दर्जा समिति द्वारा की गई तथा प्रमुख महिला संगठनों द्वारा समर्थित इस सिफारिश को स्वीकार करने पर विचार कर रही हैं कि मातृत्व संबंधी राहत दिलाने का सुनिश्चिय करने के लिए नियोक्ताओं से अंशदान लेकर केन्द्रीय निधि बनाई जाये और उक्त निधि का उपयोग कर्मचारी राज्य बीमा योजना की पद्धति-अनुसार किया जाये ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) खानों या सरकस को छोड़ कर प्रतिष्ठानों में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के उपबन्धों कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जो अधिनियम के अधीन संबंधित सरकारें हैं। इस अधिनियम की कार्य-प्रणाली में कोई मुख्य दोष ध्यान में नहीं आए हैं।

(ख) सिफारिश पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति

2274. **श्री तारिक अनवर : श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति निरन्तर बिगड़ रही है,

(ख) क्या यह भी सच है कि गत कुछ दिनों के दौरान लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली और ऐसी ही अन्य कालोलियों में जहां अधिकांशतया सरकारी कर्मचारी रहते हैं, चोरी और डकैती की कई घटनाएं हुई हैं और पुलिस अब तक इन अपराधियों का पता लगाने में असफल रही हैं, और

(ग) यदि हाँ, तो पुलिस को अधिक सर्तक बनाने और नागरिकों में सुरक्षा की भावना लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) चालू वर्ष में 15 नवम्बर, 1980 तक भा०दं०सं० के 33375 मामले सूचित किए गए हैं जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 38628 मामले थे।

(ख) 16 अक्तूबर से 15 नवम्बर, 1980 की अवधि के दौरान लक्ष्मीबाई नगर से चोरी के 4 मामले सूचित किए गए और लूट मार का कोई मामला सूचित नहीं किया गया। इस अवधि के दौरान अधिकतर सरकारी कर्मचारियों की कालोनियों में लूटमार के 6 मामलें और चोरी के 388 मामले सूचित किए गए हैं।

(ग) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) मोटर साईकिलों सहित वायरलैस लगे वाहनों की डकैती विरोधी और लूटमार विरोधी गश्त बढ़ा दी गई है और सामरिक महत्व के स्थानों पर "नाका वन्दी" आयोजित की गई।

(2) संवेदनशील स्थानों पर पुलिस टुकड़ियाँ तैनात की गई हैं।

(3) आसूचना एकत्र करने के लिए उपाय किए गए हैं।

(4) इन अपराधियों से पूछताछ करने के लिए जिनकी कार्यपद्धति समान है, अपराध रिकार्ड देखे गए हैं।

(5) रात दिन गश्त लगाई जाती है और चुने हुए स्थानों पर अवरोधक लगाए जाते हैं जहां पर रात को वाहन का निरीक्षण किया जाता है।

एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार विकासशील उद्योग

2275. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील उद्योगों में एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार सम्बन्धी प्रतिबन्धों में छूट दी गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र के बड़े उपक्रमों के मामले में अपने दृष्टिकोण में उदारता नहीं बरती है। किन्तु सरकार का उद्देश्य सरकार की सामाजिक आर्थिक नीति सम्बन्धी ढांचे के भीतर क्षमता का इस्टतम उपयोग व उत्पादन को अधिकतम करना है।

इस उद्देश्य के लिए सरकार ने 34 उद्योगों की एक सूची की घोषणा की है जिसमें कोर, आधरिक और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सामरीक महत्व के उद्योग हैं अथवा उनसे सम्बद्ध या निर्यातोन्मुख उद्योग सम्मिलित हैं। इन उद्योगों को 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष की अवधि में 25 प्रतिशत तक सीमित स्वतः विकास अनुमति दी जाएगी। किन्तु प्रभुत्ववाली कम्पनियां स्वतः यह सुविधा प्राप्त नहीं कर सकेंगी। उनके मामलों पर प्रयोज्य

कानूनों अर्थात एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम तथा उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के अधीन एक युक्तियुक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत विचार किया जायेगा ।

निर्यातोन्मुख उत्पादन को अधिकतम करने के एक भाग के रूप में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार णधिनियम के अन्तर्गत "प्रभुत्व" की गणना करते समय निर्यातों की छोड़ दिया जाएगा ।

महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों का सर्वेक्षण

2276. **श्रीमती प्रमिला दन्डवते** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा महिलाओं के बिरुद्ध हो रहे अपराधों के संबंध में एक व्यापक सर्वेक्षण करवाने के लिए कोई कदम उठाए गए है;

(ख) क्या पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो द्वारा इस सम्दन्ध में कोई परियोजना अध्यन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : जी हां श्रीमान । पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो ने "महिलाओ के प्रति अपराध" नामक एक सर्वेक्षण किया है ।

(ग) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से वर्ष 1977, 1978 तथा 1979 के अपेक्षित आँकड़े एकत्र करने का कार्य प्रगति पर है ।

कागज के उपयोग में किफायत

2277. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज के उत्पादकों तथा वितरकों द्वारा बार-बार कागज की बचत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया ।

(ख) क्या सरकारी तथा निजी कार्यालयों में कागज की बर्बादी के अतिरिक्त चुनावों के दौरान और हाल ही के विद्यार्थी चुनावों में कागज का अपव्यय किया गया था और राजधानी में दीवारों, पेड़ों और बसों आदि पर हर जगह पोस्टर लगाए गए थे; और

(ग) क्या भविष्य में कागज के सम्भावित अकाल को रोकने के लिए सरकार कागज की बचत करने के सम्बन्ध में गम्भीर रूप से विचार करना और इस बारे के एक कानून बनाना चाहती है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) उत्पादकों तथा वितरकों से ऐसा कोई विशेष अभ्यावेदन नहीं मिला है जिसमें कागज बचाए जाने की जरूरत पर लगातार जोर दिया गया हो ।

(ख) सरकार को सरकारी तथा निजी कार्यालयों में कागज बर्बाद किये जाने के बारे में तथा राजधानी में हुए छात्रों के चुनाव में भी कागज की फिजूल खर्ची के बारे में पता नहीं है ।

(ग) सरकार कागज(संरक्षण तथा उद्योग विनियम) आदेश, 1974 पहले ही जारी कर चुकी है जिसमें विज्ञापन अथवा प्रचार सामग्री, कैलेन्डर, डायरी निमंत्रण पत्र,अथवा बधाई कार्डों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गये हैं । इस आदेश के उपबंधों को कागज के मिलने तथा उपयोगकर्त्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, 1981 तक अस्थायी तौर पर अस्थगित कर दिया है ।

उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र (विशेष न्यायालयों) अधिनियम 1976 का संशोधन

2278. **श्री एन० ई० होरो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने किसी क्षेत्र को "उपद्रव-ग्रस्त" घोषित करने तथा किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में घटित कतिपय अपराधों के लिए शीघ्रतापूर्वक विचार करने की सुगम बनाने हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के लिए अपने हाथ में संवर्त्ती शक्तियां लेने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार ने इन शक्तियों को केन्द्र सरकार को सोंपने के लिए उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम 1976 के संशोधन करने का निर्णय लिया है, और

(ग) यदि हां, तो इससे सम्बन्धित नीति का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : सरकार मामले की जांच कर रही है :

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि

2279. **श्री टी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **श्रम मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दोरान बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि से किन मदों पर धन राशि खर्च की गई थी ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : यह सूचित किया गया है कि वर्ष 1980-81 के दौरान अक्तूबर, 1980 तक बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि से विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निम्नलिखित धनराशि खर्च की गई है :

(क) प्रशासन	—	6,86,802.90 रुपये
(ख) स्वास्थ्य	—	21,46,448.62 रुपये
(ग) शिक्षा	—	2,89,629.00 रुपये
(घ) मनोरंजन	—	6,923.70 रुपये
(ङ) आवास	—	31,950.00 रुपये

बस्तर जिले की आदिवासी विकास योजनायें

2280. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **गृह मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बस्तर जिले के आदिवासी विकास के लिए एक व्यापक योजना को बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बस्तर जिले की 7 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में से प्रत्येक द्वारा विकास के लिए विस्तृत योजनायें बनाई गई हैं जिनको बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा उच्चतम प्राथमिकता दी गई है ।

(ख) बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण जिले के विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगी ।

राज्यों में दिए गए लाइसेंस

2281. **श्री निरेन घोष** : क्या **उद्योग मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों से पिछले दो वर्षों के दौरान औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आये आवेदनों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) पिछले दो वर्षों में विभिन्न राज्यों को कितने-कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ग) राज्यवार कुल कितनी पूंजी के लाइसेंस मंजूर किए गए हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान दिए गए लाइसेंसों की राज्य वार संख्या क्या है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) (क) एक विवरण-1 संलग्न है।

(ख) एक विवरण-2 संलग्न है।

(ग) स्वीकृति औद्योगिक लाइसेंसों में अनुमानित कुल पूंजीगत निवेश संबंधी जानकारी केन्द्रीय रूप से औद्योगिक विकास विभाग के औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में नहीं रखी जाती है।

(घ) एक विवरण-3 संलग्न है।

विवरण-1

वर्ष 1978 और 1979 के दौरान प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस संबंधी अवेदन पत्रों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	इस अवधि के दौरान प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदन पत्र	
		1978	1979
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	100	117
2.	असम	17	6
3.	बिहार	34	25
4.	गुजरात	156	223
5.	हरियाणा	57	86
6.	हिमाचल प्रदेश	22	22
7.	जम्मू और कश्मीर	13	15
8.	केरल	29	28
9.	कर्नाटक	67	103
10.	मध्य प्रदेश	73	75
11.	महाराष्ट्र	316	304
12.	मेघालय	—	2
13.	उड़ीसा	32	25
14.	नागालैंड	—	1
15.	पंजाब	62	49
16.	राजस्थान	62	80

1	2	3	4
17.	तमिलनाडु	83	99
18.	त्रिपुरा	—	1
19.	उत्तर प्रदेश	93	112
20.	पश्चिम बंगाल	109	87
21.	चंडीगढ़	3	1
22.	अंडमान और निकोबार	1	—
23.	दादरा और नगर हवेली	4	3
24.	दिल्ली	29	12
25.	गोवा दमन और द्वीव	7	14
26.	पाण्डीचेरी	1	2
		कुल योग 1370	1492

विवरण-2

वर्ष 1978 और 1979 के दौरान मंजूर किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	इस अवधि में मंजूर किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या	
		1978	1979
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	17	17
2.	अण्डमान और निकोबार	1	—
3.	असम	1	2
4.	बिहार	12	3
5.	चंडीगढ़	1	—
6.	दादरा और नगर हवेली	—	—
7.	दिल्ली	6	6
8.	गोवा, दमन और द्वीव	2	—
9.	गुजरात	46	48
10.	हरियाणा	13	16

1	2	3	4
11.	हिमाचल प्रदेश	4	1
12.	जम्मू और काश्मीर	2	2
13.	कर्नाटक	26	24
14.	केरल	7	11
15.	मध्य प्रदेश	8	7
16.	महाराष्ट्र	101	111
17.	मणीपुर	—	—
18.	मेघालय	—	—
19;	नागालैंड	—	—
20.	उड़ीसा	20	6
21.	पाण्डीचेरी	—	—
22.	पंजाब	9	13
23.	राजस्थान	10	8
24.	तमिलनाडू	28	26
25.	त्रिपुरा	—	—
26.	उत्तर प्रदेश	26	33
27.	वैस्ट बंगाल	23	29
28.	राज्य जिन्हें निर्दिष्ट नहीं किया गया है।	3	2
	कुल योग	348	365

विवरण-3

जनवरी-अक्तूबर, 1980 की अवधि में मंजूर किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा बताने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	जनवरी-अक्तूबर, 1980 की अवधि में मंजूर किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	35
2.	अण्डमान और निकोबार	—

1	2	3
3.	अरुणाचल प्रदेश	—
4.	असम	4
5.	बिहार	3
6.	चंडीगढ़	1
7.	दादर और नगर हवेली	—
8.	दिल्ली	5
9.	गोआ, दमन और द्वीव	1
10.	गुजरात	79
11.	हरियाणा	19
12.	हिमाचश प्रदेश	2
13.	जम्मू और कश्मीर	1
14.	कर्नाटक	35
15.	केरल	6
16.	लक्ष्य मिनिकोय और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	—
17.	मध्य प्रदेश	17
18.	महाराष्ट्र	94
19.	मणिपुर	—
20.	मेघालय	—
21.	मिजोरम	—
22.	नागालैंड	—
23.	उड़ीसा	77
24.	पाण्डीचेरी	—
25.	पंजाब	25
26.	राजस्थान	14
27.	तमिलनाडु	33
28.	त्रिपुरा	—
29.	उत्तर प्रदेश	24
30.	वैस्ट बंगाल	18
31.	राज्य जिन्हें निर्दिष्ट नहीं किया गया है ।	1
	कुल योग	412

आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की मांगें

2282. **श्री रामवतार शास्त्री :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 31 वां सत्र 26 अक्तूबर, 1980 से 31 अक्तूबर, 1980 तक विशाखापतनम में हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि श्रमिकों, कर्मचारियों तथा सामान्य लोगों की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा की गई थी और संकल्प पारित किए गए थे;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की उन मांगों अथवा निर्णयों पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) से (ग) : सरकार ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 31वें अधिवेशन के बारे में प्रेस में रिपोर्ट देखी है। पारित प्रस्ताव में व्यापक विषय हैं और विशेष रूप से ये विषय बोनस, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार, कार्य-घन्टे, आदि से सम्बन्धित है।

(घ) सरकार ने प्रस्ताव को नोट कर लिया है और विधान के लिए नीतियाँ एवं प्रस्ताव बनाते समय इन पर यथोचित विचार करेगी।

अपराधों में पुलिस कर्मचारियों का हाथ

2283. **श्री पी० जे० कुरियन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान ऐसे कितने अपराध हुए हैं जिनमें राज्यों की और केन्द्रीय पुलिस सेवाओं के कर्मचारियों का हाथ था और इन अपराधों का स्वरूप क्या था;

(ख) ऐसे कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है; और उनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार पुलिस कर्मियों की उन भावुक समस्याओं का पता लगाने के लिए, जो उन्हें अपराध करने के लिए बाध्य करती हैं, और उनके समाधान के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक ऐसी समिति को गठित करने का है, जिसमें समाज विज्ञानी और मनोवैज्ञानिक भी सम्मिलित हो ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) विभिन्न वस्तुओं में पुलिस की कार्यविधि का अध्ययन करने के लिए भारत

सरकार ने एकराष्ट्रीय पुलिस आयोग नियुक्त किया था जिसके एक सदस्य एक प्रसिद्ध समाज-शास्त्री हैं। राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा अब तक प्रस्तुत पांच रिपोर्टों में निहित सिफारिशें भारत सरकार के विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सहायता से स्थापित किए गए उद्योग

2284. **श्री चित्त महाटा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सहायता से चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में स्थापित किये गये उद्योगों के नाम क्या हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) : केन्द्र सरकार ने विभिन्न योजनावधियों में पश्चिम बंगाल राज्य में अनेक औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना की है। केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में चल रहे चुने हुए एककों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। इनके अलावा राज्य सरकार की राज्य योजना के एक अंग के रूप में कई औद्योगिक परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। राज्य सरकार को राज्य योजना कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्रीय सहायता मिलती है किन्तु केन्द्रीय सहायता विशेष रूप से अलग-अलग उद्योगों की स्थापना करने के लिए पहले से निश्चित नहीं की जाती है।

विवरण

पश्चिम बंगाल राज्य में चुनी हुई केन्द्रीय परियोजनाओं की सूची

1. स्टील एथरिटी आफ इंडिया लि०,
   दुर्गापुर स्टील प्लान्ट, दुर्गापुर।
2. सेल-एलोय स्टील प्लांट, दुर्गापुर।
3. आई०आई०एस०सी०ओ० बर्नपुर।
4. इण्डियन आंयल कारपोरेशन—हाल्दिया रिफाइन्रीज।
5. हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कारपोरेशन—दुर्गापुर।
6. हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कारपोरेशन—हाल्दिया—अन्डर इम्पलीमेंटेशन।
7. हिन्दुस्तान केबल्स लि०, रूपनारायणपुर।
8. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर।
9. ब्रेथवेट एण्ड क०, कलकत्ता।
10. बर्न स्टेन्डर्ड लि०
11. जेसप्स लि०, कलकत्ता।

12. ब्रिटानिया इन्जी, वर्क्स ।
13. इन्डो-बर्मा पैट्रोलियम ।
14. बालमेर लारी ।
15. बलूको लारी ।
16. बृज एण्ड रूफ कम्पनी ।
17. भारत वैगन क० ।
18. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लि० ।
19. एन्ड्रयू यूले एण्ड क० ।
20. नेशनल इन्स्ट्रूमेटेशन लि०, जादवपुर ।
21. भारत औप्थालिमक ग्लास लि०,
22. भारत कैमिकल्स एण्ड फार्माटिकल लि०,
23. साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया (सेन रिलाइ यूनिट)
24. स्मिथ स्टेन्स्ट्रीट फारमास्यूटिकल्स लि० (मैनेजमेंट कन्ट्रोल)
25. बंगाल इम्युनिटी क० (मैनेजमेंट कन्ट्रोल)
26. भारत टैक्सटाइल कारपोरेशन ।

उपर्युक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, आदि में भी केन्द्रीय निवेश किया जाता है ।

राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र में उत्पादन

2285. **श्री जैनुल बशर** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र द्वारा कुल कितनी बिजली पैदा की जा रही है;

(ख) क्या संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का विचार यह सुनिश्चित करनें के लिए क्या कार्यवाही करने का है कि संयत्र अपनी पूरी क्षमता से कार्य करें ?

विज्ञान और प्रोद्यौगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी०पी०एन० सिंह) : (क) राजस्थान परमाणु बिजली घर के पहले यूनिट में प्रतिदिन लगभग 45 लाख यूनिट बिजली पैदा हो रही है । दूसरे यूनिट को चलाकर उसकी जांच की जा रही है तथा इस समय उसमें लगभग 17.8 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन पैदा हो रही है ।

(ख), (ग) तथा (घ) : पहला यूनिट 220 मेगावाट की निर्धारित क्षमता के मुकाबले 200 मेगावाट की क्षमता पर कार्य कर रहा है, जो कि उत्पादन का काफी ऊंचा स्तर है। उत्पादन के स्तर को ऊंचा बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। दूसरे यूनिट को चलाकर उसकी जांच की जा रही है और इसलिए इसे अपेक्षाकृत नीचे स्तर पर चलाया जा रहा है।

दहेज निषेध अधिनियम के अन्तर्गत हुई मौतें तथा मामले

2286. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत हुई मौतों और पंजीकृत मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और उनमें से कितने मामलों में अपराधी व्यक्तियों को सजा देने हेतु निर्णय दिया गया;

(ख) दहेज समस्याओं से निपटने के लिए वर्तमान कानूनों के स्वरूप, सीमा तथा उनकी अपर्याप्तता का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या आर्थिक तथा मार्किट अनुसन्धान संस्थान की समस्या का अध्ययन करने के लिए कहा गया है ताकि सामाजिक तथा वैधानिक कार्यवाही का कार्यक्रम तैयार हो सके, और

(घ) यदि हाँ, तो किए जा रहे अध्ययन का ब्यौरा तथा उसकी पद्धति और प्रगति क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) दहेज निषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव पर विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) : जी हाँ, श्रीमान। अध्ययन एक ऐसे क्षेत्र तक सीमित रहेगा जहाँ समुदाय का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व हो और इसमें दहेज की मात्रा और स्वरूप को प्रभावित करने वाली समस्याओं के सभी पहलू दहेज से सम्बन्धित कानून की जानकारी और इस बुराई को दूर करने में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका शामिल है। दहेज की इस बुराई से प्रभावित हुए परिवारों में से कुछ मामलों का अध्ययन भी किया जाएगा। आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

पुलिस आयोग के प्रतिवेदन

2287. **श्री चित्त बसु :**

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस आयोग ने अब तक चार प्रतिवेदन भेज दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अब तक भारत सरकार को पांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं।

(ख) इन पांच रिपोर्टों में बड़ी संख्या में सिफारिशें की गई हैं। इन रिपोर्टों में मुख्य बातें ये हैं कि विभिन्न पुलिस शाखाओं एवं उनके कार्य के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित मामलों में आयोग की राय में आवश्यक परिवर्तन किए जाने का उल्लेख किया गया है। प्रथम रिपोर्ट में समाहित सिफारिशों में पुलिस के रहन सहन तथा कार्य की स्थिति की कुछ कमियों को सुधारने का सुझाव दिया गया है क्योंकि इस समय उनकी कार्यकुशलता लोगों के संतोष के प्रतिकूल है और इस तरीके से पुलिस के दुराचरण की आदर्श जांच किए जाने का सुझाव दिया गया है जिससे उनकी न्याय संगत और निष्पक्षता के सम्बन्ध में विश्वास एवं सन्तोष हो, इस पर भारत सरकार ने 6.6.1979 को नई दिल्ली में सम्पन्न सम्मेलन में राज्यों के मुख्य मंत्रियों से विचार विमर्श किया। उस सम्मेलन में किए गए निर्णयों पर अब राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

2. अन्य चार रिपोर्टों में की गई सिफारिशें भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

महिलाओं के साथ बलात्कार

2288. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 जनवरी, 1980 से 15 अक्तूबर, 1980 के बीच महिलाओं क साथ बलात्कार की कितनी घटनाओं के समाचार मिले हैं;

(ख) वर्ष 1977, 1978 और 1979 की इसी अवधि के दौरान ऐसी घटनाओं की संख्या क्रमशः क्या थी; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को होने से रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : अपेक्षित

सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर एक विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा ।

(ग) भारत सरकार ने "आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 1980" 12.8.80 को संसद में प्रस्तुत किया है जिससे यदि पारित हो गया तो बलात्कार के अभियुक्त व्यक्तियों को सफलतापूर्वक अभियोजित करने में सहायता मिलेगी और भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति पर भी रोक लग जाएगी ।

एम्यूनिशन डिसिप्लिन के लिए एन०जी०ओ० की सीधी भर्ती

2289. **श्री वी० किशोरचन्द्र एस० देव** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निरीक्षण नियन्त्रक (एम्यूनिशन), किरकी (पूणे-3) ने वर्ष 1979 में एम्यूनिशन डिसिप्लिन के लिए एन०जी०ओ० की सीधी भर्ती के सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया था और विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि नागपुर उच्च न्यायालय ने उक्त पदों पर नियुक्ति के बारे में एक स्थगन आदेश जारी किया था; और

(ग) यदि हाँ, तो अधिकारियों द्वारा इस बारे में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) :
(क) और (ख) : जी हाँ ।

(ग) सरकारी कौंसिल को स्थगन आदेश को रद्द कराने के लिए आवेदन करने के आदेश दे दिए गए हैं ।

इलेक्ट्रानिकी उद्योग की रियायतें

2290. **श्री जी०एस० रेड्डी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी उद्योग को हाल ही में दी गई रियायतों के परिणामस्वरूप इलेक्ट्रानिकी उद्योग में अधिक पूंजी निवेश हुआ है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इलेक्ट्रानिकी उद्योग ने सरकार से और अधिक रियायतों की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी०पी०एन० सिंह) : (क) और (ख) : इलेक्ट्रानिकी उद्योग को दी गई रियायतें

मुख्यत: राजकोषीय प्रकृति की है और उनकी घोषणा जून 1980 में केन्द्रीय सरकार ने 1980-81 के बजट के अंग के रूप में की गई थी । अत: अभी से यह नहीं कहा जा सकता कि इन रियायतों के फलस्वरूप इस उद्योग में अधिक पूंजी निवेश हुआ है ।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) मामले का अध्ययन किया जा रहा है ।

साम्प्रदायिक दंगों में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति तथा जब्त किए गए हथियार

2291. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री पीयूषतिरकी :
श्री बी०वी देसाई :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री रीतलालप्रसाद वर्मा : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अगस्त, 1980 के बाद साम्प्रदायिक दंगों के दौरान कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गये;

(ख) दंगों के सम्बन्ध में कितने हथियार जब्त किए गए और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गये; और

(ग) क्या कुछ हथियार विदेशों में बने हुए हैं, यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :
(क) से (ग) तक : विभिन्न राज्य सरकारों से अगस्त, 1980 से नवम्बर, 1980 तक की अवधि के लिए सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

जर्मनी उद्योगपति संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा भारत का दौरा

2292. **श्री शिवकुमारसिंह :**
श्री अमर राय प्रधान : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन उद्योगपति संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था,

(ख) यदि हाँ, तो प्रतिनिधि मंडल के नेता और अन्य सदस्यों के नाम क्या थे और उनके तथा भारतीय प्रतिनिधियों के बीच जो बातचीत हुई थी उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या जर्मन लोगों द्वारा भारत में धन लगाए जाने के सम्बन्ध में भारतीय प्रतिनिधियों और दौरे पर आए प्रतिनिधि मंडल के बीच कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हाँ। जर्मन संघीय गणराज्य के जर्मन उद्योगपति संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने नवम्बर 1980 में भारत का दौरा किया था।

(ख) से (घ) : प्रतिनिधि मण्डल की संरचना बताने वाला एक **विवरण** संलग्न है। प्रतिनिधि मण्डल के साथ किया गया विचार-विमर्श सामान्य प्रकार का था। यह बताया गया था कि भारत इस समय छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) तैयार कर रहा है जिसमें कार्यों व प्राथमिकताएं निश्चित की जायेंगी। गैर-सरकारी विदेशी निवेष तथा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के बारे में भारत की नीतियाँ बैठक में बताई गई थी। भारत और जर्मन संघीय गणराज्य के बीच औद्योगिक तथा सम्बद्ध क्षेत्रों यथा औषधि तथा भेषज, कोयला, ऊर्जा, धातु सामग्री उद्योगों, इस्पात, निर्यातोन्मुखी उद्योगों, तीसरे देशों में संयुक्त उद्यमों तथा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में और आगे सहयोग की सम्भावनाओं पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया था। विचार-विमर्श से एक दूसरे की आवश्यकताओं तथा क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझा गया था।

विवरण

जर्मन उद्योगपति संघ के सदस्यों की सूची

1. प्रो० डा० कुर्त हंसेन, अवैतनिक सचिव, प्रेसीडैंशिल बोर्ड, अध्यक्ष, सुपरवाइजरी बोर्ड — प्रतिनिधि मण्डल के नेता
2. श्री गुंटर बेकर, मैनेजिंग पार्टनर, वेरिंगठे हेकरशी रैंकजाग फैब्रिकेन रेमशीड
3. डा० रेनाल्ड ब्रान, वाइस प्रेसीडेंट, सीमैन एजी, मुनशेन
4. हेन्स वान हवे, मालिक/प्रबंधक, हेन्सवान हवे, हमबर्ग
5. डा० अर्नें हार्न, वरिष्ठ प्रबन्धक ड्रैसडनर बैंक ए जी, फ्रैंकफर्ट
6. गार्ड लुडिंग लेमर, निदेशक मण्डल के सदस्य, मणीन फैबरिक वकाऊ आर वीफ एजी

7. कुर्त लेंज, उप-सचिव, आर्थिक मंत्रालय, बोन
8. एकार्ड फ्रेहर वान माल्टजान, निदेशक बिक्री उन्नयन
9. डा० रुडोल्फ पाली, प्रबन्धक निदेशक (समुद्रपाराय प्रभाग) विलेरी एण्ड वोश केरामिश वेरके के जी
10. हबर्ट पावेल, अध्यक्ष मण्डल के सदस्य, जर्मन उद्योग परिसंघ, कोलन
11. जेरहार्ड शिलीफेक, निदेशक अन्तर्राष्ट्रीय विभाग, ए ई जी—टेलीफंकन एनर्जी एण्ड इन्डस्ट्री टैकनीक ए जी
12. डा० पाल ए स्टीन, प्रबन्धमण्डल के सदस्य, रोबर्ट बोश, जी एम बी एच, स्टुटगार्ट
13. मैक्स स्टोर, प्रबन्ध पार्टनर, डी ई आई ए-इंपोर्ट-एक्सपोर्ट एजेंटर ओबर्टशौसन
14. हैज टैमबिक, विभागाध्यक्ष, फारेन ट्रैड एण्ड यूरोपियन इट्रैग्रेशन, जर्मन उद्योग परिसंघ, कोलन
15. बरौन एर्नस्ट क्रिश्चियन वान वैरथर्न, सुपरवाइजरी बोर्ड के सदस्य
16. रानर ई वैलमान अध्यक्ष मण्डल के सदस्य, जर्मन उद्योग परिसंघ, कोलन
17. एफ स्टीफन विंटर, डिपार्टमेंट "फारेन ट्रैड एण्ड यूरोपियन इंट्रेग्रैशन" एसिया एण्ड पैसफिक डैस्क, फैडरेशन आफ जर्मन इण्डस्ट्रीज (बी डी आई) कोलन

जेल सुधार के लिए प्रस्ताव

2293. **श्री चतुर्भुज** : क्या गृह मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेय जल सुधारों के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों को क्या परामर्श दिया गया है ।

(ग) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में हरियाणा सरकार को प्रस्तुत जेल सुधार के लिए टेकचन्द आयोग के प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां; तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और अन्य राज्यों को परामर्श देने की दृष्टि से उनमें से प्रत्येक पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृहमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : संविधान की सातवीं अनुसूची में "जेल" राज्य सूची का विषय है इसलिए जेलों का प्रशासन एवं रख-रखाव का दायित्व राज्य सरकारों का है । इसके बावजूद भारत सरकार ने उपयुक्त जेल सुधार के लिए राज्यों को समर्थन किए जाने के लिए उन्हें समय-समय पर तकनीकी सलाह एवं कुछ आर्थिक सहायता भी दी है । जेल प्रशासन संबंधी विभिन्न मामलों पर विचार करने तथा प्रभावशाली सुधार लाने केलिए आवश्यक सिफारिश करने के लिए हाल में भारत सरकार ने श्री न्यायमूर्ति ए० एन० मुल्ला (अवकाश प्राप्त) की अध्यक्षता में एक जेल सुधार समिति गठित की है ।

(ग) और (घ) सरकार ने कुछ समाचार पत्रो में छपे समाचार देखे हैं जिनमें कहा गया है कि जेलों में रोजगार का प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा जेल सुधार समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं । मूल रूप से रिपोर्ट राज्य सरकार के कार्यान्वयन के लिए है और यदि राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट भेजी गई तो भारत सरकार उस पर विचार कर सकती है ।

केन्द्रीय सेवाओं की सिविल सूचियों का प्रकाशन

2294. **श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार की विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं की सिविल सूचियों के प्रकाशन में कौन-सा मानदण्ड अपनाया जाता है,

(ख) किन सेवाओं की सिविल सूचियां प्रकाशित हो गई हैं और वे किस वर्ष की है;

(ग) क्या सरकार सभी सेवाओं की सिविल सूचियां प्रकाशित करने के पक्ष में नहीं है, और

(घ) यह हाँ, तो तत्संबंधी कारण क्या और इस दिशा में उठाये गए कदम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या :

(क) कार्मिक और प्राशासनिक सुधार विभाग द्वारा सिविल सूचियों को प्रकाशित करने के लिए कोई सामान्य मानदण्ड नियत नहीं किया गया है। सिविल सूचियाँ अथवा वरिष्ठता सूचियां संबंधितसं वर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा अपने प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए प्रकाशित की जाती है।

(ख) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में सिविल सूचियों के सम्बन्ध में केन्द्रीकृत रूप से सूचना एकत्रित करने के लिए कोई योजना नहीं है। इस लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) तथा (घ) सिविल सूचियों के प्रकाशन का संबंध सम्बन्धित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों से है। इसलिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में उनका केन्द्रीकृत रूप से प्रकाशन करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

सीमेंट का राज्यवार वितरण और आयात

2295. **श्री वी० आर० नाहटा : श्री अमरसिंह राठवा : श्री समर मुखर्जी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) भिन्न-भिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने इस वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान प्रति तिमाही कितने सीमेंट की माँग की और कितना सीमेंन्ट उनको आबंटित किया गया तथा उनको कितना सप्लाई किया गया है;

(ख) राज्यों को सरकारी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा निजी उपयोग के लिए सीमेंट के आबंटन का क्या मानदण्ड है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितना सीमेंट आयात किया गया है और प्रत्येक राज्य को कितना आबंटित किया गया है; और

(घ) कम सप्लाई के क्या कारण है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) राज्य सरकार की माँगें तिमाही आधार पर संकलित नहीं की जाती हैं। वर्ष 1977-1978, 1979 तक तथा 1980 को तृतीय तिमाही तक राज्यों/संघ क्षेत्रों को किए गए सीमेंट के तदर्थ आबंटनों सहित तिमाही आबंटनों का एक विवरण संलग्न है : (अनुबंध-1)

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1504/80)

(ख) राज्यों को पिछली खपत तथा सीमेंन्ट की समस्त उपलब्धि के मानदण्डों के अनुसार प्रति तिमाही थोक आबंटन किए जाते हैं। राज्य उन्हें सोंपे गए थोक आबंटनों में से सरकारी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा जनता के उपयोग के लिए उप आबंटन करने के लिए स्वतन्त्र है।

(ग) 1 जनवरी, 1980 से 30 सितम्बर, 1980 की अवधि में 16, 67, 499

मीट्रिक टन के परिमाण तक सीमेंट का आयात किया गया है । इस दौरान राज्यवार भेजे गए आयातित सीमेंट को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1504/80)

(घ) सीमेंन्ट की सप्लाई में कमी होने के प्रमुख कारण प्रत्याशित सीमेंन्ट उत्पादन का न होना तथा सीमेंट के परिवहन में अनुभव की जा रही कठिनाइयां हैं ।

सरकारी कार्यालयों में छुट्टियों के बदले वार्षिक नकद भुगतान

2296. **श्री सूरजभान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों को हर वर्ष अपनी छुट्टी के बदले नकद राशि लेने की सुविधा प्राप्त है और इस योजना से कार्यकुशलता में सुधार हुआ है तथा उत्पादन बढ़ा है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी सरकारी कार्यालयों में छुट्टियों के बदले वार्षिक नकद भुगतान योजना आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) (क) कुछ सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में अपने कर्मचारियों को उनकी वार्षिक छुट्ठी के बदले नकद राशि देने की योजना है । यह कहना सम्भव नहीं है कि इस सुविधा के कारण कार्य-कुशलता तथा अधिक उत्पादन में प्रगति हुई है ।

(ख) तथा (ग) : अन्तर्गत भारी गैर-योजना व्यय को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक छुट्टी के बदले नकद राशि देने की यह योजना केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू करना सम्भव नहीं हुआ है ।

विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम/एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन कंपनियों द्वारा उत्पादन

2297. **श्री धर्मवीर सिन्हा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम/एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनका वास्तविक उत्पादन गत तीन वर्षों के लिए/के दौरान उनकी लाइसेंस क्षमता से 10 प्रतिशत से कम रहा;

(ख) उपरोक्त कंपनियों में से उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी लायसेंस क्षमता को 5 प्रतिशत से अधिक भी स्थापित नहीं किया है; और

(ग) उपरोक्त तथ्यों की दृष्टि में सरकार का विचार उन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में उप राज्य मंत्री : (श्री पी० ए० संगमा) (क) और (ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय में दर्ज वे कंपनियां जो विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम (फेरा)/एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (एम०आर०टी०पी०) की संवीक्षा के अन्तर्गत आती हैं तथा जिनका वास्तविक उत्पादन पिछले तीन वर्षों में उनकी लाइसेंसीकृत क्षमता के 10 प्रतिशत से कम रह गया था उनकी एक सूची विवरण के रूप में संलग्न हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर उत्पादन क्षमता की अधिष्ठायना तथा स्वीकृति प्राप्त क्षमता के अल्प उपयोग के बीच यह संबंध स्थापित करना संभव प्रतीत नहीं होता है।

(ग) स्थिति पर काबू पाने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों तथा औद्योगिक उपक्रम (पंजीयन तथा लाइसेंसीकरण) नियम, 1952 के अधीन अनुमत सभी कदम उठाए गए हैं।

विवरण-1

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम/एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों की सूची जिनका वास्तविक उत्पादन पिछले तीन वर्षों में उनकी लाइसेंसीकृत क्षमता की 10 प्रतिशत से नीचे रहा है।

इंजीनियरिंग

क्र० सं०	उपक्रम का नाम तथा उत्पादन की वस्तु
1	2
	1. मैसर्स कमानी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लि० बम्बई ट्रैक्टर निर्माता, माउन्ट रोड रोलर।
	2. मैसर्स किरलोस्कर किसान इववपमेंट लि० पूना पैट्रौल इंजन निर्माता
	3. मैसर्स रैलेस इंडिया लि० वम्वई, पैट्रोल इंजन निर्माता
	4. मैसर्स एस्कोर्टस ट्रांसमिशन लि०, फरीदवाद ट्रांसमिशन गीयर्स निर्माता
	5. मैसर्स किर्स्लोस्कर न्यूमैटिक कम्पनी लि० पूना टोरक्यू कंवर्टर निर्माता
	6. मैसर्स सिम्पसन एण्ड कं० लि०, मद्रास (1) ट्रैलरस (2) बस बोडिस

1	2

7. मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कं० लि०, बम्बई
   बस बोडिज निर्माता
8. मैसर्स सुन्दरम क्लेटन लि० मद्रास
   मोपैडस
9. मैसर्स प्रीमीयर आटोमोबाइल लि०, बम्बई
   रूस एयर कन्डीशनर्स
10. मैसर्स वोल्टास लि० बम्बई ।
    1. क्रेंस 2. मशीन टूल्स एक्ससरीज
11. मैसर्स बी० ई० सी० ओ० इंजीनियरिंग कं० बल्लभगढ़
    क्रेन
12. मैसर्स उत्कल मशीनरी लि०, सुन्दरगढ़
    वाल्वस
13. मैसर्स लारसन एण्ड टुवरो लि०, बम्बई ।
    1. वाल्वस 2. मिसलिनीयस इलैक्ट्रोनिक डिवाइसिस
14. मैसर्स ग्रामोफोन कम्पनी (इण्डिया) लि०, कलकत्ता
    1. रेडियो रिसीवर्स 2. स्टाइलैस 3. प्री-रिकार्डिड/कारट्रीजिज
15. मैसर्स इंगलिश इलैक्ट्रीक कं० (इंडिया) लि०, मद्रास
    इलैक्ट्रोनिक वैस्ट एण्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स
16. मैसर्स एसोसियेटिड सीमेंट कं० लि०, बम्बई
    बिन लैवल इंडीकेटरस
17. मैसर्स डी० सी० एम० टाटा प्रोडक्ट्स, नई दिल्ली
    टाटा एन्ट्री सिसटम्स और टाटा लोग्रिंग सिसटैम्स
18. मैसर्स हिन्दुस्तान ब्राउन बोवेरी लि०, बम्बई
    टेलीमैंट्री इक्विपमैंटस
19. मैसर्स ओ० इ० एन० इंडिया लि०, कोचीन
    1. रीड रिलेज 2. पोटंटियो मीटर वायरवाउन्ड
20. मैसर्स फोरब्स एण्ड फोरब्स कैम्पबैल, बम्बई
    रैगूलेटिड पावर सप्लायरस
21. मैसर्स महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लि० बम्बई
    कार्बन टैक पोटंटियोमीटर
22. मैसर्स जार्डिन हैन्डरसन लि०, कलकत्ता
    1. पम्पस 2. माइनिंग मशीनरी
23. मैसर्स मैटल बोक्स कं० आफ इंडिया लि०, कलकत्ता
    प्रिंटिंग मशीनरी

1	2

24. मैसर्स ब्रुक बोंड इण्डिया लि० कलकत्ता
प्रिंटिंग मशीनरी एण्ड रोटोग्रेवरी सिलिंडर्स
25. मैसर्स कोसन मैटल प्रौड्क्स लि० बम्बई
गैस सिलिंडर्स
26. मैसर्स किर्लोस्कर ब्रोदर्स लि०, पूना
गीयर्स
27. मैसर्स टाटा रोब्रिन्स फेसर लि०, जमशेदपुर
माइनिंग मशीनरी
28. मैसर्स धोगले इंजीनियरिंग कं०(प्राइवेट) लि०, गोआ
माइनिंग मशीनरी
29. मैसर्स टैक्समैको लि०, कलकत्ता
कैप्सटन लेथस एण्ड टैरट लेथस
30. हिन्दुस्तान मोटर्स लि० कलकत्ता
मैकेनिकल प्रेसिस
31. मैसर्स श्रीराम बीयरिंगस, दिल्ली
बाल फल्सींग, ग्राइंडिंग लैपिंग मशीनस
32. मैसर्स रैली मशीनस लि०, लुधियाना
ड्रिलिंग मशीनस एण्ड वुड वर्किंग मशीनस
33. मैसर्स जय इंजीनियरिंग नर्क्स, नई दिल्ली
डाई गाइडर्स हाई स्पीड नोचिंग प्रेस गैंग स्लिटिंग मशीनस
34. मैसर्स होलम्न क्लाइमैक्स मैन्यूफैक्चरिंग (प्राइवेट) लि०, कलकत्ता
पोरटेबल न्यूमैटिक टूल्स, न्यूमैटिक रोटरी ग्रांडर
35. मैसर्स भारत स्टील ट्यूब्स लि०, दिल्ली
ट्यूब मैकिंग मशीन
36. मैसर्स अहमदाबाद मैन्यूफैचरिंग एण्ड कैलीको प्रिंटिंग कम्पनी लि०
अहमदाबाद
पी० वी० सी०/वी० आई० आर० केबल्स
37. मैसर्स एल्यूमीनियम कारपोरेशन आफ इंडिया, कलकत्ता
ए०ए०सी०/ए०सी०एस०आर० कन्डैक्टर
38. मैसर्स केरसन मैन्यूफैक्चरिंग कं०, बम्बई
मोटर्र स्टार्टर्स एण्ड स्वीचिज
39. मैसर्स जारडिन विक्टर लि०, कलकत्ता
गेट एण्ड बोक्सीज

1	2

40. मैसर्स एच०एल० मल्होत्रा एण्ड सन्स (प्राईवेट) लि०, कलकत्ता
स्टील फाइल्स
41. मैसर्स विद्युत मैटलिक्स (प्राईवेट) लि०, कलकत्ता
होक-सा ब्लेडस
42. मैसर्स हंसा इंडस्ट्रीयल टूल कम्पनी (प्राईवेट) लि०, बम्बई
टूल बिट्स
43. जी० के० डब्ल्यू, कलकत्ता
1. प्रैस टूल्स, जिग्स,फिक्सचर्स
2. टैम्सटन कारबाइड रोक ड्रिल्स इंसटर्स और कोल कटर्स पिक्स
44. मैसर्स ग्रीव्स काटन कं० लि०, बम्बई
आयल फील्ड डायमंड पिटस

नान-इन्जीनियरिंग

45. मैसर्स धरमध्रा कैमीकल्स लि०, बम्बई
टेटराक्लोरेथीन और संबंधित उत्पाद
46. मैसर्स जे० के० सिंथेटिक्स लि०, कानपुर
लायलोन स्टेपल फाइबर
47. मै० अतुल प्रोडक्टस लि०, अहमदाबाद
1. आरगेनिक पिगमेंटस, ओप्टीकल ब्राइटनर्स, इंटरमीडियेट एण्ड फास्ट कलर बेसेज 2. सलफाड्रगस
48. मै० कलर कैमिकल्स, लि०, बम्बई
एक्रिलिक फाइबर्स के लिए डाईयां
49. मैसर्स इंडियन डाइस्टफ इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई
एक्रिलिक फाइबर्स के लिए डाइयां
50. मै० एटिक इंडस्ट्रीज, अतुल, बलसर
इन ग्रेन डाइयाँ
51. मै० डनलप इंडिया लि०, कलकत्ता
ट्रीड रबर
52. मै० सीट टायर्स आफ इण्डिया लि०, बम्बई
बाइसिकल ट्यूबस
53. मै० अपोलो टायर्स लि०, चालाकूदी
आटो ट्यूब्स
54. मै० सोभाइया आरगेनिक्स (इंडिया) लि०, बाराबंकी
एसेटलडि हीडे

1	2

55. इंडियन आरगेनिक केमीकल्स लि०, बम्बई
बेनजाडि हीडे
56. सिवातुल लि०, बल्सर, गुजरात
हेथसालिने
57. मै० बुरोह वैलकम कंपनी (प्राईवेट) लि०, बम्बई
पेरासिटामोल ।

केरल को सीमेंट की सप्लाई

2298. **श्री स्कारिया थामस** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य द्वारा वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में वर्ष वार सीमेंट की कुल कितनी माँग की गई थी;

(ख) उक्त अवधि में कुल कितनी मात्रा की सप्लाई की गई;

(ग) क्या यह सच है कि केरल राज्य में सीमेंट की माँग अत्याधिक है और सप्लाई माँग की और अपेक्षा बहुत कम है; और

(घ) माँग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) सीमेंट के लिए राज्य सरकारों से माँगें इकट्ठी नहीं की जाती हैं । हां, केरल सरकार ने हाल ही में बताया है कि उनकी औसत आवश्यकता 3 लाख मी० टन सीमेंन्ट प्रति तिमाही होगी ।

(ख)

वर्ष	सप्लाई की गई कुल मात्रा (1000 मी० टन)
1978-79	774.6
1979-80	796.8

(ग) केरल राज्य सहित देश में सीमेंट की सामान्यतः कमी है ।

(घ) सरकार विद्यमान क्षमताओं का बेहतर उपयोग करके, नई क्षमताओं व आयातों की स्वीकृति देकर देश में सीमेंट की उपलब्धता को बढ़ाने के हर सम्भव प्रयासकर रही है ।

कलपक्कम परमाणु विद्युत परियोजना की प्रगति की स्थिति

2299. **श्री चिन्नास्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कलपक्कम परमाणु विद्युत परियोजना की स्थिति क्या है और उसका निर्धारित कार्यक्रम क्या है;

(ख) क्या परियोजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकस विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी०पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के पहले यूनिट के सन 1981 में तथा दूसरे यूनिट के सन् 1983 में तैयार हो जाने की, तथा क्रमशः सन् 1982 और सन् 1984 में चालू कर दिए जाने की आशा है। परियोजना को संस्वीकृत करते समय, पहले और दूसरे यूनिट के क्रमशः सन् 1973 और सन् 1976 में तैयार हो जाने का लक्ष्य रखा गया था।

(ग) देरी का मुख्य कारण यह है कि कुछ देशों ने कुछ उपस्करो तथा सामग्रियों के निर्यात पर रोक लगा दी कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण उपस्करों के डिजायन तैयार करने तथा उन्हें बनाने का काम देश में ही करने में समस्याएं सामने आई तथा बिलम्ब हुआ।

गरीबी रेखा के नीचे रह रहे व्यक्ति

2300. **प्रो० सत्यगोपाल मिश्र : श्री अमरराय प्रधान** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वाधीनता के 33 वर्षों के बाद भी हमारे देश की कुल जनसंख्या का लगभग 60 प्रतिशत भाग गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है;

(ख) इसके कारण क्या हैं और इसके लिए कौन उत्तरदायी है; और

(ग) इसमें सुधार के उपाय क्या हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा अपने 32वें दौर में (जुलाई, 1977 से जून, 1978) संकलित पारिवारिक उपभोक्ता व्यय से संबंधित आंकड़ों के अन्तिम और त्वरित सारणीयन के आधार पर, 1977-78 में हमारे देश की कुल जनसंख्या के 48.13 प्रतिशत भाग के गरीबी के स्तर से नीचे जीवनयापन करने का अनुमान है। 1977-78 की कीमतों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति की 2400 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के अनुरूप 65 रु० प्रति व्यक्ति प्रति मास के गरीबी के स्तर को और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति की 2100 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के अनुरूप 75 रु० प्रति व्यक्ति प्रति मास के गरीबी के स्तर को मान कर यह अनुमान लगाया गया है।

(ख) वास्तविक आय में संवृद्धि की लक्षित दरों में कमियां और साथ ही जनसंख्या में संवृद्धि की अधिक दर—ये आयोजना की गरीबी को प्रमुख रूप में दूर करने की असमर्थता के प्रमुख उपादानों में से हैं।

(ग) गरीबों की जीवन-दशाओं को सुधारने के लिए उपायों में कुछ तो वे उपाय हैं जो देश के सामान्य विकास की दृष्टि से बनाए गए हैं, जैसे कृषि, उद्योग, विद्युत, आदि का विकास, और कुछ विशिष्ट अलग-अलग लाभग्राहियों की दृष्टि से बनाई गई स्कीमें हैं, जैसे छोटे और मझोले किसानों, भूमिहीन मजदूरों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों, पहाड़ी क्षेत्रों, आदि के लिए कार्यक्रम । छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में इन कार्यक्रमों पर और अधिक जोर दिया जाएगा । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें विकास परियोजनाओं को लक्ष्यित समूहोन्मुख रोजगार सृजन परि-योजनाओं के साथ एकीकृत किया जाना है । सरकार का विचार 20 सूत्री कार्यक्रम को पुनः गतिशील और कार्यान्वित करने का भी है जो समाज के गरीब वर्गों के लिए एक वरदान के रूप में रहा था । इसके अलावा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को भी उच्च प्राथमिकता दी जाएगी ।

बीड़ी श्रमिकों को सेवा कार्ड जारी किया जाना

2301. **श्री विजय कुमार यादव :** यह श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीड़ी उद्योग में काम रहे श्रमिकों को सेवा कार्ड नहीं मिलते हैं; और

(ख) क्या सरकार बीड़ी श्रमिकों की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर पूरा करने की इच्छुक है और नियोजकों को श्रमिकों को उक्त कार्ड जारी करने के लिए बाध्य करने को सहमत है और यदि हाँ, तो विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में सत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) (क) और (ख) : बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 को, जिसके अधीन ऐसे कर्मकारों की कार्य शर्तों को नियमित किया जाता है, राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है और वे अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए समक्ष प्राधिकारी नियुक्त करते हैं । इस अधिनियम में नियोजकों द्वारा किसी प्रकार के सेवा कार्ड जारी करने की स्पष्ट रूप से व्यवस्था नहीं की गई है । तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए माडल बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) नियम, 1967 में, जिनको बिहार सहित कुछ राज्य सरकारों द्वारा अपनाया गया है, अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि प्रत्येक नियोजक औद्योगिक परिसर में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में निर्धारित फार्म 13 में हाजरी रजिस्टर रखेगा और उसमें प्रत्येक दिन कार्य प्रारम्भ होने के समय प्रविष्टियां की जाएंगी । इन नियमों में यह भी अपेक्षित है कि नियोजक प्रत्येक होम वर्कर को निर्धारित फार्म में लाग बुक मुफ्त देने की व्यवस्था करेगा और होम-वर्कर उक्त बुक में उसके द्वारा किए गए प्रतिदिन के कार्य, उसके द्वारा उत्पादित बीड़ियों और सिगारों की संख्या तथा प्राप्त की गई मजदूरी का रिकार्ड रखेगा और यह कि बुकों को देने की व्यवस्था इस प्रकार की जाएं कि

नियोजकों द्वारा कच्चे माल की दो निरंतर सप्लाइयों के बीच की अवधि के दौरान होम-वर्करों के पास एक बुक हर समय रहनी चाहिए ।

बिहार सरकार ने दिसम्बर, 1979 में बिहार बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1968 में और आगे संशोधन किया है और नियोजकों द्वारा बीड़ी कर्मकारों को उनके नियोजन के तीन दिनों के भीतर सेवा कार्ड जारी करने की व्यवस्था की है ।

औद्योगिक वृद्धि दर में गिरावट

2302. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979-80 के दौरान औद्योगिक कार्य निष्पादन में उल्लेखनीय गिरावट आई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि 6·9 की औसत वार्षिक वृद्धि-दर के समक्ष अप्रेल, 1979 से फरवरी, 1980 के सूचकांक में विगत वर्ष की इस अवधि की तुलना में 0.8 प्रतिशत गिरावट दिखाई गई है; और

(ग) यदि उपरोक्त माँगों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो उक्त खराब कार्यकरण के लिए क्या बातें उत्तरदायी हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा दिये गए औद्योगिक उत्पादन के अद्यतन सूचकांक आंकड़ों के अनुसार 1979-80 का औसत सूचकांक 1978-79 की अपेक्षा 1.4 प्रतिशत कमथा, अप्रैल-फरवरी, 1979-80 का औसत सूचकांक अप्रैल-फरवरी, 1978-79 की अपेक्षा 1.0 प्रतिशत कम था जब कि अप्रैल-फरवरी, 1978-79 का औसत सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 7.8 प्रतिशत अधिक था ।

(ग) 1979-80 में हुई इस गिरावट के लिए उत्तरदायी सबसे प्रमुख कारक बिजली की कमी होना, कुछेक महत्वपूर्ण कच्चे माल का अभाव होना, श्रमिक अशान्ति तथा परिवहन संबंधी बाधाओं का होता रहा है । कृषि पर आधारित उद्योग जैसे चीनी और चाय के उत्पादन में सूखे के कारण गिरावट आयी थी ।

सब्जियों की कीमतें

2303. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हवाई जहाज द्वारा चण्डीगढ़ से लेह पहुंचाये जाने वाले सामान पर प्रति किलोग्राम की दर से कितना किराया लगता है;

(ख) सशस्त्र सेनाओं के उपयोग के लिए लेह, कारगिल तथा नुद्रा आदि की सब्जी व्यापार समितियों के माध्यम से ली गई ताजी सब्जियों, जैसे बन्द गोभी, फूल गोभी, आलू, गाजर, प्याज, मूली, शलजम, पालक आदि तथा फलों, जैसे सेब और खुमानी आदि की प्रति किलोग्राम कीमतें क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार उत्पादन लागत में वृद्धि तथा भाड़े की ऊँची दरों को ध्यान में रखते हुए इनकी वर्तमान दरों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (शिवराज वी० पाटिल) : (क) इस समय 2.60 रुपये प्रति किलोग्राम किराया लगता है ।

(ख) लेह व्यापार समिति के साथ वर्ष 1978, 1979 और 1980-81 के लिए और नुब्रा, व्यापार समिति के साथ भी पहली बार पहली जून 1980 से 31 दिसम्बर 1980 तक तय की गई दरों के अनुसार ताजी सब्जियों और फलों की प्रति किलोग्राम लागत संलग्न विवरण में दी गई है । कारगिल सरकारी व्यापार समिति से सब्जियां/फल प्राप्त करने के लिए ठेके के बारे में अभी तक कोई बात-चीत नहीं की गई है ।

(ग) और (घ) ठेके की बात-चीत करते समय काश्त करने में आने वाली अधिक लागत और भाड़े की ऊंची दरों को अंतिम दर निश्चित करते समय ध्यान रखा जाता है, और किए गए ठेकों की दरों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है जैसा कि संलग्न विवरण से स्पष्ट होता है ।

विवरण

लेह और नुब्रा सहकारी व्यापारी समितियों के साथ सब्जियों/फलों के किए गए ठेकों की दरों का विवरण

मदें	लेह		नुब्रा	
	1 अगस्त 78 से 31 दिसम्बर 78	1 अगस्त 79 से 31 दिसम्बर 79	15 जुलाई 80 से 31 मार्च 80	1 जून 80 से 31 दिसम्बर 80
1	2	3	4	5
	(दरें प्रति 100 किलोग्राम)			
ताजी सब्जियां				
बन्द गोभी	98.00	100.00	120.00	150.00
फूल गोभी	160.00	175.00	200.00	250.00

1	2	3	4	5
आलू	100.50	115.00	150.00	147.50
गाजर	90.00	95.00	115.00	143.75
प्याज	—	—	200.00	250.00
मूली	75.00	70.00	70.00	87.50
शलजम	70.00	70.00	75.00	93.75
पालक	120.00	120.00	125.00	—
पीज मीन	150.00	180.00	225.00	281.25
नोल खोल	70.00	70.00	80.00	100.00
चीनी बोरां बाक	—	90.00	90.00	—
कद्दू	—	75.00	85.00	—
रैप साग	—	—	100.00	125.00
सलाद	92.00	—	—	—
हरे टमाटर	—	270.00	300.00	375.00
ताजे फल				
सेब था	180.00	175.00	180.00	225.00
सेब मंगोल	160.00	155.00	160.00	200.00
सूबानी	140.00	135.00	140.00	175.00

राज्य सरकार के कर्मचारियों पर विदेशों में रोजगार प्राप्त करने पर प्रतिबन्ध

2304. **श्री एन० सेलावाराजू : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रोजगार प्राप्त करने के लिए कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के "फारिन एसाइमेंट" अनुभाग में नाम दर्ज कराने के बारे में राज्य सरकारों के सरकारी कर्मचारियों पर सरकार ने कोई विशेष प्रतिबन्ध लाए हुए हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार के आदेशों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्ब्या) :

(क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रतिबन्धित तथा जब्त किये गये प्रकाशन

2305. **श्री जी० एम० बनातवाला : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले चार महिनों के दौरान दिल्ली में किसी प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाया है अथवा जब्त किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन प्रकाशनों के नाम क्या हैं और वे किस भाषा में प्रकाशित किए जाते थे; और

(ग) उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है और कार्यवाही किए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) और (ग) :—निम्नलिखित प्रकाशनों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था :—

(1) उर्दू साप्ताहिक "हजूम" तारीख 26-9-80

(2) उर्दू साप्ताहिक "दावत" और

(3) मुरादाबाद की घटनाओं के विषय में सैयद अब्दुल्ला बुखारी द्वारा मुद्रित बिना शीर्षक की उर्दू पुस्तिका ।

(4) हिन्दी साप्ताहिक "असली भारत" की अगस्त 23-29,1980 की प्रतियाँ और प्रकाशन सामग्री की पलेंटें जब्त की गई थी और आर० सी० मुद्रणालय, झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र के प्रबन्धक और उत्पादन प्रबन्धक को गिरफ्तार कर लिया गया ।

(5) प्रकाशनों में लोकशांति और व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने पर वाली सामग्री विहित थी ।

नक्सलवादियों की गतिविधियाँ

2306. **श्री हरिकेश बहादुर : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में नक्सलवादी देश के किन-किन भागों में सक्रिय हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार नक्सलवादी इस समय आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में सक्रिय हैं ।

(ख) राज्य सरकारें स्थिति के प्रति सजग है और नक्सलवादियों की गतिविधियों पर बराबर नजर रख रही हैं । अवैध गतिविधियों में व्यस्त पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध कानून के अधीन कार्रवाई की जाती है ।

असम आन्दोलन में विधायकों का घेराव

2307. **श्री नगनगोम मोहेन्द्रा : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम में विधायकों का घेराव किया जा रहा है और अखिल असम छात्र संघ और अखिल असम गण संग्राम परिषद् के नेतृत्व में आन्दोलन चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मामलों को वार्ता द्वारा हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : अखिल असम छात्र संघ और अखिल असम गण-संग्राम परिषद् का आन्दोलन जारी है और 28 अक्तूबर 1980 से असम में विधायकों के घेराव का एक कार्यक्रम शुरु किया है । कुछ स्थानों पर घेराव जारी है ।

(घ) असम में विदेशी नागरिकों के मामले पर विभिन्न स्तरों पर वार्ता के कई दौर हुए हैं किन्तु कोई सर्वसम्मत समझौता नहीं हुआ है .

सरकार ने वार्ता के लिए अपने द्वारा खोल रखे हैं और यह आशा की जाती है कि आन्दोलनकर्ता समझदारी से काम लेंगे ।

कमीशन प्राप्त अंशकालिक अधिकारियों द्वारा मिलिट्री कैन्टीनों से सामान लिया जाना

2308. **श्री जाम्बुवंत घोटे** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कमीशन प्राप्त अंशकालिक अधिकारियों को मिलिट्री कैन्टीनों से सब प्रकार का सामान खरीदने का अधिकार है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्हें शराब, आयातित वस्तुएं तथा विशेष रूप से ही दी जाने वाली वस्तुओं को खरीदने का अधिकार भी प्राप्त है;

(ग) क्या इस प्रकार की खरीददारी के लिए उन्हें कोई (कार्ड) पत्र जारी किया जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसा करने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं । राष्ट्रीय कैडेट कोर के अंशकालिक कमीशन अफसर सी० एस० डी० कैन्टीन से केवल

भारत में बना सामान्य प्रकार का ही सामान खरीदने के लिए प्राधिकृत हैं।

(ख) जी नहीं। ऐसे अफसर शराब नहीं खरीद सकते हैं ये अफसर आयातित और विशेष रूप से आबन्टित मदें भी नहीं खरीद सकते हैं।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के अंशकालिक कमीशन अफसरों जो कि मुख्यतया सिविलियन अफसर ही होते हैं, विशिष्ट ड्यूटियों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें रक्षा सेवाओं के कमीशन अफसरों के बराबर नहीं समझा जा सकता।

हथियारों की तस्करी

2309. **श्री केशवराव पारधी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हथियारों की तस्करी में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली गतिविधियों की ओर दिलाया गया है और यदि हाँ तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) जनवरी, 1980 से लेकर अक्तूबर, 1980 तक की अवधि के दौरान पकड़े गए तस्करों के नाम क्या हैं तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उनके द्वारा कितनी तस्करी की गई है; और

(ग) भविष्य में अस्त्र-शस्त्रों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ग) : सरकार को देश में हथियारों की तस्करी की जानकारी है। राज्यों से अवैध शस्त्रों के विरूद्ध अभियान चलाने और इस संबंध में सतर्क रहने के लिए कहा गया है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा भी सीमा क्षेत्रों में विशेष गश्त और छापे आयोजित किये गए हैं।

(ख) अब तक प्राप्त सूचना से पता चलता है कि तस्करी के 260 हथियार जब्त किए गए हैं। अभी तस्करों के नामों और अन्य विवरणों को बताना जनहित में नहीं होगा क्यों कि इससे भविष्य में शस्त्र तस्करों के विरूद्ध किये जाने वाले कार्य में बाधा पड़ सकती है।

बड़े बांधों के लिए सीमेंट की मांग :

2310. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई और बिजली के लिए बड़े बांधों की मांग को ध्यान में रखते हुये

छठी पंचवर्षीय योजना में सीमेंट उत्पादन के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) कितने नए सीमेंट कारखानों की स्थापना की जाएगी और वह कहां-कहां पर की जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) योजना आयोग द्वारा सीमेंट उद्योग पर स्थापित किये गये कार्यकारी दल ने जो अनुमान लगाया है उसके अनुसार 1984-85 तक 372.6 लाख मी० टन सीमेंट का उत्पादन होने लगेगा।

(ख) सीमेंट के नये कारखानों की स्थापना करने के लिये जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंस/आशयपत्रों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	पार्टी का नाम	स्थान	राज्य
1	2	3	4
1.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया	आदिलाबाद	आन्ध्र प्रदेश
2.	उपरोक्त	तेंदूर	उपरोक्त
3.	उपरोक्त	येरागन्तला	उपरोक्त
4.	उपरोक्त	नीमल	मध्य प्रदेश
5.	उपरोक्त	अकलतरा	उपरोक्त
6.	उपरोक्त	दिल्ली	दिल्ली
		भटिंडा	पंजाब
7.	जे० एण्ड के० मिनिरलस लि०	बशोली	जम्मू एण्ड काश्मीर
8.	उपरोक्त	खिउ	उपरोक्त
9.	यू०पी० स्टैट कारपोरेशन	डल्ला/चुनार	उत्तर प्रदेश
10.	मेघालय इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन	गारो पहाड़ियाँ	मेघालय
11.	उपरोक्त	लमशांग	उपरोक्त
12.	केरला इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन	गंगलाघाट	केरला
13.	दामोदर सीमेंट एण्ड स्लैग लि० कलकत्ता	मधुकुण्ड	पश्चिम बंगाल

1	2	3	4
14.	राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एण्ड मिनिरल डवलपमेंट कारपोरेशन लि०	काटपुतली	राजस्थान
15.	उपरोक्त	अलरोड अखरा	उपरोक्त
16.	उपरोक्त	बिलारा	उपरोक्त
17.	उपरोक्त	जयतारन	उपरोक्त
18.	उपरोक्त	निम-का थाना	उपरोक्त
19.	हिन्दुस्तान स्टील लि०	चिलहटी	मध्यप्रदेश
20.	कर्नाटक स्टैट आई०डी०सी०	चितपुर	कर्नाटक
21.	आई०डी०सी०, उड़ीसा लि०	कटरा क्रिगस	उड़ीसा
22.	गुजरात आई०डी०सी० लि०	वरवल	गुजरात
23.	गढ़वाल मंडल विकास निगम लि०	चिरगांव	उत्तर प्रदेश
24.	राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रियल एण्ड मिनिरल डवलपमेंट कारपोरेशन लि०	गोताना	राजस्थान
25.	मंगलम् सीमेंट	मेडक	राजस्थान
26.	श्री दिगविजय सीमेंट	जिला ब्यौधर	उपरोक्त
27.	स्ट्रीव प्रोडक्ट्स लि०	बनास	उपरोक्त
28.	जे०के० सन्थेटिक्स	निवाहेडा	उपरोक्त
29.	श्रीराम केमिकल्स इन्डस्ट्रीज	लाडपुरा	उपरोक्त
30.	जे०के० सन्थेटिक्स	दिगोड	उपरोक्त
31.	ए०सी०सी० लि०,	गागल जिला बिलासपुर	हिमाचल प्रदेश
32.	सेन्चुरी सीमेंट	मेहर	मध्यप्रदेश
33.	मैसोर सीमेंट	नरसिंहगढ़	मध्यप्रदेश
34.	रेमाण्ड वूलेन मिल्स	जांजगीर	मध्य प्रदेश
35.	मोदी रबर लि०,	भटपड़ा	मध्य प्रदेश
36.	नरमदा सीमेंट्स लि०	जफराबाद मंगडला	गुजरात
37.	लारसेन टूब्रो लि०	चन्द्रापुर	महाराष्ट्रा
38.	सेनचुरी स्पिनिंग एण्ड मेन्युफैक्चरिंग क०	चन्द्रपुर	महाराष्ट्र
39.	ओरियेन्ट पेपर मिल्स लि०	असीफाबाद	आन्ध्रा प्रदेश
40.	टैक्समैको लि०,	येरागुन्तला	आन्ध्रा प्रदेश

1	2	3	4
41.	कोरोमंडल फर्टिलाइजरस	कलामल्ला	आन्ध्रा प्रदेश
42.	केसोराम सीमेंट्स	अंकोरीदिपल्ली	आन्ध्रा प्रदेश
43.	आन्ध्रा सीमेंट्स	नदी कुडी	आन्ध्रा प्रदेश
44.	श्री एम०एस० राजपुरोहित	अबू रोड़	राजस्थान
45.	मैसर्स एग्रीमा प्रोजेक्स इन्जीनियरिंग एण्ड कान्सैल्टैन्सी सेरविसेज लि०	धरमकेत	हिमाचल प्रदेश
46.	मैसर्स ए०आर०सी० सीमेंट लि०	गुनियल गाँव (देहरादून)	उत्तर प्रदेश
47.	श्रीमती एस० डी० पाटिल	दोताड	गुजरात
48.	श्री बी०डी०एच० मेहता	पोशीना	गुजरात
49.	श्री आर०एन० खाटाऊ	दांता	गुजरात
50.	श्री जी०सी० पाटिल	महुआ	गुजरात
51.	डा० एस० एन० गाँधी	कांता	गुजरात
52.	मैसर्स हरिगंगा सीमेंट लि०	राजूरा	महाराष्ट्र
53.	मैसर्स अग्रीमा प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग एण्ड कान्सलटैन्सी	राजूरा	महाराष्ट्र
54.	श्री नेमकुमार पेरवाल	राजपुरा	महाराष्ट्र
55.	मैसर्स रेवा कोलफिल्डस लि०	खरसिया	मध्य प्रदेश
56.	मैसर्स दार्जिलिंग डूआरस प्लेटैशनस लि०	रायपुर	मध्य प्रदेश
57.	राना हनुमानसिंह	देनारगाँव	मध्य प्रदेश
58.	तडपत्री सीमेंटस लि०	ताडपत्री	आन्ध्र प्रदेश
59.	पेनीम सीमेंटस	येदीकी	आन्ध्र प्रदेश
60.	रासी सीमेंट्स लि०	वदापल्ली	आँन्ध्र प्रदेश
61.	नगर जूना सीमेंट्स लि०	नालगोंदा	आन्ध्र प्रदेश
62.	डेकान सीमेंट्स लि.	नलगोंडा	आन्ध्र प्रदेश
63.	श्री बी० वन्कटास्वनी	करनूल	आन्ध्र प्रदेश
64.	ककटिया सीमेंट्स	जग्गयापेट	आन्ध्र प्रदेश
65.	श्री के० आई० विडेयासागर	विकराबाद	आन्ध्र प्रदेश
66.	श्री के०एच० रेड्डी	कुडाप्पा	आन्ध्र प्रदेश
67.	श्री के० चेन्ना वीताप्पा	रंगनाघाट	आन्ध्र प्रदेश
68.	तलीकेट सीमेंट्स	अलमत्ती	कर्नाटक
69.	डैकान अलकाली	चित्तपुर	कर्नाटक

गुजरात के आदिवासियों के लिए रोजगार की योजना

2311. **श्री छीतूभाई गामित : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों के आदिवासियों के पूर्ण रोजगार के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के लिए कितनी राशि खर्च करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) : गुजरात के आदिवासियों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अभी तक कोई विशिष्ट स्कीम तैयार नहीं की गई है ।

जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए लाभकारी रोजगार के अवसरों को बढ़ाना छठी योजना के प्रमुख बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में से है । एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा छोटे और मझोले किसानों, ग्रामीण कारीगरों, भूमिहीन मजदूरों, आदिवासियों, आदि के बीच रोजगार को बढ़ाने के लिए शुरू किए जाने वाले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत गुजरात के आदिवासी क्षेत्र भी लाभान्वित होंगे । इन कार्यक्रमों के अंतर्गत शुरू की जाने वाली विस्तृत स्कीमें तैयार की जा रही हैं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न उपस्थि नहीं होता ।

दिल्ली नगर निगम द्वारा सम्पत्ति कर का निर्धारण

2312. **श्री चन्द्रपाल शैलानी : डा० ए० यू० आजमी : क्या गृह मन्त्री** दिल्ली नगर निगम द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका का रद्द हो जाने के बारे में 6 अगस्त, 1980 के अतरांकित प्रश्न संख्या 6963 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने मानक किराये के आधार पर सम्पत्ति-कर के निर्धारण का कार्य पूरा कर लिया है और अधिसूचित कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरे किये जाने और अधिसूचित किए जाने की आशा है;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम ने 9 जुलाई, 1980 को अधिप्रमाणित निर्धारण सूची के आधार पर निर्धारितियों को सम्पत्ति-कर के बिल भेज दिये और है; और

(घ) क्या एक निर्धारती ने वर्ष 1980-81 के सम्पत्ति-कर से संबंधित उस मांग के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है, जो नगर निगम ने 9 जुलाई, 1980 को अधिप्रमाणित निर्धारण सूची के आधार पर उससे की थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) :— दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि जहाँ जमीन की लागत और निर्माण की लागत कर दाता द्वारा सही दी गई हो या विभाग द्वारा स्वयं निश्चय की गई हो, उन मामलों में सम्पत्ति कर के लिए सम्पत्ति का निर्धारण दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 6 के तहत मानक के आधार पर किया जाता है जिसके न होने पर सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य के निर्धारण के लिए दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 9 का उपयोग किया जा रहा है। धारा 6 के अन्तर्गत लम्बित पड़े मामलों नियमित रूप से तय किये जा रहे हैं। तथापि, कार्य भार और इन फैसलों के अर्ध न्यायिक प्रकृति को देखते हुए इनके निपटान में समय लगता है। किन्तु मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा अधिकतम संख्या में इन मामलों को निपटाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 124 के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 की मूल्यांकन सूची को प्रमाणित करने से पहले मूल्यांकन विधिवत रूप से पूरे कर लिए गए थे :

(ग) जी हाँ, श्रीमान।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि 9-7-1980 को अधिप्रमाणित मूल्यांकन सूची के आधार पर वर्ष 1980-81 से संबंधित सम्पत्ति कर की मांग के विरूद्ध किसी भी करदाता ने कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया था।

"ग्रेड-सी" के आशुलिपिकों के लिए पदोन्नति के अवसर

2313. **श्री आर० एस० माने** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय आशुलिपिक सेवा में पदोन्नति की स्थिति बहुत अधिक खराब है और 20 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद भी "ग्रेड-सी" के आशुलिपिकों के लिए पदोन्नति के अवसर बहुत थोड़े हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि "ग्रेड-बी" के अधिकांश रिक्त स्थान वरिष्ठ कर्मचारियों के हितों पर ध्यान दिए बगैर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर भरे जा रहे हैं जिससे स्थिति और भी गम्भीर हो गई है, और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ग" में पदोन्नति की स्थिति पहले कुछ खराब थी लेकिन अब वह स्थिति काफी हद तक सुधर गई है क्योंकि इस वर्ग के लिए 'चयन ग्रेड' की मंजूरी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त, अपेक्षित सेवावधि वाले ग्रेड "ग" आशुलिपिकों को अनुभाग अधिकारी/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के

ग्रेड "ख में पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् । केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ख" की 50 प्रतिशत रिक्तियों को, अयोग्य को अस्वीकार करने के अध्यधीन, वरिष्ठता के आधार पर भरा जाता है तथा 50 प्रतिशत रिक्तियो को सीमित विभागीय परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरा जाता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बंगाल पाटरीज लि० कलकत्ता का कु-प्रबंध

2314 : **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगाल पाटरीज लि० कलकत्ता का प्रवन्ध आई० सी० आई० द्वारा अपने हाथ में ले लिए जाने के बावजूद भी उसका प्रबन्ध ठीक तरह नहीं हो रहा है;

(ख) क्या वर्तमान प्रवन्धकों के विरूद्ध उत्पादन और बिक्री के आंकड़ों को बढ़ा कर दिखाने, घटिया किस्म के इन्सुलेटर बनाने, वितरकों की नियुक्ति में भाई भतीजावाद का रूख अपनाने, मृत्कला सम्बन्धी जानकारी का अभाव होने और श्रम सम्बन्धी गलत प्रतिक्रियायें अपनाने आदि के गंभीर आरोपों की कोई जांच की गई है; और

(ग) अधिकार में लिए जाने के बाद से अब तक कम्पनी को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं । सामान्यत: कम्पनी के कार्य निष्पादन में सुधार ही हुआ है ।

(ख) आई० आर० सी० आई० ने सूचित किया है कि प्रवन्धक वोर्ड ने बंगाल पाटरीज के कामगारों और कर्मचारी समिति की ओर से प्राप्त दिनांक 13.11.1979 की शिकायत, जिसमें प्रबन्धक वर्ग के खिलाफ विभिन्न आरोप लगाए गए थे, की जांच की थी तथा वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इन आरोपों में कोइ सार नहीं था।

(ग) आई० आर० सी० आई० द्वारा स्वीकृत 141.70 लाख रू० में से 127 लाख रू० की राशि को वितरित कर दिया गया है । इसके आलावा आई० आर० सी ० आई० ने किराया-खरीद आधार पर 23.35 लाख रू० मूल्य के डीजल अनित्रण सैट प्रदान किए हैं । हाल ही में आई० आर० सी० आई० ने 18.29 लाख रू० मूल्य के और दो और डीजल जनित्रण सैटों के लिए सहायता देना स्वीकार कर लिया है ।

उद्योगों की स्थापना के लिए गुजरात और अन्य राज्यों में दो पिछड़े हुए जिलों का चयन :

2315. **मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य के दो पिछड़े हुए जिलों का चयनात्मक आधार पर औद्योगिक विकास करने के लिए 2500 करोड़ रूपए की कोई योजना तैयार की है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए जिलों का चयन करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गये हैं और उसका आधार क्या है;

(ग) प्रत्येक जिले में वर्ष-वार और मद-वार कितना खर्च किया जाना है; और

(घ) यदि इस प्रयोजन के लिए जिलों का चयन कर लिया गया है तो इस योजना के अन्तर्गत गुजरात के कौन-कौन से जिले चुने गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पारिस्थितिक संतुलन सम्बन्धी उच्चाधिकार समिति का प्रतिवेदन

2316. **आचार्य भगवान देव** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारिस्थितिक संतुलन सम्बन्धी उच्चाधिकार समिति द्वारा दिए गए सुझावों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने कार्यान्वयन के लिए किन सुझावों पर कार्यवाही की है; और

(ग) शेष सुझावों का कार्यान्वयन कब तक आरम्भ किया जाएगा ?

विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिक्स राज्य मन्त्री (श्री सी०पी०एन० सिंह) :

(क) से (ग) : पर्यावरण प्रतिरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विधायी उपायों और प्रशासनिक संत्र की सिफारिश करने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति की रिपोर्ट 15 सितम्बर, 1980 को प्रधान मन्त्री को प्रस्तुत की गई थी। इस समिति की प्रमुख सिफारिश यह थी कि केन्द्र में एक नया पर्यावरण विभाग स्थापित किया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय विकास की योजनाओं के संदर्भ में पर्यावरणीय प्रतिरक्षा के महत्व को पर्याप्त मान्यता प्रदान की जा सके। इस सिफारिश को सरकार द्वारा मंजूर किया जा

चुका है और पहली नवम्बर, 1980 को भारत के राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसार केन्द्र में एक पर्यावरण विभाग की स्थापना कर दी गई है। उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशों को नवनिर्मित पर्यावरण विभाग को भेज दिया गया है ताकि इन्हें आवश्यक अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त रूप में सरकार को प्रस्तुत किया सके।

"व्यक्तियों की दोष-सिद्धि के लिए पेशेवर गवाहों (स्टाक विटनैस) का प्रयोग

2317. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "इण्डियन एक्सप्रैस" में अरुण शोरी के लेख "व्यक्तियों की दोष-सिद्धि के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किये जा रहे पेशेवर गवाहों (स्टाक विटनेसिज)" के बारे में दिलवाया गया है;

(ख) उसमें उठाए गए मुख्य मुद्दे क्या हैं;

(ग) दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष अब तक कितने व्यक्तियों को दोष सिद्धि हुई है; और

(घ) इस पद्धति के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है और की जायेगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) लेख का मुख्य विषय यह है कि व्यक्तियों को दोष सिद्धि के लिए पुलिस द्वारा पेशेवर गवाहों को प्रस्तुत किया जाता है। आगे यह भी बताया गया है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी, प्रत्येक मजिस्ट्रेट और प्रत्येक वकील यह जानता है कि इस प्रकार के पेशेवर गवाहों को आरोप सिद्ध करने के लिए नेमी रूप से प्रस्तुत किया जाता है और कुछ मामलों में पुलिस ने पेशेवर गवाहों की सूची परिचालित की है और अधिकारियों को यह सलाह दी है कि सूचीबद्ध पेशेवर गवाहों को पहले अनेक बार लाया गया है अतः अब अन्य पेशेवर गवाहों की सेवाएं उपलब्ध की जायें।

(ग) दिल्ली संघ शासित क्षेत्र और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) सम्बन्धित कानूनों में निर्धारित प्रक्रिया के अनसार न्यायालयो में गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं। किन्तु पुलिस ने निर्देश जारी किए हैं कि पेशेवर गवाहियों का प्रयोग, यदि कोई हो, तो तुरन्त समाप्त किया जाय और निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय।

अल्कोहल का ऊर्जा स्त्रोत के रूप में इस्तेमाल

2318. **श्री आर०के० महालगी** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 26 सितम्बर, 1980 के 'स्टेट्समैन', नई दिल्ली में 'ब्राजील मेकिंग यूज आफ बोहलेड सोलर एनर्जी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार देखा है,

(ख) क्या अल्कोहल को ऊर्जा स्त्रोत के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र में कोई विकास परियोजना है;

(ग) यदि हाँ, तो वह योजना भारत में वाणिज्यिक रूप से कब आरम्भ की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ब्राजील से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी०पी० एन० सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) आई.आई.टी. (मद्रास और दिल्ली), अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास आई.आई.पी., देहरादून और इण्डियन आयल कार्पोरेशन के अनुसंधान स्कंध जैसे कुछ वैज्ञानिक और इंजीनियरी संस्थानों ने ऊर्जा स्त्रोत के रूप में अल्कोहल के उद्योग के सम्बन्ध में कुछ विकास परियोजनाओं को हाथ में लिया है।

(ग) जबकि अल्कोहल को ईंधन के रूप में परिवहन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है और इस दिशा में भारत में काफी काम किया जा चुका है । इस बात को प्रदर्शित करने के लिए इस बात पर अवश्य बल दिया जाना चाहिए कि अल्कोहल आगम के रूप में (निवेश के रूप में) रसायन उद्योग के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं । रसायन उद्योग को तैयार किए गए सारे अल्कोहल को उपयोग में लाने की क्षमता होनी चाहिए ताकि तेल आधारित निवेशों पर दबाव को कम किया जा सके । समस्या यह है कि पर्याप्त मात्रा में अल्कोहल का उत्पादन किया जाए । इस समय अल्कोहल के उत्पादन का प्रमुख स्त्रोत गन्ना है । स्त्रोतों के रूप में अन्य सम्भावनाएं हैं टेपीओका, कसावा, आदि । बहरहाल, अल्कोहल उत्पादन के लिए व्यापक रूप से जीव भार निवेशों को उपयोग में लाने की दिशा में काम चल रहा है । जब अल्कोहल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो जाएगी तब इसे बच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा और यदि आवश्यक हुआ तो ईंधन के रूप में भी ।

(घ) क्योंकि तकनीकी जानकारी स्वदेश में ही उपलब्ध है इसलिए इस बात की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई है कि ब्राजील या किसी अन्य देश से जानकारी प्राप्त की जाए । साथ ही विज्ञान और प्रोद्योगिकी के अन्य क्षेत्रों की भाँति इस क्षेत्र में भी विभिन्न

देशों के साथ वैज्ञानिक और सूचना के पर्याप्त आदान प्रदान की व्यवस्था है ।

नारियल जटा बोर्ड के सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति के बारे में शिकायतें

2319. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वर्ष 1979 के शुरू में नारियल जटा बोर्ड के सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस नियुक्ति में कोई अनुचित पक्ष लिया गया है;

(घ) क्या 22 नवम्बर, 1979 को हुई नारियल जटा बोर्ड की बैठक में सम्पर्क अधिकारी के कार्यकरण के बारे में टिप्पणी की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो उन टिप्पणियों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(च) क्या समाचार पत्रों आदि के माध्यम से इस वरिष्ठ पर के लिए नियुक्ति के समय उचित प्रचार किया गया है जैसा कि नारियल जटा बोर्ड भर्ती उप नियमों में निर्धारित है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को सजा दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हाँ ।

(ख) सरकार द्वारा शिकायतों की जांच की गई थी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) कयर बोर्ड की 22 नवम्बर, 1979 को कोई भी बैठक नहीं हुई थी । 24 नवम्बर को एक विशेष बैठक बुलाई गई थी जिसमें कुछ सदस्यों ने सम्पर्क अधिकारी के काम की आलोचना की थी तथा बोर्ड ने यह निर्णय लिया था कि सम्पर्क अधिकारी के वर्तमान पद का ग्रेड बढ़ा दिया जाए । सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मंत्रालय ने यह निर्णय लिया था कि इस प्रकार ग्रेड बढ़ाना जरूरी नहीं है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(च) भर्ती के नियमों के अनुसार समाचार पत्रों में पद का विज्ञापित करना आवश्यक नहीं था अतएव उसे समाचार पत्रों में नहीं दिया गया ।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नारियल जटा बोर्ड के चेयरमैन के विरुद्ध आरोपों की जाँच

2320. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा बोर्ड के चेयरमैन के विरुद्ध आरोपों के बारे में कोई जांच की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या 'प्रथम दृष्टया' कोई मामला सिद्ध हुआ है; और

(ग) क्या सम्बद्ध व्यक्तियों को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) : आरोपों की प्रारम्भिक जांच करने पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि अध्यक्ष ने एक मेले में भाग लेने के दौरान अनधिकृत व्यय किया तथा अनधिकृत प्रयोजनों के लिए बोर्ड की स्टाफ कार का कई बार उपयोग किया। निष्कर्षों पर आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन प्रक्रिया सरल बनाना।

2321. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन देने की प्रक्रिया को सरल बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस पुनरीक्षित योजना के अन्तर्गत लाई जा रही स्वतन्त्रता सेनानियों की श्रेणियां कौन सी हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन 1.8.1980 से उदार बना दी गई है और इसकी प्रक्रिया सरल कर दी गई है। इस सम्बन्ध में संसद के दोनों सदनों में जुलाई, 1980 में घोषणाएं कर दी गई थीं।

(ख) उदार बनाई गई पेंशन योजना में अन्य बातों के साथ ये व्याख्या है :

(क) सभी श्रेणियों के स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए वार्षिक आय सीमा समाप्त करना, जिससे आय के सत्यापन की जरूरत नहीं रही।

(ख) जीवित स्वतन्त्रता सेनानियों के सम्बन्ध में पेंशन 200/- रुपए से बढ़ाकर 300/- रुपए मासिक करना और विधवाओं के सम्बन्ध में प्रत्येक अविवाहित पुत्रियों के लिए 50/- रुपये के अतिरिक्त प्रावधान के साथ 100/- रुपए से बढ़ाकर 200/- मासिक करना, परन्तु कुल मिलाकर सीमा 300/- मासिक होगी (सभी महालेखाकारों से वर्तमान पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए नई दरों पर संशोधित पेंशन अदायगी आदेश जारी करने को कहा गया है)

(ग) सामान्य पेंशन की पात्रता के लिए महिला स्वतन्त्रता सेनानियों और

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के स्वतन्त्रता सेनानियो के मामले में यातना की अर्हक अवधि छः महीने से घटाकर 3 महीने करना ।

(घ) सभी श्रेणी के स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए संशोधित योजना के अधीन आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31.7.1981 करना ।

(ङ) विभिन्न कारणों से सरकारी रिकार्डों से सबूत प्रस्तुत करने में भूमिगत स्वतन्त्रता सेनानियों की असमर्थता होने पर ऐसे प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानियों की व्यक्तिगत जानकारी से उनके बारे में दिए गए प्रमाण-पत्र स्वीकार करना, जिन्होंने स्वयं 5 वर्ष से अधिक अवधि की सजा काटी थी ।

2. 1.8.1980 से सरकारी क्षेत्र के बैंकों से पेंशन लेने की सुविधा दी गई है ।

3. आवेदन पत्र का एक नया प्रोफर्मा निर्धारित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पूर्ण तथा स्वीकार्य फार्म में पूरी सूचना सुनिश्चित करने की व्यवस्था है ताकि स्पष्टीकरण के लिए आवृति प्रसंगों से बचा जा सके ।

4. यातना के दावों का शीघ्र सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से विशेष कक्ष खोलने और विशेष अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है । उनसे नई योजना का व्यापक प्रचार करने के लिए भी अनुरोध किया गया है ।

कागज और गत्ते का निर्माण करने वाली इकाइयाँ

2322. **श्री अमरसिंह वी० राठवा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77, 1978 और 1979 के दौरान भारत में कागज और गत्ते का निर्माण करने वाली कितनी इकाइयाँ कार्य कर रही थीं और उनका वार्षिक उत्पादन कितना था;

(ख) वर्ष 1980 के दौरान नई इकाइयाँ खोलने के लिए कितने-कितने उत्पादन के कितने नए लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ग) क्या कागज और गत्ते का उत्पादन वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसकी कमी के मुख्य कारण क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) वर्ष 1976, 1977, 1978 तथा 1979 में कागज और गत्ते का उत्पादन करने वाले एककों की संख्या तथा उनका वार्षिक उत्पादन निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	एककों की संख्या	उत्पादन (लाख मी० टनों में)
1976	75	8.80
1977	75	9.369
1978	86	10.06
1979	106	10.47

(ख) कागज और गत्ते का उत्पादन करने के लिए नए उपक्रमों की स्थापना करने हेतु वर्ष 1980 (31.10.80 तक) में 11 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। किसी भी एकक ने उत्पादन शुरू नहीं किया है।

(ग) तथा (घ) यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन में दृढ़ता से विकास हुआ है फिर भी उत्पादन में माँग के अनुरूप बढ़ोतरी नहीं हुई है और थोड़ी सी कमी है।

पर्यावरण संरक्षण समिति का प्रतिवेदन

2323. **श्री लक्षमण मलिक :** क्या **विज्ञान और प्राद्योगिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है सरकार द्वारा गठित पर्यावरण संरक्षण समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्तसम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी तथा इलेट्रानिकस विभागों में राज्य मंत्री : (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हाँ ! रिपोर्ट 15 सितम्बर, 1980 को प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की गई थी।

(ख) समिति ने निम्नलिखित दो वर्गों के अधीन 21 सिफारिशें की हैं :

1. पर्यावरणीय प्रतिरक्षा के प्रशासनिक उपाय; और
2. पर्यावरणीय प्रतिरक्षा के लिए विधायी उपाय।

समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

1. पर्यावरणीय प्रतिरक्षा के लिए प्रशासनिक उपाय।

(1) केन्द्र में शीघ्र ही एक पर्यावरण विभाग (डी०ओ०ई०) का सृजन किया जाना चाहिए ताकि दीर्घकालिक (निरन्तर) राष्ट्रीय विकास के लिए पर्यावरणीय संरक्षण की महत्वपूर्ण और केन्द्रस्थ भूमिका को स्पष्ट मान्यता प्रदान की जा सके।

(2) पर्यावरण विभाग को प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन होना चाहिए और इसे प्राथमिक रूप से एक 'निगरान' की भूमिका अदा करनी चाहिए और इस नाते सभी क्षेत्रों

में पर्यावरणीय निम्नीकरण के उदाहरणों, कारणों और परिणामों का अध्ययन करना चाहिए और उन्हें सरकार और संसद के ध्यान में लाना चाहिए ।

(3) पर्यावरण विभाग के कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे :

(क) समन्वयकारी भूमिका में पर्यावरणीय प्रति रक्षा और पारि-विकास के लिएएक 'नोडीय' अभिकरण के रूप में कार्य करना।

(ख) विकास परियोजनाओं का पर्यावरणीय मूल्यांकन करना; और

(ग) प्रदूषण, मानीटरन और विनियमन के लिए प्रत्यक्ष प्रशासनिक उत्तर-दायित्व, क्रांतिक पारितंत्रों का संरक्षण और जीवमंडल रिजर्वों की प्रबन्ध व्यवस्था और समुद्री पारितंत्रों का संरक्षण ।

(4) रिपोर्ट में पर्यावरणीय प्रतिरक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका की भी रूपरेखा दी गई है। सरकार के मंत्रालयों और विभागों सृजित पर्यावरणीय परामर्शदाताओं के पर्यावरणीय विभाग से वही सम्बन्ध होंगे जैसा कि वित्तीय सलाहकारों के वित्त मंत्रालय के साथ। पर्यावरण विभाग में एक पर्यावरण विभाग में एक पर्यावरणीय मानीटरन सूचना और शीघ्र पूर्व चेतावनी प्रणाली और एक विधि स्कंध होना चाहिए ताकि पर्यावरणीय विधायन की लगातार और व्यवस्थाबद्ध आधार पर समीक्षा की जा सके और ऐसे क्षेत्रों की सिफारिश की जा सके, जहाँ नए-विधायन की आवश्यकता होगी। इसमें एक केन्द्रीय भूमि आयोग (पी० एल० सी०) स्थापना की जानी चाहिए जो कि स्वास्थ्य और भूमि संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबन्धन से सम्बन्धित मामलों के लिए नीति नियोजन अभिकरण के तौर पर काम करेगा। इसमें पर्यावरणीय नीति संबंधी मामलों के लिए एक राष्ट्रीय पर्यावरणीय योजना समिति (एन० सी० ई० पी०) की स्थापना की जाएगी और यह पर्यावरण विभाग और अन्य केन्द्रीय और राज्य अभिकरणों के लिए योजना और परामर्श आगमों की व्यवस्था करेगा।

(5) देश में पर्यावरणीय प्रतिरक्षा के लिए नीति निर्धारण करने और इसकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पर्यावरण पर एक मंत्रिमंडलीय समिति की भी सिफारिश की गई है। राज्य सरकारों में, उपयुक्त प्रशासनिक विभागों का नामन किया जाना चाहिए ताकि वे पर्यावरणीय प्रतिरक्षा से संबंधित योजना और समन्वयकारी कार्यों की देखभाल कर सकें। इस सम्बन्धित विभाग को शक्तिशाली तकनीकी समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए। समिति ने जीवमंडल रिजर्वों का अभिनिर्धारण करने और ऐसे रिजर्वों की उपयुक्त प्रबन्ध व्यवस्था करने की आवश्यकता पर बल दिया है और पर्यावरणीय प्रबन्धकों के प्रशिक्षण के लिए भी सिफारिश की है। समिति ने पर्यावरणीय शिक्षा का सम्वर्द्धन करने के लिए उपायों की भी सिफारिश की है।

2. पर्यावरणीय प्रतिरक्षा के लिए विधायी उपाय :

(1) एक राष्ट्रीय पर्यावरणीय नीति संकल्प अपनाया जाना चाहिए। समिति ने एक प्रारूप नीति संकल्प की सिफारिश की है।

(2) समिति ने केन्द्रीय और राज्य विधायन की समीक्षा के लिए क्षेत्रों का अभिनिर्धारण कर लिया है। इसने ऐसे क्षेत्रों का सुझाव दिया है जहां नए विधायन की आवश्यकता है।

(3) समिति ने यह सिफारिश की है कि 'पर्यावरणाय प्रतिरक्षा' नाम से एक नए विषय को भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

(4) समिति ने यह भी सिफारिश की है कि अनियंत्रित व्यापारिक हितों से और अल्पकालिक लाभ प्रेरणाओं से पर्यावरण के लिए निम्नीकरण पर अंकुश रखने के लिए विधायी या कार्यकारी कार्य किए जाने चाहिएं और ईंधन और चारा आपूर्ति को केन्द्रीय सरकार के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' में शामिल किया जाना चाहिए।

स्टेनोग्राफरों द्वारा दूसरी परीक्षा पास किया जाना

2324. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भर्ती के समय संघ लोक सेवा आयोग की शार्टहैण्ड-परीक्षा पूरी करने पास करने वाले स्टेनोग्राफरों को वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए, जो पदानुक्रम में केवल एक पद आगे है, विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा पास करने के बाद फिर परीक्षा पास करनी होती है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) : अनुभाग अधिकारियों/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड 'ख' में पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिया परीक्षा कनिष्ठ अधिकारियों को वरिष्ठता द्वारा पदोन्नति की सामान्य प्रक्रिया की तुलना में उनके वरिष्ठ अधिकारियों से आगे पदोन्नति का अवसर उपलब्ध करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तव में केवल योग्य तथा व्यावसायिक रूप से सक्षम व्यक्तियों को ही पदोन्नति मिले, यह आवश्यक है कि आशुलिपि की परीक्षा ली जाए क्यों कि पदोन्नति के पश्चात् वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सम्बद्ध किए जाते हैं। अतः यह परीक्षा लेना आवश्यक ही है जिससे वे तकनीकी तथा व्यावसायिक तौर पर सक्षम रहें।

सशस्त्र सेना मुख्यालय में आशुलिपिक

2325. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेना मुख्यालय में जिन आशुलिपिकों ने आशुलिपिक श्रेणी II सेवा वर्ष 1964 में शुरू की थी उन्हें सेलेक्शन ग्रेड नहीं दिया गया है जब कि रक्षा मन्त्रालय में उन्हीं के समकक्ष आशुलिपिकों को जिनकी वरिष्ठता भी उन्हीं के समान है यह ग्रेड पहले ही दे दिया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रेड II के उन सभी आशुलिपिकों को जिन्होंने उसी ग्रेड में 14 वर्ष की सेवा कर ली है, सेलेक्शन ग्रेड देने के लिए उपचारात्मक उपाय करने का है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं। रक्षा मंत्रालय में 31 दिसम्बर, 1962 तक नियुक्य किए गए। आशुलिपिक ग्रेड-II को नियमित रिक्त पदों पर सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्त किया गया है। रक्षा मन्त्रालय में 1-1-1963 से फरवरी 1965 की अवधि में नियुक्त किए गए कुछ और आशुलिपिक ग्रेड-II को भी अल्प-कालीन रिक्त पदों पर सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्त किया गया है।

1964 में नियुक्त किए गए 38 आशुलिपिक ग्रेड II को छोड़ कर सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के सभी आशुलिपिक ग्रेड II को सेलेक्सन ग्रेड दिया जा चुका है।

(ख) जी नहीं ! अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी 14 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्वतः ही सेलेक्सन ग्रैड दिए जाने के बारे में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की विभागीय परिषद् (जे० सी० एम०) में कर्मचारी पक्ष ने एक माँग विचारार्थ भेजी हुई है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए पदों का आरक्षण

2326. **श्रीमती संयोगिता रांणे** : क्या **गृह मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी चयन आयोग ने ये निष्कर्ष निकाले हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित विभिन्न पदों पर इन समुदायों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में नहीं आ रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित पदों की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) कर्मचारी चयन आयोग ने अनुसूचिन जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने में कुछ त्रुटियाँ पायी थीं, जिनमें उक्त आयोग के गठन किए जाने के पूर्व से ही न भरी गई आरक्षित रिक्तियां भी शामिल थी।

(ख) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जिन विभिन्न वर्गों के लिए भर्ती की जाती है उनमें 1.1.1979 को की गई गणना के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लगभग 2500 और अनुसूचित जन जातियों के लिए 2300 रिक्तियां थीं ।

(ग) सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों की विशेष भर्तियाँ करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग में एक विशेष सैल का गठन किया है । यह सैल अग्रनीनि रिक्तियों तथा उत्पन्न होने वाली नई रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षाएं आयोजित कर रहा है ।

भर्ती आयोगों के निर्धारित आवेदन पत्र फार्म की कीमत

2327. **श्री आर० के० महालगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न भर्ती आयोगों अथवा केन्द्र सरकार के बोर्डों द्वारा निर्धारित किए गए रोजगार के लिए आवेदन पत्र फार्मों की कीमतें क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस बात को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र फार्मों की कीमतें घटाने का है कि ये फार्म बेरोजगार व्यक्तियों को बेचे जाने हैं जिनके लिये इनकी कीमत अदा करना मुश्किल होता है ?

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री : (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) : केन्द्रीय सरकार के विभिन्न भर्ती आयोगों द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र फार्मों की कीमतें निम्न प्रकार है :—

संघ लोक सेवा आयोग :

2/- रुपये प्रति फार्म । साक्षात्कार द्वारा चयन के आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए कोरा आवेदन पत्र फार्म अनुरोध करने पर मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है । सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षाओं के मामले में कोई पृथक आवेदन पत्र फार्म नहीं है । उम्मीदवारों को, अपेक्षित फार्मेट में सादे कागज पर, आवेदन करने की अनुमति है । सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षाओं में, एक विस्तृत आवेदन पत्र, फार्म उपलब्ध कराया जाता है और उम्मीदवारों से अलग से कोई कामत नहीं ली जाती है ।

कर्मचारी चयन आयोग :

70 पैसे प्रति फार्म । उम्मीदवारों को सादे कागज पर भी आवेदन करने की अनुमति है ।

रेलवे लोक सेवा आयोग :

2/- रुपये प्रति फार्म (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए 50 पैसे) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है कि आवेदन पत्र फार्मों की कीमतें कम की जाएं क्योंकि विद्यमान कीमत नाममात्र ही है ।

अनुसन्धान अधिकारियों के गैर-संवर्गी पदों का भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड चार में सम्मिलित किया जाना

2328. **रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना और स्वाथ्य मंत्रालय में अनुसंधान अधिकारियों के अनेक गैर संवर्गी पदों को जो पहले वर्ष 1970-71 से लेकर बाद तक कतिपय विशिष्ट निर्धारित योग्यताओं के अनुसार भरे गए थे, अब अपने धारकों सहित भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-चार में सम्मिलित किया जा रहा है,

(ख) क्या भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड चार में प्रारम्भिक भर्ती के लिए बनाए गए भर्ती नियमों में ऐसे व्यक्तियों को दिए जा रहे इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के विषय में कुछ उल्लिखित तो नहीं है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार किन कारणों से ऐसी कार्यवाही करने के लिए बाध्य हुई, जो उन पोषक पद-धारकों के लिए हानिकर है, जो वर्ष 1968-69 से भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-चार के रिक्त पदों पर स्थानापन्न आधार पर कार्य कर रहे हैं ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) अनुसंधान अधिकारियों के पदों को भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-4 में सम्मिलित करना सम्बन्धी योजना मंत्रालय का कोई भी प्रस्ताव इस मंत्रालय में लम्बित नहीं है। परन्तु, भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-4 के रूपए 700-1300/-के वेतनमान में अनुसंधान अधिकारी/विश्लेषक/सांख्यिकीविद् के नौ पदों को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही की जा रही है। इन पदों को भारतीय सांख्यिकीय सेवा में सम्मिलित किए जाने पर इनके धारकों की सांख्यिकीय सेवा में नियुक्त पर भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियमावली के उपबन्धों के अनुसार विचार किया जाएगा।

(ख) तथा (ग) : विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के अधीन सांख्यिकीय कार्यों वाले ऐसे पदों को जिन्हें प्रारम्भिक गठन के समय संवर्ग में सम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया गया था, इट्ठा करके भारतीय सांख्यिकीय सेवा गठित की गई थी। कुछेक मंत्रालयों ने प्रारम्भ में उक्त सेवा में भाग नहीं लिया था। कुछ अन्य मंत्रालयों ने ऐसे सभी पदों को उक्त सेवा में सम्मिलित करने का प्रस्ताव नहीं किया था। बाद में ये मंत्रालय/विभाग इस सेवा में भाग लेने के लिए सहमत हो गए थे। जिन मंत्रालयों/विभागों ने संवर्ग में पदों के सम्मिलित करने के लिए पहले प्रस्ताव किया था उन्होंने कुछ और पदों को सेवा में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव किया। प्रारम्भिक गठन के समय इन आकस्मिक प्रस्तावों पर विचार नहीं किया गया था। इसलिए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियमावली को आशोधित किया गया था जिससे ऐसे पदों को संवर्ग में

सम्मिलित किया जा सके। ऐसे पदों के नियमित धारकों को उचित स्क्रीनिंग के पश्चात् उक्त सेवा में सम्मिलित करने के लिए व्यवस्था करने हेतु भी उक्त नियमावली में उपबन्ध करने पड़े थे। पोषक पद धारित करने वालों पर जो पहले ही भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-4 की रिक्तियों पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं, उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित पदों के लिए विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पद उनकी पदोन्नति के नियमित क्रम में नहीं आते। वैसे भी इन पदों को स्वाथ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर पहले ही भर लिया गया है और ये रिक्त नहीं पड़े हैं। भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियमावली में उक्त सेवा के ग्रेड-4 के 25 प्रतिशत पदों को पोषक-पद धारित करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था है। नए पदों के संवर्ग में सम्मिलित किए जाने के परिणाम स्वरूप सेवा में किसी भी अभिवृद्धि से उसकी पद संख्या में वृद्धि होती है। इस प्रकार से ग्रेड-4 में अतिरिक्त पदों के शामिल किए जाने से फीडर पद धारित करने वालों को पदोन्नति के लिए उपलब्ध पदों की संख्या में वृद्धि होगी जिससे उनकी पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि सेवा में नए पद सम्मिलित किया जाना पोषक पद धारित करने वालों के हितों के लिए हानिकारक है।

सीमेंट के धारण-मूल्य के सम्बन्ध में बैठक

2329. : **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया: क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट "मैनुफैक्चरर्स" एशोसिएशन ने हाल ही में उनसे सीमेंट के धारण मूल्य में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके समर्थन में उन्होंने क्या आधार प्रस्तुत किए हैं;

(ग) इस समय गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के सीमेंट एककों द्वारा क्रमश: कितना लाभान्तर कमाया जा रहा है; और

(घ) सीमेंट के धारण मूल्य में वृद्धि करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना : (क), (ख) और (घ) : 3 मई, 1980 से सीमेंट के संधारण मूल्य संशोधित कर पुन: निर्धारित किए गए थे। सीमेंट उत्पादक संघ ने अभ्यावेदन किया है कि मूल्यों में अनुमत बढ़ोतरी अपर्याप्त है और लागत से जो बढ़ोतरी हुई है वह इससे पूरी नहीं होती है। इस अभ्यावेदन की जांच की जा रही है।

(ग) विभिन्न कारखानों के बारे में लाभ/हानि की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

किन्तु भारतीय सीमेंट निगम के पिछले 3 वर्षों के कार्यपरिणाम निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	लाभ/हानि (रू० लाखों में)
1977-78	(—) 98.31
1978-79	(—) 82.46
1979-80	(जमा) 109.55

पंजाब में सीमेंट की कमी

2330 : **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में सीमेंट की भारी कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो उस राज्य को शीघ्र सप्लाई भेजने के लिए उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) विभिन्न राज्यों को सीमेंट की सप्लाई करने सम्बन्धी क्या मानक निर्धारित किया हुआ है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) पंजाब सहित देश में सीमेंट की सामान्यतः कमी है।

(ख) पंजाब राज्य को सीमेंट का संभरण यथासंभव मात्रा तक बढ़ाने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) विभिन्न राज्यों को तुलनात्मक आवंटनों के आनार पर सीमेंट का संभरण करने के लिए कोई विशिष्ट मापदण्ड निर्धारित नहीं किए गएहैं। इस बारे में अनुदेश है कि राज्यों को जिनती मात्रा का आवंटन किया जा चुकी है उन्हें उतनी मात्रा में सीमेंट का संभरण दिया जाना चाहिए।

गौरेपुर कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण

2331 : **श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के गौरपुर कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि यदि इस का तत्काल राष्ट्रीयकरण संभव नहीं है तो इस एकक का किसी अच्छे सरकारी स्वामित्व के संगठन के साथ विलय किया जाये; और

(ग) उपरोक्त भाग "ख" में उल्लिखित प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड, कलकत्ता के राष्ट्रीकरण पर विचार नहीं दिया जा रहा है। किन्तु इसे एकीकृत प्रबन्धकीय सहायता देने के लिए विभिन्न विकल्पों में ये आधुनिक संगठनात्मक व्यवस्था वाली सरकारी क्षेत्र की एक बड़ी कम्पनी के साथ इस कम्पनी का विलयन/समामेलन करने की संभाव्यता का पता लगाया जा रहा है।

तिहाड़ जेल, दिल्ली में विद्यमान दुराचारों के बारे में जांच

2332. **श्री भीकूराम जैन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में विद्यमान दुराचारों की जांच करने का आदेश दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो जांच के विषय क्या हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) : केन्द्रीय जेल तिहाड़ में बन्दी एक दोषी द्वारा फाईल की गई रिट याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में 30.4.80 को ये आदेश पारित किए थे कि दिल्ली के जिला तथा सत्र न्यायाधीश तिहाड़ जेल में हो रहे भ्रष्टाचार आदि के आरोपों की खुली जांच करेंगे। उच्चतम न्यायालय के तत्सम्बन्धी निर्देश इस प्रकार हैं :—

"(1) दिल्ली के जिला और सत्र न्यायाधीश आज से तीन महीने के भीतर जेल के परिसर में, बन्दी कौशिक की याचिका में और श्री सुबोध मार्कन्डेय एडवोकेट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की एक खुली जाँच करेंगे।

(2) वे कैदी द्वारा अधीक्षक और उप-अधीक्षक के विरुद्ध लगाए गए व्यक्तिगत हमले और कैंटीन की धोखाबाजी में आवश्यक सहयोग और अन्य दुराचारों के आरोपों के विशिष्ट संदर्भ में भी जांच करेंगे।

(3) वे सुनील बतरा के मामले (रिट याचिका 1009/79) के निष्कर्ष भाग में जारी किए गए निदेशों के प्रश्न की, यह मालूम करने की दृष्टि से जांच करेंगे कि क्या इन निदेशों का वास्तविक रूप से पालन किया गया है और क्या इनके पालन करने में कोई कमी है या दोष है तथा क्या इसके लिए कोई उचित स्पष्टीकरण है।

(4) जेल का दौराकर्ता होने के नाते तनाव, दुराचार और हिंसा की स्थिति और

कैदियों की शिकायतों से स्वयं को अवगत कराना भी सत्र न्यायाधीश के दौरों के कार्यों का एक भाग है। वे इन पहलुओं के निवारक कार्यों का सुझाव देने की दृष्टि से जांच करने के लिए भी इस अवसर का लाभ उठाएंगे।

इस जांच पड़ताल का परिणाम इसके निष्कर्ष होंगे और इसके पश्चात इस दृष्टि से निर्देश भी दिए जाएंगे कि याचिका दायर करने वाला और उस जैसे अन्य व्यक्तियों पर अतिरिक्त कटुता का भार तो नहीं है और आवश्यक रूप से नजरबन्दी के लिए और सुधार लाने के लिए कठोर कारावास की कानूनी सजा से अधिक कड़ा दबाव तो नहीं है। सत्र न्यायाधीश जेल प्राधिकारियों को अपने निर्दशों को लागू करने के लिए विशिष्ट समय भी देगा और अनुपालन का समय पूरा होने के पश्चात वे यह जांच करने के लिए एक नया दौरा करेगा कि क्या ये आदेश पूरे किए गए हैं। पूरे न किए जाने की दशा में 30 सितम्बर 1980 से पहले इस न्यायालय को रिपोर्ट दी जाएगी जिस पर इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अनुपालन के प्रवर्तन के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी।"

2. अभी जांच की जा रही है। दिल्ली के जिला तथा सत्र न्यायाधीश ने कोई अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

नारियल जटा बोर्ड का पुनर्गठन

2333. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **उद्योग मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत आठ महीनों से नारियल जटा बोर्ड बिना निदेशक बोर्ड के काम कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के पुनर्गठन में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हाँ।

(ख) कैयर बोर्ड का कार्यकाल 4 फरवरी, 1980 को समाप्त हो गया था। बोर्ड का पुनर्गठन सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

नारियल जटा बोर्ड को आवंटित धनराशि

2334. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा नारियल जटा उद्योग के लिए रखी गई कुल राशि कितनी है जिसे 'नारियल जटा बोर्ड के माध्यम से 1980-81 के वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय किया जायेगा; और

(ख) 30 सितम्बर, 1980 को समाप्त हुई छमाही के दौरान कुल कितनी राशि उपयोग में लाई गई' ।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) :

(क) 140.75 लाख रुपए ।

(ख) 20.47 लाख रुपए ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड के अधिकारियों और डाइरेक्टरों का स्थानान्तरण ।

2335. **श्री एस०एम० कृष्ण** : क्या गृह मन्त्री केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड के अधिकारियों और डाइरेक्टरों के स्थानान्तरण के बारे में 18 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1143 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है,

(ख) यदि हां, तो कब, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस मामले का निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या :

(क) तथा (ख) : जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) उक्त मामला अभी विचाराधीन है तथा शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ।

आयात-प्रतिस्थापक समिति का प्रतिवेदन

2336. **श्री एस०एम० कृष्ण** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात-प्रतिस्थापक समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है, यदि हां, तो कब और इसकी कुछ मुख्य सिफारिशों पर की गई अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाही क्या है;

(ख) मूलत: कमेटी का गठन कब किया गया था और कितनी बार इसकी समय अवधि बढ़ाई गई हैं और इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्तों तथा उनके यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते, सचिवालय, स्टाफ कार आदि पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को स्टाफ कार और सरकारी आवास आदि की सुविधायें दी गई थीं; यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या हैं; और

(घ) क्या समिति को अभार मुक्त कर दिया गया है अथवा इसका कार्यकाल और

बढ़ा दिया गया है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसका कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है ।

उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी हां । समिति का प्रतिवेदन सरकार को औपचारिक रूप से 16 अक्तूबर, 1980 को प्रस्तुत किया गया था, अतः विभिन्न सिफारियों (जो कुल 3 हैं) पर की गई कार्रवाई के बारे में बताना अभी समयपूर्व होगा ।

(ख) समिति का गठन 26.6.79 को किया गया था और प्रारम्भ में इसका कार्य-काल 6 मास रखा गया था । इसके कार्यकाल को 31.10.80 की अवधि में चार बार बढ़ाया गया था । यह एक विभागीय समिति थी जो औद्योगिक विकास विभाग तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय की देख-रेख में कार्य कर रही थी । सचिवालयीय स्टाफ कार, टैलीफोन आदि पर खर्च के लिए बजट में अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया था क्योंकि ये सुविधायें विभागीय तौर पर उपलब्ध कराई गई थीं । समिति के अध्यक्ष अथवा सरकारी गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्तों दैनिक भत्तों पर कोई खर्च नहीं किया गया है । अध्यक्ष को उनके कार्यकाल के दौरान प्रति मास 2000 रु० का मानदेय दिया गया था ।

(ग) समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को सामान्य तौर पर सरकारी अधिकारियों को सुलभ स्टाफ कार का प्रयोग करने जैसी सुविधाओं के अलावा कोई विशेष सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई थीं । अध्यक्ष को सरकारी आवास रखने की अनुमति दी गई थी, जो भारत सरकार के सचिव की हैसियत से सेवा-निवृति के समय उनके पास था ।

(घ) यह समिति 1.11.1980 से समाप्त हो गई है ।

दिल्ली में पुलिस बल के लिए नियुक्तियाँ

2337. **श्री डी०एस०ए० शिवप्रकाशन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में इस वर्ष पुलिस बल के लिए कोई नियुक्तियाँ की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसके लिए कोई लिखित परीक्षा और स्वास्थ्य जांच परीक्षा नहीं ली गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) : चालू वर्ष में दिल्ली पुलिस में उम्मीदवारों की भर्ती के लिए परीक्षाएं और शारीरिक/डाक्टरी जांच की गई है । परन्तु दिल्ली पुलिस में कांस्टेबलों की भर्ती को नियन्त्रित करने वाले स्थाई

आदेश में यथा उपवधित छूट देकर निम्नलिखित श्रेणियों के 56 व्यक्ति भरती किए गए हैं :

खेल कूद	14
बहादुरी का कार्य निष्पादन	1
पुलिस कर्मचारियों के आश्रित होने के कारण सहानुभूनि के आधार पर	26
बिक्री कर विभाग के भूतपूर्व सिपाही	15
	56

परन्तु उनकी डाक्टरी परीक्षा की गई थी और फिर घोषित किए जाने पर ही भरती किया गया था।

नई दिल्ली नगर पालिका का अतिलंघन करने के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

2338. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या गृह मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने नई दिल्ली नगरपालिका के अतिलंघन को गैर-कानूनी रूप में पाया है, और

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : नई दिल्ली नगरपालिका की बरखास्तगी की परिपुष्टि करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण बेंच के निर्णय के विरुद्ध नई दिल्ली नगरपालिका के भूतपूर्व सदस्य श्री एस०एल० कपूर द्वारा दायर की गई एक अपील पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि नई दिल्ली नगरपालिका को बर्खास्त करने वाला उपराज्यपाल का 27 फरवरी, 1980 का आदेश रद्द किया जाता है क्योंकि इसमें "दूसरे पक्षकार को सुनने" के सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा "हम न तो अधिसूचना रद्द करते हैं और न पालिका बहाल करते हैं। यह भी न समझा जाय कि हम बरखास्तगी के गुण दोषों पर कोई राय व्यक्त कर रहे हैं"। इसको ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न प्रतीत नहीं होता है।

बड़े औद्योगिक गृहों को जारी किए गए लाइसेंस

2339. **श्री एस०एम० कृष्ण** : क्या उद्योग मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 और वर्ष 1980 (सितम्बर, 1980 तक) के दौरान पन्द्रह बड़े औद्योगिक गृहों से

सम्बन्धित उपक्रमों को जारी किए गए औद्योगिक गृहों का लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : कम्पनी कार्य विभाग द्वारा (31.12.1978 को) 15 सबसे बड़े औद्योगिक घरानों सम्बन्धी निर्धारित क्रम-बद्धता के अनुसार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन 1.1.1979 से 30-9-80 तक की अवधि में स्वीकृत किए गए लाइसेंसों की संख्या निम्न प्रकार है :

	औद्योगिक घराने का नाम	1.1.79 से 30.9.80 तक के अवधि में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या
1.	बिड़ला	7
2.	टाटा	1
3.	मफतलाल	1
4.	जे०के० सिंघानिया	2
5.	थापर	2
6.	आई०सी०आई०	4
7.	बैंगुर	—
8.	श्री राम	2
9.	आयल इण्डिया	—
10.	सिन्धिया	—
11.	लारसन एण्ड ट्यूब्रो	3
12.	ए०सी०सी०	1
13.	भिवण्डीवाला	1
14.	किर्लोस्कर	7
15.	हिन्दुस्तान लीवर	1

जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा "बीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसिज, एक्सपोर्ट लाइसेंसिज एन्ड इण्डस्ट्रियल लाइसेन्सिज" में तथा भारतीय निदेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित "मंथली न्यूज लैटर" के परिशिष्ट में प्रकाशित किया जाता है। इन इन प्रकाशनों की प्रतियाँ संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

पटपड़गंज रोड, दिल्ली पर दुर्घटनाएं

2340. **प्रो० अजितकुमार मेहता** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गीता कालोनी से शकरपुर चौराहे तक पटपड़गंज रोड पर पिछले

तीन वर्षों में कितनी दुर्घटनाएं हुई और उनमें कितने व्यक्ति मरे;

(ख) कितनी दुर्घटनाओं में दिल्ली परिवहन निगम की बसें शामिल थीं और प्रत्येक दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे; और

(ग) सड़क के इस हिस्से पर यातायात एक तरफा है या दो तरफा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 30 दुर्घटनाएं सूचित की गई थी जिनमें 7 व्यक्ति मारे गए थे।

(ख) इन दुर्घटनाओं में से तीन में दिल्ली परिवहन निगम की बसें अर्न्तगत थीं और ऐसी एक दुर्घटना में 3 व्यक्ति मारे गए थे।

(ग) इस सड़क पर दो तरफा यातायात है।

निरंकारी प्रमुख और गौतम जैसिंघानी हत्याकाण्डों का पता लगाना

2341. **श्री रामविलास पासवान :**

श्री चिरन्जीलाल शर्मा :

श्री अमर राय प्रधान : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरंकारी प्रमुख और गौतम जयसिंघानी के हत्याकाण्डों को पुलिस द्वारा सुलझा लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो पुलिस प्राधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण सुराग मिल जाने का दावा करने के बावजूद इन मामलों का पता न लगा पाने के क्या कारण हैं; और

(ग) जाँच में लगे लोगों के काम में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) से (ग) : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो निरंकारी प्रमुख की हत्या से सम्बन्धित मामले की जांच कर रहा है और जांच पूरी करने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त समिति, जिसके अध्यक्ष दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, जाँच की प्रगति का प्रबोधन कर रही है।

गौतम जयसिंघानी की हत्या से सम्बन्धित मामले की जांच दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है और अपराधियों का पता लगाने के सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

सीमेंट की चोर बाजारी के सम्बन्ध में गिरफ्तारी

2342. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चोर बाजार में सीमेंट बेचने के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(ख) इस सिलसिले में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कितने ठेकेदार गिरफ्तार किए गए हैं; और

(ग) सरकार का विचार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) : आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत सीमेंट को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है। अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए राज्य सरकारों को कार्रवाही करनी पड़ती है। उन्हें शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया गया है। इस बारे में की गई गिरफ्तारियों से सम्बन्धित आँकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

परम्परागत व्यवसायियों को परेशानियाँ

2343. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि परम्परागत व्यवसाय करने वालों को परेशानियाँ हो रही हैं और वे धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार इन परम्परागत व्यवसायियों को कोई वित्तीय सहायता देने जैसे उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) से (घ) : अनेक सर्वेक्षण और रिपोर्टें, कुछ सीमा तक, परम्परागत व्यवसायों में लगे ग्रामीण कारीगरों को होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को दर्शाती हैं। उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए, विभिन्न विकास कार्यक्रमों और नीतियों को कार्यान्वित किया जा रहा है, ताकि कौशल प्राप्त करने और आमदनी में वृद्धि के लिए उनकी सहायता की जा सके। उपलब्ध वित्तीय सहायता में अन्य बातों के साथ-साथ उनको आवश्यक कच्चा माल, आर्थिक सहायता और संस्थागत ऋण देने, विपणन सुविधाओं का आयोजन करने, उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रम को (ई०डी०पी०) पुनः चालू करने और वर्तमान कौशलों में वृद्धि करने तथा स्वः नियोजन के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (टी०आर०वाई०एस०ई०एम०) के माध्यम से अनुषंगिक आय की व्यवस्था शामिल है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कानूनी सेल खोलना

2344. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कानूनी सैल न होने के कारण मामलों पर विचार करने के लिए कोई अद्यतन संदर्भ और सिद्धान्त नहीं है;

(ख) क्या समूचे भारत में बहुत बड़ी संख्या में अनिर्णीत पड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए एक उच्च-स्तरीय कानूनी सैल खोले जानें तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कम से कम एक सहायक आयुक्त की अध्यक्षता वाले छोटे कानूनी सैल खोले जाने का विचार है, और

(ग) क्या सरकार का विचार कानूनी स्पष्टीकरणों की एक दस्ती पुस्तिका (हैंडबुक) की अद्यतन प्रति प्रकाशित करने का है जो किसी भी हालत में बाजार में प्रकाशित होने वाली विभिन्न पुस्तकों से घटिया न हो ?

श्रम मन्त्रालय में उप-मन्त्री : (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) और (ख) : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्यालय के लिए विधि अधिकारी का एक पद स्वीकृत किया गया है ताकि कानूनी मामलों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। क्षेत्रीय कार्यालयों में कानूनी सैल स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार हो रहा है।

(ग) कानूनी स्पस्टीकरणों की पुस्तिका (हैंडबुक) संगठन में पहले से ही प्रयोग में लाई जा रही है तथा इसे समय-समय पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को शामिल करके अद्तन किया जा रहा है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रशिक्षण

2345. **श्री राजेन्द्रप्रसाद यादव** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नये ए० सीज०, पी०एफ०आईज० तथा एल०डी०सीज० के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण तथा कार्मिक निदेशालय के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं मूल्याँकन सैल खोलने की तत्काल आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार का विचार सुचारू और कुशल प्रशासन के लिए ए०सी० पी०एफ०आईज० तथा एल०डी०सी० सहित सभी नये व्यक्तियों को कड़ा प्रशिक्षण देने का है, और

(ग) क्या व्यक्तियों के बीच लेखाओं, प्रवर्तन तथा कानूनी धारा के स्पष्टीकरण के लिए सामूहिक चर्चा की जायेगी ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) और (ख) : जी, हाँ। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में पहले से ही कार्मिक और प्रशिक्षण निदेशक

है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रशिक्षण का काम देखता है। अवर श्रेणी लिपिकों और उच्च श्रेणी लिपिकों के स्तर पर नए भर्ती किए गए व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए योजना हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में शुरू की गई है। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के द्वारा उच्च स्तरों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भी एक योजना तैयार की गई है। यह योजना प्रवेश स्तर पर प्रशिक्षण योजना के बारें में कुछ अनुभव प्राप्त करने के पश्चात शुरू की जाएगी।

(ग) ग्रुप वार्तालाप की क्रियाविधि को निःसंदेह प्रशिक्षण पाठयक्रमों में अपनाया जाएगा।

मैथ्यू समिति के प्रतिवेदन पर कार्रवाई

2346. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

राष्ट्रीय रोजगार सेवा पर मैथ्यू समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : मैथ्यू समिति की सिफारिशों को सरकार की अधिकार प्राप्त समिति, जिसमें सम्बन्धित मन्त्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं, द्वारा जांच की गई थी। इस अधिकार प्राप्त समिति ने अपने विमर्श को अंतिम रूप दे दिया है। मैथ्यू समिति की पूरी रिपोर्ट तथा विभिन्न सिफारिशों पर इस अधिकार प्राप्त समिति के विचार और टिप्पणियां अब अन्तिम निर्णय के लिए सरकार को प्रस्तुत की गई है।

शिवकाशी में कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पताल

2347. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिवकाशी तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में ऐसे कितने लघु एकक हैं जो कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा तथा भविष्य निधि की सुविधाएं देते हैं;

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन शिवकाशी में कितने अस्पताल खोले गए हैं; और

(ग) क्या उक्त कारखानों में कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत अग्नि शमन उपकरणों तथा अन्य कानूनी अपेक्षाओं का पालन किया जा रहा है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत ऐसे 220 एकक आते हैं जबकि कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत 250 एकक आते हैं।

(ख) शिवकाशी में एक कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय है और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के सदस्यों के लिए सरकारी अस्पताल शिवकाशी में 19 पलंग आरक्षित हैं।

(ग) जी, हाँ।

शिवकाशी के लघु दियासलाई एककों में बालश्रमिकों की काम करने की हालत में सुधार करना

2348. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : शिवकाशी के लघु दियासलाई एककों में बाल श्रमिकों के काम करने की दशा में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने शिवकाशी में छोटे दियासलाई एककों में बाल श्रमिकों की कार्य दशा में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए है :

(1) बाल श्रमिकों की समस्याओं से निपटने के लिए शिवकाशी में कारखानों के दो निरीक्षकों को तैनात करके प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ किया गया है ।

(2) शिवकाशी में दियासलाई एककों में बाल श्रमिकों की कार्य दशाओं में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदेश जारी किए गए हैं ।

(3) हाल ही में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है ताकि रामानाथपुरम जिला में कल्याण उपायों के कार्यान्वयन और बाल श्रमिक समस्याओं से सम्बन्धित विभिन्न एजेन्सियों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा सके ।

खादी ग्रामोद्योग के कर्मचारियों का विवाद

2349. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों के औद्योगिक विवादों के न्याय-निर्णय के प्रश्न को लगभग 20 वर्षों तक दिल्ली प्रशासन के क्षेत्राधिकार में रखने के बाद कुछ वर्ष पूर्व केन्द्रीय सरकार के श्रम विभाग को अन्तरित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी०वेंकट रेड्डी) : खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली से सम्बन्धित औद्योगिक विवाद के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग द्वारा 1975 तक कार्यवाही की जा रही थी । श्रम न्यायालय, दिल्ली ने अपने निर्णय तारीख 5.4.1975 में यह कहा कि केन्द्रीय सरकार खादी और ग्राम उद्योग आयोग के सम्बन्ध में सम्बन्धित सरकार है । तत्पश्चात, खादी ग्रामोद्योग भवन के, जो खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा चलाया जा रहा है, कर्मचारियों के विवादों पर केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

'ब्रेवरीज' को खोलने के लिए सहायता

2350. **श्री छांगूर राम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में 'ब्रेवरीज' को खोलने के लिए वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की कोई सहायता देती है;

(ख) यदि हाँ, तो उत्तर प्रदेश में इस समय कितनी 'ब्रेवरीज' हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ग) इन 'ब्रेवरीज' को केन्द्रीय सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता दी गई है, और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा किन शर्तों पर सहायता दी गई है ।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) द्वारा सभी सावधिक ऋणदात्री संस्थाओं के लिए जारी किए गए मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत "बीयर, शराब तथा अलकोहल युक्त स्पिरिट" को उद्योगों की "नकारात्मक सूची" में सम्मिलित कर लिया गया है, जिन्हें उनकी निम्न प्राथमिकता अथवा पर्याप्त क्षमता की स्थापना के कारण सामान्यतः वित्तीय सहायता का पात्र नहीं समझा गया है ।

(ख), (ग) तथा (घ) : ऊपर भाग (क) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता ।

सेंचुरियन टैंकों का संशोधन करने के लिए प्रस्ताव

2351. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 74 में "सेंचुरियन टैंकों" का संशोधन करने के लिए स्थल सेना के सामान्य कर्मचारियों द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) थल सेना मुख्यालय की सामान्य कर्मचारी शाखा ने सेंचुरियन टैंकों के आधुनिकीकरण के लिए 1972 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । 1973 74 में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था ।

(ख) और (ग) सेंचुरियन टैंकों के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव पर 1972 में विचार किया गया था । किन्तु जब इस प्रस्ताव की व्यापक रूप से जांच की गई तो इसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि सेंचुरियन टैंक 19 वर्ष पुराने थे और इन टैंकों के आधुनिकीकरण

पर होने वाला खर्च पूर्वी यूरोपीय देशों में उपलब्ध टैंकों के मूल्य से अधिक था। इसके अलावा, आधुनिकीकरण के अंतर्गत न आने वाली इन मदों के लिए आयातित किए जाने वाले अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति भी विश्वसनीय नहीं थी।

बंधुवा मजदूर

2352. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या श्रम मन्त्री** बंधुवा मजदूरों के प्रश्न पर राज्यों से मतभेद के बारे में 26 जून, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 277 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानूनी प्रावधानों के अनुसार खेतिहरि मजदूरों को जब तक नियोक्ता को उससे लिया गया ऋण लौटा नहीं देते अन्य नियोक्ताओं के पास उच्च वेतन पर भी कार्य करने की स्वतन्त्रता नहीं हैं और अब तक वे बंधुवा मजदूर है;

(ख) क्या बहत सी राज्य सरकारें और उनके बहुत से अधिकारी बंधुआ मजदूरों की ठीक परिभाषा अथवा पहचान के प्रश्न पर उलझन में है और उनके अस्तित्व को इनकार करते हैं;

(ग) क्या ऐसे बंधुवा मजदूरों जिन्हें काम करने की स्वतन्त्रता नहीं है 1981 में गणना की जाएगी; और

(घ) देश के खेतिहर मजदूरों के लिए काम करने की स्वतन्त्रता सुनिश्चित करने तथा सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों में उनकी न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) से (घ) : विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

बन्धित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 में बंधुवा श्रमिक की परिभाषा ऐसे श्रमिक के रूप में की गई है जो आबद्ध ऋण लेता है या लिया है या जिसके आवद्ध ऋण लेने का अनुमान है।' आबद्ध ऋण को "बंधुवा श्रम पद्धति के अनुसार या उसके अधीन किसी बंधुवा श्रमिक द्वारा लिए गए अग्रिम धन या लिए जाने वाले अनुमानित अग्रिम धन" के रूप में पारिभाषित किया गया है। दासता की उपस्थिति को निर्धारित करने वाले मुख्य तत्वों का बंधुवा श्रम पद्धति की परिभाषा में वर्णन किया गया है जिसका तात्पर्य "बेगार या आँशिक बेगार श्रम पद्धति से है जिसके अन्तर्गत कोई ऋणी किसी ऋणदाता के साथ इस आशय का समझौता करता है, या किया है करने की संभावना है कि :

(1) उसके द्वारा या वंशागत पूर्वज या वंशज द्वारा लिए गए किसी ऋण के बदले

में (चाहे ऐसा ऋण किसी दस्तावेज द्वारा प्रमाणित किया गया हो या न किया गया हो) और ऐसे ऋण पर ब्याज, यदि कोई हो, के बदले में, या

(2) किसी प्रथागत या सामाजिक दायित्व के अनुसरण में; या

(3) किसी ऐसे दायित्व के अनुसरण में जो उस पर उत्तराधिकार द्वारा डाला गया हो; या

(4) उसके द्वारा या उसके किसी वंशागत पूर्वज द्वारा प्राप्त किए गए किसी आर्थिक प्रतिफल के लिए; या

(5) किसी विशेष जाति या समुदाय में उसके जन्म के कारण,

(1) वह स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य या उस पर आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा ऋणदाता के लिए या ऋणदाता के लाभ के लिए निर्दिष्ट अवधि के लिए या अनिर्दिष्ट अवधि के लिए या तो बिना मजदूरी के या नाममात्र मजदूरी के लिए परिश्रम करना या सेवा प्रदान करेगा, या

(2) रोजगार की स्वतन्त्रता या रोजी के अन्य साधनों को विशिष्ट अवधि के लिए खो बैठेगा, या

(3) भारत की सम्पूर्ण सीमा में स्वतन्त्र रूप में घूमने के अधिकार को खो बैठेगा, या

(4) अपनी किसी प्रकार की सम्पत्ति या अपने श्रम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के श्रम से या किसी आश्रित व्यक्ति के श्रम से उत्पादित वस्तु को बाजार मूल्य पर खरीदने या बेचने के अधिकार को खो बैठेगा।

और बलपूर्वक या आंशिक रूप से बलपूर्वक पद्धति शामिल है, जिसके अन्तर्गत ऋणी का जमानती ऋणदाता के साथ इस बात का समझौता करता है या यह समझा जाता है कि उसने समझौता किया है कि ऋणी द्वारा ऋण की अदायगी न करने की सूरत में, वह ऋणी की ओर से बंधित श्रम करेगा,

बंधित श्रमिक संबंधी उप समिति की रिपोर्ट में, जो सरकार के विचाराधीन है, की गई विशिष्ट सिफारिशों में से एक सिफारिश यह है कि "श्रममंत्रालय उनके ध्यान में लाई गई किसी प्रकार की कानूनी कठिनाईयों को नोट करेगा और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को परिपत्र द्वारा स्थिति स्पष्ट करेगा। राज्य श्रम मन्त्री सम्मेलन के 31वें अधिवेशन में बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 में भी संशोधनों, यदि आवश्यक समझा गया, की सिफारिश की गई। इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित राज्य सरकारों से 26 सितम्बर, 1980 को अनुरोध किया गया कि वे इस विषय के सम्बन्ध में सूचना भेजे। अब तक किसी विशेष कानूनी कठिनाई का मामला प्राप्त नहीं हुआ है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रभावी कार्यवाही करे, जिसमें बंधित श्रमिकों, जहां कहीं विद्यमान है, का पता

लगाने और उन्हें पुर्नवासित करने के लिए गहन सर्वेक्षण करना शामिल है। कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्रीय विधान के ब्यौरे सरकार के विचाराधीन हैं, जबकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

कृषि श्रमिक

2353. **श्री सत्यनाराण जटिया :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि श्रमिकों के बारे में सरकार की नीति क्या है तथा सरकार कृषि श्रमिकों की पहचान किस प्रकार मान्यता देगी और श्रम कानूनों के अन्तर्गत उनको किस प्रकार उन्हें संरक्षण दिया जाएगा; और

(ख) कृषि श्रमिकों की मजूरी निर्धारित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री : (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्रीय विधान के ब्यौरे सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों को निर्धारित करने और संशोधित करने की प्रक्रिया न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 5 में निर्दिष्ट की गई है। संबंधित सरकार या तो समितियों/उप समितियों की नियुक्ति करके मजदूरी दरों को निर्धारित/संशोधित कर सकती हैं जो जाँच पड़ताल करेगी और इसे परामर्श देगी या सरकारी राज-पत्र में अधिसूचता द्वारा अपने प्रस्तावों को प्रकाशित कर सकती है, आपत्तियां मांग सकती है और न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के साथ परामर्श करके उन्हें अंतिम रूप दे सकती है।

15 वर्षों तक एक संगठन में सेवा करने वाले कर्मचारियों का पदोन्नति पर स्थानान्तरण

2354. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेना के मुख्यालय में एक संगठन में 15 वर्ष की सेवावधि वाले ऐसे कर्मचारियों को सहायक/सहायक सिविलियन्स स्टाफ अधिकारी और उससे ऊपर के रैंक में पदोन्नति हो जाती है उन्हें अन्य संगठन में स्थानान्तरित किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो जनवरी से जून, 1980 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ग में स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मचारियों की कुल जनसंख्या कितनी है;

(ग) प्रत्येक वर्ग में 15 वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी उसी संगठन में रखे गये ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित कर्मचारियों को बनाये रखने के बारे में विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जो सेवा के हित में उनके अधिकारियों द्वारा इन कर्मचारियों को वहीं रखे जाने की सिफारिशों के बाद भी स्थानान्तरित किये गये हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री शिवराज वी० पाटिल) :

(क) 28 मार्च 1980 को यह निर्णय लिया गया था कि जो अधिकारी काफी समय से उसी कार्यालय में कार्य कर रहे हैं उनका स्थानातंरण कर दिया जाए और इस बारे में तत्काल कार्रवाई करने के लिए चयन सूची से उन सहायक सिविलियन स्टाफ अफसरों को सिविलियन स्टाफ अफसर के रूप में पदोन्नत कर के स्थानांतरित किया जाए जिन्होंने अपने-अपने मुख्यालयों/संगठनों/शाखाओं में 15 वर्ष से अधिक अवधि की सेवा की हो, परन्तु उन अधिकारियों के मामलेमें छूट दी जाएगी जो दो वर्ष के भीतर सेवा निवृत होने वाले हैं। तदनुसार, 28 मार्च, 1980 से अधिकारियों को पदोन्नत करके उनकी नियुक्तियाँ कर दी गई।

2. 28 मार्च, 1980 से 30 जून 1980 तक केवल सिविलियन स्टाफ अफसर के ग्रेड में ही पदोन्नतियां की गई और उनके बारे में मांगी गई सूचना इस प्रकार है :—

	ग्रेड	संख्या
(ख) 28 मार्च से 30 जून, 80 की अवधि में स्थानांतरित किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या	सिविलियन स्टाफ अफसर	13
(ग) उन व्यक्तियों की कुल संख्या जो एक ही संगठन में 15 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर लेने पर भी उसी संगठन में रहने दिए ।	सिविलियन स्टाफ अफसर	4
(घ) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों को उसी संगटन में रहने देने के लिए विस्तृत कारण	इन अफसरों की सेवा-निवृति का समय दो वर्ष से भी कम रह गया था	
(ङ) उन व्यक्तियों की कुल संख्या जिन्हें सेवा के हित में उसी कार्यालय में रहने देने की सिफारिश किए जाने के बाद भी स्थानांतरित कर दिया गया।	सिविलियन स्टाफ अफसर	5

2. 28 मार्च, 1980 से पहले ऐसी कोई नीति नहीं थी कि जिन कर्मचारियों ने एक ही कार्यालय में 15 वर्ष की सेवा पूरा कर ली है, उन्हें स्थान्तरित कर दिया जाए। ऐसी पहली नीति 1974 में निर्धारित की गई थी जिसके अनुसार महत्वपूर्ण गोपनीय काम करने वाले (सेंजिटिव) अनुभागों काम कर रहे कर्मचारियों को छोड़कर सहायक स्तर तक के कर्मचारियों का स्थानान्तरण नहीं किया गया था। रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर अराजपत्रित कर्मचारियों को पदोन्नति के बाद भी उसी संगठन में रहने की अनुमति दी गई थी और राजपत्रित कर्मचारियों को रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर उसी मुख्यालय/शाखा/संगठन के भीतर एक निदेशालय से दूसरे निदेशालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। अपरिहार्य मामलों को छोड़कर, जिन कर्मचारियों की सेवानिवृति की 3 वर्ष से भी कम अवधि रह गई थी उन्हें कार्यालय से स्थानान्तरित नहीं किया गया था।

3. उपर्युक्त पैरा 2 में बताई गई नीति के अनुसार, सहारक ग्रेड में 1 जनवरी से 27 मार्च, 1980 तक की अवधि में पदोन्नतियाँ की गई थी। 28 मार्च से 30 जून, 1980 की अवधि में सहायक-ग्रेड में कोई पदोन्नतियां नहीं की गई था। 1 जनवरी, 1980 से 27 मार्च, 1980 तक सहायक ग्रेड में पदोन्नति किए गए कर्मचारियों के बारे मांगी सूचना इस प्रकार है :—

	ग्रेड	संख्या
(ख) 1 जनवरी, 1980 से 27 मार्च, 1980 तक की अवधि में स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या	सहायक	7
(ग) उन कर्मचारियों की कुल संख्या जिन्हें 15 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर लेने के बाद भी उसी संगठन में रहने दिया गया।	सहायक	8
(घ) उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित कर्मचारियों को उसी संगठन में रहने देने के लिए विस्तृत कारण	उन्हें 1974 की मूल नीति के अनुसार ही रखा गया।	
(ङ) उन कर्मचारियों की कुल संख्या जिन्हें सेवा के हित में उसी कार्यालय में रहने देने की सिफारिश किए जाने के बाद भी स्थानांतरित कर दिया गया।	सहायक	3

निश्चित समय के बाद पदोन्नति और इसका लागू किया जाना

2355. **श्री दया राम शाक्य : क्या रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निरीक्षण और अनुसंधान तथा विकास महानिदेशालय संगठन द्वारा पदोन्नति-

अवरोध की स्थिति को समाप्त करने के लिए अपनाई जा रही निश्चित समय के बाद पदोन्नति देने की नीति के लाभ को एस० एस० ए से जे०एस०ओ० में पदोन्नति के मामले में अर्थात जे० एस० ए० I से एस०एस० ए० तथा जे० एस० ए० II से जे० एस०ए० I में पदोन्नति के मामले में न दिये जाने के क्या कारण हैं और क्या कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) डी० जी० आई० आर्गेनाइजेशन में एस० एस०ए० से जे०एस०ओ० पद पर पदोन्नति से रिक्त हुए पदों को समाप्त करने के क्या कारण हैं जिससे निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का उच्च श्रेणी के पदों पर पदोन्नति का हक मारा गया ; और

(ग) क्या डी०जी०आई० आर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों के भावी जीवन में तरक्की हेतु पदोन्नति के नये अवसर बनाने का कोई वैसा ही प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जैसा कि सक्रिय सेना के कार्मिकों के मामले में विचाराधीन है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी पाटिल): (क) निरीक्षण महानिदेशालय और अनुसंधान तथा विकास संगठन ने एस०एस०ए० से जे०एस०ओ० तक किसी भी स्तर पर पदोन्नति के बारे में "समय वेतनमान पदोन्नति नीति" नहीं अपनाई है। परन्तु सरकार ने विभिन्न स्तरों पर पदोन्नति अवरोध की स्थिति को कम करने के लिए समय-समय पर कदम उठाए हैं।

(ख) एस०एस०ए० को जे०एस०ओ० के वर्तमान स्पष्ट रिक्त पदों पर पदोन्नत किया गया है और एस०एस०ए० और उससे नीचे के क्रमानुसार रिक्त हुए पद नीचे के स्तर के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने एस०ए०सए० के कई पदों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें जे०एस०ओ० का कर दिया है जिससे कि लम्बे समय से एस०एस०ए० के पद पर रुके हुए एस०एस०ए० को राहत दी जा सके।

(गं) निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में सभी वर्गों के कार्मिकों के संवर्ग का पुनरीक्षण किया जा रहा है ताकि जे०एस०ए० और एस०एस०ए० सहित सभी स्तरों पर पदोन्नति के पर्याप्त अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।

अमृतसर में पाकिस्तानी हथियारों का जब्त किया जाना

2356 : **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री माधवराव सिंधिया :

प्रो० मधु दण्डवते : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो-तीन महीनों के दौरान अमृतसर जिला पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश के नगरों के लिए अभिप्रेत पाकिस्तान द्वारा निर्मित हथियार जब्त किए गए थे;

(ख) क्या भारत में इन पाकिस्तानी हथियारों की तस्करा की कार्य प्रणाली और बाद में इन्हें दंगाग्रस्त नगरों के भेजने के बारे में कोई जांच पड़ताल की गई है; और

(ग) यदि हां तो तस्करों और इन हथियारों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) : पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अमृतसर पुलिस द्वारा 221 पाक-निर्मित रिवाल्वर जब्त किए गए थे और 21 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया था। अब तक हुई जांच पड़ताल से पता चला है कि हथियारों में से कुछ उत्तर प्रदेश के लिए अभिप्रेत थे जहां पर हथियारों की तस्करी करने वाले, हथियारों के व्यापारियों के साथ संपर्क रखते हैं। इस सम्बन्ध में अब तक अवैध हथियार प्राप्त करने वालों में से किसी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

ब्रिटेन द्वारा टैंकों की पेशकश

2358. **श्री के० पी० सिंह देव :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंगलैण्ड ने भारत को एक युद्ध टैंक बेचने की पेशकश की है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने किन अन्य टैंकों पर विचार किया है और इस संबंध में कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार टैंक निर्माण की अपनी प्रक्रिया को अद्यतन बनाने के लिए विदेशी तकनीकी जानकारी प्राप्त करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अन्य देशों द्वारा बनाए गये कुछ टैंकों पर विचार किया गया है किन्तु अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस बारे में अधिक विवरण प्रस्तुत करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

विदेशी सहयोग के प्रति उदार दृष्टिकोण

2359. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या उद्योग मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी सहयोग की स्वीकृति के प्रति अपना दृष्टिकोण उदार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो दृष्टिकोण उदार बनाने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) जनवरी से जून, 1980 के बीच कितने विदेशी सहयोगों को स्वीकृति दी गई और दृष्टिकोण उदार बनाने के बाद कितने सहयोग स्वीकृत किए गए हैं, और

(घ) जून, 1980 के बाद और पहले किस क्षेत्र में विदेशी सहयोग की स्वीकृति दी गई है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) : हाल ही में सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ उन माममों में जिनमें एक भुग्त राशि का भुगतान करने का प्रत्येक प्रकरण, यदि कोई हुआ तो, में विदेशी मुद्रा का निर्गम तथा इसके साथ ही साथ रायल्टी की राशि कुल मिलाकर कारखाने से निकलते समय के उत्पादन मूल्य से क्रमशः 3 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत से अधिक न हो तथा 10 वर्षों से अनधिक अवधि में यह राशि कुल मिलाकर 50 लाख रुपये की सीमा के अन्दर हो, के विदेशी सहयोग के प्रस्तावों पर निर्णय लेने हेतु प्रशासनिक मंत्रालयों को शक्तियों प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) : प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत किसी भी प्रस्ताव पर अभी तक निर्णय नहीं लिये गये हैं किन्तु जनवरी से जून 1980 की अवधि में 182 तथा जुलाई से अक्तूबर, 1980 की अवधि में 205 विदेशी सहयोग के प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई थी।

सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये विदेशी सहयोग के प्रस्तावों का ब्यौरा देने वाली सूचियाँ तिमाही आधार पर जारी की जाती हैं। ये सूचियां, अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय कंपनी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम, बनाई जाने वाली वस्तु तथा प्रस्ताव में विदेशी पूंजी की सहभागिता अन्तर्ग्रस्त है, बताती हैं। इन सूचियों की प्रतियां नियमित रूप से संसद के पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

सीमेंट उद्योग की क्षमता का उपयोग तथा आधुनिकीकरण

2360. **श्री राजेशकुमार सिंह** : क्या उद्योग मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमेंट की खपत और उत्पादन कितना-कितना है।

(ख) ऐसी कितनी सीमेंन्ट फैक्ट्रीयां हैं, जिनमें उत्पादन क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ग) सीमेंट उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा तैयार की जा रही योजना का ब्यौरा क्या है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) वर्ष 1979-80 के दौरान सीमेंट का उत्पादन 176.2 लाख मी० टन था। चूंकि यह मांग को पूरा करने

के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए 15.5 लाख मी० टन सीमेंन्ट का आयात किया गया था और उसकी भी खपत हो गई थी ।

(ख) 44

(ग) सीमेंन्ट उद्योग के आधुनिकीकरण की योजना का ब्यौरा तैयार किया जा जा रहा हैं ।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केन्द्रीय सेवा परीक्षा के लिये पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण

2361. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी परीक्षाओं विशेषकर केन्द्रीय सेवाओं के लिये परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रमों पर पुनर्विचार करने हेतु एक उप-समिति गठित की है,

(ख) यदि हां, तो समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी ;

(ग) समित को क्या हवाले दिये गये हैं ;

(घ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये परीक्षा की पद्धति में परिवर्तन करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ङ) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने इन परीक्षाओं के लिये उन्हीं विषयों को पुनः पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का निर्णय किया है जो भारतीय प्रशासन सेवा की पुरानी परीक्षाओं की योजना में सम्मिलित थे ?

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) (क) आयोग ने अपने द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा सहित विभिन्न परीक्षाओं की योजना , पाठ्यक्रमों आदि की पुनरीक्षा करने के लिए अपने तीन सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक स्थायी समिति का गठन किया है ।

(ख) चूंकि विभिन्न परीक्षाओं की योजना तथा पाठ्यक्रमों की पुनरीक्षा की कार्यवाही सतत स्वरूप की है, इसलिए समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता । इसके अलावा, यह उप-समिति औपचारिक स्वरूप की नहीं है, बल्कि इस काम को सुविधाजनक पद्धति से चालू रखने के लिए आन्तरिक रूप से गठित की गई है ।

(ग) यह आयोग का केवल एक आन्तरिक कार्यकरण प्रबन्ध है । यह पाठ्यक्रमों के साथ-साथ व्यक्तिगत रूप से तथा संस्थाओं आदि से प्राप्त अभ्यावेदनों की पुनराक्षा भी स्वतः करता है ।

(घ) इस समय आयोग के पास अपनी परीक्षाओं के विद्यमान ढाचे में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । फिर भी यदि परीक्षाओं के ढाचे में परिवर्तन करने के लिए स्थायी समिति द्वारा कोई प्रस्ताव किया जाय, तो उस पर आयोग द्वारा विचार किया जाएगा ।

(ङ) आयोग ने यह निर्णय किया है कि सांख्यकी, मानव विज्ञान, चीनी तथा पाली की भाषाएं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि की तत्कालीन परीक्षाओं की योजनाओं में शामिल थीं उन्हें सिविल सेवा परीक्षा की योजना में फिर से लागू कर दिया जाए । कृषि, जो परीक्षा की नई योजना में लागू किया गया एक नया विषय था और इसमें पशुपालन और भी शामिल था इसे दो अलग-अलग विषयों अर्थात कृषि तथा पशुपालन पशु विज्ञान के रूप में रखा गया है । ये दोनों ही विषय सिविल सेवा की प्रारम्भिक और प्रधान परीक्षा में उम्मीदवारों को लेने की अनुमति होगी । सांख्यिकी विषय सिविल सेवा प्रारम्भिक तथा सिविल सेवा प्रधान परीक्षा दोनों के लिए होगा और अन्य तीन विषय केवल सिविल सेवा प्रधान परीक्षा के लिए होंगे । इसे सिविल सेवा परीक्षा, 1981 से लागू किया जाएगा ।

सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

2363. **श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के बच्चों को प्रवेश के लिए आरक्षण के बावजूद भी वे निर्धारित अर्हताओं के अपेक्षित स्तर के होने के कारण, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन समुदायों के बच्चों को प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के सैनिक स्कूलों के दाखिले में आने वाली त्रुटियों का पता लगाने और उनमें सुधार करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक उप समिति गठित की गई है : हाल ही में समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं जिन पर विचार किया जा रहा है ।

पर्यावरण संरक्षण समिति का प्रतिवेदन

2364. **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1980 में गठित की गई एक समिति ने पर्या-

वरण संरक्षण को समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए प्रधान मंत्री को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या सभी मुख्यमंत्रियों से प्रतिवेदन की सिफारिश पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार का विचार समिति की सिफारिश की कब तक क्रियान्वित करने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकस विभागों में राज्य मन्त्री : (श्री सी०पी०एन० सिंह): (क) 29 फरवरी, 1980 को, पर्यावरणीय प्रतिरक्षा के लिए विधायी उपायों और प्राशासनिक तंत्र की सिफारिश करने के लिए स्थापित की गई समिति की रिपोर्ट 15 सितम्बर, 1980 को प्रधानमंत्री को प्रस्तुत कर दी गई। रिपोर्ट की सिफारिश संख्या 19 में कहा गया है : "पर्यावरणीय प्रतिरक्षा" को भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) प्रधान मंत्री द्वारा रिपोर्ट की प्रतियाँ उन मुख्यमंत्रियों को सूचनार्थ प्रदान की गई जो कि सितम्बर, 1980 में नई दिल्ली में आयोजित बिक्री कर सम्मेलन में उपस्थित थे। बहरहाल, (समवर्ती सूची में पर्यावरणीय प्रतिरक्षा को शामिल करने के बारे में) उन्हें रिपोर्ट के बारे में कोई औपचारिक रूप से निर्देश नहीं किया गया था।

(घ) भारत सरकार ने पहले से ही समिति की पहली सिफारिश को अमली जामा पहना दिया हे, नामतः "केन्द्र में तुरन्त ही एक पर्यावरण विभाग का सृजन किया जाना चाहिए ताकि उस केन्द्रस्थ भूमिका को स्पष्ट रूप से मान्यता प्रदान की जा सके जो कि पर्यावरण संरक्षण को निरन्तर राष्ट्रीय विकास में अदा की जानी चाहिए।" नया पर्यावरणीय विभाग पहली नवम्बर, 1980 से प्रधान मंत्री के अधीन स्थापित किया जा चुका है। समिति की शेष सिफारिशों को पर्यावरण विभाग को भेज दिया गया है ताकि वह इनका परीक्षण करे और सरकार को प्रस्ताव करे कि इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कार्यों को आरंभ किया जाए।

रंगीन टी० वी० से स्वास्थ्य को अधिक खतरा

2365. **श्री पी० एम० सईद : श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री दयाराम शाक्य : प्रो० मधु दण्डवते : श्री डी० पी० जदेजा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्रों में यह रिपोर्ट दी गई है कि रंगीन टी०वी० स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह भी बतलाया गया है कि यदि टी० वी० सैटों से निकलने वाली ऐक्स-विकिरण को उचित सीमा से नीचे रखा जाए तो उनसे स्वास्थ्य को बहुत खतरा हो सकता है;

(घ) क्या अमरीका ने एक ऐसा स्टैण्डर्ड निर्धारित किया है जिसमें यह अपेक्षित है कि सभी टी० वी० रिसीवरों को बहुत प्रतिकूल सक्रिय परिस्थितियों में भी 0.5 मिलि रूटगेना प्रति घंटा स्तर से अधिक एक्स-विकिरण नहीं होने देनी चाहिए;

(ङ) क्या टी० वी० निर्माताओं से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को लिखित प्रतिवेदन पेश करें;

(च) क्या भारत में ऐसा नहीं किया जा रहा है;

(छ) क्या उनके मंत्रालय ने भी ऐसा करने का निर्णय लिया है; और

(ज) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री : (श्री सी० पी० ए० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार-पत्रों में दी गई टिप्पणी नोट कर ली गई है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) अमरीका में टी० वी० पिक्चर ट्यूब में अधिक से अधिक 0.5 मिली रूटगेन प्रति घंटे तक के एक्स-विकिकरण की अनुमति है :

(ङ) मानकों को लागू करने का कार्य विकिरण चिकित्सा संबंधी स्वास्थ्य ब्यूरो द्वारा किया जाता है।

(च) से (ज) चूंकि देश में व्यापारिक स्तर पर रंगीन टी० वी० सेट अभी प्रारम्भ नहीं हुए हैं, अतः ये प्रश्न नहीं उठते। चूंकि देश में आजकल ब्लैक एण्ड व्हाइट टी० वी० सैटों का प्रयोग नियमित रूप से हो रहा रहा है, अतः उनसे निकलने वाली एक्स विकिरण का स्तर उपर्युक्त (घ) में वर्णित स्तर से काफी कम है।

मैसर्स इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लि०, कलकत्ता द्वारा भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की राशि का जमा कराया जाना

2366. **श्री निहाल सिंह** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : मैसर्स इलेट्रो स्टील कास्टिंग लि०, कलकत्ता ने गत दो वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत कितनी राशि जमा कराई और कंपनी की ओर से कितनी राशि बकाया है तथा इसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री : (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि मैसर्स इलैक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड, कलकत्ता ने दिसम्बर, 1978 से नवम्बर, 1980 के दौरान भविष्य निधि, परिवार पेंशन निधि और कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के लिए 18,10,958.60 रुपए की धनराशि जमा की है। यह सूचित किया गया है कि प्रतिष्ठान की ओर कोई धनराशि बकाया नहीं है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि प्रतिष्ठान ने जनवरी, 1979 से सितम्बर, 1980 की अवधि के दौरान 4,49,679.50 रुपये की धनराशि अदा की है। प्रतिष्ठान की ओर कोई धनराशि बकाया नहीं है।

सौर ऊर्जा विद्युत व्यवस्था का विकास

2367. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड अथवा किसी अन्य सरकारी और गैर सरकारी एजेन्सी ने भारत के किसी भाग में सौर ऊर्जा विद्युत व्यवस्था का विकास किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सौर ऊर्जा के विकास और बड़े पैमाने पर इसके प्रयोग को व्यवहारिक बनाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हाँ। भारत की पहली सौर प्रकाश वोल्टीय शक्ति आधारित प्रकाश व्यवस्था की प्रतिस्थापना लद्दाख के एक गांव चोगलमसर में की गई है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आरम्भ किए गए प्रदर्शन कार्यक्रम के अधीन सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है।

(ख) भारत की पहली सौर प्रकाश वोल्टीय शक्ति आधारित प्रकाश व्यवस्था की प्रतिस्थापना लद्दाख के दूरस्थ गांव चोगलमसर में, जिसे तिब्बती बच्चों का एस०ओ०एस० गांव कहा जाता है, की गई है। यह स्थान 11,000 फीट की ऊँचाई पर स्थित है और इस प्रणाली को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आरम्भ किए गए प्रदर्शन कार्यक्रम के अधीन 1.5 लाख रुपये की लागत से प्रतिस्थापित किया गया है। एक 348 परम वाट सौर प्रकाश वोल्टीय व्यूह 20 पलंग वाले हस्पताल में 17 फ्लूरोसेन्ट बल्बों को प्रकाशित करने के लिए बिजली प्रदान कर रहा है। एक और 192 परमवाट सौर प्रकाश वोल्टीय व्यूह एक केन्द्रीय रसोई में 6 फ्लूरोसेन्ट बल्बों को और एक सामुदायिक सभागार में 9

फ्लूरोसेन्ट बल्बों को प्रकाशित करने के लिए बिजली प्रदान कर रहा है ये उपकरण सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, तैयार किए गए हैं। शक्ति प्रणाली अच्छी प्रकार से कार्य कर रही है और दिन रात प्रकाशित करने के लिए बिजली प्रदान कर रही है।

(ग) प्रकाश वोल्टीय सेलों द्वारा सौर ऊर्जा को बिजली में सीधे रुपांतरित करने के लिए बुनियादी प्रौद्योगिकी का पहले से ही विकास किया जा चुका है। अब मुख्य समस्या है कि इस तरीके से तर्कसंगत स्तर तक प्रति परम वाट बिजली की लागत को कम करना और इस क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वर्तमान कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य भी यही हैं। इसे निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है—

(क) कम लागत को सौर ग्रेड सिलिकान सामग्री का विकास करके और संविरचना की कम लागत की तकनीकों का विकास करके और

(ख) सौर सेलों और पेनलों की कुशलता में सुधार करके। इस क्षेत्र में अब तक के कार्यक्रम का परिणाम यह हुआ है कि सैन्ट्रल इलैक्ट्रनिक्स लिमिटेड (डी० एस० टी० के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) द्वारा प्रयोगशाला स्तर पर एकल क्रिस्टल सिलिकान सैलों की सफलतापूर्वक संविरचना की गई है जिसमें कि आई० आई० टी० संस्थाओं, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पिलानी और अन्य संस्थाओं के अनुसंधान कार्यकर्ताओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया गया था। सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में विकसित किए गए सौर मोड्यूलों को जहाज चालन के लिए द्वारिका पत्तन पर प्रकाश स्तम्भ बीकनों में, गुजरात में अवानियागांव में सौर आसवन संयंत्र में जल पम्पन के लिए, लद्दाख में एक गांव में प्रकाश व्यवस्था के लिए, राजस्थान में तेजारा गांव में पेयजल की आपूर्ति के लिए और लघु सिंचाई के लिए प्रदर्शन जल पम्पन प्रणाली के लिए, साहिबाबाद में सामुदायिक दूरदर्शन के लिए और बाल भवन में रेडियो के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सिलिकान सौर सैलों और पैनलों के लिए संविरचना तकनीकों को उत्थित करने की, पेयजल के पम्पन, लघु सिंचाई, सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था, शिक्षात्मक रेडियो और दूरदर्शन सैटों, तेल की पाइप लाइनों की धनाग्र प्रतिरक्षा और दूरस्थ क्षेत्रों में संचार उपकरणों में इस्तेमाल की परिकल्पना की गई है। 5 वर्षों की अवधि के दौरान कोई 12.00 करोड़ रुपए की लागत से एक अर्द्ध-व्यावसायिक प्रायोगिक संयंत्र परियोजना तैयार की गई है। इसमें बड़े पैमाने पर कई प्रयोजनों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों का अनुप्रयोग (इसमें पीने और लघु सिंचाई के लिए जल पम्पन पर अधिक बल दिया गया है) शामिल है। इस बीच, 25 कि० वा० समग्र क्षमता के सौर प्रकाश वोल्टीय पम्प सेटों की संविरचना और क्षेत्रीय परीक्षणों के लिए 1981 तक पूरा किया जाने वाला एक अल्पकालीन कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त घरेलू और अन्य सम्बन्धित अनुप्रयोगों के लिए 1981

तक 5 कि० वा० की क्षमता वाले प्रकाश वोल्टीय मोड्यूलों की व्यवस्था करने की भी एक योजना है।

तनु फिल्म कैडमियम सल्फाइड सौर सेलों, एम० ओ० एस० और पोली क्रिस्टालाइन सिलिकान सौर सेलों के क्षेत्र में भी प्रगति की गई है। चावल की भूसी से सौर ग्रेड सिलिकान असंगठित सिलिकान आदि के विशुद्धीकरण और सामग्री निष्कर्षण पर अनुसंधान और विकास परियोजनाओं, संकेन्द्रक सौर सैलों और ट्रैकिंग प्रणालियों आदि का भी निधीयन किया गया है। बुनियादी ई० एस० सी० ए० सहायक साधनों के साथ एक क्रमवीक्षी आगर स्पैक्ट्रोफोटोमीटर सुविधा की स्थापना आई०आई० टी०, दिल्ली में की गई है कि ताकि तनु-फिल्म सौर सैलों और सिलेक्टिव कोटिंगों पर अनुसंधान किया जा सके। इसके लिए डी० एस० टी० द्वारा निधियां प्रदान की गई हैं। प्रेनल कन्डन्सरों की संविरचना के बारे में जो जानकारी तैयार का गई है, उसका वाणिज्यीकरण किया जा जा रहा है।

प्रस्ताव है कि विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए प्रकाश वोल्टीय व्यवस्थाओं के उपयोग का विस्तार किया जाए क्योंकि इससे उन आवश्यकताओं को सीधे ही पूरा किया जा सकता है जिनकी इस समय पूर्ति पेट्रोलियम उत्पादों से की जा रही है यथा, पेय जल और लघु सिंचाई के लिए पम्पों, ग्रामीण प्रकाश व्यवस्था आदि के लिए। इस स्रोत प्रतिष्ठापित शक्ति के यूनिट की लागत परम्परागत स्रोतों से प्राप्त शक्ति के मुकाबले इस समय काफी अधिक है। यह एक परमवाट 80—120 रुपये आती है। जलेतर परम्परागत स्रोतों यथा कोयला, डीजल, केरोसीन, आण्विक आदि के मुकाबले में प्रक्रियात्मक लागत और भी कम है। उच्च पूंजीगत लागत को इस प्रकार प्रभावित करती है यथा रक्षा संचार व्यवस्था, जहाज नौचालन के लिए प्रकाश और रेडियो बीकन, तेल की पाइप लाइनों की धनाग्र प्रतिरक्षा,सामुदायिक दूरदर्शन और प्रकाश व्यवस्था में। जहाँ दूर दराज के इलाकों में शक्ति की कम मात्राओं में आवश्यकता होती है, वहां प्रकाश वोल्टीय शक्ति का पहले से ही अपनी आर्थिक किफायत सिद्ध कर चुकी है। इस समय जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका उद्देश्य प्राद्योगिकी में विकास करना, विकास और संविरचना में सुधार करना और लागत कम करने की दिशा में क्षेत्रीय परीक्षण करना है। बाजार में उपलब्धता और लागत का आधार इस प्रयास के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली आर्थिक प्रतियोगिता पर होगा।

आई० ए० एस० अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

2368. **श्री भीकू राम जैन : क्या गृह मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शानेवाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने आई० ए० एस० अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं,

(ख) प्रारम्भ में इन अधिकारियों को किस अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के लिए भेजा गया था और उनमें से कितनों की अवधि बढ़ाई गई,

(ग) क्या आई० ए० एस० अधिकारियों को इस आशय का अपना विकल्प देने को कहा जाएगा कि वे या तो अपने मूल विभाग में वापिस आ जाएं अथवा प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते रहें,

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान (वर्ष वार) सभी आई० ए० एस० अधिकारियों को जो प्रति नियुक्ति पर हैं, के भत्तों और पकर्स पर खर्च की गई राशि कितनी है,

(ङ) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जो प्रति नियुक्ति पर हैं और तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं, और

(च) क्या सरकार का आई० ए० एस० अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के सम्बन्ध में स्थिति का पुनरावलोकन करने का विचार है, यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क), (ग) तथा (च) : आई० ए० एस० अधिकारी, केन्द्र में अपने लिए प्राधिकृत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व के अवर सचिव और उससे उपर के स्तर के पदों पर कार्यकाल की निर्धारित अवधियों के लिए नियुक्त होने के पात्र हैं, जिनकी समाप्ति पर वे साधारणतया अपने-अपने राज्यों को प्रत्यावर्तित हो जाते हैं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शीर्ष-पदों पर प्रतिनियुक्त आई० ए० एस० अधिकारियों को, 2/3 वर्षों की अवधि के भीतर स्थायी संविलयन के लिए अपना विकल्प देना होता है और ऐसा विकल्प न दिए जाने पर उन्हें अपने संवर्गों में प्रत्यावर्तित होना पड़ता है । फिर भी, सरकारी कार्य की अत्यावश्यकता और प्रशासनिक महत्व को देखते हुए अधिकारियों के कार्यकाल को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है ।1.10.80 को, 661 आई० ए० एस० अधिकारी केन्द्र में अवर सचिव और उससे ऊपर के स्तर के पदों पर प्रतिनियुक्त थे जबकि केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व में उनके अनुपात की संख्या 729 थी इन में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी भी शामिल हैं ।

(ख), (घ) तथा (ङ) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जम्मू और काश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज का नीचे खींचा जाना

2369. : **श्री छांगुर राम :**

श्री राम विलास पासवान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 अगस्त, 1980 के पेट्रिआट नामक समाचार पत्र में छपे उस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें काश्मीर में घाटी के कुछ स्थानों में उग्रवादी और विच्छेदी तत्वों के समर्थकों द्वारा स्वतन्त्रता दिवस को फहराये गए राष्ट्रीय ध्वज को नीचे खींच दिए जाने और उसके बदले में एक कालाझण्डा

फहराया जाने तथा काश्मीर विवाद का हल करने हेतु जनमत की मांग करते हुए पाकिस्तान के स्वतन्त्रता दिवस को मनाए जाने की बात कही गई है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा जम्मू और काश्मीर राज्य सरकार से कथित घटनाओं के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई है; यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में विच्छेदी तत्वों की पहिचान करने के लिए तथा साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न होने पाए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार ने उल्लिखित समाचार देखा है ।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा भेजी गई एक सूचना के अनुसार सोपुर कस्बे में 15 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद की घटनाओं के सम्बन्ध में हड़ताल की गई थी। जम्मू तथा काश्मीर जमायते-इस्लामी तथा अन्य राष्ट्र विरोधी और पृथकतावादी दलों के युवकों के समूह ने एक जुलूस निकाला और एक स्थानीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की ओर बढ़े जहाँ स्वतन्त्रता दिवस समारोह आरम्भ होना था । ये बदमाश राष्ट्र विरोधी नारे लगाते हुए विद्यालय के ग्राउन्ड में प्रविष्ट हुए और राष्ट्र ध्वज उतार लिया तथा फाड़ डाला, उन्होंने राष्ट्र ध्वज के बजाय वहां काला झंडा फहराया । उन्होंने काले झण्डे सहित डण्डे को उठाया और टेलीफोन तथा बिजल की तारों को क्षतिग्रस्त करते हुए मुख्य बाजार और बस स्टैंड की ओर गए।

(ग) राज्य सरकार ने बदमाशों के विरूद्ध गैर कानूनी गतिविधियों (निरोध) अधिनियम, राष्ट्रीय सम्मान के प्रति अपमान का निरोध अधिनियम, रनबीर दंड संहिता आदि जैसे केन्द्रीय और राज्य दोनों के कानूनों के अधीन कार्रवाई की थी ।

बंगला देश से लोगों का चोरी छिपे भारत आना तथा सीमा-पार तस्करी का किया जाना

2370 : **श्री छांगुर राम** :

श्री जगपाल सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तथा बंगला देश सरकारों द्वारा प्रयास किए जाने के बावजूद भी बंगला देश से लोगों का चोरी छिपे भारत आना तथा सीमा पर तस्करी का किया जाना अभी भी अबाध गति से जारी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस दिशा में सरकार द्वारा क्याक दम उठाए गए हैं अथवा उठाए जांएगे; और

(ग) पिछले छः महीनों के दौरान कितने व्यक्ति चोरी छिपे भारत आए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : कारणों की विभिन्नता जैसे कि सीमा की लम्बाई और भूभाग का स्वरूप जिससे यह गुजरती है, कुछ अवैध घुसपैठ और तस्करी भारत-बंगला देश सीमा पर हो रही है। इस सीमा के साथ गश्त और तस्करी-विरोधी उपायों को कड़ा कर दिया गया है और सीमाशुल्क प्राधिकारियों और सीमा सुरक्षा बल को ऐसी किसी तस्करी अथवा घुसपैठ को रोकने के लिए सतर्क कर दिया गया है।

(ग) मई से अक्तूबर, 1980 तक की अवधि के दौरान सीमा सुरक्षा बल ने भारत सीमा को पार करने की कोशिश में लगभग 1254 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।

उत्तर प्रदेश में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रह रहे विदेशी राष्ट्रिक

2371 : **श्री छांगुर राम :**

श्री राम विलास पासवान :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों के सम्बन्ध में कोई जांच की है;

(ख) यदि हाँ, तो वे कितने हैं तथा भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक कब से रह रहे हैं और वे किन-किन देशों के हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जो विदेशी नागरिक अनाधिकृत रूप से भारत में ठहर जाते हैं उनके विरूद्ध विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 के अधीन अभियोजन और निष्कासन की कार्रवाई की जाती है।

बदरपुर और जगी रोड़, असम में कागज मिलों द्वारा काम आरम्भ किया जाना

2372 : **श्री सन्तोष मोहन देव : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के बदरपुर तथा जगी रोड में प्रस्तावित कागज मिलें अपना काम कब तक आरम्भ कर देंगी,

(ख) क्या मंत्रालय "हिन्दुस्तान कागज निगम" द्वारा अब तक प्राप्त की गई प्रगति से संतुष्ट हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो कागज मिलों का कार्य बिना किसी और विलम्ब के आरम्भ करने हेतु क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) इन परियोजनाओं में 1983-84 के अन्त तक वाणिज्यिक उत्पादन होने लगने का कार्यक्रम निश्चित किया गया है।

(ख) और (ग) परियोजनाओं की प्रगति की बारीकी से जांच की जा रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि ये परियोजनाएँ बिना किसी गम्भीर अवरोधों के कार्यन्वित की जाती है।

असम सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को बहाल किया जाना

2373 : **श्री सन्तोष मोहन देव : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार और आन्दोलनकर्त्ताओं के बीच समन्वय और पारस्परिक सम्बन्धों के वातावरण को उत्पन्न करने और इस मामले में सरकारी कर्मचारियों को सहयोग देने की दृष्टि से आन्दोलन में भाग लेने के लिए निलम्बित किए गए सरकारी कर्मचारियों को असम सरकार ने बहाल कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो बहाल किए गए कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : लोकसभा में 30.7.80 को अपने वक्तव्य में गृह मन्त्री ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों के अनुशासनात्मक मामलों की गुणदोष के आधार पर और सहानुभूति पूर्वक समीक्षा की जाएगी। तदनुसार असम सरकार ने 209 मुअतल किए गए कर्मचारियों में से 205 को बहाल कर दिया है।

जनता कार फैक्ट्री की स्थापना

2374. **श्री फूलचन्द वर्मा :**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :
श्री हरिनाथ मिश्र
श्री कमला मिश्र मधुकर
श्री अरविन्द नेताम : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 अक्तूबर, 1980 के 'इण्डियन-एक्सप्रेस' में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलवाया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया बताते हैं कि सरकारी क्षेत्र में छोटी कार के निर्माण के प्रश्न पर पुनः विचार किया जा सकता है, और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित योजना की रूप-रेखा क्या है और इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो उसका ब्यौरा क्या है अथवा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव का पूर्ण विवरण क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हाँ।

(ख) सरकार का विचार मारुति लिमिटेड जिसका अधिग्रहण किया गया है कि उपक्रमों का उपयोग करके यात्री कारें तथा वाणिज्यि गाड़ियों का निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने का है इस कारखाने को स्थापित करने में विदेशी निर्माताओं से सहयोग के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। विस्तृत प्रस्ताव मिलने तथा उनकी जांच करने के पश्चात् परियोजना के ब्यौरे तथा इसके कार्यान्वयन पर निर्णय लिया जाएगा।

वैशाली, बिहार में उद्योग लगाए जाने के लिए लाइसेंस जारी करना

2375 : **श्री रामविलास पासवान क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के वैशाली जिले में 82 उद्योगों के लिए लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं, और

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों के कब तक शुरू होने की सम्भावना है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई हैं'.

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरनजीत चानना) (क) और (ख) : वर्ष 1977, 1978 और 1979 के दौरान बिहार के वैशाली जिले में उद्योगों की स्थापना करने के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया। किन्तु, हाजीपुरा, जिला- वैशाली, बिहार में 120 लाख माइका कैपिसिटरों का निर्माण करने के लिए एक नए एकक की स्थापना हेतु मैसर्स बिहार इलैक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, पटना को जलाई, 1980 में एक आशयपत्र जारी किया गया था। यह आशय पत्र कार्यान्वयन की प्रारम्भिक स्थिति में है।

दिल्ली में सशस्त्र लूट- खसोट

2376. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : श्री के० राममूर्ति : श्री रशीद मसूद : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को दिल्ली में सशस्त्र लूट खसोट की घटनाओं और पुलिस प्राधिकारियों द्वारा अपराधियों को पकडने में अपनी असफलता पर पर्दा डालने के लिए खबरों को दबाए जाने की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) और (ख) : यह कहना सही नहीं है कि दिल्ली में सशस्त्र लूट-खसोट की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यह तथ्य नहीं है कि पुलिस द्वारा किसी समाचार को छिपाया गया है। हाल के महीनों में सूचित किए गए 13 मामलों में से 9 के लिए उत्तरदायी तीन गिरोहों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है।

स्थिति को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों में से कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) मोटर साईकल सहित वायरलेस लगे वाहनों की डकैती-विरोधी और लूटमार-विरोधी गश्त बढ़ा दी गई है और सामरिक महत्व के स्थानों पर "नाकाबन्दी" आयोजित की गई।

(2) संवेदनशील स्थानों पर पुलिस टुकड़ियां तैनात की गई हैं।

(3) आसूचना एकत्र करने के लिए उपाय किए गए हैं।

(4) उन अपराधियों से पूछताछ करने के लिए, जिनकी कार्यपद्धति समान है, अपराध रिकार्ड देखे गए हैं।

(5) रात दिन गश्त लगाई जाती है और चुने हुए स्थानों पर अवरोधक लगाए जाते हैं, जहां रात को वाहन का निरीक्षण किया जाता है।

असम उपद्रवों में की गई गिरफ्तारियां

2377. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले कुछ महीनों के दौरान असम राज्य में हुए उपद्रवों में कितने व्यक्तियों को साम्प्रदायिक दंगों, लूटपाट और आगजनी की घटनाओं में शामिल होने के आरोपों पर गिरफ्तार किया गया है और पकड़ा गया है; और

(ख) ऐसे कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं, कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया है और क्या ऐसे किसी व्यक्ति को सजा दी गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

2379. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के

व्यक्तियों के साथ बलात्कार, हत्या अथवा आहत किए जाने की कुल कितनी घटनाएं हुई;

(ख) उक्त घटनाएं कितने स्थानों पर घटित हुई;

(ग) जान तथा माल की हानि किस सरकारी अथवा गैर-सरकारी एजेंसी के हाथों हुई किस का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया;

(घ) देश के विभिन्न भागों में इस वर्ष के अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) भविष्य में उन्हें पुनः घटित होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बिहार में स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

2380. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियमों में नए परिवर्तन के पश्चात आवेदन करने वालों सहित उन स्वतंत्रता सेनानियों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है जिनके प्रार्थना-पत्र अब भी लम्बित पड़े हैं और उनके निपटान के लिए समय अवधि क्या है;

(ख) मधुबनी और दरभंगा जिलों में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों की लम्बित सहित उपरोक्त लम्बित मामलों की बिहार में जिलेवार संख्या कितनी है; और

(ग) क्या उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी जिनकी जेल की अवधि 6 मास से कम थी और जिन्होंने गोलियां खाईं और शहीद स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रितों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन योजना को अगस्त 1980 से उदार बनाये जाने के पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों से पेंशन स्वीकृत करने के लिए प्राप्त कोई भी आवेदन प्राथमिक जाँच के लिए नहीं पड़ा है । किन्तु संलग्न राज्यवार सूची (विवरण 1 के रूप में) दिए गए मामले स्वतंत्रता सेनानियों और/या विभिन्न राज्य सरकारों से लिखित सबूत प्राप्त न होने के कारण फाइल किए गए थे ।

2. 1.11.80 तक उदार पेंशन योजना के अधीन सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या 1988 है जिनमें 384 मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई है ।

3. राज्य सरकारों को भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के आवेदकों के मामलों में जेल

तथा अन्य यातनाओं के दावों के सत्यापन करने की छूट दी गई है। ज्यों ही राज्य सरकारों से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है पेंशन स्वीकृत करने अथवा दावे को रद्द करने के लिए आगे कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्र प्रशासनों से पहले ही यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि वे आवेदकों के दावों का सत्यापन करने में कम से कम समय लगाएं। इसके अतिरिक्त नई योजना में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31.7.81 है और उस तारीख तक आवेदन पत्र प्राप्त होते रहेंगे अभी यह बताना व्यवहार्य नहीं है कि उनके निपटान में कितना समय लगेगा।

(ख) 1. बिहार के संबंध में फाइल किए गए जिले वार मामलों की संख्या संलग्न सूची (विवरण 2 में) दी गई है।

(2) स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के संबंध में फाइल किए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

मधुबनी-7

दरभंगा-20

बिहार सरकार से कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने के कारण इन मामलों में अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया है।

(ग) 1. महिला स्वतंत्रता सेनानियों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संबंध में केन्द्रीय पेंशन की पात्रता के 6 महीने की जेल की सजा की अवधि घटाकर केवल 3 महीने की गई है।

(2) पेंशन योजना के अधीन स्वतंत्रता आन्दोलन के संबंध में गोली लगने अथवा लाठी चार्ज से स्थाई रूप से अपंग/लाचार हो गए हैं पेंशन स्वीकृत करने के लिए पात्र हैं।

(3) शहीदों के आश्रित जैसे उनकी विधवाएं, उनकी अविवाहित लड़कियाँ, उनके माता-पिता पहले ही इस योजना के अधीन आ गए हैं।

विवरण-1

स्वतंत्रता सेनानियों और/अथवा राज्य सरकारों से दस्तावेजी सबूत न मिलने के कारण 1.11.1980 तक "फाइल किए गए मामलों का ब्यौरा (राज्यवार)

	राज्य	निपटान के लिए लम्बित पड़े मामलों की संख्या
	1	2
1.	असम	3709
2.	आन्ध्र प्रदेश	1972

1		2
3.	अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह	5
4.	बिहार	4678
5.	चंडीगढ़	2
6.	दिल्ली	155
7.	गुजरात	219
8.	गोवा	192
9.	हरियाणा	89
10.	हिमाचल प्रदेश	15
11.	जम्मू और काश्मीर	25
12.	केरल	2278
13.	कर्नाटक	2322
14.	मध्य प्रदेश	614
15.	महाराष्ट्र	3354
16.	मणिपुर	298
17.	मेघालय	23
18.	नागालैंड	8
19.	उड़ीसा	296
20.	पांडिचेरी	25
21.	पंजाब	85
22.	राजस्थान	11
23.	तामिलनाडु	251
24.	त्रिपुरा	428
25.	उत्तर प्रदेश	2856
26.	पश्चिम बंगाल	5471

विवरण-2

बिहार से प्राप्त आवेदन पत्रों के बारे में स्वतंत्रता सेनानियों से दस्तावेजी सबूत और अथवा राज्य सरकारों से रिपोर्ट न मिलने के कारण "फाइल किए गए" मामलों का विवरण (जिलावार)

1.11.1980 को

जिला	लम्बित पड़े मामलों की संख्या
पटना/नालदा	596
दरभंगा/समस्तीपुर/मधुबनी	561
मुजफ्फरपुर/सीतामढ़ी/वैशाली	477
पालपू	11
मूंगेर	663
सरन	241
गया	303
चंपारन	150
भागलपुर	410
सहस्सा	115
एस० परगना	130
हजारीबाग	40
राँची	35
सिंहभूमि	24
पुनिया/कटिहार	148
शाहबाद	330
भोजपुर	177
रोहतास	128
धनबाद	39

प्रबन्ध में श्रमिक साझेदारी

2381. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धारित अवधि में बेहतर श्रमिक प्रबंध संबंध स्थापित करने की दृष्टि से गैर सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों में लोकतांत्रीय पद्धति से चुने गए श्रमिक प्रतिनिधियों को आवश्यक शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व सौंपकर उन्हें प्रबन्ध में अधिक से अधिक

साझेदारी देने का विचार है ताकि श्रमिक विवादों के निपटान, उत्पादन में वृद्धि, हड़तालों एवं तालाबंदियों के कारण काम की संभावित हानि कम करने आदि में सहायता मिले।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री : (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) से (ग) श्रमिक सहभागिता की योजनाएं सरकारी और निजी क्षेत्र की अनेक यूनिटों में चल रही हैं। सम्पूर्ण प्रणाली की 21 सदस्यीय समिति द्वारा पुनरीक्षा की गई, जिसे इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया था। इसकी रिपोर्ट 1979 में प्राप्त हुई और उसे जुलाई, 1980 में राज्य श्रम मन्त्रियों की बैठक में और सितम्बर, 1980 में श्रम मन्त्रियों की स्थायी समिति के समक्ष रखा गया। यह मामला राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के समक्ष भी आयेगा।

रेमिंग्टन टाइपराइटरो के मूल्यों में वृद्धि

2382. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**
श्री धर्मदास शास्त्री :
श्री के० लकप्पा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स रेमिंग्टन रैन्ड आफ इण्डिया कंपनी अपने द्वारा बनाये जाने वाले विभिन्न टाइपराइटरों के मूल्य मनमाने ढंग से बढ़ाती रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले 10 वर्षों से वर्ष प्रति वर्ष में टाइपराइटरों के मूल्यों में कितनी वृद्धि दी गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार रेमिंग्टन रेन्ड आफ इंडिया में वर्तमान मूल्य ढांचे की समीक्षा करने का है ताकि उसे उचित स्तर पर लाया जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) मैसर्स रेमिंग्टन रेन्ड आफ इण्डिया सूचित किया है कि वे मुख्यतया कच्चे माल की लागत श्रम लागत तथा मरम्म व रख-रखाव की लागतों में वृद्धि हो जाने के कारण ही टाइपराइटरों के मूल्य बढ़ाते रहे हैं।

(ख) जैसा कि रेमिंगटन रेन्ड द्वारा सूचित किया गया है, गत 10 वर्षों में जनता को बेचे गए टाइपराइटरों का मूल्य नीचे दिया जा रहा है।

माडल 23	29.94 सेंमी० (11 इंच)	38.10 सेंमी० (15 इंच)	60.80 सेंमी० (20 इंच)	68.58 सेमी० (27 इंच)
जनवरी 1971	1500	1660	2095	2640
1972	1500	1660	2095	2640
1973	1575	1745	2200	2770
1974	1735	1875	2365	2980
1975	2195	2375	2990	3775
1976	2195	2375	[2990	3775
माडल 1977	2305	2495	3080	3890
76 1978	2305	2495	3080	3890
1979	2450	2650	3275	4135
1980	2650	2785	3440	4550

पोर्टेबल टाइपराइटर

जनवरी

1976	1200
1977	1200
1978	1200
1979	1200
1980	1300

(ग) और (घ) टाइपराइटरों के मूल्य पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है । टाइपराइटरों के वर्तमान मूल्य ढांचे की संमीक्षा करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जनता कार के विनिर्माण के लिए फ्रांसीसी सहयोग

2383. **श्री हीरालाल आर० परमार :**

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा :

श्री बी०एस०विजय राघवन : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र में जनता कार के विनिर्माण का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने फ्रांस से तकनीकी ब्यौरा और सम्भावित सहयोग

की शर्तों को भेजने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि शर्तें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तो उनके कब तक प्राप्त हो जाने की आशा है; और

(घ) इस जनताकार परियोजना को कब से प्रारम्भ किए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में यात्री कारें बनाने का है।

(ख) से (घ) सरकार ने मारुति लिमिटेड जिसे अपने अधिकार में ले लिया है, वे उपक्रमों का इस्तेमाल करके प्रति वर्ष 1,00,000 यात्री कारें तथा 30,000 से 40,000 तक वाणिज्यिक गाड़ियाँ बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित करने हेतु फ्रांसीसी मोटर कंपनियों सहित विभिन्न विदेशी मोटर गाड़ी निर्माताओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। विभिन्न कम्पनियों से 31.12.1980 तक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है। प्रस्तावों के प्राप्त होने और उस पर विचार हो जाने के पश्चात् परियोजना के कार्यान्वयन पर निर्णय लिया जाएगा।

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति

2384. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त का पद 1 मई, 1980 से रिक्त है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के कार्यालय में कितनी शिकायतें गत 6 मास से विचाराधीन पड़ी हैं, और

(घ) इस नियुक्ति के किए जाने में बिलम्ब के क्या कारण हैं और नए केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कब की जाएगी ?

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)

(क) से (घ) : तत्कालीन केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, श्री एम०जी० पिम्पुतकर ने अपने पद का कार्यभार 9 जून, 1980 को छोड़ा था। इसके तुरन्त बाद उनके उत्तराधिकारी के चुनाव की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई थी। किन्तु उक्त पद के महत्व तथा उससे सम्बद्ध सेन्सिटिव कार्यों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, नए सतर्कता आयुक्त के चुनाव किए जाने की कार्रवाई में अपरिहार्य रूप से कुछ समय लग गया था। अब नए केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, अर्थात् श्री आर०के० त्रिवेदी ने दिनांक 30-10-1980 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार सम्भाल लिया है।

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की अनुपस्थिति के दौरान आयोग से सम्बद्ध विभागीय

जांच आयुक्तों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी जारी रखी। इसी प्रकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/विभिन्न विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों ने भी उक्त अवधि के दौरान, अपना जांच-पड़ताल का कार्य जारी रखा। फिर भी केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधिकारियों ने केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की अनुपस्थिति की अवधि के दौरान 267 शिकायतों तथा 562 जांच-मामलों की जांच-पड़ताल की, जिन पर आयुक्त द्वारा निर्णय लिए जाने बाकी थे।

केन्द्रीय विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान के मद्रास कम्पलक्स को क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला में बदला जाना :

2385. **श्री एस०ए० दोराइसेबस्तियन :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान के मद्रास कम्पलेक्स की पिछले दस वर्षों से दोहरी प्रबन्ध व्यवस्था चल रही है जिसमें से एक तो अंश-कालिक समन्वयकर्त्ता निर्देशक द्वारा की जा रही है और दूसरी कम्पलेक्स की आठ प्रयोगशालाओं के निर्देशकों द्वारा की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस दुहरे नियंत्रण से वहाँ पर कार्य कर रहे तीन सौ से अधिक अनुसंधान और विकास कर्मचारियों में एकता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान मद्रास कम्पलेक्स कर्मचारी सेवा संगठन के सरकार से इस कम्पलेक्स को भी त्रिवेन्द्रम कम्पलेक्स की ही भाँति एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में बदल देने का अभ्यावेदन किया है; और

(घ) उस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी०पी०एन० सिंह) : (क) और (ख) : केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, (सी०एम०ई०आर०आई०), राष्ट्रीय धातुकर्मी प्रयोगशाला, (एन०एम०एल०), केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, (सी०ई०ई०आर०आई०) केन्द्रीय विद्युत रसायन संस्थान (सी०ई०सी०आर०आई०), राष्ट्रीय पर्यावरण-इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान, (एन०ई०ई०आर०आई०), केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, (सी०एस०आई०ओ०), भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख पोषण केन्द्र, (आई०एन०एस०डी०ओ०सी०), संरचना इंजींनियरी अनुसंधान केन्द्र (एस०इ०आर०सी०) के सात यूनिट और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी०एस०आई०आर०) की स्वतन्त्र प्रयोगशाला सी०एस०आई०आर० कम्पलैक्स मद्रास में सभी स्थित हैं। इन सभी यूनिटों का प्रबन्ध अलग-अलग वैज्ञानिक-प्रभारियों द्वारा किया जाता है। इनके बजट और कार्यक्रम इनकी सम्बन्धित प्रयोगशालाओं द्वारा अनुमोदित एवं आवंटित किए जाते हैं।

समन्वयकर्ता निर्देशक जो एस०ई०आर०सी० के निर्देशक हैं के द्वारा दैनिक स्वरूप की समस्त सामान्य सुविधायें स्थानीय तौर पर प्रदान की जाती है। कम्पलेक्स में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के लिए समन्वयकर्ता-निदेशक को कतिपय अनुशासनात्मक अधिकार दिए गए हैं। यूनिटों की तकनीकी प्रबन्ध व्यवस्था के दैनिक कार्यों में समन्वयकर्ता-निदेशक किसी प्रकार की दखलनदाजी नहीं करते। यह व्यवस्था लगभग गत दस वर्षों से लागू है और इस व्यवस्था से समस्त कार्यरत यूनिटों के विस्तार, अनुसंधान और विकास (आर० एण्ड डी०), सेवा रखरखाव कार्य में कोई क्रियात्मक कठिनाई नहीं हुई। सी०एस०आई०आर० कम्पलैक्स मद्रास में स्थित यूनिटों का कार्य है—विकास अनुसंधान, विस्तार और मद्रास और आसपास के क्षेत्र में सम्बन्धित प्रयोगशालाओं की सेवा और रखरखाव का कार्य करना है। इन यूनिटों के वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारी सम्बन्धित प्रयोगशालाओं के अपने व्यावसायिक अनुशासनों और कैडरों के अंतर्गत हैं जो अनुसंधान-विकास (आर० एण्ड डी०) कार्य आदि को देखते हैं और उनके व्यावसायिक वृद्धि और पदोन्नति संबंधी तथ्यों को भी देखते हैं।

(ग) और (घ) : जी, हां। अभ्यावेदन की जांच की जा रही है।

दादरा और नागर हवेली में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण कोटा निर्धारण करना

2386. **श्री उत्तमभाई एच० पटेल :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली स्थित प्रत्येक विभाग में, विभिन्न रोजगार केन्द्रों में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अपंगों तथा आरोग्य हुए व्यक्तियों, महिलाओं और आदिवासियों आदि के लिए आरक्षण का कितना कोटा रखा गया है अथवा कितने प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं;

(ख) क्या वर्ष 1978 से 1980 के दौरान प्रतिवर्ष उक्त प्रतिशत को पूरा किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो प्रत्येक विभाग में प्रत्येक वर्ग को दिए गए रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"घोस्ट यूनिट्स गैलोर इन सोनीपत" शीर्षक से समाचार

2387. **श्री राजनारायण सोनकर शास्त्री** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 अगस्त, 1980 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा सोनीपत जिले में आरम्भ किए गए जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यकरण और कच्चे माल के कोटे के आवंटन में तथा कथित गोलमाल पर प्रकाश डाला गया था, और

(ख) यदि हाँ, तो उस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) : जी हां। राज्य सरकारों की टिप्पणियाँ मांगी गई हैं।

"खालिस्तान आंदोलन"

2388. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के भीतर और ब्रिटेन तथा अन्य पश्चिमी देशों में कथित "खालिस्तान" आन्दोलन के पीछे पृथकतावादी तत्वों को बढ़ती हुई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जानकारी है, और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार ने तथा-कथित "खालिस्तान" आंदोलन के पीछे तत्वों की गतिविधियों के सम्बन्ध में समाचार देखे हैं।

(ख) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि उनको मामले की जानकारी है। उनको इसकी कानूनी उलझनों की जांच करने के पश्चात उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

वैस्टन इलेक्ट्रानिक्स

2389. **श्री एच० एन० नल्ले गौडा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि वैस्टन इलेक्ट्रानिक्स टेलिविजन, टेप रिकार्डर, कैलकुलेटर्स, ट्रांजिस्टर, वीडियो आदि जैसी अनेक वस्तुओं के सबसे बड़े निर्माताओं में एक हैं, और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी०पी० एन० सिंह) : (क) वेस्टन इलेक्ट्रानिक्स टी०वी० सेटों, टेप रिकार्डरों और

केलकुलेटरों के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक हैं। जहाँ तक ट्रांजिस्टरों (ट्रांजिस्टर रेडियो) का सम्बन्ध है, वेस्टन इलेक्ट्रानिक्स छोटा निर्माता है। उन्होंने विडियो (विडियो टेप रिकार्डरों) का उत्पादन हाल ही में शुरू किया है।

(ख) वेस्टन इलेक्ट्रानिक्स द्वारा गत तीन वर्षों में किए गए उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :

	1977	1978	1979
टी०वी० सेट	43851	37302	37422
टेप रिकार्डर	7518	11717	15095
कैलकुलेटर	10710	16329	15669

हमारी सीमाओं के समीप पाकिस्तान द्वारा हवाई अभ्यास

2390. **श्री के०के० तिवारी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पाकिस्तानी वायु सेना द्वारा हमारी सीमाओं के समीप किये गये अत्यधिक हवाई अभ्यास की जानकारी है;

(ख) क्या इन अभ्यासों का निर्देशन और निरीक्षण चीनी विशेषज्ञों द्वारा किया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो पाकिस्तानी और भारतीय वायुसेनाओं के बीच सन्तुलन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि चीन तथा पश्चिमी देशों द्वारा पाकिस्तान को सप्लाई किए गए अति आधुनिक विमानों से पाकिस्तानी वायु सेना की बढ़ती हुई शक्ति के कारण सैनिक प्रतिष्ठानों को खतरा हो गया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) : पाकिस्तानी वायु सेना द्वारा किए गए हवाई अभ्यासों के बारे में भारत सरकार को जानकारी है। यह विश्वास करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि इन अभ्यासों का निर्देशन और संचालन चीनी विशेशज्ञों द्वारा किया गया है। सेनाओं को पुनः लैस करने और आधुनिकीकरण-कार्यक्रमों पर निर्णय लेते समय पाकिस्तान द्वारा अपनी सेना का पुनः लैस करने के लिए किए गए और किए जाने वाले कार्यक्रमों और भारत को उससे होने वाली खतरे की आशंका को ध्यान में रखा जाता है।

जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तान तथा चीन से लोगों की घुसपैठ

2391, **श्री चन्द्रशेखर मूर्ति : श्री चित्त महाटा : श्री बी०वी० देसाई : श्री पी० एम० सईद** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अक्तूबर, 1980 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "सोवियत एलेज पीकिंग डिजाइन्स आन काश्मीर" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) भारत सरकार द्वारा इन समाचारों की किस हद तक पुष्टि की गई है;

(ग) क्या जम्म और काश्मीर में पाकिस्तान और चीन के लोगों की बड़ी पैमाने में घुसपैठ किए जाने का समाचार है;

(घ) क्या यह भी सच है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों की सेनाएं जम्मू और काश्मीर में हमारी सीमाओं पर ध्यान लगाये हुए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) : सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है। कश्मीर पर चीन की कुदृष्टि की पुष्टि करने वाली कोई विश्वस्त सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) जम्मू और कश्मीर में चीन या पाकिस्तान की बड़ी मात्रा में घुसपैठ की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) जम्मू-कश्मीर सीमा के पार पाकिस्तानी या चीनी सेनाओं के किसी असामान्य जमाव की रिपोर्ट नहीं है।

(ङ) हम अपनी रक्षा तैयारियों को अद्यतन करते समय अपने पड़ौस में किसी असामान्य सैनिक जमाव को ध्यान में रखते हैं जिनमें किन्हीं दो देशों के बीच साँठ-गाँठ होने की सम्भावना भी शामिल है।

श्रीनगर में दंगों में विदेशी हाथ

2392. **श्री राजेन्द्रप्रसाद यादव : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रीनगर के हाल के दंगों में विदेशी हाथ होने के बारे में कोई जाँच की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : सरकार के पास श्रीनगर में हाल की हिंसक घटनाओं में विदेशी हाथ होने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है और इसलिए कोई जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

———

स्थगत प्रस्तावों के बारे में

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं कुछ न कहूं, इसे कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको चैम्बर में भी मिला था, वह दोबारा चालू कैसे हो, सती प्रथा के बारे में, उस सती प्रथा को दोबारा किस तरीके से शक्ति मिले, उसका कोई जुलूस यहां निकलने वाला था । उसके बारे में प्रधान मंत्री जी से, उधर मंत्री जी से और आपसे लोग मिले थे और उनको विश्वास मिला था कि ऐसे बेहूदा जुलूस की इजाजत नहीं दी जायगी, नर-बलि के पक्ष में, सती के पक्ष में, छूआछूत को बढ़ावा देने के पक्ष में, फिरकापरस्ती को बढ़ावा देने के पक्ष में... (व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, ऐसे बात नहीं चलने वाली है । यह कोई मामूली बात तो नहीं है । इसी से तो देश बनता और बिगड़ता है और लोक सभा में ऐसी बातें आ करके, फिर ऐसी गन्दी प्रथाएं चलें, प्रधान मन्त्री जी के विश्वास दिलाने के बाद, मैंने कभी महिला प्रधान मंत्री नहीं कहा, अब पहली दफा कहता हूं कि महिला प्रधान मंत्री के विश्वास दिलाने के बाद, जो महिलाओं ने संसार में प्रगति की उसको किस तरीके से दिल्ली के बाजारों में पीछे ले जाया गया..... (व्यवधान)..... अध्यक्ष महोदय, एक सेकेंड, कोई पहाड़ तो नहीं टूट रहा है, क्या हो रहा है ? मेरी बात नहीं आएगी तो इस लोक सभा में आएगा क्या ?

अध्यक्ष महोदय : आ गई ।

श्री मनीराम बागड़ी : कहां आ गई ? आप तो रोक रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं रोक नहीं रहा हूं ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी इस काम रोको प्रस्ताव को मंजूर कर लें और इस पर बहस चले ताकि देश की नारियों को, संसार की नारियों का पता लगे..... (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई- उत्तर मध्य) : अध्यक्ष जी, पिछले हफ्ते में जो सवाल उठाया था उसके बारे में सोमवार को सुबह मैं आपके कमरे में आपसे मिली थी और आपसे कहा था कि यह जुलूस जो निकल रहा है सती के लिए उसके बारे में आपको कुछ कार्यवाही करनी चाहिए । आपने मेरे सामने होम मिनिस्टर को फोन किया....

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास यह स्थगन प्रस्ताव है ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : और होम मिनिस्टर ने आपसे कहा कि हम सोच रहे हैं।

** कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री निरेन घोष : मैंने भी सूचना दी है ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : इसके बाद प्रधान मंत्री जी के साथ...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये । मेरे पास श्री जयपाल सिंह, श्री राम बिलास, श्री हरिकेश बहादुर और मनीराम जी का भी नोटिस आया था और मैंने भी बात की थी ।

श्री निरेन घोष (दम दम) : मैंने भी सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी बहुत चिंतित हूं मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री भी इस स्थिति से अवगत हैं और वह जानती है कि यह मध्य युग नहीं है । हम बर्बर युग में नहीं जा रहे हैं । मै समझता हूं कि गृह मंत्री इस प्रश्न के बारे में वक्तव्य देंगे । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो आपको नहीं बोलना चाहिये । जब मैं बोलता हूं तो आपसे यह आशा नहीं की जाती कि आप बोलें ।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

हम इस राष्ट्र को धार्मिक पुनर्जागरण वाद में नहीं जाने देंगे । मैं समझता हूं कि सरकार कुछ कदम उठायेगी ताकि ऐसी बातें.....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर ध्यान दे रहा हूं । गृह मंत्री यहां हैं और प्रधान मंत्री भी । वे एक वक्तव्य देंगे ।

(**व्यवधान**)

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी : इस मामले पर दो राय नहीं होनी चाहिए । सती न केवल मध्ययुगीन प्रथा है परन्तु आज इस पर रोक लगी हुई है तथा यह कानून के विरुद्ध है । स्वाभाविक ही है कि हम इस बर्बर प्रथा को वापस आरंभ करने को प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं । यह न केवल महिलाओं के ही विरुद्ध है अपितु यह समाज के भी विरुद्ध है तथा हम इसकी जोरदार निन्दा करते हैं जैसा कि हम दहेज के प्रश्न पर युवतियों को मारने की धमकी देने और उनको वास्तव में मारने की इतनी ही निन्दा करती हैं । दुर्भाग्य-वश एक प्रकार का धार्मिक पुनर्जागरणवादी आन्दोलन हो रहा है तथा मैं आशा करती हूं कि इसका सभा के सभी पक्षों द्वारा एक होकर मुकाबला किया जाना चाहिए ।

श्री आर० के० महालगी (हाणे) : कानून की क्रियान्विति क्यों नहीं हो रही है ?

(**व्यवधान**)

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : कानून तो क्रियान्वित किया जाता है परन्तु कभी-कंभी ऐसा हो जाता है । मेरा अपना विश्वास है कि जहां सती होने की घटनाएं होती

** कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

हैं वहां महिलाएं स्वेच्छा से सती नहीं होती है और संभवतया उन्हें चिता पर धकेला जाता है। यह मेरी निजी राय है। मैं नहीं जानती——

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : जः ऐसा होता है तो कार्यवाही की जाती है।

श्री निरेन घोष : अधिकांश घटनाएं अभी हाल में घटित हुई हैं। हजारों——

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनको उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी होती है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वह कुछ समय पहले हुआ था। मुझे इस समय सही तिथि याद नहीं है।

जहाँ तक जुलूस का सम्बन्ध है, मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है। मुझे नहीं मालूम है कि पहले अनुमति दी गई थी और बाद में वापस ले ली गई।

मुझे ब्यौरे का पता नहीं है। यदि मैं इस समय कोई ऐसी बात कहूं जो सही न हो तो उचित नहीं रहेगा।

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : मैं एक बात और कहती हूं। मेरा विश्वास है कि सती के लिए मन्दिर बनाने का प्रस्ताव है। मैं आशा करती हूं कि हमें इसे रोकने की कोशिश करने में सभा के सभी पक्षों का समर्थन मिलना चाहिए :

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मनी राम, मैंने श्री जेटमलानी को अनुमति दी है। आप नहीं बोल सकते।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : मैंने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आपसे अनुमति मांगी थी। मैं अब यह समझा सकता हूं कि आपने उस पर अपनी सहमति देने से इंकार कर दिया है। मैं आपके निर्णय का आदर करता हूं। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो आपके निर्णय पर हल्ला-गुल्ला करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी मेहरबानी है।

श्री राम जठमलानी : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कम से कम——

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी प्रकार की चर्चा के बारे में सोच रहा हूं। मैं इसे देखूंगा।

श्री राम जेठमलानी : आप कम से कम हमारे लिए एक काम करें! मैं चाहता हूं कि मामले को यहाँ पर गृह मंत्री तथा प्रधान मंत्री के ध्यान में लाया जाए। आप

स्थगन प्रस्ताव को पढ़ कर हमें आभारी करें ताकि इस ओर सरकार और लोगों का ध्यान दिलाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : यह छात्रों की गड़बड़ के बारे में हैं। मैंने उनका ध्यान इस ओर दिला दिया है।

श्री राम जेठमलानी : यह असम के उन 600 छात्रों का प्रश्न है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे बातचीत करूंगा। मैं उनको सभी भावनाओं के बारे में बता दूंगा। मेरे पास ध्यानकर्षण प्रस्ताव तथा स्थगन प्रस्ताव हैं। मैं भी इस मामले से अवगत हूं। मैं चाहता हूं कि किसी न किसी प्रकार की चर्चा हो क्योंकि भावी पीढ़ी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मुझे भी पता है कि किसी न किसी प्रकार की हिंसा हो रही है। मुझे इस स्थिति की भली भांति जानकारी है। हमें संकेकित प्रयास करने चाहिए ताकि युवक कुछ रचनात्मक तथा अच्छे परिणाम निकलने वाले कार्य करें न कि इस प्रकार की हिंसा और विनाश तथा यदि कोई शिकायत हो तो हमें उसे मिलजुलकर शांतिपूर्वक निपटाने की कोशिश करनी चाहिए।

श्री राम जेठमलानी : क्या हिंसा एक पक्षीय है ?

अध्यक्ष महोदय : किसी भी पक्ष की ओर से हो, यह खराब बात है। मैं ऐसी बात की सराहना नहीं करता। हम कुछ करेंगे।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : अध्यक्ष जी, आपने देखा होगा और अखबारों में देख रहे हैं, एक तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जो हमारा आर्डिनेंस डिपो हैं, उसमें एक आदमी को—

अध्यक्ष महोदय : सभा में इसे उठाने का प्रश्न ही नहीं है, इसे अस्वीकार किया जाता है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अन्धे किये गए व्यक्तियों द्वारा दायर की गई, रिट याचिकाओं के लिए सरकारी वकील उपस्थित नहीं होता है। मैंने उस पर एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। यह बहुत गम्भीर मामला है——

अध्यक्ष महोदय : इसे अस्वीकृत किया जाता है। मैंने इस पर अनुमति नहीं दी है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मुझे सूचित किया गया है कि राजस्थान की वैर कान्स्टीचूएन्सी में जो गड़बड़ हुई है------

अध्यक्ष महोदय : इसे अस्वीकार किया जाता है। मेरे पास पूरे तथ्य हैं। इसका

कोई आधार नहीं है । आपको इनके बारे में बता दिया जाएगा । आप मुझसे मिलें । मैं इसे यहां प्रकट नहीं कर रहा हूं ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है । आपने हमें बताया है कि आपने गृह मंत्री से तथ्य माँगे हैं ——

अध्यक्ष महोदय : इसे अस्वीकृत किया जाता है ।

श्री राजेशकुमार सिंह (फिरोजाबाद) : गुजरात के अन्दर नवगांव बाँध बनाते हुए तीन मजदूर——

अध्यक्ष महोदय : यहां नहीं इसे अस्वीकृत किया जाता है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : हाल ही में कुछ विश्वविद्यालयों में गड़बड़ी हुई है । एक या दो विश्वविद्यालय बन्द कर दिए गए हैं । अलीगढ़ में भी गड़बड़ हुई है । छात्र आन्दोलन कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में वक्तव्य दे ।

अध्यक्ष महोदय : यहां किसी ध्यानाकर्षण पर चर्चा नहीं की जायेगी, इसकी अनुमति नहीं दी जाती है । मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित न किया जाये ।

(व्यवधान)*

श्री हरिकेश बहादुर : आपने उस दिन सभा को बताया था कि मैंने इस मामले को गृह मंत्री को सौंप दिया है——

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आयें मैं आपको आश्वस्त करूंगा ।

श्री निरेन घोष : रिचर्स एण्ड एनेलिसिसविंग के कर्मचारी बड़े पैमाने पर गिरफ्तार और निलम्बित किए गए हैं । प्रशासन अस्त-व्यस्त हो गया है——

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री धनिकलाल मण्डल (झंझारपुर) : हमने काल एटेन्शन मोशन दिया है——

अध्यक्ष महोदय : यहां किसी ध्यानाकर्षण पर चर्चा नहीं होगी; मेरे पास आइये ।

अब पत्र सभा पटल रक्खे जाएं ।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम तथा पैट्रोलियम अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी, कलकत्ता के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : श्री चरणजीत चानना की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 9 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सां०आ० 862 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनाँक 27 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमें लुगदी, कागज, पेपर बोर्ड तथा अखबारी कागज के विनिर्माण पर उप कर लगाने के बारे आदेश दिया हुआ है ।

(ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 1486/80)

(2) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 9 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 834 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रंथालय में रखी गई । देखिए । संख्या एल०टी० 1487/80

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एंड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता का 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1488/80)

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत घरेलू बिजली उपकरण (गुण-प्रकार नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनाँक 17 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूधना संख्या सां०आ० 897 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1489/80)

एस० जी० टी० बी० खालसा कालेज दिल्ली के विद्यार्थियों द्वारा दिल्ली परिवहन निगम की बसों को रोके जाने के बारे में जाँच आयोग का प्रतिवेदन, की गई कार्यवाही का ज्ञापन और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० जी० टी० बी० खालसा कालेज, दिल्ली के विद्यार्थियों द्वारा 8 नवम्बर, 1979 को सड़क पर दिल्ली परिवहन निगम की बसों के गैर-कानूनी रूप से रोके जाने तथा उपद्रवी व्यवहार की घटनाओं की जांच करने वाले जांच आयोग का प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के निष्कर्षों पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1490/80)

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा (3) की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 655 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनाँक 17 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिनांक 8 नवम्बर, 1980 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1153 और 1154 रद्द कर दी गई है ।

(ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1491/80)

लोकलेखा समिति के विवरण

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़ में) : निम्नलिखित विवरणों के अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण सभा पटल पर गखता हूं :—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर 90 वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के अध्याय-एक में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय पाँच के सम्बन्ध में अंतिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

(2) दैवी विपत्तियों के कारण आई मुसीबत से राहत पर 93 वे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के अध्याय-एक में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण ।

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महा-सचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 2 दिसम्बर, 1980 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 18 नवम्बर, 1980 को पारित किए गए विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समयहरण) संशोधन विधेयक 1980 से बिना किसी संशोधन सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 2 दिसम्बर, 1980 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 18 नवम्बर, 1980 को पारित किए गए प्रादेशिक सेवा (संशोधन) विधेयक, 1980 से बिना किसी संशोधन सहमत हुई।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोकसभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 2 दिसम्बर, 1980 को अपनी बैठक में लोकसभा द्वारा 18 नवम्बर, 1980 को पारित किए गए बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) विधेयक, 1980 से बिना किसी संशोधन सहमत हुई।"

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति

नौवा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायणसिंह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन से, जो 2 दिसम्बर, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं।"

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं....

अध्यक्ष महोदय : आप यह निवेदन शुक्रवार को करें। अब प्रश्न यह है :

"कि यह सभा नौवें....."

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : समय के बारे में मैं यह कहना चाहता था———

अध्यक्ष महोदय : हम आपको सन्तुष्ट कर देंगे। चिन्ता न करें।

श्री जी०एम० बनातवाला : चार घण्टे दिए गए हैं, लेकिन दस घन्टे होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप 12 बजे तक बैठ सकते हैं। चिन्ता न करें। आप में धैर्य है और मेरे में धैर्य है। हम इसे सहन कर लेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन से, जो 2 दिसम्बर, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) :

श्री आर० वेंकटरामन की ओर से, मैं वर्ष 1980-81 के लिए बजट (सामान्य) के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

———

नियम ३७७ के अधीन मामले

(एक) गुजरात के कुछ क्षेत्रों में कोयले की कमी के कारण कुछ रेल सेवाओं का निलम्बन

श्री मोती भाई आर० चौधरी (मेहसाना) : अध्यक्ष महोदय, वेस्टर्न रेलवे में विशेषकर गुजरात के मेहसाना, राजकोट, भावनगर, आदि, डिवीजन और सब-डिवीजनों में कई ट्रेनें कोयले के अभाव में एकाएक बिना सूचना दिए बंद कर दी गई हैं। इससे अहमदाबाद, कलोल, मेहसाना, पालनपुर, राजकोट, भावनगर, सुरेन्द्रनगर, विरमगाम, आदि बड़े शहरों में हर रोज के लिए अपने आफिस कार्य, बिजनैस और उद्योगों में लगे

हुए अनेक दैनिक यात्रियों को आने-जाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। समय पर अपने बिजनेस के स्थानों पर नहीं पहुंच पाने की वजह से अपनी दैनिक रोजगारी गंवा रहे हैं। डीजल की कमी की वजह से सड़क पर चलने वाली कई बसें भी बन्द हैं, इससे और

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

परेशानियाँ यात्रियों को हो रही हैं। इससे ऊबकर यात्री लोग ट्रेनें रोकने का आंदोलन कर रहे हैं और यदि जल्दी ये चालू नहीं हों तो इसमें और बढ़ावा हो जायगा। फौरन इसमें से कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को चालू कर दिया जाय और यथावत सभी ट्रेनें पूर्ववत चालू हो जाएं ऐसा प्रबन्ध यथाशीघ्र माननीय रेल मन्त्री जी करें। ऐसी मैं आशा करता हूं और बार-बार कोयले की वजह से आये दिन ट्रेनें बन्द होने का जो रवैया चल रहा है उसको स्थाई रूप से बन्द करने के लिए उचित उपाय किए जायेंगे।

(दो) उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में रेल सेवाएं

श्रीमती ऊषा वर्मा (खेरी) : भारत नेपाल सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला जहाँ तक रेलवे द्वारा दी गई सुविधा का प्रश्न है बहुत उपेक्षित रहा है। हमारे देश में लखीमपुर के अलावा तिकुनियाँ, पलियांकलाँ, मेलानी जंकशन जैसे स्टेशन हैं जहाँ से लखनऊ, बरेली और गोरखपुर या दिल्ली जाने वाले यात्रियों को 3 टायर स्लीपर में 7 अप, 8 डाऊन तथा 29 अप, 30 डाऊन दिल्ली की गाड़ी में पर्याप्त सीटों के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। लखनऊ जाने वाली तथा दिल्ली जाने वाली उपरोक्त गाड़ियों में समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तिकुनिया स्टेशन पर प्रतिक्षालय तथा पलिया व मेलानी में रिटायरिंग रूम की भी व्यवस्था होनी चाहिए। मेलानी-गोरखपुर के बीच फास्ट पैसेन्जर तथा एक्सप्रेस ट्रैन चलायी जानी चाहिए। ट्रेनें अक्सर देरी से चलती हैं, इसमें सुधार की आवश्यकता है।

(तीन) दक्षिणी क्षेत्र को आवश्यक कच्चे माल की सप्लाई

श्री के० अर्जुनन (धर्मपुरी) : इस्पात आदि के आवंटन के मामले में तमिलनाडु की स्थिति चौथे नम्बर से घटाकर सातवें नम्बर पर पहुंचा दी गई है। वर्ष 1972-73 तक श्रम उत्पादन तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में तमिलनाडु का भारत में दूसरा स्थान था। यह तथ्य भारत सरकार के वर्ष 1977 के लघु उद्योग सम्बन्धी आंकड़ों में स्वीकार किया गया है। वर्ष 1973-74 में औद्योगिक विकास के मामले में कुछ राज्य, जो काफी पीछे घिसट रहे थे, अब तमिलनाडु से आगे बढ़ गए हैं। तमिलनाडु के अधिकांश उद्योग इन्जीनियरी क्षेत्र से सम्बन्धित हैं और वे लोहा, कच्चा लोहा और इस्पात तथा अन्य आवश्यक अयस्कों पर आश्रित हैं। तमिलनाडु को आवंटित किया जाने वाला इन वस्तुओं का कोटा धीरे-धीरे कम कर दिया गया है। उदाहरणार्थ, वर्ष 1973-74 के दौरान हमारे देश में भारतीय इस्पात प्राधिकरण के माध्यम से 4,48,968 टन कच्चा लोहे का

आवंटन किया गया था। इस मात्रा में से तमिलनाडु को 49,322 टन कच्चा लोहा आवंटित किया गया। यह कुल रिजर्व का 11 प्रतिशत है। इस मात्रा में धीरे-धीरे कमी होते-होते वर्ष 1978-79 में यह 5.51 प्रतिशत रह गई। कच्चा लोहा प्राप्त करने के मामले में, तमिलनाडु का स्थान वर्ष 1973-74 से 1978-79 तक की अवधि में ही तीसरे नम्बर से नीचे जाकर छठा हो गया।

इसी प्रकार इस्पात रिजर्व प्राप्त करने के मामले में तमिलनाडु को वर्ष 1973-74 के चौथे स्थान से धकेलकर अब सातवें स्थान पर पहुंचा दिया गया है। कुल मिलाकर आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी नामक दक्षिणी राज्यों के रिजर्व की स्थिति में धीरे धीरे कमी आई है।

तमिलनाडु के ढलाई घरों को विभिन्न अन्य क्षेत्रों के उत्पादन से अपने लिए अपेक्षित कच्चा माल खरीदना पड़ता है और इसके लिए उन्हें अलग-अलग निर्धारित मूल्य चुकाना पड़ता है।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि सम्बद्ध विभागीय अधिकारी उपरोक्त कच्चे माल का दक्षिणी जोन को भी आवंटन करें और इनके कोटे की मात्रा वर्ष 1973-74 में आवंटित मात्रा से अधिक हो।

(चार) मैसर्स जियोवेनाला बिन्नी लिमिटेड, कोचीन में तालाबन्दी के कारण कर्मचारियों की शोचनीय स्थिति

श्री जेवियर अराकल (एरनाकुलम) : मैं मैसर्स जियोवेनाला-बिन्नी लिमिटेड, कोचीन नामक एक भारी इन्जीनियरिंग कम्पनी के कर्मचारियों की गम्भीर और दुःखद स्थिति की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जानबूझकर और इरादे से किए गए कुप्रबन्ध के कारण इस कम्पनी में वर्ष 1977 से व्यावहारिक रूप से तालाबन्दी चल रही है। वर्ष 1979 के जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार ने राष्ट्रीय योजनाओं और जन उपयोग की इंजीनियरी वस्तुओं का निर्माण करने वाली इस कम्पनी में पुनः काम शुरू किए जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है। इस कम्पनी द्वारा अनेक क्रय दिशों को अभी पूरा किया जाना शेष है। तालाबन्दी पूर्णतः शरारतपूर्ण है और इसके पीछे बस यही इरादा है कि सरकार को इसका अधिग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाए। इसमें उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की महत्ता और उपयोगिता तथा इसमें पहले होते रहे लाभ तथा अब इसके 400 कर्मचारियों की वर्तमान दयनीय स्थिति पर विचार करते हुए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह जियोवेनाला-बिन्नी लिमिटेड, कोचीन का प्रबन्ध अपने हाथ में शीघ्र लेने के लिए अथवा राज्य सरकार को इसका प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिए बाध्य करने हेतु अविलम्ब कार्यवाही करें।

(पाँच) उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित करने की आवश्यकता

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : बिहार सरकार ने उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित कर दिया है। बिहार सरकार का यह कार्य बहुत सराहनीय है और इसके लिए वह बधाई की पात्र है।

उत्तरप्रदेश में भी वर्षों से उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिए जाने की मांग चली आ रही है। यहां पर उर्दू भाषी लोगों की संख्या बिहार की अपेक्षा बहुत अधिक है। उत्तर प्रदेश में अभी तक उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा न मिलने से उर्दू भाषी लोगों को बहुत क्षोभ है। मैं केन्द्रीय सरकार और विशेषकर प्रधान मंत्री से माँग करता हूं कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह दें कि वह शीघ्रातिशीघ्र उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित करे।

(छः) रेलगाड़ियों का देरी से चलना

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : नए रेल मन्त्री की नियुक्ति तथा रेलवे बोर्ड में परिवर्तन के बाद लोगों में आशा जगी थी कि रेल गाड़ियों का आना-जाना समय से हो सकेगा। यात्री महसूस कर सकेंगे कि, कहीं जाने पर वे समय से पहुंच जायेंगे तथा उनका निर्धारित काम पूरा हो जायेगा।

परन्तु दुःख है कि, स्थिति में परिवर्तन के आसार नहीं दीख रहे हैं। गाड़ियों का विलंब से चलना आज भी जारी है। लगता है कि कोई किसी को देखने सुनने वाला नहीं है।

गाड़ियों का विलम्ब से चलना सारे भारत की समस्या बन गई है। हां, किसी क्षेत्र में स्थिति कम गम्भीर है और किसी क्षेत्र में अधिक लोग महसूस नहीं कर पाते कि वे गन्तव्य स्थान पर समय पर पहुंचकर अपना काम लेंगे। अभी 30 नवम्बर और 1 दिसम्बर की बात है। दिल्ली से पूरब और कलकत्ते से पश्चिम जाने वाली कोई भी गाड़ी घंटों कम विलम्ब से अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंची। तिनसुकिया मेल, कालका मेल, डिलक्स, सोनभद्र एक्सप्रेस दिल्ली हावड़ा एक्सप्रैस, अपर इण्डिया एक्सप्रैस आदि सभी गाड़ियाँ घन्टों बिलम्ब से अपने गन्तव्य स्थान पहुंची। तिनसुकिया मेल दिल्ली स्टेशन पर 14 घंटे 20 मिनट लेट पहुंची उसमें संसद सदस्य श्री हरिनाथ मिश्र जी के साथ मैं भी यात्रा कर रहा था। हम दोनों ने समझा था कि डिलक्स के बजाय तिनसुकिया मेल से चलने से विलम्ब होने पर भी हम लोग लोक सभा की बैठक शुरू होने तक पहुंच जायेंगे क्योंकि उसका नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचने का समय 5.20 बजे सवेरे है। मुझे भागलपुर जेल के विचाराधीन बंदियों की आँख फोड़ने सम्बन्धी घटना पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई बहस में हिस्सा लेना था। वह गाड़ी सवेरे की बजाय साढ़े सात बजे रात्रि में दिल्ली पहुंची।

यह स्थिति बड़ी ही निन्दनीय है। इस लोक महत्व के प्रश्न पर लोकसभा में विचार होना आवश्यक है। इसके लिए कोई उपाय होना चाहिए ।

(सात) पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार तथा अन्य आरक्षण के बारे में

श्री जयपालसिंह कश्यप (आँवला) : भारत में 60 प्रतिशत से अधिक पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उनके उद्योग धंधे जो इस देश की रीढ़ हैं, वे अधिक महत्व न दिए जाने के कारण समाप्त होते जा रहे हैं। यहाँ से धीवर, झीवर, निषाद, मल्लाह, केवट, भोई, कीर, रायकवार, अहीर, काछी, मोराओ, गढ़रिया, कुर्मी, कुम्हार, नाई, तेली, बढ़ई, लोहार, लोधी किसान आदि सदैव से अपने परम्परागत धंधों में लगे हैं लेकिन आर्थिक और सामाजिक शोषण के कारण देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बहुत ही पिछड़े हैं। भारतीय संविधान में इनको विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340 के अनुसार शिक्षा, धंधों व सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है और यह व्यवस्था है कि जिन पिछड़े वर्गों के लोग सरकारी नौकरियों में सही प्रतिनिधित्व न पाए हों उनको केन्द्रीय और राज्य सेवाओं में आरक्षण दिया जाएगा। इस तरह की रिपोर्ट काका कालेलकर कमीशन जो पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाता है वह कई साल पहले दे चुका है। परन्तु अभी तक पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण केन्द्र की सरकार ने नहीं दिया है जिससे इन लोगों को सरकारी नौकरियों में जाकर देश की सेवा करने का अवसर नहीं मिल रहा है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर पिछड़ा वर्ग, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग को आबादी के अनुपात से आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए और सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र कोई नोटिफिकेशन जारी करे।

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्मनारायणसिंह) :

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 मुख्य रूप से *सरकारी स्थानों से* अप्राधिकृत अधिभोगियों को शीघ्र और संक्षेपत: बेदखल करने *का उपबन्ध करने के लिए किया गया था*। इसके कार्य-संचालन की अवधि के दौरान कुछ

कठिनाइयाँ अनुभव की गई थी जो 24 अगस्त, 1976 को राज्य सभा में पुनः स्थापित किए गए एक संशोधन विधेयक द्वारा दूर की गई थी। इसके साथ ही इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यकरण के बारे में सरकार द्वारा एक समीक्षा की गई थी। इस समीक्षा के परिणामस्वरूप संशोधन विधेयक की परिधि में न आये कुछ और संशोधनों को करना आवश्यक समझा गया था। छुट-पुट विधान को रोकने के लिए यह विधेयक 27 जुलाई, 1977 को राज्य सभा से वापस ले लिया गया था। अब इस अधिनियम के सुचारु रूप से कार्य संचालन के लिए इसमें अनुभव हुई कठिनाइयों को दूर करने और इस के सम्बद्ध उपबंधों में सुधार करने के लिए इस अधिनियम का एक व्यापक संशोधन करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों में निम्नलिखित उपबन्ध निहित हैं :

1) महापत्तन, भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड, विश्वविद्यालय और उसी प्रकार के केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन स्थापित संस्थाओं और ऐसी कम्पनियों की समनुषंगियों के स्थानों को, जिसमें केन्द्रीय सरकार का कम से कम 51 प्रतिशत समादत्त पूंजी में शेयर हो, जो इस अधिनियम के अनुसार वर्तमान परिभाषा की परिधि में न हो, इसकी परिधि में लाने के लिए "सरकारी स्थान" की परिभाषा को व्यापक बनाना ताकि ऐसे संगठनों को अपने स्थानों से अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने में अब हुई कठिनाइयां कम की जा सकें।

2) अधिनियम की धारा 3 के अधीन सम्पदा अधिकारी के रूप में लोक सभा सचिवालय के राजपत्रित अधिकारियों को नियुक्त करना सम्भव बनाना ताकि लोक सभा पूल में निवास के अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखल किया जा सके और राज्य सभा सचिवालय के मामले में इसी प्रकार का प्रावधान करना क्योंकि उपरोक्त सचिवालय का इसी प्रकार का पूल भविष्य में बनाया जा सकता है।

3) बेदखली की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए उपबन्ध करना और अनावश्यक प्रक्रमों को समाप्त करके तथा कारण बताओ और बेदखली की सूचनाओं की अवधि को घटाकर विलम्ब में कमी करना।

4) अधिनियम में एक नई धारा 5क को जोड़कर सरकारी स्थानों पर माल को बिखेरने या फलाने और सरकारी स्थानों पर अप्राधिकृत संनिर्माणों या वहां से अधिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए उपयुक्त उपबन्ध करना।

5) सम्पदा अधिकारी को कोई सूचना दिए बिना अथवा इसका प्रकाशन किये बिना ही ऐसे स्थानों पर, जहां से अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखल किया गया हो, पड़े हुए जल्दी नाशवान पदार्थों के निपटान का अधिकार देना।

6) सम्पदा अधिकारी को दोषी व्यक्तियों से किसी सरकारी स्थान के बारे में

किराये अथवा हर्जाने की बकाया राशियों पर ब्याज के भुगतान के लिए अधिकार देना। यह अनुभव किया गया है कि सरकारी स्थानों के अधिभोगी किराए अथवा हर्जाने की बकाया राशियों का भुगतान नहीं करते हैं जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को हानि होती है। यह विचार किया गया है कि ऐसे दोषी व्यक्तियों पर किराए अथवा हर्जाने की बकाया राशियों पर ब्याज लगाना निरुत्साहित किया जाए।

7) अधिनियम की धारा 18(3) का संशोधन करके अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति द्वारा सिफारिश किए गए सूत्र के अनुसार नियम बनाए जाने का सूत्र बनाना।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव किया गया :

"कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस समय श्री शमन्ना और श्री डागा के नाम में संशोधन है। इन्हें अब प्रस्तुत किया जाये।

श्री टी०आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संशोधन संख्या-1 विधेयक पर 31 जनवरी, 1981 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।"

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का संशोधन करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाए जिसमें 14 सदस्य हों, अर्थात् :

(1) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
(2) श्री जेवियर अरांकल
(3) श्री नारायण चौबे
(4) श्री एन०ई० होरो
(5) श्री भीकूराम जैन
(6) श्री आर०के० महालगी
(7) श्री टी० नागरत्नम
(8) श्री रामविलास पासवान
(9) श्री चिरन्जीलाल शर्मा
(10) श्री नवलकिशोर शर्मा
(11) श्री धर्मदास शास्त्री

(12) श्री रामावतार शास्त्री

(13) श्री भीष्मनारायणसिंह; और

(14) श्री मूलचन्द डागा

और उसे 31 जनवरी, 1981 तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये संशोधन सदन के समक्ष हैं । प्रो० मधु दंडवते । वह यहाँ नहीं हैं । श्री शमन्ना अब आप अपने संशोधन पर बोल सकते हैं ।

श्री टी० आर० शमन्ना: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन पेश कर चुका हूं । अब मैं अपने संशोधन पर बोल रहा हूं । श्रीमान यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है । लेकिन मैं अत्यन्त खेद के साथ कह रहा हूं कि यह विधेयक बहुत विलम्ब से लाया गया है । बहुत सी सरकारी और अर्ध सरकारी भूमि को हथिया लेने और उस पर अप्राधिकृत कब्जे से पहले ही भारी क्षति हो चुकी है । मैं यहाँ पर अत्यन्त खेद के साथ कह रहा हूं कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों से संबंधित सरकारी भूमि तथा अर्ध सरकारी भूमि को इस समय किसी की भी सम्पत्ति नहीं समझा गया है क्योंकि अव्यस्थित रूप से इस सरकारी भूमि पर इन लोगों द्वारा अप्राधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है । इस बारे में हम एक अधिनियम बना चुके हैं और पिछले अधिनियम में भी, मेरे विचार से, इस प्रकार के अनधिकृत कब्जे को काफी हद तक रोकना संभव था । मेरी आशंका है कि जब तक सरकार नीति संबंधी स्पष्ट निर्णय नहीं लेती है तब तक इस वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी इस स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है । नीति संबंधी स्पष्ट निर्णय के बिना सरकार के लिये भी यह सुनिश्चित करना अत्यन्त कठिन है कि ऐसे अप्राधिकृत कब्जे को ठीक किया जा सके । सर्वप्रथम विभिन्न स्लमों के मामले में बहुत सा अप्राधिकृत कब्जा है । वास्तव में इन्होंने कुछ बडे शहरों को गन्दगी में बदल दिया है और ऐसे स्लमों से शहर का सौन्दर्य नष्ट हो जाता है । यह शरीर में हुए केंसर के समान है । सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये कुछ नियम निर्धारित करने चाहिये जिससे कि इस प्रकार के अप्राधिकृत कब्जों को सदा के लिये रोका जा सके । विशेष रूप से बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, और बंगलौर जैसे बड़े शहरों में यह होता है कि सड़कों पर सौदा बेचने वाला व्यक्तियों द्वारा फुटपाथों पर कब्जा किया जा रहा है और लोगों का वहां से जाना और वहां से खरीदारी करना अथवा उस मार्ग से गुजरना बिलकुल असंभव होता है । मुझे नहीं मालूम है कि क्या यह विशेष विधेयक अन्य राज्यों पर भी लागू होता है । लेकिन जहाँ तक मैं समझ सका हूं यह विधेयक केवल दिल्ली महानगर क्षेत्र में ही लागू होता है । बम्बई, कलकत्ता और बंगलौर जैसे बड़े शहरों में केन्द्रीय सरकार की भूमि है जिस पर अप्राधिकृत रूप से कब्जा किया गया है । मैं दिल्ली में बहुत से क्षेत्रों का नाम नहीं जानता हूं लेकिन मैं बंगलौर के बारे में ऐसा कह सकता हूं । बंगलौर को भारत का एक अत्यन्त सुन्दर शहर माना जाता है । बंगलौर रेलवे स्टेशन के निकट एक खुला स्थान है । इसे बड़े स्लम के रूप में बदल दिया गया है । आवारा

लोग वहां जाते हैं और वहां एक बड़ा स्लम बना देते हैं। यदि कोई व्यक्ति बंगलौर रेलवे स्टेशन में रेलगाड़ी से बाहर निकले तो वह इस भद्दे दृश्य को तथा वहाँ पर बसे हुए इस खराब स्लम को देखता है। वहाँ शौचालय नहीं हैं। समस्त क्षेत्र बहुत गंदा है तथा वहाँ पर मानव के लिये घूमना उपयुक्त नहीं है। बस स्टैंड के निकट, रेलवे स्टेशन के सामने बहुत से खोखे और दुकानें खुल गई हैं। यह अचानक ही हुआ है। ये सभी कुछ बिलकुल अनधिकृत है। इन बातों के कारण कोई भी व्यक्ति बस स्टैंड क्षेत्र के आस-पास आ-जा नहीं सकता है। मुझे नहीं मालूम है कि रेलवे स्टेशन के आस-पास और बस स्टैंड के क्षेत्रों में इन अनधिकृत खोखों तथा दुकानों को किस प्रकार अनुमति दी जा रही है। यह एक अथवा दो खोखे अथवा दुकानें नहीं हैं अपितु वहां पर वस्तुतः ऐसी सैकड़ों दुकानें हैं सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये कुछ तात्कालिक कार्यवाही करनी चाहिये ताकि ये खोखे और दुकानें इस क्षेत्र में न बन सकें। इन खोखों में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। ये दुकानें विविध वस्तुयें बेचने के लिये खोली गई हैं। ये ढांचे भद्दे लगते हैं और इन्हें हटा दिया जाना चाहिये।

बंगलौर शहर में लगभग दस अथवा बारह वर्ष पूर्व मुश्किल से 100 स्लम थे। लेकिन अब इस समय बंगलौर शहर में लगभग 450 स्लम हैं। इनमें से लगभग 100 स्लम निगम की भूमि में स्थित हैं, इसी प्रकार 100 स्लम सरकारी भूमि में, 100 स्लम बंगलौर विकास प्राधिकरण की भूमि में और शेष स्लम प्राइवेट भूमि में स्थित हैं। ये स्लम तेजी से बढ़ रहे हैं। जब तक सरकार इस मामले में कठोर कार्यवाही नहीं करती है तब तक इस शहर को सुन्दर बनाये रखना सम्भव नहीं होगा। इन भूमियों पर अनधिकृत कब्जे रोका जाना चाहिए। यहाँ पर मैं उल्लेख कर सकता हूं कि सरकार ने इन स्लमों को हटाने के लिए कठोर कार्यवाही नहीं की है। वोट प्राप्त करने के लिए सत्तारूढ़ दल इन स्लमों को पनपने की अनुमति दे रहा है और मेरी आशंका है कि जब तक सरकार इस मामले में कठोर कार्यवाही करने में रुचि नहीं दिखाई देती है तब तक मुझे पक्का विश्वास है कि स्लम समस्या पूरी तरह से हल नहीं की जा सकती है। मैं गरीब व्यक्तियों तथा कमजोर वर्गों को जगह देने के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन इसे तरीके से और वैज्ञानिक रूप से किया जाना चाहिए। मुझे आशंका है कि इसके द्वारा नगर का सौन्दर्य नष्ट हो जायेगा और इससे इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा भी होगा।

इस बारे में मैं अनधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। बंगलौर में एक विकास प्राधिकरण है जिसे बंगलौर विकास प्राधिकरण कहा जाता है। इस प्राधिकरण ने बहुत से व्यक्तियों को भूमि आवंटित की थी। लेकिन स्लम निवासियों द्वारा अधिकांश स्थलों का अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है। यह बड़े खेद का विषय है कि इन स्लमों को हटाने के लिए प्राधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। जब

कभी इन्हें गिराने का आदेश जारी किया जाता है तब गिराने सम्बन्धी इन आदेशों को रोकने के लिए विभिन्न राजनीतिक नेताओं द्वारा दबाव डाला जाता है। हाल ही के उप-निर्वाचान में सरकार के केवल वोट प्राप्त करने के लिए ही अधिकांश अनधिकृत स्लमों को मान्यता दी है। उन्होंने 40 अथवा 50 सार्वजनिक फौवारे लगा दिए हैं और प्रत्येक फौवारे को जल की सप्लाई के लिए प्रति वर्ष 4750 रुपए दिए जाने हैं। विभिन्न क्षेत्रों में फौवारे लगाए गए हैं और इस से नागरिकों को बहुत कठिनाई होती है। अनधिकृत ढ़ाचों को जो हो चुका है और जिसे मान्यता दी गई है, पानी आदि जैसी सुविधाये दी गई हैं लेकिन ये सुविधाएं आप जनता के हितों की उपेक्षा करके दी गई हैं। कुछ 'पुदारी' अथवा प्रभावशाली नेता सरकारी भूमि अथवा अर्ध-सरकारी भूमि में स्थल बना लेते हैं और इन्हें झुग्गी निवासियों को दे देते हैं। ये नेता प्रत्येक निवासी से एक सौ रुपए अथवा दो सौ रुपए लेते हैं। बाद में ये नेता दबाव डालते हैं और किसी न किसी प्रकार से इन स्थलों को वनाए रखने का प्रयास करते हैं। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्लम का विकास शीघ्र ही बन्द हो और शहर को लोगों के रहने लायक बना दिया जाये।

इस बारे में मैं यह उल्लेख कर सकता हूं कि जब कभी मकान गिराने सम्बन्धी आदेश जारी किए जाते हैं, उस समय सरकारी भूमि, अर्ध सरकारी भूमि आदि में अनधिकृत रूप से कब्जा कर रहे लोग न्यायालय में चले जाते हैं और वहाँ से रोकादेश (स्टे आर्डर) प्राप्त कर लेते हैं।

मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले की जाँच करे और यह सुनिश्चित करे कि जब कभी सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया जाये, तब उस मामले में न्यायालय को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये और स्टे आर्डर नहीं देना चाहिए। इस प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिए। बहुत से मामलों में किसी न किसी प्रकार लोग स्टे आर्डर ले लेते है, और वह कब्जा शीघ्र अथवा बाद में स्थायी हो जाता हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि फुटपाथ पर बिक्री को रोका जा सके। बंगलौर में केन्द्रीय बाजार अर्थात् कृष्णचन्द्र मार्किट में राज्य के सबसे बड़े अस्पताल अर्थात् विक्टोरिया अस्पताल के बिलकुल सामने ही फुटपाथ पर लगभग 200 खोखों में बनी दुकानों पर बहुत से लोगों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया है। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई आदि जैसे बड़े शहरों में ऐसे बहुत से स्थान हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे मार्केट क्षेत्रों में इन दुकानों ने लोगों के चलने के लिये छोड़े गए अधिकांश रास्तों पर कब्जा कर लिया है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में यहाँ पर यह उल्लेख करना भी संगत होगा कि सरकार किसी एक

कारण अथवा दूसरे कारण से अपने दल के व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों का पक्षपात करने के लिए आम तौर पर विभिन्न लोगों को सार्वजनिक पार्कों के लिए अथवा ऐसे अन्य कार्यों के लिए रखी गई अत्यन्त बहुमूल्य भूमि दे देती है। उदाहरणार्थ वर्तमान सरकार ने नहीं अपितु पिछली सरकार ने नाममात्र पट्टे पर धनी व्यक्ति को बंगलौर में निगम की ऐसी भूमि आवंटित की थी जहां पर एक स्टेडियम बनाया जाना था। बंगलौर के छावनी क्षेत्र में निकास जल को ले जाने के लिए एक बड़ा चैनल है। लगभग दो करोड़ रुपये लागत वाली लगभग आधा मील भूमि 1800 रुपये प्रति वर्ष के नाम मात्र किराये पर होटल का निर्माण करने के लिए बम्बई अथवा दिल्ली की एक फर्म को दी गई है और उस निकासी क्षेत्र को इस तरीके से पट्टे पर दिया गया है। ऐसे मामले सरकार द्वारा नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि इससे जल्दी अथवा बाद में अनधिकृत कब्जों को और प्रोत्साहन मिलेगा। इस मामले पर गहराई से अध्ययन किया जाए और लोकमत को उचित महत्त्व दिया जाये।

मैं यहां पर यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि बंगलौर में मंडीपेट बाजार क्षेत्र में ट्रकों को इस तरीके से खड़ा किया जाता है कि वाहन के अन्य साधनों का उपयोग कर रहे यात्रियों के लिए निकलने हेतु तनिक भी जगह नहीं बचती है। बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए कम से कम दो घंटे लगेंगे क्योंकि पूरा क्षेत्र ट्रकों से भरा होगा। इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है और इस बारे में कुछ ठोस कार्यवाही करने की आवश्यकता है। बंगलौर शहर में न्यू मांडीपेट और मैसूर रोड क्षेत्र में निगम ने कठोर कार्यवाही की थी और फुटपाथ पर सरकारी भूमि पर निर्मित सभी अनधिकृत ढांचों को गिरा दिया था और वह क्षेत्र अब बहुत सुन्दर बन गया है।

गरीब व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति दर्शाना एक बात है और उन्हें जहां कहीं भी, जहां वे चाहें, शेड डालने की अनुमति देना एक अलग बात है। सरकार ऐसी कुछ भूमि विकसित करे और इसे योजनाबद्ध तरीके से उन्हें किसी परिमाण में दे। इससे हमें बहुत प्रसन्नता होगी लेकिन यदि अनधिकृत कब्जे, अनधिकृत दुकानें और फुटपाथ पर बिक्री को अनुमति दी जाती है तो इससे न केवल जनता को भारी असुविधा होगी अपितु इससे शहर का सौन्दर्य नष्ट होगा।

एक विधेयक बहुत विलम्ब से लाया गया है। इससे पहले ही भारी क्षति हो चुकी है।

इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि सरकारी अधिकारी अपनी सेवा-निवृत्ति अथवा स्थानान्तरण के बाद भी सरकारी आवास पर कब्जा किए रहते हैं।

विधानमंडल का सदस्य न होने पर भी विधायकों द्वारा सरकारी आवास को खाली नहीं किया जाता है। सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये कि सरकारी अधिकारियों अथवा संसद सदस्यों द्वारा सरकारी इमारतों के अनधिकृत

कब्जे को भी रोका जा सके । इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि उन अधिकारियों को, जिनके अपने स्वयं के मकान है, सामान्य किराया देने पर सरकारी क्वार्टरों में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । सरकारी अधिकारी अपने स्वयं के मकानों को बहुत अधिक किराये पर दे देते हैं और वे बहुत कम किराये पर सरकारी क्वार्टरों में रहते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि सरकार द्वारा सरकारी अधिकारियों को दी गई सुविधा का वे दुरुपयोग न करें ।

इसी प्रकार मन्दिर की अधिकांश भूमि अनधिकृत रूप से ली गई है । इस बारे में ध्यान रखना चाहिए । इस बारे में एक विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए । इस बारे में जनता का सहयोग आवश्यक है । जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलता है तब तक ऐसा करना अत्यन्त कठिन है । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यह कहते हुए संकल्प पेश किया है किया है कि इस मामले को लोकमत जानने के लिए भेजा जाये । आसमान नहीं गिरेगा यदि आप एक अथवा दो महीने के लिए प्रतिक्षा करें और तब एक व्यापक विधेयक लायें ।

इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को लोकमत जानने के लिए परिचालित किया जाये ताकि हमें इन अनधिकृत कब्जों को रोकने के लिए एक व्यापक और अत्यन्त प्रभावशाली अधिनियम मिल सके ।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय आपने सम्पूर्ण देश के लिए और विशेषकर दिल्ली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस विधेयक पर बोलने का जो अवसर मुझे दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

यह विधेयक, अपने वर्तमान स्वरूप में, सभी तरह की सरकारी भूमि, दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि, नगर निगम की भूमि नई दिल्ली नगर पालिका की भूमि और विशेषकर उन सभी तरह की भूमि पर लागू होता है जिसे सरकारी अथवा अर्ध सरकारी भूमि कहा जा सकता है । जहां तक सरकारी भूमि अथवा सार्वजनिक परिसर से अनधिकृत व्यक्तियों को हटाने की शक्ति सरकार को देने का सम्बन्ध है वहां तक तो यह विधेयक ठीक है । मैं निश्चय ही इस विधेयक का समर्थन करता हूं । लेकिन मैं उस स्थिति का उल्लेख करना चाहता हूं जो दिल्ली में अवैध रूप से भूमि हथियाने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में उत्पन्न कर दी गई है । कुछ लोगों को यह जानकर शायद सदमा पहुंचे कि सिर्फ दिल्ली में ही, जो भारत की राजधानी है, कम से कम 50 लाख व्यक्ति इन सभी स्थानों में रह रहे है । यदि कोई इस विधेयक की सच्ची व्याख्या करता और उनमें से प्रत्येक को निकाल बाहर किया जाता, मुझे विश्वास है कि इस सरकार का लोगों को निकाल बाहर करने का इरादा नहीं है । अब चूंकि इस सरकार ने बागडोर संभाल ली है और इसने बहुत ही मानवीय रुख अपनाया है और हमें उस तरह की कोई शिकायत नहीं है । जरूरत इस बात की है कि

स्थिति को वहीं न रहने दिया जाए जहाँ इस समय है। एक बहुत ही स्वतःपूर्ण सिद्धान्त—मैं केवल सचाई बतला रहा हूं—जिसका सूत्रपात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था—यह था कि बेदख किए गए लोगों को वैकल्पि स्थान दिया जाए। यह एक मानवीय दृष्टि कोण था और कांग्रेस आई सरकार द्वारा इस नीति का पालन 1977 तक किया जाता रहा। उसके बाद, मैं जानता हूं, इस नीति को त्याग दिया गया क्योंकि तत्कालीन प्रधान मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि वैकल्पिक जगह नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे अनधिकृत रूप से कब्जा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, और उस नीति को समाप्त कर दिया गया। खैर, इस सरकार ने वैकल्पिक स्थान देने की उस नीति को पुनः अपना लिया। मैं जिस बात पर बल देना चाहता हूं वह इस प्रकार है। यह सवाल उन लोगों से सम्बन्ध रखता है जो लोग 50, 60, 70 वर्षों से रहते चले आ रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, विशेषकर हरिजन हैं और करौलबाग, पहाड़गंज में, नगर के अन्य विभिन्न भागों में, यमुनापार क्षेत्र तथा अन्यत्र इन निर्धन लोगों के हजारों मकान हैं, जिनमें लाखों लोग रहते और ये मकान तकनीकी रूप से सरकारी भूमि में ही है। बहुत से मामलों में, ये जमीनें 50, 60, 70 या 80 वर्ष पहले विभिन्न लोगों, धनी व्यक्तियों को पट्टे पर दी गई थी। वे पट्टे समाप्त कर दिए गए। लेकिन ये व्यक्ति अभी भी वहां अनधिकृत रूप से रह रहे हैं। सरकार उन्हें समय-समय पर क्षति के नोटिस भेजती रहती है। अब इस क्षति का हिसाब ऊंची दर पर लगाया जाता है और ये गरीब लोग उसका भुगतान नहीं कर सकते, जिसके परिणामस्वरूप जब उन्हें इस तरह के नोटिस मिलते हैं तो उन्हें चिन्ता हो जाती है; फिर वे किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और तब मामला वहीं रुक जाता है। इस तरह पूर्ण अनिश्चितता का स्थिति वहां बनी रहती है। इन लोगों के पास ये मकान पिछले 60 वर्षों से हैं। उनके बाबा दादी इनमें रहते रहे हैं, और अब उनके बच्चे रह रहे हैं।

यह बात मुझे बोलने का मौका देती है। हमें बोलने का मौका नहीं मिलता है। मैं आवास के बारे में कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि निर्माण और आवास मंत्रालय की बारी बजट अवंटन के समय सामान्यतः तब आती है जब यहाँ कोई चर्चा नहीं होती है। अतः, इस बात से, आपके जरिए, मुझे सरकार को यह बताने का मौका मिलता है कि इस प्रश्न को लिया जाए इन सभी, लाखों लोगों को इन जमीनों पर रह रहे हैं जो तकनीकी दृष्टि से सरकारी भूमि कही जाती है, जहां ये लोग लम्बे समय से रहते आ रहे हैं, उक्त भूमि उन्हें आंतरित की जानी चाहिए उन्हें इस भूमि का मालिक बना दिया जाना चाहिए और उनसे उचित मूल्य वसूल किया जाना चाहिए, वह मूल्य नहीं जो आज है।

जो मूल्य उन्होंने उस समय दिया था, उसका हिसाब लगाया जाए और ये जमीनें उनके नाम कर दी जाएं जिससे कि अनिश्चितता की स्थिति न बनी रहे। महोदय, अब मैं कहना चाहूंगा कि मेरे माननीय मित्र फुटपाथ पर रहने वालों की बात कर रहे थे, वे लोग लोग जो फुटपाथ पर काम कर रहे हैं। मैं फुटपाथ वालों के बोल रहा हूं। मैं निश्चित ही

इसमें विश्वास करता हूं कि नगर का सुनियोजित विकास होना चाहिए । यहां गंदी बस्तियां नहीं होनी चाहिए । दिल्ली में सबसे अच्छा काम आपातकाल के दौरान किया गया था जब दस लाख से भी अधिक व्यक्तियों को 27 नए नगरों में बसाया गया ।

(व्यवधान)

आप शायद हंसें । मुझे उनसे 90 प्रतिशत मत मिले । आप क्या जानते हैं ? मुझे ज्यादा मालूम है ।

(व्यवधान)

कृपया व्यवधान न डालें । मैं आपके लिए भी अधिक व्यवधान डाल सकता हूं । मेरे साथ ऐसा न करें ।

(व्यवधान)

मैं आप के विचार के लिए निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग फुटपाथ पर काम करते हैं, सब्जी बेचने वाले अथवा कोई अन्य व्यक्ति, वे वितरण की श्रृखला में बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी काम करते हैं । मैं निजी तौर पर यह विश्वास करता हूं कि इन फेरीवालों, वे लोग जो सड़कों के किनारे काम-धंधा करते हैं, उनकी मदद की जानी चाहिए । मैं इस बात से पक्ष में नहीं हूं कि नगर का स्वरूप बिगाड़ कर हर जगह ऐसा किया जाए । उन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, मैं महसूस करताहूं कि इन लोगों को मान्यता दी जाए, उन्हें उपयुक्त स्थान दिया जाए और उन्हें **तहबाजारी** दरों पर जमीन दी जाए । कुछ हद तक, यही लोग हैं जो मूल्यों को नीचे रख सकते हैं । हर जगह इन फुटपाथ वालों और ऐसे ही लोगों, जो तकनीकी रूप से अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले कहे जाते हैं, शोषण किया जाता है । पुलिस वहाँ जाकर उन्हें हटा सकती है, कोई रिश्वत ले सकता है और इन लोगों को परेशान कर सकते हैं । माननीय निर्माण और आवास मंत्री यहाँ मौजूद हैं । आपके माध्यम से, महोदय, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं । वह हमारे प्रति सहानुभूति रखते हैं । मैं उनसे अपील करता हूं कि दिल्ली में इन लाखों अनधिकृत कब्जा दारों की समस्याओं पर विचार किया जाए और लोगों के हित में, इन समस्याओं को समाप्त किया जाए । महोदय, उन्होंने अभी हाल में ही, हजारों एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचनाएं जारी की हैं । पहले भी ऐसा किया गया था । मैं उसके लिए किसी को दोष नहीं दे रहा हूं । हमने पहले भी इसमें रुकावट नहीं डाली थी । अब भी जमीन ली गई है । जमीन ली जाती है, कई-कई वर्षों तक नोटिस जारी किए जाते हैं, 10 वर्ष 15 वर्ष या 20 वर्ष के लिए । लेकिन सरकार के पास धन नहीं है । आज मुआवजा नहीं, दिया जाता है । सभी मामले नहीं लिए जाते हैं । अधिसूचनाएं हैं, तकनीकी रुप से । लोग जाकर उस भूमि को खरीद लेते हैं या उस पर कब्जा कर लेते हैं, या ऐसा ही कुछ करते हैं । नतीजा यह होता है कि जो भूमि अधिग्रहण के अधीन है अथवा अधिग्रहण की

प्रक्रिया में है, उस भूमि पर हजारों मकानों में लाखों लोग रह रहे हैं। इन मकानों को नियमित करने का भी सवाल है। वर्ष 1977में, हमारी सरकार ने, जिसमें मैं भी एक मंत्री था, ऐसे मकानों को नियमित करने का निर्णय किया था और यह कहा गया था कि उस भूमि का अधिग्रहण नहीं कि याजाएगा लेकिन जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है उसी का अधिग्रहण किया जाएगा ।जनता पार्टी सरकार ने भी यही कहा था जिसके परिणाम स्वरूप, उन्होने तुगलकाबाद में मकानों को गिराना आरम्भ कर दिया। हम वहाँ गए और हमने विरोध किया। मेरा कहना यह है कि अधिग्रहण की समस्या उत्पन्न होने से पहले से जो मकान वहां बने हुए हैं अथवा पक्के मकान हैं, जिनमें अनेक व्यक्ति रह रहे हैं, उनका कुछ हक हो जाता है, उन्हें नियमित किया जासा चाहिए। अनधिकृत कब्जे को केवल तकनीकी दृष्टि से देखना उचित नहीं होगा। मैं जानता हूं, इस सरकार का विचार उन लोगों को वहाँ से हटाने का बिल्कुल नहीं है और जिस ढंग से वे चल रहे हैं उससे हम संतुष्ट हैं मैं गरीब लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए इस अवसर का लाभ उठा रहा हूं और उनके प्रति बचन बद्ध हैं, हम और हमारी पार्टी उनके प्रति वचनबद्ध है और हमारे घोषणा पत्र में कहा गया है कि यह सरकार नियमित करने के प्रश्न पर भी विचार करेगी। महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री सूर्यनारायण सिंह (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में पब्लिक प्रेमिसेस (एविक्शन आफ अनअथोराइज्ड आक्यूपेंट्स) बिल पेश किया गया है, अनअथोराइज्ड आक्युपेशन को हटाने के सम्बन्ध में इसमें कई नए प्रावधान लाए गए हैं। इस पर विचार करते समय एक महत्वपूर्ण समस्या जो सामने आती, उसका समाधन अगर नहीं निकलेगा, और सिर्फ कानून बनाकर अनअथोराइज्ड आक्यूपेंट्स के नाम पर लाखों लोगों को उनके घर से निकालने का प्रयास किया जाएगा, तो इससे बड़े ही भयानक नतीजे निकलेंगे।

एक माननीय सदस्य अभी चर्चा कर रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह सिर्फ दिल्ली शहर की ही समस्या नहीं है, बल्कि दिल्ली जैसे और बड़े-बड़े शहर इस देश के अन्दर है, उनकी भी यही समस्या है। हम देखते हैं कि गांवों से लाखों की संख्या में, आज से नहीं बल्कि बरसों बरस पहले से नौकरियों की तालाश में, रोजगार की तालाश में शहर में आकर इन लोगों ने अपनी झोपड़ियां खड़ी की हैं। उनके मकान बने हैं, वे वहाँ वर्षों से रहते आ रहे हैं और वहीं रह कर वे अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं। गांव में रोजगार नहीं मिलता है, इस लिए शहर में रोजगारके लिए आते हैं और अपने परिवार का भरणपोषण करते हैं। जब उनको शहर में सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती है तो किसी कोने में अपने फूस के मकान खड़े कर लेते हैं। अब इस कानून के तेहत, उन के लिए बगैर किसी वैकल्पिक उपाय के, उनके लिए कोई दूसरा रहने का इन्तजाम किए बिना, उनको वहाँ से हटा दिया जायेगा

और इस तरह से लाखों-लाख इन्सानों को सड़क की खाक छानने के लिए मजबूर किया जायेगा, जो किसी भी समय सरकार के लिए शोभा का विषय नहीं हो सकता।

यह बात ठीक है कि अनआथोराइज्ड आक्यूपेंशन हुए हैं, आप उनको वहां से हटाइए, लेकिन हटाने से पहले उनके लिए वैकल्पिक इन्तजाम कीजिए, ताकि वे वहां रह सकें।

दूसरी बात यह है कि बहुत से महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के अन्दर, जैसे हमारे बिहार में बरौनी रिफाइनरी है, बरौनी फर्टिलाइजर है, इन में हजारों मजदूर काम करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि करोड़ों-हजार रुपए का मुनाफा कमाने के बावजूद आज भी उन के रहने का इन्तजाम नहीं हो सका है। आज भी बरौनी में तमाम मजदूरों के रहने का इन्तजाम नहीं हो सका है, जब कि हजारों एकड़ जमीन सरकार ने कारखाने के लिए एक्वायर की थी। वहाँ पर टाउन-शिप बना हुआ है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो क्वार्टर्स बनाए गए हैं वे इतने अपर्याप्त हैं कि उन में तमाम मजदूरों को जगह नहीं मिल सकती———

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप 2-3 मिनट में अपना भाषण समाप्त कर देंगे अथवा आगे बोलना चाहेंगे ?

श्री सूर्य नारायण सिंह : मैं अपना भाषण जारी रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

———

सदस्य का त्याग-पत्र

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि आज अध्यक्ष महोदय को राजस्थान के अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्र, बयाना से निर्वाचित हुए सदस्य, श्री जगन्नाथ पहाड़िया से लोक सभा में अपनी सदस्यता त्यागने के बारे में एक पत्र प्राप्त हुआ है। माननीय अध्यक्ष ने 3 दिसम्बर, 1980 से यह त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया है।

(तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक स्थगित हुई)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात लोकसभा दो बज कर चार मिनट पर पुनः समवेत हुई)

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

———

हाल के साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, अब हमें साम्प्रदायिक दंगों संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करनी है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि वे रचनात्मक स्पष्ट और संयत विचार व्यक्त करें। हमें इस बीमारी का कोई हल तलाश करना है। अतः, हमें इस बारे में सावधान होना चाहिए कि यहाँ-वहाँ कही गई कुछ बातें स्थिति को और उग्र न बना दें। मुझे आपकी सामर्थ्य में पूरा भरोसा है, फिर भी हमें अपनी बात कहने में सावधानी बरतनी चाहिए। मैं समझता हूं, यह सम्पूर्ण सदन इस स्वतंत्र राष्ट्र की बने रहने और समृद्धि, विकास तथा प्रगति की ओर बढ़ते रहने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। हमें उन थोड़े से लोगों से अभिभूत नहीं होना है जो अंतर्मुखी है, जिद्दी हैं, जो रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं और हमें चाहिए कि हम इन लोगों के अपने इस महान राष्ट्र के भविष्य को बिगाड़ने न दें, बिगाड़ने नहीं देगे। इन शब्दों के साथ, मैं समझता हूं कि सब कुछ रचनात्मक और निश्चयात्मक होगा।

श्री बी० वी० देसाई (रायचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा गत तीन माह के दौरान देश के विभिन्न भागों में हुए अभूतपूर्व साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति पर विचार करे।"

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने अभी-अभी बहुत ही उचित कहा है, यह बड़ा ही पेचीदा मसला है, जिस पर सदन को इस इस तरह ध्यान देना है जिससे कि स्थिति और न बिगड़ने पाए। लेकिन जब हम साम्प्रदायिक दंगों की तह में जाते हैं, तो हमें इसके कारणों को 1947 से देखना पड़ता है, जब दो राष्ट्र के सिद्धान्त का प्रचार किया गया था, जिसके आधार पर देश का विभाजन कर दिया गया। जिस देश की उत्पत्ति उस सिद्धान्त के परिणाम स्वरूप हुई, उसने धर्मतांत्रिक राज्य बनने के बजाय उसी पद्धति को अपना लिया।

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैया) उस आधार पर ऐसा नहीं हुआ ; बेहतर होगा कि आप उसे भूल जाएं।

श्री बी०वी० देसाई : हमने ऐसा नहीं माना है। मैं इसका मूल कारण उसी समय से देखता हूं। हमें गर्व है कि हमने स्वयं को एक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया है और उसी पर कायम है।

(उपाध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**)

लेकिन ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहाँ साम्प्रदायिक संकट के छिट-पुट मामले हर वर्ष देखने में आए थे। वास्तव में, 1947 में जो नरसंहार हुआ वह किसी की भी समझ से बाहर है, और भारतीय उप-महाद्वीप के इतिहास में वह सबसे काला युग है। उसके बाद,

हम व्यवस्थित हुए और नए सिरे से अपना कार्य आरम्भ किया ।

यदि हम आंकड़ों को देखें, तो हम पाएंगे कि इतने बड़े देश के लिए वे कोई ज्यादा नहीं हैं । लेकिन, फिर भी, यदाकदा अथवा छिट-पुट मामले हो ही जाते हैं । किसी अवधि में उनकी संख्या अधिक होती है तो किसी में कम ।

साम्प्रदायिक घटनाओं में 1966 से 1979 तक मारे गए लोगों की वर्ष-वार संख्या इस प्रकार है : 1966—45; 1967—251; 1968—133; 1969—674; 1970—298; 1971—103; 1972—70; 1973—72; 1974—87; 1975—33; 1976—39; 1977—36; 1978—110; 1979—260 । वर्ष 1966 से 1967 तक का वार्षिक औसत 193 बैठता है । 1967 से 1970 तक की अवधि में अत्यधिक साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति रही । तथापि, अथक प्रयास और निरन्तर निगरानी से स्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ और साम्प्रदायिक घटनाओं और मौतों की संख्या काफी कम हो गई और 1972 से 1976 तक की अवधि में मारे गए व्यक्तियों की औसत संख्या केवल 60 थी । साम्प्रदायिक घटनायें 1978-79 में अचानक बहुत बढ़ गई जिससे औसत में भी वृद्धि हुई । देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो साम्प्रदायिक दंगों की निन्दा नहीं करेगा । कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा मारे गए, कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दू ज्यादा मारे गए । चाहे जो हो, साम्प्रदायिक दंगा नर संहार है और इससे निश्चित रूप से मनुष्य को कष्ट पहुंचता है । केवल व्यक्ति ही नहीं मारे जाते, बल्कि मरने वालों के रिश्तेदारों को भी कष्ट भोगने पड़ते हैं और ये घटनाएं जहाँ घटित होती हैं उस शहर या राज्य में अपना प्रभाव छोड़ जाती हैं । इसलिए, हमारी सरकार इन घटनाओं को दबाने के लिए कठोर कदम उठा रही है ।

हमें अपने देश के विभिन्न साम्प्रदायिक संगठनों की भूमिका को भी देखना पड़ेगा । मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वे हिन्दू और मुसलमान दोनों हैं । उन पर रोक लगाने के लिए सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए या कुछ ऐसा अति प्रभावकारी कदम उठाना चाहिए ताकि उनकी निन्दनीय गतिविधियों को रोका जा सके ।

एक सावधानी आवश्यक है । हिन्दू सम्प्रदायवादियों को 33 वर्ष बीत जाने पर तो यह जान लेना चाहिए अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा की जानी है और उन्हें यहीं रहना है, वे कहीं अन्यत्र नहीं जा सकते । अतः उन्हें अपने को स्थिति के अनुसार ढालने का प्रयास करना चाहिए । मुसलमानों में विद्यमान साम्प्रदायिक तत्वों को भी यह समझ लेना चाहिए कि उन्हें यहां रहना है, कोई अन्य मार्ग नहीं है और उन्हें हमारे देश की धर्म-निर्पेक्ष प्रवृत्तियों का समर्थन करना चाहिए ताकि हम एक धर्म निर्पेक्ष राष्ट्र का निर्माण कर सकें । विश्व में हमारा ही एक ऐसा देश है जो धर्म निर्पेक्ष है ।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : और भी ऐसे देश हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अन्य देशों में भी लोग शान्ति और सद्भावना पूर्वक आपस में अच्छे सम्बन्ध बनाकर रहते हैं।

श्री बी०वी० देसाई : अभी तक मैंने केवल साम्प्रदायिक संगठनों का उल्लेख किया है। मैं आपके दल और उसके कार्यों पर भी आऊंगा।

वस्तुतः सभी ईसाई देश मूलतः ईसाई हैं चाहे वह अपने ईसाई होने की घोषणा भले ही न करें। इसी प्रकार मुसलमान देश मूलतः मुसलमान हैं चाहे वह इसकी घोषणा भले ही न करें लेकिन उनमें से कुछ ने इस आशय की घोषणा भी की है। साम्यवादी देश मूलतः साम्यवादी हैं क्योंकि साम्यवाद भी एक धर्म है।

(व्यवधान)

मुझे अपने देश के धर्म निर्पेक्ष होने का गर्व है और मैं यह कहना चाहूंगा कि हम में से हर एक को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित धर्मनिर्पेक्षता का समर्थन करना चाहिए। हमारी प्रिय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी बहुत भली-भांति इसका अनुशीलन कर रही हैं और वह उस परम्परा को बनाए हुए हैं। **(व्यवधान)**

जब आपको अवसर मिले तो आप कुछ भी कहना लेकिन आप व्यवधान क्यों डालते हैं ?

मेरा प्रस्ताव तीन महीनों से सम्बन्धित है। इसके पीछे कारण है क्योंकि 1947 से साम्प्रदायिक तनाव तथा साम्प्रदायिक दंगों की विभिन्न प्रकार की छुट-पुट घटनाएं होती रही हैं। किन्तु पिछले कुछ दिनों से विदेशी देश भी इसमें भाग ले रहे हैं और मुरादाबाद से लेकर अब तक वस्तुतः यह निन्दनीय है, बहुत से लोग मारे गए हैं लेकिन हमें इसके कारण की तह में जाना होगा। स्वाधीनता के 33 वर्ष बाद जब तक विदेशी तत्व हस्तक्षेप न करें और हमारे देश के उपद्रवियों को समर्थन नहीं दें, दंगे नहीं हो सकते। प्रधान मन्त्री ने भी समय-समय पर इसका उल्लेख किया है। मैं उद्धृत करता हूं :—

> "प्रधान मन्त्री के विचार में दंगों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ। भारत की छवि को खराब करने का प्रयास", "उन्होंने व्यक्तियों सहित विभिन्न स्रोतों से इन घटनाओं के पीछे विदेशी हाथ होने के बारे में प्राप्त सूचना का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि मुसलमान देशों में, विशेषतः अरब जगत में भारत के बारे में गलत फहमी पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है।"

वस्तुतः हाल ही के वर्षों में अरब जगत, मध्य पूर्व में धन प्रचुर मात्रा में हो गया है। जाहिर है कि अन्य देशों सहित हममें से हर एक को पैट्रोल और पैट्रोलियम उत्पादों

की आवश्यकता है। वहाँ धन की प्रचुरता है। पहले ऐसा नहीं था। यह बात चार या पांच वर्ष पहले आरम्भ हुई है। उन सभी देशों से हमारे बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। दुर्भाग्यवश, हमारे दोनों पड़ौसी देशों में धर्म तांत्रिक मिलिटरी अधिनायकवाद है। वास्तव में अधिनायकवाद तो अपने आप में ही बुरी चीज है और फिर मिलिटरी अधिनायकवाद और वह भी धर्मतांत्रिक विचारधारा वाली तो और भी बुरी है। आप स्वयं ही कल्पना कर सकते हैं कि भारत के लिए यह कितना कठिन है, भिन्न-भिन्न जातियों, समुदायों, धर्मों तथा भाषाओं वाला इतना बड़ा देश। यह बहुत कठिन है। इसलिए इस देश के सही विचारधारा वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि सरकार को, एक धर्मनिर्पेक्ष सरकार को स्थिरता प्रदान करे। धर्म निर्पेक्ष सरकार तो है और यह उन पर निर्भर है, विशेषतः दोनों कैम्पों, दोनों धर्मों के साम्प्रदायिक तत्वों पर जो इसका समर्थन करते हैं।

मैं बहुत-सी बातें उद्धृत करता हूं—

"मुख्य मंत्रियों के अनुसार उपद्रवी ताकतों के पीछे विदेशी तत्वों का हाथ।'

बारह उत्तरी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने यह विचार प्रकट किया कि कुछ विनाशकारी और उपद्रवी ताकतें, जिन्हें स्पष्टतः विदेशी तत्वों द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, घृणा फैलाकर तथा अन्य कानून और व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न करके राष्ट्रीय जीवन को बर्बाद करने का प्रयास कर रही हैं और झूठे प्रचार द्वारा साम्प्रदायिक घृणा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्य मन्त्रियों का विचार है कि इन अनर्थकारी राष्ट्र विरोधी तत्वों को, जिनमें से कुछ को स्पष्ट रूप से उन विदेशी तत्वों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है जो इन आंदोलनों के पीछे हैं, खोज निकालने और उनके साथ सख्ती से निपटने की जरूरत है। सही विचारधारा वाले उन लोगों की, जो राष्ट्र का हित चाहते है, राष्ट्रीय जीवन रूपी वस्त्र को नष्ट करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का मुकाबला करने के लिए तथा राष्ट्रीय सदभावना उत्पन्न करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। देश के उत्तरी भाग के सभी बारह मुख्य मन्त्रियों ने विचार-विमर्श किया और यह उस विचार-विमर्श का ही परिणाम है।

इस सम्बन्ध में अनेक समाचार हैं जिनमें विदेशी राष्ट्रिकों का नाम आया है। यहाँ तक कि जब मुरादाबाद में दंगे हुए थे तो वहाँ 500 पाकिस्तानी मौजूद थे।

मैं उद्धृत करता हूं :

"लाहौर के उर्दू दैनिक 'मशरिक' के अनुसार मुरादाबाद में पिछले महीने जब दंगे हुए थे तो उस समय वहाँ 550 पाकिस्तानी राष्ट्रिक थे। दंगों में 30 पाकिस्तानी मारे गए थे। समाचार पत्रों के अनुसार शेष पाकिस्तानी राष्ट्रिकों में से अधिकांश अपने रिश्तेदारों के यहाँ छुपे हुए थे, उनमें आगे कहा गया था कि भारतीय

पुलिस उन्हें खोजने के लिए कार्यवाही कर रही थी।"

वस्तुतः मोटे तौर पर जहाँ तक मैं जानता हूं प्रत्येक भारतीय मुसलमान राष्ट्रवादी हैं। वह अपने को सन्देहजनक नहीं बनाना चाहता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : और आपके विचार में सभी पाकिस्तानी मुसलमान साम्प्रदायवादी हैं।

श्री बी०वी० देसाई : मेरा विचार था कि श्री ज्योतिर्मय बसु केवल शून्य काल के दौरान ही संकट पैदा करते हैं। वह अब भी वैसा ही कर रहे हैं। आप अपने विचार शून्य काल के लिए रखिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यहां शून्य मत बनाइये।

श्री बी०वी० देसाई : शेख अब्दुल्लाह ने भी इसका समर्थन किया है। वह एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी मुसलमान हैं। उनकी नीतियों से चाहे कोई भी सहमत न हो। लेकिन जहां तक उनके राष्ट्रीय दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, उस पर कोई संदेह नहीं कर सकता। मैं उन्हें उद्धृत करता हूं :

"जमात को पश्चिम एशिया से धन मिलता है—शेख।"

अभी-अभी मैंने यह कहा था कि मध्य पूर्व देशों, अरब देशों में धन की प्रचुरता है और उसी धन का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं और भी उद्धरण देता हूं :

"जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री श्री शेख अब्दुल्ला ने आज यह कहा कि राज्य की जमाते इस्लामी को, जिस पर हाल ही में घाटी में दंगा भड़काने का आरोप है, तेल के धनी पश्चिम एशियाई देशों से धन मिल रहा है। यह भी असम्भव नहीं है कि पाकिस्तान भी, जिसकी गतिविधियां शान्ति और सदभावना के अनुकूल नहीं है, जमात की सहायता करता हो। भारतीय प्रेस क्लब की एक बैठक में बोलते हुए इस कश्मीरी नेता ने लगभग एक घन्टे तक बहुत से विषयों के सम्बन्ध में प्रश्नों के उत्तर दिए।"

वे कश्मीर में भी बहुत सक्रिय हैं।

मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैं इन तीन महीनों तक के लिए जो प्रस्ताव लाया हूं वह मूलतः यह है कि साम्प्रदायिक दंगों का स्वरूप बदल गया है। जब तक सरकार इसे गम्भीरता से नहीं लेगी और तुरन्त कार्यवाही नहीं करेगी यह समस्या हल नहीं होगी। यह छुट-पुट घटनाओं का ही प्रश्न नहीं है। हाँ, विशेष फौज इन सभी चीजों से निपट सकती है। श्री जैलसिंह इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन केवल उसी से ही समस्या हल नहीं होगी।

हम दो ऐसे देशों से घिरे हुए हैं जो धर्म तांत्रिक हैं। कुछ वर्षों तक जब बंगला देश आजाद हुआ था, मुजिबर रहमान वहां थे और उन्होंने धर्मनिर्पेक्ष नीति का अनुसरण करने का भरसक प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्यवश, वह भी कत्ल कर दिये गये और अब वह एक धर्मतांत्रिक राष्ट्र है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। भारत का इतिहास बताता है कि जब भी आक्रमण होता है, उत्तर-पश्चिम से होता है और यदि हम कमजोर होंगे तो वे हम पर हावी हो जायेंगे। इसलिए जब भी अधिनायकों को उनका शस्त्रों का कोटा मिलता है तो वे तंग करना शुरू कर देते हैं। इसी कारण से मैं यह कहता हूं कि सरकार को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इतना ही पर्याप्त नहीं है कि मुख्य-मन्त्री केवल इकट्ठे हों और निर्णय कर लें। उन्हें नीति का अनुसरण करना चाहिए।

भारत में कितने पाकिस्तानी आ रहे हैं, मैं इस बारे में आपको आंकड़े दे सकता हूं.....

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 41(2) (उन्नीस) के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न है। इसके अनुसार सदन में किसी मित्र देश का उल्लेख अनादरपूर्ण ढंग से नहीं किया जायेगा। पाकिस्तान के साथ हमारे कूटनीतिक सम्बन्ध हैं। हम पाकिस्तान को और बंगला देश को उन देशों में समझते हैं जो हमारे साथ अमित्रतापूर्ण ढंग से नहीं रहते हैं, हम उनके साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस संदर्भ में मैं आपके जरिए उनसे अपील करूंगा कि वह हमारे पड़ौसी और मित्र देशों तथा अन्य मित्र देशों के बारे में अनादरपूर्ण टिप्पणियां न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही है। कृपया ध्यान रखें कि आप हमारे मित्र देशों के प्रति ऐसी टिप्पणियाँ न करें और मित्र देशों के प्रति ही क्यों बल्कि हमारें शत्रु देशों के प्रति भी, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है, हम किसी की निन्दा नहीं करते चाहे वे हमारे शत्रु ही क्यों न हों, मित्र देशों को छोड़िए, हम अपने शत्रु देशों के प्रति भी कोई गलत बात नहीं कहते। वस्तुतः कोई भी भारत के लोगों के प्रति विद्वेष नहीं रखता। तमिल में एक कहावत है :

"याधुम वीर, यावरुम के लीर।"

इसका अर्थ है कि सभी देश हैं और सभी हमारे मित्र हैं। इसलिए कोई भी भारत के लोगों का शत्रु नहीं है। विश्व के सभी लोग हमारे मित्र हैं।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : उनका एकमात्र शत्रु केवल विपक्ष है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप उन्हें अपना शत्रु नहीं समझेंगे तो वे भी आपको अपना शत्रु नहीं समझेंगे।

(व्यवधान)

श्री जी०एम० बनातवाला (पुनानी) : महोदय, क्या आप अपने द्वारा दी गई व्यवस्था को देखते हुए माननीय सदस्य द्वारा पाकिस्तान तथा दूसरों के बारे में की गई अनर्थकारी टिप्पणियों को कार्यवाही-वृतान्त से निकाल देंगे ?...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त को देखूंगा ।

श्री चित्त बसु (बरसात) : मेरा विचार है कि आपकी टिप्पणियां रहेंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी टिप्पणियां उस समय तक रहेंगी जब तक विश्व रहेगा।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : मैंने यह बात इसलिए उठाई है कि यदि आपकी टिप्पणियाँ रहेंगी तो वे टिप्पणियाँ हट जायेंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी अनादरपूर्ण टिप्पणी । श्री ज्योतिर्मय बसु ने यही कहा था । उसकी जांच की जाएगी । मैं कार्यवाही वृतान्त देखूंगा ।

श्री बी०वी० देसाई : अब मैं उन विदेशी राष्ट्रिकों पर आता हूं जो भारत आकर अनुमत्य अवधि से अधिक समय तक यहां रहते हैं । यह पाकिस्तानियों के अधिक समय तक रहने के बारे में है । मैं एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर उद्धत कर रहा हूं । 1977 में 48,884 आये; 47,411 चले गये; 1473 रह गये, 1978 में 78, 127 आये; 62,758 चले गये; 15,369 रह गए । 1979 में 2,72,998 आये; 2,20,172 चले गए और 52,826 रह गए ।

विपक्ष के हमारे माननीय मित्र कह रहे थे कि केवल विरोधी दल ही हमारे शत्रु हैं । बात ऐसी नहीं है । मैं श्री वाजपेयी और अन्य व्यक्तियों का बहुत सम्मान करता हूं । वस्तुतः उन्हें मेरी बात सुनने का प्रयास करना चाहिए । बस यही मेरा अनुरोध है ।

एक माननीय सदस्य : यह उनकी आदत के विपरीत है ।

श्री बी०वी० देसाई : मैं यह भी नहीं कहता ।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या वह सत्ताधारी दल के विचार व्यक्त कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री बी०वी० देसाई : आखिरकार हम सब भारतीय हैं । हमारा एक धर्मनिर्पेक्ष राष्ट्र है...

उपाध्यक्ष महोदय : यह संविधान में लिखा हुआ है । हमारा देश एक धर्मनिर्पेक्ष देश है ।

श्री बी०वी० देसाई : हमारा देश प्रजातांत्रिक होने के कारण हमें मतों के लिए सभी लोगों के पास जाना पड़ता है जिनमें मुसलमान, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा महिलाएं भी शामिल हैं जैसाकि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि चूंकि हम धर्मनिर्पेक्ष हैं इसलिए हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि मुसलमानों को हममें पूरा विश्वास है और पिछले चुनावों में उन्होंने हमें इकठ्ठे मत दिए थे। वस्तुतः इस प्रवृत्ति में हमारे मित्रों द्वारा रुकावट डाले जाने की सम्भावना है। यह भी एक दूसरा पहलू है लेकिन यह स्थानीय मामला है। मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वे मत बटोरने के लिए इस प्रकार के घटिया प्रचार न करें। हमारा देश धर्मनिर्पेक्ष है।

विशेष गठन के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम...

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : माननीय सदस्य का कहना यह है कि मुसलमानों ने कांग्रेस-आई द्वारा किए गए कार्यों के कारण जनता पार्टी को छोड़ दिया।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह बेहतर रहेगा कि हम अपनी बहस में राजनीति को न लायें। आइए, हम इस बात पर ध्यान दें कि हम साम्प्रदायिक दंगों की समस्या और अन्य बातों को किस प्रकार उत्तम ढंग से हल कर सकते हैं। हमें इस बहस में इस पार्टी या उस पार्टी को नहीं लाना चाहिए। यह बेहतर रहेगा कि हम इसमें राजनीति को न घसीटें।

श्री बी०वी० देसाई : मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। वे मेरी बात में व्यवधान क्यों डालते हैं? महोदय, कृपया उन्हें कह दें कि वे मेरी बात में व्यवधान न डालें। जब तक मैं समाप्त न कर लूं उन्हें अवसर नहीं मिलेगा।

वस्तुतः वर्तमान सरकार साम्प्रदायिक सद्भावना पैदा करने के लिए जो कदम उठा रही है, मेरे विचार से उससे समस्या सुलझ जाएगी जैसे कि श्री जैलसिंह ने प्रस्ताव किया है कि जहां भी सम्भव हो विशेष प्रकार की पुलिस की स्थापना की जाए। आपने उन स्थानों का पता लगाना है जहाँ अक्सर साम्प्रदायिक तनाव होता है। किन्तु, मूलतः जब तक आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं किया जाएगा यह कार्य बहुत कठिन है। यह और कुछ नहीं केवल रोटी की लड़ाई है। अधिकाँश मुसलमान कमजोर वर्गों से सम्बन्धित हैं; आर्थिक रूप से वे बहुत पिछड़े हुए हैं; वस्तुतः उनके पास पर्याप्त.....नहीं है।

एक माननीय सदस्य : सुविधायें।

श्री बी० वी० देसाई : क्योंकि वे अधिक बच्चे पैदा करते हैं। यही कारण है।

श्री अब्दुल समद (वेल्लोर) : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ताधारी दल ने इतनी महत्वपूर्ण बहस श्री देसाई को आरम्भ करने के लिए कहा है। अभी-अभी हमारे उपाध्यक्ष

महोदय ने यह सलाह दी है कि हमें सृजनात्मक कार्य करने चाहिए, उपयोगी सुझाव देने चाहिए । इन महाशय ने 35 मिनट ले लिए हैं और अभी तक कोई भी ठोस बात नहीं कही है । वह गलत बात छेड़कर केवल सभी ओर से संकट आमन्त्रित कर रहे हैं । वह कहते हैं कि शेख अब्दुल्लाह भी एक महान राष्ट्रवादी हैं । उस सर्वोच्च राष्ट्रवादी को इस देश में 14 वर्ष की जेल हो गई थी, वह यह भी कहते हैं कि मुसलमान अधिक बच्चे पैदा करते हैं इसीलिए पिछड़े हुए हैं । मैं उनके इस कथन को चुनौती देता हूं । उन्हें सृजनात्मक होना चाहिए । वह बताएं कि उनके कितने बच्चे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब हम साम्प्रदायिक दंगों पर चर्चा कर रहे हैं तो सदन में राजनीतिक दंगा नहीं होना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : पहले उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए । वे जो कुछ भी कहना चाहते हैं बाद में अपनी बारी आने पर कह सकते हैं ।

श्री जमीलुर रहमान (किशनगंज) : केवल चार घन्टे का समय दिया गया है । यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है । इसलिए थोड़ा भी समय गंवाना नहीं चाहिए और इसका पालन किया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देसाई, कृपया अपनी बात खत्म कीजिए ।

श्री बी०वी० देसाई : उपाध्यक्ष महोदय मेरे सच बोलने पर विपक्ष के कुछ सदस्य कुछ उत्तेजित हो गए हैं । यह बिल्कुल सच है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी अगली बात कहिए ।

श्री बी०वी० देसाई : वास्तव में यह एक आर्थिक समस्या है । यदि आप कुछ कहना चाहते हैं कोई भला काम करना चाहते हैं तो कृपया गांवों में जाइए और देखिए कि मुसलमान भी परिवार नियोजन अपना रहे हैं । इससे वहाँ अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उनका अपना स्तर ऊंचा होगा— —

(व्यवधान)

महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता । वास्तव में मुद्दे तो बहुत हैं । यद्यपि एक मुद्दा बहुत जटिल, परन्तु बहुत महत्वपूर्ण है । जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने हमें यह एक अच्छी सलाह दी है कि हमें एक सीमा से आगे नहीं जाना चाहिए, मैंने अपने आपको उन्हीं मुद्दों तक सीमित रखा है जो मैंने उठाए थे । मैं सदन से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का अनुरोध करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, आप अपना स्थानापन्न प्रस्ताव रखिए ।

श्री जी० एम० बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

उपाध्यक्ष महोदय : इसे सदस्यों में पहले ही परिचलित कर दिया गया है ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मझे इसको पढ़ने दीजिए ताकि वे इसमें अपना सुझाव दे सकें, और निसन्देह ही प्रत्येक सदस्य कुछ न कुछ कह पायेगा, इसलिए मुझे इसे पढ़ने दीजिए ।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : यह पहले ही परिचालित किया जा चुका है ।

श्री जी०एम० बनातवाला : महोदय आप मुझे स्वीकृति दे चुके हैं । गृह राज्य मंत्री महोदय इतने परेशान क्यों हो रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी सन्तुष्टि करने दीजिए ।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये,अ र्थात् :—

"यह सभा, पिछले तीन महीनों में देश में विभिन्न भागों में हुए अभूतपूर्व साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के बाद :

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, आप अपना वक्तव्य देते समय इन सब बातों को उठा सकते है ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मुझे पढ़ने दीजिए ।

(क) (एक) विशेषकर मुरादाबाद में साम्प्रदायिक हिंसा की व्यापकता और इसके चिन्ताजनक ढंग से जारी रहने पर, जो चार महीने बीत जाने पर भी साम्प्रदायिक ज्वाला में झुलस रहा है, गहरी चिन्ता व्यक्त करनी है;

(दो) इस बात पर गहरा दुःख और चिन्ता व्यक्त करती है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों और शान्ति बनाये रखने वाली शक्तियां साम्प्रदायिकता के भयानक रोग से अपने को मुक्त नहीं रख सकीं और उन्होंने स्पष्ट साम्प्रदायिक भावनाओं और रोष के साथ कार्यवाही की;

(तीन) कुछ अधिकारियों द्वारा दंगों के बारे में अनर्गल और निराधार आरोप लगाने और उन्हें समाचार एजेंसियों तथा समाचार-पत्र संवाददाताओं में वितरित करने, जिनमें से अनेक उन्हें सच मानने

को सहज तैयार थे, किए गए प्रयासों की निन्दा करती हैं, जिससे सम्पूर्ण मुस्लिम सम्प्रदाय 'संदिग्ध' बन गया और इसके परिणाम-स्वरूप साम्प्रदायिक अविश्वास और मनमुटाव को बढ़ावा मिला और राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ गई;

(चार) ज्यादतियों तथा निर्दोष व्यक्तियों को नजरबन्द करने के अधिकारों के अविवेकपूर्ण ढंग से किए गए प्रयोग पर अपना रोष एवं दुःख व्यक्त करती है, जब कि उन व्यक्तियों के वकीलों को भी हिरासत में रखा गया जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा था और उन लोगों को भी परेशान किया गया तथा हिरासत में रखा गया जो अभागे पीड़ितों को राहत और सहायता पहुंचा रहे थे, जिसके कारण सम्पूर्ण राहत-कार्य ठप्प हो गया; और

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ सरकार से सिफारिश करती है :—

(एक) स्थिति में सुधा करने, अधिकारियों समेत दोषी व्यक्तियों को दंडित करने और विशेषरूप से उपरोक्त बातों की दृष्टि से साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए सभी तत्कालिक और आवश्यक कदम उठाए;

(दो) साम्प्रदायिक हिंसा के लिए पुलिस और जिला के सर्वोच्च अधिकारी को साम्प्रदायिक हिंसा के लिए उत्तरदायी मानने संबंधी राष्ट्रीय एकता परिषद के श्रीनगर में लिए गए निर्णय को स्वीकार करे और लागू करे;

(तीन) बिना और विलम्ब किए हिंसा के शिकार लोगों को राहत दे और उनका पुनर्वास करे;

(चार) साम्प्रदायिक दंगों के शिकार लोगों को मुआवजा देने संबंधी विधान और योजनाएं बनाए; और

(पांच) पुलिस, अर्ध-सैनिक और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को धर्म निरपेक्ष और सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान करने के लिए इन में मुसलमानो तथा अन्य अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे।

अब आप उन्हें इसे स्पष्ट करने की अनुमति प्रदान कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुलाम मोहम्मद खां।

श्री गुलाम मुहम्मद खाँ (मुरादाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस सेक्युलर देश की पुलिस का जो बहुत बुरा प्रहार आज हिन्दुस्तान में हुआ है, उसकी मिसाल आजादी के बाद के 33 सालों में नहीं मिलती है। पहले तो फिरकेवाराना फसाद होते थे, अब पुलिस ये फसाद करती है। मुरादाबाद की सिविल पुलिस और पी० ए० सी० ने मिल कर एक प्लान बनाया कि जब 80-90 हजार मुसलमान एक जगह हों तो यह करो। ईद के मौके पर जब ये मुसलमान इकट्ठे हो गये तो उनको चारों तरफ से घेर कर पुलिस खड़ी हो गयी। मुरादाबाद एक ऐसी जगह है जहां कभी भी मुल्क को कोई डेंजर नहीं रहा है। वह जगह ऐसी है कि जब पाकिस्तान बनने जा रहा था और मुल्क में एलेक्शन हो रहे थे तो उस समय भी वहां के लोगों ने मुस्लिम लीग और दूसरी पार्टियों को हरा कर कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाया था। इससे पहले 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ नवाब नज्जू खां लड़े थे जिन्हें अंग्रेजों ने हाथी के पैरों के तले डाल कर कुचल दिया था।

वहां के लोग हमेशा से आजादी में और भाईचारे में यकीन रखते रहे हैं और अब भी रखते हैं। वे सेक्युलरिज्म के बहुत बड़े हिमायती हैं। यही नहीं वहां के लोगों ने हिन्दुस्तान की आजादी के लिए भी लड़ाई लड़ी उन पर जो पुलिस ने बहुत बड़ा हमला किया ऐसा हमला मुसलमानों पर आजादी के बाद के 33 सालों में कभी नहीं हुआ। पुलिस ने ईदगाह में उनको चारों तरफ से घेर लिया। अगर यह मान लिया जाए कि ईद के मौके पर गवर्नमेंट को यह खतरा था कि वहां फसाद हो जाएंगे तो गवर्नमेंट ने पहले से ही कदम इसके लिए क्यों नहीं उठाये, पहले से ही उन गुण्डों को क्यों नहीं पकड़ा गया जो कि इस मुल्क को बर्बाद करते रहे, उसकी इकोनोमी को बर्बाद करते रहे। अगर पहले से ही गवर्नमेंट ने कदम उठा लिये होते तो ये वारदात नहीं होती। अगर गवर्नमेंट को इस सबका पता हो गया था तो गवर्नमेंट ने एक्शन क्यों नहीं लिया ? अब बजाय पुलिस वालों के खिलाफ नेगलीजेंस आफ ड्युटी के लिए कोई एक्शन लिया जाता, उनकी पुश्तपनाही की जाती रही है और कहा जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है वह ठीक हो रहा है।

मैं आपको वहां का थोड़ा सा वाक्या सुनाता हूं क्योंकि मैं मुरादाबाद का एम० पी० हूं। मैंने वहां देखा कि खास नमाज के बाहर कुछ 10-20 आदमी जो कि गुण्डे थे खड़े थे। वे सुअर ले आये और कुछ इस पर थोड़ा सा एजीटेट किया। फिर बाहर खड़े गुंडों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और पुलिस ने आंसूगेस छोड़ी। इत्तिफाक की बात है कि आंसुगैस के गोलों से छूटने पर बूंदें शुरू हुई। उसका असर जाइलि है हो गया था। पुलिस ने उसके बाद अन्धा धुन्ध फिर फायरिंग शुरू कर दी। 15-20 आदमी या 30-40 गुण्डे जो सड़क पर नमाज में शरीक नहीं थे खड़े थे वे वहीं खड़े रहे और पुलिस पर पत्थर फेंकते रहे। उनको ही मार दिया जाता तो यह हालत न होती।

जहां नमाज होती है उस ईदगाह के पूर्व और पश्चिम की लम्बाई दो फर्लांग है।

वहां पर पुलिस ने गोली कांग्रेस के एक ** की कोठी पर से चढ़ कर ईदगाह के अन्दर चलायी । (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) : ** के घर पर से चली थी । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब किसी भी वक्ता द्वारा कोई बात उठाई जाय तो अवसर मिलने पर आप इसका विरोध कर सकते हैं अन्यथा हम विचार विमर्श कैसे कर सकते हैं ।

श्री गुलाम मोहम्मद खां : लोग मरते रहे, भागते रहे, ईदगाह से निकलते रहे । (व्यवधान)

श्री जुल्फिकार अली खां (रामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी रामपुर से ही चुना गया एक संसद सदस्य हूं जो कि गुलाम मोहम्मद खाँ के निर्वाचन क्षेत्र का ही पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र है । महोदय, आपात काल के समय श्री कुलवन्त सिंह को आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बन्द कर दिया गया था, इसलिए वे कांग्रेसी किस प्रकार से हो सकते हैं ? वे लोकदल के सदस्य थे और उनके मकान की छत से मुसलमानों पर जो गोलियां चलाई गयीं थी उस सब के लिए वे ही जुम्मेवार थे ।

श्री गुलाम मोहम्मद खाँ : लोग गोली चलने से भागने शुरु हुए और एक मस्जिद है बराबर में, ईदगाह के कंपाउंड में ही, उसमें जाकर देखा कि अन्दर घुसकर मस्जिद में पुलिस के सिपाहियों ने गोलियां मारीं । हद यह कि जब तक सब आदमी भाग नहीं गए, जितने मार सकते थे, मारे गए । इसके बाद कुछ आदमी आए, एक कांग्रेस के एम०एल० ए० भी आए, उन्होंने कहा कि ये लाशें हमें दे दो, हम भरकर, गिन कर भेजेंगे, लेकिन उन्हें धक्का देकर भगा दिया गया, शहर के इमाम को भी धक्का देकर भगा दिया गया। नतीजा यह हुआ कि उस मौके पर 4 ट्रक लाशों को उन्होंने वहाँ से उठाकर मुरादाबाद से पश्चिम में हरतला एक जगह है वहाँ नमक डालकर दबा दिया गया, उनके हाथ-पैर दिखते रहे और कई दिन तक कुत्ते खाते रहे ।— (व्यावधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी व्यक्ति अपना वक्तव्य देते समय अपनी बात कह सकता है । कृपया व्यवस्था बनाये रखिये ।

श्री गुलाम मोहम्मद खां : 52 बच्चों को उठाकर पुलिस ने रामगंगा में डाल दिया जो जिला रामपुर के बार्डर पर घास में अटक गए, जिनको कौए खाते रहे । जब यह हुजूम भागकर चला— (व्यवधान)

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

एक माननीय सदस्य : इतना सीरियस मामला है, बहुत **बोल रहे हैं, बड़े शर्म की बात है।

श्री गुलाम मोहम्मद खां : जब हुजूम भागता हुआ चौकी पर पहुंचा तो वहां फिर पुलिस ने हमला किया तब वहां पर मुसलमानों ने एजीटेट होकर पुलिस चौकी के दो सिपाहियों को मार दिया। उस वक्त तक एक म्यूनिसपल बोर्ड का ओ० सी० ईंट लगने से मारा गया था और कोई पुलिस की मौत नहीं हुई थी, अलबत्ता 18 आदमी पुलिस के जख्मी हुए थे, 18 आदमी तमाम शहर में और एक आदमी की मौत वहां हुई, दो की पुलिस चौकी पर हुई और कोई नहीं मरा था। यह जाहिर इस बात से होता है कि—

(व्यवधान) 13 तारीख में हजार-आठ सौ आदमी के करीब मारे गए थे। एक हमें खत मिला पुलिस आफिसर का जो घर को पोस्ट किया हुआ था, उसकी कापी अगर आप कहें तो मैं पेश कर दूं, हजार-आठ सौ आदमी 13 तारीख की शाम तक मारे जा चुके थे, उस वक्त तक यह हिन्दू-मुस्लिम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब मुसलमान जा रहे थे, रास्ते में सब हिन्दुओं के कारखाने थे, किसी को न मारा न लूटा, सिर्फ पुलिस का लड़ाई-झगड़ा था। पुलिस की प्रि-प्लानिंग थी। नतीजा यह हुआ कि शाम तक हर मोहल्ले में, जहां-जहां भी पुलिस पहुंचती रही, गोलियां मुसलमानों पर चलाती रही। चलते-चलते शाम हो गई। उस खत में पुलिस अफसर ने लिखा है कि आज सुबह तक मिनिस्टर लोग आने वाले हैं, 14 तारीख तक, उस के बाद मारना बन्द है।

उसके दूसरे दिन फिर वही फिसाद होता रहा, श्री जैल सिंह जी, मुख्यमंत्री उत्तर-प्रदेश और कई मिनिस्टर तशरीफ लाये थे, मैं उस वक्त मुरादाबाद में था। मैंने देखा पुलिस जगह-जगह वैसे ही गोलियां चला रही थी। एक जगह, मेरी आंखों देखा वाकया है, एक आदमी मरा। उसका चचा जो पुलिस में था, रिटायर्ड हैड कांस्टेबल था, वह वर्दी पहनकर आया और सी० ओ० से कहा यह मेरा बच्चा है, मेरे भतीजे की लाश मुझे दे दो। उसने कहा गाड़ी में बैठ जाओ। जब गाड़ी में बैठकर चले तो उस सी० ओ० ने पकड़कर उस हैड कांस्टेबल को मार डाला और उसकी बन्दूक छीन ली। यह मेरे सामने का वाकया है उसका नाम **सी० ओ० पान्डे है।

थोड़ी देर बाद ज्ञानी जी पहुंचे। वहां से चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश, ज्ञानी जैल सिंह, एक डी० आई०जी० और मैं चारों चले। जब हम घूम रहे थे, तो मैंने देखा और हिंट दिया कि एक दुकान है, मन्डी चौक चौराहे लूटी जा रही है पी० ए० सी० के सिपाही बोरे में सामान बराबर भर रहे थे। वह दुकान जूते के थोक फरोश की थी। इस पर डी० आई० जी० ने बता दिया कि इसमें सब्जी जा रही है। मैंने कहा कि मैं लोकदल का आदमी हूं, इतनी बड़ी दुकान कहीं सब्जी की होती है, क्या ?

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया है।

सब्जी तो सड़क पर बिकती है। यह बड़ी शानदार दुकान है, इसमें सब्जी नहीं बिकती है।

उसके बाद गलशहीद पर पहुंचे तो एक लाश की तरफ इशारा कर के मैंने बतलाया कि यह एक औरत की लाश है। गलशहीद के सामने 35-40 दुकाने थीं, कच्ची-पक्की, उन सब को ढा दिया गया था, सब में आग लगा दी गई थी। उसके पीछे और अन्दर लाशें पड़ी थीं। वहां मकान जल रहे थे और कोई भी कर्फ्यू का नाम नहीं था। इस तरह के वाक्यात वहां गुजर रहे थे। डी० आई०जी० बराबर आप को बातों में लगाये जा रहे थे।

जैसे ही आप तशरीफ लाए, वापिस चले आए, नतीजा यह हुआ कि रात को फिर हंगामा हुआ, फायरिंग हुआ। मुसलमानों को बुरी तरह मारा गया। इस तरह से हजारों की तादाद मरने वालों की पहुंच जाती है। वहां 382 दुकानें लुटी हैं, ढाई करोड़ रुपए के लगभग नुकसान हुआ है। 18 औरतें अभी तक लापता हैं, 52 के साथ रेप किया गया है। यह पोजीशन वहां पर की गई है।

वहां जितना गुंडा एलीमेंट है, वह सब का सब खुलेआम फिर रहा है जो कि अभी तक पुलिस के साथ है। पुलिस उन्हें सलाह दे रही है और भले आदमियों को पकड़ रही है। जो लोग वहां पर रिलीफ काम कर रहे थे, उन सब को पकड़ा जा रहा है बन्द किया जा रहा है। हिन्दु मुसलमानों को बन्द किया जा रहा है और गुंडे पुलिस के साथ हैं। जिन पर 8-8 केस डकैती के चल रहे हैं, उन्हें वहां स्पेशल पुलिस अधिकारी का पद दे दिया गया है और सब बिल्ले वगैरा दे दिए गए हैं। गुंडों की इतनी ज्यादा तादाद आज भी खुली हुई है जिसका कोई ठिकाना नहीं है।

दूसरे दिन 14 तारीख को रामतैलया पर गए। कम्युनिस्ट पार्टी के 3 एम० पी० गए थे। उन लोगों ने इनके सामने बड़ी शान के साथ बयान दिया कि हमने मुसलमानों को इस तरह किया है। 22 मुसलमानों के पूरे 3-4 घरों को बरबाद कर दिया है। इस तरह की बातें पुलिस के सामने वहां पर हुई।

रेलवे प्रोटिक्शन फोर्स का कमांडर वहाँ पर बैठा हुआ था और उसके सामने ही मार-काट रेलवे वालों की हो रही थी। रेलवे में जितने मुसलमान ड्राइवर थे, गार्ड थेउनमें से तकरीबन 27 रेलवे एम्पलाई थे, उनको सब को मार दिया गया और रेलवे कमां- डैन्ट देखता रहा। एक सब-इन्सपैक्टर मुसलमान था, उससे रिवाल्वर ले लिया गया। तमाम रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स, सी० आर० पी०, पी० ए० सी० और सिविल पुलिस सब ने यह किया था।

दूसरी जगह बात आती है, बी० एफ० एफ० ने इतने इन्साफ से काम किया कि हर मुसलमान ने उसकी तारीफ की। अगर किसी का कोई बच्चा प्यासा या भूखा रो रहा

था, तो उसने पूछा कि क्या बात है, क्यों रोता है ? उसके अफसर ने खुद पानी और दूध उसे लाकर दिया।

इसके बाद तमाम मिलेटरी की बात है और वहां एक मेजर जे० पी० सिंह थे जो कि मिलेटरी से आए थे। उनको किसी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। उन्होंने बेतहाशा बड़ा बढ़िया काम किया था। एक मुसलमान एक औरत को ला रहा था। उसकी छाती कटी हुई थी और वह नंगी थी। वह उसे अपनी गाड़ी में लाया और कहा कि किसी तरह इसको छिपाओ। वह उसे हास्पिटल में ले गया और अपने पास से दवायें लाकर दीं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्यों नहीं ? कार्यवाही वृतान्त में क्या शामिल नहीं किया जायेगा ? उन्होंने एक सही बात कही है। वे एक ऐसे अधिकारी की प्रशंसा कर रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त की जांच करूंगा—

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : परन्तु ऐसा मत कहिए कि इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : कार्यवाही वृतान्त ऐसा नहीं होता है जैसे कि आप इसे बना देना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त की जांच करूंगा और यदि मुझे कोई बात अश्लील लगेगी तो मैं उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय वसु : किन नियमों के अन्तर्गत आप ऐसा करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे नियमों की जानकारी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया मुझे भी बता दीजिए कि आप ऐसा किन नियमों के अन्तर्गत करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको समझाना असम्भव है। आप सदन का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं ? **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें अश्लील कुछ भी नहीं है।

उन्होंने एक ऐसे अधिकारी की प्रशंसा की है जिन्होंने एक मुस्लिम महिला को बचाया है—

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अंग्रेजी अनुवाद में कुछ अश्लील बातें सुनीं हैं जो किसी के द्वारा कही गई थीं और इसीलिए मैंने कहा है कि इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अब मैंने कहा है कि मैं कार्यवाही वृतान्त की जांच करूंगा और यदि उसमें कुछ अश्लील पाया गया तो——

श्री निरेन घोष : आपने क्या सुना था ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उस शब्द को नहीं कह सकता। मैं कह चुका हूं कि मैं कार्यवाही वृतान्त की जाँच करूंगा और यदि मुझे कोई बात अश्लील लगी तो उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसमें प्रैस क्या करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रैस को मेरे निर्णय लेने तक प्रतीक्षा करनी होगी (व्यवधान)। आप मुझ पर कोई आक्षेप नहीं लगा सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें नहीं समझाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री खाँ, कृपया अपना कथन समाप्त कीजिए।

श्री गुलाममोहम्मद खां : यह सब कुछ पुलिस और पी० ए० सी० ने किया है। यह कम्युनल राइट बिल्कुल नहीं था। यह पुलिस वही है, जो कांग्रेस के जमाने में भर्ती की गई थी। तीन लाख की पी०ए०सी० पहले जमाने से चली आ रही है। यह कोई जनता रेजीम में नहीं आई है। उसमें हमारे दौर का कोई नहीं था। (व्यवधान) 1967 से 1976 तक 3071 फसादात हुए, जिसका औसत एक महीने में 26 आता है।

33 महीने की जनता रिजीम में 490 फसाद हुए। एक महीने में 15 का हिसाब आता है।

एक मैं सजेश्चन देना चाहता हूं कि इन पुलिस में जितने कम्यूनल एलीमेंट्स हैं उन सब पर मुकदमा चलाया जाय, उन्हें नौकरियों से हटाया जाय और आइन्दा सब को यह हिदायत दी जाय कि जिसके हलके में कम्यूनल रायट या और कामन रायट होगा उस डी० एम० और एस० एस० पी० को एकदम सस्पेंड किया जाएगा। मुरादाबाद में तीन बार फसाद हो चुका है। दो सी० ओ० डी० एम०, एस० एस० पी० और दरोगा 9 दरोगा और एल० आई० ओ० इन्जार्ज सब वहीं के वहीं हैं। उनके रोजनामचे खुले हुए हैं। जो भी वहां जुर्म करता है उसको वे एप्रिशिएट करते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस बात पर आज यहाँ विचार हो रहा है वह काफी गंभीर विषय हैं और देश के मूलभूत सिद्धान्तों और मूल्यों से सम्बन्ध रखने वाला विषय है। मैं समझता हूं कि अधिकाँश सदस्य जो इस सदन में हैं वे सेक्युलरिज्म में विश्वास रखते हैं, देश के अन्दर अमन रहे, एकता रहे, इन चीजों में विश्वास करने वाले हैं और उसी दृष्टि से इस प्रस्ताव पर विचार करने की आवश्यकता है।

जो कुछ हालात मुरादाबाद में या उसके बाद दूसरी जगहों में हुए, उसका सबको दुःख है। कोई इस बहस में पड़ने की बात नहीं आती कि एक दूसरे पर आपेक्ष या प्रत्याक्षेप किया जाय। दरअसज यह हमारे पिछले हिस्टारिकल हालात और कुछ चालू हालात का परिणाम है कि अब भी आजादी के बाद हमारे देश के महान रहनुमा महात्मा गाँधी की खुद की शहीदी के बाद भी हम हम मुल्क में इन कौमी फसादों को और आपसी तनाव को मिटा नहीं पाए। इसके लिए मैं समझता हूं इस बात की जरूरत होगी कि सब मिल-जुलकर इस पर विचार करें। हमारे मुल्क की जो भी पार्टियां इस मूलभूत आधार को मानती हैं उनको बैठ करके विचार करना होगा कि किस तरह हम इन चीजों को न होने दें।

आज देश में यह देख कर के दुःख होता है कि हिंसा अनुशासनहीनता और पृथकता-वादी ताकतें सिर उठाती चली जा रही हैं जो कि देश के लिए सबसे खतरे की बात हो सकती है।

अभी यहाँ बताया गया कि मुरादाबाद के अंदर झगड़ा कम्यूनल नहीं था, पुलिस और जो ईद के मौके पर कुछ लोग इक्कट्ठे हुए थे उनके बीच में कोई प्री-प्लान्ड तरीके से साजिश की गई थी। अभी मुरादाबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने स्वयं कहा और अखबारों के अंदर तथा सब तरफ इसकी चर्चा आई कि कुछ सुअरों के प्रवेश करने के ऊपर सारे झगड़े की शुरूआत हुई। वह सूअर कैसे आए, क्या हुआ, यह जूडिशियल एन्क्वायरी जो सेट अप की गई है उसके साथ जुड़ी हुई चीजें है। जूडिशियल एन्क्वायरी के सम्बन्ध में यह बताया जाता है कि क्यों कि डिस्ट्रिक्ट जज को मुकर्रर किया गया है इसलिए उसका बायकाट किया गया है। यह बड़ा अहम मसला है जिसके सम्बन्ध में मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कोई बायकाट करे सिर्फ इस वजह से तो गवर्नमेंट जो आज है वह सेक्युलरिज्म में आज से नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई की जबसे हुई तब से सैक्यूलरिज्म में विश्वास रखने वाली और इन सिद्धान्तों को मानने वाली है, उसको इस बात के अन्दर कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि वह इस तरह के हालात पैदा करे जिसके कि कोई यह न कहने पाए कि जूडिशियल एन्क्वायरी के बारे में उसके दिल में कोई शुबहा है। मैं तो यह तक कहना चाहूंगा कि आप यू० पी० गवर्नमेंट से और सम्बन्धित व्यक्तियों से बात करके, अच्छा होगा कि डिस्ट्रिक्ट जज के बजाय हाई कोर्ट जज को

बैठाइए या किसी दूसरे को बैठाइए जिससे कि सब इसमें शरीक हो सकें। और पूरी तरह से इम्पार्शल इंक्वायरी हो सके। अगर कोई भी दोषी है, पुलिस का या कोई दूसरा है तो मैं समझता हूं सरकार का या इस तरफ बैठने वालों का किसी का इसमें हित नहीं होगा कि उस दोषी को छिपाने की कोशिश की जाए। जिसने भी गलती की है उसको सजा मिलनी ही चाहिए। हम यह कह कर नहीं चल सकते कि जो हालात वहाँ पर हुए उस मामले में सब पर दोष मढ़ने की बात की जाय और न इसका मतलब यह निकलता है कि सारी की सारी पुलिस दोषी है। हो सकता है कि एक दो पुलिस कम्पनियाँ जो वहां पर मौजूद हों उनका सारा दोष हो इस मामले में लेकिन अगर सारी पुलिस फोर्स को कहा जाए कि वह गुनाहगार है या सारी गवर्नमेंट गुनहगार है तो मैं समझता हूं यह गलत होगा। मैं समझता हूं गृह मंत्री जी को यह बात मालूम होगी, थोड़ा बहुत मेरा भी अनुभव है कि केवल जनतापार्टी के आने के बाद ही कम्युनल एलिमेंट्स सर्विसेज में घुसे हों, ऐसी बात नहीं है। 1977 के पहले हमारी हुकूमत थी उस मौके पर भी कई कम्युनल एलिमेंट्स और इस तरह के दूसरे एलिमेंट्स गवर्नमेंन्ट सर्विस में घुस गए थे। इसलिए आप मेहरबानी करके पता लगाएं कि जो फायरिंग करने वाले थे या जिन्होंने वहां पर यह किया वे सर्विसेज में घुसे हुए, इस तरह के एलिमेंटस, तो नहीं थे जिन्होंने जान-बूझ कर ज्यादती करके गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए ऐसा करने पर उतारू हुए हों और ऐसे हालात पैदा कर दिए हों। मैं समझता हूं। इस बात का पता लगाने में किसी तरह की कोइ हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसका पता लगाने से गवर्नमेंट या सारी पार्टी पर कोई असर आए, ऐसी बात नहीं है। जो भी दोषी हों उनके सम्बन्ध में हमें साफ तौर पर अपना दृष्टिकोण रखकर चलना होगा।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। मैं कोई पोलिटिकल मोटिव इंप्यूट नहीं करना चाहता लेकिन गृह मन्त्री जी के पास यह जानकारी हो तो अभी देंगे वरना बाद में दें। मुझे बताया गया है कि जहां ईदगाह है उसके पास मेहतरों की बस्ती है जोकि सुअर आमतौर से पालते हैं। जो दंगे फसाद हुए उसके सम्बन्ध में अगर एक तरह से कहा जाए तो हालात यह मालूम होते हैं कि एक तरफ हरिजन और दूसरी तरफ मुसलमान। उसी तरह की बात इलाहाबाद में भी देखने को मिली। वहां जो झगड़ा हुआ उसमें भी हरिजन और मुसलमान जुड़े हुए हैं। हरिजनों के मौहल्ले में जाकर हरिजन और मुसलमानों में झगड़े की शुरूआत होती है। क्या इसके पीछे यह कारण तो नहीं है कि हरिजन और मुसलमान, जो कि हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं, उनको उलझाकर कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश की जाए और उसका फायदा उठाया जाए। मेरे खयाल से इस बात की भी जानकारी की जानी चाहिए।

इसके साथ-ही-साथ यह भी पता लगायें कि ईद के पहले मुरादाबाद में हरिजन

बस्ती में वहीं के रहने वाले थे या कहीं बाहर से कोई लोग आकर तो नहीं पहुंच गए थे और लोगों को भड़काने की कोई साजिश कर रहे थे जिससे कि उस मौके पर कोई बड़ा वाकया हो जाए और उसका फायदा उठाने की कोशिश की जाए। इन चीजों की जानकारी आप कर सकते हैं या अगर कोई ऐसी जानकारी हो तो वह सदन को दे सकते हैं। हमने चुनाव के मौके पर कहा और आज भी कहते हैं कि हमारी पार्टी सेक्युलेरिज्म को मानती है। हमने यह भी कहा कि अमन चैन रहनी चाहिए। जून तक ठीक से चला लेकिन मुरादाबाद की घटना के बाद हालात में कुछ तब्दीली आई और कई जगह उसकी वजह से छोटी और बड़ी वारदातें हुई। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा इसमें किसी भी दोषी को छिपाने की बात नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ इसको पोलिटिकल स्वरूप देने की बात भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे यह बीमारी कम करने के बजाय इसको और बढ़ायेंगे। हमारा मकसद आज इस बात का है कि हमारा देश मजबूत बने, और हम सुनते हैं कि बोर्डर पर तैयारियाँ हो रही हैं और उधर झगड़ों की तैयारियाँ हो रही हैं जब हमारे देश के सामने खतरा है, तो इस तरह से देश के अन्दर कैसे अमन कायम रह सकता है। उस के लिए मैं समझता हूं कि कदम उठाने की आवश्यकता है चाहे सख्त कदम ही क्यों न उठाने पड़ें। सभी को इन सब चीजों पर निगाह रख कर चलना होगा।

आज जो सवाल उठाया गया है, मैं समझता हूं कि यह वाजिब सवाल उठाया जा रहा है कि मुरादाबाद में इतने लम्बे अर्से तक दंगा चल क्यों रहा है और इसके साथ-साथ अलीगढ़ में भी इतने लम्बे अर्से तक दंगा क्यों चला। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि करीब 17 साल मुझे भी एक स्टेट के अन्दर काम करने का मौका मिला है, एक जिम्मेदारी के पद पर वहाँ पर एक-दो काम्युनल रायट्स के अलावा उन 17 सालों के अन्दर कोई कम्युनल रायट् नहीं हुए, बराबर वहाँ पर अमन की स्थिति रही है। जहाँ एक जगह हुआ, वहां हमने शाम होते-होते मिलिट्री को बुलाकर सख्ती से इस चीज को रोका। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन मामलो के अन्दर एक नियम आप बना दीजिए कि जहाँ काम्युनल रायट हो, वहां पर जल्दी से जल्दी सी०आर०पी० या आरमी, जो भी हो, उसको पोस्ट करना चाहिए, जिससे कि लोकल सेन्टीमेंटस भड़कने न पायें और हालात पर काबू पाया जा सके। वहाँ पर चाहे आरमी हो या दूसरी फोर्स हो, वे वहां आकर 24 घण्टे अन्दर स्थिति को कन्ट्रोल कर सकें और हालात के बिगड़ने की नौबत पेश न आने पाये इन चीजों की आवश्वकता है। इसमें कोई प्रेसटिज का प्रश्न नहीं है। कोई यह कह कर चले कि हमको फलाना पुलिस पर भरोसा है और फलाना पुलिस पर भरोसा नहीं है, मैं यह कहना चाहता हूं कि पब्लिक के दिल के अन्दर एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति भरोसा होना चाहिए कि वह इन चीजों को अच्छी तरह से रोकना चाहती है और जब वे इन चीजों को रोकने में कदम उठायेंगे तो मैं समझता हूं कि सारी चीजों के अन्दर हमें ज्यादा से ज्यादा सहूलियत होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह आम तौर से सुनने में आता है कि मुरादाबाद के अन्दर लीगल और इल्लीगल आर्म्स काफी ज्यादा हैं यह झगड़ा बहुत लम्बे अर्से से चल रहा है, उसके पीछे जो एक बहुत बड़ा कारण मालूम होता है, वह यह है कि वहाँ पर आर्म्स की बहुतायत होने की वजह से इस प्रकार के झगड़े लगातार चलाये हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर पर न सिर्फ इस बात की जरूरत है कि इल्लीगल आर्म्स को सीज करें, बल्कि जो लीगल आर्म्स गलत आदमियों के हाथों में हैं, उनको भी लेकर उनके लाइसेंस कैन्सल करने की जरूरत है, जिससे ये चीजें आगे न बढ़ने पायें और इनका दुरुपयोग न होने पाए। यदि ये चीजें लोगो में रहेंगी तो कभी भी और जगह भी इस प्रकार की वारदात हम लोगों के सामने आ सकती हैं।

हम और आप सभी जानते हैं कि आपने हिन्दुस्तान के कुछ प्रदेशों में सर्कुलर भेजे हैं, जैसे यू० पी०, बिहार और हैदराबाद और कुछ जगह जहां इस प्रकार के कौमी फसाद हुए हैं, मेरा गृह मन्त्री जी से निवेदन है कि प्रदेश सरकार तो ध्यान रखेगी ही आफिसर मुकर्रर करने के मौके पर, लेकिन अच्छा होगा कि होम मिनिस्ट्री भी इस पर निगाह रखे कि वहाँ पर आफीसर्स, खास तौर से डिप्टी कमिशनर, एस० पी० और डी० आई० जी०, ये आफीसर जो वहाँ पर तैनात किए जायें, वे वही तैनात किए जायें जिनके बारे में कोई यह न कह सकें कि उनका काम्युनल बैकग्राउन्ड है या किसी भी प्रकार के काम्युनल असरात का उन लोगों के ऊपर असर है। इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस चीज की सख्त आवश्यकता है कि जो जुडिशियल इन्क्वायरी सैट-अप की गई, उस जुडिशियल इन्क्वायरी के मामले में जैसा मैंने आपसे कहा और यदि हमारी विरोधी पक्ष के लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि उन लोगों को भरोसा दिलाया जा सके, तो ज्यादा से ज्यादा भरोसा दिलाकर इन्क्वायरी में सबको शरीक किया जाए।

आज उनके रिहैबिलिटेशन का भी मामला है। खास तौर से जो गरीब आदमी लूटा जाता है और जिनके घरों को जलाया जाता है, मैं समझता हूं कि प्रदेश की सरकार और भारत सरकार, दोनों को जिन लोगों पर इस फसाद से नुकसान हुआ है, जल्दी से जल्दी उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, प्रोपर कम्पेंसेशन के लिए जल्दी से जल्दी कार्यवाही करे, ताकि यह कहने की गुंजाइश न हो कि उन लोगों की देखभाल के अन्दर किसी प्रकार की कमी हुई है।

साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि बातों को बढ़ा-चढ़ा पेश न किया जाय। मामले के सही हालात मालूम न हों और उनको बहुत बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जाय - यह मुनासिब नहीं है। हम सब लोगों का मकसद यही है कि यह चीज आगे न बढ़े, न मुरादाबाद में बढ़े, न दूसरी जगहों पर बढ़े और इस पर पूरी तरह से काबू पाया जाय। अगर काबू नहीं पाया जायगा और ये बढ़ती हैं तो आप यह यकीन मान कर चलिये कि इन चीजों का फायदा वे

लोग उठायेंगे, वे जमायतें उठायेंगी जो सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं करती हैं, बल्कि फिरकापरस्ती को मानने वाले लोग इसका फायदा उठायेंगे। मेरे कहने का यह मतलब है कि जो भी चर्चा हो, वह किस प्रकार से हो इस पर गौर करने की जरूरत है, गलत प्रकार की चर्चा को हर तरह से रोकने की जरूरत है।

मुझे इस बात की खुशी है कि आज हिन्दुस्तान में ज्यादातर पार्टियां सैकुलरिज्म को मानने वाली हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा हिन्दू राष्ट्र की बात की जाय या कुछ दूसरी कम्यूनल जमायतें देश में काम करें, तो मैं पूरी ताकत से कहूंगा कि आप इस बात की शुरूआत कीजिये कि जो कम्यूनल आर्गेनिजेशन्ज हैं, जैसे आर० एस० एस० हैं, जमायते-इस्लामी है या दूसरी काम्यूनल आर्गेनिजेशन्ज हैं — इनके लोगों को किसी भी हालत में गवर्नमेन्ट सर्विस में नहीं लिया जाना चाहिये। जो लोग ऐसे आ गये हैं, उनको भी तुरन्त हटाया जाना चाहिये। कोई यह कहे कि ये कल्चरल आर्गेनिजेशन्ज हैं — नाम कल्चरल आर्गेनिजेशन जरूर है, लेकिन असल में ये पोलिटीकल आर्गेनिजेशन्ज हैं जो हर मौके का फायदा उठाना चाहती हैं। ये वे लोग हैं जो गवर्नमेन्ट से तनख्वाह लेना चाहते हैं और मुल्क के उसूलों के खिलाफ काम करते हैं, मुल्क की एकता के खिलाफ काम करते हैं।

मैं जानता हूं — बहुत सी जगहों पर ऐसी एजूकेशनल इंस्टीचूशन्ज चल रही हैं जो गवर्नमेन्ट से एड लेती हैं, लेकिन उन स्कूलों के अन्दर खुद टीचर्स आर० एस० एस० की शाखायें चलाते हैं और कम्यूनलिज्म को फैलाने का काम करते हैं। इसी तरह से कुछ दूसरी जमायतें भी काम करती हैं। मैं चाहता हूं कि सदन के वे लोग जो सैकुलरिज्म में विश्वास करते हैं बैठ कर विचार करें कि कौन-कौन सी कम्यूनल आर्गेनिजेशन्ज हैं। अगर आप उनको वीड-आउट करने का काम नहीं करते हैं तो चाहे आपकी पूरी पुलिस फोर्स हो, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन हो, अगर उसमें 5 परसेन्ट भी इस प्रकार का एलीमेन्ट होगा तो वह आपको बदनाम किये बिना नहीं रहेगा। कभी भी मौका आयेगा तो वह आपके लिये एक समस्या खड़ी कर देगा। इसलिये मैं समझता हूं कि सब चीजों पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। मुरादाबाद या दूसरी जगहों पर जो दंगे हुए हैं, आज यह सदन उस पर विचार कर रहा है, लेकिन जरूरत हो तो इस सदन की सब पार्टियां मिलकर कोई डेलीगेशन बनायें जो वहां जाये और उन लोगों को भरोसा दिलवाये कि वे किसी प्रकार की चिन्ता न करें, शान्ति के साथ, अमन के साथ वहां रहें। हम नहीं चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में कौमी-फिसाद हों। किस वक्त कौन सी चीज क्या रूप ले सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे यहां पृथकतावादी ताकतें भड़क रही हैं, तरह-तरह के हिंसा के वाक्यात सामने आ रहे हैं — इन सारे हालात को देखते हुए जो कुछ हुआ है वह बड़े दुख की बात है। इसके लिये हम यह कहें कि ठीक हुआ है या गलत हुआ है या पुलिस ने ठीक काम किया है या गलत काम किया है — किस की गलती थी, किस की गलती नहीं थी — — ये सब चीजें

जुडीशियल एन्कवायरी से मालुम हो सकती हैं। इस लिये जुडीशियल एन्कवायरी पर सबका भरोसा हो इस दृष्टि से काम करने की जरूरत है और इस सम्बन्ध में मैंने अपने विचार आपके सामने रखे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि गृह मन्त्री जी उन पर विचार करेंगे और मुनासिब कार्यवाही करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हारबर) : महोदय **

श्री देसाई आंकड़े प्रस्तुत किये हैं अन्यथा मुझे ऐसा किया जाना अच्छा नहीं लगता है, श्री मती गांधी के ग्यारह वर्षों के शासन काल में, जैसा कि दिनांक 30 जनवरी 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 38 के उत्तर में वताया गया है, प्रतिवर्ष औसतन 154 व्यक्तियों की जानें गई हैं उनके पश्चात वर्ष 1977 से लेकर 1979 तक तीन वर्ष के लिए जो शासन आया उसमें प्रतिवर्ष औसतन 135 व्यक्तियों की जानें गई हैं,

यह स्वतः स्पष्ट है वर्ष 1980 में हम आंकडों की मांग कर रहे हैं और गृह मंत्रालय द्वारा किसी न किसी वहाने यह आंकडे उपलब्ध नहीं किये जा रहे (व्यवधान) उनके पास सारे आंकडे हैं। वे ** सदन को वता रहे हैं कि आंकडे एकत्र किये जा रहे हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : क्या वह गृह मंत्रालय पर यह आरोप लगा सकते हैं कि मंत्रालय**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त को देखूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : झूठ के स्थान पर स्थान पर अर्मश्रित मिथ्या वात की जा रही है।

अव हम यह समझ सकते हैं कि केवल इस वर्ष ही 700 व्यक्ति साम्प्रदायिक हिंसा के शिकार हुए। "डाकघर" ज्ञानी साहिव के उन लोगों के लिए शब्दों का क्या अर्थ है जो प्रशासन संभाल सकते हैं ? वे देश में निस्सहाय अल्पसंख्यकों के सामने क्या सिद्ध करने के प्रयास कर रहे है ? उन्होंने आपको मत दिया है ? अब वे समझते हैं कि उन्होंने सबसे बड़ी गल्ती की है। इसी कारण आप उत्तर प्रदेश में उप-चुनाव करवाने की हिम्मत नहीं कर सकते आप पश्चिम वंगाल जाने की हिम्मत नहीं कर सकते क्यों कि आपको राजनैतिक दृष्टि से अस्वीकार कर दिया जाएगा। हमें सारे संसार के सम्मुख शर्म के साथ अपना सिर झुकाना पड़ता है कि हम अभी भी वर्वरता के शासन में रह रहे हैं। ये राज्य कौन-कौन से हैं— उत्तर प्रदेश, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश।

(व्यवधान)

चुनावों के दौरान मुसलमानों की वहुत अधिक मांगे वढ़ जाती है। उसके पश्चात

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया है।

उनको भुला दिया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी बलि दी जाती है। श्री देसाई ने जो कुछ भी कहा है वह ठीक नहीं है ।

मैं आकाशवाणी के समाचार सेवाएं डिवीजन के 21 अक्तूबर 1980 के रात्रि 9 बजे के समाचार का उद्धरण दे रहा हूं। उसमें कहा गया है कि :

"यह कहते हुए कि साम्प्रदायिक समस्या केवल मात्र भारत के लिए ही विशिष्ट नहीं हैं, उन्होंने कहा कि हम अधिकतर इस पर नियन्त्रण कर सके हैं और अपने अल्पसंख्यकों को अच्छे व्यवहार का आश्वासन देते हैं" उन्होंने आगे कहा;

"आन्तरिक रूप से विघटनकारी शक्तियां पनप उठी हैं और इसी प्रकार साम्प्रदायिकता तथा जातीयता पनप उठी है।"

स्वाधीनता के पश्चात कुल 32-33 वर्षों में से 30 वर्ष तक किसने इस देश पर शासन किया ? आगे वह कहती हैं;

"साम्प्रदायिक स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती गाँधी ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर तथा विशेष अवसरों पर एक साथ घटने वाली घटनाओं में एक ढाँचा है। यद्यपि इनमें विदेशी हाथ होने के बारे में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है तथापि स्थिति का अनुचित लाभ उठाने के लिए प्रयास किए गए थे।"

आप किस आधार पर कह रहे हैं कि इनमें विदेशी हाथ है जब कि प्रधान मंत्री यह कह रही हैं कि कोई साक्ष्य नहीं है ? आप केवल उस समय बोलें जब साक्ष्य हो। केवल हवा में बातें मत करें। जब सारा दोष आप पर आता हो तो किसी दूसरे पर दोष ढालने का कोई लाभ नहीं है।

पुलिस पर आपका बजट क्या है। आपका केन्द्रीय आसूचना विभाग क्या कर रहा है ? क्या वे आपको चेतावनी नहीं दे सकते कि व्यापक हत्या की योजना तैयार की जा रही है। यह संभव है कि प्रांतीय सशस्त्र पुलिस अथवा स्थानीय पुलिस अथवा सिविल सेवाओं का इनमें हाथ हो। क्या वे केन्द्र सरकार, गृह मन्त्री से पूछताछ नहीं कर सकते ? नहीं ? आपके अधीन अनुसंधान तथा विश्लेषण विभाग है। उसके बड़े अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों को पीटने का ही काम अच्छी प्रकार कर सकते हैं। यदि इनमें विदेशी हाथ है तो वे क्या कर रहे हैं ? श्री देसाई, यह सब घोटाला हम को ज्ञात है।

उसके आगे वह कहती है : "यह कहते हुए कि साम्प्रदायिक सममस्या केवल मात्र भारत के लिए ही विशिष्ट नहीं है, उन्होंने कहा कि हम अधिकतर इस पर नियन्त्रण कर सके हैं और अपने अल्पसंख्यकों को अच्छे व्यवहार का आश्वासन देते हैं। "इस पर ध्यान दें :

"उन्होंने बलपूर्वक कहा कि छुटपुट घटनाओं के बावजूद——

श्रीमती गांधी के अनुसार मुरादाबाद एक छुटपुट घटना थी ।

"—मुरादाबाद की तरह, भारत ने साम्प्रदायिक सद्भावना को सुदृढ़ करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं । हमारा रिकार्ड किसी भी अन्य देश की तुलना में अच्छा है ।

अतः श्रीमती गाँधी के अनुसार मुरादाबाद एक छुटपुट घटना है । मेरा विचार है कि मेरे सामने बैठे मेरे मित्रों को, विशेषरूप से मुसलमान मित्रों को, यह बात रुचिकर लगेगी ।

सरकार तथा सत्तारुढ़ दल की नीतियाँ और व्यवहार साम्प्रदायिक शक्तियों को नियन्त्रित करने अथवा नष्ट करने करने के स्थान पर उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं । इस देश में धर्म निरपेक्षता की बात दीवार के फूल से अधिक महत्व की नहीं है मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह केवल मात्र कागजी बात है । 1947 से लेकर आजतक हमारे पास एक सूची है, साम्प्रदायिक तत्वों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नाम दिया गया, कांग्रेस विरोधी का नाम दिया गया, अन्य राजनैतिक दल सत्तारूढ़ दल तथा विरोधी दल, सभी अपने रास्ते पर चलने तथा कुछ भी करने को आजाद हैं ।

इस सरकार का पुलिस बल पर कोई नियन्त्रण नहीं है । यह एक स्पष्ट सच्चाई है, जो यह नहीं समझते और कभी भी नहीं समझेंगे । यदि आप चुनाव के दौरान के उनके कार्यों पर विचार करें तो पता चलता है कि पुलिस उसकी एवजी में चाहती है और यही मुरादाबाद में हुआ आप पुलिस को छू नहीं सकते, स्वयं आपका अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि आप पुलिस के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, चूंकि वे आपके धर्म-पिता हैं ।

राजनीति को धर्म के साथ मिलाने वाले राजनैतिक तत्व हमारी धर्मनिरपेक्षता को नष्ट कर रहे हैं । हमें इसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए । वास्तव में, सिविल प्रशासन तथा पुलिस सांठ-गांठ कर लेते हैं और जो अच्छें रहना चाहते वह भी नहीं रह सकते ।

मुरादाबाद का उदाहरण इस बारे में सब से निकृष्ट उदाहरण है । कितने लोग ईद के उपलक्ष में एकत्र हुए । यह कहा जाता है कि उनकी संख्या 50,000 थी । यदि वे दंगा करने के विचार से आते तो बच्चों को क्यों साथ लेकर आते ? वर्ष के सबसे पवित्र दिन पर वे नमाज पढ़ने के लिए एकत्र हुए थे । यदि वे दंगा करने के लिए आए होते तो वे बच्चों को साथ लेकर न आते ।

एक माननीय सदस्य : हम यह नहीं कर रहे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं ऐसा कह रहा हूं । मुरादाबाद में जो कुछ हुआ वह दूसरा जलियावाला बाग है । अल्पसंख्यको के 650 मकानों तथा दुकानों को मोहल्लावार पूरी तरह लूट लिया गया । कोई भी यह नहीं बता सकता कि हताहत होने वालों की वास्तविक संख्या

कितनी थी यह संख्या 500 से 600 के भीतर हो सकती है। पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर हत्याकाँड किया गया पहले राउंड की गोलियाँ चलाये जाने में 300 लोग तत्काल गिर गए हमारे पास इस बात के आँकड़े नहीं हैं कि कितने व्यक्ति मरे और कितने गंभीर रूप से जख्मी हुए ।

वहाँ पर पुलिस थी, जिसे राजनैतिक संरक्षण प्राप्त था, जिसके पास गोलियों की शक्ति थी, जिसके कानून का बल था जो उसे संरक्षण दे रहा था। दूसरी ओर गरीब मुसलमान थे जो अपने आपको बचाने में असमर्थ थे। अतः वे पुलिस के शिकार बनें ।

क्या आप जानते हैं कि मक्का शरीफ के बड़े इमाम ने हाल ही के अपने एक भाषण में इस घटना का भावनात्मक उल्लेख किया है ? क्या आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि मुसलमान समाज में इसकी राजनैतिक प्रतिक्रिया क्या है ? उनका कहना है कि भारत के बारे में हमें फिर से विचार करना होगा ।

परन्तु गृह मंत्री क्या कर रहे हैं ? क्या वे इसके योग्य हैं ? वे वहाँ पर जाते हैं, पुलिस की सराहना करते हैं, पुलिस का पक्ष लेते हैं, अध्याय को बन्द कर देते हैं तथा सो जाते हैं। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है चूंकि सारा मुसलमान विश्व उद्वेलित है कि भारत हिन्दु राष्ट्र बन गया है। हमें इस प्रकार के देश में रहना होगा ।

एक अन्य गम्भीर बात यह है कि व्यापारिक प्रतिद्वन्द्व है। एक शक्तिशाली राजनैतिक दल से संबंध रखने वाले व्यक्ति, श्री दयानन्द गुप्त, शक्तिशाली राजनैतिक दल के अध्यक्ष, नगर कांग्रेस समिति ——

एक माननीय सदस्य : काँग्रेस (आई)

श्री ज्योतिर्मय बसु : उनका कहना है कि कांग्रेस (आई)। मैं स्वीकार करता हूं। जो कुछ वे उपदेश देते हैं उसके स्थान पर वह मुरादाबाद में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं या छिप कर वहां जायें और सारी बात का पता लगायें ।

मैंने एक अन्य व्यक्ति, श्री दाऊदयाल खन्ना से भी बात की है जो कि उसी पार्टी के नगर समिति के अधिकारी हैं और श्री चन्द्रभानु गुप्त के मंत्रिमंडल के भूतपूर्व मन्त्री हैं। वे पीतल के बर्तनों के हिन्दू निर्यातकों के नेता हैं। मुसलमान सम्प्रदाय के प्रति उनके मन में शिकायत है।—

(व्यवधान)

मैंने नियम 353 के अधीन नोटिस दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हाँ, उन्होंने सूचना दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पीतल के बर्तनों के कुल पांच करोड़ रुपयों के निर्यात में से उस क्षेत्र के मुसलमानों का, जो क्षेत्र अन्यों की अपेक्षा आर्थिक रुप से अधिक पिछड़ा है, हिस्सा 3 करोड़ रुपये है। वह इस स्थिति को पलटना चाहते थे और इसी कारण दंगे हुए। इसके परिणामस्वरूप दुकाने लूटी गईं। हमने उनको पूरी आजादी दी है।

मुरादाबाद का हत्याकांड हो जाने के अगले दिन श्री रविन्द्र पाण्डे, विधायक, महान अपहरणकर्त्ता नायक, जिनके विरूद्ध विमान अपहरण का मुकदमा वापस लिया गया है, भागते हुए दिल्ली पहुंचे। वह पत्रकारों तथा समाचार-पत्रों के फोटोग्राफरों से भरी चार कारें लेकर गए, अनेक फोटो खीचे गए और ये फोटो उदारता से बांटे गए। क्या आप उनको देखना चाहते हैं ? उनमें से कुछ फोटो बहुत ही भयानक हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है कि ये फोटो भारत से बाहर जाते हैं और लोग देखते हैं कि भारत में क्या हो रहा है।

उनका सम्बन्ध किस दल से है ? उनको कहां से शान्ती प्राप्त होती है। उनको पता है कि पुलिस यह सब कुछ कर सकती है और उनको पता है कि उसको संरक्षण प्राप्त है। यह बहुत शर्म की बात है और मुझे इसी की सब से अधिक चिन्ता है।

क्या यह सब उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को बदनाम करने के लिए नहीं किया गया ? क्या यह पार्टी के आन्तरिक झगड़े का ही परिणाम नहीं है। क्या यह सच नहीं है कि दूरदर्शन कैमरा मैन दिल्ली गए—इस बारे में यदि मैं गलत कहूं तो श्री साठे मुझे ठीक बता दें—फिल्मों की पाकिस्तान को तस्करी की गई और वे वहां पर प्रदर्शित की गईं ? क्यों ? इसके पीछे कौन सा अदृष्य हाथ है। कौन सा हाथ भारत और पाकिस्तान के बीच मित्रता को बिगाड़ना चाहता है ?

आप के पास 'रॉ' है। आप अधीनस्थ कर्मचारियों को पीट रहे हैं। उनका क्या दोष है ? आप का बजट क्या है ? क्या मैं सदन को उसको बता सकता हूं अथवा क्या मैं राष्ट्र हित में उसे न बतलाऊं ? सारी धनराशि हड़पी जा रही है। जीत और हार तो खेल के अंग हैं। हमें पता है कि इसी कारण इस प्रकार की बातें हो रही है।

दो डी० एस० पी०, मुरादाबाद के सर्किल अधिकारी, अशोक मित्र तथा पाण्डे, जुड़वां कसाई के नाम से विख्यात हैं। मैं गृह मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि बार-बार मांग किए जाने के बाद भी उनको स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया ? वर्तमान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भी मुझे बताया गया है कि उनके बिना काम नहीं चल सकता। मुझे बताया गया है कि पार्टी के एक पदाधिकारी श्री विनोद कुमार गुप्त ने इस विषय पर "मुरादाबाद वर्निंग" शीर्षक से एक पुस्तक परिचालित की और उन्होंने कहा कि मुरादाबाद का मुसलमानों द्वारा घेरा डाला जा रहा है अतः हिन्दुओं को सचेत होना चाहिए और युद्ध की तैयारी

रखनी चाहिए। बहुत ही आश्चर्यजनक योजना है। इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं 1967 से इन दंगों को देख रहा हूं।

मैं गृह मंत्री से यह पूछना चाहूंगा—मैं जो कुछ कहता हूं उसके लिए उत्तरदायी हूं—कि इस वर्ष ईदगाह के निकट इतने बड़े पैमाने पर प्रांतीय सशस्त्र पुलिस तथा सिविल पुलिस को किस कारण से तैनात किया गया था। क्या आप को दंगे की आशंका थी? क्या आप के आसूचना विभाग की यह रिपोर्ट थी? यदि हाँ, तो इस बात को देखने के लिए आपने क्या विशेष कदम उठाये कि इसको आरम्भ से ही समाप्त कर दिया जाता? मुझे बताया गया है कि मुरादाबाद में इमाम साहेब ने कहा है कि "यह पहली बार हुआ है कि मुझे ईदगाह ले जाने के लिए पहली बार पुलिस मेरे घर पर आई।" नमाज तथा हत्याकांड के बाद वापस आते समय वे हिन्दुओं के इलाकों से होकर अकेले आए और किसी ने भी उनको छुआ नहीं। मुरादाबाद के मुसलमानों का इसमें कोई हाथ नहीं है।

झूठे आंकड़े बनाने में वे सिद्धहस्त हैं—200, 150, 300। मैंने जानकार लोगों से भी बात की है, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता और उनका कहना है कि यह संख्या 600—700 के बीच है। गृह मंत्रालय आप को आंकड़े नहीं बतायेगा क्यों कि यह राष्ट्र हित के विपरीत है। हम पुलिस तथा सिविल प्रशासन को इस के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप को अब समाप्त करना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु प्रधान मंत्री तथा उनके गृह मंत्री के कथन नितान्त निर्दयतापूर्ण एवं उदासीनतापूर्ण है।

(व्यवधान)

सांठगांठ करने वाले तथा कार्यवाही करने में असमर्थ रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के स्थान पर उन्होंने पुलिस का पक्ष लिया। वे दो बटालियन बनाना चाहते हैं। मैंने अपने युवा मित्र श्री मकवाना से यह सुना है।

एक माननीय सदस्य : तीन

श्री ज्योतिर्मय बसु : तीन, और भी अच्छा है। 1200 800 12 प्रतिमास जमा पी० ई० टी० "पीस इस्टेबलिशमेन्ट आन टेबल।" आप क्या जानते हैं? जिन लोगों में से आप प्रांतीय सशस्त्र पुलिस की भर्ती करते हैं। जिन लोगों में से आप केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल तथा सीमा सुरक्षा बल की भर्ती करते हैं उनमें बहुसंख्या हिन्दुओं की है। आप क्या आशा करते हैं—व्यवहार के परिवर्तन में अन्तर? जामा मस्जिद के दंगों में क्या हुआ? केन्द्रीय आरक्षी बल के लोग तीसरी मंजिल पर गए और 18 वर्षीय बी० ए० की छात्रा, कुमारी फरीदा पर गोली चलाई जिसके कारण वह जीवन भर के लिए लगभग

अपंग हो गई है। मेरे पास इस सदन में एक टेप रिकार्डर है मेरे मित्र, श्री मिसरयर अहमद खान को शायद याद होगा। बटालियनों की संख्या बढ़ा कर वे क्या करेंगे। वे पुलिस से संरक्षण चाहते हैं। स्वयं आप के मंत्री श्री जाफर शरीफ ने क्या कहा ? आप इस को स्वीकार करें अथवा उनको मंत्रिमंडल छोडने को कहें। उन्होंने कहा कि गोली चलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उत्तेजना का कोई कारण नहीं था। फिर भी अधिकारियों को लगभग अछूता छोड़ दिया गया है। मुरादाबाद में पुलिस, जैसे कि हरिजनों की पिटाई करने में, मकान जलाने में हमेशा बहुत चालाक रहती है, लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयत्न करती है कि यह सब मुसलमान कर रहे हैं।

मैं एक धोबी, श्री झाडी राम का उदाहरण बताना चाहता हूं। वह अपने घर में कपड़ों पर इस्तरी कर रहा था। पुलिस आई और आकर उसे पकड़ लिया। पहले उसने उसकी जांच की। वह यह पता करना चाहते थे कि वह हिन्दु है अथवा मुसलमान। जब उन्होंने पाया कि वह मुसलमान नहीं है, उन्होने गोली चलाई जो पेट के पास उसकी चमड़ी को छूकर चली गई। गहरे धक्के तथा घबराहट के कारण वह गिर गया तथा उसे अस्पताल ले जाया गया। लोगों को विश्वास दिलवाया गया कि मुसलमानों ने हरिजन धोबी पर आक्रमण किया है और इसी कारण वह अस्पताल में है। क्या आप आंकड़े चाहते हैं— कितने मुसलमान अस्पताल में भर्ती हुए और कितने गैर मुसलमान भर्ती किए गए। गैर मुसलमानों की संख्या को बढ़ा चढ़ा कर आप मुसलमानों पर आरोप लगाये। हम जानते हैं कि यह सब चालाकी है।

लखनऊ में मस्जिद में बम की कहानी को ही ले। क्या आप जानते हैं कि बम क्या होता है ? यह एक छोटा सा पटाका है। तत्काल इसे अखबारों में प्रकाशित किया जाता है। मैं आप को बताना चाहता हूं कि जब तक पंसा, सिविल प्रशासन, पुलिस तथा शक्तिशाली राजनैतिक संरक्षण न हो कोई भी बड़ा दंगा नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति है। हम पश्चिम बंगाल में किसी भी दंगे को कठोरता से नियन्त्रित करते हैं। दंगे कराने के अनेक प्रयास किए गए। हर बार हमने उसे दबाया और यथासंभव शीघ्रता के साथ हम ऐसा करते हैं। इसे केवल सिविल अधिकारियों तथा पुलिस पर ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस देश में वही एक ऐसा राज्य है। इस बात पर मुझे गर्व है कि वहाँ पर मुसलमान सुरक्षित महसूस करते है। वे समझते है कि पश्चिम बंगाल उनका भी है। आप किसी से भी पूछे। यहाँ पर मामला बिल्कुल भिन्न है। यहां पर मुरादाबाद में दंगा आरम्भ होता है, अलीगढ़ पहुंचता है और सारे देश में फैलता है तथा वे साउथ ब्लाक तथा नार्थ ब्लाक की सुन्दर वातानकूलित इमारतों में मूक दर्शक बने रहते हैं।

अब उन्होंने परेशान करना आरम्भ कर दिया है। दंगों से प्रभावित लोगों को तथा शांति के लिए काम करने वालों को राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के अधीन गिरफ्तार

किया जा रहा है जिससे कि वे लोग जिला मजिस्ट्रेट के जांच आयोग के सामने साक्षी के लिए न आ सकें। यह जांच आयोग है—जिला मजिस्ट्रेट विन्दु रेखा पर हस्ताक्षर करेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक सेवा निवृत रेलवे कर्मचारी का पुत्र, खान अवशाद परेज, कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की जिला समिति के सदस्य जो शांति और सद्भावना के लिए काम कर रहा था, पुलिस ने उसे राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के अधीन गिरफ्तार करने के लिए भगोड़ा घोषित किया जिससे कि वह गवाही न दे सके और उसकी चल सम्पत्ति जब्त करली। बड़े पैमाने पर ऐसा हो रहा है। अन्त में मैं 1980 में हुए साम्प्रदायिक दंगों के तथा इन से प्रभावित हुए लोगों की संख्या जानना चाहता हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि इन दंगों के शिकार व्यक्तियों को उदारता पूर्वक पुनर्वास अनुदान तथा ऋण दिए जायें।

3) सम्बन्धित अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं की चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी से सम्बद्ध हों, तत्काल गिरफ्तारी और उन पर मुकदमा चलाया जाए।

4) उच्चतम न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच कराई जाए।

5) समाज के कमजोर वर्गों और विशेषत: अल्प-संख्यकों पर लागू किए जाने के लिए तत्काल एक दंगा बीमा योजना आरम्भ की जाए।

राष्ट्रीय एकता परिषद भविष्य में शान्ति और सदभावना सुनिश्चित करने के लिए और मुसलमानों को उस कत्ले आम से बचाने के लिए जिसका उन्हें प्रतिदिन सामना करना पड़ रहा है सभी स्तरों पर सभी दलों की शान्ति समितियां गठित करे।

धन्यवाद !

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : उपाध्यक्ष महोदय, श्री ज्योतिर्मय बसु ने कुछ ऐसे लोगों का उल्लेख किया है जो अपनी सफाई देने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने श्री दाऊ दयाल खन्ना का नाम लिया है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है उन्होंने अपने नोटिस में उस विशेष व्यक्ति का नाम नहीं दिया है जिसका उल्लेख उन्होंने सदन में किया है। मैं चाहता हूं कि आप इसका सत्यापन करें। यदि उसमें नाम है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु यदि उसमें नाम नहीं है, कृपया आप इसका सत्यापन करें——

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु ने अपने नोटिस में "श्री डी०डी० शर्मा" का नाम दिया है।

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : मैं श्री दाऊदयाल खन्ना के नाम की बात कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने श्री डी०डी० खन्ना का नाम नहीं दिया है। मैं कार्यवाही वृतान्त में देखता हूं।

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : कृपया कार्यवाही वृतान्त देखिए । उन्होंने स्पष्ट रूप से श्री दाऊ दयाल खन्ना का नाम दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त देखूंगा ।

श्री जुल्फिकारअली खान : उन्होंने बिल्कुल साफ-साफ श्री दाऊ दयाल खन्ना का नाम दिया है । यह सच है ।

श्री मलिक एम०एम०ए० खाँ (एटा) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 47 के बाद 33 सालों में एक वाहिद वाकया इतना दर्दनाक मुरादाबाद में हुआ है जिसे बयान करना बस के बाहर है । यह मेरी या मेरे साथियों की राय नहीं बल्कि जो सेक्युलरिज्म में यकीन रखने वाले हैं उनकी यह राय है कि मुरादाबाद में हिन्दू मुस्लिम रायट शुरू ही नहीं हुआ । इसको कम्यूनल रायट कहना बिल्कुल गलत है ।

"उत्तर भारत के दो नगरों में पुलिस द्वारा की गई हिंसा की वारदातों के कारण ईद का त्यौहार फीका पड़ गया जिसे टाला जा सकता था ।"

मैं सिर्फ यह निवेदन करूंगा कि पी०ए०सी० का इन्टेन्शन क्या था । उसमें मैं एक लेटर कोट करूंगा जो हमारी ही कांग्रेस आई आर्टी के माइनारिटी फोरम, उत्तर प्रदेश ने लिखा है । उसने हमको एक मेमोरेन्डम भेजा है, वह मेमोरेन्डम चीफ मिनिस्टर साहब को भी दिया गया है और वह भारत सरकार के पास भी आया होगा । मैं उसका एक पैराग्राफ कोट करूंगा ।

"वस्तुतः यह उपद्रव 19-8-80 को आरम्भ करने की योजना बनाई गई थी, जब कुछ कुख्यात व्यक्तियों ने, जिन्हें पी०ए०सी० के कार्मिक बताया गया था, जी०टी० मार्ग पर खुल्दाबाद में शाही मस्जिद के दरवाजे पर सूअर का एक टुकड़ा लटका दिया था । खुल्दाबाद के उप-निरीक्षक श्री मोहम्मद वासीम खान ने चतुराईपूर्वक स्थिति को टाल दिया और मुसलमानों की भीड़ को शान्त कर दिया । इस चतुर, कार्यकुशल और निष्पक्ष उप-निरीक्षक को स्थानान्तरित कर दिया गया ।"

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

इसी सम्बन्ध में कि पी०ए०सी० का इन्टेशन क्या था, मैं उनके नाम भी मेंशन कर दूं जिन्होंने मेमोरेंडम भेजा है—श्री सालिगराम जायसवाल, एक्स-मिनिस्टर कांग्रेस आइ पार्टी, उनके इस पर दस्तखत हैं । श्री प्रेम कपूर, जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस आइ माइनारिटी फोरम, यू०पी०के० दस्तखत हैं, श्री सुनीत व्यास के दस्तखत हैं और श्री नइम सिद्दीकी, इन लोगों के इस पर दस्तखत हैं जो मेमोरैण्डम मुरादाबाद के वाकयात के सिलसिले में मुख्य मन्त्री को दिया गया है उसको मैं यह साबित करने के लिए कोट कर रहा हूं कि पी०ए०सी० का इन्टेंशन क्या है :

"समाचार के अनुसार पी०ए०सी० के कार्मिकों ने जी०टी० रोड पर गरीवाँ टोला में एक मन्दिर में किसी हिन्दू से एक बम फिकवाया..."

जब वे किसी हिन्दू से बम फिकवा सकते हैं तो ईदगाह में सूअर भी भिजवा सकते हैं।

"सौभाग्य से बम मन्दिर के भीतर या मन्दिर के बहुत निकट न फटकर फुटपाथ पर फटा। हिन्दुओं ने इसे गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि इससे मन्दिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ड्यूटी पर मौजूद पी०ए०सी० के कार्मिकों ने हिन्दुओं को भड़काया और मुसलमानों के खिलाफ जिन्होंने मन्दिर को नष्ट करने का साहस किया है कोई गम्भीर कार्यवाही न करने के कारण उन्हें गालियाँ भी दीं। **(मुसलमान लोग तुम्हारे मन्दिर में बम फेंक गए और तुम लोग मरों की तरह घरों में बैठे हो, निकलो हमला करो, डरते क्यों हो, हम लोग तुम्हारे साथ है।)** इन भड़काने वाली बातों से वहाँ एक भीड़ इकठ्ठी हो गई और तारा बाबू की गली में मुसलमानों के घरों पर हमला कर दिया। वे पी०ए०सी० के जवानों के संरक्षण में मुसलमानी इलाके में भी घुस गए और मुसलमानों पर हमला किया। कुछ मुसलमान लड़ के अपने इलाके के अन्दर भीड़ का मुकाबला करने के लिए एकत्रित हुए थे लेकिन पी०ए०सी० ने उन्हें बिल्कुल अन्दर के इलाके में खदेड़ दिया। पी०ए०सी० के जवानों ने मुसलमानों को गालियाँ देते हुए और यह कहते हुए कि वे भारत के कम से कम 60 प्रतिशत मुसलमानों को मौत के घाट उतारना चाहते हैं, बक्शी बाजार की ओर मार्च किया।"

उनकी जबान में जो इन्वर्टेड कामाज में लिखा है उसको मैं कोट कर रहा हूं :

"मुसलमान लोग तुम्हारे मन्दिर में बम फेंक गए और तुम लोग मेहरों की तरह घरों में बैठे हो। निकलो, हमला करो, डरते क्यों हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं।"

तो यह इन्टेंशन पी०ए०सी० का था वरना मुसलमान अपने छोटे-छोटे बच्चों को गोद में लेकर, उनकी मांवों से यह कहकर नहीं गए थे कि इनकी सूरत अब तुम्हें नसीब नहीं होगी। वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए 80-90 हजार का मजमा था। एक महीने में 30 रोज रखने के बाद अल्लाह के सामने सिर झुकाने गए थे कि उनकी मेहनत कबूल हो। उनको यह नहीं मालूम था कि पी०ए०सी० के लोग तैयार खड़े हैं गोलियाँ लेकर के।

मान्यवर, मैं हिन्दुस्तान टाइम्स" से फिर कोट कर रहा हूं :

"वह शरारत जिसके कारण यह घटना आरम्भ हुई—जिसमें पशुओं, सूअर के झुण्ड को ईद की नमाज के मैदान में हांक दिया गया—पूर्व नियोजित थी।"

यह 15.8.80 तारीख का "हिन्दुस्तान टाइम्स" का एडिटोरियल था। वे चाहते थे कि मुसलमानों को ऐसा कोई मौका दे दिया जाए। सूअर मुसलमानों के लिए एक नापाक

और नहस चीज है। वह उनके पास से ही गुजर जाए तो नहाना पड़ता है और अगर ईदगाह में नमाज पढ़ते वक्त सूअर निकल जाए तो वे इश्तयाल का एक मौका दे रहे थे, यानी थोड़ा सा इश्तयाल पैदा हो तो हम कत्लेआम शुरू कर दें।

पहले यह भी कहा गया कि मुसलमानों की तरफ से बन्दूक चलाई गई लेकिन फिर मालूम हुआ कि यह झूठ था। यह इन्टरव्यू मैं पढ़ रहा था, त्रिपाठी जी जानकारी के लिए गए थे, उन्होंने रिपोर्ट दी कि यह गलत है, कोई फायरिंग नहीं हुई और न लोग बन्दूक लेकर नमाज पढ़ने के लिए गए थे। यह तो सही है कि पी०ए०सी० के सारे कारनामों को छिपाने के लिए तीन-चार बरसों से यह सिलसिला चल रहा है। मुसलमानों के घरों को लूटा जाता है, कत्ल किया जाता है, उनकी औरतों के साथ रेप किया जाता है और उसके बाद अपने ऐब को छिपाने के लिए काम्युनल ट्रैंड होते हैं, ताकि उनके एबों को छिपाया जा सके। यह बड़े दुःख की बात है कि आज चाहे इलाहाबाद का मुसलमान हो, चाहे अलीगढ़ का मुसलमान हो और चाहे मुरादाबाद का मुसलमान हो—वह जानता है कि हम पर पी०ए०सी० ने जुल्म किया है। इस मामले में उन लोगों को प्रोटैक्शन होगा, उनके दिलों को तसल्ली नहीं है। आपने कहा कि हम उनको सजा देंगे, जिन्होंने जुल्म किया है और सदन के अन्दर भी कहा गया कि जुडिशियल इन्क्वायरी की जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1947 से लेकर जितनी भी जुडिशियल इन्क्वायरी हुई है, क्या वे सारी रिपोर्टें भारत सरकार के कोल्ड-स्टोरेज में नहीं चली गई हैं। आज किसी भी मुजरिम के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गई, क्या आज तक 33 वर्षों की आजादी में कोई काम हुआ है। यह तो महज ... (व्यवधान)...मैं अपनी बात कह रहा हूं...(व्यवधान)...मान्यवर, मैं साफ तौर पर कहूंगा कि यह आम तौर पर समझा जाता है कि जुडिशियल इन्क्वारी आग को ठण्डा करने के लिए और मामले को टाल देने के लिए मुकर्रिर की जाती है। इतना बड़ा काण्ड हुआ और खबर है कि 100 आदमी मरे हैं। यह बात सही है कि बहुत ज्यादा आदमी मरे हैं और ट्रकों में उन लाशों को लादकर जाया किया गया है।

मैं पैट्रियोट के एक आर्टिकल को, जो किश्तवार निकला है, कोट कर रहा हूं :

"पहले चार दिनों में पी०ए०सी० के जवानों द्वारा लूट-पाट किए जाने की अनेक शिकायतें मिली थी।

यह भी समझा जाता है कि स्थानीय सिविल और पुलिस अधिकारियों ने जानबूझकर न केवल समाचार पत्रों या जनता को दी जाने वाली सूचनाओं में बल्कि केन्द्रीय एजेन्सियों तथा राज्य और केन्द्रीय सरकार को दी गई अपनी एस०आई०टी० आर०ई०पी०एस० में या स्थिति सम्बन्धी रिपोर्टों में भी हताहतों की संख्या को कम बताया था। यह भी एक कारण था कि मुरादाबाद में अफवाह

फैलाने वालों का खूब जोर था।"

यह हम सभी लोग जानते हैं कि वहां पर मौतें हुई हैं, लेकिन बताई कम गई हैं।

मैं एक सवाल और होम मिनिस्टर से करना चाहता हूं। आप मुझे यह जरूर बता दें कि करफ्यू के जमाने में मुरादाबाद में कितनी दुकानों और घरों को लूटा गया, जबकि हिन्दू और मुसलमान अपने घरों में थे और जो दुकानें लूटी गयीं, उनको किसने लूटा और उनके घरों को आग किसने लगाई ? आप कहते हैं कि मुल्जिमान को लोकेट करने के लिए जुडिशियल इन्क्वायरी कराई है, क्या आप को मालूम नहीं था कि ईदगाह पर कौन सी बटालियन मुकर्रिर की गई थी और उनमें कौन लोग थे, किस-किस की नाल से फायर निकली ? क्या आपको मालूम नहीं था जिन मुहल्लों में आग लगाई करफ्यू के जमाने में, उस समय कौन ड्यूटी पर थे, और क्या पी०ए०सी० की जिम्मेदारी नहीं थी ?

सभापति महोदय, मुझे बड़ी शर्म आती है कि बाजवक्त ऐसे फैसले हो जाते हैं—जिन चार कम्पनियों ने ईदगाह पर मुसलमानों पर प्रहार किया, उनमें से दो कम्पनियों को 25 अगस्त, 1980 को अलीगढ़ ट्रांसफर कर दिया गया और 8 सितम्बर, 1980 को वही आग जो मुरादाबाद से भड़की थी, उसी आग को अलीगढ़ में भी भड़का दिया गया, 11 बजने में कुछ मिनट पर। आठ किलो मीटर के लम्बे शहर के अन्दर हाथरस अड्डे से लेकर बारादरी तक एकदम मुसलमानों को घसोटने, मारने, पीटने का का काम शुरू हो गया। यही बटालियन के०पी० कालेज में ठहरी हुई थी। उस एस०एस०पी० को जिसका बाद में अलीगढ़ से ट्रांसफर कर दिया गया, उसने रिफ्यूज किया था कि इस बिटालियन को यहाँ मत भेजो, नहीं तो अलीगढ़ में आग भड़केगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं माना और जबरदस्ती उसको डैप्यूट किया और वे के०पी० कालेज में ठहरे। इन्होंने दही वाली गली में मुसलमान के ढाई साल के बच्चे की टाँग को चीर दिया।

मैं आपसे क्या निवेदन करूं—जामा मस्जिद, अलीगढ़ में 17 अगस्त को 7 राउण्ड गोलियों के फायर किए गए, आज भी वे गोलियाँ वहां पर मौजूद हैं और कहा गया कि मुसलमान फायर कर रहे हैं। कोई भी मौके पर जाकर देखे—मैं निवेदन करूंगा कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी मुकर्रिर की जाय जो वहां जा कर देखे। अलीगढ़ जामा मस्जिद के अन्दर चारों तरफ दीवार और दरवाजे है। अगर दरवाजे बन्द हों तो न कोई आदमी अन्दर घुस सकता है और न बाहर आ सकता है। उसके बाद जब ताले खुलवाये गये और तलाशी ली गई, मेरा मतलब है 7 राउण्ड गोलियाँ चलाने के बाद, तो उसमें से क्या निकला ? रमजान शरीफ के गोले निकले और कोई भी आदमी अन्दर नहीं निकला। जिस पर वहां के उच्च अधिकारियों ने बयान दे दिया कि बड़ा एम्यूनीशन निकला है, बड़ी गोलियाँ निकली हैं, लेकिन वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां के एस० पी० ने ब्यान दिया कि कोई

गोलियाँ नहीं निकलीं, सिर्फ रमजान शरीफ के कुछ गोले निकले हैं जिनमें से कुछ जले हुए और कुछ अधजले थे।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इलाहाबाद के कुछ सैकुलर लोगों ने एक मेमोरेण्डम उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था और सैन्ट्रल गवर्नमेंट को भी दिया था जिसमें उन्होंने उन अफसरों के नाम भी लिखे हैं जिन्होंने बलवाइयों का साथ दिया था। मुझे बड़ा दुःख हो रहा है—इस बात को कहते हुए कि इलाहाबाद में हजरतगंज बारिस शाह साहब की मजार शरीफ है, मैं भी उस चौखट का मुरीद हूं, वहां पी० ए० सी० के लोगों ने जो जुल्म किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। वे लोग दरगाह का दरवाजा तोड़ कर अन्दर घुस गये और उन फकीरों को जो वहाँ कुरान शरीफ की तालीम देते थे या स्प्रीचुअल तालीम देते थे उनको पकड़ कर, सड़कों पर मारते हुए, घसीटकर, ले जाकर बन्द कर दिया। उन मुसलमानों के साथ थाने के अन्दर, कोतवाली के अन्दर पुलिस का क्या रवैया रहा, वह भी सुन लीजिए। पुलिस जिसे हमारी जान-व-माल की हिफाजत के लिए आप तैनात करते हैं, उन्होंने वहां प्यासे मुसलमानों को पेशाब पेश किया। किसी ने पानी माँगा तो पेशाब पेश किया और उन्हें मार-मार कर यह कहा कि अपने पैगम्बर को गालियाँ दो। यह फैक्ट है—मेरी दरख्वास्त है—अब हमको जुडीशियल एन्क्वायरी पर भरोसा नहीं हैं—क्या इस सदन के अन्दर सात-आठ सदस्य ऐसे नहीं होंगे जो सैकुलर दिमाग रखने वाले हों, ईमानदार हों—आप उनकी कमेटी एप्वाइन्ट कीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय।

आपने मुरादाबाद की एन्क्वायरी के लिए डिस्ट्रिक्ट जज को मुकर्रिर किया है इतनी बड़ी तबाही और बरबादी के बाद। इतना ही नहीं, अलीगढ़ में जो हाई कोर्ट का जज मुकर्रिर किया गया था उसको दो महीने में ही निकाल दिया गया और उसके बाद कोई मुकर्रिर नहीं हुआ—कोई एन्क्वायरी नहीं हुई, अगर हुई है तो बतलाइये।—(व्यवधान)—अगर वह खुद निकल गया था तो दो महीने बाद दूसरा मुकर्रिर होना चाहिए। इतना सस्ता खून हिन्दुस्तान में मुसलमानों का क्यों समझ लिया गया है ?

मैं निवेदन करना चाहूंगा अगर आप उस मेमोरेन्डम को पढ़ें जो खुद कांग्रेसियों ने दिया है तो आप इलाहाबाद के वाक्यात को पढ़ कर हैरान हो जायेंगे कि किस तरह से पी० ए० सी० के लोगों ने जुल्म ढाये हैं। उसमें उन लोगों के नाम भी दिए गये हैं। सब्जी मण्डी, अलीगढ़ में ता० 8 को पी० ए० सी० की बटालियन मौजूद थी, एस० डी० एम०, ए० डी० एम०, एस० पी०, डिप्टी एस० पी० सब मौजूद थे। डी० वाई० एस० पी० मौजूद हैं और मुसलमान रिक्शा वाले का उनके सामने जिबह कर दिया जाता है, उसे कत्ल कर दिया जाता है और ये खड़े तमाशा देखते रहते हैं। पी०ए०सी० थी, उसने मूव नहीं किया। इस तरह से सैकड़ों मुसलमानों को मुरादाबाद में गोलियों का निशाना बना दिया गया और अलीगढ़ में 11 बजे से 1 बजे तक कत्लेआम होता रहा, मुसलमानों के घरों को लूटा

जाता रहा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या वहाँ पी० ए० सी० ने फायरिंग किया या नहीं ?

किसी बात की हकीकत को छिपाने से हालात खराब होंगे, वे संभलेंगे नहीं। सच्चाई को स्वीकार करना होगा और जहां खराबी हैं उसको दूर करना होगा। वरना ऐसे चलता जाता है। जुडीशियल इन्क्वायरी करके आप रह जाते हैं। कांग्रेस के मेमोरेण्डम में जिनके नाम दिये गए हैं, उससे आपको पता चल सकता है। जो लोग ड्यूटी पर थे उनके नाम ड्यूटी की लिस्ट से मालूम हो सकते हैं। ये एफ० आई० आर० से साबित नहीं होंगे। एफ० आई० आर० कहाँ दर्ज होती है। अगर कोई मुसलमान एफ० आई० आर० लिखाने जाता तो उसके हाथ-पांव तोड़ कर उसे रवाना कर दिया जाता। इसमें एफ० आई० आर० का कोई सवाल नहीं उठता है।

मुरादाबाद में कितने लोग गिरफ्तार हुए, उनमें से कितने मुसलमान गिरफ्तार हुए ? अफवाहें फैलाने के लिए कहा जाता है। अफवाहें प्रेस वाले फैलाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया होता। लखनऊ में मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि 15 हजार बम निकले हैं और मस्जिद से निकले हैं। मुझे सुनकर बड़ी हैरानी हुई। मुझे यह भी बताया गया कि ये अलीगढ़ और मुरादाबाद में सप्लाई हो रहे थे। बाद में मैंने जानकारी की तो पता चला कि ये 15 हजार दीवाली के पटाखे थे और जिसकी साइकल पर ये पटाखे थे और जिससे गिर गए थे वह मुसलमान नहीं था। अलीगढ़ में कहा गया कि दो सिपाही मार दिये गए। इस पर वहां तमाम औरतों को बेइज्जत किया गया और दुकानों को लूटा गया। उनको मारने वाला कौन था ? वह रेशमपाल था जिसको गिरफ्तार किया गया है और उसका नाम आज तक पुलिस नहीं बता सकी है। ऐसे ही जो जो नाम बताये गए थे उनके बारे में भी पुलिस बताने को तैयार नहीं है।

मेरा आप से निवेदन हैं कि सी० आर० पी०, बी०एस०एफ० और आर्मी की मुसलमान तारीफ करते हैं। आप सी० आर० पी० में पीस फोर्स बना कर उसे ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। असल बात तो यह है कि यू० पी० में पी० ए० सी० और पुलिस जिसकी कि 24 घंटों की लोगों से डीलिंग होती है, उसकी जांच कर उसमें माइनोरिटी की सही परसेन्टेज होनी चाहिए ताकि मौके पर माइनोरिटी की हिफाजत हो सके। जब तक मौके पर सी० आर० पी० या आर्मी पहुंचती है तब तक वहाँ काम तमाम हो जाता है। इसलिए आपको इस पर गौर करना चाहिए।

बी० एस० एफ० और आर्मी तथा सी० आर० पी० की तारीफ की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अलीगढ़ में रहमान की सराय पर आर्मी तैनात थी। वहाँ से वे एक बुढ़िया को शमशाद बिल्डिंग तक ले जाते थे और जब वे वापस ड्यूटी पर आते थे

तो उसको साथ में अपनी कार में ले आते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सी० आर० पी०, बी० एस० एफ० और आर्मी की मुसलमान बहुत तारीफ करते हैं लेकिन असल चीज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले लोगों के दिमागों को ठीक करना और उनमें से खराबियों को दूर करना है। आप उनके दिमागों और दिलों को ठीक कीजिए।

इस तरीके से खाली फर्जी कामों से काम नहीं चलने वाला है। आखिर में मैं सिर्फ एक शेर पढ़ कर अपनी बात को खत्म करूंगा—

"तारीख ने नजरों में वो दौर भी देखे हैं,
लमहों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई।"

श्री जगजीवन राम (सासाराम) : चेयरमैन साहब, मिस्टर खान की तकरीर के बाद अब कुछ बयान करने को नहीं रह गया है।

साम्प्रदायिकता की परिभाषा को कुछ बढ़ाने की जरूरत है। हिन्दुस्तान में जो दंगे हो रहे हैं, सिर्फ साम्प्रदायिक नहीं हैं, जातिगत भी हैं। नेशनल इंटेग्रेशन कौंसिल में उसको शामिल कर लिया गया था। जाति के आधार पर द्वेष से जितने दंगे होते हैं, उनको भी साम्प्रदायिक झगड़ों में शुमार किया गया। पिछले दिनों इतने साम्प्रदायिक और जातिगत दंगे हुए हैं, ऐसे हुए हैं कि जिससे किसी राष्ट्र का सिर शर्म से झुक जाएगा। मैं यहां पर किसी राजनीतिक दल के ऊपर तोहमत लगाने का प्रयत्न नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो कुछ हो रहा है यह राष्ट्रीय कलंक है, लेकिन जब शासन की तरफ से से ढिलाई होती है उस वक्त कुछ कहना जरूरी हो जाता है।

मुरादाबाद में घटना हुई, मैं भी वहां गया था और उस वक्त गया था जब घटना बिल्कुल ताजी थी। मेरी खुशकिस्मती रही कि हिन्दु नेता भी मुझसे मिले, मुसलमान नेता भी मिले और कुछ वैसे नेता भी मिले जो कहते थे कि न हम हिन्दू हैं न मुसलमान हैं। अलग-अलग मिले, एक साथ मिले और सबों की एक ही शिकायत रही। एक बहुत ही प्रोत्साहन देने वाली बात थी कि हिन्दुओं ने भी कहा, मुसलमानों ने भी कहा कि कल तक जो गुजर गया सो गुजर गया, आगे हमको मिल कर के रहना है, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि हमको यहीं पर रहना है, एक साथ रहना है, हिन्दुस्तान में रहना है। मैंने शासन के अधिकारियों को भी बुलाया। मुरादाबाद के बारे में जितनी भ्रांतियां फैलाई गई थीं, उनको दूर करने के ख्याल से मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। भ्रांतियां ये फैलाई गई थीं कि मुरादाबाद में बहुत हथियार हैं। मुसलमान जब नमाज पढ़ने गया ईदगाह में तो अपनी जेब में पिस्तौल रखकर के गया और झगड़ा करने के लिए तैयार होकर के गया। मैंने एस० पी० से पूछा कि मुरादाबाद में कितने हथियार हैं और मैं उसको बयान कर रहा हूं। उनका जवाब था कि मुरादाबाद में हथियार हैं, कंट्री मेड भी हैं, और फैक्ट्री मेड भी हैं,

जो नाजायज तरीके से बने हैं वे भी हैं जो कारखाने में बने हैं वे भी हैं। हिन्दुस्तान के बने हुए हैं और विदेश के बने हुए भी हैं, लेकिन ये हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों के पास हैं। चेयरमैन साहब, लोग कहते थे कि मुसलमान जब नमाज पढ़ने गया तो जेब में पिस्तौल रख करके गया। जेब में पिस्तौल रखा और कंधे के ऊपर लड़के को खूब सजा करके रख दिया। आप खयाल करें कि कोई बाप यह करेगा क्या ? मामूली अक्ल की बात है। कहने वाले को इतना शऊर भी नहीं कि जो बाप जेब में पिस्तौल को ले जाएगा वह अपने बच्चे को, बच्ची को कंधे पर सजा कर नहीं ले जाएगा कि वह गोली चलाने जा रहा था। ईदगाह में कौन होते हैं ? 99 प्रतिशत मुसलमानों होते हैं, हिन्दू तो होते नहीं। तो मुसलमान जेब में पिस्तौल लेकर गये, मुसलमानों को मारने के लिए ? यह तौहमत लगाने वाले में इतना शऊर भी नहीं रहा, अक्ल भी नहीं रही, लेकिन इन्सान जब झूठ बोलने लगता है तो झूठ जादू की तरह सर पर चढ़ कर बोलने लगता है।

एस० पी० ने कबूल किया कि मुरादाबाद औद्योगिक शहर है, 70, 72 करोड़ रुपये फोरन एक्सचेंज वहां से अर्जित होते हैं। हिन्दू भी विदेश जाते हैं और मुसलमान भी विदेश जाते हैं और जो बाहर जाता है, होम मिनिस्ट्र को शायद जानकारी हो, वह वहाँ से कोई न कोई हथियार ले आता है। अगर अपने आप इस्तेमाल नहीं करता है, तो बेच देता है, उससे 5,7 हजार का मुनाफा उसे हो जाता है। होम मिनिस्टर कितना इसका ध्यान रखते हैं, यह वह जानें।

मुरादाबाद में शिकायत पुलिस के अधिकारियों की नहीं, बल्कि उनकी तो लोगों ने तारीफ की, हिन्दुओं ने भी और मुसलमानों ने भी, दोनों ने तारीफ की। बी०एस०एफ० की भी तारीफ सुनी और आर्मी वालों की भी तरीफ सुनी, लेकिन पी०ए०सी० जिसका शिकार पंडित कमलापति त्रिपाठी जी भी हुए और न मालूम कितने शिकार हुए, उनसे तो हिन्दू और मुसलमान दोनों मुरादाबाद में त्राहि त्राहि कर रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में न पी० ए० सी० सरकार का पिंड छोड़ने वाली है और न पी० ए० सी० का पिंड उत्तर प्रदेश सरकार छोड़ने वाली है।

बनारस में जो घटना हुई थी, वहाँ पर भी यही शिकायत थी कि लूट-पाट पी० ए० सी० ने की। मुरादाबाद में, मैं चाहूंगा कि होम मिनिस्टर इसका जवाब दें, मुसलमानों की यह तौहमत थी कि जिस वक्त कर्फ्यू लागू था, उस वक्त उनकी कुछ बड़ी-बड़ी दुकानें लूटी गई। तो कर्फ्यू के वक्त में अगर दुकानें लूटी जाएंगी, तो कौन लूटेगा ? पहरेदार के अलावा और कौन लूट सकेगा ? पहरा किसका था, यह होम मिनिस्टर के कागजों में मौजूद होगा। कर्फ्यू के वक्त में बड़ी-बड़ी दुकानें मुसलमानों की लूटी गई किसने लूटीं और आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

हिन्दुओं की भी कुछ दुकानें लूटी गई हैं, लेकिन जो चालाक लूटनेवाला होता है

वह कुछ न कुछ पर्दा डालने की कोशिश करता है। तो यह तो मालुम होगा कि मुसलमानों की कितनी बड़ी-बड़ी दुकानें लूटी गई और हिन्दुओं की कैसी लूटी गई। इससे जाहिर हो जायेगा कि लूटने वाला कौन था। मैंने इन 2-3 बातों का जिक्र इसलिये कर दिया कि मुरादाबाद में जब घटना हुई तो वहां जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, जिसका ट्रांसफर कर दिया गया, उसकी जगह जो बुलाये गये वह ट्रांस्फर किये गये से जूनियर थे। जब इस तरह की घटना हो जाये, लोग परेशान हों, मुल्क में परेशानी हो तो उस समय जरूरत होती है कि तजुर्बे के अफसर को वहां भेजा जाये, लेकिन भेजा गया जूनियर को और जिसको कभी इस तरह की घटना को संभालने का कोई अवसर नहीं मिला था, यह पहला मौका था उसके लिये।

मैं इस बात का जिक्र इसलिये कर रहा हूं कि शासन को इस बात का तो ध्यान रखना चाहिये कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो वहां पर तजुर्बेकार अफसरों को भेजा जाये, ना तजुर्बेकार अफसरों को भेजने से हालात और बिगड़ते हैं। मैंने कहा था कि मुरादाबाद में जो बदली हुई है और जो अफसर वहां भेजे गये हैं, इससे क्या यह जाहिर नहीं हुआ कि सरकार कितनी सीरियस कटिबद्ध थी, वहां की हालत का मुकाबला करने के लिये ?

खैर आग भड़की और कई शहरों में गई। क्या क्या हालत हुई, उसके अंकड़े होम मिनिस्ट्री में होंगे, उनको ब्यान करने की जरूरत मैं नहीं समझता, अखबारों में वह निकलते रहते हैं। शहरों में साम्प्रदायिक दंगे, देहातों में जातिगत दंगे, हिन्दुस्तान में हो रहे हैं। यहां की राष्ट्रीयता खंडित है यहां संस्कृतियों की धाराएं बराबर समानान्तर बह रही हैं। इस देश में कैसे राष्ट्रीयता उभरेगी, कहीं, कभी सोचा है आपने ? राष्ट्रीयता आपकी खंडित हो गई है और दिन-प्रतिदिन खंडित होती जायेगी। आपको कभी समझने का अवसर मिलता है ? यहां हिन्दुओं के त्यौहार अलग होते हैं, मुसलमानों के अलग होते हैं। और हिन्दुओं में भी जाति-अभिमानियों के त्यौहार अलग हैं। गरीबों के त्यौहार अलग हैं। महलों की संस्कृति अलग है और झोपड़ियों की संस्कृति अलग है।

क्या आपने कभी यह सोचा कि हमारे यहां ऐसे राष्ट्रीयपर्व उभरें, जिनमें हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख और ईसाई सभी शामिल हो सकें, ब्राह्मण और भंगी शरीक हो सकें ? इंडिपेंडेंस डे राजनैतिक है सामाजिक नहीं है। हम कई भिन्न भिन्न धर्म वाले सदियों से एक -साथ रहते आ रहे हैं। क्या हम एक दूसरे को जान पाये हैं ? क्या कोई हिन्दू दावा करेगा कि वह मुसलमान को जानता है ? क्या कोई मुसलमान दावा करेगा कि वह हिन्दू को जानता है ? कितने पढ़े-लिखे हिन्दू हैं, जो मुस्लिम धर्म के मोटे मोटे सिद्धांतों की जानकारी रखते हैं ? कितने मुसलमान ऐसे हैं, जिनको मोटे तौर पर रामायण की कहानी भी मालुम है ? यह कुसूर उन्हीं का है या हमारा है ? क्या हमने कभी कोशिश की कि वे एक दूसरे को समझ सकें और जान सकें, एक दूसरे को नजदीक से देख सकें ?

हिन्दुओं में आम धारणा है कि मुसलमान गोमांस खाता है। लेकिन जिस हिन्दू को मौका मिला है मुसलमानों के साथ उठने-बैठने का और जानने का, वह दावे के साथ कह सकता है कि गरीब मुसलमानों की बात छोड़ दें, लेकिन मिडिल क्लास मध्य श्रेणी के मुसलमानों में बहुत कम लोग गोमाँस खाते हैं, और जो खाते भी हैं, उनके किचन में आज तक गोमांस नहीं गया है। आम हिन्दुओं के दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि हर मुसलमान गौ मास खाता है। इसको कैसे निकालेंगे, जब तक आप मुसलमानों के साथ मिले-जुलेंगे नहीं। दीवाली जैसे पर्व को भी हम इस देश में राष्ट्रीय पर्व नहीं बना सके हैं। उसमें सब हिन्दुस्तानी शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर ये समानान्तर संस्कृतियाँ बढ़ती रहेंगी, तो आप राष्ट्रीयता का विकास नहीं कर सकेंगे। इसको रोकने की जरूरत है। और इसको रोकने के लिए मैं सुझाव दूं ? जनाब होम मिनिस्टर साहब के दफ्तर में सारे सुझाव पड़े हुए हैं। उन फाइलों पर धूल और गर्द पड़ी हुई है। उनको झाड़कर पढ़ने वाला कोई नहीं है।

महाराष्ट्र से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक में जितने भी दंगे हुए हैं, उन सब पर एनक्वायरी कमीशन बैठे। यह बात सही है कि अगर जल्दी काम न करना हो, टालना हो, तो एनक्वायरी कमीशन बिठा दो। जब तक रिपोर्ट आएगी, तब तक वाकयात भूल जायेंगे और जब तक लोगों को सजा होगी, तब तक यह भी पता नहीं रहेगा कि सजा किस बात की हुई है। यह हमारे कानून और अदालत की कार्यवाही की हालत है।

अब तक कितने लोगों को सजा हुई है ? किसी को गोली से उड़ा दो। मुकदमा चलता रहेगा। जिसने गोली से उड़ाया है, वह पैरवी करता है और जो गोली से उड़ाया गया है, उसकी पैरवीकार सरकार है। और सरकार की पैरवी कैसी होती है, यह होम मिनिस्टर साहब को भी मालूम है और मझे भी मालूम है। सजा हो कैसे ? सारे लोग खरीद लिये जाते हैं।

एनक्वारी कमीशन बैठे। सबने सुझाव दिये। एक सुझाव यह था कि जिले के पदाधिकारी सतर्क रहें, वे देखें कि अगर कहीं पर तनाव हो, तो पहले से प्रिवेन्टिव एक्शन लें, रोकथाम की कार्यवाही करें और अगर वे एक्शन नहीं लेते हैं, कार्यवाही नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये। मैं पूछना चाहता हूं होम मिनिस्टर साहब से कि क्या एक भी जिला पदाधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है।

एक माननीय सदस्य : एक भी नहीं।

श्री जगजीवन राम : क्या यह कभी मालूम नहीं हो पाता है कि तनाव बढ़ रहा है ? क्या यह मालूम नहीं हो पाता है कि टकराव होने की संभावना है ? अगर मालूम नहीं होता है, तो वह अधिकारी गफलत में रहता है, उसपर कार्यवाही होनी चाहिए। वह अपने कर्त्तव्य को नहीं निभाता है। उसके शहर में तनाव की स्थिति पैदा हो और

उसे मालूम न हो, यह उसकी भी गफलत है और सरकार की इन्टेलिजेंस खुफिया विभाग की भी गफलत है। अब मैं यह नहीं कहूंगा कि गफलत है। आखिर इन्टेलिजेंस खुफिया विभाग में कौन लोग हैं ? दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में जितनी बातों का फैसला किया जाता है कहीं न कहीं जाति का जहर उसको कलुषित जरूर करता है। इन्टेलिजेंस वाला भी देखता है कि ऐसा होना है, अगर वह भी जाति के जहर से भरा हुआ है तो समझता है कि ऊपर के अधिकारियों को खबर देने की क्या जरूरत है, ठीक ही है, इनको दुरुस्त किया जाएगा।

इस तरह से आज नये सुझाव हम दें, उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। जितने सुझाव इसके लिए, संभव हो सकते हैं सब होम मिनिस्ट्री की फाइल में मौजूद हैं और दो दो तीन तीन दफा उन्हें दोहराया जा चुका है। 78 और 79 में भी होम मिनिस्ट्री के ऊपर हम लोगों ने कुछ कार्यवाहियाँ की थीं। कुछ सदन के सदस्य भी थे, उन सुझावों को फिर ताजा करने के लिए एन्क्वायरी कमीशन की सारी रिपोर्टों को देख कर के यह काम किया गया था, आप के अधिकारियों ने किया था और हम लोगों ने बनवाया था और कहा था कि इन पर अमल करवाया जाय।

राज्य सरकारों को सर्कुलर भेजे जाते हैं। आप के सर्कुलरों को कितनी राज्य सरकारें पढ़ती हैं, इसकी तो जानकारी कीजिए, अमल करते हैं कि नहीं करते हैं, वह तो सब किसी को मालूम है। आप का हुकम कितना चलता है इसकी जरा आप जानकारी कीजिए। बुरा न मानिए अगर मैं कहूं कि आज आप का हुकम आप के सेक्रेटैरिएट में भी नहीं चल रहा है। जब इंसान को अपने से डर लगने लगता है तो पुलिस का वह मुकाबिला नहीं कर सकता। आप माफ कीजिएगा, मैं खुले शब्दों में कहता हूं, आप पुलिस के ऊपर कार्यवाही करने से डरते हैं और जब तक पुलिस के ऊपर आप कड़ाई नहीं करेंगे देश की बिगड़ती हालत को आप नहीं सुधार सकेंगे। ठीक है हिन्दू और मुसलमान टकरा जायं, यह समझने लायक बात है। ब्राह्मण और ठाकुर का कमजोर वर्गों के ऊपर अत्याचार हो, यह शायद समझने लायक चीज हो सकती है। स्वार्थ का टकराव होता है। लेकिन आप और पुलिस जो इन की हिफाजत के लिए हैं वह अगर एक दल के साथ मिल जायं तो इस मुल्क के अल्पसंख्यकों, इस मुल्क के कमजोरों को क्या रास्ता रह जाता है ?

कब तक इस मुल्क के मुसलमान यह सफाई देते रहेंगे कि हम मुल्क के वफादार हैं ? यह शर्म की बात नहीं है कि एक मुसलमान खड़ा हो और वह कहे कि हम हिन्दुस्तान के वफादार हैं ? क्या वफादारी हिन्दुओं की बपौती है ? क्या मुसलमानों ने साबित नहीं किया है कि जब मुल्क का तकाजा हुआ है तो कुर्बानी करने में वे किसी से पीछे नहीं रहे हैं ? क्या मुल्क का भेद बाहर के मुल्कों को देने वाले केवल मुसलमान रहे हैं ? आप संख्या निकलवाइए, ऐसा काम करने वाले हिन्दू ज्यादा रहे हैं, मुसलमान नहीं। लेकिन

बदकिस्मती है कि इस देश के हर एक मुसलमान को रोज यह सफाई देनी पड़ती है कि हम मुल्क के प्रति वफादार हैं। क्यों ? वफादारी किसी की पैदायशी चीज है क्या ?

कमजोर वर्गों की बात लें जो अल्पसंख्यक नहीं हैं। इस देश का यह एक दुर्भाग्य है कि मुठ्ठी भर लोग अवाम के ऊपर राज्य करते हैं और वह जो मेजारिटी में हैं, बहुसंख्यक है, उनको कमजोर वर्ग का विशेषण दिया हुआ है, दबाया जा रहा है। उनके ऊपर अत्याचार होता है, उनकी सुनवाई कहाँ होती है ? साम्प्रदायिक दंगों से ज्यादा जहरीले जातिगत दंगे हैं, इसको याद रखें। इन जातिगत दंगों से हिन्दुस्तान का हर एक गांव टूट रहा है, आप की कृषि टूट रही है, आप की राष्ट्रीयता टूट रही है। इसको बचाने की कोशिश कीजिए। यहां पर हृदय को टटोलने की जरूरत हो जाती है।

यह दुर्भाग्य का विषय है कि इस देश का हर एक फैसला जाति के आधार पर होता है। हर एक के दिल में उसके किसी कोने में उसका जात्याभिमान भरा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश कीजिए तो मैं समझता हूं जल्दी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम नेशनल इंटिग्रेशन कौंसिल में बैठते हैं लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि परस्पर-विरोधी स्वार्थों का इंटिग्रेशन नहीं हुआ करता है ? अगर कोई करदे, परस्पर विरोधी स्वार्थों का इंटिग्रेशन तो मैं समझता हूं वह भगवान है या जादूगर है। यह नहीं हो सकता है और न ही होगा। जब तक हम एक दूसरे को ससझने की नीचे से कोशिश नहीं करेंगे, नेशनल इंटिग्रेशन कौंसिल में बैठकर हम राष्ट्र का इंटिग्रेशन नहीं कर सकते हैं और हमने एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की है। देश विभाजित है, भिन्न-भिन्न धर्मों में, लेकिन याद रखिए, यह देश बहुधर्मी रहेगा। कुछ लोग लाख कोशिश करें कि यहाँ पर हिन्दू राष्ट्रीयता फैल जाए लेकिन यह असम्भव बात है। हिन्दू राष्ट्र न कभी बना है और न कभी बनने वाला है। हिन्दू की परिभाषा बन नहीं सकती है। एक दफा मैं एक मित्र से बहस कर रहा था कि अगर हिन्दुओं का राज हो जाए तो किसका राज होगा ? झगड़ा शुरू हो जायेगा कि ब्राह्मणों का राज हो या ठाकुरों का राज हो और हमारे जैसे लोग कहेंगे कि हमको इन दोनों से माफ करो। लेकिन कुछ लोग हैं जो कल्पना करते हैं कि इस देश में हिन्दू राष्ट्र बनेगा और कहते हैं कि राष्ट्रीयता उसी की सही है जो इस देश में पैदा हुए धर्मों में से ही किसी को मानने वाला हो मैं पूछता हूं कितने देश हैं इस दुनिया में जो अपने देश में पैदा हुए धर्मों को मानते हैं ? इसलिए इस जहनियत को खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए और सही माने में सेक्युलर डिमोक्रैसी बनाई जाए। सेक्युलर के माने अधार्मिक नहीं है कि हम धर्म की कोई जानकारी न रखें। सेक्युलर का अर्थ यह है कि जितने धर्म हैं देश में सभी के मौलिक सिद्धांतों की जानकारी रखें। अगर यह जानकारी नहीं रखी जाती है तो हम सेक्युलर नहीं बन पाते हैं। वह व्यक्ति सेक्युलर नहीं बन सकता जो दूसरे धर्म की इज्जत करना

जानता है। और जो दूसरे धर्म की इज्जत करना जानता वह अपने धर्म की इज्जत कभी नहीं कर सकता है।

(व्यवधान)

घंटी हो गई है, मैं जानता था, लेकिन मैं सुझाव देता हूं कि खुदा के नाम पर स्कूल के विद्यार्थियों को कुछ धर्म की बातें बताइये ताकि वे सही हिन्दू, सही मुसलमान बन सकें। सही हिन्दू और सही मुसलमान बनकर ही वे सही इनसान बन सकें और हिन्दुस्तानी बन सकें। आज जरूरत इस बात की है कि उनको सही हिन्दुस्तानी बनाया जाए। आज बदकिस्मती यह है कि इस देश में बहुत थोड़े हिन्दुस्तानी हैं। हिन्दू और मुसलमान बहुत हैं लेकिन हिन्दुस्तानी बहुत कम हैं। आप देश की तालीम और जहनियत को इस दिशा में मोड़िए। कम से कम पढ़े लिखें लोगों की जहनियत हिन्दुस्तानी और इन्सानित की जहनियत हो सके। लेकिन जब सोचते हैं तो अपने दायरे में सोचते हैं, जात्याभिमान से हमारा पिंड नहीं छूटता है। पर यह मल्टी-रेलिजस कन्ट्री बहुधर्मी देश है और हमेशा रहेगा। इतना ही नहीं, हिन्दू धर्म तो खुद फेडरेशन आफ कास्ट एण्ड फेथ है जातियों और धर्मों का महासंघ इसको आप सब भूल जाते हैं। हिन्दुओं में जहां एक तरफ सहिष्णुता है, वहां दूसरी तरफ अंधविश्वास भी है। इन दोनों का समन्वय करने का काम सरकार का होता है। अगर उनकी कट्टरता बढ़ती है, तो इसका कसूर सरकार के ऊपर जाना चाहिए। मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी अलमारियों से फाइलों को निकालें और उनमें देखें कि इन्क्वायरी कमीशनस् ने कितने सुझाव दिए हैं और उन सुझावों के ऊपर कब तक आप अमल करा सकेंगे। मैं आपको एक बरस की अवधि देना चाहूंगा, जो भी शिफारिशें हुई हैं, इन्क्वायरी कमीशनस की साम्प्रदायिक और जातीय दंगों को रोकने के लिए, उन पर अगर एक साल में भी आप राज्य सरकारों को राजी करा सकें तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार के दंगे बहुत कुछ कम किए जा सकते हैं। जहनियत को बदलने की जरूरत है। राष्ट्रीय मुख्य धारा बनाने की जरूरत है। समान्तर धाराओं को मिला कर आप एक धारा में ला सकें, तो मैं मानता हूं कि देश का कल्याण हो सकेगा। लेकिन बदकिस्मती तो यह है कि समानान्तर मुख्य धारायें भी हैं और इसके बाद जितनी छोटी-छोटी शाखा धाराएं निकलती हैं, सब समानान्तर हैं, एक में मिल नहीं पाती हैं। महल की संस्कृति और झोंपड़ियों की संस्कृति समानान्तर बढ़ रही है। जात्याभिमानियों की संस्कृति और छोटी जाति कहे जाने वाले लोगों की संस्कृति समानान्तर बढ़ रही है। उनको जब तक एक धारा में नहीं मिलायेंगे, तब तक राष्ट्रीयता का विकास नहीं होगा और इस तरह के झगड़े और दंगे होते रहेंगे। कुछ लोग कोशिश करेंगे, कि दूसरों को मिटा दें, लेकिन कोई मिटने वाला नहीं है और अगर मिटेगा तो मैं कह सकता हूं कि राष्ट्र मिट सकता है, वे नहीं मिटेंगे। इसलिए यदि आप राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप एक प्रबुद्ध प्रयत्न कीजिए छोटी-छोटी धाराओं को एक धारा में मिलाने का। वह

तभी संभव हो सकता है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह इस देश के लिए एक महान कलंक है कि इस देश का देश का कोई सम्प्रदाय अपने को आतंक में महसूस करता है और खास तौर से प्रजातन्त्र के लिए बहुत ही बड़े कलंक की बात है कि किसी भी धर्म का अनुयायी यह महसूस करे कि चूंकि हम इस धर्म के अनुयायी हैं, इसलिए हमारा जीवन खतरे में हैं, हमारा माल खतरे में हैं, हमारी इज्जत खतरे में हैं यह बहुसंख्यक का मका होता है कि अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्ग को आश्वस्त कर सकें कि इस देश में प्रत्येक नागरिक की इज्जत, प्रत्येक नागरिक की जान और प्रत्येक नागरिक की जान और प्रत्येक-नागरिक की सम्पत्ति सुरक्षित है, अगर उसके साथ कोई दस्तअन्दाजी करेगा तो सरकार कड़ाई के साथ उसके साथ पेश आयेगी। आप कड़ाई के साथ पेश आने का आश्वासन तो देते हैं, लेकिन आप खुद अपने दिल को टटोलेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप कड़ाई के साथ पेश नहीं आ रहे हैं।

जैसा मैंने पहले कहा था मुजरिम को जब तक सजा दी जाती है, तब तक दुनिया भूल जाती है कि इन्होंने क्या कसूर किया था। आप सजा उस वक्त दीजिए जब लोगों को मालूम हो कि किस गुनाह का मुजरिम है। अगर इसमें आप परिवर्तन कर सकें तो मैं समझता हूं कि देश में अल्पसंख्यकों को और कमजोर वर्ग के लोगों को कुछ विश्वास आप लोगों के ऊपर हो सकेगा।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : चेयरमैन साहब, हम सब लोग माननीय बाबू जी का आदर करते हैं और और उन्होंने अपने भाषण में बहुत अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि दिल टटोलना चाहिए और उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं समझता हूं कि उन प्रश्नों का उत्तर होना ही चाहिए। उसका उत्तर सरकार को भी देना है, उसका उत्तर मुझे भी देना है और उसका उत्तर देश की जनता को भी देना है तथा उसका उत्तर विरोधी दलों को भी देना है, उसका उत्तर बाबूजी को भी देना है। अभी बाबूजी ने कहा कि कब तक मुसलमान इस देश में वफादारी का सबूत देता रहेगा। आपके द्वारा मैं माननीय बाबू जी से पूजना चाहता हूं कि मुसलमानों से यह वफादारी का टैस्ट, लायल्टी का टैस्ट किसने मांगा ? कौन लोग हैं, जिन्होंने यह कहा कि मुसलमान वफादार नीं है, कौन लोग हैं जिन्होंने कहा कि मुसलमानों पर एतबार नहीं करते, कौन लोग हैं, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ प्रचार किया, कौन लोग हैं, तो आज भी मुसलमानों के खिलाफ अपनी शाखाओं में प्रचार करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने तो नहीं कहा। बाबू जी आप स्वयं पिछले तीन-चार बरसों को छोड़ कर कांग्रेस में रहे हैं। बाबूजी ,आप तो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। अगर इस सदन सदस्य ऐसा है जो 32-33 साल तक शासन में रहा है, जो कि सबसे ज्यादा लम्बा अर्सा हैं और जिसने सबसे ज्यादा देश की फाइलों को देखा है—तो वह आप हैं। बाबू जी,

मैं आप का बड़ा आदर करता हूं, छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं एक छोटा सा कार्यकर्त्ता हूं और मेरे जैसे कार्यकर्त्ता ने आप जैसे बड़े नेता से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं—आपने उन्हीं लोगों को—मैं आर० एस० एस० का नाम लेकर कह रहा हूं—आपने अपने ब्यानों में अच्छे सर्टिफिकेट दिये हैं।

(व्यवधान)

बाबू जी, ये बातें रिकार्ड में है, आपके स्टेटमेंट्स हैं। आप ने उनके साथ मिल कर अपनी सरकार बनाई। आज आपका कहना यह है कि इस देश में जातिवाद और फिरके दाराना स्थिति बहुत खराब हो गई हैं, जातिवाद बहुत बढ़ गया है। बाबूजी, आप इसके खिलाफ रहे हैं, मैं जानता हूं। मुझे आप पर विश्वास है, लेकिन जातिवाद को सबसे ज्यादा बढ़ावा क्यों मिला, कैसे मिला, किस समय मिला ? उस समय मिला जब आपने साम्प्रदायिकता की विरोधी ताकतो को छोड़कर साम्प्रदायिक और जातिवाद की ताकतों के साथ नाता जोड़ा और अपने देश में जो सैकुलरिज्म की फोर्स है—कांग्रेस—बाबूजी, मुझे माफ कीजिये—आपने उसको कमजोर किया। आप उस समय उस सैकुलरिज्म की फोर्स की बहुत बड़ी शक्ति थे, आपमें बोलने की शक्ति थी, लिखने की शक्ति थी, काबलियत थी, लेकिन अफसोस यह है कि आपने उस सैकुलर शक्ति का साथ छोड़ कर फिरकापरस्त शक्तियों का साथ दिया, उनके साथ मिलकर हुकूमत चलाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं—उन पौने तीन सालों में क्या कभी आपने कम्यूनलिज्म के खिलाफ कोई ईशू उठाया, किसी खिलाफ कुछ कहा ? आपने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा और आप उस कुर्सी से उस समय गये, जब आपको उससे हटना पड़ा। उसके बाद भी—जनता पार्टी और लोक दल के टूटने बाद भी आपने जनसंघ और आर० एस० एस० के एलीमेंन्टस का नेतृत्व करने की कोशिश की।

मैं आप का बहुत आदर करता हूं, यह सब बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि आपके कदमों में बैठ कर बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इस देश में उन पौने तीन सालों में जातिवाद और कास्टिज्म ज्यादा बढ़ा और आप खामोश रहे है। उसके पहले भी हालात खराब रहे हैं, उसके लिए जितना मैं जिम्मेदार हूं उससे ज्यादा बाबू जगजीवन राम जी जिम्मेदार हैं, वे 30 वर्षों तक शासन में रहे—इस लिए उन पर मुझ से ज्यादा जिम्मेदारी आती है। 30 साल तक आपने कुछ नहीं कहा, आज आप कह रहे हैं कि देश का उत्पादन टूट रहा है, खेती का नाश हो रहा है। आज इस स्थिति को कौन पैदा कर रहा है ? "रास्ता रोको" आन्दोलन कौन चला रहा है ? क्या हम चला रहे हैं या वे चला रहे हैं जिनके साथ बाबू जगजीवन राम का—

श्री जगजीवन राम : कांग्रेस (आई) के जनरल सैक्रेटरी उसमें शामिल हैं।

(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : चेयरमैन साहब, जब किसानों ने—

सभापति महोदय : अभी तक एक बात है—तीखे प्रहार हुए, लेकिन सब ने शान्ति-पूर्वक सुना । अब तो भगत जी बोल रहे हैं···

श्री एच० के० एल० भगत : मैंस च बोल रहा हूं, इसलिए सच कड़वा लग रहा है ।

जब किसानों के नुमाइन्दों ने कहा कि हमें कुछ भरोसा हो रहा है, सरकार पर, तो उन्होंने रास्ता रोको आन्दोलन वापस ले लिया । लेविन जार्ज फरनांडीज साहब ने कहा—सड़क रोको, खेत रोको, अनाज मत जाने दो—यह सब देश में हो रहा है । 6 पार्टियों का काम्बीनेशन, जिसमें बाबू जगजीवन राम जी की पार्टी भी शामिल है, कांग्रेस (यू) शामिल है—वह चला रही है । यहाँ आप हमें कह रहे हैं कि देश में यह हो रहा है, वह हो रहा है, ज्ञानी जी आप देखिए ।···

(व्यावधान)

इसकी जिम्मेदारी से कोई भी नहीं बच सकता है न केन्द्रीय सरकार, न राज्य सरकारें बच सकती हैं । देश की इंटेलीजेंस एजेन्सी, पी० ए० पी० भी नहीं बच सकती है । विरोधी दल के लोग भी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं । पूरा देश इसके लिए जिम्मेदार है । यह एक नेशनल ग्रेस का मामला है ।

हमारे भाई श्री ज्योतिमय वसु ने इस हाउस में राइटुअस स्पीच दी । जब भी कोई जुर्म होता है, कोई भी खराब होती है तो उसके पीछे कोई मोटिव होता है । मैं साफ कह देना चाहता हूं कि हमने या हमारी पार्टी के किसी मेम्बर ने यह नहीं कहा कि मुसलमानों ने हथियार जमा किये मुसलमानों, ने कोई साजिश की या उन्होने कोई प्रचार किया । मैं दावे के साथ अपनी पार्टी की तरफ से कहता हूं कि मुसलमानों ने कोई साजिश नहीं की, उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया । यह प्रचार फिरकापरस्त ताकतों ने किया, यह प्रचार आर्गेनाइजर ने किया, यह प्रचार आर० एस० एस० ने किया, यह प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने किया, यह प्रचार लोक दल ने किया । यह प्रचार हमने नहीं किया । आप जरा सोचिए, आनरेबल मेम्बर श्री ज्योतिर्मय वसु ने यह कहा···(व्यवधान) उन्होंने यह कहा कि पहले मुसलमानों के वोट ले लिए, उसके बाद उनको छोड़ दिया और कह दिया कि अब जरूरत नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि ये जो दंगे होते हैं या और कुछ होता है उसके पीछे एक मोटिव होता है । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मुसलमानों पर यह होता है तो उससे कांग्रेस आई को क्या फायदा हो सकता है ? हमें तो उससे नुकसान होता हैं । मुसलमानों ने हमें सपोर्ट किया, उनके मेजोरिटी वोट हमें मिले । हिन्दुओं के वोट भी हमें मिले (व्यवधान) मैं कहता हूं कि मुसलमान बहादुर लोग हैं । उनको डराकर धमका कर कोई वोट नहीं ले सकता है । यह कह कर आप मुसलमानों की तौहीन कर रहे हैं । (व्यवधान) चेयरमैन साहब, इन्हें मिर्च क्यों लग रही है ? सच्चाई कड़वी होती है ।

सभापति महोदय : आपकी बातों का असर हो रहा है।

श्री एच० के० एल० भगत : चेयरमैन साहब मैं यह कह रहा था कि हमने ऐसा नहीं किया। बहुत दिनों से मैंने बाबू जी को हाउस में नहीं देखा, न ही उन्होंने कोई भाषण किया। इस कम्युनल रायट् पर उन्हें तकरीर करने का मौका मिला। मैं यहाँ जानना चाहता हूं कि आखिर हमारी कांग्रेस आई को इससे क्या फायदा हो सकता है ?

मुरादाबाद के हमारे आनरेबल मेम्बर ने एक बात कही वहां मैंने कुछ गुण्डों को देखा। लेकिन में मुरादाबाद के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्यों कि वहाँ जुडीशियल इन्क्वायरी आर्डर हो चुकी है। मेरे एक कांग्रेसी भाई ने यह भी कहा कि इस जुडीशियल इन्क्वायरी का कोईफायदा नहीं है, इसको हल करने के दूसरे तरीके ढूंढ़ने चाहिए। मुरादाबाद के आनरेबल मेम्बर ने कहा कि वहां गुण्डे खड़े थे, फिर सुअर को छोड़ा गया। इस सब से क्या मतलब निकलता है ? मेरा और मेरी पार्टी के लोगों को पक्का यकीन है कि यह बिल्कुल गलत है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि हमने इस बारे में प्रचार किया, कि मुसलमानों के यहां से हथियार बरामद हुए, मुसलमान चाकू और पिस्तौल लेकर गये। यह मुसलमानों को बदनाम करने और कांग्रेस आई के खिलाफ भड़काने और फिरकापरस्ती फैलाने की साजिश है। एक गोली से तीन शिकार करना यह अपोजिशन के लोगों की चाल है।

(व्यवधान)

चेयरमैन साहब, एक बात तो बिल्कुल साफ होती है, और वह यह कि कोई न कोई दिमाग इसके पीछे है। कहीं गाय का गोश्त फिकवा दिया, कहीं सुअर का गोश्त फिकवा दिया, कहीं कुछ करवा दिया, कहीं कुछ करवा दिया तो कोई दिमाग तो उसके पीछे है। हम [हो सकते हैं क्या ? क्या हम चाहते हैं कि हमारी बदनामी हो, क्या हम चाहते हैं कि अफरा-तफरी हो ? क्या हम चाहते हैं कि हम कमजोर हों ? क्या हम चाहते हैं हरिजन हमसे नाराज हो या कोई और नाराज हों ? हमारी पार्टी के वेस्टेड इन्टरेस्ट्स को छोड़ दीजिए, आज देश का तकाजा भी है कि इस देश में मुकम्मल शान्ति रहे, हरिजनों बैकवर्ड क्लासेस, मुसलमानों को पूरा न्याय मिले ताकि गवर्नमेंट पर उनको भरोसा हो। भरोसा तोड़ने में दिल चस्पी इनकी है। अगर शुबहा हो सकता है तो हीडन हैंड्स हैं।

एक बात की बड़ी चर्चा की जाती है, फारन हैन्ड्स के बारे में कह दिया एविडेंस नहीं हैं, क्या कह दिया ज्योतिर्मय बसु ने, एविडेंस की बात कर रहे हैं, बड़ा ताज्जुब हुआ। **टन्स आफ एलीगेशंस एवरी डे, ईन सीजन एण्ड आउट सीजन आफ सेशन,** जो बिल्कूल बनाए हुए होते हैं, एग्जजरेट होते हैं, डिस्टार्टेड होते हैं, भर-भर के एलीगेशंस लगाए जाते हैं। लकीली देश उसको सीरियसली नहीं लेता नहीं तो हम वापस नहीं आते। देश जानता है। वे जानते हैं कि वे किस तरह की बात करते हैं। मेरा कहना यह है चेयरमैन साहब

कि इस समय देश में दंगे हुए हैं, यह हम सब के लिए शर्मनाक बात है।

आखिर में मुझे दो-तीन सुझाव देने हैं। बाबूजी से मैं सहमत हूं। दंगे के केस बहुत लम्बे हो जाते हैं, लोग डर जाते हैं, मर जाते हैं। मैं यह चाहता हूं कि स्पीडी, डे टू डे ट्रायल होना चाहिए। जो दंगे में रेप करता है मेरा कहना है कि उसकी मिनिमम सजा मौत होनी चाहिये। जो दंगे में कत्ल करता है उसकी लाइफ सेंटेंस की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, उनके लिए मौत की सजा होनी चाहिए। ग्रीवियस हर्ट के मामले में 10-12 साल का मिनिमम पनिशमेंट होना चाहिए। पनिशमेंट को बढ़ाना चाहिए।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों ने कहा कि पी०ए०सी० में कम्यूनल एलीमेंट्स हैं। मैं पी० ए० सी० की वकालत नहीं करता। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहता हूं कि वे इन्क्वायरी कराएं और श्री खान ने जो स्पेसिफिक बातें कही हैं उनकी ओर भी ध्यान दिया जाए। मैं अपनी पार्टी के नेताओं से कहूंगा कि इस देश में लोगों के दिमागों में कम्युनलिज्म हैं, कुछ अफसरों के दिमागों में कम्युनलिज्म घुसी हुई है, कुछ पोलिटिकल पार्टियों के लोगों में भी कम्युनलिज्म घुसी हुई है। पहले हमें अपने आप में से इस कम्युनलिज्म को निकालना होगा। मैं सुझाव दूंगा कि हर पार्टी अपना दिल टटोल कर देखे और जो कम्युनल एलीमेंट्स हैं उनको निकाल बाहर करे। इसी प्रकार मुशीर भाई ने कहा, बड़ी स्पेसिफिक बात कही है कि इन्क्वायरी जल्दी होनी चाहिए और जो भी कसूर वार हो उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए। जो मुआवजा दिया गया, रीहेब्लीटेशन के लिए जो मेजर दिया गया, मेरी राय में वह काफी नहीं है। हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए, इससे आगे जाना चाहिए। एक बात है, ज्योतिर्मय बसु साहब, कोई भी बात हो जाए, कहीं कम्युनल राइट हो जाए, कहीं अस्पताल में दवाई न मिले, कहीं बच्चे इम्तहान में फेल हो जाएं, कहीं स्कूल की बिल्डिंग गिर जाए, किसी के यहां लड़का होने के बजाए लड़की हो जाए, कसूर इन्दिरा गाँधी का !

मैं आखिर में सिर्फ यह कह कर खत्म करना चाहता हूं कि पिछला इलेक्शन खाली प्राइम मिनिस्टर के लिए पूरे देश में नहीं था। प्राइम मिनिस्टर तो पहले दो बार बने, चरणसिंह बने मोरार जी भाई बने, पिछले इलेक्शन में जैसा बाबूजी ने कहा कास्ट और कम्युनल के आज के सजेशन को मीट करना था, एक नेशनल लीडर की तलाश थी, जिसके हक में सारादेश बोले।

और वह लीडर, यह मैं देश का सौभाग्य मानता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं। अगर श्रीमती इन्दिरा गांधी की लीडरशिप को आज आप कमजोर करने की कोशिश करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी, कांग्रेस (आई)

श्रीमती गांधी और कांग्रेस (आई) आज वर्ग-भेद साम्प्रदायिक अशान्ति के विरोध

में खड़े हैं, श्रीमती गाँधी तो स्थायित्व की समर्थक है; वह अव्यवरूप और साम्प्रदायिक दंगों एवम् जातिवाद की विरोधी हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद।

*श्री इरा मोहन (कोयम्बटूर) : सभापति महोदय, अपने दल द्रावड़े मुनेत्रकड़गम की ओर से, मैं इस समय चर्चाधीन साम्प्रदायिक दंगों संबंधी संकल्प पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि धर्म, देवताओं तथा जाति के नाम पर हत्याएं, लूटपाट, बलात्कार और दंगे करना हमारे समाज में एक सामान्य बात हो गई है। ऐसी बात नहीं है कि गत तीन महीनों के दौरान ही इन घटनाओं की संख्या तथा प्रचण्डता में वृद्धि हुई है। अपनी स्वाधीनता के दिन से ही हम देश में रुक-रुक कर निरन्तर हो रही साम्प्रदायिक हिंसा संबंधी समस्याओं पर चर्चाएं करते रहे हैं। तो भी हम इस समस्या का कोई चिरस्थायी हल नहीं ढूंढ पाये हैं। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि इस समस्या पर राजनैतिक लाभ का मोह त्याग कर विचार करने की जरूरत है।

मेरा विचार है कि हमारे समाज के मूल आधार में ही कोई त्रुटि है। हमारे बच्चों के पालन-पोषण की रीति में ही कोई बात भयंकर रूप से कम है। इस संदर्भ में हमारे बाबू जगजीवन राम द्वारा अभी व्यक्त किए गए मूल्यवान विचारों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। "कैच दैम यंग" (बचपन में ही संभालो) की अंग्रेजी उक्ति के अनुसार हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूली पाठ्य-पुस्तकों में सामाजिक सुधार से संबंधित आत्म-सम्मान के आदर्शों एवम् युक्ति संगत विचारों पर आधारित पाठ शामिल किए जायें। साम्प्रदायिक और जाति-संघर्ष की दुर्भावना से मुक्त समाज के द्रुत निर्माण क्षेत्र में बच्चों का मस्तिष्क एक उपजाऊ क्षेत्र की तरह काम करता है।

भारत में नैतिक आदर्शों से युक्त पौराणिक ग्रंथों की भरमार है। जितने देवी देवता भारत में मान्य हैं उतने विश्वभर में कहीं भी नहीं हैं। मानवता के शत्रुओं की समाप्ति के लिए भगवान ने 10 अवतार लिये। आप हमारे देश से साम्प्रदायिक तथा जातिवादी संघर्षों को समाप्त नहीं कर पाये। तमिलनाडु में बीसवीं सदी के महानतम् सुधारक थन्ताई पेरियार इस महान आदर्श के प्रचार के लिए जीए और मरे कि मनुष्य को मनुष्य जैसा आदर मिलना चाहिए और उसे उसी सम्मान के साथ जीने और मरने दिया जाना चाहिए। ऐसे सुधारक आपको अन्य राज्यों में भी मिल सकते हैं। सरकार को उक्त आदर्श के प्रचार के लिए आगे आना चाहिये।

आकाशवाणी और दूरदर्शन को इस प्रयोजन के लिए सशक्त माध्यम बनना

*तामिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

चाहिए। दुर्भाग्य से आज आकाशवाणी और दूरदर्शन ऐसे कार्यक्रम एवम् फिल्में प्रसारित करते हैं जो लोगों के दिलों में न केवल कहिल की भावना पैदा करते हैं बल्कि उनमें भाग्यवाद के बीज भी बोते हैं। हम इस सच्चाई को झुठला नहीं सकते कि हमारे गांवों में अंध विश्वासों की जड़ें जमीं हुई हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से ग्रामीणों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाना चाहिए। हमारे देश के समूचे ढांचे में ही व्याप्त साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद के कैंसर को समूल नष्ट करने के लिए छोटी अवधि की तथा लम्बी अवधि की विशिष्ट योजनायें बनाई जानी चाहिए। इस समय तो हम यही कर रहे है कि जहाँ साम्प्रदायिक दंगे-फिसाद होते हैं वहां मूल शांति समितियां गठित कर देते हैं। ऐसी शाँति समितियां इस प्रकार के क्षेत्रों में स्थायीरूप से स्थापित की जानी चाहियें।

श्रीमान् जैसी भीषण साम्प्रदायिक घटनायें मुरादाबाद में हुई है ऐसी घटनायें आपको तमिलनाडु तथा अन्य दक्षिणी राज्यों में कहीं नहीं मिलेंगी। दक्षिणी राज्यों में हिन्दू और मुसलमान परस्पर सद्भाव तथा समझबूझ के साथ रहते हैं जब कि उत्तरी राज्यों में इसका अभाव है। तमिलनाडु तथा अन्य दक्षिणी राज्यों में राजनैतिक दलों की अभिवृद्धि साम्प्रदायिक भावनाओं तथा धार्मिक अन्धता का लाभ उठाते हुए नहीं की जाती है। ऐसा ही उत्तरी राज्यों में भी होना चाहिये। दंगे केवल हिन्दू और मुसलमानों के बीच ही नहीं होते हैं। एक ही धार्मिक समुदाय में जाति के नाम पर भी झगड़े होते हैं। सवर्ण हिन्दुओं द्वारा अनुसूचित जातियों के लोगों की हत्यायें की जाती हैं। राजनैतिक स्तर पर उक्त अत्याचार एक सामान्य बात हो गई है अपनी इस बात को मैं सिद्ध करूंगा उस हृदय विदारक घटना का उद्धरण देकर जो विगत मास की 14 तारीख को तंजौर में केलाकुरकी के स्थान पर हुई थी जो कि मेरे माननीय मित्र श्री साझाई करुणानिधि का संसदीय चुनाव क्षेत्र है। गोविन्दन नामक एक हरिजन उसकी 40 वर्षीय पत्नी नीलम्बल और 7 वर्षीय पुत्र शिवरामन एवम् पाँच वर्षीया पुत्री तामलेरासी को उनके घर में बन्द करके फिर उन पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी गई थी। उस व्यक्ति का अपराध यही था कि वह डी० एम० के० का एक कार्यकर्ता था और उसने डा० कलैगनार का नेतृत्व स्वीकार किया था। अपने परिवार के कष्टों को सहन न कर पाने के कारण गोविन्द घर की छत से कूद गया ताकि वह अपनी पत्नी तथा बच्चों को बचाने के लिये बाहर से सहायता प्राप्त कर सकता। वहाँ उसे हासियाये लिये हुए सौ सशस्त्र व्यक्तियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने उसे वहां से खदेड़ दिया। चीखती चिल्लाती उसकी पत्नी और बच्चे आग में भस्म हो गये। आज गोविन्दन तिरुतुरैपोण्डी अस्पताल में जीवन के लिये संघर्ष कर रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हसियों से लैस 100 व्यक्तियों का वह समूह मार्कसवादियों का था जिनके ध्वज पर चिन्ह भी हसिया ही है। यह वस्तुतः ही दुर्भाग्य की बात है कि राजनैतिक प्रतिद्वन्दता का शिकार अबोध व्यक्ति बनते हैं।

देश में साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद को समाप्त करने के लिये राज्य स्तर तथा

केन्द्रीय स्तर अलग अलग पुलिस बल होना चाहिये। सभी प्रभावित क्षेत्रों में नियमित रूप से रात-दिन पुलिस की गश्त होनी चाहिये। सरकार समाज में सुधार लाने और देश में सामाजिक पुनर्निर्माण करने के लिये तरीके अपनाने चाहिये जैसा कि मैंने पहले कहा है, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन और प्रेस को भी उक्त भावनाओं के प्रसार का माध्यम बनाया जाना चाहिये।

ऐसी बात नहीं है कि इस विषय पर केवल मंत्रियों और सरकार को ही काम करना है। सभी राजनैतिक दलों के नेताओं को, हमारे देश के बहुरंगी समाज से साम्प्रदायिकता एवम् जातिवाद के विष को निकाल बाहर फेंकने के लिये कोई स्थायी हल ढूंढने के काम में हाथ बटाना चाहिये।

हमारे नेता डा० कलैगनार करुणानिधि और हमारे महासचिव पेरासिरिदार अंबाजगन, ब्याह-शादियों में एकत्रित लोगों को, समाज के कल्याण के लिये महान सुधारवादी एवम् युक्तिसंगत आदर्श अपनाने की आवश्यकता के बारे में बताते रहते हैं तथा उक्त उत्सवों में भाग लेते रहते हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम उन सभी कदमों को हार्दिक समर्थन देता है जो इन साम्प्रदायिक तथा जातिवाद की बुराइयों को खत्म करने के लिये सरकार द्वारा उठाये जाते हैं जिसके फलस्वरूप भावी संतति के लिये कष्ट छोड़ जाते हैं। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पी० नाम्ग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, मुल्क में जो कम्यूनल डिस्प्रेसेज हो रहे हैं या होते आए हैं, यह इस मुअज्जिज ऐवान में जेरे बहस हैं। मुल्क के हरएक हिस्से में जो कुछ वाकयात हुए, हर एक मुअज्जिज मेम्बर चाहे वह इस तरफ के हों या उस तरफ के हों, ने इस ऐवान में उसको रखा सिवाय उस वाकये के जो वाकया काश्मीर में हुआ। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि काश्मीर में जो वाकयात हुए हैं उनको नेशनल सीन पर लाने से हमारे माननीय सदस्य चाहे इधर के हों चाहे उधर के, क्यों कतराते हो ? मैं अपने जो ख्यालात हैं उनको इस मौके पर काश्मीर तक ही महदूद रखना चाहता हूं।

आपको पता ही है कि हमारे मुल्क में काश्मीर के अन्दर कम्यूनल हारमोनी और सेक्युलरिज्म का एक ट्रेडीशन रहा है और यह ट्रेडीशन आज की बात नहीं है, बहुत पुराना ट्रेडीशन रहा है। काश्मीर में बहुत सारे ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर हिन्दू भी वर्शिप करने के लिए जाते हैं और मुसलमान भी जाते हैं। पंडित जी और महात्मा गांधी जी ने भी उस वक्त कहा था जब 1947 में मुल्क के हर हिस्से में खून की होली खेली जा रही थी, उस वक्त खसूसी तौर पर महात्मा जी ने कहा था कि मुझे काश्मीर में ही एक रोशनी की किरण नजर आ रही है। मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं कि यह चन्द लोग नहीं हैं जिन्होंने कश्मीर में यह ट्रेडीशन रखी है बल्कि कश्मीर के जो जवान हैं उन्होंने इस सेक्युलर ट्रेडीशन को आज तक कायम रखा है। 1947 में जब पाकिस्तानी रेडर्स ने काश्मीर पर

हमला किया उस वक्त भी कश्मीरी मुसलमानों ने उन रेडर्स का मुकाबला किया और जिन हिन्दुओं को मारने और लूटने के लिए वे आए थे उन हिन्दुओं को उन्होंने अपने घरों में पनाह दी और वहां की इस सिच्युएशन को बचाया। इस बैक ग्राउन्ड में अगर आज कुछ ऐसे वाकयात हो जाते हैं तो मेरी समझ से यह बाहर है कि यह क्यों हो रहा है; खास तौर से कश्मीर के इलाके में ? लेकिन वहाँ पर यह वाकया हुआ 26 जुलाई और 27 जुलाई 1980 को। एक बिल्कुल मामूली सी एक्सीडेन्ट की घटना हुई। एक मिलिट्री ट्रक कैन्टूनमेंट एरिया से आ रहा था, टूरिस्ट सेन्टर के सामने एक थिरी व्हीलर के साथ मामूली सी टक्कर लगी, वह भी इस हद तक कि थिरी व्हीलर पर कोई स्क्रैच भी नहीं पड़ा था, लेकिन कुछ गुण्डे और कुछ ऐन्टी सोशल एलिमेन्ट्स, जोकि नेशनल कांफ्रेन्स, हुकमरान पार्टी के पेड एजेन्ट थे, वे इस ताक में बैठे हुए थे कि किसी न किसी तरह से आर्मी पर्सोनेल के साथ झगड़ा मोल लिया जाए ताकि आर्मी को इन्वाल्व किया जा सके। वे इस ताक में बहुत देर से बैठे हुए थे वरना वहां श्रीनगर में क्या कोई एक्सीडेंट होते नहीं हैं। एक दिन में 5-7 फैटल एक्सीडेंट तक हो जाते हैं लेकिन कभी कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। लेकिन यहां पर वह शुरू हुआ। और फिर हुआ यह कि जिस ट्रक में आर्मी पर्सोनल बैठे हुए थे उसमें से उनको ड्रैग करके निकाला गया और बुरी तरह से उनकी पिटाई की गई। ट्रक को भी जला दिया गया। ड्राइवर को पकड़कर उसकी पिटाई की गई। यह सब करने के बावजूद भी पुलिस खामोश तमाशाई बनकर बैठी रही और उसने कोई ऐक्शन नहीं लिया। उल्टे उन्होंने उस ड्राइवर को अरेस्ट किया। उस ड्राइवर की जैसी लोगों के सामने पिटाई की गई, थाने में भी उसकी पिटाई की गई। और जब यह वाकया हुआ तो बाद में जो बाकी ऐण्टी सोशल एलिमेन्ट्स थे उनको भी मौका मिला, उन्होंने भी उस मौके का अच्छी तरह से फायदा उठाया क्योंकि वे तो पहले से इस ताक में बैठे हुए थे। अगर पुलिस ने वक्त पर स्टेप्स ले लिए होते तो मेरे ख्याल में इस वाकए को कभी होना ही नहीं था और न ही उन गुण्डों और ऐण्टी सोशल एलिमेन्ट्स जिनमें नेशनल कांफ्रेन्स के वर्कर्स शामिल थे, उनको ऐसा मौका मिलता। उन लोगों ने शहर में हर जगह यह बात फैलाई कि यहाँ पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, यहां पर कम्युनल रायट्स हो रहे हैं लेकिन मैं कश्मीरी अवाम को क्रेडिट देना चाहता हूं कि वे लोग उनकी बातों में नहीं आए। उन्होंने कहा कि यह काम गुण्डों का हो सकता है। वे उससे प्रवोक नहीं हुए। इसमें मामूली सी गलतियाँ, मैं समझता हूं चन्द फौजी जवानों ने की जो कि वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने देखा कि उनके जवानों की सरे बाजार बेइज्जती की गई है, पिटाई की गई है। यह लोग कहीं से मैच देखकर आ रहे थे, उनको पता लग गया, वे मौके पर पहुंचे और वहां पर इन गुण्डों के साथ हाथा-पाई हुई, मारपीट शुरू हुई। लेकिन पुलिस ने भी वहां कुछ नहीं किया—किसी भी तरह से यह कोशिश नहीं की गई कि झगड़े को बन्द किया जाए, जबकि वह कराया जा सकता था क्योंकि यह मामूली-सा झगड़ा था। जब यह सब वाक्या हो गया तो पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे, जोकि व्हीस्की

पिए हुए थे, नशे में मस्त थे। मेरा ख्याल है कि होम मिनिस्टर के पास इस वाक्या की सारी रिपोर्टस होंगी। उसके बाद फिर दूसरे दिन एन्टीसोशियल एलीमेन्ट्स 'गुण्डे' जमायते इस्लामी के वर्कर्स, ये सब मिलकर और नैशनल कान्फ्रेंस के जो वर्कर्स थे, उनकी सरकरदगी में वे बाजार में आ गए और हिन्दू मन्दिरों को आग लगा दी गई, हिन्दू दुकानों को लूटा गया और फिर भी पुलिस वहाँ पर खामोश तमाशायी बनकर देखती रही और कोई एक्शन नहीं लिया। वह मामूली सी बात थी, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस यदि उसमें इन्टरवीन करती तो वह वाक्या नहीं होता, लेकिन दिन भर लूट-मार होती रही। फिर पांच बजे के करीब शेरे कश्मीर साहब लाल चौक पर आए और लोगों को इकट्ठे करके तकरीर की और लोगों को लूटमार बन्द करने की अपील की और उसी वक्त यह काम्युनल रायट खत्म हो जाता है। क्या आपके ख्याल में कभी ऐसा हो सकता था। यह जो फसाद हुआ अगर उसमें हुकमरान पार्टी का हाथ नहीं होता और उसमें पुलिस का हाथ नहीं होता तो क्या यह फौरन खत्म हो सकता था, कभी नहीं हो सकता था। और शेरे कश्मीर एलान करता है कि मैंने यहां पर काम्युनल रायट पर फौरन काबू पा लिया लेकिन सैन्टर सरकार ऐसे झगड़ों को दबाने में कामयाब नहीं हुई है।

मैं यहाँ पर भी वहाँ के लोगों को क्रेडिट देना चाहता हूं। इस कदर इन्साइट करने के बावजूद भी वहां के लोगों ने, सिवाय नैशनल कान्फ्रेंस के वर्कर्स और गुन्डों के किसी ने भी हिन्दू के मन्दिरों या किसी हिन्दू की दुकान को हाथ तक नहीं लगाया। लोगों ने कहा कि गलत काम हो रहे हैं, इसको रुकवाना चाहिए। लेकिन पुलिस वहां पर कुछ नही कर रही थी और यह वाक्या हो गया। मेरा ख्याल है कि यह आपके नोटिस में भी आया होगा कि यह वाक्या कब शुरू हो गया। श्री बी०वी० देसाई ने शेख मुहम्मद अब्दुल्लाह के बारे में जो उनके खयालात हैं, मैं उनके साथ मुत्तफिक नहीं हूं। 1933 और 1947 का शेरे-काश्मीर, नहीं है। वह शेरे-काश्मीर मर चुका है, यह 1947 के मौडल का शेरे-काश्मीर है। 1977 में वह किस तरह से पावर में आया, वह मैं ब्रीफली बतलाना चाहता हूं। आप को याद होगा, 1977 में जब उन्होंने काश्मीर में इलैक्शन लड़ा तो उनके तीन नारे थे :— (1) रावलपिण्डी रोड खोल दी जायगी, (2) काश्मीर का फल दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता की मण्डियों में नहीं जायगा, बल्कि लाहौर और कराची की मंडियों में जाकर बिकेगा। (3) आपको पता होगा—पाकिस्तान से हम राक-साल्ट मंगवाते हैं, जो सालिड-साल्ट होता है, उनके वर्कर्स अपने लोगों की जेबों में रखकर घर-घर ले जाया करते थे और कहते थे कि अगर यह खाना है तो वोट नेशनल कानफ्रेंस को दो। 1977 से ये कम्यूनल हालात पैदा किए गए, उससे पहले ये हालात नहीं थे। पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि काश्मीर में कोई कम्यूनल टेन्शन पैदा हुआ हो, लेकिन 1977 से इस तरह की सिचुएशन पैदा की जाने लगी। 1977 के चुनाव में उन्होंने मुस्लिम मैजोरिटी के पौकेट्स को चुनकर

वहाँ इस तरह का प्रचार किया और रिजल्ट्स भी उसी तरह से आये। जहाँ-जहाँ मुस्लिम मैजोरिटी थी, वहां नैशनल कानफरेन्स का नुमाइन्दा चुना गया और जहां हिन्दू मैजोरिटी थी, वहां कांग्रेस (आई) या दूसरी पार्टियों का नुमाइन्दा चुना गया।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसका असर हमारे लद्दाख पर भी पड़ा। आप जानते हैं—लद्दाख मेरी कांस्टीचूएन्सी है। आपने सुना होगा—एक जमाने में एक फैमिली में मियां मुसलमान है तो बीवी बौद्ध है और अगर बीवी मुसलमान है तो मीयां बौद्ध है। अगर वहाँ मुसलमान मर जाता था तो मुल्ला को बुलाते थे और अगर बौद्ध मरता था तो लामा को बुलाते थे---इस तरह की सिचुएशन थी। लेकिन 1977 में जब से शेख साहब की पार्टी पावर में आई है तो उन्होंने वहां भी सारे हालात को खराब कर दिया। वहां पर क्या हुआ ? इस वक्त वहाँ दो डिस्ट्रिक्टस हैं—लेह और कारगिल। एक में बुद्धिस्ट मेजोरिटी है और दूसरे में मुस्लिम मेजारिटी है। पहले वहाँ पर एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में दो कर दिए गए, एक तरह से पावर में आने के बाद कम्यूनलाइज कर दिया और इसका नतीजा यह हुआ कि मुस्लिम इलाके से नैशनल कांफरेंस का मेम्बर चुना गया और बुद्ध इलाके से कांग्रेस (आई) जीती। जिस तरह से हमारे इलाके को कम्यूनलाइज किया गया है, मैं इस बात को सेन्ट्रल गवर्नमेंट की नोटिस में लाना चाहता हूं।

जनाब, इससे पहले भी जो कम्यूनल रायट्स हुए थे, होना तो यह चाहिए था कि उन पर भी इस हाउस में पूरी तरह से डिस्कशन होता, लेकिन वह नहीं हुआ। फिर भी मैं लद्दाख के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि लद्दाख एक बहुत ही सेन्सिटिव एरिया है। हमने आज तक चार जंगें लड़ी हैं, तीन पाकिस्तान के खिलाफ और एक चाइना के खिलाफ और वहाँ के बौद्ध और मुसलमानों ने मिलकर, कन्धे से कन्धा मिलाकर लड़ी और दुश्मन को शकिस्त दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत सेन्सिटिव एरिया है, वहाँ के हालात को खराब किया जा रहा है, इसके बारे में सेण्ट्रल गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए ताकि उस इलाके में आइन्दा ऐसे वाकयात न हों।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल में 27 सदस्य हैं जिन्हें अपने विचार व्यक्त करने हैं। आप अपने दल के साथियों का समय ले रहे हैं। कृपयास माप्त करें।

श्री पी० नामग्याल : मैं अभी समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अपने दल के सदस्यों के प्रति निष्ठुर नहीं होना चाहिए। आपने सत्ताईस मिनट लिए हैं। दल के अन्य सदस्य भी अधिक समय की मांग कर सकते हैं।

श्री पी० नामग्याल : जहाँ तक मुल्क में ओवर-आल-कम्यूनल सिचुएशन की बात

है मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी ऐसे वाक्यात होते हैं उनको हैवी-हैण्ड से दबा देना चाहिए । जो भी कम्यूनल रायट्स होते हैं, यहाँ की अवाम और खसूसन जो माइनोरिटी के लोग हैं, उन्होंने कांग्रेस (आई) को इसलिए वोट दिया है और 1980 में इन्दिरा जी को इसलिए पावर में लाए हैं क्योंकि उनके जो ख्यालात थे ढाई महीने की सरकार के बारे में——

कई माननीय सदस्य : ढाई महीने नहीं ढाई साल ।

श्री पी० नामन्याल : उस जमाने में जो सरकार रही है, उनकी बातों को देखकर उन्होंने सोचा कि एक ताकतवर गवर्नमेंट होनी चाहिए । लिहाजा उन्होंने इस गवर्नमेंट को इसलिए वोट दिया है और इन्दिरा जी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है । मैं यह कहना चाहूंगा कि इस तरह के वाकयात जहां कहीं भी होते हैं, उनको हैवी हैड से दबाना चाहिए चाहे उसके लिए आप नेशनल सेक्योरिटी आर्डीनेन्स लाएं या उससे भी तगड़ा बिल लाएं और इस तरह के बिल को लाकर इस तरह की चीजों को दबाना चाहिए ।

श्री राम जेठ मलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् आज प्रातः माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कुशल पर्यवेक्षण के पश्चात मैंने सोचा कि कम से कम इस वादविवाद को हमारे देश के प्राचीन रोग का कारण ढूढ़ने और उसका संतोषजनक और प्रभावी उपचार ढूंढने के लिए निदेश देना चाहिए। परन्तु पुरानी आदतें मुश्किल से छूटती हैं और मैंने देखा है कि एक के बाद एक विशेषकर शासित दल के सदस्यों ने अपने राजनीतिक विरोधियों की कमियाँ ढूंढने, उन पर अंगुली उठाने और निराधार आरोप लगाने की अपनी पुरानी आदत के सामने घुटने टेक दिए हैं । मैंने सोचा कि कम से कम इस दुखद अवसर पर हम राजनीतिक लाभ उठाने से बचेंगें और इस पर विचार करेगें कि इस बहुत ही गम्भीर समस्या को किस प्रकार हल किया जा सकता है और इस देश के राजनीती ढाचें पर मंडरा रहे कैंसर को किस प्रकार दूर किया जा सकता है ।

श्रीमान्, जब तक हमारे पास समस्या की वास्तविक चिकित्सा नहीं है हम कोई भी उपचार नहीं ढूंढ सकते और मुझे डर है कि** जो कहा गया गया है । मैं झूठ बोल कर उसका बदला नहीं लूंगा परन्तु कम से कम मैं सच बोलूंगा । आरम्भ में सच्चाई कुछ कड़वी लगती है परन्तु अन्ततः यह सदैव ही बहुत ही पीड़ा हरक साबित होती है ।

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : यह जो इन्होंने कहा है कि सदन में **बोला गया है, यह रिकार्ड में नहीं रहना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कारवाही का अध्ययन करूंगा ।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

श्री राम जेठमलानी : वे जम्पिंग जैकस की तरह का व्यवहार क्यों करते हैं ।

श्रीमन्, इस समय मैं विषय से थोड़ा सा हट रहा हूं, मैं सच और स्पष्ट बोलने के बारे में कह रहा था । मेरा सुझाव है कि यहाँ पर सभी दलों को सर्वसम्मति से एक बात पारित करनी चाहिए कि जब कभी इस देश में किसी प्रकार का साम्प्रदायिक दंगा अथवा साम्प्रदायिक तनाव अथवा घटना हो उस घटना के बारे में शीघ्रता से पूरी सच्चाई का पता लगाया जाए । मैं सरदार जैल सिंह पर भी विश्वास करूंगा कि वे सच्चाई का पता लगाएं परन्तु जब वे सच्चाई का पता लगा लेंगें तो इस देश में बड़ी संख्या में लोगों को वह सच्चाई, 'सच्चाई' नहीं लगेगी । अतः मेरा सुझाव है कि हमें यह अवश्य पारित करना चाहिए कि जब कभी साम्प्रदायिक घटना घटे इसकी जांच उच्च योग्यता और प्रख्यात सत्यनिष्ठ न्यायाधीश से अवश्य कराई जाए और उस न्यायाधिकरण के समक्ष सभी पक्ष शीघ्रता से उपस्थित हों और सच्चाई का पता लगाने में सहायता करें । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं स्वयं और मेरा दल हममें से कुछेक विगत में गलती पर रहे होगें परन्तु हमने सच्चाई नहीं छोड़ी ।

श्री नरसिंह मकवाना (ढंढुका) : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है ।

"(व्यवधान)"

माननीय सदस्य बड़े कानून के जानकार हैं लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जबकि जज के खिलाफ उन्होंने यह कहा कि जो जज सच्चा हो, उसको सौंपा जाए । यह गलत बात इन्होंने कही है । जो बाकी जज हैं वे क्या झूठें हैं । क्या उन के कहने का मतलब यह है कि बाकी जज ईमानदार नहीं हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है । आपने केवल अपना विचार व्यक्त किया है । श्री जेठमलानी अपना वक्तव्य जारी रखें ।

श्री राम जेठमलानी : दूसरी ओर के मेरे मित्र कहावत जानना चाहेंगे; जो स्वयं शीशे के मकानों में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए । 1979 के अन्त में तत्कालीन लोक दल सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए थे जो इन महानुभावों के वोटों से अस्तित्व में आई । वह जांच अलीगढ़ के दंगों की जांच पड़ताल के लिए थी । वह जांच व्यवहारिक रुप से पूरी हो गई थी । सभी मुसलमानों ने अपने साक्ष्य दिए । (एक माननीय सदस्य : केवल 8) मेरे मित्र अपने घर का कार्य नहीं करते; वे नहीं, जानते । जब यह स्पष्ट हुआ कि इसमें न तो जन संघ न ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और न ही अन्य कोई व्यक्ति सन्निहित था बल्कि इसमें वहां बैठे माननीय महानुभाव सन्निहित थे, जब वह स्पष्ट हुआ, वह न्यायिक जांच बन्द कर दी गई और उसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है क्यों ? मेरी मांग है कि इस अधूरी कार्यवाही को ही सभा पटल पर रखा जाय । देश वासियों को तथ्यों का पता चले । प्रमाणों के आधार पर वे स्वयं अपना निष्कर्ष

निकालें। सरकार के सदस्य और उनके दल के सहयोगी आए दिन अन्यों के दुर्गुणों की चर्चा न करें तो अच्छा होगा। श्रीमान्, मैंने कहा था कि हम रोग और उसके उपचार के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे। श्रीमान्, यदि इस देश में साम्प्रदायिक दंगें पनपते हैं तो यह केवल इसलिए कि शासित दल (जो इस देश में तीन दशकों से शासित दल है) ने इन दंगों के सम्बन्ध में प्रयुक्त शब्दावली को भी बदलना आवश्यक अथवा उपयुक्त नहीं समझा। वह हिन्दू जो रक्षाहीन मुसलमान पर आक्रमण करता है वह हिन्दू नहीं है; वह मुसलमान जो रक्षाहीन हिन्दू पर आक्रमण करता है वह मुसलमान नहीं है; वे दोनों शैतान के बेटे हैं। श्रीमान्, यदि केवल कुछ वर्ष पूर्व हमने यह निर्णय लिया होता कि इन दंगों को शैतान के बेटों के बीच दंगे कहा जाएगा, तो मैं यह दृढ़ता से कहता हूं कि इस देश में साम्प्रदायिक दंगे बन्द हो गए होते। समस्या यह है कि इन दंगों से सम्बद्ध नामावली बहुत से राजनीतिक नेताओं और राजनीतिक दलों को कुछ लाभ पहुंचती है और इन दंगों से अत्यधिक फायदा पहुंचता है। मैं किसी पर अंगुली उठाना नहीं चाहता परन्तु मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दिल में झांकें और देखें कि गत 30 वर्षों के दौरान इन साम्प्रदायिक अस्थिरता से किसने अत्यधिक फायदा उठाया है। यदि उन्होंने साफ साफ और ईमानदारी से इस प्रकार का लाभ उठाना छोड़ा होता तो बहुत पहले ही एक सुखद स्थिति लाई जा सकती थी।

इन कार्यों के लिए अगला और विशेष कारण लोगों की आर्थिक दुर्दशा है। अमीर/धनाड्य/खुशहाल व्यक्ति इन दंगों में सम्मिलित नहीं होता अथवा गली में आकर नहीं मरता। वे घरों में बैठे रहते हैं, कुछ तो वास्तव में इनका मजा लेते हैं।

कुछ इनको वित पोषित करते है और कुछ इनसे लाभ उठाते हैं। परन्तु निर्धन व्यक्ति ही बाहर आता है जिसे अपनी सम्पत्ति से हाथ धोना पड़ता है, जो अपाहिज बनता है, जो इस प्रक्रिया में बहुधा मारा जाता है। वही इसका नुकसान उठाता है।

मैं एक हिन्दू हूं परन्तु मैं देश के उस भाग से हूं जहां पर अधिकांश जनसंख्या सिखों की है। मैं एक सिक्ख हूं क्यों कि मैं गुरु नानक के उपदेशों को समझता हूं। मैं जपजी साहब के पाठ को समझ सकता हूं। इसके अनुसार :

सबना जियां दा एक दाता
सो मैं विसर न जायें।

और मैंने आज जो कहा यह उसी भावना के अनुसार है। मुझे तो कम्युनेलिस्ट बताया जाता है क्यों कि मैं अपने सिद्धान्त वोटों के लिए नहीं बेचता। और श्रीमान्, मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह यह है कि हिन्दुओं की गरीबी और मुसलमानों गरीबी यह एक सामान्य रोग है—जो दंगे करवाती है क्योंकि लोग अपने नीरस और उकताने वाले जीवन में उत्तेजना चाहते हैं; लोग अपने पड़ोसियों की थोड़ी सी जायदाद पाने के लिए

सामाजिक तत्वों के शिकार बन जाते हैं जो उस दिए गए समय पर स्थिति का लाभ उठाते हैं, और, इसीलिए,जो सरकार आर्थिक क्षेत्र में बुरी तरह से विफल रहती है वही सरकार देश में इन साम्प्रदायिक दंगों का सीधा कारण है। हमें धन की यह चमकदार असमानता समाप्त करनी है और जब देश में खुशहाली होगी आप पाएंगे कि लोग आपस में नहीं लड़ेंगें और वे हाथापाई नहीं करेंगें और वे एक दूसरे का गला काटने का प्रयास नहीं करेंगें।

तब, श्रीमान्, आज हम सबको मुरादाबाद के बारे में चिन्ता है। श्रीमान, मैं श्री बनातवाला और अन्य प्रतिष्ठित वक्ताओं से सहमत हूं जिन्होंने यह कहा है कि निर्धन मुसलमान जो वहां पर नमाज के लिए गए थे वो वहाँ पर दंगे करने और अपने आपको मरवाने नहीं गए थे। 52 बच्चे और स्त्रियां भगदड़ में मारी गई और 100 व्यक्ति पुलिस की गोली से मरे। श्री बनातवाला आज यह भी कह सकते हैं जैसा उन्होंने अपने स्थापन्न प्रस्ताव में किया कि पी० ए० सी० साम्प्रदायिक तत्वों से मिली हुई थी। वहाँ, वे श्रीमती गांधी के समर्थक लगते हैं। परन्तु मेरा सुझाव है कि जब मुरादाबाद में पी० ए० सी० ने निर्दोष मुसलमानों के विरुद्ध पाश्विक व्यवहार किया, वे केवल उसी रोग के लक्षणों को प्रदर्शित कर रहे थे जो पुलिस थानों में निर्दोष औरतों की इज्जत लूटने के जिम्मेदार है, जो बिहार में उन कैदियों जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है को अन्धा किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, जो दिल्ली में सुंदर डाकू को पुलिस हिरासत में डुबाने की जिम्मेदार थी और जो आज गोहाटी में होस्टल में रह रहे 600 निहत्थे निर्दोष विद्यार्थियों पर गैर कानूनी हमले, जिसके संबंध में मैंने आज सुबह सदन का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया, के लिए जिम्मेदार है। यह मानव गौरव, मानव स्वतन्त्रता और मानव स्वाधीनता और मानव जीवन के प्रति असहपुणिता के वही लक्षण है जो पुलिस में हावी हो गए हैं और यह पुलिस में इसलिए हावी हुए हैं क्योंकि पुलिस बल में कार्यरत उन व्यक्तियों को सजा नहीं दी जाती जो दोषी पाए जाते हैं बजाय इसके उन्हें ऐसे कार्यों के लिए पदोन्नति दी जाती है और यदि कहीं ऐसा सम्भव नहीं होता तो उन्हें कम से कम प्रशसति प्रमाण पत्र दे दिए जाते हैं।

श्रीमान्, मैं दो कारणों का उल्लेख करना चाहता हूं। विदेशी हस्तक्षेप और बाहरी तत्वों के बारे में चर्चा की जाती है। मुरादाबाद की घटना के पश्चात 16 अगस्त को श्री साठे ने खुले आम कहा था कि वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मुरादाबाद के दंगों में विदेशी हाथ था। 17 अगस्त को उन्होंने मुरादाबाद पुलिस की ओर से एक झूठी कहानी गढी कि पुलिस पर गोली चलाई गई थी। श्रीमान, उस दिन के बारे यह सरकार द्वारा लगाया गया एक आरोप है जब मुरादाबाद के गरीब मुसलमानों के विरुद्ध सरकार इस प्रकार की मिथ्या शपथ का सहारा लेती है, उसे आगे आने और झुठे आंसू बहाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक के एक सदस्य श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जो पिछली बार इस सभा के सदस्य थे, को हमारे दल द्वारा मुरादाबाद

जाकर इसकी रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था और उन्होंने वापस आकर यह बताया कि यह सब झूठ था। मुरादाबाद के मुसलमानों द्वारा पुलिस पर कोई गोली नहीं चलाई गई थी और आज हमें साम्प्रदायिकतावादी समझा जाता है, और हमें साम्प्रदायिकतावादी इसलिए समझा जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं एक हिन्दू हूं और मैं एक सिक्ख हूं। परन्तु मैं कुछ वोट प्राप्त करने के लिए अपना हिन्दुत्व और सिक्खी नहीं बेचता और इसीलिए मैं एक साम्प्रदायिक हूं जबकि ये महानुभाव जो धर्म निरपेक्षता का छद्मवेश धारण किए हुए हैं वास्तव में साम्प्रदायिक है और उन्होंने केवल यही सीखा है कि साम्प्रदायिकता को किस प्रकार काम में लाया जाय और अल्प संख्यकों के मत किस प्रकार प्राप्त किए जाए। कांग्रेस (ई) के एक के बाद एक मंत्री और कांग्रेस (ई) के सम्बंधित राजनीतिक उस आदृश्य विदेशी हाथ की बात करते हैं। यहां तक कि श्रीमती गांधी ने भी उसके सम्बन्ध में कहा है। उन्होंने इस बारे में 28 अगस्त को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में कहा। परन्तु 16 अक्तूबर को जब वे मुरादाबाद गई मुरादाबाद में बनाई गई कब्रिस्तान के सुनियोजित दौरे पर गई, उन्होंने कहा "मैं नहीं सोचती कि इस गड़बड़ के पीछे कोई विदेशी तत्व थे।"

सच क्या है ? यदि इस देश की प्रधान मंत्री यह नहीं जानतीं कि उनके मन में क्या है, यदि ये प्रतिष्ठित मंत्री जो उन्हें सलाह देते हैं नहीं जानते कि उनके मन में क्या है तो यह कितनी दयनीय स्थिति है कि वे यह कैसे मालूम करेंगे कि रोग कौन सा है और यह कितनी दयनीय स्थिति है कि वे यह किस प्रकार पता लगायेंगे कि उसका कौन सा उपचार है ? उसमें कोई विदेशी हाथ नहीं था। यह सरकार ही है जो सीमा पर तनाव उत्पन्न करना चाहती है, जो पड़ौसी देश पाकिस्तान के प्रति दुर्भावना और अवसर की तलाश में हैं और यह सरकार ही है जो गड़बड़ की स्थिति बतलाकर जो विद्यमान नहीं है परन्तु वे उसे उत्पन्न करने के इच्छुक हैं अपनी असमर्थता और भ्रष्टाचार को न्यायोचित सिद्ध करना चाहती है।

प्रत्येक घटना में वे प्रचार करने में इच्छुक होते हैं कि उसी तरह की स्थिति विद्यमान है।

अन्त में, मैं यह दोहराना चाहता हूं, जैसा मैंने पहले कहा था, हमें सच्चाई से नहीं डरना चाहिए। सच्चाई अवश्य बतानी चाहिए, परन्तु यदि कोई व्यक्ति उठता है और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अथवा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाता है, जैसा कुछ मन्त्री उत्तरदायित्व की भावना से रहित होकर, सच से परे होकर आरोप लगा रहे हैं— मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, परन्तु मैं केवल यह याद दिलाना चाहता हूं कि टाइम्स आफ इण्डिया जैसे समाचार पत्र ने जो कभी शासित दल के हाथों बिका हुआ था, लिखा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अथवा जनसंघ का कोई भी व्यक्ति मुरादाबाद के दंगों में

शामिल नहीं था और इसकी पुष्टि मुरादाबाद में इमाम ने भी की जिन्होंने कहा कि इनमें से कोई भी शामिल नहीं था ——

(व्यवधान)

यह एक दुखद विरोधाभास है कि, वे केवल अपनी अक्षमता और अपनी वास्तविक साम्प्रदायिकता और अपनी झूठी धर्म निरपेक्षता छिपाने के लिए और उस पर पर्दा डालने के लिए वे दूसरों पर पत्थर फेंकते हैं। एक बार वे इसे रोकें और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शीशे में झांककर अपना चेहरा देखें, इसी से उन्हें आभास होगा कि इसके दूसरे पहलू पर भी कुछ कहना है और तब ही वे रोग का कुछ उपचार पा सकेंगे जो इस देश को सदियों से लगा हुआ है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं,

एक माननीय सदस्य : सच-सच बोलिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : आप जिगर थामकर बैठिए, बिल्कुल सच-सच बोलूंगा। आपको पता चलेगा जब आपकी बारी आएगी।

(व्यवधान)

इस मामले पर वे इसी गम्भीरता से विचार-विमर्श कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारा मकसद, सारा उद्देश्य, जब श्री राम जेठमलानी ने अपना भाषण शुरू किया तो मैंने सोचा कि इन्होंने शुरूआत यह कहकर की है कि किसी ने असल बात नहीं कही, सब ने आरोप-प्रत्यारोप किए हैं, तो शायद ये सही बात करेंगे। लेकिन आखिर में पता चला कि यह आरोप लगाने में औरों से आगे रहे हैं।

खुद क्या-क्या कह रहे हैं ? जितनी बातें जेठमलानी साहब ने सदन के अन्दर कहीं हैं, मेरा उनसे यह आग्रहपूर्वक निवेदन है कि बजाय हमें बताने के, यहाँ तो सब लोग आपकी बात से सहमत हैं, कृपया आप अपनी पार्टी के अखबार 'आर्गेनाइजर' और पांचजन्य को बताइए कि इसमें फारेन-हैंड नहीं है। जिस तरह से आपने कहा है कि मै आर०एस०एस० और बी०जे०पी० से ताल्लुक रखते हुए मुसलमानों की बात कह रहा हूं, कृपया उन्हे बताइए कि वह इस बारे में झूठी अफवाहें न फैलायें।

अब मैं असली बात की तरफ आना चाहता हूं। आरोप-प्रत्यारोप का मामला नहीं है, असल मामला यह है कि आज 33 साल के बाद भी राम, कृष्ण, गाँधी, चिश्ती और नानक के देश में हिंसात्मक घटनाएं धर्म के नाम पर होती हैं, हमारे लिए यह शर्मनाक बात

है। हमारा सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ यह देखना पड़ेगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बेशर्म हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : बेशर्म कौन है, आप थोड़ा अपने गिरहबान में झाँककर देखिए।

बहुत सही बात कही है, मैं जेठमलानी जी की एक बात से इत्तिफाक करता हूं कि जो पुलिस की ज्यादतियां हैं, हमारी तरफ से भी कही गई है, मैं इससे इन्कार नहीं करता कि पुलिस ने ज्यादती की, बिल्कुल की होंगी ज्यादतियां। और जो ज्यादतियां की गई हैं, उन्हें हमारे प्रधान मन्त्री, हमारे गृह मन्त्री, दूसरे मन्त्रियों और उत्तर प्रदेश की सरकार ने माना है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने तो अपना इस्तीफा तक दिया। लेकिन सवाल यह है कि साम्प्रदायिक प्रवृति को किस प्रकार रोका जाए। सिर्फ दोष मढ़ देने से, खता ढूंढ़ देने से काम नहीं चलेगा।

यह जो तस्वीर बनाने की कोशिश की जाती है—और उसके नाम पर मुसलमानों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की जाती है—कि पुलिस ने मुसलमानों पर ज्यादती की, यह तस्वीर जितनी प्रबल बनती है, मुसलमानों को उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अगर कहीं ऐसा हुआ भी, तो गलत आदमी के खिलाफ कार्यवाही कराई जाएगी। लेकिन अगर रोजाना इस तस्वीर को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा कि पुलिस मुसलमानों की दुश्मन है, तो पुलिस का जो आदमी भला और नेक होगा, जो मुसलमानों की हिफाजत करना चाहेगा, वह भी अपने कर्त्तव्य से विमुख होने लगेगा। यह तस्वीर बनाना बहुत अच्छी बात नहीं है।

दो तीन महीने पहले की बात है कि बागपत में एक कांड हुआ। एक महिला की बेइज्जती की गई। इस देश के एक ऐसे दल ने, जो संसद में दूसरे नम्बर पर है, एक महिला के अपमान को लेकर एक देश-व्यापी आन्दोलन चलाने की बात कही। बागपत में गिरफ्तारियाँ शुरू हुईं। यह ऐलान किया गया कि 15 अगस्त को उस दल के नेता औरतों के सम्मान की रक्षा के लिए खुद बागपत में जाकर अपने आपको गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे। 13 तारीख को यह कांड हो गया, जिसमें उस दल के लोगों के शब्दों में एक महिला नहीं, न जाने कितनी महिलाओं का अपमान किया गया, न जाने कितने लोगों को गोली से उड़ाया गया। एक महिला के अपमान के विरुद्ध देश-व्यापी आन्दोलन चलाने वाले लोगों को देखिए कि जब 13 तारीख को मुरादाबाद में गोली चली, तो 15 तारीख को नेता की गिरफ्तारी का प्रोग्राम कैंसल हो गया। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस की ज्यादतियों के विरुद्ध चलाये जा रहे आन्दोलन को वापस लेता हूं। ये लोग कहते हैं कि

शर्म नहीं आती है। वे सोचें कि किसे शर्म आनी चाहिए। अगर पुलिस की ज्यादतियों के विरोध में आन्दोलन था, अगर महिलाओं के सम्मान को बचाने के लिए आन्दोलन था, तो मुरादाबाद के कांड के बाद तो यह आन्दोलन और भी तीव्र होना चाहिए था, क्योंकि एक और जगह पुलिस ने वही काम किया, जिसके विरुद्ध वे आन्दोलन कर रहे थे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, अपना आन्दोलन वापस ले लिया।

शायद माननीय गृह मन्त्री जी की इनटैलिजेंस के लोग यह बता सकेंगे कि जब मुरादाबाद जिले में ट्रैनों को लूटा जा रहा था और उनमें बैठे हुए व्यक्तियों को तलाश-तलाशकर मारा जा रहा था, क्या उस वक्त किसी दल से सम्बन्ध रखने वाले लोग पहचाने गए थे, जो उन ट्रेनों को लुटवा रहे थे। मैं इन लोगों की तरह गैर जिम्मेदारी की बात नहीं कहना चाहता हूं। अगर इन्हें जानकारी नहीं है, तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि वे जानकारी करायें। अमरोहा के लोगों ने, मुरादाबाद जिले के पता नहीं कितने लोगों ने मुझे आकर बताया है। मैंने उनके पास लिखकर भी भेजा है। अगर उनके पास जानकारी नहीं है, तो वे जानकारी करायें।

मैं मानता हूं कि कोई भी धर्म हो, धर्म और हिंसा का आपस में कोई लगाव नहीं है। धर्म के नाम पर हिंसा करने वाले आदमी से बड़ा अधर्मी कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए धर्म की लड़ाई कहीं नहीं है। धर्म को इसमें नहीं लाया जाना चाहिए और न ही ऐसा करने की इजाजत देनी चाहिए। कुछ असामाजिक तत्वों को, कुछ उन लोगों को, जिनकी आशाओं पर इस देश की जनता ने पानी फेर दिया है, इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वे कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जुबान और भाषा के नाम पर और कहीं इलाके के नाम पर इस देश की जनता के विभिन्न वर्गों को आपस में लड़ायें। आज जो लोग इस सदन में कह रहे हैं कि हम साम्प्रदायिक सद्भावना चाहते हैं, आसाम में जाकर वे उस आन्दोलन का समर्थन करते हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि वहाँ के अल्पसंख्यकों को विदेशी कहकर आसाम से बाहर निकाल दिया जाए। उन्हीं नीतियों के कारण यह है कि आज इस देश में मुरादाबाद जैसे कांड देश के आजाद होने के 33 साल बाद भी और देश में सेक्युलर हुकूमत की नीतियों को सख्ती के साथ लागू करने के बाद भी हुए। आखिरकार हुकूमत तो है लेकिन लोकतंत्र है, जो हमारी नीतियों को नहीं मानते, जो राष्ट्रीय उद्देश्यों में भी विश्वास नहीं रखते, जो 15 अगस्त को भी झंडा नहीं लहराते, उन्हें भी हमने इस सदन में बैठने के अधिकार से तो वंचित नहीं किया है। अगर उन्हें भी इस देश की जनता चुन देती है तो वह भी इस सदन में आकर बैठते हैं, भले ही 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज को सलामी न देते हों। इस देश में लोकतन्त्र है। इसलिए इसके बावजूद कि सैक्युलर नीतियों को सरकार ने कार्यान्वित किया, ऐसी शक्तियां भी मौजूद रहीं और सरकार की यह जिम्मेदारी है, लोकतंत्र के नाम पर उन शक्तियों को कुचला तो नहीं जा सकता लेकिन उनकी हरकतों पर, उनके कार्य कलापों पर निगरानी जरूर रखनी पड़ेगी।

जरूर देखना पड़ेगा कि कहीं हमारी शान्ति व्यवस्था को ये भंग न कर दें, कहीं इस देश को छिन्न भिन्न न कर दें, कहीं इस देश की राष्ट्रीयता को खत्म न कर दें। इसीलिए मैं माननीय गृह मन्त्री से और सरकार से कहना चाहूंगा कि यह आज का नहीं, हमेशा का उसूल है, एक छोटा सा वाक्य कौटिल्य ने कहा है कि जो सरकार जरूरत से ज्यादा दण्ड देती है उस सरकार से लोगों को घृणा हो जाती है और जो सरकार जरूरत से कम दण्ड देती है उस सरकार के प्रति अवमान की भावना पैदा हो जाती है। इसलिए अपराध के लिए सही मात्रा में दण्ड होना चाहिए। अपराधी बगैर दण्ड के जाने नहीं चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मन्त्री से अनुरोध करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यह सही है प्रधान मन्त्री की नीति, वह यह कहती है बार-बार कि जब तक शान्ति पूरी तरह से स्थापित नहीं हो जाती तब तक अपराधियों को भी सही तरीके से दण्डित नहीं किया जा सकता, यह मैं मानता हूं, लेकिन इसके साथ ही मुझे विश्वास है कि जैसे ही शान्ति व्यवस्था अपनी जगह ठीक से कायम हो जाती है, वैसे ही अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

मैं आप के माध्यम से खास तौर से उन लोगो से कहना चाहता हूं जो इस विषय को राजनैतिक फायदा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि मजहब का मकसद यह नहीं है चाहे वह कोई भी मजहब हो। अल्लामा इकबाल ने सही कहा था—

दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को।
वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करों वयां॥

यह कोई मजहबों की लड़ाई नहीं है। इंसान की जिन्दगी का मकसद है। आप के दिल में दर्द होना चाहिए, कमजोर के लिए, पिछड़े के लिए, छोटे के लिए और अगर यह चीज नहीं है तो मजहब का कोई मतलब नहीं। हम तो खुद को रब्बुल आलमीन मानते हैं, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी मानते हैं ऊपर वाले को, हमारे जैसे छोटे व्यक्तियों की जरूरत नहीं है कि हम उसके धर्म की रक्षा करें। वह अपने धर्म की रक्षा करने में सक्षम है वह इसमें भी सक्षम है कि वह चाहता तो सब एक ही धर्म के लोग होते, इतने धर्मों की कोई जरूरत नहीं थी। लिहाजा इस धर्म की बात को ज्यादा न लाया जाय। बल्कि इस के पीछे यह देखा जाय कि इसका असल उद्देश्य क्या है। जेठमलानी जी तो हिन्दुस्तान के बहुत बड़े वकील हैं, क्रिमिनलाजी का मूलभूत सिद्धांत है मोटिव एस्टैब्लिश करना। कांग्रेस (आई) को, इस सरकार में बैठे हुए लोगों को क्या फायदा है मुरादाबाद जैसे कांड करा कर? क्या फायदा उस से हमें पहुंचने वाला है? मोटिव किस का हो सकता है मुरादाबाद जैसा कांड कराने में? उन लोगों का हो सकता है जो इस देश में बिखराव की राजनीति करना चाहते हैं, जिनकी आशाओं पर इस देश की जनता ने पानी फेर दिया है, जिनको इस बुरी तरह हराया है। अभी पिछला सेशन चल रहा था तो अलीगढ़

मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बिल इस हाउस में आया किन् प्राविजन्स के साथ ? जिनकी मांग हम पिछले दस बारह साल से कर रहे थे लेकिन वह पूरी नहीं होती थी, उन प्राविजन्स के साथ वह बिल आया । बिहार में बिहार की सरकार ने उर्दू को दूसरी सरकार भाषा बनाने का एलान किया । मुरादाबाद जैसे नगर में जहां पर साम्प्रदायिक दल के अलावा कोई उम्मीदवार जीतना नहीं था, वहाँ सेक्युलर पार्टी का उम्मीदवार जीता । इससे भी आगे बढ़कर मैं कहूंगा, यह कहा जाता था कि यहां आजाद हिन्दुस्तान में राष्ट्रपति मुसलमान हो सकता है लेकिन होम डिपार्टमेंट का क्लर्क मुसलमान नहीं हो सकता है । परन्तु हमने देखा कि होम डिपार्टमेंट का मिनिस्टर भी माइनारिटीज का, होम डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी भी माइनारिटीज का था और इस देश के बहुसंख्यक इस बात का स्वागत कर रहे थे । किसी की कोई दूसरी प्रतिक्रिया नहीं थी । अलीगढ़ के ऊपर साम्प्रदायिक तत्वों की बात सुनने से साधारण हिन्दुस्तानी मना कर रहा था कि नहीं, सरकार ने जो किया है ठीक किया है । बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी भाषा बनाई गई तो उसको ठीक कहा गया । अगर होम डिपार्टमेंट ने माइनारिटीज के लोग हैं तो ठीक हैं । अब साम्प्रदायिक दिमाग रखने वाले लोग आन्दोलन कैसे चलायें ? उसका एक ही तरीका है कि इस देश में साम्प्रदायिक तनाव पैदा कर दिया जाए । और जब साम्प्रदायिक तनावों को पैदा कर देंगे तब इन मुद्दों को लेकर दोबारा इस देश की जनता को भड़काया जा सकता है । 1977 के पहले के मामले भी उठे थे लेकिन 1977 के बाद तो कहते हैं—छुटती नहीं है मुंह से यह काफिर लगी हुई । एक बार सत्ता का मजा भी चख चुके हैं । अब उस सत्ता का दोबारा मजा कैसे आए, कैसे दोबारा इन वेचेज पर आयें इसके लिए चाहे 10 मुरादाबाद बनवाने पड़ें, चाहे लोगों को मरवाना पड़े, चाहे असम का आन्दोलन चलाना पड़े, चुनकर तो आए हैं इस सदन के सदस्य की हैसियत से अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए लेकिन जायेंगे महाराष्ट्र में रेलें और सड़कें रोकने के लिए, इसलिए चाहे रेलें रोकनी पड़ें या सड़कें रोकनी पड़ें, चाहे कुछ भी करना पड़ें लेकिन सरकार किसी तरह से भी चलने न पाए । जो सत्ता की सुरा एक बार इस्तेमाल की है वह किसी तरह से दोबारा मिल जानी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो कानूनी तरीके हैं, जो लेजिटिमेट तरीके हैं उनका इस्तेमाल आप कीजिए, लोकतन्त्र में आपको इसकी पूरी छुट्टी है, आप जिस तरह से चाहें हमारे खिलाफ आन्दोलन चलायें, हम जिस तरह से चाहें आपके ऊपर प्रहार करें लेकिन उसकी कुछ सीमायें हैं जिनके अन्दर रह कर भारत की एकता, भारत की अखण्डता और भारत की महानता के लिए किसी प्रकार का कोई खतरा न पैदा हो ।

आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर एक बात कही गई कि हमारे लोगो ने कहा है कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ था लेकिन यह कहा किसने ? जिनका आपने नाम लिया, जो आप हमदर्द हैं (व्यवधान) पेट्रो डालर की बात किसने कही ?

स्पाटलाइट प्रोग्राम में सभी लोग आते हैं, राम जेठमलानी साहब भी आ जाते हैं। (व्यवधान) जो कि हमारे व्यूजको रिप्रेजन्ट नहीं करते हैं ? इसी तरह से दूसरे लोग भी आ जाते हैं। लेकिन यह किसने शुरुआत की ? आप जरा नजर डालकर देखें बड़ौदा डायमाइट केस के एक्यूज्ड के आलावा और कोई नहीं आता—चाहे पेट्रो डालर की बात हो, चाहे नासिक में रेलें रोकने की बात हो, किसी तरह से भी डी—स्टैबलाईजेशन की बात उन्होंने ही शुरू की। (व्यवधान) 13 को यह मामला हुआ और शायद 15—16 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी जिसमें रेजोल्यूशन पास किया गया और यह कहा गया कि इस प्रकार की भ्रांति फैलाने की कोशिश की जा रही है जिससे अरब देशों और दूसरे मुस्लिम देशों के साथ हमारे सम्बन्ध खराब कराए जा सकें। लेकिन यह सरकार उनकी सरकार नहीं है जो रात में छिपकर मांशे दायान को बुलाया करते थे। यह उनकी सरकार है जिन्होंने तीस साल तक आपका मुकाबला किया, आप सड़कों पर मांग करते थे कि इजराइल को तस्लीम किया जाए। एक बार प्रधान मंत्री बनने का मौका मिल गया तो लालकिले पर उनको इजरायल याद आया, इजरायल की गाय याद आई। हम इजरायल के समर्थक नहीं हैं, हमने आपकी मांग का मुकाबला करके इजरायल को मान्यता नहीं दी। इस सरकार ने सेक्युलर पालिसीज को बढ़ाया। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि फारेन हैण्ड होने की जो बात कही गई है (व्यवधान)

श्री राम जेठ मलानी : यह आपके साम्प्रदायिक होने का सबूत है। (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उसकी शुरूआत हमने नहीं की (व्यवधान) अगर फारेनहैण्ड की बात अखबार में भी हुई तो उनके कुछ दोस्त हैं ऐसे जिनको एकदम बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है ? अभी श्री ज्योतिर्मय बसु कह रहे थे कि एन्टायर मुस्लिम वर्ल्ड एजिटेटेड है, अगर वे कहते कि वे एजिटेटेड हैं तो मैं उनसे सहमत होता। इस देश में अल्पसंख्यकों को अधिकार इसलिए नहीं हैं कि हम मुसलमान देशों को खुश करना चाहते हैं बल्कि इसलिए हैं कि वह हमारे मूलभूत अधिकार हैं, मूलभूत सिद्धान्त हैं। हमारे राष्ट्र ने यह बात तय की थी। इसीलिए हमने मुस्लिम लीग का मुकाबला किया था और टू नेशन थ्योरी को हमने कभी नहीं माना। इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे कि श्री ज्योतिर्मय बसु को इस देश से बाहर रहने वालों के लिए कोई चिन्ता है। (व्यवधान) माइनारिटीज को प्रोटैक्ट करना, उनके लैजिटिमेट राइट्स को दिलवाना और जो नेशनल लाइफ में उनका मोकाम है, वह उनको मिले। यह हमारे लिए आर्टिकल आफ फेथ है, हमारे मूलभूत सिद्धान्त में हैं। हमें श्री ज्योतिर्मय बसु यह कह कर न डरायें कि बाहर चिन्ता है, चिन्ता वह खुद करें।

मैं अभी हज के लिए सउदी अरब गया था। सउदी अरब में किसी चीज पर भी

आप देखिए चाहे चप्पल देखिए, कपड़े देखिए, हर चीज पर एक खास देश का लेबल लगा हुआ मिलेगा और भी बहुत से ऐसे देश हैं जो उपभोग की वस्तुयें खुद नहीं बनाते हैं। हमारे यहां मुरादाबाद तकरीबन सौ करोड़ रु० का फारेन एक्सचेंज अकेले अपने बर्तनों से कमाता था। मैं कुछ मुरादाबाद के कारीगरों और बिजनेसमैन को माननीय गृह मन्त्री जी के पास ले गया था, उन्होंने उनकी बातें बड़ी हमदर्दी के साथ सुनी, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। वहां यह बराबर कहा जाता है कि हम जब अपना माल लेकर जाते हैं तो माल खरीदने वाला हमसे माल तो खरीद लेता है, लेकिन हमारे जैसा माल कोरिया भी बनाता है। वह भी अपना माल लेकर इन्टरनेशनल मार्केट में निकलता है, तो उसका माल भी दुकानदार लेकर रख लेता है और यह कहता है कि माल रख जाइए अगर कोई खरीददार आएगा तो आर्डर दूंगा। लेकिन मुरादाबाद को, चूंकि साख बनी हुई है, गुडविल है, आर्डर मिलते हैं। आज मुरादाबाद का बिजनेश-मैन कहता है कि अगर छः महीने के लिए यह स्थिति और चली तो खरीददार हमारा इन्तजार नहीं करेगा और वह सारा आर्डर कोरिया को दे देगा।

मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। हमारे देश में जहां राष्ट्र भक्तों की कमी नहीं वहां जयचन्द और मीर जाफर भी पैदा हुए हैं। इस देश में राष्ट्र भक्तों की कमी नहीं है। जयचन्द और मीर जाफर जैसे लोग पैदा हुए हैं। इन लोगों की मिलकर यह साजिश तो नहीं है कि मुरादाबाद की इस इण्डस्ट्री को खत्म कर दिया जाए और यह बिजनेस किसी दूसरे के हाथों में दे दिया जाए।

अन्त में मैं सरकार से आग्रहपूर्वक अनुरोध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है कि जुल्म किस पर हुआ है, कहां हुआ है। अगर एक आदमी पर भी जुल्म हुआ हो तो मजलुम की आह सीधी पहुंचती है कि एक आदमी पर जुल्म हुआ है। इसलिए सरकार का यह फर्ज बन जाता है, क्यों कि इस देश की जनता ने विश्वास प्रकट किया है और हमसे यह अपेक्षा करते हैं, कि उनके जान-माल और इज्जत की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम अपने हाथ में लें। हमें इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और यह मुमकिन है कि किसी वक्त परिस्थितियों से मजबूर होकर हम तत्काल कोई कार्यवाही न कर सकें, लेकिन उन लोगों के साथ जिन्होंने मुरादाबाद में यह काम किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही निश्चित रूप से होनी चाहिए।

पुलिस के खिलाफ जो एन्टी मुस्लिम माहौल बनाया जा रहा है, मैं उसके सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि पुलिस में कुछ तत्व खराब हैं, जैसे कानपुर मैडिकल कालिज में घुस कर उन्होंने डाक्टरों के साथ ज्यादती की, बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी में उन्होंने लड़कों को दूसरी मंजिल से फेंका, पंत नगर में 200 मजदूरों को मार डाला, लेकिन यह सब कोई एन्टी-मुस्लिम बात नहीं है। अगर पुलिस में कोई खराबी है तो उसको जरूर

दूर करना चाहिए। पुलिस की ट्रेनिंग इस तरह से होनी चाहिए कि वह साधारण नागरिक में सेन्स-आफ-सिक्योरिटी (सुरक्षा की भावना) पैदा करने में कामयाब हो सके और इसी को मैं समझता हूं कि वह सरकार की सबसे बड़ी कार्यवाही होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिए चार घण्टे का समय नियत किया गया था। अब छः बज चुके हैं, और चार घण्टे समाप्त हो चुके हैं। अब सदन की क्या इच्छा है ? हमें इसके लिए कितना और समय देना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : दो घण्टे।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, क्या सदन की इच्छा यह है कि इस चर्चा के लिए समय दो घण्टे और बढ़ा दिया जाय ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां !

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अपने नौजवान दोस्त से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहूंगा। क्या वे कृपा करके हमें यह बतायेंगे कि श्रीमती गाँधी गौ-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक आन्दोलन खड़ा करने के लिए विनोबा भावे के पास क्यों गई ? क्या यह एक साम्प्रदायिक कार्य नहीं था। क्या इसे साम्प्रदायिक असामंजस्य को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं किया गया है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु, आप सदन के एक काफी वरिष्ठ सदस्य हैं परन्तु आप ऐसे अनेकों मामलों को उठा रहे हैं जो इस प्रसंग से सम्बद्ध नहीं हैं, मुझे यह कहते हुए खेद होता है।

प्रोफेसर मधु दण्डवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मुझे यह बताने दीजिए कि जब समाज के कमजोर वर्गों में अत्यधिक साम्प्रदायिक तथा दूसरे प्रकार के विभिन्न तनाव व्याप्त हों और उसके कारण दंगे हो रहे हों, पुलिस द्वारा दमन किया जा रहा हो, तो मैं समझता हूं कि हमें इस पूरे मामले को दलगत राजनीति से ऊपर उठाकर देखना चाहिए। मैं समझता हूं कि पूरा सदन इस मामले पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करेगा।

मैं इस सदन में भावावेश को भड़काना नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि हम किसी एक साम्प्रदायिक मामले पर भावावेश को उत्तेजित करेंगे तो सदन के बाहर इसकी अपनी अलग प्रतिक्रियायें होंगी और उसके परिणामस्वरूप बजाय इसके कि सदन के बाहर साम्प्रदायिक तनाव में कमी आये, मुझे डर है कि वह कहीं और न बढ़ जाये, इसलिए मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा।

मनानीय सदस्य श्री खां की वात सुनने और मुरादाबाद के दंगों के बारे में उनके द्वारा दी गई विस्तृत जानकारी के बाद मुझे इसमें अब तनिक भी संदेह नहीं रहा है कि जहां तक मुरादाबाद की घटनाओं का सम्बन्ध है उसके लिए प्रमुख रूप से पुलिस का दमन ही उत्तरदायी है, परन्तु महोदय ऐसा कहते हुए मैं यह भी स्पष्ट रूप से कह दूं जब कभी भी किसी दंगे में मुसलमानों को मारा जाता है तो इसमें केवल मुसलमानों को ही दुःख नहीं होना चाहिए । इसमें अन्य सभी धर्म के लोगों को भी दुःख होना चाहिए । यदि हिन्दुओं को मारा जाता है तो केवल हिन्दुओं को ही इसका दुःख नहीं होना चाहिए अपितु सभी समुदायों को दुःख होना चाहिए । मुझे याद आती है कि स्वर्गीय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने साम्प्रदायिक दंगों के बारे में क्या कहा था । उन्हों कहा था कि साम्प्रदायिक दंगों का दुर्भाग्य यह है कि जब मुसलमानों को मारा जाता है तो मुसलमानों को परेशानी हो जाती है और जब हिन्दुओं को मारा जाता है तो हिन्दू क्षुब्ध हो जाते हैं । परन्तु इस बात का दुःख बहुत कम लोगों होता है कि मनुष्यों को मारा गया है । हमें एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे हमें इस बात का दुख हो कि मनुष्य मारे गए हैं । क्यों कि इसमें मानव अधिकारों को मारा जाता है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं की जाती है, संविधान में जिसकी गारंटी दी गई है वह उन्हें नहीं मिल पाता है परिणाम-स्वरूप यदि ऐसी मौतों पर सारे देश को क्षोभ होगा तो उससे कुछ न कुछ अच्छाई को अवश्य ही जन्म मिलेगा ।

जहाँ तक साम्प्रदायिक दंगों और पुलिस के दमनों के कारण हुए अन्य दंगों की वर्तमान स्थिति का सम्बन्ध है तो मैं सोचता हूं कि इसके लिए एक दीर्घावधि योजना बनाई जानी चाहिए और कुछ रचनात्मक समाधान ढूंढने चाहिए । हमें इस बीमारी के लक्षणों से परेशान होने कोशिश नहीं करनी चाहिए । मुरादाबाद में जो कुछ हुआ है वह सामाजिक वैमनस्य का ही एक लक्षण है और हममें उसे पहचानने की सामर्थ्य होनी चाहिए ।

आप याद कीजिए, यह एक वास्तविकता है कि पिछले स्वतंत्रता दिवस को, जब प्रधान मंत्री जी राष्ट्रीय ध्वज को फहरा रहीं थीं, तो उन्होंने घोषणा की थी कि पिछले दो दिनों में मुरादाबाद में जो दंगे हुए हैं उनका उन्हें दुःख है ।

उसके पश्चात देश के प्रधान मंत्री द्वारा ही एक वक्तव्य दिया गया—मैं नहीं जानता हूं कि उसका आधार क्या था परन्तु ऐसा स्पष्ट किया गया—खुले आम यह बात कही गई और अखबारों में भी यह प्रकाशित हुआ कि—मुरादाबाद के इन दंगों में विदेशी शक्तियां सम्मिलित थीं ताकि देश की अखण्डता को नुकसान पहुंचाया जा सके, सरकार की स्थिरता को नुकसान पहुंचाया जा सके, और मुस्लिम देशों में राष्ट्र की धर्म निरपेक्ष छवि को धूमिल किया सके । यह सब कुछ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु देश के प्रधान

मंत्री द्वारा कहा गया था और इसके पश्चात जब वही प्रधान मंत्री कुछ समय पश्चात मुरादाबाद गईं तो उन्हें ऐसी घोषणा करने का और ऐसा वक्तव्य देने का दुस्साहस हो गया कि उसमें किसी विदेशी शक्ति का हाथ नहीं था, तथा जहाँ तक उस घटना का सम्बन्ध है उसमें किसी भी विदेशी शक्ति अथवा विदेशी ऐजेन्सी का हाथ नहीं था। महोदय, मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है और एक आघात लगता है कि देश की प्रधान मन्त्री जैसी महान हस्ती एक जगह पर तो कुछ कहती हैं और बाद में उसका खण्डन भी कर देती हैं। इससे स्वतः ही पता चल जाता है कि यह एक ऐसा मामला है जिसकी पूर्ण जाँच किए जाने की आवश्यकता है।

जिला स्तर का एक न्यायाधीश निष्पक्ष रूप से इस सम्पूर्ण समस्या का पता नहीं लगा सकता। मैं माननीय सदस्य श्री खां और इस सदन के कई अन्य माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए वक्तव्य तथा सुझावों से पूर्णतः सहमत हूं कि अध्यक्ष महोदय, संसद सदस्यों की एक छोटी-सी समिति बना सकते हैं और ऐसा संसदीय प्रतिनिधि मंडल मुरादाबाद तथा उन अन्य स्थानों का दौरा करे जहां कि दंगे हुए हैं और वे इस बात का पता लगायें कि वास्तव में तथ्य क्या हैं और उनकी सूचना फिर संसद में दी जा सकती है। यही सर्वोत्तम तरीका है जिससे सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। यदि कुछ लोग सच्चाई से डरते हैं तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है लेकिन यह मेरा विश्वास है कि सदन के दोनों पक्षों के लोग, सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्य जो कि संसद की सर्वोच्चता की बात करते हैं, वे इस रचनात्मक सुझाव को मानने को तैयार होंगे कि इस पूरे मामले की जाँच के लिए हमारे पास एक संसदीय समिति होनी चाहिए और इस बात का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि दंगों के लिए निश्चित रूप से कौन सी एजेन्सियाँ पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं।

यह समस्या एक व्यापक समस्या है जिसके कई रूप हैं, इसमें अल्प संख्यकों की वास्तविक सुरक्षा शामिल है। इसमें सभी धर्मों की स्वतन्त्रता आ जाती है। प्रसंगवश मैं यहाँ यह बता दूं कि मेरा दल उस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता है जो मेरे साथी श्री जेठमलानी द्वारा पेश किया गया है। वे दूसरे दल से सम्बन्ध रख सकते है। हमारे बीच कई मामलों में मतभेद हो सकते हैं परन्तु मैं उस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं जो सभी समुदायों के प्रत्येक सदस्य को किसी भी धर्म को अपनाने तथा उसका प्रचार करने तथा यहाँ तक कि एक धर्म से दूसरा धर्म अपनाने तक की स्वतन्त्रता प्रदान करता है। हमें इसका पूर्ण समर्थन करना चाहिए।

यहाँ आर्थिक अवसरों की समस्याएं भी हैं यदि आप मुरादाबाद की समस्याओं को देखें तो उसके मूल कारणों में से एक यह भी है। श्री ज्योतिर्मय बसु ने जो कुछ कहा है

वह बिल्कुल ठीक है। इसमें कई समस्याएं शामिल हैं उनमें अत्यधिक विरोध है। आप देखेंगे कि जब निहित स्वार्थों को पता चलता है कि उनके हितों को हानि हो रही है तो इन दंगों में वे भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक एकरूपता का प्रश्न है और इस समस्या का भी समाधान किया जाना चाहिए। देश की सामूहिक एकरूपता के साथ प्रत्येक धार्मिक समुदाय तथा भाषाई वर्ग की एकरूपता को स्वीकार किया जाना चाहिए। देश की सांस्कृतिक एकता के लिए हम एक ऐसी मिली-जुली संस्कृति चाहते हैं जो विभिन्न धर्मों तथा भाषाई वर्गों को साथ लिए हुए हो और देश की धर्म निरपेक्षता के हित के लिए भारत की उस संस्कृति को बनाए रखा जाना चाहिए।

इसमें कई सामाजिक समस्याएं भी हैं तथा उनके राजनैतिक व्यवहार को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। हमारे जीवन में सदियों से साम्प्रदायिक भावना घर किए हुए है और विभिन्न घटनाओं में उसका मूर्त रूप हमें देखने को मिलता है। इस विशेष मामले में भी इसकी झलक स्पष्ट दिखाई देती है। मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि सेना अथवा पुलिस बल में प्रत्येक धार्मिक वर्ग अथवा जाति के लोगों के लिए एक निर्धारित प्रतिशत आरक्षित रखा जाना चाहिए परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इस देश के प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को इतना अवश्य ही महसूस होना चाहिए कि जहाँ तक पुलिस बल का सम्बन्ध है इसमें साम्प्रदायिक अथवा जातीय भावनाओं को नहीं पनपने दिया जाएगा। इसलिए उन बलों में समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को अपनी छवि अवश्य दिखाई दी जानी चाहिए जिनसे नागरिकों के जन-जीवन, सम्पत्ति और स्वतन्त्रता की रक्षा की जाने की अपेक्षा की जाती है। अल्पसंख्यकों के दिलों में विश्वास की भावना जगाने के लिए एक तरीका यह भी अपनाया जाना चाहिए कि देश के पुलिस बल में विभिन्न समुदायों तथा वर्गों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए।

जब कभी भी कोई साम्प्रदायिक दंगा होता है तो यह बहुत ही आवश्यक है कि उसका निश्चित उत्तरदायित्व जिला प्राधिकारियों पर रखा जाय। दंगे के लिए उन्हें ही उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए और उसके लिए सरकार को कुछ ठोस कार्यवाही करनी होगी तथा कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। इस प्रकार की कार्यवाही साम्प्रदायिक दंगों के मामले में अवरोधक का कार्य करेगी।

विशेष अदालतों का प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है कुछ लोगों को विशेष अदालतों से कुछ चिढ़ हो परन्तु मैं इस सदन में यह मांग करूंगा कि साम्प्रदायिक तथा जातीय और उन अन्य प्रकार के दंगों जिनमें समाज के कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यकों पर हमला किया जाता है, से सम्बन्धित अपराधों के मुकदमों को शीघ्रता से निपटाए जाने के लिए विशेष अदालतों का गठन अवश्य किया जाना चाहिए। यह एक ऐसा ठोस सुझाव है जो जनता पार्टी द्वारा बार-बार दिया गया है।

सामूहिक रूप से जुर्माना किया जाना भी कभी कभी अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि वह सदैव ही बुरा हो। मैं जानता हूं कि स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय अंग्रेजों द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया था परन्तु जब कभी भी साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, जब कभी साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है और किसी वर्ग विशेष पर नियोजित आक्रमण किया जाता है तो उन सीमित क्षेत्रों के लोगों पर सामूहिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि गृह मंत्री सामूहिक दण्ड के कर को लगाने की सम्भाव्यताओं का पता लगायेंगे ताकि ऐसे मामलों में यह भी एक अवरोधक का कार्य कर सके।

कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ कुछ समुदायों के लोग रह रहे हैं, घनी आबादी के कुछ क्षेत्रों के कई गाँवों तथा शहरों में अछूत लोग रह रहे हैं। इसी प्रकार से मुस्लिम तथा ईसाई भी अन्य क्षेत्रों में रह रहे हैं। हमें आवास के सम्पूर्ण ढांचे में परिवर्तन लाना चाहिए और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि आवास की नई विधियाँ अपनाई जाएं, किसी एक क्षेत्र में अलग रूप से किसी एक ही समुदाय विशेष की आवासीय व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। विभिन्न समुदायों, धर्मों तथा भाषाई वर्ग के लोगों को स्वतन्त्र रूप से मिल जुलकर साथ-साथ रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनमें विचारों, और तरीकों तथा सामाजिक जीवन का स्वतन्त्र रूप से आदान-प्रदान हो सके। यह सब किया जाना चाहिए।

मैं काफी लम्बे समय से अध्यापन व्यवसाय में रहा हूं इसलिए यह अवश्य ही उल्लेख करना चाहता हूं कि इस देश में अंग्रेजों के शासन काल से ही चली आ रही पाठ्य-पुस्तकों का अपना अलग प्रकार का दृष्टिकोण है। विद्यालयों तथा महा विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तकों के रूप में निर्धारित की गई पुस्तकें भी कई बार विभिन्न समुदायों के विरुद्ध एक विशेष घृणा तथा झुकाव उत्पन्न कर देती हैं। मैं समझता हूं कि हमें विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना होगा और यह देखना होगा कि इस देश में हमारी नयी पीढ़ी इससे अलग दिशा में चलने को समर्थ हो सके।

जहाँ तक आर्थिक अवसरों का सम्बन्ध है, जब तक हम अल्प संख्यकों, चाहे वे भाषाई हों अथवा धार्मिक हों, को यह विश्वास नहीं दिला पाते हैं कि संविधान के अंतर्गत उन्हें जो भी अधिकार दिए गए हैं उन्हें बनाए रखा जाएगा। उनमें सुरक्षा की भावना नहीं पनप सकती है।

कुछ लोगों को जनता सरकार से अरुची हो सकती है। लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि जनता सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्यों में से एक यह है कि पिछले अनेक वर्षों से कोई अल्प संख्यक आयोग नहीं था। उस आयोग की नियुक्ति की गई। मैं चाहूंगा कि वर्तमान सरकार एक कदम और आगे बढ़े और इसे कानूनी दर्जा दे ताकि देश

में अल्प संख्यकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को संरक्षण मिल सके ।

विभाजन पूर्व और विभाजन के बाद के दिनों की बड़ी दुखद और क्रूर स्मृतियां हैं । हां, कुछ उज्ज्वल स्मृतियाँ भी हैं —जैसेकि महात्मा गांधी की नोआखली पद यात्रा । लेकिन जहां तक पुरानी पीढ़ी का सम्बन्ध है । इस देश में अभी तक विभाजन पूर्व और विभाजन के बाद में हुए दंगों की स्मृतियों की कालिमा शेष है । अतः इस देश में धर्म-निरपेक्षता की वास्तविक आशा नई पीढ़ी, नई युवा पीढ़ी से की जा सकती है क्योंकि पुरानी क्रूर स्मृतियों की छाया उन पर नहीं पड़ी है । मुझे आशा है कि हम इस नई पीढ़ी पर ध्यान केन्द्रित करने में समर्थ होंगे क्योंकि यही नई पीढ़ी भारत में वास्तविक धर्म-निरपेक्षता की भावना उत्पन्न करने और साम्प्रदायिक दंगों का निवारण करने में अग्रणीय कार्य कर सकेगी । यही रचनात्मक दृष्टिकोण है जो मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा । धन्यवाद !

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : वाद-विवाद के इस स्तर पर, मुझे मुरादाबाद या अन्यत्र हुई घटनाओं के वर्णन में अपनी ओर से कुछ और नहीं जोड़ना है । वह काम तो मेरे विचार में, सत्तारूढ़ पार्टी के श्री मुर्शीद अहमद खाँ द्वारा अच्छा ही किया गया है । वह काम उन्होंने किसी से भी बेहतर किया है । मैं नहीं समझता कि कोई भी उनके तथ्यों का खण्डन करने की हिम्मत करेगा । इस सदन में कुछ सदस्यों के भाषण से मैंने महसूस किया—कुछ ऐसी भावना है कि हमें इस बात के बारे में अधिक चिन्तित नहीं होना चाहिए कि दुनिया हमारे विषय में क्या सोचती है अथवा अन्य देश हमारे बारे में क्या सोचते हैं । लेकिन मैं इसके विपरीत विचार रखता हूं जिसका सहज कारण यह है कि अब से एक सप्ताह बाद अर्थात् 10 दिसम्बर को हम विश्व भर में विश्व मानव अधिकार दिवस मनाने जा रहे हैं । मुझे विश्वास है कि उस अवसर पर दिल्ली में भी अनेक सभाओं और समारोहों का आयोजन किया जाएगा जिसमें विभिन्न मंत्री तथा अन्य लोग सभी तरह अनर्गल बातें कहेंगे । अगले माह महात्मा गाँधी के प्राणोत्सर्ग की वर्ष गांठ मनाई जाएगी । उन्होंने हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया और वह शहीद हो गए क्योंकि वह साम्प्रदायिक एकता के कट्टर समर्थक थे और यह बात उन धर्मान्ध लोगों को पसन्द नहीं थी जिन्होंने उनको समाप्त करने का निश्चय किया । वह दिन नजदीक आ रहा है । इस वर्ष, विश्व में इस्लाम के 1400 वर्ष—1400 हिजरी—पूरे होने की खुशी मनाई जा रही है । यह धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है । यद्यपि मैं उस धर्म का अनुयायी नहीं हूं, वैसे मैं किसी भी धर्म का कट्टर अनुयायी नहीं हूं, लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि इस देश में, जिसे हम धर्म निरपेक्ष कहते हैं और जिसके धर्म निरपेक्ष होने का हम दावा करते हैं, इस्लाम धर्म के मानने वालों की संख्या किसी भी अन्य इस्लाम धर्म को मानने वाले की अपेक्षा बहुत अधिक है ।

(व्यवधान)

क्या यह सच नहीं है, महोदया ?

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : दो देश हैं जहाँ वे अधिक संख्या में हैं।

एक माननीय सदस्य : इण्डोनेशिया और बंगला देश।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इण्डोनेशिया, मुझे आशा है आप इस समय उनके स्वागत में लगे हुए हैं। खैर !

लेकिन लोगों के दिमाग में जो प्रश्न उठा है, कम से कम मेरे दिमाग में तो है ही, वह यह है कि क्या भारतीय सहनशीलता की परम्परा और उसका इतिहास अब समाप्त होने जा रहा है या नहीं ? साम्प्रदायिक उपद्रव न केवल मुरादाबाद और उत्तर प्रदेश में हुए हैं, बल्कि अनेक स्थानों पर होते रहे हैं। हां, गत वर्ष, यह सरकार नहीं थी, इसलिए, वे यह कहेंगे कि यह उनका दोष नहीं था, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन-सी पार्टी तब सत्ता में थी अथवा अब किस पार्टी की सरकार है। पिछले वर्ष, जमशेदपुर में तीन बार भीषण दंगे हुए। हाँ, अलीगढ़ में यह बीमारी बहुत पुरानी है। गुजरात और अनेक स्थानों पर दंगे हुए। लेकिन आज मुरादाबाद के बारे में ही लोगों का ध्यान इतना अधिक क्यों खींचा जा रहा है ? वह इसलिए कि इसमें कुछ नई बात है। और उस नई बात ने विश्वास का संकट उत्पन्न कर दिया है।

यहाँ जिस बात पर बल दिया गया है, जो उचित भी है, वह है पुलिस की भूमिका। फिर, यहां वाद-विवाद को इस तरह का मोड़ दे दिया जाता है जैसे कि सिर्फ पुलिस ही जिम्मेवार है, पुलिस ही अपराधी है। वह भी सही नहीं है।

मुझे याद है, पिछले वर्ष, जमशेदपुर में दंगों के बाद बहुत से लोगों ने हमें बताया कि इसी तरह की घटनाएं वहां हुई थीं, हालांकि इतने बड़े पैमाने पर नहीं। पी०ए०सी० ने सबको मात कर दिया है। लेकिन वहां एक तरह की लघु पी०ए०सी० अथवा एक दूसरा पुलिस बल भी है जिसे बिहार मिलिट्री पुलिस कहा जाता है। बहुत से लोगों ने हमें बताया था कि बिहार मिलिट्री पुलिस ने किस तरह व्यवहार किया, किस तरह उन्होंने ही पहले घरों को लूटा, लोगों को आतंकित किया और उन्हें पकड़कर ले जाया गया। इसके बाद ही सारे मामले को तथाकथित साम्प्रदायिकता का रूप दिया गया। पी०ए०सी० अपने आप में एक अलग ही चीज है। अतः आज विश्वास का संकट है।

क्या यह भविष्य के लिए एक नई मिसाल है ? मेरे कानपुर वाले मित्र ने बड़े कष्ट के साथ इस बात पर बल दिया कि हमें इसी तथ्य को बहुत अधिक नहीं उछालना चाहिए कि पुलिस किसी अल्प संख्यक समुदाय के प्रति एक विशेष रुख अपना रही है लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की

जाए जो जिम्मेवार हैं। मैं उनसे सहमत हूं। सवाल यह है कि तब क्या होता है जब कोई कार्यवाही नहीं की जाती ? तब आप कैसे आशा कर सकते हैं कि फिर से विश्वास कायम हो ? कार्यवाही करना यदि सरकार का नहीं तो किसका काम है ? मेरे पास, गृह मन्त्री, ज्ञानी जैलसिंह द्वारा दी गई लम्बी भेंट वार्ता है...

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : उनकी सभी भेंट वार्ताएं लम्बी होती हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे नहीं मालूम। यह भेंट वार्ता सन्डे पत्रिका को दी गई थी। जहाँ तक मुझे मालूम है, इसका खण्डन नहीं किया गया है। यह भेंट वार्ता कई पृष्ठों में है। मैं यहां केवल दो या तीन वाक्य पेश करना चाहूंगा। मैं पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर उद्धृत नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसके लिए समय नहीं है। वह कहते हैं :

"हमारे पास जो भी शिकायतें आई हैं वे पी०ए०सी० के बारे में हैं। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सारी पी०ए०सी० दोषी है। पी०ए०सी० में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उचित रूप से व्यवहार नहीं किया है और हम उन्हें निकाल बाहर करेंगे, हम उन्हें दण्ड देंगे।"

जब गृह मंत्री उत्तर दें तो वह हमें बताएं कि उन्होंने कितनों को निकाल बाहर किया और कितनों को दण्ड दिया है।

उसी भेंट वार्ता में एक दूसरी जगह वह कहते हैं :

"मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि हमें ऐसी सूचना मिलती है कि प्रशासन में किसी व्यक्ति ने समुदाय के आधार पर ही लोगों को गिरफ्तार किया है.....
आपने सुना श्री खां ने क्या कहा—

"——और इसलिए नहीं कि वे शरारत में शामिल थे, और दोनों ही समुदाय के सदस्य वैसा कर सकते हैं, तब हम कार्यवाही करेंगे, हम ऐसे पदाधिकारियों को दण्ड देंगे।

प्रश्न : क्या आपने कभी किसी पदाधिकारी को दण्ड दिया है ?

उत्तर : अब तक तो निलंबन अथवा स्थानांतरण का ही दण्ड दिया गया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हम दण्ड को अधिक कड़ा बनाएंगे।"

कृपया हमें बताएं कि जो कुछ हुआ है उस सिलसिले में, सारी पी०ए०सी० को नहीं, बल्कि उसके लिए पी०ए०सी० में जिम्मेवार लोगों को क्या कड़ा दण्ड दिया गया है।

फिर, एक और जगह वह कहते हैं :

"मेरे पास ऐसे लोगों की एक सूची है—जिसे मैं अभी प्रकट करना नहीं चाहता—

जिन्होंने हमारी सरकार में रहते हुए आग के बुझाने की बजाय उसे भड़काने की कोशिश की और हम उन्हें दण्ड देंगे।"

ये कौन लोग हैं और क्या उन्हें दण्ड दिया गया है ?

बात यह है कि हम सभी आश्वासन देने और भाषण देने में बहुत अच्छे हैं। लेकिन लोगों में विश्वास का संकट इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि एक ओर तो पुलिस पाशविक और बरबरतापूर्ण ढंग से व्यवहार कर रही है, और दूसरी ओर, आप आश्वासन दिए जा रहे हैं और किसी को भी दण्ड देने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम यहां से कहां जाएं इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि कहीं ऐसा न हो दुनियां भर में हमारे देश की आलोचना हो। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इस बारे मे बहुत ही चिंतित हूं।

हम फिर गांधी जी की पुन्य तिथि की वर्षगांठ मनाएंगे, हम विश्व मानव अधिकार दिवस मनाएंगे; और भी बहुत सी बातें करेंगे। अगले सप्ताह, रंगभेद नीति विरोधी विधेयक आ रहा है जिसके माध्यम से हमारी सरकार ने, 8 वर्ष का समय बीत जाने के बाद, अब फिर संयुक्त राष्ट्र के रंग भेद नीति विरोधी सम्बन्धी सम्मेलन, अर्थात् एक जातीय समुदाय द्वारा दूसरे जातीय समुदाय के विरुद्ध दमन अथवा भेद-भाव का विरोध करने वाली नीति का समर्थन करने का निर्णय किया है। बहुत अच्छा। हम पूरे उत्साह के साथ इसे पारित करेंगे; सदन में इसका सभी ओर से इसका समर्थन होगा। लेकिन लोगों द्वारा बड़े उल्टे-सीधे सवाल पूछे जा रहेहैं। और हम क्यों यह कहें कि अन्य देशों में लोग क्या कहते हैं हम उसकी परवाह नहीं करते ? हम परवाह करते हैं। विश्व की दृष्टि में हमारी भी एक छवि है, और हम नही चाहते कि वह छवि धूमिल हो। इसी-लिए, मैं सोचता हूं कि महान भारतीयों, संतों, दार्शनिको आदि ने युगो से जीवन के जिन मूल्यों का बखान किया है, उनका आज मजाक उड़ाया जा रहा है। हमें इस बात को कबूल कर लेना चाहिए। पाखण्डी बनने अथवा पाखण्डपूर्ण बातें करने में कोई लाभ नहीं है।

मुरादाबाद के बारे में, मैं दो बातें कहना चाहता हूं जिनका उल्लेख यहां किसी और ने नहीं किया है। एक बात तो यह है कि उन ताकतों के जो इस देश में स्पष्ट रुप से साम्प्र-दायिक ताकतें हैं, जो अपने साम्प्रदायिकतावाद के बारे में कुछ भी गुप्त नहीं रखते, इन दंगों, उपद्रवों से पहले, से विधान सभा और लोक सभा चुनावों में बुरी तरह हराया गया था। इसका मतलब है कि मुरादाबाद के नागरिकों—मुसलमानों और हिन्दुओं दोनों ने चुनावों में इन लोगों को नामंजूर कर दिया था। मैं यहाँ नाम बताना नहीं चाहता। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि ये साम्प्रदायिक ताकतें, जो उत्तर प्रदेश में बहुत शक्ति शाली हैं, इस हार से समझौता नहीं कर पाईं; और वे इस तरह के दंगे तथा उपद्रव करा कर फिर से वापस आने

का षड्यंत्र कर रही हैं। मैं आशा करता हूं कि दूसरी ओर के सदस्य उत्तेजित नहीं होंगे; अन्य पार्टियों में भी ऐसा होता है। ऐसे अवसरों पर राजनीतिक पार्टियाँ साम्प्रदायिक रूप से अलग-अलग हो जाती हैं। यह सच है मुरादाबाद का कोई भी व्यक्ति आपको बता सकता है कि मुरादाबाद के कांग्रेस विधायक, श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, जो सौ प्रतिशत धर्म निरपेक्ष व्यक्ति हैं— मैं समझता हूं कि गृह मंत्री उन्हें भली-भांति जानते हैं—ने किस प्रकार अपनी जान और सुरक्षा को खतरे में डालकर स्थिति को शान्त करने की कोशिश की, किस तरह उन्हीं की पार्टी के लोगों और पुलिस द्वारा उनका अपमान किया गया और धमकाया गया। जो कुछ भी अनुभव उन्हें हुआ, उससे वह बहुत दुखी हैं और उनके मनोबल को गंभीर चोट पहुंची है। मैं समझता हूं, गृह मंत्री भी उनकी धर्म निरपेक्ष भावना की पुष्टि करेंगे।

किसी ने कहा, "आप विदेशी हाथ होने की बात क्यों करते हैं ?" लेकिन मुझे याद है कि उस समय— मैं किसी अन्य षड्यंत्र की बात नहीं कर रहा हूं जिसकी शुरुआत विदेशों से हुई हो— हमारे विदेश मंत्री को पाकिस्तान के राजदूत को बुलाना पड़ा था और उन्हें चेतावनी दी थी क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट था कि श्री जिया-उल-हक मुरादाबाद में हुई घटनाओं का लाभ अन्य उद्देश्यों के लिए उठाने की कोशिश कर रहे थे और इसके बारे में पाकिस्तान में एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा था कि भारत में मुसलमानों को समाप्त किया जा रहा है; हमारे विदेश कार्यालय द्वारा उनको बुलाया गया था और उनसे कह दिया गया था, "हम ऐसी बातें पसंद नहीं करते।" अतः यह न कहें कि इनके पीछे कोई विदेशी हाथ नहीं है और कि हम इस बात की परवाह नहीं करते कि दूसरे लोग क्या कहते हैं। हम परवाह करते हैं, यह पूरी तरह स्पष्ट है।

अन्य मित्रों ने आर्थिक पहलुओं का उल्लेख किया है। वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में कहने के लिए मेरे पास समय नहीं है जो कुछ हुआ, उसके पीछे बहुत ही गंभीर आर्थिक पहलू हैं। क्योंकि यह बिल्कुल सही है कि हाल के वर्षों में, मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय में कुछ लोग अरब देशों के साथ व्यापार, विशेषकर पीतल के बर्तनों का व्यापार करने के कारण बहुत धनी हो गए हैं; वहाँ से धन आ रहा है और कुछ लोगों को उससे बहुत लाभ हुआ है। मैं मानता हूं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन मुसलमान और हिन्दू व्यापारियों के बीच एक तरह की स्पर्धा और दुश्मनी हो जाती है, और कुछ लोग यह पसंद नहीं करते कि छोटे मुसलमान व्यापारी, ये गरीब लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हों। यही सब बातें पृष्ठ भूमि में रही हैं। मैं नहीं जानता कि कभी इन बातों की जांच भी की जाएगी। वास्तव में, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जमात - ए - इस्लामी जैसी ताकतें, अभी से नहीं, बल्कि काफी लम्बे समय से सक्रिय हैं, और दोनों समुदायों में साम्प्रदायिकता, धार्मिक पुनर्जागरण की भावना को भड़का रही हैं। और मैं आपको गत वर्ष जमशेदपुर में हुई

घटनाओं के अनुभव से बता सकता हूं कि उन दोनों के बीच बड़ी ही संदेहपूर्ण सांठ-गांठ थी। वे दोनों इतने पर्चे, पुस्तिकाएं आदि प्रकाशित करते हैं, लेकिन उनमें वे कभी भी एक-दूसरे की आलोचना नहीं करते। यदि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जमात-ए-इस्लामी ने एक-दूसरे की आलोचना की होती, तो यह एक स्वाभाविक बात होती, लेकिन वे कभी भी एक दूसरे पर हमला नहीं करते और दोनों का उद्देश्य यह रहता है कि अपने-अपने समुदाय को भड़काया जाए और उपद्रव कराए जाएं।

आप कह सकते हैं, "हम नहीं जानते कि इसके पीछे कोई विदेशी हाथ है।" लेकिन मैं कहना चाहुंगा—मेरे पास कोई सबूत नहीं है—कि इस तरह की स्थिति पूरी तरह उन बाहरी ताकतों के अनुकुल है जो हमारे देश को नष्ट करना चाहते हैं। उन लोगों का हाथ है या नहीं—इसका पता लगाना आप का काम है, मेरा नहीं। इसके लिए आप को भुगतान किया गया है। आपके पास विशाल तंत्र है। कई तरह की आसूचना सेवाएं आप के पास हैं और यह पता लगाना आप का काम है। आपका काम यह नहीं है कि एक दिन आप यह कहने लगें कि इसके पीछे विदेशियों का हाथ है और दूसरे दिन कहें कि "बाहरी ताकतों के बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं है।"

किसी मजिस्ट्रेट या किसी न्यायाधीश द्वारा ये काम नहीं किए जाएंगे। पुलिस में, शिक्षण संस्थाओं आदि में हो रही भारी घुसपैठ के बारे में जाँच करना हमारे अपने हित में है—अभी प्रो० मधु दण्डवते ने कहा था कि बच्चों को, उनकी बहुत ही कच्ची उम्र में, अवांछनीय पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं—हमारी आसूचना एजेंसियों की भी जाँच होनी चाहिए क्योंकि ये एजेंसियाँ- सरकार को कभी भी पहले सूचना नहीं दे पाती हैं। हमेशा बाद में ही यह बात सामने आती है कि आसूचना एजेंसी असफल रही है। वे कभी भी यह पता नहीं लगा सके कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है और कि ऐसा तनाव उत्पन्न हो रहा है और आपको एहतियाती उपाय करने चाहिए। ऐसा क्यों है ?

अब आप जन-संचार माध्यम—आकाशवाणी को लें। मैं यह आरोप लगाऊँगा—मेरे पास सबूत है—कि मुरादाबाद में हुए उपद्रवों के दौरान, आकाशवाणी द्वारा झूठी और निराधार खबरें प्रसारित की जाती रहीं। एक खबर यह थी कि 'अमरोहा और चंदौसी में करफ्यू लागू कर दिया गया।' अमरोह और चंदौसी में कोई करफ्यू नही लगाया गया था। लेकिन श्री साठे की आकाशवाणी यही कहती रही। एक और बात जो उन्होंने कही, वह यह थी कि रामपुर को सशस्त्र बल और सैनिक दस्ते भेजे गए हैं। यह भी पूरी तरह झूठ है। ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन आकाशवाणी द्वारा इस बात का पता लगाए बिना ही कि क्या कोई व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से जानबूझकर ऐसा कर रहा है, इन बातों को दोहराया जाता रहा।

श्री के० एस० रुस्तमजी, जो एक भूतपूर्व पुलिस अधिकारी और पुलिस आयोग के सदस्य हैं—ने 'व्हाई जमशेदपुर ?' नामक एक किताब लिखी है, जो आपमें से कुछ लोगों ने देखी होगी, और जिसमें उन्होंने लिखा है :

"सबसे अधिक दोष हमारे पुलिस अधिकारियों तथा प्रशासकों का है... वह यहां पी० ए० सी० का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। उनकी किताब का नाम है "व्हाइ जमशेदपुर ?"

उनका कहना है :

"सबसे अधिक दोषी हमारे पुलिस अधिकारी और प्रशासक तथा वे छोटे लोग हैं जो ऊँचे-ऊँचे पदों पर हैं।"

श्री रुस्तमजी का कहना यही है।

अन्य हल भी सुझाए गए हैं। मैं समझता हूं कि काफी समय पहले, 1968 में, श्रीनगर में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया था कि पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया जाए। इस बारे में क्या किया जा रहा है ? 12 वर्ष बीत गये हैं। कृपया इस पर प्रकाश डालें।

जहां तक पी० ए० सी० का सम्बन्ध है, पहला सुझाव तो मैं यह देना चाहूंगा कि जब कभी भी कहीं कोई साम्प्रदायिक दंगा या उपद्रव हो अथवा होने की आशंका हो, तो वहाँ से पी० ए० सी० हटा दी जाए। पी० ए० सी० को निरन्तर वहाँ भेजने के बजाय, पी० ए० सी० को वहां से हटा दिया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जनसंख्या लगभग 30 प्रतिशत है। पी० ए० सी० में मुसलमानों की संख्या 0.01 प्रतिशत है और इस 0.01 प्रतिशत को बढ़ा कर 2 या 3 प्रतिशत करने से, जहाँ तक मुसलमानों की सुरक्षा का सम्बन्ध है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।

यह पी० ए० सी० एक संगठित साम्प्रदायिक बल है, जिसे वर्दी दे दी गई है। केवल यही अंतर है। यह वर्दी में हैं, और अधिकांश अधिकारी ऊँजी जाति के हैं और पूरी तरह साम्प्रदायिक हैं। जो कुछ हुआ है उससे यह बात प्रमाणित हो चुकी है। लेकिन यदि आप उनसे सख्ती से पेश आने में डरते हैं, तो कृपया वैसा कहें। जब उन लोगों ने विद्रोह किया था, तो पंडित कमलापति त्रिपाठी को उनसे बड़ा कड़वा अनुभव हुआ था। मैं नहीं जानता कि क्या आप इस बात से डरते हैं कि यदि पुलिस को अनुशासन में लाने की कोशिश की तो वे फिर विद्रोह कर सकते हैं।

मैंने अभी-अभी समाचार पत्रों में पढ़ा है— मैं नहीं जानता कि यह समाचार सही है या नहीं — कि बिहार में विचाराधीन कैदियों को अन्धा किये जाने के लिए कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के कारण 1000 पुलिस कर्मियों ने अपने अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया। मैं नहीं जानता कि यह समाचार सही है या नहीं। कृपया पता लगाइये। किन्तु आप पुलिस को ऐसी स्थिति में ले आये हैं और आप कभी उनमें अनुशासन नहीं ला पायेंगे या उन्हें नियंत्रित नहीं कर पायेंगे। आप कोई कार्यवाही करते हुये हमेशा डरेंगे। आपने एक दुरूह स्थिति उत्पन्न कर दी है। अब आप इसे न तो सुलझा सकते हैं और न ही इसे नियंत्रित कर सकते हैं। अतः आपको क्या करना है इस पर गहराई से विचार कीजिये। किन्तु इन सभी मामलों में दोषी पाये गये साम्प्रदायिक विचार वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए और ऐसा करने से आपको डरना नहीं चाहिए।

इसके बाद महोदय, समाचार पत्रों के बारे में — मैं नहीं जानता कि आप इस बारे में कुछ कर सकते हैं या नहीं — कुछ सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है। यह केवल इस कथा का प्रचार करने का ही प्रश्न नहीं है कि लखनऊ की एक मस्जिद में बम पाये गये थे आदि-आदि। बल्कि देश के सभी बड़े राष्ट्रीय समाचार पत्रों में मुख्य पृष्ठ पर एक समाचार प्रकाशित हुआ। किन्तु मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि अगले ही दिन उत्तर प्रदेश सरकार का सरकारी खंडन आ गया जो उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री द्वारा जारी किया गया था और जिसमें यह कहा गया था कि कोई बम बरामद नहीं हुआ था और उसका किसी मस्जिद से कोई संबंध नहीं है, किसी भी तहखाने से नहीं, और जब गृह सचिव ने इस बात से इनकार किया कि निर्माताओं ने ये पटाखे मुरादाबाद और अलीगढ़ को सप्लाई किये थे और जब अगले ही दिन गृह सचिव द्वारा यह खंडन जारी किया गया तो इसे केवल एक ही समाचार पत्र ने प्रकाशित किया। अन्य किसी भी बड़े और महत्वपूर्ण ने, जिन्हें अपनी सृजनात्मक पत्रकारिता और विस्तृत समाचार प्रकाशित करने पर गर्व है, उत्त रप्रदेश सरकार के इस खंडन के बारे में एक भी पंक्ति प्रकाशित करने की परवाह नहीं की। यह कैसा प्रेस है ? आप इस बारे में क्या करेंगे ? क्या आप इस प्रकार की बातों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे। यह दंगों और साम्प्रदायिक समस्याओं को प्रत्यक्ष भड़काना है।

इसके अलावा महोदय, 'आर्गेनाइजर' ने हम सभी जानते हैं कि किसका समाचार पत्र है — दिनांक 12-12-80 को कुछ मांगें सामने रखीं। मैं उद्धत करता हूं :—

"इस्लामी विश्वविद्यालयों को बन्द किया जाये।"

मैं यह बता दूं कि मुरादाबाद के पास दो अंधेरे छोटे भवनों में ये तथाकथित मुसलमानी विश्वविद्यालय स्थित है जिनका विचार अरबी पढ़ाने का है। 'आर्गेनाइजर' कहता है :

"इस्लामी विश्वविद्यालयों को बन्द कर दो, शीशे के कारखानों को हटा दो। पी० ए० सी० को दोबारा तैनात करो।"

'आर्गेनाइजर' ने 12 अक्तूबर को यह मांग की है। यहाँ इस प्रकार के समाचार पत्र हैं। किन्तु आप दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। आप पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे ; आप समाचार पत्रों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे ; आप श्री साठे की आकाशवाणी के खिलाफ और दूरदर्शन के खिलाफ इन सब निराधार बातों को प्रसारित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। आप सिर्फ यहां यह आश्वासन देंगे कि आपको इस बारे में गंभीर चिन्ता है, वगैरह-वगैरह। यह एक दूसरे पर आरोप लगाने की बात नहीं है। आखिरकार कानून और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी सरकार पर है। अन्य लोग चाहें कुछ भी करें बहरहाल देश में ऐसी साम्प्रदायिक ताकतें हैं जो बार-बार गड़बड़ करने का प्रयास करेंगी। इस्लाम के 1400 वर्षों के इतिहास में— कम से कम मुझे यह स्वीकार करने दीजिए कि मैंने न कभी सुना है न पढ़ा है — हमने इस्लाम के इतिहास में कभी ऐसी घटना के बारे में न पढ़ा है न सुना है जिसमें प्रार्थना, अर्थात् नमाज के लिए इकट्ठे हुए लोगों पर गोली चलाई गई हो और इस प्रकार कत्ले आम किया गया हो।

आपको यह अवश्य जान लेना चाहिए कि उससे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में लोगों का विश्वास डाँवाडोल हो गया है। ईदगाह मैदान में प्रार्थना के लिए साफ कपड़े पहन कर बच्चों सहित आये लोगों पर गोली चलाई गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तब इसे साम्प्रदायिक दंगों का रूप दे दिया गया। लेकिन शुरूआत का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

अतः मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि बहुत से उपयोगी सुझाव दिये गये हैं। लेकिन वे नये नहीं हैं। वे बातें राष्ट्रीय एकता परिषद लम्बे समय से कहती आ रही है। बापूजी ने ठीक ही कहा था,' कृपया पुरानी फाइलों को फिर से देखिये, उनमें आपको ये सब बातें मिलेंगी।' लेकिन जब वास्तव में सही मामले की बात आती है, तो हिन्दुओं को हिन्दू साम्प्रदायिकतावाद को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए और मुसलमानों को मुसलमानी साम्प्रदायिकतावाद को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। इसी के लिए गांधीजी ने अपना जीवन अर्पण कर दिया, जिनका नाम आप रात दिन तथा हर चौबीस घन्टे बाद लेते रहते हैं। हमें पाखन्डी नहीं होना चाहिए। हम यहां राष्ट्र के प्रतिनिधि माने जाते हैं। लोग यह देख रहे हैं कि संसद क्या करती है। मैं यह कहूंगा कि हमें कुछ उसूलों और मूल्यों के प्रति वफादार रहना चाहिए और हमें बातों को छुपाना नहीं चाहिए। हमें अपने समुदायों के प्रति अवसरवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं होगा। हमें इस मामले में

एकजुट होकर मुकाबला करना चाहिए । ऐसा किया जा सकता है । लेकिन हमें इसके प्रति ईमानदार रहना होगा ।

श्रीमती मोहसिना किदवई (मेरठ) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा आज इस बहस में हिस्सा लेते हुए दिल दुखता है, इसलिए कि 33 साल की आजादी के बाद भी आज फिर से इस पार्लियामेंट में यह मासला जेरे बहस आया कि किस तरह से गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद के इस देश को फिर से काबिल बनाया जाए कि जहां इन्सानियत पर जुल्म करने वाले के लिए सब इक्ट्ठे एक जगह खड़े हों और किस तरह से इस मुल्क की फिजा को भाईचारे में तबदील किया जाए, एक-दूसरे के साथ प्यार-मोहब्बत से रहना सीखें और एक दूसरे में सहन करने की शक्ति हो ।

आज बहुत सी चीजें मेरे काबिल साथियों ने यहां कहीं, मैं उनको दोहराना नही चाहती हूं, लेकिन थोड़ी सी बातें मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी कि इस हिन्दुस्तान में इस किस्म के दंगे-फसाद होते रहे हैं । लेकिन मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगी कि पहले भी इस हिन्दुस्तान मैं झगड़े होते थे, जिनको फिरकेदाराना फसाद का नाम दिया जाता था, लेकिन वे झगड़े और दंगे एक दो दिन से ज्यादा कभी नहीं चलते थे, फौरन उनको काबू कर लिया जाता था और फिर से वही अमन की फिजा पैदा की जाती थी और लोग हमदर्दी के साथ उन मजलूमों के साथ जाकर खड़े होते थे और उनमें फिर से वही सेल्फ-कान्फीडेन्स और उस फिजा के साथ जीने और मरने की ख्वाहिश पैदा होती थी । लेकिन पिछले तीन सालों में देखने में आया कि जो भी दंगे हुए वे एक दिन या दो दिन, हफ्ते या दो हफ्ते नहीं, बल्कि महीनों और सालों चले । इसकी वजह के पीछे हमें जाना पड़ेगा कि आखिर ये दंगे, चाहे कांग्रेस की रिजीम में या पिछले तीन सालों की हुकूमत के रिजीम में हुए इतने अर्से तक क्यों चले । तकरीबन अलीगढ़ का दंगा तो एक साल तक चला, इसके पीछे क्या वजह थी ? मुझे किसी का डर नहीं है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, जब सत्ता उन लोगों के हाथों में आती है जो दिल और दिमाग से सोचते हैं कि थोड़े दिनों के लिए किसी के जजबात को खोलकर, उभार कर सियासी मतलब हल कर लें, उन लोगों ने इसी तरह की कोशिश की । पिछले तीन सालों में जो सरकार थी उसको अच्छी तरह से मालूम था कि अवाम को हम रोक नहीं सकते, श्रीमती इन्दिरा गाँधी को सरकार में आने से रोक नहीं सकते, उन्होंने यह सोच लिया था, जब श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ लाखों लोग जेल में भरे गये थे, उस वक्त ऐसे हाथ में ताकत थी जिसको तशद्दुद पर यकीन था, जिसको वायलेंस पर मुकम्मिल भरोसा था, जिसको दो कौमीनजरिये पर पूरा विश्वास था और उनकी पूरी पालिसी उस पर चलती थी । उस वक्त उन लोगों के हाथ में सत्ता थी, सैन्टर से लेकर नीचे तक जिन्होंने हमेशा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने की कोशिश की और उनको जहाँ-जहाँ मौका मिला तीन साल में इसी प्रकार के काम किए,

लेकिन उन तीन सालों में इस बात की कोशिश नहीं की कि आवाम की समस्याओं को हल करें।

तीन सालों के अन्दर उन्होंने किसी भी नैशनल ईशू की तरफ ध्यान नहीं दिया और जिन हालातों में मुल्क की बागडोर सम्भाली, उसको तरक्की के रास्ते पर ले जाने के बजाय, नज्जुली के रास्ते पर लेगये। इसकी वजह यह नहीं थी कि उनके अन्दर काबिल लोगों की कमी थी, उनमें बहुत से योग्य लोग थे, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का भी तजुर्बा था, लेकिन उनके अन्दर एक ऐसी पार्टी थी, जिसका अपना एक केडर था, पैरामिलिट्री फोर्स थी और उसने हर जगह अपने मोहरे फिट किये। उनका मकसद यही था कि जब भी श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार आये, ये लोग उनके खिलाफ सिर उठा सकें और ऐसा ही हुआ—जब यहाँ पर श्रीमती इन्दिरा गाँधी की सैकुलर सरकार आई, इन मोहरों ने सिर उठाना शुरू कर दिया आप देख रहे हैं—चाहे बिहार हो, आसाम हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह वे मोहरे सिर उठा रहे हैं। कहीं नासिक के आन्दोलन के लिए, कहीं आसाम जैसे आन्दोलन के लिए, कहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद या अलीगढ़ के कम्यूनल झगड़ों में या बिहार के भागलपुर में जो कांड हुआ—ये सब आपके सामने हैं। ये मामले सियासी मामले नहीं हैं, किसी एक पार्टी का मामला नहीं हैं। जैसा अभी इन्द्रजीत गुप्त जी ने कहा—महात्मागाँधी की शहादत इसी चीज को लेकर हुई।

नेशनल इन्टीग्रेशन में आज जो पर्सनैलिटीज इन्वाल्व्ड हैं—आप जानते हैं हम सब अकलीयतों के बीच में जाते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन मौलाना आजाद जैसी शख्सियत ने जिस तरह से 1947 के बाद अक्लियतों में एक नया जोश पैदा किया, एक नया वलवला उस जमाने में पैदा किया और यहीं दिल्ली की जामा मस्जिद से अहवान किया था, उन बिखरी अकलियतों को इक्ट्ठा करने की कोशिश की थी और उनके साथ नेहरू जी का प्यार उनको मिला, महात्मा गांधी अपनी खुली छाती से हर एक को अपने सीने से लगाने के लिये मौजूद थे, उस फिजा ने अकलियतों के अन्दर एक कान्फीडेन्स पैदा किया और वह कान्फीडेन्स तीस सालों तक बढ़ता रहा, दंगों की तादात घटती गई। तीन-चार साल पहले जो इस किस्म के दंगे कम हुए थे, मैं आँकड़ों में नहीं जाना चाहती क्योंकि वक्त बहुत कम है, लेकिन यह बात सही है कि 1975-76 तक जिन दंगों की तादाद में कमी हुई थी, उसके बाद उनका ट्रेण्ड बढ़ना शुरू हो गया और आज जो हालत है उसको हम देख रहे हैं।

यह नेशनल ईशू हैं जिस पर हमें सियासत के ऊपर उठकर सोचना चाहिए। हमारी जम्हूरियत का तकाजा है कि हम एक दूसरे के ख्यालात को समझें और सोचें। हममें सहन शक्ति पैदा हो, जिसकी आज कमी होती जा रही है। अगर ये दंगे-फिसाद होते गये तो

इस 60 करोड़ के मुल्क में जो बिखेराव की स्थिति पैदा हो रही है। उससे यह महात्मा गांधी और नेहरू के ख्वाबों का मुल्क जिन्दा नहीं रह सकता। इस लिए मैं दरख्वास्त करूंगी कि यह मसला ऐसा है जिसमें सियासत से ऊपर उठ कर, पार्टी से ऊपर उठकर सोचना चाहिए।

मैं अपने अपोजीशन के साथियों से पूछना चाहती हूं --इतने दंगे—फिसाद हुए, उन्होंने इनको रोकने के लिए हमारी सरकार को क्या कंस्ट्रक्टिव सजेशन्ज दीं, क्या मदद दी ? बजाय इसके कि वे हमारी मदद करते, उन्होंने आग भड़काने में मदद दी—यही मैं कह सकती हूं और देख रही हूं। इस चीज में रयूमर्ज का बहुत बड़ा मुनज्जम हाथ रहा है। विस्परिंग-कैम्पेन के जरिये ही इन्होंने उस वक्त हमारी कांग्रेस पार्टी को हटाया था और आज भी उसका बहुत बड़ा महत्व है। आज ऐसा कोई भी मजहब नहीं है जो कम्यूनल दंगों, फिरकेदाराना फिसादात की इजाजत देता हो। जब फिरकेदाराना जहनियत रखते हैं, वे किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते हैं उनका मजहब इस जहनियत को पैदा करना होता है, उनका दीन होता है जुल्म करना और ईमान होता है, मजलूम का साथ न देकर जालिम का साथ देना। हर धर्म में ऐसे लोग होते हैं।

मुरादाबाद में जो कुछ हुआ, वह बड़े अफसोस की बात है और वह भी ईद के दिन, जिसने लोगों के दिलों को दहला कर रख दिया। मैं कहना चाहती हूं---आज अगर इस मुल्क को सलामत रखना है, मजबूती को कायम रखना है, एकता को कायम रखना है तो जैसा इन्द्रजीत गुप्ता जी ने कहा है—तीसरे नम्बर पर हमारे मुल्क की माइनारिटीज गिनी जाती हैं, 10 करोड़ के करीब या उससे ज्यादा उनकी संख्या है, आज उनके दिल में जो डर और भय पैदा किया जा रहा है बराबर कि वे दूसरे नम्बर के शहरी हैं, इस तरह की भावनाओं को उनके दिल से निकालना पड़ेगा। श्री जेठमलानी जी ने ठीक कहा है कि देखना यह चाहिए कि इसका फायदा किसको होता है। इसका जवाब हमारे बहुत से साथियों ने दे दिया है लेकिन मैं यह कहूंगी कि अपने गरेबान में झांक कर देखिए, जेठमलानी जी, कि ऐसे दंगे-फसाद कराने में किस पार्टी को फायदा होता है।

आज की इस बहस में बहुत से हमारे साथियों ने हिस्सा लिया है और उन्होंने बहुत से सुझाव भी दिये हैं और मैं भी दो, तीन सुझाव देकर बैठ जाऊंगी।

पी० ए० सी० के रोल के बारे में कहा गया। सही बात है कि सबने यह माना है कि चन्द लोग ऐसे उसमें हैं, जिन्होंने ऐसी हरकतें की हैं। मैं आपसे कहना चाहुंगी कि आज इसमें गहराई से जाने की जरूरत है कि पी० ए० सी० का जो ढांचा हैं, वह कैसा हो। मुरादाबाद, जमशेदपुर और भागलपुर में जो कुछ हुआ है, उससे जो सारी चीजें निकल रही हैं, वे पुलिस से जुड़ रही हैं। पी० ए० सी० का ढाँचा क्या है। उसका जो कम्पनी

कमान्डेंट होता है, उसका ओहदा क्या है, उसकी तन्खाह क्या है और वह कहाँ रहता है; इन सारी चीजों को देखना होगा। मैं आने प्रदेश के बारे में कह सकती हूं कि आज अगर किसी को कोई सजा देनी होती है, तो उसको पी०ए०सी० में भेज दिया जाता है। इन सब चीजों की डीप इंक्वायरी करनी पड़ेगी। पुलिस फोर्सेज और आर्म्ड फोर्सेज में हमारे मुल्क में रहने वाला हर कम्युनिटी का फैथ रहना चाहिए और अगर यह फैथ नहीं रहता है तो यह हमारे लिए सबसे खतरनाक दिन होगा। किसी भी कम्युनिटी का फैथ इन फोर्सेज से हटना नहीं चाहिए। आज हमने इसके लिए पूरी कोशिश की है और हमारे चीफ मिनिस्टर ने तो इस्तीफा भी दे दिया था और जब श्रीमती गांधी ने 15 अगस्त को झंडा फहराया तो वहाँ लालकिले की तारीखी फसील से सबसे ज्यादा मुरादाबाद का तजकिरा किया। यह बात सही है कि इसके लिए जितना अफसोस और दुःख होना चाहिए, उसका इजहार किया गया लेकिन हमारा और आपका यह फर्ज है कि हम सब बैठ कर तमाम चीजों को देखें।

पुलिस की ट्रेनिंग की जो बात है, उसके बारे में मैं कई बार कह चुकी हूं कि हमारी पुलिस की ट्रेनिंग वही है जो ब्रिटिश पीरियड में थी। आज भी वही हो रहा है। अंग्रेज बहादुर तो पुलिस को यह सिखाते थे कि कितना अवाम से दूर रहो लेकिन आज हमारी सरकार है और हमारा आजाद मुल्क है। हमारे अपने भाई बहन पुलिस फोर्स, आर्म्ड फोर्सेस और पी० ए० सी० आदि तमाम चीजों में हैं। तो हमें उनकी ट्रेनिंग अपने मुल्क के हिसाब से और अपनी अवाम की जहनियत को देखते हुए बनानी पड़ेगी ताकि उनके ऊपर हर एक का एतमाद रहे और हर एक के लिए उनके दिल में मुहब्बत रहे। यहाँ पर नेशनल इनटेग्रेशन की बात कही जाती है। यह बड़ी खुशी की बात है कि नेशनल इनटेग्रेशन कौंसिल फिर से रिवाइव हुई है और उसमें बहुत काबिल लोग मेम्बर हैं जो कि बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव देते हैं लेकिन सिर्फ नेशनल इनटेग्रेशन के लिए भाषण देने या सरमन देने से कुछ नहीं होता है। हमें अपने दिल के अन्दर झांक कर देखना होगा। गांधी जी की बात यहाँ पर लोग करते हैं। गांधी जी और उनके साथियों ने जो यह मूवमेंट शुरू किया था तो उसके अन्दर समेट लिया था और उन नीतियों को, उन तमाम उसूलों को और उन तमाम सिद्धान्तों को लेकर वे चले थे। आज बहुत से पुराने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनको पता होगा कि सन् 1947 के बाद गांधी जी ने मरण व्रत रखा था कि जब तक तमाम मस्जिदें खाली नहीं होंगी और जब तक उनकी रिपेयर नान-मुस्लिम नहीं कराएंगे, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूगा और जब के बड़े-बड़े मुस्लिम नेताओं ने जमा होकर उनको यह यकीन···दिलाया कि यह चन्दा दूसरे लोगों ने जमा किया है, तब जा कर उन्होंने अपना व्रत तोड़ा। तो आज जरूरत की भावना की है। उसी भावना को शुरू करना होगा और उन सिद्धान्तों, उन उसूलों को अपनी जिन्दगी में स्थान देना होगा। इस मुल्क में फिरसे वही चीज शुरू करनी होगी।

आज भी आप गांवों में जाइए, तो वहां यह शिकायत आपको इतनी नहीं मिलती लेकिन जैसे-जैसे शहरों की तरफ, कस्बों की तरफ बढ़िए यहां पर रहने वाले लोग, भड़काने वाले लोग और दूसरी फोर्सेज बड़ी तेजी से इस काम में लगी रहती हैं। इन तमाम चीजों को हमें देखना है और जिनके ऊपर ज्यादती हुई हैं और खास तौर से मैं मुरादाबाद के बारे में कहूंगी कि यह कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत से बेगुनाह लोगों को पकड़ा गया है, सरकार का यह फर्ज है कि यह देखे कि जब तक ऐसे लोगों का रिकार्ड क्रिमिनल न हो, तब तक उनको जेल में बन्द करने की बात न करे और उनको छोड़ने की बात करें और जितना उनका नुकसान हुआ है, उसको पूरा करे। हमारी सरकार ने बहुत मदद की है लेकिन मैं यह कहूंगी कि ऐसे लोगों को जितनी मदद की जरूरत है, देनीं चाहिए और इस चीज को अच्छी तरह से देखना चाहिए। मैं तो यह कहूंगी कि मुरादाबाद में जो फसाद हुआ है, वह खास कर ऐसे वक्त में हुआ है जब कि इन चार, पांच महीनों के पीरियड में मुरादाबाद कम से कम एक अरब रुपया विदेशी मुद्रा के रूप में कमाता था।

यह वहाँ के लिए एक पीक आवर का मौका है। वहाँ के माल के लिए एक्सपोर्ट के आर्डर मिलते हैं। इसका भी उन्हें नुकसान हो रहा है। जैसा हमारे दंडवते जी ने कहा कि इकोनोमिक कंडीशन भी खराब होने से ऐसी बातें हो जाया करतीं हैं। यह ठीक है। इसका भी ऐसी बातों में बहुत बड़ा हाथ होता है।

माइनोरिटीज के लिए जो भाषण यहां हुए उनको मैंने सुना। अगर उन भाषणों को वहाँ जा कर लोगों को बताएं और उन पर वहां अमल करें और अपनी पार्टी में भी उन उसूलों पर अमल करें तभी देश में अमन चैन रह सकता है। मुझे उम्मीद है कि सभी पार्टी के लोग ऐसा करेंगे।

इतना कहते हुए ही मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस मौजू पर यहाँ हम लोग बहस और चर्चा कर रहे हैं और इस मौजू को जिस तरह से उठाया गया है, उस पर इस तरफ के भी हमारे साथियों ने और उस तरफ के भी साथियों ने अपने-अपने ख्यालों का इजहार किया। जिन लोगों ने भी अपना इजहारे ख्याल किया उससे इस बात का सबूत मिलता है कि हम लोग जो पार्लियामेंन्ट के अन्दर, एवान के अन्दर बैठे हैं, वे मौके की नजाकत को समझते हैं।

मुरादाबाद में जो कुछ हुआ, उस पर आज यह बहस शुरू हुई। यह बात बहुत पहले होनी चाहिए थी। बेहतर तो यह होता कि जब यह सैशन शुरू हुआ था तभी इस मौके की अहमियत और घटना की अहमित को देखते हुए खुद सरकार की तरफ से एक

व्यान आता और व्यान के बाद और प्रधान मन्त्री जी के व्यान के बाद इस मौजू पर बहस होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

किसी भी तरीके से आज यह मौजू यहाँ लाया गया, उसको लाने के लिए हम शुक्र-गुजार हैं। मुरादाबाद में, इलाहबाद में, अलीगढ़ या दिल्ली में क्या हुआ, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। मैं आपका ध्यान उस बात की तरफ जरूर ले जाना चाहूंगा जिससे यह हालात हुए। फिरकेवारान-फसाद पहले भी होते रहे हैं। फिरकेवारान फसाद 77 से पहले भी हुए। जनता पार्टी का शासन आने के बाद भी हुए। लेकिन उन फसादात और इसमें एक खास फर्क है जिसकी वजह से इसको फिरकेवाराना नहीं कहा जा रहा है। यहां तो सीधे सादे तौर पर, एक तरह से पुलिस की तरफ से अकलियतो पर एक जुल्म ढाया गया। ईद के दिन नमाज के लिए इकट्ठा हुए लोगों के साथ जिस बरबरियत के साथ सलूक किया गया, उसकी मिसाल तवारीख में नहीं मिलता। जिस तरह से ब्लेक होल का मामला तवारीख में लिखा जाएगा, जिस तरह से जलियांवाला बाग को नहीं भुलाया जा सकेगा, उसी तरह से मुरादाबाद में भी जो कुछ ईद के दिन हुआ उसे भी नहीं भुलाया जा सकता है।

मैं इस पसेमंजर के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि मई और जून में जब चुनाव हुए, असेम्बली के चुनाव हुए और उसके चुनाव के बाद जो सरकारें बनीं, और उससे पहले जिस तरह से टिकटों के बटवारे हुए, किन-किन लोगों को टिकट दिए गये और कैसे-कैसे लोग चुनकर आए वह एक अलग सवाल है लेकिन जो सरकार बनी उस सरकार का यह फैसला हुआ कि पुलिस से एन्काउन्टर हो। यह फैसला जाती फैसला था या किसका फैसला था यह मैं नहीं जानता। इसको सरकार के लोग जानते होंगे। लेकिन एन्काउन्टर के फैसले का यह नतीजा हुआ कि बिहार में जो कैदी बनाए गए थे उनकी आँखें फोड़ दी गयीं। उत्तर प्रदेश के लोगों को पकड़ के ले जाया गया। और उन लोगों को पकड़कर ले जाकर के मारा गया और मारने के बाद यह कहा गया कि ये तो डकैत हैं, चोर हैं, जालिम हैं। मैं उसका रिश्ता इससे जोड़ता हूं। मुरादाबाद में लोगों को मालूम होगा कि एक ऐसे आदमी को पकड़ा गया जिसकी चाय की दुकान थी और उसको ले जाकर हवालात में बंद किया गया, हवालात में उसकी मौत हो गई। वहाँ के अवाम ने उसके खिलाफ मुजाहिरा किया, जनाजे में 5—7 हजार लोग शामिल हो गए। जनाजे में 5—7 हजार लोगों का शामिल होना मौजूदा हुकमरान, पुलिस के लोगों, एग्जीक्यूटिव आफीसर्स को पसन्द नहीं आया। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये तब्दीली फिरकावरान दंगों में नया तरीका इन्काउन्टर का है, उसका नतीजा था मुरादाबाद में, भागलपुर में, अलीगढ़ में, लेकिन ये फिरकावरान फसाद नहीं थे, यह तरीका बदला गया था और बदला इसलिए गया था मेरी समझ से कि इलेक्शन का तरीका बदल गया था।

अब इलेक्शन में हुकमरान पार्टी को वोट के लिए अपनी पालिसी के, अपने लीडर के कारनामों से ज्यादा जरूरत पुलिस की मदद की थी और उसी पुलिस की मदद के नतीजे में हम इस नतीजे पर पहुंचे कि पुलिस की कार्यवाही जो हो रही थी और पुलिस को इतना बेलगाम हमने कर दिया था कि हम मजबूर हो गए पुलिस के खिलाफ कार्यवाही करने से। हुकूमत कांग्रेस की नहीं रह गई। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हुकूमत रह गई है पुलिस की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि हुकूमत जो लोग कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि किस तरह से इन फिरकावराना फसादों को रोका जाए।

मैं वजीरे दाखला जैलसिंह को मुबारकबाद दूंगा कि वे गए और मुरादाबाद में जल्दी गए मगर यहां उनका बयान काबिले मुजम्मत है। मुरादाबाद जाने के बाद यह शुरू हो गया कि बड़ी भारी गम्भीर साजिश मुरादाबाद में है और वहीं से साजिश का सिलसिला शुरू हुआ। और इसी साजिश में तमाम लोगों का जिक्र किया गया, तमाम नेताओं का जिक्र किया गया, सियासी रहनुमाओं की बात कही गई। यह कहा गया कि अरब मेमालिक से इमदाद आ रही है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उन अरब मुमालिक से, जिनसे रिश्ता इश्तवार करने में, जिनसे दोस्ती कायम करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने खास तवज्जो दी थी, जिसकी वजह से वह रिश्ता कायम हुआ था, उस रिश्ते को खराब करने में हमने, आपने, सबने मिलकर के ऐसा काम किया जिसकी वजह से अरब मुमालिक के एक सफीर को बयान देना पड़ा कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हम अपने दोस्तों से दोस्ती बढ़ाने के बजाए उनको दुश्मन बनाने की तरफ लग गए। तो उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे भाई मुशीर अहमद साहब ने, बाबू जगजीवन राम जी ने सुखाड़िया जी ने बहुत से सुझाव दिए हैं, उनकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसी कमेटी तशकील की जाए, पार्लियामेंट मेम्बरों की जो जाकर के इस सारे मामले को देखे, जो कुसूरवार हो, उनको सजा दे। वाकई यह मामला पार्टी से ऊपर की सतह का है। इसके साथ-साथ मैं यह भी माँग करूंगा कि यह मामला सिर्फ मुरादाबाद तक ही महदूद न रखिए, मुरादाबाद के लिए आपने जज मुकर्रिर कर दिया है, जिला जज मुकर्रिर कर दिया है, लेकिन यह मामला इलाहाबाद का है, अलीगढ़ का है, दिल्ली का है। इसलिए मैं यह मांग करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए, इसकी इन्क्वायरी भारत सरकार खुद कराये, हुकूमत उत्तर प्रदेश पर न छोड़ें। हुकूमत उत्तर प्रदेश का क्या भरोसा है, उसके मुख्य मंत्री कभी तो कहते हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मेरा सिर शर्म से झुका हुआ है। कभी कहते हैं कि मुझे पता चल गया है कि किसने झगड़ा किया। मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनको पता चल गया तो इन्क्वायरी क्यों करवा रहे हैं? अगर पता है, तो उसको गिरफ्तार करिए, वरना आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही है, जितनी औरों पर है। (व्यवधान)

सदन के सदस्य खत्म हो जाएं, इधर के या उधर के इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिसका चेहरा भी काला है, वह सामने आना चाहिए ।

मैं अपने भाई आरिफ मौहम्मद खां से उमीद करता था कि जिस तरह वह जनता पार्टी की मिनिस्ट्री को छोड़कर, शासक दल को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हुए थे, उसी तरह आज भी करते, आज भी मौका ऐसा ही था । उन्होंने जो पुलिस के हौंसले की बुलन्दी की बात कही है, तो पुलिस का हौसला तो जरूर बुलन्द किया जाए, लेकिन उसके साथ-साथ अगर मुल्क का हौसला बुलन्द नहीं रहेगा, मुल्क के अवाम का हौसला बुलन्द नहीं रहेगा तो इस मुल्क का क्या होगा ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं और उसमें सबको उसी कटहरे में रखना चाहता हूं । यह सवाल जिसमें हजारों आदमी मारे गए, जिसमें जुल्म हुए, एक जगह नहीं सैकड़ों हजारों जगह रेप की घटनाएं हुईं ।

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं कि रेप की घटना पर तमाम मूवमैंट चलाए गए, उसी के साथ-साथ जब एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, एक पार्टी की गिरफ्तारी हुई, लाखों लोग जेल में गए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल को केवल चार मिनट दिए गए हैं । आप पहले ही 10 मिनट ले चुके हैं । प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए । आप नहीं चाहते कि अन्य सदस्य बोलें । मैं अब अगले वक्ता का नाम बोलने जा रहा हूं । श्री राम नगीना मिश्र ।

श्री अशफाक हुसैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं । क्या वजह है कि जब हजारों लोगों पर इस तरह के जुल्म हुए, कांग्रेस आई की तरफ से किसने मूवमैंट चलाया ?

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस राष्ट्रीय महत्व के विषय पर हमको भी आपने अपने विचार व्यक्त करने के लिये कहा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सत्ताधारी दल के लोग केवल पांच-पांच मिनट लें तो सूची पूरी हो सकती है । इसलिए, मैं यह अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति केवल पांच मिनट लेगा जिसमें श्री मिश्र, आप भी शामिल हैं । हमने सदन का समय केवल आठ बजे तक बढ़ाया है ।

श्री राम नगीना मिश्र : मान्यवर, यह ऐसा मामला है, इस पर पहले भी हमारे अध्यक्ष महोदय ने निवेदन किया कि इस पर ऐसे ही विचार किया जाये, ऐसे ही सुझाव दिये जायें जिससे भविष्य में हमारे देश में साम्प्रदायिक दंगे न हों।

हमें याद है, इसके पूर्व जब यह देश गुलाम था तो इस साम्प्रदायिक तनाव को लेकर इस देश के 2 टुकड़े हुए, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बना। पाकिस्तान एक धर्म के आधार पर बना और हमारे देश के रहनुमाओं ने इस देश को धर्म-निरपेक्ष राज्य बनाया। विश्व में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जैसी हमारे मुल्क में है। इस देश में कई भाषाएं हैं, कई जाति के लोग हैं, और लगभग सभी धर्म इस देश में हैं। शायद ही विश्व का कोई ऐसा धर्म हो, जिसके लोग इस देश में न हों। हर आदमी को छूट है कि वह मन्दिर, मस्जिद, गिरजा, जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर कहीं जाये, कहीं कोई रुकावट नहीं। आज जो विरोधी लोग छींटाकशी करते हैं, वह पाकिस्तान में या किसी और देश में ऐसा सबूत बता दें जैसा कि हमारे यहां है। हमारे यहां इस देश में माइनौरिटी के आदमी को ऊंचे से ऊंचे राष्ट्रपति के पद पर रखा गया है। यहाँ आये दिन झगड़े क्यों होते हैं? हमारे देश के रहनुमाओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं, हमारे भी कुछ विचार हैं। जहां पर भी साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, वहां पर कोई हिन्दू या मुसलमान लखपति नहीं मारा गया है। यही नहीं, जो हुकूमत में है, वह दंगा क्यों करायेगा? वह तो सदा यह कोशिश करेगा कि हमारे राज्य में अमनो-अमान रहे, माइनारिटी के लोग हमें आदर दें, हम पर पूर्ण विश्वास करें। अगर कोई इसके विपरीत हरकत करता है, तो वही करेगा, जो शासन की कुर्सी पर नहीं है।

अभी अभी मुरादाबाद के एम०पी० साहब ने कहा कि वहां पर बाहर कुछ समाजविरोधी तत्व इकट्ठे हुए थे और उन्होंने पुलिस पर हमला किया। यह भी कहा गया है — और यह सत्य है — कि जो मुसलमान अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों और अपने परिवार को लेकर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, वे झगड़ा करने के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन वहां कुछ अवांछनीय तत्व इकट्ठे हुए थे। इसमें कोई रहस्य अवश्य है। जान-बूझ कर यह कांड किया गया है कि जब हजारों लाखों मुसलमान अपने परिवार के साथ नमाज पढ़ने के लिए जायें, तो उन्हें भड़का कर झगड़ा करा दिया जाये, जिससे यह प्रचार किया जा सके कि हिन्दू-मुस्लिम दंगा हो गया है।

हमारे विरोधी भी यह महसूस करेंगे कि गत चुनावों में मुसलमान और हरिजन वर्गों ने खास तौर से कांग्रेस का साथ दिया। क्या कारण है कि जितने भी दंगे हुए हैं, वे इस बात में समान थे कि हर जगह उन्हें मुसलमान और हरिजन भाइयों के साथ सम्बन्धित दिखाया गया? हर जगह पुलिस पर पत्थर फेंके गये और गोली चलाई गई। मैं दावे के

ा कह सकता हूं कि यह एक षड्यंत्र है, चाहे वह विदेशी षड्यंत्र हो और चाहे विरोधी ों के कुछ राजनीति करने वालों का। हर एक साम्प्रदायिक दंगे में पुलिस पर क्यों वार ा गया। — इसलिए कि समूचे देश में, और खासकर मुस्लिम वर्ल्ड में, यह दिखाया सके कि भारतवर्ष में पुलिस माइनारिटी पर अत्याचार कर रही है। यह एक साजिश ौर इसका सुबूत काश्मीर भी है।

अभी जगजीवन बाबू ने भी भाषण दिया। मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना हता हूं कि आज हम इस सदन में साम्प्रदायिक आग को बुझाने के लिए बैठे हुए हैं, किन जातियों के बीच आग लगाने का काम जगजीवन बाबू जैसे आदमी ने किया है। उनसे पूछना चाहता हूं कि हरिजनों पर जितने भी अत्याचार हुए हैं, क्या उनमें कहीं ब्राह्मण या ठाकुर का नाम आया है। जो लोग बैकवर्ड कहलाते हैं, उनमें और हरिजनों ही झगड़े हुए हैं। मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूं कि अगर उनके पास इसके विपरीत ई सुबूत हो, तो बतायें। जगजीवन बाबू की लीडरी केवल जाति के नाम पर बनी हुई । इसी लिए वह जाति का नाम लेकर उसको बनाये रखना चाहते हैं। यह कांग्रेस पार्टी ही गौरव है कि उसके सब नेता उन्हें जगजीवन बाबू कहते हैं। उन जैसे नेता को यह छन नहीं लगाना चाहिए।

मैं कुछ सुझाव देना चहता हूं। जहां भी साम्प्रदायिक दंगे हों, वहां के हिन्दू तथा सलमान धनपतियों और लखपतियों से सारा जुर्माना वसूल किया जाये। धनी लोग हर क वर्ग को जाति के नाम पर भड़काते हैं। अपनी तरफ कर के अपने ठाकुर बने रहते हैं र लखपति बने रहते हैं। यह एलान कर दिया जाय कि जिस क्षेत्र में दंगे होंगे वहां के तने धनी लोग हैं, उनसे उसकी क्षतिपूर्ति टैक्स के रूप में या मुआवजे के रूप में वसूल ी जायेगी। अगर ऐसा एलान कर दिया जाय तो बहुत से दंगे कम हो जाएंगे।

जहां तक पी० ए० सी० और पुलिस का सवाल है, यह तो मैं अदब से कहूंगा, यह त सच है कि पी० ए० सी० या पुलिस में इक्के दुक्के ऐसे होंगे। हजारों की भीड़ जा ही है, अगर दो ईंट फेंक देते हैं तो झगड़ा हो जाता है। किन्तु, हम ने आज अखबार देखा, बिहार के मसले को लेकर जहां कैदियों को अन्धा किया गया और उनके साथ मानुषिक व्यवहार किया गया, यहां सदन में रोष व्यक्त किया गया, किन्तु आज वहीं खबार में हमने देखा कि बिहार की पुलिस ने चैलेंज किया है कि अगर पुलिस वालों पर ोई जुल्म ढाया गया तो हम बगावत करेंगे, सत्यग्रह करेंगे। यह देश के लिए, समाज के लए अच्छा रास्ता नहीं है। अगर ऐसी हरकत पुलिस करती है तो मैं अदब से अपने गृह मंत्री निवेदन करूंगा कि इसका दमन होना चाहिए। अगर दमन नहीं हुआ तो भविष्य हमारा न्धकार में रहेगा।

एक चीज और कह कर समाप्त करूंगा। अभी अखबारों से और बयानों से साबित

हुआ कि इस देश में 52 हजार पाकिस्तान के जासूस हैं। अगर यह बात झूठ हो तो ठीक है लेकिन अगर सच हो तो मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि इस देश में जो अपना खुफिया विभाग है वह निहायत कमजोर है, उस को सबल किया जाना चाहिए। जिस राष्ट्र का खुफिया विभाग कमजोर होगा वह बहुत गलतियां करेगा, वह सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए खुफिया विभाग को मजबूत किया जाय जिससे कि पता चले कि कहाँ कौन सी हरकत हो रही है।

अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारे सारे विरोधी दल के लोग और हकूमत पक्ष के लोग, हमारे देश के शीर्षस्थ नेता एक जगह बैठ कर ऐसा नियम बनाएं जिससे कि भविष्य में इस देश में साम्प्रदायिक दंगे न हो सकें।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आवंला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहली बात तो यह कहूंगा कि जो मुरादाबाद, इलाहाबाद और अलीगढ़ में घटनाएं हुई वह कम्यूनल रायट्स नहीं थे। पुलिस और पी० ए० सी० ने वहां पर जो ज्यादती की है उसके बाद अपने ऐब और गलतियों को छिपाने के लिए, अत्याचारों को छिपाने के लिए उन्होंने उस को कम्यूनल रायट का नाम दिया है। जो कुछ किया है वहां पी० ए० सी० और पुलिस ने किया है। ऐसा क्यों हुआ है ? आज हिन्दुस्तान में माइनारिटीज और यहां के मुसलमान खास तौर से बहुत ज्यादा शक की हालत में रह रहे हैं। जो हालात हैं, जो हिन्दुस्तान में हजारों हजार साल से हिन्दुस्तान के बैकवर्ड, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों के और यहाँ के शूद्रों के जो हालात हुए हैं वही हालात इस देश में पिछले तीस पैंतीस साल से हिन्दुस्तान के मुसलमानों के साथ भी होते जा रहे हैं। मैं तो बहुत खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का मुसलमान पहले नम्बर का शहरी नहीं माना जाता, वह दूसरे नम्बर का शहरी हो गया। उसकी हालत भी हिन्दुस्तान के शूद्रों की तरह होती जा रही है और अगर उस को मौका नहीं मिला तो वह दिन दूर नहीं है कि उसी सूची में उसको आना पड़ेगा और यहाँ के मुसलमा को रिजर्वेशन की मांग करनी पड़ेगी। जिस कौम की जबान खत्म कर दी जाय उस कौम का अदब खत्म हो जाता है, तहजीब खत्म हो जाती है —

उपाध्यक्ष महोदय : शूद्र चौथे वर्ग का नागरिक है, दूसरे वर्ग का नहीं। आप को वेदों का ज्ञान है ? मैं संस्कृत जानता हूं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : मैं यह कह रहा था कि जिस कौम की जबान खत्म हो जाती है उसका अदब और लिटरेचर खत्म हो जाता है। जिस कौम का अदब और लिटरेचर खत्म हो जाता है उस कौम का करवर, उसकी तहजीब खत्म हो जाती है, उसकी संस्कृति मिट जाती है। जिसका करवर खत्म होने की बात आती है वह धर्म या मजहब

या रेलीजन जो है वह भी खतरे की तरफ चला जाता है। आज हिन्दुस्तान के मुसलमानों के साथ बिलकुल वही हो रहा है उनकी जबान, उनके जो तालीमी इदारे हैं, जो उनके इंस्टीच्यूशंस हैं उनके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं समझताहूं कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों में वह शक पैदा कर रहा है। उर्दू इलाकाई जबान है, उसके कांस्टीच्यूशन में दर्जा दिया गया है। लेकिन आज तक हमने उर्दू को वह मौका नहीं दिया। आज भी मुसलमान को हम शक की निगाह से अगर देखते रहे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला है। हिन्दू और मुसलमान के नाम से पहले दंगे होते थे, अब पुलिस और पी० ए० सी० इसको करती है। जो कुछ भी तुम ने किया है वह एक शर्म की चीज है। बड़े गर्व से आप कह सकते हैं कि हमारे लिए लोगों ने 1980 में चुन कर के भेजा है लेकिन आने वाले 1981 के शुरू में ही आप की हिम्मत नहीं हो रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को भी सीधे चुनाव से ला पाते। हिम्मत नहीं पड़ी, पिछले दारवाजे से ले आए हैं।

चुनाव कराने की हिम्मत नहीं पा रहे हैं। आज नक्शा बदल गया है, तौर तरीका बदल गया है। यहां पर यह कहने से काम नहीं चलेगा, आपके ही माननीय सदस्य ऐसे हैं जो मन मार हुए बैठे हैं, जो हमसे कहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। अगर इस देश में आपको सारा तरीका रोकना है तो सबसे पहले पुलिस और पी०ए०सी० को रोकना पड़ेगा जो कि यहां की औरतों के साथ, बैकवर्ड और शेड्यूल्ड कास्ट्स के साथ, यहां के हरिजन आदिवासियों के साथ, यहां की माइनारिटीज और मुसलमानों के साथ बदसलूकी करते हैं। यह दंगे नहीं होते हैं बल्कि पी०ए०सी० को लुटाई का मौका मिलता है। यह नौजवान लड़कों को गोली से मार करके, उनके हाथ पैर तोड़ करके उनके घरों में घुस कर उनकी इज्जत से खेलते हैं। अगर आप जांच करवायें तो बहुत से पी०ए०सी० के लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपने घरों में शादी करने तक के खर्चे और जेवरात मुरादाबाद, अलीगढ़ और इलाहाबाद से लूट कर ले गए हैं एक बच्चे ने अगर एक कंकड़ी इलाहाबाद में मार दी तो पी०ए०सी० ने उसको पकड़ कर 14, 16 और 18 साल के मुसलमान लड़कों को गोली से उड़ा दिया। इलाहाबाद में उन जगहों पर गोली मारी गई जहां मुसलमान आबादी थी। वहां हिन्दू मुसलमान का सवाल नहीं था, अगर कोई मुसलमान अपने छोटे से बच्चे के लिए दूध लाने के लिए अपने पड़ोसी के घर जा रहा था तो पुलिस और पी०ए०सी० के लोगों ने उसको गोली से मार दिया। इसी तरह से एक 14-15 साल का लड़का अपने घर से निकल रहा था उसको इलाहाबाद में गोली से मार दिया गया। इसी तरह से क्या अलीगढ़ में हुआ और क्या मुरादाबाद में हुआ ? इसलिए आप पी०ए०सी० और पुलिस का तरीका बदल दीजिए और उर्दू को उसका दर्जा दीजिए। आप मजाक मत करिए कि मुस्लिम यूनीवर्सिटी बिल ला रहे हैं, आप कब तक मरहम लगायेंगे, क्यों नहीं लाते क्यों नहीं पास करते ? हिन्दुस्तान के मुसलमानों के जजबात के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है ? इसी तरह से आपने आज तक बैकवर्ड क्लासेज को धोखा दिया, आज तक

रिजर्वेशन नहीं दे पाए । संविधान के अनुच्छेद 15-16 में प्राविजन है लेकिन काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को भी आपने रद्दी की टोकरी में डाल दिया । आज तक सरकारी नौकरियों में उनको मौका नहीं दिया । सोशली एजूकेशनली बैकवर्ड लोगों को भी एकोनामिकली बैकवर्ड कहकर, उनकी बैकवर्डनेस की डेफीनीशन को बदल कर यहां के करोड़ों लोगों को आप बैकवर्ड रखना चाहते हैं । याद रखिए, यह बैकवर्ड, यह शेड्यूल्ड कास्ट, यह अविलयत के लोग, यह सिख, ईसाई, पारसी और मुसलमान — यह सारे लोग इकट्ठे होकर रामास्वामी नायकर, डा० भीमराव अम्बेदकर और महात्मा गांधी का झंडा लेकर एक नया हिन्दूस्तान बनायेंगे और उस हिन्दुस्तान का एक नक्शा होगा । धन्यवाद ।

श्री आर०एस० स्पंरो (जालंधर) : उपाध्यक्ष महोदय, साम्प्रदायिक तनाव और दंगों का प्रश्न बहुत जटिल है क्योंकि इससे भारत की विशाल जनसंख्या को गंभीर खतरा है । यह एक ऐसी चीज है जो न केवल हमारी प्रगति के मार्ग मे बाधा बन सकती है बल्कि इस विशाल देश की एकता के मार्ग में भी रुकावट बन सकती है । हम बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं और आसपास के लोगों को यह बात मालूम है । आसपास के लोगों को हमसे ईर्ष्या है । अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने हमारी स्थिति का अच्छी तरह अन्दाजा लगा लिया है । चाहे हम अपने आपको किसी भी दृष्टिकोण तथा किसी भी ओर से देखें हमारी क्षमता से वास्तव में बड़ी शक्तियां ईर्ष्या करती हैं । प्रसंगवश यदि मैं यह कहूं कि चाहे कुछ भी हो हमारी प्रगति रुक नहीं सकती और हम इसे जारी रखेंगे, लोग इसे जारी रखेंगे । यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि साम्प्रदायिक तनाव और दंगे हो रहे हैं । किन्तु, जब आपको एक अलग किस्म की लड़ाई लड़नी हो तो आपको अपने आपको संयमित रखना पड़ता है, आपको दृढ़ रहना पड़ता है, तथापि आपको हिम खण्ड की तरह शान्त रहकर उस विशेष समस्या से एक विश्लेषणात्मक और सुनियोजित तरीके से निपटाना चाहिए । मैने अपने मित्रों को सुना है और मैं यह कहना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति भारत को एक-जुट रखना चाहता है । इसमें कोई संदेह नहीं है । इसके अतिरिक्त हर व्यक्ति साम्प्रदायिक तनाव और दंगों की निन्दा भी करता है । वह भी एक बहुत अच्छा आसार है । लेकिन स्पष्ट शब्दों में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हम ऐसा करने जा रहे हैं या नहीं । इस संदर्भ में कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस सदन और जनसाधारण के सामने लाने आवश्यक हैं ।

साम्प्रदायिक दंगे हमेशा से चलते आ रहे हैं । कभी बहुत पहले फूट डालने और शासन करने की नीति होती थी । तत्कालीन शासक सरकार (अंग्रेज) यहां-वहां चिन्गारी भड़काती थी, साम्प्रदायिक दंगे करवाती थी और उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार अधिकतम या न्यूनतम करती थी । उसी आधार पर उन्होंने दो राष्ट्र बनाने का सिद्धान्त बनाया और उसके दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम के रूप में देश का बंटवारा हुआ ।

अतः हमें इस सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए कि सीमा के दूसरी ओर पाकिस्तान

में रहने वाले लोग हमारे भाई हैं, हमारे अपने सगे हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उस व्यक्ति के लिए धर्म का कोई अर्थ नहीं है जो अपनी जिन्दगी जीता है और मर जाता है। यहाँ मुसलमान, सिख, पारसी, हरिजन, हिन्दू और अन्य जातियाँ शान्तिपूर्वक इकट्ठे रहती हैं। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है।

हमें इस सच्चाई की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि इस देश, इस प्रिय देश भारत का विश्व में सबसे अधिक मुसलमान जनसंख्या वाले देशों में दूसरा स्थान है। इन्डोनेशिया में सबसे अधिक मुसलमान हैं, उसके बाद भारत है, बांगला देश तीसरे स्थान पर है और पाकिस्तान का स्थान चौथा है। उदाहरण के लिए ईरान में मुसलमानों की जनसंख्या केवल 3.20 करोड़ है। अतः हमें अपनी स्थिति को समझ लेना चाहिए। मैं यह बात निश्चित रूप से जानता हूं कि हमारे मुसलमान मित्रों में बिल्कुल भी साम्प्रदायिकता नहीं है। जब मैं सेना में था तो युद्ध के दौरान मेरी कमान में मुसलमानों को देश की खातिर मुसलमानों से लड़ना पड़ा। क्या आप यह विश्वास करेंगे कि वे लड़े और शहीद हुए और उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा? इससे साफ पता चलता है कि वे साम्प्रदायिक नहीं हैं।

यदि हम साम्प्रदायिक उपद्रवों के चार्ट पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में इसे बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है क्योंकि आंकड़ों में कुछ सीमांत वृद्धि के सिवाय और कोई वृद्धि नहीं हुई है। यदि हम 1977 से पहले के आंकड़ों को देखें तो यह प्रति घटना लगभग 0.29 था; 1978 में यह बढ़कर 0.89 हो गया और फिर 0.80 हो गया। इन आंकड़ों में जो थोड़ी सी बढ़ने की प्रवृत्ति है हमें उसे नीचे लाना है। इसके लिए हमें इकट्ठे बैठकर उपाय सोचने होंगे। जैसा बहुत से वक्ताओं ने सुझाव दिया है हमें इसे एक राष्ट्रीय समस्या मानकर इकट्ठे काम करना होगा। अतः सरकार से मेरी यह अपील है कि, जैसा अन्य व्यक्तियों ने भी सिफारिश की है, हमें इस विषय पर एक समन्वित किस्म की समिति बनानी है। जब कभी भी आवश्यक हो हमें इकट्ठे होना चाहिए और इस बुराई को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। किन्तु हम सबको सहयोग देना होगा।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अन्य तत्व भी अपनी भूमिका अदा करते हैं। लोगों ने बाहर से आए एजेन्टों की भी बातें की हैं। इन दिनों कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां एजेन्ट न हो। विश्व के चारों ओर आपने यह देखा है कि उनके कारण देश विभाजित हो गए हैं। घन देश में आता है और देश का बंटवारा हो जाता है, चाहे वह कटंगा हो, कांगो हो या नाइजेरिया हो। कार्य करने का तरीका वही रहता है। उनका विभाजन हो गया है किन्तु हम विभाजित नहीं होंगे तथापि हमने एक जुट होकर इसका मुकाबला करना है क्योंकि कुछ और भी बातें हैं जो हम सभी पर लागू होती हैं।

कितनी ही सिफारिशें की गई हैं। उनको और बढ़ाना मेरा काम नहीं है लेकिन मैं केवल वही कहूंगा जो मैंने अनुभव किया है। हमारे प्रधान मंत्री, हमारे गृह मन्त्री और गृह मंत्रालय ने बहुत धैर्य से काम लिया है। वे दृढ़ निश्चयी हैं, उन्होंने सारे मामले को यथा संभव उत्तम ढंग से निपटाया है क्योंकि ऐसी नाजुक स्थिति के बारे में कहना आसान है उसको नियंत्रित करना कठिन है। उनका कार्य बहुत प्रशंसनीय है।

उदाहरण के लिए यदि आवश्यक हो तो पी०ए०सी० का पुनर्गठन किया जा सकता है। ऐसा न किए जा सकने का कोई कारण नहीं है। अनेक भूतपूर्व सैनिक सेना से आए हैं। आप उनमें से कुछ को पी०ए०सी० के अनुशासन को कुछ हद तक सुधारने के लिए पी०ए०सी० में ले सकते हैं। अतः कुछ चीजें तो की जा सकती हैं और कोई कारण नहीं है कि विपक्ष के साथ बैठकर सद्भावनापूर्ण वातावरण में समस्याओं को सुलझाया न जा सके।

*श्री अब्दुल समद (वेल्लूर) : उपाध्यक्ष महोदय, तीन महीने के दौरान लगातार हुए साम्प्रदायिक नरसंहार ने प्रत्येक चेतनशील व्यक्ति को खून के आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के विश्व मंच पर भारत को शर्म से अपना सिर नीचे करना पड़ा। मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्यों ने इन गंदी घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया है। मैं उन्हें दोबारा दोहराने में सदन का समय बर्बाद नहीं करूंगा।

सबसे दुःखद और उतनी ही निर्मम बात यह है कि ये घृणित और हानिकारक गतिविधियाँ पुलिस द्वारा कानून और व्यवस्था पुनः स्थापित करने की जिम्मेदारी लिए जाने के बाद भी जारी रही। एक माननीय सदस्य ने पी०ए०सी० से सम्बन्धित पुलिस द्वारा कर्फ्यू अवधि के दौरान की गई हिंसा और लूट पाट का विश्लेषणात्मक चित्रण किया है। इसे धन के लिए क्षणिक लालसा समझकर बर्दास्त किया जा सकता है। दुःख तो इस बात से होता है कि केन्द्रीय सरकार के समस्त बल और राज्य पुलिस बल का इस्तेमाल किए जाने के बावजूद ये साम्प्रदायिक झगड़े पिछले चार महीने के दौरान लगातार जारी रहे हैं। इससे यह संदेह हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार इन बुरी गतिविधियों की एक अक्षम और मूक दर्शक बनकर रह गई है। पुलिस क्या कर रही है ? सरकार क्या कर रही है ? क्या वे सब साम्प्रदायिकतावादियों के निर्मम प्रहार से शांत कर दिए गए हैं। कर्फ्यू अवधि के दौरान पी०ए०सी० के वर्मियों ने 600 दुकानें लूट लीं। मैं यह समझता हूं कि इन लोगों ने लूटी हुई सम्पत्ति को बाजार में बेचकर उससे प्राप्त धन को मनीआर्डर द्वारा अपने परिवारों को भेज दिया। मैं यह मांग करता हूं कि सरकार इस नीच कार्य की गहराई से जांच करे। उपाध्यक्ष महोदय हम इसे भी सहन कर सकते हैं। अब हम उन

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

राहत कार्यकर्त्ताओं की निन्दनीय गिरफ्तारी पर आते हैं जो पीड़ितों और उनके बच्चों की दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं द्वारा सहायता कर रहे थे। किसी की भी सोच से परे घृणित बात यह है कि इन राहत कार्य कर्त्ताओं के हाथ और पैर काट दिए गए हैं। मैं आपको मुरादाबाद के उस अस्पताल में चलने के लिए आमंत्रित करते हैं जहां इन पीड़ित लोगों को प्रारम्भिक चिकित्सा सुविधा भी नहीं दी जा रही है। उन्हें कोई एन्टि-बायटिक दवाई नहीं दी जा रही है। वे जीवन और मौत के बीच एक हारने वाला संघर्ष कर रहे हैं। किसी को भी इस सच्चाई से घृणा होती है कि हमारे देश में इतने क्रूरतापूर्ण कार्य भी हो सकते हैं। मैं केवल इतनी अपील करता हूं कि जो कुछ अब तक हुआ है हम उसे भूल जायें। लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में हमारे देश में ऐसा साम्प्रदायिक हत्या कांड न हो। सरकार ने हाल ही में ऐसे झगड़ों को नियंत्रित करने के लिए एक 'क्रेक फोर्स' के गठन की घोषणा की है। अब एक महीने से अधिक हो गया है। क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है? यदि सरकार यह कार्य नहीं कर सकती तो इसे हमें सौंप दिया जाए। हम निर्दोष लोगों की सुरक्षा के लिए ऐसे बल का गठन करेंगे। हम ऐसे बल का गठन तमिलनाडु से कर सकते हैं जहाँ हमेशा साम्प्रदायिक शान्ति और सद्भावना बनी रहती है। इस बल में तमिल-नाडु के व्यक्ति होने चाहिएं। हम सरकार को यह आश्वासन देते हैं कि हम ऐसी 'क्रेक फोर्स' की सहायता से शीघ्र ही सामान्य स्थिति स्थापित कर देंगे।

हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती गांधी को बिहार में विचाराधीन कैदियों को अन्धा किए जाने की जैसे ही जानकारी मिली उन्होंने अपने राहत कोष से प्रत्येक पीड़ित परिवार को 15000 रु० की वित्तीय सहायता देने की घोषणा कर दी। उनकी अनुकम्पा मुरादाबाद के साम्प्रदायिक झगड़ों में पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवारों को भी मिलनी चाहिए। उन्हें अपने राहत कोष से उनको भी वित्तीय सहायता देने की घोषणा करनी चाहिए।

मुझे तिरू कुरान में लिखी हुई यह प्रसिद्ध कहावत याद आती है कि झूठा प्रचार कत्ल से भी बुरा है। मैं यह बात हमारे राष्ट्रीय समाचार पत्रों द्वारा इस संकट और विनाश की घड़ी में अदा की जा रही संदिग्ध भूमिका को देखकर कही है। वे यह जानते हैं कि किसका कत्ल हुआ है किसने किया है और किसकी सम्पत्ति किसने लूटी है? तो भी उन्हें पीड़ित लोगों के प्रति गलत प्रचार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। उन्हें एक दिन अपनी आत्मा को उत्तर देना पड़ेगा और उन्हें अपने जीवन में कम से कम एक बार अपने देवताओं के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने झूठे प्रचार के जरिए हिंसा को बढ़ावा देते हैं।

जिस भावना से मेरे वकील मित्र श्री राम जेठमलानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के

बारे में बोले हैं, मैं उसे समझ सकता हूं। लेकिन जो हो रहा है वह बिल्कुल भिन्न है। तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ड्रिल स्कूल के मैदानों में अब भी जारी है। कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में उन पर रोक लगा दी गई है। केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु राज्य सरकार को यह निर्देश देना चाहिए कि वे तमिलनाडु के स्कूल में मैदानों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं पर रोक लगा दें।

अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं यह अपील करूंगा कि शीघ्र ही साम्प्रदायिक सद्भावना की स्थिति कायम की जाए। केन्द्रीय सरकार को साम्प्रदायिक झगड़ों में पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए उदार वित्तीय सहायता देनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : डिप्टी स्पीकर महोदय, अभी काफी देर से जो फसादात मुल्क में हो रहे हैं उस पर चर्चा चल रही है। उनको कैसे रोका जाए, कैसे कम किया जाए, उनके बारे में यहां बहुत-सी बातें हुईं और बहुत से सुझाव भी आए। इस बात का भी जिक्र हुआ कि ये दंगे, फिसाद इस तरह से पहले भी होते थे लेकिन तीन-चार सालों से जो दंगे फसाद हुए हैं उनमें कुछ खास वाकयात हुए हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनसे हमें सबक सीखना है। पहले जो दंगे या फसाद होते थे वे एक या दो या चार दिनों में सरकार द्वारा कंट्रोल कर लिए जाते थे और फिर से हिन्दू-मुसलमान मिलकर एक अच्छा वातावरण पीछे क्या बनाते थे। लेकिन अब जो घटनाएं घट रही हैं वे महीनों तक चलती हैं। इसके कारण है, इसको हमें जरूर देखना होगा।

डिप्टी स्पीकर महोदय, हुकूमत को जो सबसे बड़ी बात करनी है वह यह करनी है कि वह यह पता लगाये कि इन दंगों के पीछे क्या कारण हैं। दोनों पक्षों के हमारे बहुत से साथियों ने आर०एस०एस० का नाम लिया। हम भी उनसे अच्छी तरह से सहमत है। अगर आप फिरकेवाराना फसादात रोकना चाहते हैं तो बच्चों के जहन से इस तरह की बातों को आपको निकालना होगा। अगर उनके जहन में इस तरह की बातें भरी जाएंगी तो कभी भी फिरकेवाराना फसादात नहीं रुक सकते। इस देश के अन्दर बचपन से ही हिन्दू मुसलमान की भावना भरी जाती है। बचपन में ही कहा जाता है कि तुम हिन्दू हो, तुम को हिन्दू राष्ट्र बनाना है, मुसलमान और अकलियत के लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, इस तरह की ट्रेनिंग जब बचपन में दी जाती है और हिन्दू और हिन्दू राष्ट्र के नाम पर दी जाती है और उनके दिमागों में ऐसी जहरीली बातें भरी जाती हैं तो जिन लोगों में यह भावना भरी होगी वे चाहे प्रशासन में रहें, राजनीति में रहें या किसी और मैदान में रहें उनके दिमाग से फिरकापरस्ती नहीं हट सकती। इसलिए आज हमें इस बात को सोचना

है और ऐसे कारखानों को बंद करना हैं जहां यह सब चीजें पैदा होती हैं, जन्म लेती हैं।

आज हम पत्र-पत्रिकाओं को फ्रीडम की बहुत बात करते हैं, उनकी स्वतंत्रता की बात करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, खास कर गृह मंत्री का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि आज इस देश के अन्दर ऐसे अखबारात भी है जो इस फिरके-वाराना फसाद को फैलाने में हवा देते हैं। अभी खाँ साहब ने आरगेनाइजर के बारे में कहा था। मैं आपको प्रताप अखबार के बारे बताना चाहता हूं जो कि दिल्ली से निकलता है। उसका 31-10-80 के इश्यू का जो एडीटोरियल है उसमें वह क्या लिखता है। प्रताप ने लिखा है—

जो मुर्दा हिन्दू थे उनमें भी कुछ ऐसे लोग खड़े हो गए हैं जो यह समझते हैं कि इन्दिरा के राज में उनकी मौत तो आखिर यकीनी है लेकिन जरा मर्दों की तरह तो मरें। इसका नतीजा यह हुआ है कि जहाँ मुसलमानों की 70-70 फीसदी, 80-80 फीसदी आबादी है वहाँ भी हिन्दू अकलियत जरा हिम्मत दिखा रही है और मुस्लिम गुण्डों का मुकाबला करने लग गयी है। मुसलमानों की जूतियाँ चाटने वाले काँग्रेसी इसे फिरकापरस्ती का नाम देते हैं।

जहाँ इस तरह की बातें लिखी जाती हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनका क्या असर हो सकता है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि ऐसे अखबारात पर चाहे वे हिन्दी में निकलते हों, उर्दू में निकलते हों या अंग्रेजी में निकलते हों, उन पर बेन लगाया जाए, उन्हें ऐसा लिखने से रोका जाए। प्रेस की आजादी के नाम पर उन्हें इस प्रकार की इजाजत न दी जाए जिससे कि मुल्क की एकता खतरे में पड़ जाए।

डिप्पटी स्पीकर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे दो शब्द कहने का मौका दिया है। दोनों पक्ष की ओर से स्पेशल कोर्ट का सुझाव आया है उसका मैं स्वागत करता हूं। इस तरह की घटनाओं से स्पेशल कोर्ट के जरिए से ही निपटा जा सकता है। कमीशनों से बहुत देरी होती है। इस तरह की स्पेशल कोर्टों को बना कर मुजरिमों को सजा दी जाए जिससे कि ऐसे लोगों को एहसास हो कि उन्हें अब फौरन सजा हो सकती है। चाहे हिन्दु हो या मुसलमान हो, जो भी मुजरिम हैं, गुण्डा एलीमेंट है, वे सब इस बात को महसूस करेंगे।

दंगा करने वाले गुण्डे होते हैं, जिनकी न जाति होती है न धर्म होता है न मजहब होता है, वे तो सिर्फ गुण्डे होते हैं। इनके खिलाफ सरकार को आवाज उठानी चाहिए। ऐसे गुण्डों के खिलाफ, फिरकापरस्त एलीमेंट्स के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्यवाही

करनी होगी तभी हमारे बुजुर्गों ने जो सपना देखा था, पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मागाँधी ने श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने जो सपना देखा है कि ऐसा मुल्क बने जहां हिन्दू मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई चैन से रह सकें, सभी धर्म के लोगों को फलने-फूलने का मौका मिले, तभी हम वह सपना साकार कर सकते हैं।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया—धन्यवाद !

श्री चित्त बसु (बटसार) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद के अन्त में मैं कोई महत्वपूर्ण मुद्दा न ले सकता हूं और न ही विस्तृत विवेचना कर सकता हूं। परन्तु मैं अपने दल की ओर से उन अन्य सदस्यों तथा अन्य दलों के साथ होना चाहूंगा जिन्होंने साम्प्रदायिकता की बुराई और काली शक्तियों से लड़ने के लिए अपने विचार व्यक्त किए हैं क्यों कि हम हमसूस करते हैं कि ये ऐसी शक्तियां हैं जिनके साथ एक होकर लगातार तथा बिना किसी ढील के लड़ाई लड़ी जानी है।

इस सम्बन्ध में मैं मुरादाबाद में पुलिस तथा प्रशासन द्वारा अदा की गई भूमिका की निन्दा करने का अवसर प्राप्त करता हूं। कहीं से चाहे कोई भी स्पष्टीकरण दिया गया हो, परन्तु सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य ने आज सबसे बड़ा अभ्यारोपण किया है, उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि उन्होंने इस सभा के समक्ष जो तथ्य रखे हैं उनका इस पत्र की ओर से किसी ने कभी खंडन नही किया है।

मैं कुछ शब्दों में कहना चाहूंगा कि मरादाबाद में मुसलमानों पर की गई अत्यधिक हिंसा के सिवाय और कुछ नहीं है। वह नया तत्व है—वह राज्य का तंत्र है जिसने हमारे देश में जानबूझकर अल्पसंख्यक समुदायों विशेषकर मुसलमानों पर अत्याचार किए हैं। वह बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

अब भी मुरादाबाद, अलीगढ़ और इलाहाबाद की घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर मुसलमानों के सम्बन्ध में भेदभाव तथा पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाये जाने के समाचार हैं। अतः जब तक प्रशासन से इन साम्प्रदायिक तत्वों को अलग नहीं किया जाएगा तब तक मैं समझता हूं कि हमारे देश के अल्पसंख्यक लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। हमारे देश में सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह अल्पसंख्यक लोगों को सुरक्षा प्रदान करे तथा उसकी गारंटी दे, सरकार को इस बात को याद रखना होगा।

साम्प्रदायिक शक्तियों के लिए राजनीतिक आधार होता है। मुझे इस पहलू का शीघ्र ही उल्लेख कर देना चाहिए। हमारे देश में ऐसी शक्तियाँ हैं जो महसूस करती हैं तथा यह प्रचार भी करती हैं कि मुसलमान भारतीय नहीं हो सकते हैं। उनको सदा-सर्वदा

के लिए संदिग्ध व्यक्तियो के रूप में रहना चाहिए। उनकी वफादारी निष्कपट नहीं है।' कोई भी राजनीतिक संगठन अथवा राजनीतिक दल जो इस विशेष विचार पर आधारित हो कि हमारे देश के सबसे बड़ी संख्या वाले अल्पसंख्यक लोग इस देश के प्रति कभी वफादार नहीं हो सकते है घातक और हानिकारक हैं। अतः···

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ कहते हैं वह समूचे भारत की भावना नहीं हो सकती है।

श्री चित बसु : हमारे देश में राजनीतिक बल हैं। यदि आप चाहते है कि मैं उनके नाम बताऊं तो बता सकता हूं। ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका कार्यक्रम है कि वे हिन्दू राज चाहते हैं। चूंकि मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा वे कहते हैं कि हिन्दू राज होना चाहिए क्यों कि हिन्दू ही भारत के प्रति वफादार हो सकते हैं और यह कि मुसलमान भारत के प्रति कभी वफादार नहीं हो सकते—

(व्यवधान)

यह रिवाज नहीं है और इस पर चर्चा करने का यह स्थान नहीं है।

महोदय, साम्प्रदायिकता के साथ राजनीतिक स्तरों पर भी लड़ाई लड़ी जानी है। जब तक आप इन राजनीतिक शक्तियों का राजनीतिक स्तरों पर मुकाबला नहीं करेंगे तब तक साम्प्रदायिकता का यह कलंक दूर नहीं किया जा सकता परन्तु ऐसी स्थितियों में भी आशा छिपी हुई है। वह यह है कि हमारे अधिकाँश देशवासी, विशेषकर दोनों वर्गों के श्रमजीवी वर्ग, किसान, मजदूर तथा सभी समुदाय आज संगठित हैं और वे साम्प्रदायिकता की शक्तियों का मुकाबला कर सकते हैं। हम तैयार हैं और हम अपना संघर्ष भी कर रहे हैं। हम महसूस करते हैं कि साम्प्रदायिक सामंजस्य किसी की देन नहीं हो सकती है। यह सरकार की देन नहीं हो सकती है। यह तो इस देश के भीतर तथा बाहर साम्प्रदायिक शक्तियों तथा निहित स्वार्थों के साथ लगातार संघर्ष करके जीती जा सकती है। अतः मैं महसुस करता हूं कि यह राजनीतिक अभियान आवश्यक है तथा यह अभियान दलों की ओर ध्यान दिए बिना एकजुट होकर आयोजित किया जाना चाहिए।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है—और मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं—कि प्रशासन में ढील भी बरती जाती है। मैं यह नहीं कहता कि साम्प्रदायिक घटनाओं से उत्पन्न स्थिति से निपटने के मामले में विशेष अनुदेश नहीं दिये गये हैं। बहुत से अनुदेश दिए गए हैं। उसे सरकार भी मानती हैं। बहुत-सी सिफारिशें भी की गई हैं। वास्तविकता यह कि उनको क्रियान्वित करने के लिए राजनीतिक इच्छा का अभाव है। इस अवस्था में मैं केवल गृह मंत्री तथा

सरकार से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय एकता परिषद निश्चय ही मूल यवान और महत्वपूर्ण तथा व्यवहारिक सुझाव देगी और सिफारिशें करेगी। इस अवस्था में···

श्री कमलापति त्रिपाठी (वाराणसी) : महोदय, आपने केवल दो घंटे तक समय बढ़ाया था। अब आठ बजने वाले हैं। क्या यह कार्यवाही आठ बजे तक समाप्त हो जायेगी ? मेरा यही व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रात्रि के 8 बजे सभा का विचार जानना चाहूंगा।

श्री चित्त बसु : मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और चाहता हूं कि वे सिफारिशें जल्दी-से-जल्दी लागू की जायें। मैं और भी मांग करता हूं कि पी० ए० सी का विघटन किया जाये। मैं यह भी मांग करता हूं कि देश के विभिन्न भागों में दंगों से प्रभावित व्यक्तियों का प्रभावी रूप से पुनर्वास करने के उपाय किए जायें। मैं यह भी मांग करता हूं कि मुरादाबाद की घटनाओं की जाँच करने लिए संसदीय जांच की आवश्यकता है क्यों कि तथाकथित न्यायिक जाँच से न तो कोई अल्पसंख्यक समुदाय ही संतुष्ट होगा और न ही इस देश में हम में से ही कोई संतुष्ट होगा।

धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि पंडित जी ने ठीक ही कहा है कि हमें अपनी कार्यवाही रात्रि के आठ बजे तक पूरी कर लेनी है। अभी मंत्री महोदय को भी उत्तर देना है। अतः मैं यह जानना चाहूंगा। प्रस्तावक को उत्तर पाने का अधिकार भी है। कुछ और वक्ता भी हैं। श्री बनात वाला; आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : हम पन्द्रह घंटे चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रस्ताव पढ़ चुके हैं। श्री अब्दुल समद भी बोल चुके हैं। मैं आपकी बात सुनने जा रहा हूं। पहले हम यह जान लें। क्या सभा चाहती है कि हम देर तक बैठें ?

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि मन्त्री महोदय उत्तर दें।

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं देंगे। मैंने सभा को अपने प्रस्ताव पर वाद-

विवाद करने के लिए कहा है। आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं देंगे। यह उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे सभा से अपने प्रस्ताव पर वाद-विवाद करने के लिए कहने तक की अनुमति नहीं देते। यह उचित प्रथा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझसे क्या चाहते हैं ?

श्री जी० एम० बनातवाला : मुझे बोलने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको पांच मिनट दिये जाते हैं। ठीक है। आप बोल सकते हैं। पांच मिनट ही लीजिए क्योंकि आपके दल से श्री समद बोल चुके हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : कितना समय स्वीकार किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप समय बढ़ाना चाहते हैं ? मुझे पूछने दें। क्या सभा एक घंटे तक समय बढ़ाना चाहती हैं ?

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। इसे कल तक स्थगित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, हमें इसे आज ही समाप्त करना है। श्री बनातवाला। कृपया सुनिये।

(व्यवधान)

मैंने श्री बनातवाला से बोलने के लिए कहा है।

श्री जी० एम० बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं आपका अत्यधिक आभार प्रकट करता हूं कि इस सभा की भावनाओं के उत्तर में अध्यक्षपीठ की ओर से सरकार को निदेश दिया गया है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें। हम इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस सभा में जोर देकर वाद-विवाद करवाने के लिए स्वयं के लिए श्रेय क्यों नहीं लेते ? मैं यह श्रेय आपको देना चाहता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : आप अपना आभार उनके प्रति प्रकट करें।

श्री जी० एम० बनातवाला उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम और इस वाद विवाद के आरंभ में माननीय अध्यक्ष चाहते थे कि इस प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने वाले सदस्य संयम रखें। फिर भी मैं यह कहने के लिये विवश हूं कि जब इन्सान का खून, मुसलमानों का खून पानी से भी सस्ता हो गया है, जब इन्सान की इज्जत को इस निन्दनीय ढ़ग से ठुकराया गया है और जब कि बर्बरता ने भी शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया है तो संयम

रखना मुश्किल है। फिर भी हम सभी जानते हैं कि वाद-विवाद को ऐसा होता है जिससे प्रकाश डाला जा सके और अच्छे परिणाम निकल सकें। यह धर्म-निरपेक्ष लोकतंत्र है जिसकी परीक्षा हो रही है। अतः हमें कतिपय तथ्यों का मुकाबला करना होगा और उनको मानना होगा, सच्चाई का सामना करना होगा चाहे वह सच्चाई कितनी ही कटु क्यों न हो, इस सच्चाई को मानने से इनकार करने की नीति से स्थिति गंभीर ही होगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि साम्प्रदायिकता के कारण देश के विभिन्न भागों, विशेषकर मुरादाबाद में जो सर्वनाश हुआ वह एक ऐसा राष्ट्रव्यापी दुःख है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रादेशिक सशस्त्र सेना द्वारा मुरादाबाद में ईद की नमाज अदा करने के लिये एकत्र हुए लोगों पर जो नृशंस गोली बारी की गई उसने पुलिस की नृशंसता के पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिये हैं। इस बात पर बल दिया जाना है और इस पर बार-बार बल दिया जाना चाहिये।

महोदय, एक बहाना था कि कहीं सुअर के घुस आने के कारण कुछ ईटें फेंकी गईं। परन्तु यह भली भांति समझा जा सकता है कि किसी एक स्थान पर कोई हलचल या किसी दूसरे स्थान पर कुछ ईंटे फेंके जाने से पुलिस को खुले रूप से आम अधिकार नहीं मिल जाता कि वह ईद की नमाज करने के लिये एकत्र हुए लोगों पर अंधाधुंध तथा नृशंस रूप से गोली चलाई।

महोदय, गोली चलाकर खुश होने वाली पुलिस ने ईदगाह में एक छोटी दीवार पर से गोलियां चलाईं; इससे संतुष्ट न होकर रक्त-पिपासु पुलिस एक राह वाली मस्जिद घुस गई और नमाजियों का पीछा करके उनको वहीं गोली से मार दिया। उस मस्जिद की दीवारें, जिन पर गोलियों के निशान हैं और जिनको मैंने स्वयं देखा है, इस घटना का प्रमाण है।

उपाध्यक्ष महोदय, गुल शहीद में भी हमने प्रादेशिक सशस्त्र सेना को एक और खुला आम अधिकार दिया है। जो व्यक्ति पुलिस की लाठियों की मार से गिर पडे उनको टांगें पकड़ कर पुलिस की गाड़ी में घसीटा गया, गोली से उड़ा दिया गया और बाद में गाड़ियों में फेंक दिया गया।

महोदय, मुझे मानना होगा कि हमारे धर्म-निरपेक्ष लोकतन्त्र में कम से कम एक ऐसी घटना हुई है जहां सरकार द्वारा पुलिस अधिकारियों को दंडित किया गया है। भिवंडी तथा अन्य स्थानों पर हुए दंगों के बाद मादोन आयोग गठित किया गया — न्यायमूर्ति मादोन ने अपने प्रतिवेदन में विभिन्न पुलिस अधिकारियों के नाम बताये हैं। मैं महाराष्ट्र विधान सभा का सदस्य था और मेरे अतारांकित प्रश्न के उत्तर में सरकार ने उत्तर दिया कि दंड के परिणाम का पता लगाने के लिए विभागीय जांच की जा रही है।

उस जांच के बाद जो पुलिस कर्मचारी अपने कर्तव्य की अवहेलना के दोषी पाये गये — जो पुलिस कर्मचारी अपराध को बढ़ावा देने और अवप्रेरित करने के दोषी पाये गये पर प्रत्येक पर 10 रुपये का जुर्माना लगाया गया और ये दस रुपये इन अपराधों के दोषी पाये गये इन पुलिस कर्मचारियों के वेतन से प्रति मास एक रुपये की दर से काटे जाकर अदा किये जाने थे। महोदय, जब ऐसी स्थिति है तो हम समाजविरोधी तत्वों पर किस प्रकार नियन्त्रण कर सकते हैं ? यह ऐसी बात है जिस पर विचार करना होगा।

अलीगढ़ में माणक चौक में समाज-विरोधी तत्व-दंगाई छतें पार करके भागे। प्रादेशिक सशस्त्र सेना ने उनके लिये सीढ़ियां पकड़ी, उनकी रक्षा करते हुए उनके मसीहा के रूप में खड़ी रही और उसके बाद इन लोगों ने छोटी-छोटी लड़कियों को जला दिया और जले हुए शवों को उनकी माताओं की गोद में फेंक दिया गया।

महोदय, मेरे पास सीमित समय होने के कारण मुझे यह कहना चाहिये कि मुरादाबाद तथा अन्य स्थानों पर जो कुछ हुआ है वह पुलिस तथा प्रशासन की घोर असफलता का अध्ययन करने का स्तम्भकारी मामला है। वहां तनाव था, वहां अनेक घटनाएं हो रही थीं, आसूचना विभाग ने उत्तर-प्रदेश के मुख्य मंत्री को चेतावनी दी थी और उन्होंने इसे विधान सभा में यह कहते हुए स्वीकार किया था;

> "आसूचना विभाग ने 12 अगस्त को बताया है कि अगले दिन जब मुसलमान ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए एकत्र होंगे तो कोई जानवर गड़बड़ कर सकता है।"

आसूचना विभाग की इस रिपोर्ट के बाद ऐसा जन-संहार हुआ है; सरकार का यह कहना कि वह 'अल्पसंख्यकों की मसीहा' है बहुत ही क्षोभकारी है। अब मैं इस बारे में विचार व्यक्त करूंगा —

उपाध्यक्ष महोदय : आप बहुत ही योग्यतापूर्वक इस पर विचार व्यक्त कर चुके हैं। कृपया भाषण समाप्त करिए।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं और जल्दी करूंगा। मुसलमानों पर एक के बाद एक मिथ्या आरोप लगाये गये हैं। पुलिस अधिकारियों को हर प्रकार के प्रोत्साहन दिये गये हैं। मैं 'न्यूज' से उद्धरण देता हूं। यह 2 नवम्बर, 1980 के अंक से है। इसमें कहा गया है कि;

> "हमने साम्प्रदायिक गड़बड़ उकसाने के लिये अपने समाचार माध्यमों (एजेंसियों तथा आकाशवाणी की 'न्यूजकास्ट' सहित) के बारे में अनेक अवसरों पर टिप्पणियां की हैं। हमने यह भी नोट किया है कि पुलिस अधिकारी एक उद्देश्य से किस

प्रकार जानबूझ कर समाचार-पत्रों तथा एजेंसियों को साम्प्रदायिकता का रंग दिये हुए समाचार देते हैं।"

विषय पी० टी० आई० का समाचार था जिसमें कहा गया था।

"आज (25 अक्तूबर) पुलिस ने पुराने लखनऊ की मस्जिद के अन्दर भूमिगत कारखाने से लगभग 15,000 हथगोले बरामद किये।"

यह निराधार ढंग का समाचार है जो पुलिस अधिकारियों ने दिया है और मैं पूछता हूं; इन सभी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ? महोदय, मैंने अपने स्थानापन्न प्रस्ताव में यह कहा है—

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस पर पहले ही विचार व्यक्त कर चुके हैं। कृपया भाषण समाप्त करिए।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैंने कुछ उपाय सुझाये हैं और उन पर सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी है। सरकार हमें बताये कि उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 29-9-80 के 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' में यह कहा गया है;

"अलीगढ़ में भी मस्जिद की तलाशी ली गई थी और रमजान के दौरान 'इफ्तार' (व्रत तोड़ना) की घोषणा करने के लिए काम में लाये गये पटाखों, जिनको इमाम द्वारा स्वेच्छा से दिया गया था, को मस्जिद से बरामद किये गए नौ बमों के रूप में एक स्थानीय पत्र द्वारा बताया गया"

महोदय, मुझे अपना भाषण इतनी अपील करते हुए समाप्त करना है कि कुविचारों वाले मस्तिष्क में बुद्धि आये जैसा कि मैंने कहा कि यह अपना 'धर्म-निरपेक्ष लोकतंत्र' है जिसकी परीक्षा हो रही है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उन कुविचारों वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक कार्यवाही करे और ठोस कदम उठाये जो हिन्दू राष्ट्र की स्थापना का आह्वान कर सकते हैं अथवा जो पुलिस बल घुस गये हैं। वे मुसलमान सम्प्रदाय के विरुद्ध विभिन्न आरोप लगाते हैं जो कुविचारों के सिवाय और कुछ नहीं है।

मेरा अनुरोध है कि जिला न्यायाधीश द्वारा जो जांच कराई जा रही है उसे समाप्त कराया जाये और इसके स्थान पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच कराई जाये। उपाध्यक्ष महोदय इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि हमारे धर्म-निरपेक्ष लोकतंत्र की रक्षा करने के लिये दृढ़ तथा निश्चयात्मक ढंग से कार्यवाही की जाये तथा देश में साम्प्रदायिक एकता बनाई जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे। मैं किसी और को अनुमति नहीं दे रहा हूं। वह सरकार की ओर से उत्तर देंगे। वह सरकार की देख-रेख करेंगे। (व्यवधान) चिंता मत कीजिए। आप दोनों सत्तारूढ़ दल के हैं। कृपया बैठ जाइये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। वह आप सबकी बातों को ध्यान में रखेंगे।

(व्यवधान)

श्री जेनुलबशर : श्रीमन् आपने अन्य सभी को बोलने दिया है। आप मुझे बोलने की अनुमति क्यों नहीं देते ? मैं भी बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप को अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं ने मंत्री महोदय को पुकारा है।

(व्यवधान)

गृह मंत्री श्री जैल सिंह : मेरी आप से प्रार्थना है कि यह जो क्वेश्चन है यह मानो-रिटीज का है और वे बोलने के लिये बहुत उत्सुक हैं, उनको भी बोलने दीजिये—

(व्यवधान)

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : श्रीमन् यदि सभा का समय बढ़ाने को सभा में सहमति हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी : श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा के समय को और एक घण्टा बढ़ा दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा यह चाहती है कि समय को एक घण्टा बढ़ा दिया जाये ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। सभा का समय एक घण्टा बढ़ाया जाता है।

व्यवधान**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप बारी-बारी उठते हैं तो मैं बात समझ सकता हूं।

**सभा की कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

इस समय जो शब्द आप कह रहे हैं मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। कृपया बैठ जाइये—

(व्यवधान)

श्री आर० पी० यादव : आप सदस्यों को इस प्रकार नजर अन्दाज नहीं कर सकते। आपको यह निर्णय करना होगा कि हम लोग किस समय तक बैठ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम पहले ही निर्णय कर चुके हैं कि हम 9 बजे तक बैठेंगे। आपने वह बात नहीं समझी है—

(व्यवधान)

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : मैं श्री यादव से अनुरोध करूंगा कि वह तैश में न आयें। हमारी ओर के भी अनेक लोग बोलने को उत्सुक हैं। समय बढ़ाया जा चुका है तैश में आने का कोई कारण नहीं है। उनके दल को भी एक अवसर मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की जानकारी के लिए मैं यह बतादूं कि समय बढ़ाए जाने के बावजूद भी विपक्ष अधिक समय ले चुका है। मैंने बहुत ध्यान रखा था। वस्तुतः, शासक दल के 27 सदस्यों ने अपने नाम दिए हैं। पहले तो दो घण्टे का समय बढ़ाया गया था और अब इसमें 1.2 घण्टे की और वृद्धि की गई है। कुल समय में से विपक्ष 2 घण्टे 45 मिनट ले चुका है। वस्तुतः शासक दल ने अभी तक अपना पूरा समय नहीं लिया है। जबकि मैं प्रत्येक विपक्षी दल से एक-एक सदस्य को बुलाया है। मैंने यह नहीं देखा है कि कौन सा दल छोटा है और कौन बड़ा। अतः मैं बोलने के इच्छुक शासक दल के सदस्यों को ही बुलाऊंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : व्यवस्था के प्रश्न पर। आपको इस बढ़े हुए समय में से विपक्ष के प्रवक्ता को समय देना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : विपक्ष तो पहले ही 2 घण्टे और 45 मिनट ले चुका है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सभा में यह परम्परा नहीं रही है। कृपया विपक्ष के भी कुछ सदस्यों को बुलाईये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विपक्षी दलों को पहले ही काफी समय दे चुका हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह उचित नहीं है और ऐसा कभी नहीं हुआ है। यदि आप इस प्रकार समय बढ़ाते हैं तो विपक्ष को भी उसका एक भाग मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को मुझ पर छोड़ दीजिए। श्री जैनुल बशर।

श्री जैनुल बशर (गाजी पुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अध्यक्ष महोदय पहले ही टिप्पणी कर चुके हैं, देश में इस समय व्याप्त साम्प्रदायिक स्थिति पर यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है। इस मामले पर हमारे सिर वस्तुतः ही शर्म से झुके जाते हैं और और हमें इस पर यथेष्ठ गंभीरता से विचार करना चाहिये।

श्रीमन्, यहां पर प्रश्न दल या राजनीति का नही है। यह सच है कि कांग्रेस शासन में भी साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। क्या जनता और लोक दल शासन के दौरान भी हुए हैं भले ही इन-दलो का शासनकेन्द्र में रहा हो अथवा राज्यों में। साम्प्रदायिक दंगे तो हुए हैं और यह भी सच है कि चाहे हम किसी दल से सम्बद्ध हों, हम इन दंगों को रोक नहीं सके हैं। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है और हमें इस स्थिति पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। साम्प्रदायिक दंगों से यह राज्य हिल कर रह गया है। अब तक दो-तीन महीने गुजर चुके हैं। वहां तनाव जारी है और सच्चाई यह है कि वहां मुसलमान लोग मौत, अत्याचार तथा बेइज्जती के साये में रह रहे हैं। वे स्वयं को पी०ए०सी० की गोलियों के निशानों पर महसूस करते हैं। पी०ए० सी० एक बदनाम बल है जिसका बहुत ही जिम्मेवार लोगों ने जिक्र किया है। उनके दमन कार्यों का इतिहास इलाहाबाद, मुरादाबाद या अलीगढ़ से ही आरंभ नहीं होता। यह तो 10 वर्ष से अधिक समय पहले शुरू हुआ था। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मुझे अब भी याद है कि पी०ए०सी० ने सबसे पहले मौनाथामंजन, जिला आजमगढ़ में वर्ष 1969 में लूटमार और बलात्कार की कार्यवाही का दौर चलाया था। तब से पी०ए०सी० ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को परेशान किया है।

श्रीमन्, पिछले 10 वर्षों के भीतर, मुसलमान इस भयावह स्थिति का अनुभव करते रहे हैं कि पी०ए०सी० के सिपाही कर्फ्यू के दौरान रात के समय कुछ लोगों के घरों के दरवाजों पर आकर रुकते हैं, जबरन दरवाजों को खोलते हैं, घरों में दाखिल होते हैं, निवासियों पर अत्याचार करते हैं, सम्पत्ति लूटते हैं, औरतों के साथ बलात्कार करते हैं और आदमियों को गलियों में पीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का यही अनुभव रहा है चाहे वह स्थान इलाहाबाद हो, वाराणसी हो, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद या अन्य कोई स्थान हो।

परन्तु, श्रीमन् इस बार विशेष बात यह रही है कि मुरादाबाद में अत्याचार करने, हत्यायें करने, बलात्कार और लूटपाट करने में पी०ए०सी० ने पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिये हैं। बहुत से स्वतन्त्र पर्यवेक्षकों ने, बहुत से जिम्मेदार लोगों ने तथा पत्रकारों ने जो कि महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं से संबद्ध हैं और जिन्होंने खुद मुरादाबाद जाकर देखा है, यह विचार व्यक्त किया है कि उक्त दंगे साम्प्रदायिक नहीं थे। यह मामला पुलिस की दमन -कार्यवाही का है मुरादाबाद में गरीब भोले मुसलमानों के विरुद्ध पुलिस की कार्यवाही का है। मेरा विश्वास कीजिये, मुरादाबाद में जो कुछ पुलिस ने किया है ऐसा तो कोई सशस्त्र सेना भी न करती। यह स्थिति है मुरादाबाद, अलीगढ़ और अन्य स्थानों की।

प्रशासन क्या करता रहा ? प्रशासन भी साम्प्रदायिक अंधता का शिकार था।

मुसलमान पुलिस कर्मी और पी०ए०सी० के सिपाहियों को शस्त्र हीन रखा गया हलांकि वे बहुत कमसंख्या में थे। मुरादाबाद, अलीगढ़, वाराणसी तथा इलाहाबाद में मुसलमान अधिकारियों को कत्ल करने के लिये एक साजिश की गई थी। मुझे याद है, वर्ष 1978 के दौरान वाराणसी में, मुसलमान सम्प्रदाय के एक अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक पर नगरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के सामने ही एक बम फेंका गया था। उसने तो केवल पी० ए०सी० की तलाशी लेने के आदेश दिये थे जिनके विरुद्ध लूटपाट करने की शिकायतें मिलीं थीं। इस बार इलाहाबाद में एक मुस्लिम जिलाधीश की कार पर भी एक बम फेंका गया था। अलीगढ़ में एक मुस्लिम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की हत्या करने का भी प्रयास किया गया था। यह स्थिति रही है। पी०ए०सी० ने एक साजिश की थी और हमारे गृह मन्त्री ने कृपा करके मुरादाबाद से पी०ए०सी० को हटाने का आदेश दिया था। परन्तु मुझे यह देखकर अफसोस होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके आदेश पर कोई ध्यान नहीं दिया और पी०ए०सी० वहां इस बहाने को लेकर जमी रही कि बहुसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों ने यह माँग करते हुए प्रदर्शन किया था कि उनकी सुरक्षा के लिये पी०ए०सी० का वहाँ रहना जरूरी है। मुझे आश्चर्य है कि सीमा सुरक्षा बल केन्द्रीय आराक्षी पुलिस और सेना भी उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकी। यह हालत है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को इतनी हानि पहुंची है जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती और उनको यह विश्वास नहीं रहा है कि पी०ए०सी० उनको सुरक्षा प्रदान करने में प्रभावी सिद्ध होगी। उन्हें सेना, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय आरक्षि पुलिस में विश्वास है उनके विरुद्ध इन लोगों को कोई भी शिकायत नहीं है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने विभिन्न सुझाव दिये हैं। मैं भी कुछ सुझाव देने जा रहा हूं। उससे पूर्व मैं खुदा से दुआ करता हूं कि मुरादाबाद के बाद अब मुल्क में और कहीं भी साम्प्रदायिक दंगे न हों। हमारी सरकार को यह सुनिश्चय करना चाहिये, विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और अगर ऐसा होता है तो मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि कानून और व्यवस्था तंत्र पर से मुसलमानों का विश्वास उठ जायेगा और हो सकता है कि एक वर्ग अपनी सुरक्षा का प्रबंध स्वयं ही करने का प्रयास करे, और अगर वे ऐसा करते हैं तो इससे न केवल उनका अपना ही भविष्य नष्ट हो जायेगा बल्कि देश में काफी हद तक कायरता की स्थिति भी पैदा करने का कारण बनेगा। यह बात ध्यान में रखनी चाहिये। अब मैं कुछ सुझाव देने जा रहा हूं जिनमें अल्प अवधि और दीर्घ-अवधि के दोनों प्रकार के उपाय शामिल हैं। अल्प अवधि के सुझाव ये हैं :—

(एक) मुरादाबाद, अलीगढ़ और इलाहाबाद में हुई घटनाओं की जांच के लिये संसद-सदस्यों की एक समिति गठित की जानी चाहिये।

(दो) जांच में पुलिस तथा पी०ए०सी० के आचरण विषय को भी लिया जाना चाहिये ।

(तीन) मुरादाबाद के जिलाधीश तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की भूमिका बड़ी असन्तोषजनक रही है । गृह मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री से भेंट करने वाले मुस्लिम प्रतिनिधि मण्डल ने उनके आचरण के बारे में शिकायतें की होंगी । मुरादाबाद में मुसलमानों का विश्वास बहाल करने के प्रयोजन से यह आवश्यक है कि इन अधिकारियों को तुरन्त स्थानान्तरण कर दिया जाये ।

(चार) इन स्थानों पर बेतहाशा गिरफ्तार किये गये लोगों को तुरन्त रिहा कर दिया जाना चाहिये । संसदीय समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद उनके मामलों की समीक्षा की जानी चाहिये । पुलिस तथा पी०ए०सी० द्वारा पीटे जाने पर जो लोग अपंग हो गये हैं उन्हें 25,000 रुपये अनुदान दिया जाना चाहिये । पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने पर मारे गये लोगों के परिवारों को 50,000 रुपये का मुआवजा अदा किया जाना चाहिये । रेल दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति के परिवार वालों को 50,000 रुपये मिलते हैं

(व्यवधान)

पुलिस द्वारा परेशान किये जाने और उनके विरुद्ध झूठे मामले दर्ज किये जाने के कारण बहुत सारे लोग मुरादाबाद से भाग गये हैं । ऐसे हालात पैदा किये जाने चाहियें कि वे लौट सकें और अमन चैन से रह सकें । (व्यवधान)

मैं सुझाव दे रहा हूं । एक मिनट और श्रीमन् ! (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शासक दल के सदस्य (व्यवधान)

श्री जैनुल बशर : मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा हूं श्रीमान् जो मस्जिद नष्ट हो गई है उसे सरकारी खर्च पर पुनः निर्मित किया जाना चाहिये । एक मस्जिद जिसे मन्दिर में तब्दील कर दिया बताया जाता है, मुसलमानों को लौटाई जानी चाहिये । मुरादाबाद और अलीगढ़ के व्यापारियों की मदद के लिये बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बड़े पैमानों पर आगे आना चाहिये (व्यवधान)

मैं लंबी अवधि के उपाय सुझा रहा हूं (व्यवधान)

उत्तर प्रदेश में सुदृढ़ बटालियन युवत एक शांति सेना गठित की जानी चाहिये जिसमें 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मुसलमानों को दिया जाये । (व्यवधान)

उक्त शांति सेना को दंगों के समय तैनात किया जाना चाहिये । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री सैयद मुजफ्फर हुसैन को बुला रहा हूं ।

श्री जैनुल बशर, केवल एक बात और जनाब! (व्यवधान)

यदि राज्य का प्रशासन साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित नहीं कर पाता और केन्द्रीय बल बुलाये जाते हैं या यदि राज्य प्रशासन दंगों को 48 घण्टे के भीतर नियंत्रित नहीं कर पाता तो फिर सरकार को उक्त क्षेत्र को दंगा ग्रस्त क्षेत्र घोषित करके वहां का प्रशासन अपने हाथ में ले लेना चाहिये । इस संदर्भ में उचित विधान बनाया जाना चाहिये । जरूरत पड़े तो संविधान में संशोधन किया जाये । धन्यवाद श्रीमन ! (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सैयद मुजफ्फर हुसैन (व्यवधान)

श्री कमलापति त्रिपाठी : मेरा निवेदन है कि हर वक्ता को केवल पांच मिनट तक बोलने दिया जाये । अन्यथा, सभा की बैठक 12 बजे तक चलेगी । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा भी यही अनुरोध है । मैं अपना अनुरोध दोहराता हूं ।

श्री सैयद मुजफ्फर हुसैन (बहराइच) : जनाब स्पीकर साहब, मुरादाबाद, इलाहाबाद, अलीगढ़, गोदरा, जमशेदपुर में जितने फिसादात हुए और वहां जो कुछ हुआ इस पर तफसीली बयानात हमारे मेम्बरान-पार्लियामेंट दे चुके हैं । मुझे उसकी तफसील में नहीं जाना । मुझे सिर्फ इतना कहना है कि इस 33 साल्ह दौरे-हुकूमत के गुजर जाने के बाद आज भी हमारी हैसियत हिन्दुस्तान में इस शेर के मुताबिक है :

वफूरे गम से दो आँसू बहाएं, तो बगावत है,
सितमगारे-जहां को भूल जाएं, तो बगावत है,
वफादारी का अफसाना सुनाएं तो बगावत है,
अगर लफ्जे मुहब्बत लब पे लाएं, तो बगावत है,
जमाना शादमां हो, कहकहे गूंजे फिजाओं में,
अगर हम इत्तिफाकन मुस्करायें तो बगावत है,
जला दें आशियाने, यह तो है एने करम इनका
खुद अपने ही चमन को हम सजाएं, तो बगावत है,
चमन का तजकिरा छेड़ें, तो गम्माजे-चमन ठहरें,
कफस को आशियां कहकर सजाएं, तो बगावत है,
करें परवाज की जुर्रत, तो हल्के दाम के लाखों,
समेटे अपने बाजू बैठ जाएं, तो बगावत है,
समझ ही में नहीं आता, कि छेड़ें दास्तां कैसे,
हंसाएं तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत है ।

आज हमारी हैसियत इस हिन्दुस्तान की सरजमीन पर यह है जिसके लिए हमने अपने आबको, अपने दरचो को, अपनी मां, बहिन, बेटियों की इज्जत को इस मुल्क की आजादी पर कुर्बान किया और यह इसलिए नहीं किया कि हमने इस हिन्दुस्तान पर कोई

एहसान किया है; बल्कि हमारी कुर्बानी महज इसलिए थी कि हमने इस मुल्क को अपना मुल्क समझा, अपने इस चमन को अपना चमन समझा और इसकी बहारों को बरकरार रखने में हमने अपना खून दिया।

(व्यवधान)

लेकिन आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हिन्दुस्तान का 14 करोड़ या 15 करोड़ मुसलमान अपने ही मुल्क में अपने आपको परदेसी समझ रहा है और अपनी जिन्दगी को, मां, बहिन, बेटियों की इज्जत, अपनी मस्जिदों और कबरिस्तान को अपने खानदान के किसी फर्द को, हर चीज को अपनी जिन्दगी को महफूज नहीं समझ रहा है कि आया हम हिन्दुस्तानी हैं या नहीं।

आज फिसादात पर जो तकरीरें हुई हैं, सब लोग इसका शिकवा कर रहे हैं (कि मुसलमानों के साथ यह हुआ, वह हुआ, और यह नहीं होना चाहिए)। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह जो लोग सब कह रहे हैं, उन्होंने अपने तास्सुरात का इजहार किया है, लेकिन मैं इन फसादात से बिल्कुल परेशान नहीं हूं, बिल्कुल घबराता नही हूं। इसलिए कि मैं जानता हूं कि सबसे पहला बलवा हिन्दुस्तान में शुरू हुआ तो इस दिल्ली की सर-जमीन पर सन् 47 में शुरू हुआ था। उस समय हमारी तादाद सिर्फ साढ़े 4 करोड़ की थी। पिछले 33 साल के अन्दर 11965 बलवे हुए हैं। इस तरह से इस कौम को घटकर 3 करोड़ या ढाई करोड़ हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारी शान हमेशा यह रही है कि—

बढ़ा है चांद घट-घटकर, बड़ी है मौज हट-हटकर,

इसी अंदाज से होगा, उरूजे आस्तां अपना।

हम जानते हैं कि जो कौम सन् 47 में साढ़े 4 करोड़ थी वह 11965 बलवों के बाद भी अगर 15 करोड़ हो सकती है तो ऐसे मुरादाबाद, अलीगढ़ और इलाहाबाद के बलवों से यह घटेगी नहीं, बल्कि बढ़ेगी और उसको आप घटा नहीं सकते हैं। जो शरपसन्द, फितनापरवर और गुण्डे आज इस बात पर तुले हुए हैं कि मुसलमानों को हिन्दुस्तान से निकाल दिया जाए, वह इसका ख्वाब भी नहीं देख सकते। मुसलमान इस हिन्दुस्तान का शहरी है, इसका हिस्सेदार है, इसका हकदार है, कोई उसके हक को कोई नहीं मिटा सका है और न मिटा सकता है। हां, वह लोग यकीनन मुल्क के दुश्मन हैं जो मुल्क के रहने वालों को अपना भाई नहीं समझते हैं। हमारा मजहब, हमारा दीन हमको यह सिखाता है कि जालिम और मजलूम दोनों की मदद करो। मजलूम की मदद तो समझ में आती है, लेकिन जालिम की मदद की जाए, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। हमारे रसूल ने कहा है कि जालिम की मदद यह है कि उसको जुल्म से रोक दिया जाए और मजलूम

की मदद यह है कि उसके हर दुःख को अपना दुःख, उसके गम को अपना गम उसकी मां, बहिन, बेटी को अपनी मां, बहिन, बेटी समझें।

अगर आज हिन्दुस्तान का हिन्दू, मुसलमानों को तबाह करना चाहता है, या मुसलमान हिन्दुओं को तबाह करना चाहते हैं तो कोई भी तबाह नहीं हो सकता है। हाँ यह जरूर होगा कि दूसरे मुमालिक में हमारी रुसवाई होगी। हमारी पेशानी पर कलंक का टीका लगेगा और हमें दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा।

मैं इन तकरीरों से इसलिए खुश नहीं हूं, मुझे पंडित जी माफ फरमायें, मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। उसके बाद अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लेना है।

एक पंडित जी की बारगाह में उनका नौकर रमचरना आया और कहा कि पंडित जी सलाम। पंडित जी ने कहा कि सलाम, कैसे आये ?

उसने जवाब दिया बाबू घर की खैरियत लेकर आया हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी : पंडित जी से मतलब मुझ से तो नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री सैयद मुजफ्फर हुसैन : आप तो हमारे बुजुर्ग हैं। मैंने आपके लिए नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय : पंडित जी आप होते तो वह आपके पास आता।

श्री सैयद मुजफ्फर हुसैन : मैं अर्ज कर रहा था कि उसने कहा कि घर की खैरियत लेकर आया हूं। पंडित जी ने पूछा कि क्या लाए हो ? उसने कहा कि हुजूर की मां मर गई है, बाकी कुल खैरियत है। पंडित जी ने कहा कि मां कैसे मर गई ? उसने कहा कि मां कैसे मर गई, पूछने का सवाल नहीं है, जिसके सामने उसकी जवान बहु मर जाए, उसकी सास के जीन का क्या सवाल है ? बाकी सब खैरियत है। पंडित जी ने पूछा कि बहू कैसे मर गई ? उसने कहा कि यह कोई पूछने की बात है, जिस मां के सामने जवान लड़का मर जाए वह कैसे जी सकती है, बाकी सब खैरियत है। पंडित जी ने पूछा लड़का कैसे मरा ? उसने कहा कि यह भी पूछने की बात है, जिसके ऊपर पूरा मकान गिर जाए, वह कैसे जी सकता है, बाकी सब खैरियत है। पंडित जी ने कहा कि घर गिर गया, बेटा मर गया, बीवी मर गई, मां मर गई और तुम कह रहे हो कि बाकी सब खैरियत है, तो ऐसी खैरियत में क्या रखा है ?

तो इस तरह की खैरियत से कुछ काम नहीं चलता है। मैं यह कहूंगा कि

पी०ए०सी० और पुलिस अगर वहाँ पर कसूरवार नहीं है तो मैं होम मिनिस्टर साहब से इतना ही कहूंगा कि मुरादाबाद में जितना जल्दी मुमकिन हो सके, वह डाकखाने को लौक करायें और पता लगायें कि 1 करोड़ 36 लाख रुपये वहाँ की पी०ए०सी० ने और पुलिस ने कैसे अपने घरों को भेजा है ?

अगर उन्होंने रुपया नहीं लूटा है, तो डाकखाने से कैसे उनकी तरफ से रुपया घर भेजा गया है ?

कल परसों जब मैं लखनऊ से दिल्ली आ रहा था, तो एस०एस०पी०, मुरादाबाद, साथ बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि मुरादाबाद में क्या हालत है। उन्होंने सारा इल्जाम मुरादाबाद के लोगों के सिरों पर डाल दिया और कहा कि वहाँ पर सब कुछ मुसलमानों ने किया। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे एस०एस०पी० से क्या उम्मीद की जा सकती है, जिसने खुद मुझ से कहा है कि वहाँ पर जो कुछ भी बलवा फसाद हुआ है, वह सब मुसलमानों ने किया है। क्या मैं मुरादाबाद नहीं गया हूं ? मैं मुरादाबाद का एम०पी० रह चुका हूं। मैं वहां के एक-एक मुहल्ले और एक-एक फर्द से वाकिफ हूं। मुरादाबाद में जो कुछ भी हुआ है, वह पी०ए०सी० और पुलिस वालों ने किया हैं। मैं जर्रा बराबर इस बात पर यकीन नहीं रखता हूं कि वे इसमें मुलव्वस नहीं हैं।

मैं मुरादाबाद के एम०एल०ए०, हाफिज सिद्दीक, के साथ मोटर पर जा रहा था। मैंने अपनी आँखों से देखा कि पी०ए०सी० खड़ी थी और उसके सामने ही दुकानें लूटी जा रही थीं। मैंने हाफिज सिद्दीक से कहा कि इसकी रोकथाम करो। उन्होंने कहा कि पी०ए०सी० उल्टे हम पर ही वार करेगी, आप यहाँ से निकल चलो। वहाँ पर जो भी झगड़ा-फसाद हो रहा है, उसमें पी०ए०सी० और पुलिस मुलव्वस है और यह सब कुछ एस०एस०पी० और कलेक्टर की सरकर्दमी में हो रहा है।

कहा जाता है कि हमने कई सफेदपोशों को बन्द कर दिया है। वहां पर शरीफ तबके के जो सरमायादार लोग गवर्नमेंट की मदद के लिए रिलीफ का काम कर रहे थे, उनके नाम वारन्ट जारी किए गए हैं या उनको उठाकर बन्द कर दिया गया है। वहां के वोकला साहबान को भी बन्द कर दिया गया है। एस०एस०पी० और कलेक्टर साहब अपने ऐब को छिपाने के लिए उन लोगों के खिलाफ यह कार्यवाही कर रहे हैं, ताकि वे दिखा सकें कि यहां पर कोई दंगा वगैरह इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि जो लोग गुण्डा-गर्दी करवाते थे, हमने उनको उठाकर बन्द कर दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कल नैशनल सिक्युरिटी बिल आ रहा है, उसका विरोध कीजिए।

श्री सैयद मुजफ्फर हुसैन : दंगा-फसाद तो आप लोग ही करा रहे हैं। हम इस

बलवा-फसाद के खिलाफ इसलिए नहीं है कि हम मर जायेंगे । हमारा मुहाफिज और निगाहबान खुदावन्दकद्दूस है, न कोई गवर्नमेंट है और न कोई पार्टी है । हम यहाँ पर अपने खुदा के भरोसे जी रहे हैं । हम यहां पर इज्जत के साथ रहेंगे, तो खुदा के भरोसे रहेंगे । हम किसी और के सहारे नहीं रहेंगे। लेकिन हमें अफसोस है कि इन बलवों से इस मुल्क की पेशानी पर कलंक का टीका लगता है । दूसरे मुमालिक में हमारी जो बदनामी हो रही है, वह हमारे लिए काबिले-अफसोस है । इसलिए इन बलवों का सद्दे-बाब होना चाहिए, उनकी रोकथाम होनी ही चाहिए ।

पुलिस और पी०ए०सी० के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए । कहा गया है कि पी०ए०सी० को तन्खवाहें कम मिलती हैं, इसलिए वे लोग फसाद करने पर आमादा हो जाते हैं । क्या बलवा कराने से ही, क्या मुसलमानों की दुकानें या जायदाद लूटने से ही उनकी आमदनी पूरी हो जाएगी ? अगर कम तनख्वाह की वजह से पी०ए०सी० के लोग फसाद के मौके पर लूटमार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो उसके लिए और कोई जरिया अख्तियार किया जाए, ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सकें ।

मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि पी०ए०सी० को फौरन तोड़ दिया जाए और पुलिस का सही इन्तजाम किया जाए । एक नई फोर्स बनाई जाए, जिसमें पचास फीसदी हमारे आदमियों को रखा जाए । अगर मुल्क में रहने वाले हिन्दुस्तानी मुसलमानों की हिफाजत हुकूमत नहीं कर सकती है—चाहे वह यह हुकूमत हो, लोकदल की हो या जनता पार्टी की हो—, तो हमको इजाजत दीजिए । हम अपने मुल्क की खुद हिफाजत कर लेंगे । अगर हम नेफा और लद्दाख की वादियों में जा सकते हैं, अगर हम अब्दुल हमीद और उस्मान दे सकते हैं, तो हम अपने मुल्क की हिफाजत भी कर सकते हैं ।

डा० ए० यू० आजमी (जौनपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कानून अन्धा होता है, बहरा और गूंगा होता है । यह सब जानते हैं, सबको यकीन है । इसीलिए इस अन्धे बहरे और गूंगे कानून की हिफाजत के लिए कानून के रखवाले रखे गए ताकि कानून की हिफाजत कर सकें और उसी के साथ हिन्दुस्तान में रहने वाले लोगों के जान व माल की हिफाजत कर सकें । लेकिन अफसोस है कि आज इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया है जिसमें कि कानून और यहाँ के लोगों के जान व माल, इज्जत आबरू की हिफाजत करने वाली पुलिस के लोगों ने जिनको गवर्नमेंट ने इसलिए रखा कि वह देख सकें, सुन सकें, मगर इस गूंगे, बहरे और अन्धे की लाठी बनने वाले, उसको देखने वाले, उसकी हिफाजत करने वाले लोगों ने खुद उसको लूट लिया । यहाँ के मुसलमानों ने अल्ला की मर्जी के लिए तीस दिन तक रोजा रखा, भुख प्यास बर्दाश्त की और नमाज बढ़ने गए, अपने बच्चों को कन्धे पर रख कर तो उन पर बेतरह फायरिंग कर दी गई । जब वह घर से चले थे तो किसी की बीबी ने कहा कि तुम लौट कर आओ तो हम एक दूसरे को मुबारकबाद दें, लेकिन

उसको यह नहीं मालूम था कि वापसी में उसे मुबारकबाद नहीं बेवगी मिलेगी। किसी की मां ने अपने बच्चे को सजा कर भेजा था कि बेटे, लौट आओ तो हम तुम्हें अपनी गरम गोद में लेकर प्यार करेंगे। लेकिन उसको क्या मालूम था कि उसको यतीमी मिलेगी? जो यह कहा जाता है कि यह कम्यूनल रायट था, यह अपने जुर्म को और अपने गुनाहों को छिपाने की बात की जाती है। यह खुली हुई बात है कि पुलिस ने फायरिंग की और अन्धाधुन्ध फायरिंग की। जब हम मुरादाबाद गए तो वहाँ के ऐडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मुरादाबाद के किसी गली-कूचे में जाने की इजाजत नहीं दी। तीन घण्टे की कोशिश के बाद जब एक हिन्दू भाई से मुलाकात हुई तो उसने मुझे बताया कि मैं वहां मौजूद था, कैम्प लगाए हुए था, पुलिस ने जब फायरिंग की। मैंने उनसे जिरह की कि क्या मुसलमानों की तरफ से फायरिंग हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं,। वहाँ पर जो एक ड्यूटी पर पुलिस आफिसर था उसका एक खत मुझे मिला है। उसकी फोटो स्टेट कापी मेरे पास है, वह मैं पेश कर सकता हूं जिसमें उसने कहा है कि यहां पर पुलिस ने गोली चार्ज की है और 950 आदमी मरे हैं जिनको पुलिस उठा कर ले गई है और दफन कर रही है और रात में पुलिस ने लोगों को घरों से खींच खींच कर मारा है।

मैं किसी पार्टी पर इल्जाम नहीं लगाता। कांग्रेस के लोग कहें कि लोक दल ने किया था और लोग कहें कि कांग्रेस ने किया तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह माइनारिटीज और वीकर सेक्शन सियासी फुटबाल नहीं हैं कि जिनको आप किक मारें और गोल करें। मैं इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जितने संजीदा लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर इसकी असल रूट काज क्या है? आप यह देखिए कि शुरू से गलत हिस्ट्री पढ़ायी जा रही है स्कूलों में। आजादी मिले हुए 33 साल हो गए। बीस साल में तकरीबन एक जेनरेशन पूरी हो जाती है। 33 साल से गलत हिस्ट्री, नफरत भरी हुई हिस्ट्री स्कूलों में पढ़ायी जा रही है और वहाँ से लोग तैयार होते हैं। आज मसला यह बन गया है कि आज यहाँ का मुसलमान सेकेंड ग्रेड का शहरी समझा जा रहा है। इसका सबूत यह है, मैं एक वाकया अर्ज कर रहा हूं जौनपुर का। जौनपुर में एक जमाने में पुलिस से हमारी एक मस्जिद की गुम्बद टूट गई। नेक्स्ट डे मैंने पूरे शहर में एलान किया कि हम अपने गुस्से का इजहार करने के लिए अपनी दूकानें बन्द करेंगे। जब दूकानें बन्द हुई तो वहां के सिटी मैजिस्ट्रेट, एस० पी० और कोतवाल दूकान दूकान पर घूम कर कह रहे थे कि दूकान खोलो नहीं तो हम समझ लेंगे। यह इसलिए कि एक मुसलमान ने काल दी थी। इसी तरह यह देखा गया कि अभी कुछ दिन पहले एक फंक्शन में एक हिन्दू भाई को रात में गिरफ्तार कर लिया गया। मैं यह नहीं कहता कि उसको गलत गिरफ्तार किया गया या सही गिरफ्तार किया गया। लेकिन कुछ हिन्दू भाई उसके प्रोटेस्ट में कोतवाली को घेर लिए, घण्टों चिल्लाते रहे मगर पुलिस ने कुछ नहीं कहा और अन्त में पुलिस मजबूर हो गई उसको छोड़ने के लिए। मेरा कहना यह नहीं है कि उन्होंने क्यों

उसके खिलाफ आवाज उठाई बल्कि मेरा प्वाइंट यह है कि अगर उनकी जगह पर मुस्लिम या वीकर सेक्शन के लोग रहे होते तो उन पर गोली चार्ज हो गई होती। 17 तारीख को हम श्री जैल सिंह साहब से मिले और 18 तारीख को श्रीमती इन्दिरा गांधी जी से मिले लेकिन दोनों ने बड़ी अफसोसनाक बात कही, उन्होंने जवाब दिया कि हम पुलिस के खिलाफ ऐक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि इससे पुलिस डिमारलाइज हो जायेगी और डिमारलाइज्ड पुलिस से हम हुकूमत नहीं चला सकेंगे। आप बतायें कि पुलिस किस लिए रखी जाती है? पुलिस इसलिए रखी जाती है कि वह हमारी देख-भाल करे। अब आप पुलिस का डिमारलाईजेशन देखेंगे या पब्लिक को देखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं कृपया बैठ जाइये।

डा० गोलम याजदानी (रायगंज): हमें बहुत दुःख है कि स्वाधीनता के पश्चात 500 से अधिक साम्प्रदायिक दंगे हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल सहित उत्तर भारत के लगभग हर एक राज्य में यह घटित हुए हैं। हम यह नहीं जानते कि इनको कैसे रोका जा सकता है। हर एक ने मुरादाबाद की घटनाओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। और यह बहुत से लोगों का मत है कि वहाँ पर मुसलमानों की हत्या की जिम्मेदारी प्रांतीय सशस्त्र पुलिस पर है। माननीय सदस्यों ने इन घटनाओं से निपटने के लिए बहुत से सुझाव दिये। कुछेक ने कारणों की तह में पहुंचने की कोशिश की है। कुछ ने कहा है कि गैर-मुसलमान मुसलमानों को उनके व्यापार आदि से उखाड़ना चाहते हैं।

इस मनोवृति का कारण क्या है? इसका विकास किस प्रकार से हुआ? हमें इस पर विचार करना है। इसका मूल कारण यह है कि हमारे देश में आरम्भ से ही बच्चों को साम्प्रदायिकता पढ़ाई जाती है। यदि आप प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य-पुस्तकों को देखें तो पता चलेगा कि मुसलमानों के मत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उदाहरण के लिए यह कहा गया है पवित्र कुरान की रचना पैगम्बर हजरत मुहम्मद द्वारा की गई।

कुछ पाठ्य-पुस्तकों में कहा गया है कि मुसलमान बहुत बदनाम और खतरनाक किस्म के लोग हैं और वे काफिरों को खत्म करना चाहते हैं। एक मुसलमान लड़के के साथ बैठा हुआ एक गैर मुसलमान लड़का उसके बारे में क्या सोचेगा और उसके बारे में उसका क्या विचार होगा?

बहुत सी इतिहास की पुस्तकों में हम पढ़ते हैं कि औरंगजेब एक बहुत साम्प्रादायिक शासक था। हालांकि श्री चटुनाथ सरकार ने इसका खंडन किया है और कहा है कि यह गलत है चूंकि उसने हिन्दुओं को उच्च पद दिए थे। पाठ्य-पुस्तकों में इतिहास की इस तोड़ी-मरोड़ी बात को दोहराया जाता है। बचपन से ही जो छात्र इन बातों को पढ़ते हैं उनकी मनोवृति किस प्रकार की हो सकती है?

ये बच्चे बड़े हो गए हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश कर गये हैं। वे पत्रकार

बन गये हैं, श्रमिक बन गये हैं, व्यापारी बन गए हैं, आदि आदि। मुसलमानों के प्रति उनकी घृणा उनके साथ बढ़ गई है। जब भी अवसर प्राप्त होते है वे मुसलमानों के प्रति अपनी घृणा को जो उनके बचपन के साथ विकसित हुई हैं, प्रकट करते हैं ? कोई उनके सम्बन्ध में गलत खबरें छाप कर उसको व्यक्त करता है, शेष अन्य तरीकों से व्यक्त करते हैं। जिन बच्चों को मुसलमानों से घृणा की शिक्षा दी गई उनके हाथ में देश की बागडोर है, देश का प्रशासन है और जो कुछ उनको स्कूलों में पढ़ाया गया उसी पर चल रहे हैं। अत: इस बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए। साम्प्रदायिकता की चुनौती का सामना करने के लिए आप को इस की जड़ तक पहुंचना होगा। सरकार को देश से साम्प्रदायिकता को समाप्त करने की बुनियाद डालनी चाहिए। आपको पाठ्य-पुस्तकों की ओर देखना चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए कि हमारे बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में, हाई स्कूलों में तथा कालेजों में किस प्रकार की शिक्षा मिल रही है। आपको अखबारों तथा अन्य प्रकाशन माध्यमों पर जिनको जनता द्वारा प्रतिदिन पढ़ा जाता है, कठोर नजर रखनी चाहिए।

मैं यहां पर यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मुरादाबाद के दंगों में तथा हाल के अन्य दंगों में कुछ समाचार पत्र साम्प्रदायिक विष फैलाते हुए मुसलमानों के विरुद्ध झूठी उत्तेजना फैलाने वाली खबरें छाप रहे थे। मैं चाहता हूं कि सरकार इन समाचारपत्रों के प्रति बहुत सावधान रहे और इस बात का पता लगाने के प्रयास करे कि साम्प्रदायिक मनोवृति वाले लोगों के इन प्रयासों को किस प्रकार रोका जाए तथा किस प्रकार साम्प्रदायिक सद्भावना स्थापित की जा सकती है। मुरादाबाद के दंगों के दौरान एक समाचार पत्र ने छापा—'भगवान के लिए इस बात को सोचें कि पानी और तेल का मिश्रण नहीं किया जा सकता और हिन्दु तथा मुसलमान भाईयों के समान मिलजुलकर नहीं रह सकते।" यदि लोगों को प्रतिदिन इसी प्रकार की बातें बताई जायें तो किस का मानसिक सन्तुलन रह सकता है ?केवल मात्र समिति बनाने तथा साम्प्रदायिक दंगों की जाँच करने तथा किन्हीं अधिकारियों को सजा देने मात्र से अथवा मुसलमानों को पुलिस अथवा सेनाओं में लेने से उद्देश्य की पूरी तरह सेपूर्ति नहीं हो सकती। यदि आप दोषियों को सजा देना चाहते हैं और साम्प्रदायिक दंगों समाप्त करना चाहते हैं तो उनको भी दंड दें जो सम्प्रदायिक अशांति फैला रहे हैं तथा साम्प्रदायिक सद्भावना की स्थापना के लिए तरीकों का पता लगाने हेतु उदार हिन्दुओं एवं गैर हिन्दुओं का सहयोग भी प्राप्त करें।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक परम्परा है कि यदि सदन की बैठक रात्रि 9 बजे के पश्चात चलती है तो रात्रि का भोजन होना चाहिए। उसके खर्चे का भार संसदीय कार्य मन्त्री को वहन करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह व्यवस्था का प्रश्न किस नियम के अन्तर्गत उठा रहे है ?

श्री नवल किशोर शर्मा : परम्परा के अन्तर्गत ।

श्री काजी जलील अब्बासी (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने सबसे आखिर में मुझे वक्त देने की मेहरबानी की । मैं सबसे पहले मौलाना आजाद का जुमला दोहराना चाहता हूं कि फिरकापरस्ती एक छूत की बीमारी है जो एक से दूसरे को लग जाती है । यह छूत की बीमारी प्रांतीय सशस्त्र पुलिस और अफसरान को को भी लग सकती है क्यों कि यह सब इस देश के रहने वाले हैं । इस छूत की बीमारी का इलाज हमारे होम मिनिस्टर साहब को बड़े जोरों से करना है और मैं जानता हूं ये बहुत कुछ इस सिलसिले में करने के लिए सोच रहे हैं । मुसलमान कौम को श्रीमती इन्दिरा गांधी पर पूरा भरोसा है और तवारिख इस बात की गवाह है अगर किसी ने मुसलमानों के दर्द को समझा है तो श्री मोती लाल, जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी ने समझा है ।

मुसलमानों के दर्द को समझने वाला अपोजीशन में कोई नजर नहीं आता । इन सब ने मिलकर अपनी हुकूमत बनाई और सारे मुसलमानों से वोट लिया, लेकिन उनके दर्द को नहीं पहचाना । अब उसी मुसलमान ने इस दफा हमको वोट दिया । उन्होंने कहा कि इन्होंने हमको धोका देकर बेवकूफ बनाया । इनमें कोई अनुयायी नहीं है, इन में सभी नेता हैं ।

लेकिन हमारी पार्टी की जो नेता हैं उनके लिये कहा जा सकता है किसारा हिन्दुस्तान उनके साथ है, यहां तक कि अमरीका और रूस की वजारतें भी उनके सामने झुकती हैं । क्या हम यह समझ लें कि जो तमाम बातें हाउस में कही गई हैं, इन्दिरा जी नहीं जानतीं, क्या इन्दिरा जी को नहीं मालुम है कि मुरादाबाद में क्या हुआ ? इन्दिरा जी को सब कुछ मालुम है और वे उसका इलाज भी सोच रही होंगी और उसको अमल में भी लायेंगी । हमारे होम मिनिस्टर साहब — जिनकी शख्सियत में हिन्दुस्तान की शक्ल नजर आती है — उनकी शेरवानी और उर्दू शायरी इस बात का सुबूत है — वे भी इन तमाम बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं । यहां पर सबने सब कुछ कहा, लेकिन मेरी एक बात होम मिनिस्टर साहब नोट कर लें — आपने जो जज मुकर्रिर किया है, मेहरबानी करके — मैं इस बात को मुसलमानों की तरफ से अर्ज कर रहा हूं — — उसको खत्म कर दें और कोई दूसरी ऐसी कमेटी बनायें, चाहे इस सदन की बनायें जिसके लिये आपके पास प्रस्ताव भी आया है या कोई हाई कोर्ट का जज मुकर्रिर करें, साथ ही यह भी जरूरी है कि वह साउथ का हो, उत्तर प्रदेश का न हो । ऐसे आदमी को इस काम के लिये मुकर्रिर कीजिये, ताकि दूसरों की जुबान बन्द हो जाय और कोई बोल न सके, डे-टुडे कार्यवाही चले और सजायें दी जांय । डेटेरेन्ट पनिशमेन्ट का आप ऐलान कर चुके हैं, उस पनिशमेन्ट को देकर आप मुखालिफ की जुबान बन्द कर दीजिये ।

उपाध्यक्ष जी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हालांकि बहुत सी बातें कहने के लिये थीं। आपने मुझे पहली मर्तबा इस अहम मसले पर बोलने का वक्त दिया है, उसके लिये शुक्रिया अदा करता हूं। मैं खुद मुरादाबाद गया था, अलीगढ़ भी गया था, बल्कि दो बार अलीगढ़ गया। वहां के हालात को मैंने खुद देखा और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ में आपने एक माकूल होशियार आदमी को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनाकर भेजा, जिसने हालात पर काबू पा लिया। मेरा मकसद श्री आर० आर० शाह से है। ऐसे ही आदमी को दूसरी जगहों पर भेजिये। लड़कों से यह काम नहीं चलेगा, जिम्मेदार और एक्सपीरिएन्स्ड आदमी को भेजिये। आपके पास आदमियों की कमी नहीं है। मुरादाबाद का मोर्चा काफी कड़ा था, आपने हल्के आदमी को भेजा जो उसको सम्भाल नहीं पाया, अलीगढ़ का मोर्चा हालांकि उससे कड़ा नहीं था लेकिन कम भी नहीं था, लेकिन आर० आर० शाह ने उसको सम्भाल लिया। मैं समझता हूं कि हमारी हुकूमत के पास अच्छे अफसरान की कमी नहीं है, हमारे तमाम अफसरान खराब नहीं हैं, सारी पुलिस खराब नहीं है, सारी पी० ए० सी० खराब नहीं है, हो सकता है उनमें चन्द लोग खराब हों जिनके अन्दर आर० एस० एस० के जहर का असर हो। आर० एस० एस० ने जो जहर फैलाया वह हमारे कांग्रेस के साथियों तक भी पहुंचा, मैं उसके बारे में ज्यादा न कहूंगा, अगर वही जहर पुलिस तक या पी० ए० सी० तक भी पहुंच गया हो तो इसमें क्या ताज्जुब है। इसलिये अब उस जहर को आगे फैलने से रोका जाय, उसको कम किया जाय और साथ ही एक ऐसी कमेटी बनाइये जिसमें लोगों का पूरा भरोसा हो।

मुरादाबाद में जो कलैक्टर था वह पहले बस्ती में भी रह चुका था, बलिया से भी उसको हटाया गया था, कई दूसरी जगहों से भी हटाया गया था। उसके बाद जब ये लोग आये और मिनिस्टर बने तो वह सेन्टर में आ गया। उसके बाद अब पता नहीं वह कैसे मुरादाबाद पहुंच गया। मैं एक बात कह देना चाहता हूं — आज का मुसलमान वह मुसलमान नहीं है जो 1947 में था। 1947 में हम कमजोर थे, लेकिन महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी की बदौलत आज हमारा सिर फक्र से ऊँचा है। आज हिन्दुस्तान का मुसलमान सैकेण्ड क्लास सिटीजन नहीं है। एक तुम हो, एक हम हैं, तुमसे कम नहीं हैं।

श्री समीनुद्दीन (गोंडा) : डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं सदन के सामने एक बुनियादी बात रखना चाहता हूं। यह एक सच बात है कि हम सारे के सारे सदस्यों ने हलफ लिया है और हलफ लेकर इस सदन में बैठे हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जितनी हमें मालूमात हो, वे सब सच्चाई से बतानी चाहिए। मैं यहां यह देख रहा हूं कि एक दूसरे पर छींटाकशी हो रही है अगर यह सदन छींटाकशी का मरकज बना रहा, तो सही माइनों में सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेगी।

यह बहुत शर्मनाक बात है कि आजाद हिन्दुस्तान में ऐसे दंगे हो रहे हैं जो हमारे मुल्क के लिए कलंक का टीका है। पहले तो हम लोग कहा करते थे कि ये दंगे अंग्रेज कराते हैं और आपस में हमको डिवाइड कराने के लिए वे दंगे कराते हैं ताकि वे अपना राज्य करते रहें लेकिन आज तो अपना ही राज्य है चाहे वह जनता सरकार हो और चाहे कांग्रेस सरकार हो। जब यह अपना ही राज्य है तो अपने राज्य में कोई दंगा नहीं करा सकता है। इसलिए हुकूमत परेशान है। फिर यह दंगे कैसे होते हैं? किसी का ख्याल है कि, दूसरे देशों से सी०आई०डी० के लोग आते हैं और दंगे कराते हैं और कोई कहता है कि मुल्ला और पंडित इनको कराते हैं लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बाहरी ताकतों की वजह से ये दंगे नहीं होते हैं और न मुल्ला जी और पंडित जी इनको कराते हैं। ये दंगे जो होते हैं, ये सियासी दंगे होते हैं, राजनीतिक दंगे होते हैं और उस गलत राजनीति का असर सरकार की मशीनरी पर है, और पुलिस और आपकी पी०ए०सी० पर है। पहले जो दंगे होते थे, उन अधिकारियों के न रहते हुए भी, दो तीन दिन बाद समाज के हिन्दू-मुस्लिम रहनुमा आते थे और उनको खत्म करवा देते थे। इस समय तो दंगे कभी भभकते हैं और कभी दबते हैं, यह तो इस बात की दलील है कि ये एक मंसूबे के तहत होते हैं और इसलिए ये सालों-साल चलते रहते हैं। इन चीजों का सबको मिलकर पता लगाना चाहिए कि ये क्यों होते हैं और कैसे हो रहे हैं। इस साल मुरादाबाद में जो चीज हुई है, वह हिन्दुस्तान के लिए नई चीज हुई है और उसने तारीख के सारे रिकॉर्ड को बीट कर दिया है। मुरादाबाद में जो हुआ है, उसमें ईद नमाज के वक्त बच्चों और बूढ़ों पर भी गोली चलाई गई है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे इलाके में भागकर जिन डकैतों ने डकैतियां की थीं और बहुत से लोगों को मार दिया था और कितनी ही महिलाओं के साथ बलात्कार किया और कितने लोगों की आंखों में सुई डाली थी उनके साथ पुलिस ने यह किया कि उनकी आंखें फोड़ दीं तो उस पुलिस के खिलाफ सरकार ने उनको मुअत्तिल कर दिया लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उन लोगों के खिलाफ, जिन्होंने मासूम बच्चों पर गोली चलाई थी और जिन्होंने मस्जिदों को मंदिरों में बदल दिया, सरकार ने क्या कार्यवाही की। इस तरह की 40 मस्जिदों की लिस्ट हमारे पास है। इसके लिए क्या किसी अधिकारी को मुअत्तिल किया गया या पुलिस के किसी आदमी को मुअत्तिल किया गया? दिन में लूटपाट हुई या कत्ल हुआ, तो ठीक है यह कहा जा सकता है कि आपस में हिन्दू-मुसलमानों ने किया लेकिन कर्फ्यू के दौरान जितनी लूटमार और आतिशजदगी हुई है, यह किसने की है। बहुत से लोगों ने इसके बारे में कहा है और इसका लुब्बेलुबाब यह है कि यह पी०ए०सी० ने वहां पर किया है और पुलिस ने किया है। इसलिए मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि इसके लिए वे वहां की पुलिस के लोगों को मुअत्तिल करें और पी०ए०सी० के लोगों को मुअत्तिल करें।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि हमारी सरकार का एतमाद पुलिस पर न होकर,

पी०ए०सी० पर न होकर, अधिकारियों पर न होकर, अपने दल के संसद सदस्यों पर होना चाहिए क्योंकि ये ही सरकार के हाथ और पैर हैं। सरकार जिन्दा है, तो हम सदस्यों की वजह से ही हैं। इन सदस्यों के मुरादाबाद जाने से सारे मामलों के सही व गलत होने का पता चल सकेगा और उम्मीद है कि मुसीबत जदों को भी जरूर इस पर विश्वास होगा। संसद सदस्यों को वहां पर बिठाया जाए और वे वहां बैठकर के, वहां के तमाम झूठ और सच इन्तजाम की तहकीकात करें। मैं आपसे मांग करूंगा कि ऐसा किया जाए।

मुरादाबाद से पहले जमशेदपुर में राइट्स हुए थे। वहां पर रिलीफ का काम चलता रहा लेकिन मुरादाबाद में जो अच्छे लोग थे वे वहां रिलीफ का काम चला रहे थे लेकिन उनको पकड़ लिया गया। इसके बाद वहां से बाकी लोग भाग गए। वहां बाहर वाले किसी को आने नहीं दिया जाता है। इसे भी हुकूमत को देखना चाहिए। ताकि बाहर से इमदाद करने वाले लोग आकर मुसीबत जदों की मदद करें और राहत कार्य में हाथ बटाएं जैसाकि हर जगह होता रहा है।

श्री जैलसिंह : सम्माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस सबजेक्ट को बहुत सीरियसली लेता हूं और इसे बहुत महत्वपूर्ण बात समझता हूं। मेरा दिल चाहता था कि इन पर इतने आनरेबल मेम्बर्स बोले हैं उन सब पर मैं एक-एक दो-दो मिनट लगाऊं। लेकिन अब समय नहीं रह गया है और मेम्बर साहेबान की रुचि भी अब सुनने की तरफ नहीं रह गई है। इसलिए मैं कट-शार्ट करूंगा। मेरे सामने कुछ बुजुर्ग मेम्बर हैं जो खुद बोले नहीं, लेकिन सजीदगी से बैठे हैं। मैंने यहां कुछ दोस्तों को यह कहते हुए सुना है कि इसके लिए इतना समय बढ़ाओ और वे बोलकर खुद यहां से चले गये। जब बोलने वाले यहां से चले गए तो सुनाने वाला किसको सुनाएगा। कुछ यहाँ जरूर संजीदगी के साथ बैठे हैं। डिसिप्लीन के लिए, इसकी चिन्ता के लिए यहां बैठे हैं।

मैं ज्यादा समय तो आपका नहीं लेता, आधे मिनट में एक बात कहता हूं। अमृतसर में कोई एक बार तकरीर कर रहे थे। उसमें से सब लोग चले गये सिर्फ दो आदमी रह गए। इस पर वे कहने लगे कि मैं सब्र करूंगा कि दो आदमी तो समझदार हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं। दोनों में से एक उठकर बोला कि मुझे तो लाऊड स्पीकर ले जाना है और इसने दरियां उठानी हैं। अगर आप हटें तो हम भी जाएं।

यह बात मैंने यहां लाइटली रखी है, यह रिकार्ड में लाने वाली बात नहीं है।

श्री बी०बी० देसाई ने मोशन रखा और एक मोशन श्री जी०एम० बनातवाला जी ने भी रखा। उन्होंने अपनी तकरीरों में बहुत सी बातें कहीं। उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जवाब देना निहायत जरूरी है।

एक तो प्रधान मन्त्री जी के बारे में मेम्बरों ने कहा कि उन्होंने पहले विदेशियों के

लिए कहा था और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि विदेशियों का हाथ नहीं है।

(व्यवधान)

एक दिन पहले मधु दंडवते जी ने फरमाया था कि अब इस बात को छोड़ें और प्रधान मन्त्री जी ने जो आखिर में कह दिया है उस पर विश्वास रखें। मैं प्रधान मन्त्री जी की तकरीरें साथ लाया हूं लेकिन मैं समझता हू कि अब जरूरत नहीं है। इस पर आपको विश्वास करना चाहिए कि न मैंन कहा, न प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि विदेशियों का हाथ है। हम में से किसी ने यह बात नहीं कही है।

फिर मेम्बरों का यह ख्याल आया कि मस्जिदों को मन्दिरों में बदल दिया गया है। इसके लिए जो मैंने रिपोर्ट मांगी है उस स्टेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक भी वाक्या ऐसा नहीं है जहाँ कि मस्जिदों को मन्दिरों में बदला गया हो। लेकिन जिन दो-तीन मन्दिरों को और 11-12 मस्जिदों को नुकसान हुआ था उनकी मरम्मत सरकार ने अपने खर्चे पर करवा दी है।

यह कहा गया कि डाकखानों से पता कराया जा सकता है कि पुलिस वालों ने कितना रुपया मनीआर्डर से भेजा है। हम इसकी जानकारी कर लेंगे। अगर उनकी तन्ख्वाह या उनकी जायज आमदनी से ज्यादा हुआ तो इस मामले पर विचार कर लेंगे।

सम्मान योग्य सदस्य सुखाड़िया जी जोकि बहुत लम्बी देर तक एक राज्य के मुख्य मंत्री के पद पर रहे हैं, उन्होंने बड़ी संजीदगी से शुरुआत की थी और मैं उन मेम्बरों का बड़ा मशकूर हूं जिन्होंने इस बात के लिए वादा भी किया और कोशिश भी की, कि वे पार्टी का मफाद सामने रखकर नहीं बल्कि देश का मफाद सामने रखकर बात करते हैं और ये ऐसी चीज है जिसके लिए सेक्यूरलिज्म में विश्वास रखने वाले हर आदमी का दिल दुखता है और उसमें पार्टी का भी नुकसान होता है। इसलिए निशाना यही रहा कि ऐसी दुर्घटनाएं हमारे देश में दोबारा पैदा न हों और जिन लोगों के दिलों में बदगुमानी पैदा हो गई है, उनको हम उस बदगुमानी से निकालें और उनका भरोसा हम जीतें।

तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि जो प्रजेन्ट इन्क्वायरी है वह डिस्ट्रिक्ट जज की है और यह वाक्या बड़ा है और कम से कम हाई कोर्ट के जज से इन्क्वायरी होनी चाहिए तो मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं और वहां के मुख्य मंत्री से कहूंगा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करें, क्योंकि चीफ जस्टिस ने एक आदमी को इन्क्वायरी के लिए लगाया है, उसको भी इज्जत के साथ बदलकर और वहाँ कोई जो इस वक्त सर्विस में हो, सर्विंग जज हाईकोर्ट को लगाएं और इसके लिए.....

श्री ज्योतिर्मय बसु : सुप्रीम कोर्ट जज।

श्री जैलसिंह : मैं मेम्बर साहेबान से दरख्वास्त करूंगा कि (डिस्ट्रिक्ट जज की

तरह) हम उस प्रदेश के हाईकोर्ट पर एतबार न करें तो अच्छा नहीं होगा और हाईकोर्ट के जज भी बहुत जिम्मेदार होते हैं और मेरा खयाल है कि सब लोग इस बात पर मिल-वर्तन देंगे।

और उन्होंने यह भी कहा कि जहां ऐसी दुर्घटनाएं होने की इत्तिला मिले वहां तुरन्त फौज भेजिए, अपनी रिजर्व फोर्स भेजिए, बी०एस०एफ० को भेजिए, उसमें ढील नहीं करनी चाहिए। यह तो एक बात मजबूती की है, एडमिनिस्ट्रेशन को करनी ही चाहिए। मेरी और भाइयों से भी यही प्रार्थना है कि ये जो फिरकेदाराना जहर है, कम्युनलिज्म का जहर है या रीजनलिज्म का जहर है यह निकला नहीं दिमाग से और बड़ी मुश्किल से 64 के बाद धीरे-धीरे इसको कम किया था और यह फिरकेदारी का भूत एक बोतल में बंद किया गया था लेकिन बंद करना बड़ा मुश्किल होता है मगर जब बोतल का कार्क निकाल दिया जाता है और वह भूत बाहर आ जाता है तो उसको पकड़ते-पकड़ते काफी देर लगती है। मैं चाहता हूं कि इस भूत को पकड़कर फिर बोतल में बंद कर दें इसके लिए आप सब के कोआपरेशन की जरूरत है।

श्री मधु दंडवते : बोतल का तजुर्बा नहीं है आपको।

श्री जैलसिंह : प्रोफेसर साहब, जितने तजुरबे आपके हैं उतने तो हमारे हैं नहीं लेकिन यह तो कुदरत की बात होती है कि आपको समय कम मिला हमको समय ज्यादा मिला राज करने का।

ज्योतिर्मय बसु जी ने कुछ तो तामीरी सुझाव दिए, कुछ अपने स्वाभाव के मुताबिक कहा और उन्होंने दो अफसरों का और 3-4 प्राइवेट परसनस का नाम लिया है। मुझे उनका लैटर मिला, स्पीकर साहब को भी मिला, आज सुबह 9 बजे।

और रूल के मुताबिक "प्रीवियस" इत्तिला देने के बाद किसी ऐसे आदमी का नाम या काम डिस्कस किया जा सकता है, जो हाउस का मेम्बर नहीं है और जो अपने आपको डिफेंड नहीं कर सकता है। मगर यह "प्रीवियस" टैक्नीकल तो है, लेकिन रीसेन्ट है। आज ही मुझे मिला है, आज ही मैं कौन्टैक्ट नहीं कर सका।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कल लिखा था।

श्री जैलसिंह : लिखा आपका कल का है, डेट आपने कल की डाली है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पी० ए० सी० की मीटिंग कल हुई।

(व्यवधान)

श्री कृष्णचन्द्र पांडे : अरे भाई, जरा सुनिये, डिस्टर्ब मत करिए।

(व्यवधान)

श्री जैलसिंह: मुशीर अहमद खां ने काफी बातें कहीं, मैंने उनका नोट ले लिया है, हम उन पर गौर करेंगे, लेकिन उसमें कुछ उनकी इत्तिला गलत है, मगर फिर भी हम उन बातों पर पूरा-पूरा ध्यान देंगे।

अभी हमारे सम्मान योग्य एक्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बा० जगजीवनराम जी ने अपनी तकरीर में बहुत कुछ कहा है। मुझे याद आ रहा था—

अमल से जिन्दगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी,

यह खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है।

और उसका जवाब मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि भगत जी ने जो अपनी तकरीर की और उन्होंने अदब से, सम्मान और आदर से सारी बातें उनको बता दी, मैं दोहराना नहीं चाहता।

अभी हमारे जेठ मलानी जी ने शुरू में कहा कि मैं पार्टी फसाद को सामने नहीं रखूंगा, लेकिन यह कुदरती बात है कि जो पार्टी-मैन होता है, पालिटीशियन होता है, उसके दिमाग में कोशिश करने के बाद भी कोई न कोई बात अपनी पार्टी के हक में और दूसरी पार्टी के खिलाफ निकल जाती है। हो सकता है, मुझ से भी निकल जाये, लेकिन मेरा ख्याल था कि एमीनेन्ट वकील हैं, एडवोकेट हैं, ये ऐसी बात नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने शुरू की निष्पक्ष भाव से नानकदेव का श्लोक भी पढ़कर सुनाया और आखिर में जब वह समाप्त करने लगे तो 2, 4 चोटें लगा गए, लेकिन ऐसा है कि मैं उन चोटों को बर्दाश्त कर सकता हूं, जवाब देने की जरूत नहीं है।

मुझे यह भी मालूम है कि श्री आरिफ मौहम्मद खां ने अपनी तकरीर में सब कुछ बोला और बहुत शानदार तरीके से पुट किया। उनकी तकरीर के बाद कुछ दोस्तों की तकरीर का जवाब देने का मकसद नहीं रह जाता, इसलिए मैं इसी तरह से खत्म करता हूं।

आज हमारे प्रो० मधु दंडवते जी ने जो अपना भाषण दिया, उन्होंने भी बहुत शानदार तरीके से शुरूआत की और फिर जाकर सारा दोष हमारी सरकार पर लगाने के लिए बहुत सी आर्गयूमेंट उन्होंने दीं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस बीमारी का इलाज करने के लिए दोषी को सजा देने के लिए, और जो अभी भी इस आग को नहीं बुझने देना चाहते और जो छिपे हाथों से यही सोचते हैं कि किसी न किसी तरीके से यह सरकार जो वोटों से तो गिराई नहीं जा सकी, लेकिन इसमें बद-अमनी पैदा करो और इसे गिरा दो, उनसे भी मैं यह कहना चाहता हूं कि इन दंगों और फसादों को अमन-पसन्द शहरियों की की मदद से हमेशा के लिए मिटा दिया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने माइनारिटी कमीशन बनाया था। अच्छा किया। लेकिन माइनारिटी कमीशन बनाने की जरूरत

जनता पार्टी के राज में ही पड़ी। पहले तो माइनारिटी कमीशन सरकार ही थी और सरकार पर माइनारिटीज का पूरा विश्वास था।

प्रो० मधु दंडवते : माइनारिटी कमीशन की माँग कई बरस पहले से की जाती रही है। मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूं कि हमने यह किया। आपकी हुकूमत में भी यही मांग थी और कांग्रेस वालों की तरफ से भी मांग थी।

श्री जैलसिंह : आप जो भी कहते हैं, मैं मान लेता हूं।

सी० पी० आई० के नेता, श्री इन्द्रजीत गुप्त, ने बड़ी-लम्बी तकरीर की। वह हमारे दोस्त हैं। उनके सुझाव हमने नोट कर लिए हैं, जो काफी कीमती हैं। उन्होंने मेरे इन्टरव्यू को पढ़ कर सुनाया है। मैंने उस इन्टरव्यू में जो कुछ कहा है, मैं उस पर अमल करूंगा। अच्छा होता, अगर वह यह भी सुना देते कि मुझसे सवाल क्या किया गया था और किस कनटैक्ट में मैंने कहा। वह चले गए हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री ज्योतिर्मय वसु भी चले गए हैं। उन्होंने कहा कि मरने वालों की ज्यादा गिनती 1930 में थी। लेकिन वह इस बात को भूल गए कि सबसे ज्यादा गिनती जो मरने वालों की अब तक है, वह त्रिपुरा में है, और त्रिपुरा की स्टेट उनके कब्जे में है, और उसी वजह से गिनती बढ़ी है, वर्ना गिनती न बढ़ती।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह क्या कमपेरिजन है ? ये दोनों एक किस्म की बातें नहीं है। यह मंत्री महोदय के लिए अच्छा नहीं है।

श्री जैलसिंह : एक मेम्बर ने कहा कि जिस कौम के कल्चर और भाषा को खत्म कर दिया जाये, वह कौम सब कुछ खो बैठती है। उन्होंने कहा कि उर्दू जुबान खतरे में में है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि उर्दू जुबान को कोई खतरा नहीं है और न कोई उसे खत्म करने के काबिल है। जिस जुबान को लिखने वाले पढ़ने वाले और सुनने वाले हैं, वह जुबान खत्म नहीं होती है। हमारे मुसलमान भाइयों ने उर्दू के लिए अपने जजबात प्रकट किए हैं। मैं वह आदमी हूं, जिसने उर्दू में ओथ ली थी।

प्रो० मधु दंडवते : उर्दू हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों की जुबान है।

श्री जैलसिंह : उर्दू जुबान केवल मुसलमानों की नहीं है, वह सब हिन्दुस्तानियों की है। अगर माननीय सदस्य इस जुबान को केवल मुसलमानों की जुबान कहेंगे, तो वे इसकी खिदमत नहीं करेंगे हिन्दुस्तान के लोगों को याद रखना है कि इस भाषा जन्म हिन्दुस्तान में हुआ है और यह सबसे ज्यादा हिन्दुस्तानी है।

लेकिन मैं एक प्रार्थना करता हूं। मैं किसी की नीयत पर शक नहीं करता हूं। मुसलमान हिन्दुस्तान के वफादार है। उन्हें यह कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस

वफादारी का सबूत दिया है। गद्दार सब में में पैदा हों सकते है—मुसलमानों, हिन्दुओं और सिखों में भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन वे वफादार हैं और उनके जजबात की मैं कद्र करता हूं। लेकिन अगर हमारी तकरीरें इस पार्लियामेंन्ट में भी इस तरह से हों कि मैं एक पक्ष की बात पेश कर रहा हूं और दूसरे पक्ष की बात कोई और पेश करे, तो यह अमन और शान्ति के लिए फायदामंद नहीं हो सकता है। माननीय सदस्य यकीन रखें कि मैं हर वक्त प्रधान मंत्री जी के पास जाता हूं और जब उनका नोट हमारे पास आता है, तो हम उसी वक्त एक्शन लेते हैं।

मुझे भी कुछ अफसरों के खिलाफ शिकायत है। एक मेम्बर ने कहा कि नाम बता दो।अगर मैंने नाम ही बता दिया तो वह अपना प्रबन्ध कर लेंगे और प्रबन्ध लोग कर सकते हैं।

अशर राजे दिल का जलीलो खार होता है।
निकल जाती है जब खुशबू गुल बेकार होता है।।

इसलिए दिल का राज और जिस बात के लिए हम ने कसम खायी है कि कुछ बातों को छिपा कर रखेंगे, उसको मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन मेरा मतलब यह नहीं कि मैं मेम्बर पार्लियामेंट से छिपाना चाहता हूं। यह पार्लियामेंट की कार्यवाही दुनिया भर में जाती है, इसलिए वह माफ करें, यह चीज नहीं करनी चाहिए।

एक बात उन्होंने और कही कि हम रिजर्वेशन की डिमांड करें। वह उस तरफ बैठे थे। मैं अपोजीशन का मतलब यह समझा हूं कि अपोजिट यानी जो आमने-सामने बैठे हों और जिनकी राय में इख्तलाफ हो। लेकिन वह बैरी या दुश्मन नहीं होते, एनीमी नहीं होते। अपोजीशन को हम ऐनीमी नहीं कह सकते। न हमको उन्हें एनीमी समझना चाहिए और अपोजीशन को हमें एनीमी समझना चाहिए। यह बदकिस्मती की बात हुई कि उस जमाने में अपोजीशन को दुश्मन समझकर खत्म करने की कोशिश की गई। यह तो जब तलवार से सरकार बदली जाय तब होता है। लेकिन ये तो इस्पात की तलवारें नहीं विचारधारा की तलवारें हैं और विचारधारा से हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं।

मैं बड़े अदब से अपने मुसलमान भाइयों से यह बात कहूंगा कि मुसलमान अगर समझते हैं कि वह कोई कौम हैं तो वह गलती करते हैं। अगर सिख समझते हैं कि वह कोई कौम हैं तो वह गलती करते हैं। भी ऐसा समझता है, हिन्दू समझते हैं कि हम अकेले कौम है तो वह भी गलती करते हैं। कौम के माने है नेशन और नेशन हिन्दुस्तानी हैं, इंडियन नेशन है। कोई पाकिस्तानी अपने आप को पाकिस्तानी कहे तो हम कहेंगे कि उसकी नेशन जुबां हैं। लेकिन धर्म के नाम पर नेशन नहीं होता। कितने मुल्क हैं संसार में जो क्रिश्चियन के हाथ में हैं, मौहम डन के हाथ में हैं या किसी और के हाथ में है, लेकिन

वह नेशन मजहब के नाम पर कहना या मजहब को कौम कहना, इससे गलतफहमी पैदा होती है। हम मुसलमान और हर किस्म के लोग जो हिन्दुस्तान में बसते हैं वह एक नेशन हैं और उस नेशन के वह अंग हैं। उनकी साम्प्रदायिकता, उनकी विचारधारा, धार्मिक तौर पर अलहिदा हो सकती है, पौलिटिकल तौर पर अलहिदा हो सकती है, बहुत सी चीजें अलहिदा हो सकती हैं लेकिन हम कौम को दो नहीं बना सकते। हिन्दुस्तान में रहने वाले तमाम हिन्दुस्तानी हैं। इसलिए इस वाद-विवाद को खत्म करना होगा।

हमारे डी० एम० के० मेम्बर साहबान ने कुछ बात बतायी थी कि वहाँ कुछ हरिजनों पर जुल्म हुआ। मैं चाहता हूं कि अब आप का और हाउस का ज्यादा वक्त न लूं। वह बातें जो रह गई हैं वह कार्यवाही में आ जाएंगी। पार्लियामेंट की कार्यवाही को मैं अपने पास रखूंगा क्यों कि मेरा यह सबजेक्ट था और मेरा सबजेक्ट होने के नाते मैं इस पर सबके विचार, सबके ख्यालात, सबके सुझाव जो हैं उनकी इज्जत करता हुआ उन पर पूरी तरह से गौर करूंगा और मैं आप से एक आशा रखता हूं। वह यह है कि हम हों या कोई और हुकूमत में हों, हुकूमत से गलतियां हो जाती हैं। गलतियां पकड़ने का काम अपोजीशन का है। गलतियां पकड़ कर विरोध करें लेकिन जहाँ कहीं भी तमाम नेशन का सवाल आ जाय जो नेशन कोऊंचा या नीचा कर सकता है, उसमें हम को तामीरी क्रिटिसिज्म करना चाहिए और उसे तामीरी ढंग से ही इस्तेमाल करना चाहिए।

हम चाहते हैं आप रहें। लेकिन हमारा यह काम नहीं है कि अगर आप कमजोर होते हैं तो आप को तगड़ा करने के लिए हिम्मत हम दें। यह हमारा काम नहीं है। आप अपनी हिम्मत से तगड़े रहें, मजबूत रहें। लेकिन हमारा यह निशाना नहीं कि हम आप को कमजोर करें। पोलिटिकली कमजोर करने में तो कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी का लिहाज नहीं करती। आप सब इकट्ठा भी बोल जावें तो भी फिर इस बात की चिन्ता करेंगे कि किस को किस तरह कमजोर किया जाय। यह राजनैतिक बात है। लेकिन जहाँ नेशन का सवाल आ जाय जहां ऐसी समस्या हो कि सब की इज्जत खतरे में पड़ सकती है वहां यह चीज नहीं होनी चाहिए क्यों कि कोई यह नहीं पूछने वाला है कि कांग्रेस आई थी, दूसरी कांग्रेस थी या कोई दूसरी पार्टी थी, यह कहा जाएगा कि इस नेशन ने इतना निकम्मा काम किया है कि उसको हम इज्जत की निगाह से नहीं देखते। मैं यह आशा रखते हुए कि आप पूरा कोआपरेशन देंगे, बनातवाला जी से और दूसरे दोस्तों से विनती करूंगा कि उन्होंने जो मोशन दिए हैं उनको वापिस ले लें। तमाम बातों पर सरकार पूरी तरह से गौर करके उनका इलाज करेगी।

श्री बी० वी० देसाई : महोदय, माननीय मंत्री महोदय के लम्बे स्पष्टीकरण के बारे में नहीं समझता कि उत्तर देने के लिए कुछ रह गया है। मैं एक अथवा दो मिनट का समय लूंगा। आरम्भ में, अध्यक्ष महोदय ने सदन को सम्बोधित किया था और हमें बताया था

कि हमें इस ढंग से बोलना चाहिये कि हमारी बातें बाहर उत्तेजक न लगें। आरम्भ में कुछ सदस्य तो बहुत अच्छे ढंग से बोले परन्तु बाद में सभी प्रकार के अतिश्योक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया। मेरा यह विनम्र अनुरोध है और मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि इससे समस्या हल नहीं होगी। हम सबको मिलकर इकट्ठे काम करना होगा और समस्या का हल ढूंढना होगा।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं माननीय गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रतिस्थापक प्रस्ताव में उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार किया जायेगा और सरकार द्वारा उन पर कार्रवाई की जायेगी। उस आश्वासन को देखते हुए मैं अपना प्रतिस्थापक प्रस्ताव वापस लेने के लिए सभी की अनुमति चाहता हूं

सभा की अनुमति से स्थानापन्न प्रस्ताव वापस लिया गया

9.36 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 4 दिसम्बर, 1980/13 अग्रहायण, 1902 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

1980 लोक सभा सचिवालय को प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाइट प्रिन्टर्स दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित